


75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड



क्षितिज से परे
संधारणीय
भविष्य
केलिए नवीन विचार

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22



दूरदेशी बयान

इस रिपोर्ट में कुछ सूचनाओं में दूरदेशी बयान शामिल हो सकते हैं। जिसमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यावसायिक योजनाओं और संभावनाओं आदि के बारे में विवरण शामिल है और यह आमतौर पर 'विश्वास', 'योजना', 'अनुमानित', 'जारी', 'अनुमान', 'उम्मीद', 'हो सकता है', 'इच्छा' या अन्य समान शब्दों जैसे दूरदेशी शब्दों से पहचाने जाते हैं। दूरदेशी बयान ऐसे बयानों के आधार पर धारणा या आधार पर निर्भर है। हमने इन धारणाओं या आधारों को अच्छे विश्वास में चुना है, और हम मानते हैं कि वे सभी वस्तुगत पहलुओं में उचित हैं। हालांकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे दूरदेशी बयानों में व्यक्त या निहित से प्रत्यक्ष रूप से भिन्न हो सकती हैं। नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणाम स्वरूप, हम किसी भी दूरदेशी बयान को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं।

क्यू आर कोड स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

<https://cochinshipyard.in/>



निगमित अवलोकन

- 02 सीएसएल एक परिचय
- 04 क्या हमें विभेदित करता है
- 06 पांच दशक की उत्कृष्टता
- 10 विश्व स्तर पर विश्वसनीय
- 12 भारतीय प्रायद्वीप को समाविष्ट करना
- 14 मुख्य विस्तार परियोजनाएं
- 16 हमारे प्रस्ताव
- 18 सतत मूल्य सृजन
- 20 वर्ष एक झलक में
- 22 अध्यक्षीय भाषण
- 28 निदेशक मंडल
- 32 सक्षम कार्यबल का निर्माण
- 34 हमारे समुदायों का रूपांतर
- 36 सुरक्षा के लिए प्राथमिकता
- 37 निगमित सूचना

सांविधिक रिपोर्ट

- 38 निदेशक की रिपोर्ट
- 81 निगमित शासन पर रिपोर्ट
- 107 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- 117 व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

- 126 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलॉन)
- 137 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (स्टैंडअलॉन)
- 138 स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण
- 206 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)
- 213 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (समेकित)
- 214 समेकित वित्तीय विवरण

सूचना

- 295 50^{वां} वार्षिक सामान्य बैठक

रिपोर्ट के भीतर

सीएसएल एक परिचय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को वर्ष 1972 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में, भारत सरकार के पास कंपनी में 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी है। पिछले पांच दशकों में, कंपनी भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में अग्रदूत के रूप में उभरी है और वैश्विक पोत निर्माण के मोर्चे पर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी है।

कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित स्वदेशी वायुयान वाहक का निर्माण और वितरण किया है और भारत में कुछ सबसे बड़े पोतों का निर्माण और मरम्मत भी किया है। इन वर्षों में, सीएसएल ने बाजारों की पोत निर्माण आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव का सफलतापूर्वक जवाब दिया है और बल्क कैरियर्स से छोटे और अधिक तकनीकी रूप से परिष्कृत जहाजों जैसे प्लेटफॉर्म सप्लाइ वेसल्स (पीएसवी) और एंकर हैंडलिंग टग सप्लाइ वेसल्स (एचटीएस) के निर्माण से विकसित हुआ है। सीएसएल ने रोल्स रॉयस मरीन (नॉर्वे), जीटीटी (फ्रांस), वार्ड ग्रूप (नॉर्वे) आदि सहित उद्योग में कई प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ काम किया है। सीएसएल ने नॉर्वे, नीदरलैंड, साइप्रस, यूएसए, जर्मनी, डेनमार्क / बहामास, सऊदी अरब और यूएई में कुछ सबसे अधिक

मांग वाले ग्राहकों को 47 जहाजों का निर्यात किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी साख बढ़ी है। घरेलू मोर्चे पर हमारे प्रमुख पोत निर्माण ग्राहकों में भारतीय नौसेना, भारतीय लागत रक्षक, गृह मंत्रालय, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लक्षद्वीप सरकार, विभिन्न पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई), अंडमान व निकोबार प्रशासन, लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय (डीजीएलएल) और ज़िंदल स्टील वर्क्स (जेएसडब्ल्यू) समूह शामिल हैं। सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के पोतों के उन्नयन के साथ-साथ समय-समय पर अनुरक्षण, मरम्मत और पोतों के जीवन काल विस्तार सहित विभिन्न प्रकार के पोतों की मरम्मत भी की है। सीएसएल वर्तमान में भारत का सबसे अच्छा निष्पादन करने वाले शिपयार्ड में से एक है।

निर्मित और सुपुर्द किए जहाज
(मार्च 31 2022 तक)

20

बड़े जहाज

35

अपतटीय सहायक जहाज

84

छोटे और मध्यम जहाज

27

रक्षा जहाज

क्या हमें विभेदित करता है



दूरदर्शिता

- ▶ अग्र श्रेणी के वाणिज्य और नौसेना पोतों, अपतटीय यानों और संरचनाओं के निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमत शिपयार्ड के रूप में प्रसिद्ध हो जाना।
- ▶ परिवर्तन/ उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाजार अग्रणी बनना।
- ▶ हमारे मूल्यवान ग्राहक द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करना, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान किया जाना और हमारी सेवा उत्कृष्टता के लिए भरोसा करना।



दौत्य

- ▶ अंतर्राष्ट्रीय मानक पर अपतटीय संरचना तथा यानों का निर्माण एवं मरम्मत करना और मूल्य पर जुड़नेवाली इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करना।
- ▶ प्रतियोगितात्मक पर्यावरण में निगमित संवृद्धि कायम रखना।
- ▶ एक उत्तरदायी निगमित नागरिक बनने के लिए आदतों को स्वीकार करना और लेना।



उद्देश्य

- ▶ प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन के जरिए पोत निर्माण व पोत मरम्मत गतिविधियाँ कायम रखना और बढ़ाना।
- ▶ नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की गतिविधियों के विकास/ विविधीकरण के लिए लगातार प्रयत्न करना।

- ▶ पोत निर्माण प्रक्रिया की उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास कार्यान्वित करना।
- ▶ अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्किंग की ओर जाने हेतु, भारत में अनुवर्तित सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माण मानकों के साथ बैंचमार्क करना।
- ▶ सुधरे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना।
- ▶ साफ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट आदत अपनाना। क्षमता को उच्चतम सीमा

तक बढ़ाने के लिए आक्रामक बोली लगाने से रुका काम समय कम करना और आदेश प्राप्त करना।

- ▶ सकारात्मक ग्राहक उन्मुख पहलुओं को सुनिश्चित करना।
- ▶ सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं तथा निगमित शासन सिद्धांतों के अनुपालन के जरिए एक उत्तरदायी निगमित नागरिक धारणा निर्मित करना।

पांच दशक की उत्कृष्टता

और गिनती जारी है



निगमन वर्ष 1979

- ▶ कंपनी मार्च 29, 1972 को निगमित हुई।
- ▶ अप्रैल 1972 में हल शॉप की आधारशिला रखी गई। शिपयार्ड 1975 के अंत तक प्रचालन के लिए तैयार था।
- ▶ पहले बल्क कैरियर के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध।
- ▶ वर्ष 1978 में पोत मरम्मत कार्य प्रारंभ किया गया।

1980 - 1999

- ▶ भारतीय नौवहन निगम को वर्ष 1981 में प्रथम पोत 'रानी पद्मिनी' की सुपुर्दगी।
- ▶ पैनमैक्स बल्क कैरियर्स, डबल हल क्रूड ऑयल टैंकर सहित आठ और बड़े जहाजों को एससीआई सहित विभिन्न घरेलू ग्राहकों को वितरित किया गया।

- ▶ वर्ष 1990 तक, 74 करोड़ रुपये के शेयर पूंजी आधार के मुकाबले 210 करोड़ रुपये के संचित नुकसान के साथ यार्ड गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में चला गया।
- ▶ कंपनी ने वर्ष 1994 में एक प्रमुख पूंजी पुनर्गठन लागू किया।
- ▶ नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित स्नातक समुद्री इंजीनियर पाठ्यक्रम शुरू किया।
- ▶ व्यवस्थित प्रयासों से, सीएसएल ने पहली बार वित्तीय वर्ष 1994-95 में 11.16 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया।
- ▶ कंपनी वर्ष 1994-95 से लाभ कमा रही है।

2000-2009

- ▶ सीएसएल ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2003-04 में भारत सरकार को लाभांश का भुगतान किया।
- ▶ तब से कंपनी पिछले 19 वर्षों से लगातार शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कर रही है।
- ▶ कंपनी ने वाणिज्यिक निर्यात बाजार में प्रवेश किया।
- ▶ राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी, अबू धाबी को पहला निर्यात आदेश दिया।
- ▶ बहामास के क्लिपर समूह को छह थोक वाहक निर्यात किए गए।
- ▶ सीएसएल ने अपतटीय पोत निर्माण खंड में प्रवेश किया।

- ▶ उच्च गुणवत्ता के प्रति जागरूक पश्चिम यूरोपीय ग्राहकों के लिए जहाजों के आला में प्रवेश द्वारा प्रमुख प्रगति।
- ▶ एटीसीओ, सऊदी अरब को 9 अग्निशमन टंग निर्यात किए गए।
- ▶ भारतीय नौसेना के लिए पहले स्वदेशी विमान वाहक की कोल लगाना।
- ▶ टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अभिनव समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया जिसने इस अवधि के दौरान क्रमशः 1462 करोड़ रुपये और 228 करोड़ रुपये के उच्च कारोबार और निवल लाभ प्राप्त करने के मदद की।
- ▶ श्रेणी-1 मिनिस्त्र का दर्जा प्राप्त किया।

2010-2015

- ▶ भारतीय तटरक्षक बल के लिए 20 त्वरित गश्ती जलयानों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर।
- ▶ साइप्रस, जर्मनी, नेथरलैंड और नॉर्वे में विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों को 20 जहाजों को पूर्ण निर्यात।
- ▶ लंबी अवधि के पट्टे पर लिए गए कोचीन पत्तन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

- ▶ भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक का शुभारंभ।
- ▶ कंपनी ने 100 पोतों की सुपुर्दगी की एक महत्वपूर्ण घटना हासिल की।
- ▶ जीटीटी, फ्रांस से मार्क-III प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एलएनजी कार्गो कंटेनर सिस्टम के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करनेवाला भारत का पहला शिपयार्ड।
- ▶ इस अवधि के दौरान, 1860 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और 235 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ।

2016-2022

- ▶ भारतीय तटरक्षक बल को 20 तेज़ गश्ती जहाज़ों की सुपुर्दगी समय से पहले पूरी कर ली गई।
- ▶ भारत सरकार की नीली क्रांति योजना के तहत तमिलनाडु के मछुआरों के लाभार्थियों को 16 ट्यूना लॉन्ग लाइनिंग और गिलनेटिंग फिशिंग वेसल वितरित किए गए।
- ▶ अबू धाबी को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जैकेट लॉन्च बार्ज का निर्यात किया गया। कुल मिलाकर सीएसएल ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को 47 जहाज़ों का निर्यात किया।
- ▶ **तटीय नौवहन को उत्प्रेरित करना** - जेएसडब्ल्यू समूह को उनके भारतीय तटीय संचालन के लिए चार 8000 टन मिनी ब्लक कैरियर वितरित किए।
- ▶ **भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन का कायाकल्प** - राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के लिए 10 रो-रो/रोपेक्स जहाज़ों की सुपुर्दगी।

- ▶ **विश्व के लिए 'मेक इन इंडिया'** - अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे (नॉर्वे सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित एक परियोजना) को दुनिया में अपनी तरह की पहली 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक फेरी वितरित की गई।
- ▶ **भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना** - भारतीय नौसेना को प्रतिष्ठित स्वदेशी वायुयान वाहक प्रदान किया। भारत दुनिया के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिसने स्वदेशी रूप से एक वायुयान वाहक पोत का डिज़ाइन और निर्माण किया है।
- ▶ अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए दो 500 यात्री सह 150 मी.ट. कार्गो जहाज़ सुपुर्द किया गया।
- ▶ गृह मंत्रालय को 9 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जहाज़ों की सुपुर्दगी की।
- ▶ **विस्तार और क्षमता वृद्धि**
- **भौगोलिक विस्तार और बुनियादी ढांचे का विस्तार** - अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ कोच्ची में एक एकल इकाई कंपनी से सात इकाइयां (पांच व्यावसायिक इकाइयों और दो पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों

के साथ) के साथ बहु सुविधा कॉर्पोरेट में अंतरित किया गया।

- **पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों** अंतर्देशीय जल मार्ग खंड को पूरा करने के लिए कोलकाता में हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को शामिल किया गया।
- मत्स्य ग्रहण पोत निर्माण खंड को बढ़ाने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (वर्तमान में, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) का अधिग्रहण किया।
- **वर्तमान बड़ी विस्तार परियोजनाएं** 970 करोड़ रुपये की लागत से कोचीन पत्तन से 42 एकड़ पट्टे पर ली गई भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)।
- 1799 करोड़ रुपये की लागत से कोच्ची में नया सबसे बड़ा 310 मी. सूखी गोदी।
- **वर्तमान परियोजनाएं और चालू प्रमुख पहल**
- भारतीय नौसेना के लिए 8 एएसडब्ल्यू कोवर्ट के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

- ये उन्नत पोत सीएसएल को ऐसे जहाज़ों के लिए अग्रणी समाधान प्रदाताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे।
- भारतीय नौसेना के लिए 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज़ों के निर्माण के लिए एल1 के रूप में घोषित - इस संबंध में अनुबंध पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
- **पर्यावरण अनुकूल शहरी जल परिवहन समाधान** - कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाज़ों का निर्माण। अब तक 4 जहाज़ों की सुपुर्दगी की जा चुकी है।
- भारत के सबसे बड़े ड्रेजर, 12,000 एम3 ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर के निर्माण के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 127 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा जहाज़ आईएचसी हॉलैंड के विश्व स्तर पर प्रशंसित वीगल प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसे सभी भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा।
- एचएस सर्विस जीएमवीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए ईको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी

- जहाज़ के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- सीएसएल स्वदेशी भागीदारों के सहयोग से निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजी (एलटी-पीईएम) जिसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल (एफसीईवी) भी कहा जाता है, पर आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल के डिज़ाइन, विकास और निर्माण के लिए एक पायलट परियोजना लागू कर रहा है।
- ▶ **अन्य उपलब्धियां**
- 2030 के अपने दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार किया। इस कार्यक्रम के तहत, सीएसएल का लक्ष्य अगले दशक में अग्रणी भारतीय शिपयार्ड से अग्रणी वैश्विक शिपयार्ड में बदलना है।
- मार्क-III प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीटीटी, फ्रांस से एलएनजी कार्गो कंटेनर सिस्टम के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करनेवाला भारत का पहला शिपयार्ड।
- आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को सफलतापूर्वक पूरा किया और कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों यानी

- बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किया गया।
- पोत की मरम्मत ने गति पकड़ी और वित्त वर्ष 19 में 832 करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च पोत मरम्मत कारोबार दर्ज किया।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रीनको सिल्वर रेटिंग से सम्मानित।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 3422 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च कारोबार और 638 करोड़ रुपये के निवल लाभ पर पहुंच गया।
- ▶ **आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अग्रणी वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग/सहकार्यता**
- **उच्च प्रोफाइल समझौता ज्ञापन** मेसर्स फिनकैटिगरी, इटली दुनिया के सबसे बड़े पोत निर्माण और समुद्री उपकरण निर्माण समूह में से एक है।
- मेसर्स आईएचसी हॉलैंड बीवी, नेथरलैंड, ड्रेजर बनाने में दुनिया के अग्रणी।
- मेसर्स रॉबर्ट एलन लिमिटेड, कनाडा, टग्स, अंतर्देशीय जहाज़, हार्वर क्राफ्ट्स और अन्य विशिष्ट जहाज़ों को डिज़ाइन करने के लिए दुनिया की अग्रणी कंपनी है।



विश्व स्तर पर विश्वसनीय



हमारी सुविधाएँ

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल, कोच्ची)

ड्राई डॉक 1 : 255X43X9 मीटर
ड्राई डॉक 2 : 270X45X12 मीटर
ड्राई डॉक 3 : 310X75/60X13 मीटर (नई)
बर्थ : 1.3 कि.मी.

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा
(आईएसआरएफ), कोच्ची

पोत उत्पाक : 6000टी (130X25 मी)
6 कार्य स्थान
सर्मापित शॉप एवं मैरीटाइम पार्क

सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट
(सीएमएसआरयू), मुंबई

ड्राई डॉक : 300X30X9 मीटर
एफ्लोट मरम्मत के लिए 1 कि.मी.बर्थ

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट
(सीकेएसआरयू), कोलकाता

ड्राई डॉक : 172X23X8 मीटर (2सं.)

सीएसएल अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत
यूनिट (सीएनएसआरयू), पोर्ट ब्लेयर

ड्राई डॉक : 88X20X7 मीटर
ड्राई डॉक : 68X16X5 मीटर
स्लिपवे : 25X8 मीटर (5सं.)

हमारी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियां

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(एचसीएसएल), कोलकाता

स्लिपवे : 136X40 मीटर
3 आउटफिटिंग जेट्टी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(यूसीएसएल), उडुपी

स्लिपवे : 96X22 मीटर



भारतीय प्रायद्वीप को समाविष्ट करना

कोचीन शिपयार्ड, कोची

1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक पोतों का निर्माण और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक पोतों की मरम्मत करने में सक्षम विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा। सीएसएल ने 150 से अधिक पोतों का निर्माण किया है और वाणिज्यिक, रक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए विमान वाहक सहित लगभग 2,500 पोत मरम्मत परियोजनाओं को पूरा किया है। यार्ड जिसने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक बनाया है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे कुशल पोत मरम्मत करने वाला भी है।



सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू), मुंबई

मुंबई पत्तन पर प्रचालन का उद्देश्य मुंबई क्षेत्र में मौजूदा पोत मरम्मत क्षमता को बढ़ाना है। जनवरी 2019 को पोत मरम्मत का कार्य शुरू किया गया और 75 से अधिक जहाजों की सफलतापूर्वक मरम्मत की गई।



सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता

भारत के पूर्वी तट में वाणिज्यिक के साथ-साथ रक्षा क्षेत्रों की पोत मरम्मत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थापित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में स्थित है। अक्टूबर 2019 को पोत मरम्मत का कार्य शुरू किया गया और विभिन्न प्रमुख पोत मरम्मत परियोजनाओं को पूरा किया गया।



सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू), पोर्ट ब्लेयर

मरीन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं के संवर्धन और आधुनिकीकरण सहित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु स्थापना। नवंबर 2021 में पोत मरम्मत गतिविधियों को शुरू किया गया।



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), कोलकाता

हुगली नदी के तट पर नज़ीरगंज में एक सुगठित यार्ड के रूप में निर्मित, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता अंतर्देशीय और तटीय जहाजों का निर्माण करना है। इस सुविधा का उद्घाटन दिनांक 16 अगस्त, 2022 को किया गया था।



उडुपी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), उडुपी

सितंबर 2020 को आईबीसी प्रक्रिया के ज़रिए प्राप्त किया गया। उडुपी, कर्नाटक में स्थित मुख्य सुविधा। जुलाई 2021 को प्रचालन शुरू किया गया। छोटे और मध्यम आकार के जहाजों के निर्माण के लिए आधुनिक और उच्च अंत बुनियादी ढांचा।

मुख्य विस्तार परियोजनाएं

नई सूखी - गोदी

सीएसएल एक नई सूखी-गोदी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 600 टन गैट्री क्रैन सहित 310 x 75/60 x 13 मीटर मापने वाली नई सूखी-गोदी 70000 टन विस्थापन के विमान वाहक, जैक-अप रिसाव, एलएनजी जहाज़, स्वेज़मैक्स आदि तक के जहाज़ों के संभालने में सक्षम होगा।



हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं

जून 2018 में शुरू की गई निर्माण गतिविधियाँ कोविड-19 महामारी के कारण हुए झटके के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। लगभग 85% आरसीसी पाइलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। डॉक फ्लोर का निर्माण शुरू हो गया है और क्रैन ट्रैक का काम, सबस्टेशन का काम, पंपहाउस का काम और कैसॉन गेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक हासिल की गई परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति 60% है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) सीएसएल में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगी। आईएसआरएफ में छह कार्य स्टेशनों और संबद्ध सुविधाओं सहित 130 x 25 मीटर तक के जहाज़ों के लिए 6000 टन शिपलिफ्ट शामिल है। लगभग 1500 मीटर की कुल आउटफिटिंग बर्थ।



हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं

नवंबर 2017 में शुरू हुई आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 04 फरवरी, 2022 तक प्रगति पर था। हालांकि, निर्माण की वित्तीय कठिनाइयों के कारण, आईएसआरएफ परियोजना के लिए नियुक्त ठेकेदार, परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित हुईं और अंततः सीएसएल ने दिनांक 04 फरवरी, 2022 को अनुबंध समाप्त कर दिया। ठेके की समाप्ति तक रिपोर्ट किए गए निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति 78 प्रतिशत है। सीएसएल वर्तमान में न्यूनतम संभव समय के भीतर शेष कार्यों को पूरा करने हेतु पुनर्निविदा द्वारा वैकल्पिक ठेकेदारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। अन्य सभी क्रियाएं बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ रही हैं।

हमारे प्रस्ताव



पोत निर्माण

रक्षा

- ▶ वायुयान वाहक
- ▶ अगली पीढी मिसाइल जलयान
- ▶ आंटी सबमराइन वारफेयर शालो वाटर क्राफ्ट
- ▶ प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जलयान
- ▶ फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जलयान
- ▶ फास्ट पतरोल जलयान
- ▶ हाइड्रोग्राफिक सर्वे जलयान
- ▶ अपतटीय पतरोल जलयान
- ▶ प्रदूषण नियंत्रण जलयान

वाणिज्यिक

- ▶ तेल टैंकर
- ▶ बल्क कैरियर
- ▶ ड्रेजर
- ▶ यात्री जलयान
- ▶ टग
- ▶ विशेष उद्देश्य जलयान
- ▶ डेक कार्गो/जैकट लॉच बार्ज
- ▶ विद्युत स्वायत्त जलयान
- ▶ विद्युत यात्री फेरी
- ▶ रो-रो जलयान
- ▶ रो-पैक्स जलयान
- ▶ विशेषीकृत मत्स्य ग्रहण जलयान
- ▶ समुद्री एंबुलेंस

अपतटीय

- ▶ प्लैटफार्म सप्लाइ जलयान
- ▶ ऐंकर हेडलिंग/ टग सप्लाइ जलयान
- ▶ बहु उद्देशीय जलयान
- ▶ सपोर्ट जलयान का विशेषीकृत निर्माण

पोत मरम्मत

- ▶ वायुयान वाहकों और अन्य रक्षा जलयान का अनुरक्षण और मरम्मत।
- ▶ टैंकर्स, बल्क कैरियर, सभी प्रकार के वाणिज्यिक और विशेषीकृत जलयान।

- ▶ तेल रिग उन्नयन, मरम्मत परियोजनाएं और रूपांतरण।


समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण

कार्यनीति और उन्नत समाधान


सतत मूल्य सृजन

वित्तीय विशिष्टताएं


कुल कारोबार (₹ करोड़ में)




कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)




कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)




ईपीएस (₹)



निवल मूल्य (₹ करोड़ में)



नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)



10 वर्ष निष्पादन विशेषताएं

मुख्य सूचकांक	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
ईपीएस (₹ प्रति शेयर)	44.59	46.38	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15	16.35
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ईबीडीआईटी/सकल कुल बिक्री %	28.12	32.43	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37	20.45
निवल लाभ गुंजाइश %	18.39	21.64	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75	11.92
निवल मूल्य पर विवरणी %	13.46	15.34	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15	15.76
नियोजित पूंजी पर विवरणी %	13.47	15.39	17.01	14.46	12.13	15.59	15.65	14.82	13.86	15.77

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
कुल बिक्री	3,190.00	2,818.90	3,422.49	2,965.60	2,355.12	2,058.87	1,993.45	1,859.51	1,652.66	1,554.16
कुल आय	3,456.42	3,012.76	3,669.99	3,192.89	2,544.28	2,217.50	2,107.37	1,952.97	1,728.64	1,642.33
कर पूर्व लाभ	794.39	810.59	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96	275.55
मूल्यहास एवं बट्टे खाता	56.05	53.07	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43	19.22
कर के बाद लाभ	586.57	610.10	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24	185.27
इक्विटी शेयर पूंजी	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28
आरक्षण एवं अधिशेष	4,227.64	3,846.03	3,600.25	3,200.54	3,119.93	1,915.30	1,701.05	1,447.79	1,239.25	1,062.42
निवल मूल्य	4,359.18	3,977.57	3,731.80	3,332.08	3,255.87	2,028.58	1,814.33	1,561.07	1,352.53	1,175.70
सकल अचल परिसंपत्तियां	938.37	903.96	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38	444.35
निवल अचल परिसंपत्तियां	681.66	698.41	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41	247.30
कर्मचारियों की सं.	1,756	1,727	1,710	1,744	1,781	1,829	1,671	1,786	1,751	1,656

10 वर्षीय प्रमुख संकेतक - भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

प्रमुख संकेतक (समेकित)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
प्रचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)	3,190.95	2,818.90	3,422.49	2,962.16	2,355.12	2,058.87	1,993.45	1,859.51	1,637.45	1,554.16
संपत्ति कारोबार अनुपात (%)	41.05	40.03	57.25	60.79	46.47	66.86	60.18	64.77	63.42	68.93
राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (%)	25.64	30.12	25.95	24.96	25.67	24.46	22.25	21.72	19.71	19.36
निवल संपत्ति पर विवरणी (%)	13.39	15.69	17.93	14.51	15.00	16.77	16.15	16.12	15.37	16.64
नियोजित पूंजी पर विवरणी (%)	18.06	20.37	23.47	22.07	18.22	23.42	22.28	22.89	21.06	25.40
उत्पादन का मूल्य (₹ करोड़ में)	3,194.47	2,818.90	3,422.49	2,962.16	2,330.02	2,072.83	2,009.89	1,878.74	1,597.23	1,607.21
संचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्ति (दिवस)	44.66	45.76	30.74	48.34	89.91	54.42	89.99	120.88	217.01	168.28

वर्ष एक झलक में

▶ **अप्रैल 23, 2021** - सीएसएल और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कोच्ची वॉटर मेट्रो के लिए **2 हाइब्रिड विद्युत यात्री नाव** का कील डालना।

▶ **मई 29, 2021** - जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ “जेएसडब्ल्यू मिहिरगढ़” नामक पहले 8000 टी कार्गो जहाज़ के “वितरण और स्वीकृति का प्रोटोकॉल (पोओडीए)” पर हस्ताक्षर किए।

▶ **जुलाई 02, 2021** - श्री वी शिवनकुट्टी, माननीय सामान्य शिक्षा और श्रम मंत्री, केरल सरकार से कारखानों और बॉयलर विभाग, केरल सरकार द्वारा गठित “सुरक्षा पुरस्कार 2020” प्राप्त किया।

▶ **जुलाई 28, 2021** - श्रीमती रमीता के, वैज्ञानिक ‘जी’ एनपीओएल (डीआरडीओ), श्री मधु एस नायर, सीएमडी, सीएसएल की पत्नी द्वारा एक बार में गृह मंत्रालय के लिए **3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों** और जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए **2, 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी सामान्य कार्गो पोतों** का शुभारंभ किया।

▶ **अगस्त 04, 2021** - स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी) “विक्रान्त”, भारत का सबसे जटिल युद्धपोत, जिसे भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है, कोचीन शिपयार्ड से अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ।

▶ **अगस्त 7, 2021** - श्री पी राजीव, माननीय उद्योग और कानून मंत्री, केरल सरकार द्वारा अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए निर्मित **2 स्वायत्त शून्य उत्सर्जन विद्युत जलयानों** का कील डालना।

▶ **अगस्त 14, 2021** - श्री मोहम्मद यूसुफ, आईआरएस, आयुक्त, सीमा शुल्क, कोचीन द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए **3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों** का कील डालना।

▶ **अगस्त 26, 2021** - हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पांडु, असम में पोत मरम्मत सुविधा के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

▶ **सितंबर 09, 2021** - जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ “जेएसडब्ल्यू मल्हारगढ़” नामक दूसरे 8000 टी कार्गो जहाज़ के “वितरण और स्वीकृति का प्रोटोकॉल (पोओडीए)” पर हस्ताक्षर किए।

▶ **सितंबर 14, 2021** - सीएसएल ने वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा हिंदी के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सबसे प्रतिष्ठित ‘राजभाषा कीर्ति पुरस्कार’ हासिल किया। यह पुरस्कार श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सीएसएल ने श्री निशिय प्रामाणिक, माननीय गृह राज्य मंत्री से प्राप्त किया।

▶ **नवंबर 01, 2021** - श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए **2 स्वायत्त शून्य उत्सर्जन विद्युत जलयानों** के जलावतरण का उद्घाटन।

▶ **नवंबर 01, 2021** - श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए **3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों** के जलावतरण का उद्घाटन।

▶ **नवंबर 01, 2021** - श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा **मॉडल रूम, ‘स्मृति’** का उद्घाटन, जो सीएसएल के पोत निर्माण इतिहास को दर्शाता है।

▶ **नवंबर 11, 2021** - गृह मंत्रालय के लिए बनाए जा रहे नौ एफबीओपी में से **3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों** को वितरित किया गया।

▶ **नवंबर 19, 2021** - कोच्ची वाटर मेट्रो के लिए 3 हाइब्रिड विद्युत यात्री नाव का कील डालना।

▶ **दिसंबर 01, 2021** - कमोडोर वी गणपति, युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक, युद्धपोत निरीक्षण दल (कोच्ची), भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय नौसेना के **2 पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला वाटरक्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी)** का स्टील कटिंग किया गया।

▶ **दिसंबर 06, 2021** - जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ “जेएसडब्ल्यू मंदनगढ़” नामक तीसरे 8000 टी कार्गो जहाज़ के “वितरण और स्वीकृति का प्रोटोकॉल (पोओडीए)” पर हस्ताक्षर किए।

▶ **दिसंबर 15, 2021** - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय को **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत, “आईएनएस अन्वेश”** वितरित किया।

▶ **दिसंबर 26, 2021** - सीएसएल ने 36 वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में माननीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे से **इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021** प्राप्त किया।

▶ **दिसंबर 28, 2021** - सीएसएल ने श्री पी राजीव माननीय उद्योग और कानून मंत्री, केरल सरकार से उद्योग श्रेणी रु (750 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार) में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्रदर्शन के लिए **एफएसीटी एमकेके नायर मेमोरियल उत्पादकता अवार्ड 2019-20** प्राप्त किया।

▶ **दिसंबर 31, 2021** - कोच्ची मेट्रो को पहली **हाइब्रिड विद्युत नाव “मुज़िरिस”** सौंपी गई।

▶ **फरवरी 08, 2022** - गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 9 एफबीओपी में से **3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयानों** की दूसरी खेप वितरित की।

▶ **फरवरी 21, 2022** - जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को चौथा और अंतिम 8000 टी कार्गो जहाज़ “जेएसडब्ल्यू मानिकगढ़” नाम दिया गया।

▶ **मार्च 17, 2022** - आईएचसी हॉलैंड के सहयोग से **भारते के सबसे बड़े ड्रेजर, 12,000 एम 3 ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर (टीएसएचडी)** के निर्माण हेतु **ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई)** के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया।

▶ **मार्च 26, 2022** - अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए दूसरे 500 यात्री सह 150 मेट्रिक टन कार्गो पोत, “नालंदा” का औपचारिक समुद्री परीक्षण दिनांक 22 से 26 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया था।

▶ **मार्च 29, 2022** - सीएसएल ने भारतीय उद्योग परिसंघ से कार्यबल में ईएचएस वचनबद्धता श्रेणी में **सीआईआई उत्कृष्टता पुरस्कार** जीता।

अध्यक्षीय भाषण



प्रिय हितधारकों,

जिस वर्ष कंपनी राष्ट्र की सेवा के 50 गौरवशाली वर्ष मना रही है, उसी वर्ष वित्तीय वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे वास्तव में गर्व और सम्मान हो रहा है। यह वास्तव में गर्व की बात है कि हम इस महत्त उपलब्धि को उसी अवधि के दौरान मनाते हैं जब हमारा देश आज़ादी के 75 साल और अपने लोगों, संस्कृति, और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने हेतु 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। इन पचास वर्षों में, आपकी कंपनी शुरुआती दो दशकों के दौरान कठिन दौर से गुज़री, लेकिन आज देश में सबसे अच्छा निष्पादन करने वाली सार्वजनिक उपक्रमों में से एक के रूप में उभर कर सामने आई है।

समीक्षाधीन वर्ष

समीक्षाधीन वर्ष ने दुनिया को महामारी से लड़ते हुए देखा है और व्यवसायों ने बदले हुए समीकरणों के साथ 'नए सामान्य' में अपना संचालन फिर से शुरू किया। सीएसएल ने विभिन्न उपायों को लागू करके अपना कारोबार जारी रखा है और सीएसएल के लिए यह साल विभिन्नता का मिश्रण रहा है, जिसमें ज़्यादातर खंडों ने अच्छा निष्पादन किया है।

प्रचालन से हमारा राजस्व 3190 करोड़ रुपए रहा, जिसमें कर पश्चात लाभ (पीएटी) 586.57 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 610.10 करोड़ रुपए था। आपूर्ति श्रृंखला और बढ़ती लागत के बावजूद, सीएसएल ने वर्ष के दौरान एक स्थिर वित्तीय निष्पादन दिया। सीएसएल ने पिछले वर्ष के 2405.59 करोड़ रुपए की तुलना में 2511.48 करोड़ रुपए का पोत निर्माण कारोबार हसिल किया। सीएसएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान 413.30 करोड़ रुपए की तुलना में 678.52 करोड़ रुपए के



हम उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं और हमारी क़ूस 2030 कार्यनीति हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। सीएसएल वाणिज्यिक और साथ ही रक्षा दोनों पर अधिक विशिष्ट क्षेत्रों से आदेश प्राप्त करने का लगातार प्रयास करता है। 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी आदेश बही के साथ, यूरोप में व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित करना और पोत मरम्मत से व्यापार में सुधार हमें आनेवाले वर्षों में लगातार बढ़ने में सक्षम करेगा।



कारोबार के साथ पोत मरम्मत खंड में भी अच्छा निष्पादन किया। सीएसएल ने भी अपनी तरलता की स्थिति में मज़बूत यात्रा की ओर क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों द्वारा इसे उच्च दर्जा दिया गया है। हमारा पीएटी उपांत पिछले वर्ष के 21.64% की तुलना में वर्ष के लिए 18.39% प्रभावशाली रहा। बोर्ड ने वर्ष के लिए 3.75 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिससे वर्ष के लिए कुल लाभांश 16.75 रुपए प्रति इक्विटी शेयर हो गया है।

वर्ष के दौरान, सीएसएल ने कुल 12 जलयानों की सुपुर्दगी की, अर्थात जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स वस प्राइवेट लिमिटेड को चार 8000 टन कार्गो जलयान, डीआरडीओ को एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एम्युनिनियम कटमरैन हल जलयान, गृह मंत्रालय को छह फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जलयान को सुपुर्द किया।

अध्यक्षीय भाषण

नए आदेश की बात करें तो यह साल शानदार रहा क्योंकि सीएसएल नए खंड में कदम रख सकता है। सीएसएल ने भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत आईएचसी हॉलैंड के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्रेजरिन सहयोग बनाने हेतु डीसीआई के साथ अनुबंध करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और सीएसएल और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय समुद्री स्तर में नए कार्यक्षेत्र खुलने की उम्मीद है। सीएसएल ने 8 एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी जलयानों के निर्माण के लिए एचएस सर्विस जीबीएमएच एंड कंपनी के जी, जर्मनी के साथ एक अनुबंध का समापन करके यूरोपीय शॉर्ट सी शिपिंग सेगमेंट में भी प्रवेश किया। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने एक प्रमुख पत्तन प्रचालन और समुद्री सेवा कंपनी, ओशन स्पार्कल लिमिटेड (ओएसएल) से, उड़ुपी में स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ज़रिए दो टग के निर्माण के लिए आदेश हासिल करके विशेष टग सेगमेंट में भी कदम रखा।

पोत मरम्मत मोर्चे पर आमतौर पर चीज़े अच्छी होती है। कोच्ची में सीएसएल मुख्य सुविधा में पोत मरम्मत परियोजनाओं के अलावा, कंपनी ने मुंबई और कोलकाता में अपनी इकाइयों में महत्वपूर्ण पोत मरम्मत कार्य भी किए। कंपनी ने पोर्ट ब्लेयर में अपना पोत मरम्मत कार्य भी शुरू किया।

कंपनी में प्रणाली में सुधार के बारे में बात करने हेतु सीएसएल पिछले 10 वर्षों में एक बड़े एसएपी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और इस एसएपी प्लेटफॉर्म को नवीनतम एस/4 हाना प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार है। सीएसएल हमारे डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कार्यों में डसॉल्ट 3 डी एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म को भी रोल आउट करने की उम्मीद



यह युद्धपोत इस बात का सच्चा प्रतिनिधित्व है कि राष्ट्र के रूप में हम क्या हासिल कर सकते हैं जब विभिन्न हितधारक एक साझा दृष्टिकोण के तहत एक साथ आते हैं और एक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। संक्षेप में आईएसी हमारे देश के औद्योगिक कौशल दर्शाने वाली 'टीम इंडिया' के बारे में है।

कर रहा है। यह एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन है और हमें उम्मीद है कि आगे बढ़ने पर इसका हमारे व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्वदेशी वायुयान वाहक - सभी भारतीयों का अभिमान

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत - आईएनएस विक्रान्त का निर्माण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी द्वारा दिनांक 02 सितंबर, 2022 को कोचीन शिपयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और अन्य उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। यह गर्व की बात है कि भारत ने अपना खुद का एक वायुयान वाहक बनाकर इतिहास रचा है और यह एक जबरदस्त उपलब्धि है क्योंकि केवल कुछ मुट्टी भर देश ही वायुयान वाहक को डिज़ाइन और निर्माण करने में सक्षम हैं। सीएसएल ने भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, ओईएम और अन्य हितधारकों के समर्थन के साथ



अपने सच्चे दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ, अगस्त 2021 की शुरुआत में व्यापक परीक्षण शुरू होने के पश्चात जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना को प्रतिष्ठित स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी) प्रदान किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि पोत में इस्तेमाल होने वाले पूरे स्टील को विशेष रूप से डीएमआरएल-डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा, लगभग 76% पोत स्वदेशी सामग्री से बना है। आईएसी आत्मनिर्भरता और टीम कार्य का सच्चा प्रमाण है और रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है।

यह युद्धपोत इस बात का सच्चा प्रतिनिधित्व है कि राष्ट्र के रूप में हम क्या हासिल कर सकते हैं जब विभिन्न हितधारक एक साझा दृष्टिकोण के तहत एक साथ आते हैं और एक राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। संक्षेप में आईएसी हमारे देश

के औद्योगिक कौशल दर्शाने वाली 'टीम इंडिया' के बारे में है। सीएसएल भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में बदलने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दर्शाए गए सकारात्मक ऊर्जा और मज़बूत उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए आश्वस्त है, जिससे पूरी दुनिया को लाभ होगा।

प्रमुख विस्तार परियोजनाएं

सीएसएल 2769 करोड़ रुपये की लागत वाली दो बड़ी टिकट विस्तार परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) की लागत 970 करोड़ रुपये और नई सूखी गोदी की लागत 1799 करोड़ रुपये है। महामारी और अन्य तकनीकी चुनौतियों के कारण नई सूखी गोदी पर निर्माण कार्यों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। हालांकि,

18.39%

कर के बाद लाभ मुनाफा

₹ 3,190

करोड़

प्रचालनों से राजस्व

लगभग 91% आरसीसी पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। डॉक फ्लोर का निर्माण शुरू हो गया है और क्रेन ट्रैक का काम, उप - स्टेशन का काम, पंपहाउस का काम और निर्माण अपने अंतिम चरण में है। दक्षिण कोरिया में बड़े गैट्री क्रेन (600 टन) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह अपने अंतिम चरण में है। प्राप्त परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति 63 प्रतिशत है। नई सूखी गोदी के 2024 की दूसरी तिमाही के आरंभिक भाग में शुरू होने और चलने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान, आईएसआरएफ परियोजना ने एक असहज स्थिति का अनुभव किया जिसमें सीएसएल को फरवरी 2022 में निर्माण अनुबंध को समाप्त करना पड़ा। हालांकि करीब 78 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के निष्पादन के साथ आगे बढ़ने हेतु आवश्यक गतिविधियां चल रही हैं और परियोजना के 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों

कोलकाता में स्थित सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने परियोजना चरण पूरा किया और

अध्यक्षीय भाषण

वर्षाभ्यन्तरीय प्रदर्शन

नज़ीरागंज में इसकी नई सुविधा को दिनांक 16

अगस्त 2022 को श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। मैं इस सुविधा को स्थापित करने में शामिल टीम को बधाई देना चाहता हूं और एचसीएसएल को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग खंड के लिए बढ़ते प्रोत्साहन को देखते हुए, एचसीएसएल अंतर्देशीय/तटीय पोत निर्माण में एक प्रमुख योगदानकर्ता होने हेतु बहुत अच्छी तरह से तैयार है।

जुलाई 2021 में, उडुपी में स्थित सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने अपनी हैंगरकट्टा सुविधा में प्रचालन शुरू किया और मालपे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को पूरी तरह से चालू करने की गतिविधियां प्रगति पर हैं। सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, स्वाभाविक परिणाम के रूप में, कंपनी का नाम बदलकर अप्रैल 2022 में उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। समुद्री क्षेत्र के विकास पर सरकार की नीतियों के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत मत्स्य ग्रहण जलयानों, टग, पोर्ट क्राफ्ट, छोटे ड्रेजर, कार्गो जलयानों कॉम्पैक्ट विशेष क्राफ्ट इत्यादि में प्रचुर अवसर उपलब्ध है जिससे पोत निर्माण खंड में यूसीएसएल के लिए अपना खुद का एक जगह बनाने की उम्मीद है।

निगमित शासन

कंपनी ने अच्छे निगमित प्रशासन प्रथाओं का पालन करना जारी रखा। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करती है। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं

थे और फलस्वरूप कोई वैधानिक समिति नहीं थी। हालांकि, नवंबर 2021 में, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित छह नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की और परिणामस्वरूप कंपनी ने सभी वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया और उचित निगमित शासन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर निगमित शासन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी इस संबंध में डीपीई द्वारा अनुशासित पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

मानव संसाधन विकास

सीएसएल ने चार सांस्कृतिक दक्षताओं को निर्धारित करते हुए अपने लोगों को अपने व्यवसाय चालक के रूप में सही पहचाना है। यह नोट करना वास्तव में सुखद है कि कंपनी अपने कार्यबल के कल्याण और कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न जन-उन्मुख योजनाओं और पहलों को लागू कर रही है। कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के अलावा, सीएसएल कोविड-19 महामारी के परीक्षण के समय में सर्वोत्तम चिकित्सा /स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में भी सबसे आगे है।

जैसा कि व्यवसाय ने नए वातावरण में काम करना शुरू किया, जहां एकत्रीकरण संभव नहीं थीं, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान को तेज़ करना था, कंपनी ने अपने कार्यबल के लिए आंतरिक वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है। कंपनी के पास नोवेक्स नामक एक विशेष इं-लॉनिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न अनुकूलित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट

अंकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, डीपीई, सीआईआई, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया था।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंधों का माहौल साल भर के लिए सौहार्दपूर्ण रहा और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने कंपनी की बढ़ी हुई उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन जारी रखा। विभिन्न स्वेच्छिक योजनाओं के ज़रिए कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण और भलाई का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया।

अनुसंधान और विकास

सीएसएल पोत निर्माण और पोत मरम्मत परंपरागत संचालन से परे नए और अप्रयुक्त क्षेत्रों में जाने का प्रयास करता है और खुद को एक ज्ञान संचालित संगठन के रूप में स्थापित करता है। कंपनी इस दिशा में काम कर रही है और एक अलग प्रभाव सी-एसएएस (कोचीन शिपयार्ड कार्यनीति व उन्नत समाधान) को भी चित्रित किया है। सीएसएल स्वदेशी भागीदारों के सहयोग से और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कम तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी (एलटी- पीईएम) पर आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहाज़ के डिज़ाइन विकास और निर्माण के लिए एक प्रारंभिक परियोजना लागू कर रहा है। प्यूल सेल इलेक्ट्रिक जहाज़ (एफसीईवी), जो मुझे लगता है कि हरित कल की ओर एक कदम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइ्रोजन मितव्ययता और हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर बढ़ते प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से भारत में इसके उपयोग के मामले का पता लगाने के लिए ही विवेकपूर्ण है, जहां तटीय और अंतर्देशीय पोत पर इसके उपयोग की व्यापक संभावना है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने मुख्य

रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया के विकास और वेल्डर की योग्यता के क्षेत्रों में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को भी अंजाम दिया है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

सीएसएल ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली. आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा।

सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध

अगर मुझे कंपनी की सीएसआर पहलों से संपर्क करना है, तो मुझे यह कहना पड़ सकता है कि सीएसएल विशेष रूप से केरल राज्य में राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 16.19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो लक्ष्य अनिवार्य सीएसआर खर्च से अधिक है। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित “स्वास्थ्य और पोषण, कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना” पर ध्यान केंद्रित किया और 45 परियोजनाओं के तहत अपने कुल सीएसआर निधि का लगभग 55% खर्च किया। इसके अलावा, वायनाड़ के आकांक्षी जिले में, सीएसएल ने कुल 284 लाख रुपए के बजट के साथ, मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के लाभ के लिए 10 परियोजनाएं की हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष के दौरान 81.49 लाख रुपए की राशि को संवितरित किया गया। हाल ही में, सीएसएल ने देश के अन्य हिस्सों में भी 7 परियोजनाओं के तहत 255.62 लाख रुपए की सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। सीएसएल कई क्षेत्रों में फैली अपनी सीएसआर पहलों के ज़रिए समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

पुरस्कार

वर्ष के दौरान, सीएसएल को विभिन्न क्षेत्रों से सम्मान प्राप्त हुए और उनमें से उल्लेखनीय हैं,

केरल सरकार के कारखानों और बॉयलर विभाग, से बहुत बड़े इंजीनियरिंग उद्योगों की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन पुरस्कार 2021, कार्य बल श्रेणी में ईएचएस अनुबंध में सीआईआईएसआर ईएचएस उत्कृष्टता पुरस्कार 2021, भारत सरकार की ओर से “ग” क्षेत्र के बीच सर्वश्रेष्ठ हिंदी कार्यान्वयन के लिए “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” और “विश्व सीएसआर दिवस” द्वारा स्थापित सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार 2021।

दृष्टिकोण

भारत सरकार ने भारत की समुद्री क्षमताओं की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और हमारे पत्तनों और नौवहन क्षेत्रों के विकास में तेज़ी लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। सीएसएल क्रांति में सबसे आगे रहने और सरकार की पहल में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने की इच्छा रखता है जिससे उभरते अवसरों का लाभ उठाया जा सके। हाल ही में, सीएसएल ने अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त विद्युत जहाज़ वितरित किए हैं और एचएस सर्वोस जीएमबीएच एंड कंपनी के जी, जर्मनी से 8 इको फ्रेटर जलयान के लिए आदेश भी प्राप्त किया है। सीएसएल को यूरोपीय ग्राहकों से अधिक आदेश मिलने की उम्मीद है जो कंपनी के लिए मार्गदर्शक होगा। अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत के लिए भारतीय नौसेना का ऑर्डर अपने अंतिम चरण में है, जिसके जल्द ही सीएसएल पर रखे जाने की उम्मीद है। सीएसएल ने भारत के सबसे बड़े ड्रेजर के निर्माण के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक नया व्यवसाय कार्यक्षेत्र खोलेगा और सीएसएल को आगे भी इसी तरह के ऑर्डर मिलने का भरोसा है। सीएसएल कोच्ची में अपनी मुख्य सुविधा और मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में अपनी पोत मरम्मत इकाइयों में पोत मरम्मत का आदेश प्राप्त करने में भी आशावादी है।

हम उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं और हमारी क्रूस 2030 कार्यनीति हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। सीएसएल वाणिज्यिक और साथ ही रक्षा दोनों पर अधिक विशिष्ट क्षेत्रों से ऑर्डर प्राप्त

करने का लगातार प्रयास करता है। 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी ऑर्डर बुक के साथ, यूरोप में व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित करना और पोत मरम्मत से व्यापार में सुधार हमें आनेवाले वर्षों में लगातार बढ़ने में सक्षम करेगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारी दो सहायक कंपनियां उडुपी और कोलकाता से प्रभावी रूप से योगदान देंगी।

स्वीकृति

सीएसएल के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मैं वास्तव में गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होने पांच दशकों में कई बाधाओं को पार करने और देश की सेवा करने वाले इस बेहतरीन संगठन के लिए अपना दिल और आत्मा लगा दी। मैं महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियो का सामना करने हेतु किए गए महान कार्यों के लिए हमारे लोगों के प्रयासों को भी स्वीकार करना चाहूंगा। मैं इन चुनौतीपूर्ण प्रचालन वातावरण के दौरान आगे का रास्ता तय करने में उनकी ग्रहणशीलता और गतिशीलता के लिए निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की सराहना करता हूं।

मैं इस अवसर पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य कार्यालयों, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के सरकारों और अंडमान और निकोबार प्रशासन को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। अंत में हमारे श्रेयधारकों, निवेशकों और ग्राहकों को, हमारे व्यवसाय में आपके समर्थन और विश्वास के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

सधन्यवाद

जय हिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

निदेशक मंडल




01

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



02

श्री विजय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)



03

श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी



04

श्री श्रीजित के नारायणन
निदेशक (प्रचालन)



05

श्री विक्रम सिंह
अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक



06

श्री ज्योतिलाल के आर आईएस
अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक




07

श्रीमती आन्नपाली प्रशांत साल्वे
गेर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक



08

श्री नाहर सिंह माहेश्वरी
गेर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक



09

श्री अशोक शर्मा
गेर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक



10

श्री पुञ्जीराज हरिचंदन
गेर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक



11

श्री वेंकटेशन एम
गेर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक



12

श्री अभिजित बिसवास
गेर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

01

श्री मधु एस नायर जनवरी 01, 2016 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। शिपयार्ड प्रबंधन के संपूर्ण पहुँच में जून 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त होने के बाद से उनके पास कंपनी के साथ 34 वर्ष से अधिक पेशेवर अनुभव है। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ गठजोड़ करने में महत्वपूर्ण चालक थे। जब वे विपणन प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हासिल करने में माहिर और लघु पोत प्रभाग की संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में, सीएसएल एक बहुत ही सफल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई। अपने कार्यकाल के दौरान, सीएसएल ने ₹2769 करोड़ की दो बड़ी विस्तार परियोजनाओं का दायित्व लिया है। इसके अलावा सीएसएल कोलकाता और उडुपी में सहायक कंपनी स्थापित करके अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पोत खंड में प्रवेश कर रहा है। सीएसएल ने भारत के प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों अर्थात् मुंबई पत्तन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और संचालन के लिए और उन बंदरगाहों में अलग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए गठबंधन किया

है। सीएसएल ने भी पोर्ट ब्लेयर में एक इकाई भी स्थापित की। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टॉकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जे आई सी ए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेलिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य हैं जिसमें दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए), भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स शामिल है, और वर्तमान में इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उन्हें जनता की शक्ति में एक मज़बूत विश्वास है और उसके द्वारा कल्पना की गई “लोक पहले नीति” का उद्देश्य सीएसएल को एक ज्ञान संगठन में शामिल करना है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, के अध्यक्ष भी हैं।

02

श्री विजय भास्कर अप्रैल 05, 2018 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। वे

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन युनिवर्सिटी से प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा पूरा कर लिया है। उन्होंने जून 29, 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा “वर्ष का प्रबंधक पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। उन्हें कंपनी में 34 वर्ष का कार्य अनुभव है जहां वे कंपनी के पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत प्रभागों में शामिल हुए थे। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।

03

श्री जोस वी जे अगस्त 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज से कानून में डिग्री भी हासिल की है। उन्हें विविध क्षेत्र जैसे कि: वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 31 वर्ष का कार्यानुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग के भी मुख्य हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं।

04

श्री श्रीजित के नारायणन ने दिनांक 21 जुलाई, 2022 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (संचालन) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट से बैचलर ऑफ टेकनोलॉजी (मैकानिकल) की डिग्री और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेकनोलॉजी से मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। उनके पास पोत निर्माण, पोत डिज़ाइन और पोत मरम्मत के क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के निदेशक भी हैं।

05

श्री विक्रम सिंह दिनांक 28 जुलाई, 2022 से भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करनेवाली कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक हैं। वे सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि रखते हैं। वे भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में संयुक्त सचिव (नौवहन और पीएचआरडी) के रूप में तैनात हैं और भारत

सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव और निदेशक, यात्री विपणन, रेलवे बोर्ड शामिल हैं। वे सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड, नौवहन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नौवहन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

06

श्री ज्योतिलाल के आर आईएस केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक हैं। उन्हें अगस्त 24, 2020 से बोर्ड में पुनः नियुक्त किया गया। उन्हें आईआईटी चेन्नई से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेकनोलॉजी की उपाधि है। वे 1993 बैच (केरल कोडर) के एक आईएस अधिकारी हैं और उन्होंने केरल सरकार के विभिन्न विभागों जैसे भूमि राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, मत्स्य पालन / कृषि और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले आदि में काम किया है। वर्तमान में वे केरल सरकार के प्रधान सचिव (परिवहन) के पद पर तैनात हैं।

07

श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे दिनांक 26 नवंबर 2021 से कंपनी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे वर्तमान में महिला मोर्चा, महाराष्ट्र की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करके समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण में लगी हुई हैं। वे स्वयं सहायता समूह अर्थात पंडित दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए भी काम कर रही हैं।

08

श्री नाहर सिंह माहेश्वरी दिनांक 01 दिसंबर 2021 से कंपनी की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम ए की डिग्री भी हासिल की है। वे राजस्थान के विधि परिषद् के सदस्य हैं और 1989 से वकील के वृत्तिशील पर हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में कानूनी, प्रबंधन और सामाजिक सेवा शामिल हैं।

09

श्री अशोक शर्मा दिनांक 26 नवंबर 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान और शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ (भागलपुर, बिहार) से साहित्य में मानद डॉक्टरेट (विद्या वाचस्पति) भी प्राप्त किया है। उन्होंने एक व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू किया और वर्तमान में हरिद्वार जिले के आरएनआई कॉलेज, भगवानपुर के उप-प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वे दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, बद्री विशाल आदि जैसे कई समाचार पत्रों में लेखक/संपादक के रूप में पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। वे समाज के लाभ के अभियोगों का समर्थन करने के लिए संस्कार भारती, सेवा भारती आदि जैसे कई सामाजिक संगठनों और विभिन्न शिक्षक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वे सक्रिय रूप से उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तराखंड के संस्थापक सदस्य हैं। वे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान (पीएमजेकेवाईपीपीए) में राज्य उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।

10

श्री पृथ्वीराज हरिचंदन दिनांक 22 नवंबर, 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से प्राणि विज्ञान में विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। वे एमिटी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन और वित्त में एमबीए स्नातक भी हैं। वर्तमान में, वे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान और राष्ट्रीय मार्शल परंपरा और संस्कृति परिषद् (एनसीएमटीसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रबंधन, प्रशासन और समाज सेवा शामिल हैं।

11

श्री वेंकटेशन एम दिनांक 22 नवंबर 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई से एम ए की डिग्री प्राप्त की है। वे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के अध्यक्ष थे। उन्होंने एससी मोर्चा, तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वे एक उल्लेखनीय लेखक भी हैं और उन्होंने मुख्य रूप से दलितों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं।

12

श्री अभिजित बिसवास दिनांक 01 दिसंबर 2021 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें वित्तीय सेवा सलाहकार के रूप में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न सामाजिक - राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

सक्षम कार्यबल का निर्माण

मानव संसाधन दूरदर्शिता

निगमित मिशन वक्तव्यों में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों से निर्गत होकर, शिपयार्ड की सामरिक मानव संसाधन परिकल्पना एक अनोखी संस्था का निर्माण करने के लिए प्रयास करना है जो यार्ड के कार्यबल के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार के लिए रचनात्मकता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अच्छे निगमित प्रशासन प्रथाओं को एकीकृत करती है।

मानव संसाधन मिशन

यार्ड में काम करने वाले सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना और व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें।

मानव संसाधन नीति

मानव संसाधन नीतियां मानव संसाधन का सही मिलाव, उनका सशक्तिकरण और संवर्धन प्रदान करने की ओर उन्मुख हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को पूरा किया जा सके।

लक्ष्य

विकास, मान्यता, पुरस्कार, प्रेरणा, क्षमता निर्माण, प्रतिबद्धता और स्वस्थ नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को सुनिश्चित करने वाले प्रदर्शन के आधार पर मानव संसाधन नीतियों को लागू / परिचय / और योजना बनाना।

सीएसएल दृष्टिकोण

कोचीन शिपयार्ड मानता है कि सभी संसाधनों के बीच यह शिपयार्ड का प्रचुर पेशेवर, कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन है जो शिपयार्ड को लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए प्रेरित कर रहा है और एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में सीएसएल की सहायता कर रहा है। सीएसएल का मानव संसाधन कंपनी के व्यवसाय रणनीति का एक एहम हिस्सा है। सीएसएल में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण को कर्मचारी कल्याण और निष्पादन को अधिकतम करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। कंपनी मानव संसाधन, भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, निष्पादन मूल्यांकन और पुरस्कारों के प्रभावी प्रबंधन और विकास पर केंद्रित है। मानव संसाधन संगठनात्मक परिवर्तन और संगठन में एक स्वस्थ नियोक्ता कर्मचारी संबंध का वातावरण बनाए रखने से संबद्ध है।



हमारी श्रमशक्ति

1756

424 कार्यपालक, 128 पर्यवेक्षक और 1204 कामगार (दिनांक 31 मार्च 2022 तक)

सांस्कृतिक क्षमताएं

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए निम्नलिखित चार सांस्कृतिक क्षमताएं की पहचान की है।

टीमिंग

निष्पादन उत्कृष्टता

व्यवरोध खंडन

सतत अध्ययन

ज्ञान ग्रहण और कौशल संवर्धन

कार्यबल और युवा पीढ़ियों के बीच ज्ञान विकसित करने और कौशल को उन्नत करने के कंपनी के दृढ़ विश्वास के अनुरूप, एक ज्ञान और कौशल विकास विज्ञान सागर की स्थापना 27.50 करोड़ की लागत से 70000 वर्ग फुट कैंपस के साथ 3.5 एकड़ में फैले क्षेत्र में की गई थी। देश के प्रीमियम मैरीटाइम अध्ययन केंद्र विज्ञान सागर का उद्देश्य क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी प्रगति पूर्व समुद्र और पश्चात समुद्र मैरीटाइम प्रशिक्षण और नियमित स्नातक समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करना है। विज्ञान सागर में कोचीन शिपयार्ड का समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसने समुद्री इंजीनियरों के प्रशिक्षण में योगदान के 27 गौरव शाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। मौजूदा कार्यबल को उन्नत कौशल विकास और पुनश्चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

हमारे समुदायों का रूपांतर

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए, सीएसआर वह तरीका है जिसके माध्यम से हम आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं (ट्रिपल-बॉटम-लाइन) का संतुलन हासिल करते हैं, साथ ही साथ शेयरधारकों और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

- ▶ सीएसएल की सीएसआर प्रतिबद्धता साल दर साल धीरे-धीरे बढ़ रही है।
- ▶ सीएसएल ने हमेशा कानूनों के तहत आवश्यक से अधिक खर्च किया है।

सीएसआर - वित्तीय वर्ष - 2021-22



पुरस्कार और सम्मान

सीएसएल अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है और उस की मान्यता में सीएसएल को सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान, केरल प्रबंधन संघ, रोटरी इंटरनेशनल आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पुरस्कार और प्रशंसा मिली है।

क्यू आर कोड स्कैन करें या सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।



<https://cochinshipyard.in/uploads/CSR%20Annual%20Report%202021-22.pdf>



हमारे समुदायों का रूपांतर

न केवल हमारे जहाज़ों के साथ बल्कि हमारे दिलों के साथ भी पहुंचना

हम अपनी सीएसआर पहलों के ज़रिए बड़े पैमाने पर समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारी सीएसआर पहलों के मुख्य स्तंभों में शामिल हैं:



स्वास्थ्य

हमारी पहल ने समाज को कोविड महामारी के परीक्षण के समय से गुज़रने में मदद की है। हमने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और पोषण के पहलों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पहलों को सम्मिलित करने वाले विषय के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों को भी अंजाम दिया।



विरासत

हमारी पहल विरासत संरचनाओं के संरक्षण, कला और संस्कृति के पुनरुद्धार, पुस्तकालयों के सुधार आदि के लिए समर्पित है।



सशक्तिकरण

हमारी सशक्तिकरण पहल महिलाओं और विशेष बच्चों के कौशल विकास, वृद्धावस्था संरक्षण और इसी तरह के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।



पर्यावरण

हमारा पर्यावरण पहल वनीकरण, जल निकायों के संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी की सुविधा के लिए पुनर्चक्रण कार्यक्रम आदि पर केंद्रित है।

सुरक्षा के लिए प्राथमिकता

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

सीएसएल ने आईएसओ 9001: 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001: 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001: 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा।

पुरस्कार और मान्यताएं

उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की मान्यता में, सीएसएल को वर्ष 2021-22 के दौरान कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि कारखानों और बॉयलर विभाग से बहुत बड़े इंजीनियरिंग उद्योगों की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की ओर से बहुत बड़े इंजीनियरिंग उद्योगों की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए केरल सरकार का श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार और भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से कार्यबल श्रेणी में ईएचएस अनुबंध में सीआईआईएसआर ईएचएस उत्कृष्टता पुरस्कार।



निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री जोस वी जे,
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री श्रीजित के नारायणन
निदेशक (प्रचालन)

श्री विक्रम सिंह
संयुक्त सचिव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक

श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस
प्रधान सचिव (परिवहन)
केरल सरकार
अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक

श्रीमती आम्नाली प्रशांत साल्वे
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री नाहर सिंह माहेश्वरी
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री अशोक शर्मा
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री पृथ्वीराज हरिचंदन
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वेंकटेशन एम
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री अभिजित बिसवास
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती एस उमा वेंकटेशन, भा.रा.से.

प्रबंधन टीम

श्री नीलकंठन ए एन
मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना प्रबंधन)

श्री राजेश गोपालकृष्णन
महाप्रबंधक (कार्यनीति एवं नई परियोजनाएं)

श्री हरिकृष्णन एस
महाप्रबंधक (सामग्री)

श्री एल्दो जॉन
महाप्रबंधक (तक. एवं इंफ्रा परियोजनाएं)

श्री शिवकुमार ए
महाप्रबंधक (पोत निर्माण)

श्री सुनिल कुमार के आर
महाप्रबंधक (आईएसी)

श्रीमती अंजना के आर
महाप्रबंधक (डिजाइन)

श्री जयन के तंपी
महाप्रबंधक (पोत मरम्मत-मुंबई)

श्री शिराज वी पी
महाप्रबंधक (आईएसी- परियोजना प्रबंधन)

श्री शिवराम नारायण स्वामी
महाप्रबंधक (व्यापार विकास-पोत निर्माण)

श्री सुवाष ए के
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

श्री दीपू सुरेंद्रन
महाप्रबंधक (सी-एसएएस)

श्री संतोष फिलिप
महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री शिवु जॉन
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची- 682 015, केरल, भारत

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कं.
सनदी लेखाकार
38/1968 ए, ईजीसी हाउस,
एचआईवी अवन्तू वेस्ट एंड
गांधी नगर, कोच्ची - 682 020

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहता एंड मेहता
कंपनी सचिव
201-206, शिव स्मृति, दूसरा तल
49/ए, डॉ आनी बसंत रोड,
कॉरपोरेशन बैंक के ऊपर, वेर्ली,
मुंबई - 400 018

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स. बीबीएस एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
62/102, पहली मंजिल नेनमनशेरीइल्लम
इल्लम रोड ऑफ पालियम
रोड कोच्ची - 682 016

डिबेंचर ट्रस्टी

एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
चौथी मंजिल, मिस्त्री भवन 122,
दिनशा वच्चा रोड, चर्चगेट,
मुंबई-400 020

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

लिंग इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
सूर्या, 35, मईफलवर अवन्तू
सेंतिल नगर के पीछे, सौरीपालयम रोड,
कोयंबनूर - 641 028

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को कंपनी की 50 वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में संतोष है।

वित्तीय निष्पादन

- आपकी कंपनी ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न बाधाओं के बावजूद और जब पोत निर्माण बाजार का परिदृश्य कमजोर बना हुआ है, तब भी एक और वर्ष में प्रभावशाली कार्य-निष्पादन प्रदर्शित किया है। वर्ष 2020-21 के 2,818.90 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 3,190.00 करोड़ रुपए के कुल कारोबार प्राप्त करने में कंपनी को विविध परिचालन खंडों और उत्पाद प्रोफाइल ने मदद की है। इस वर्ष कर पूर्व लाभ 794.39 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष में 810.59 करोड़ रुपए था। इस वर्ष निवल लाभ 586.57 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष में 610.10 करोड़ रुपए था।
- कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपए है जो प्रत्येक 10 रुपए अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी 1,31,54,03,900/- है जो प्रत्येक 10 रुपए अंकित मूल्य के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्तीय विशिष्टताएं

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	कुल आय	3456.42	3012.76
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास व कर पूर्व लाभ	896.92	914.13
(iii)	वित्तीय लागत	46.48	50.47
(iv)	मूल्यहास व बढ़ा खाता	56.05	53.07
(v)	कर पूर्व लाभ	794.39	810.59
(vi)	कर व्यय	207.82	200.49
(vii)	निवल लाभ	586.57	610.10


लाभांश

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसईई कर पूर्व लाभ के 30% और निवल-मूल्य के 5% जो भी उच्च हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों प्रत्येक ₹ 10

के 13,15,40,390 पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3.75/- का अंतिम लाभांश देने के लिए सिफारिश करने में प्रसन्नता है। इससे पहले, वर्ष 2021-22 के दौरान शेयरधारकों को ₹ 6/- और ₹ 7/-, कुल मिलाकर ₹ 13/-प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश ₹ 16.75/- प्रति इक्विटी शेयर (167.50%) है, जिसकी राशि ₹ 220.33/- करोड़ है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए कोई बेदावा लाभांश (पिछले वर्षों का) नहीं है।

लाभांश वितरण नीति

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 43 ए के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेगी। तदनुसार, पैरामीटर और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए लाभांश वितरण नीति अपनाया गया है जिसे बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और /या लाभ को व्यापार में बनाए रखने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। नीति कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।



संचित निधि का अंतरण

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरक्षित निधि में कोई आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है। कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी इसके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋणपत्र प्रतिदान संचित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2022 की तिथि पर कंपनी के आरक्षित निधि और अधिशेष ₹ 4,227.64 करोड़ था जो कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय शक्ति प्रकट करती है।

राजकोष को अंशदान

7. आय कर, सीमाशुल्क, जीएसटी, सेवा कर, केजीएसटी/केवीएटी और लाभांश लगभग ₹ 458.89 करोड़ का कुल अंशदान दे दिया है।

पोत निर्माण


- कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 2,511.48 करोड़ की कुल पोत निर्माण आय हासिल की, जबकि वर्ष 2020-21 में ₹ 2,405.59 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएसएल ने जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए निर्मित 8000 टन कार्गो जहाज की सुपुर्दगी की, जिसने कंपनी के लिए तटीय/लघु समुद्री नौवहन खंड में एक नया वर्टिकल खोला। सीएसएल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए निर्मित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत, आईएनएस अन्वेश भी वितरित किया, जो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न नवीन उत्पादों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जानेवाला एक अनूठा मंच है। उपरोक्त के अलावा, सीएसएल ने कोच्ची मल मेट्रो परियोजना के लिए पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल वेसल भी डिजाइन और वितरित किया है, इस प्रकार एक क्रांतिकारी टिकाऊ शहरी गतिशीलता जल परिवहन समाधान तैयार किया है। इसके अलावा, सीएसएल ने गृह मंत्रालय के लिए बनाए जा रहे नौ एफबीओपी में से छह फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जहाजों को भी सफलतापूर्वक वितरित किया है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए, पांच पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट, गृह मंत्रालय के लिए तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट (एफबीओपी) जहाजों का निर्माण और कोच्ची के पानी के लिए 22 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाजों का निर्माण मेट्रो परियोजना का काम चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक खंड के तहत कुल बारह जहाजों की सुपुर्दगी की।
- यार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे किए हैं :
 - कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाजों की कील डालना और तीन ऐसे जहाजों का जलावतरण करना।

- गृह मंत्रालय के लिए तीन एफबीओपी का जलावतरण
 - अस्को मैरीटाइम एस, नॉरवे के लिए दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाजों का जलावतरण, और
 - भारतीय नौसेना के लिए तीन पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाट क्राफ्ट का निर्माण की शुरुआत और स्टील कट्टिंग।
- सीएसएल ने विभिन्न अनिश्चितताओं के बीच अतिरिक्त प्रयास करके कोविड-19 महामारी की चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद महत्वपूर्ण कार्य हासिल किए।
 - इसके अलावा, प्रतिष्ठित स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी) परियोजना अपने अंतिम परीक्षण चरण में है। जहाज का पहला समुद्री परीक्षण अगस्त 2021 में किया गया था, जिसके दौरान जहाज के प्रणोदन संयंत्रों के समुद्र में कठोर परीक्षण के लिए रखा गया था। इसके अलावा, पहली समुद्री उड़ान के दौरान विभिन्न नौवहन, संचार और हल उपकरणों के परीक्षण भी किए गए। पहले परीक्षणों के सफल संचालन को यार्ड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है क्योंकि इसे कोविड-19 के सबसे चुनौतिपूर्ण समय के दौरान भी हासिल किया गया था।
 - पहले समुद्री परीक्षणों के बाद, जहाज अक्टूबर-नवंबर 2021 में दूसरे समुद्री परीक्षणों के लिए और उसके बाद जनवरी 2022 में तीसरे समुद्री परीक्षणों के लिए आगे बढ़ा। इन समुद्री उड़ानों के दौरान, किए गए परीक्षणों में व्यापक प्रणोदन (पूर्ण शक्ति) परीक्षण, सहनशक्ति और निर्वाह जांच, नेविगेशन और संचार उपकरणों के समुद्री स्वीकृति परीक्षण, एचवीएसी परीक्षण और पोत के पैंतरे बाज़ी परीक्षण शामिल थे।
 - अपने राष्ट्रीय महत्व के आधार पर इस परियोजना ने क्रमशः दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय उप राष्ट्रपति के दौरों के साथ देश के उच्चतम स्तरों से भी ध्यान आकर्षित किया है। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने भी दूसरे समुद्री परीक्षणों के दौरान नौसेना प्रमुखों के साथ जहाज का दौरा किया था।
 - विमानन सुविधा परिसर पर काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है और पोत को भारतीय नौसेना को सौंपने के लिए तैयार किया जा रहा है। पोत को अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - इसके अलावा, सीएसएल यूरोपीय शॉर्ट सी नौवहन क्षेत्र में अच्छे अवसर की उम्मीद करता है और इस सेगमेंट में मज़बूती से जुड़ा हुआ है। हाल ही में, सीएसएल ने एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी से आठ एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी जहाज के निर्माण के लिए आदेश प्राप्त किए।


पोत मरम्मत

16. वर्ष के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान 413.30 करोड़ रुपए की तुलना में 678.52 करोड़ रुपए की कुल पोत मरम्मत आय हासिल की। कोचीन में मुख्य यार्ड में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जहाजों में आईएनएस दीपक, आईएनएस तीर, आईएनएस निरीक्षणक, आईएनएस सुनयना, आईएनएस अन्वेषक, जीटीवी समुद्र सर्वेक्षक, आईएनएस सागरध्वनि, आईसीजीएस सारथी और ओआरवी सागर निधि शामिल हैं। सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जहाजों में डीएसवी समुद्र प्रभा, एमडीएल वाई 12705, आईसीजीएस समुद्र पहरेदार और एमएसवी समुद्र सेवक शामिल हैं। सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जहाजों में ड्रेज XV, एमवी सेंटिनल आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने नवंबर 2021 में समुद्री डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में एमवी सिंधु की आपातकालीन मरम्मत और उसके बाद एमवी राजहंस की सूखी गोदी मरम्मत का काम शुरू किया।

पोत निर्माण आय (₹ करोड़ में)



पोत मरम्मत आय (₹ करोड़ में)



पोत निर्माण आदेश बही स्थिति

17. वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएसएल ने एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए 8 एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी जहाज के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा जहाज निर्माण आदेशों हासिल करने में सफल रहा है और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर के 01 नंबर के निर्माण के लिए सफलतापूर्वक

अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दिनांक 31 मार्च 2022 तक आदेश बही की स्थिति निम्नानुसार है :

जहाज का प्रकार	संख्या
आदेश बही - क्रियान्वित परियोजनाएं	
भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक	01
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 500 यात्री एवं 150 मे.ट. कार्गो जहाज	01
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 1200 यात्री एवं 1000 मे.ट. कार्गो जहाज	02
गृह मंत्रालय के लिए फ्लोटिंग बोर्डर आउटपोस्ट जहाज	03
भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट	08
केएमआरएल के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल पोत	22
अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक पोत	02
आदेश बही - वर्ष 2021-22 में प्राप्त नवीन परियोजनाएं	
एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कं. केजी, जर्मनी के लिए एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी पोत	08
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर	01

सीएसएल कार्यनीति एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

18. मौजूदा पोत निर्माण और पोत मरम्मत श्रेणी से परे नई राजस्व सृजन धाराओं को हासिल करने के लिए, कंपनी को रणनीतिक और समुद्री क्षेत्र में ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यम करने में सक्षम बनाने हेतु सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया है। सी-एसएएस स्थायी और भविष्योन्मुखी व्यापार मॉडल की पहचान और विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वैश्विक हरित संक्रमण के साथ तालमेल रखते हुए, कंपनी भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूएल इलेक्ट्रिक जहाज के विकास और निर्माण की प्रक्रिया में है, जो कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक मुख्य परियोजना है। मुख्य परियोजना निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनॉलजी (एलटी-पीईएम) के विकास पर आधारित है जिसे फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक जहाज (एफसीईवी) भी कहा जाता है और सी-एसएएस प्रभाग डिजाइन, विकास और निर्माण के तकनीकी हिस्से का प्रभारी है। यह कदम हरित ऊर्जा और टिकाऊ लागत प्रभावी वैकल्पिक ईंधन के संबंध में नवीन और नई प्रौद्योगिकी के मोर्चों पर भारत के परिवर्तनकारी प्रयासों का हिस्सा है। मुख्य परियोजना भारतीय भागीदारों के सहयोग से चलाया जा रहा है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

19. इसके अलावा, सी-एसएएस ने हाल ही में हाई एंडोरेस ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल के लिए एनएसटीएल के साथ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के लिए डीआरडीओ से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक आदेश प्राप्त किया है। यह उम्मीद की जाती है कि कंपनी स्वायत्त अंतर्जलीय क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगी, एक ऐसा खंड जिसमें अच्छी विकास क्षमता है।

विस्तार परियोजनाएं

20. प्रमुख परियोजनाओं और पहलों की स्थिति निम्नानुसार है :

i) कोचीन पोर्ट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

सीएसएल ने कोचीन पोर्ट परिसर में पट्टे क्षेत्र में सूखी गोदी एवं मौजूदा सुविधाओं का संचालन जारी रखा। सीएसएल ने वर्ष 2021-22 के दौरान बारह जहाजों की मरम्मत का कार्य पूरा किया। दिनांक 17 नवंबर 2017 को शुरू हुई आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य 04 फरवरी 2022 तक प्रगति पर था। हालांकि, आईएसआरएफ परियोजना के लिए नियुक्त निर्माण ठेकेदार, सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोलकाता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं और अंततः सीएसएल दिनांक 04 फरवरी 2022 को अनुबंध समाप्त करना पड़ा। अनुबंध समाप्त होने तक रिपोर्ट किए गए निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष प्रगति 78% है। सीएसएल वर्तमान में न्यूनतम संभव समय के भीतर शेष कार्यों को पूरा करने के लिए पुनर्निविदा द्वारा वैकल्पिक ठेकेदारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। इस बीच, सीएसएल को मेसर्स आईएमजी, जर्मनी द्वारा आपूर्ति की गई हस्तांतरण प्रणाली से संबंधित सभी घटक प्राप्त हुए। मेसर्स सिंक्रोलिफ्ट एएस नॉवो से शिफलिफ्ट प्रणाली के लिए, सीएसएल प्लेटफॉर्म खंड को छोड़कर सभी घटकों की प्राप्ति में है। भारतीय नौवहन रजिस्टर (तीसरे पार्टी निरीक्षण अभिकरण) ने फरवरी 2022 के मध्य में मेसर्स सीजेएससी एसएमएम, रूस पर आदेश दिए गए 10 टी क्रैन का प्री-डिस्पैच निरीक्षण पूरा कर लिया था और क्रैन को जल्द ही सीएसएल में वितरित किए जाने की उम्मीद है। 3 टावर क्रैन, जिसके लिए मेसर्स लिबहर, जर्मनी को आदेश दिया गया था, निर्माण के उन्नत चरणों में हैं।

समुद्री उद्योग में विश्व स्तर पर दस प्रसिद्ध फर्मों ने पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएसएल के साथ भागीदारी की है। सीएसएल को कोचीन को एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है, जो वर्तमान पोत मरम्मत गोदी में प्रमुख कार्यों के साथ-साथ बड़ी हुई क्षमताओं के साथ है जो आईएसआरएफ के चालू होने पर उपलब्ध होगी।

ii) नई सूखी गोदी परियोजना

600 टन ग्रैन्ट्री क्रैन के साथ 310 x 75/60 x 13m मापनेवाला नयी सूखी गोदी कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर स्थित होगा। नई गोदी कंपनी के पोत निर्माण और पोत मरम्मत की क्षमता

को बढ़ाएगा जो आवश्यक रूप से विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के बाजार की क्षमता को पकड़ने में मदद करेगा जैसे कि एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता के वायुयान वाहक, जैक अप रिग्स, ड्रिल पोत, बड़े ड्रेजर और ऑफशोर प्लॉटफॉर्म और बड़े जहाजों की मरम्मत आदि। जून 2018 में शुरू हुई निर्माण गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण लगे झटके के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। भूतल सुधार कार्य, कोफेडाम कार्य, डॉक वॉल शीट पाइल संस्थापना कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, लगभग 85% आरसीसी पाइलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। डॉक फ्लोर का निर्माण शुरू हो गया है और क्रैन ट्रैक का काम, सबस्टेशन का काम, पंपहाउस का काम और कैसॉन गेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक हासिल की गई परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति 60% है। 600 टन ग्रैन्ट्री क्रैन की आपूर्ति और चालू करने का अनुबंध भी जारी किया गया था और अगस्त 2021 में दक्षिण कोरिया में क्रैन का निर्माण शुरू हुआ।

iii) सीएसएल - मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

सीएमएसआरयू ने दिनांक 18 जनवरी 2019 से मुंबई पत्तन पर पोत मरम्मत कार्य शुरू किया है और अब तक लगभग 71 जहाजों की मरम्मत सफलतापूर्वक की है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएमएसआरयू ने 22 पोतों की सूखी गोदी और अपतटीय मरम्मत का कार्य किया है। मरम्मत परियोजनाओं में शामिल हैं (1) रक्षा ग्राहकों के जहाज, विशेष रूप से, एमडीएल के माध्यम से भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12705, भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस पहरेदार के लिए ड्राई-डॉक और अपतटीय मरम्मत (2) वाणिज्यिक ग्राहक विशेष रूप से, भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के डीएसवी, डब्ल्यूएसवी, पीएसवी जैसे अपतटीय जहाज, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के टीएचएसडी ड्रेज क्रैस्क और निजी मालिकों के विभिन्न पोत जैसे एचएएल ऑफशोर लिमिटेड के डीएसवी, ग्रेटशिप इंडिया के ओएसवी, इंडिगो सीवेज प्राइवेट लिमिटेड के रो-रो और सोमेक लिमिटेड का डीएसवी। सीएसएल ने एक विदेशी ग्राहक के लिए मरम्मत का कार्य भी शुरू किया था और मेसर्स मिक्लिन्स एक्सप्रेस ऑफशोर, सिंगापुर के लिए डीएसपी एनपीपी नुसंतारा की मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी की थी।

सीएमएसआरयू ने नए सीएमएसआरयू कार्यालय जगह के साथ नई मशीनरी वर्कशॉप और स्टोर सुविधा भी शुरू की। क्रैन की पोजीशनिंग, फ्लोटिंग सूखी गोदी और कैसॉन गेट जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे में वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान श्रमशक्ति को भी कुल 24 से बढ़ाकर 81 किया गया है।

iv) सीएसएल - कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)

पूरे देश में दूसरी लहर की महामारी की स्थिति के संबंध में तालाबंदी संबंधी प्रतिबंधों और आर्थिक मंदी के बावजूद, सीकेएसआरयू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 5 जहाजों की प्रमुख सूखी गोदी मरम्मत करने में कामयाब रहा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तालाबंदी प्रतिबंधों

में आंशिक छूट के बाद, दिनांक 17 जून 2021 को सीकेएसआरयू ने प्रचालन पुनः शुरू किया, जिसे महामारी संबंधी लॉकडाउन के कारण, दिनांक 16 मई 2021, से निलंबित कर दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के स्वामित्व और संचालित दोनों सर्वेक्षण पोत एमवी सरोजिनी और टग ताम्रलिप्त की सूखी गोदी मरम्मत और डीसीआई ड्रेज xiv की आपातकालीन मरम्मत को वित्तीय वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अपने महत्वाकांक्षी वार्षिक राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में, सीकेएसआरयू ने पहली बार एक साथ दो जहाजों को ड्राई डॉक किया गया। ड्राई डॉक एनएसडीडी 1 और 2 में क्रमशः डीसीआई ड्रेज ज़ और एमवी सेंटिनल की प्रमुख ड्राई डॉक मरम्मत और 14 एनएसडीडी बर्थ पर एमवी डेयरिंग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। टग स्वित्ज़र फॉक्सट्रॉट (विदेशी बेड़े के मालिक स्वित्ज़र एशिया प्राइवेट लिमिटेड से एक दोहरा आदेश), अदानी समूह से संबंधित ट्रेजर दरिया मंथन, एसएमपी से एनएसडी नंबर 1 बॉक्स कैसॉन की मरम्मत और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से यात्री जहाजों की सूखी गोदी मरम्मत के लिए फर्म स्टेमिंग आदेश की प्रतीक्षा है।

सीकेएसआरयू में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विभिन्न पूंजीगत व्यय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता को एक नए इंटरमीडिएट बॉक्स कैसॉन के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है जो बदले में सीकेएसआरयू को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करेगा।

v) सीएसएल - अंडमान एवं निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

नवंबर 2019 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और अंडमान और निकोबार प्रशासन के बीच रियायत समझौते के निष्पादन के बाद, समझौते को दिनांक 15 जनवरी 2021 को अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा 2020 के अंत में पूर्व की शर्तों को पूरा करने और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण प्रभावी बनाया गया था। तब से, पोर्ट ब्लेयर में इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों से युक्त एक समर्पित और अनुभवी श्रमशक्ति को तैनात किया गया है।

सीएसएल ने समुद्री डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें टर्नकी उपसंविदा कार्यों के लिए 09 विक्रेताओं से युक्त एक मजबूत विक्रेता आधार है। द्वीपों और मुख्य भूमि दोनों से 100 से अधिक उप ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को कैन्सरू में सामान्य पोत मरम्मत कार्यों और सामग्री की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया और गुणवत्ता आश्वासन योजना भी विशेष रूप से अंडमान एवं निकोबार जहाजों की मरम्मत के लिए तैयार की

गई है। कैन्सरू के लिए सुचारू और सुरक्षित जहाज मरम्मत कार्य करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की खरीद की गई है।

सीएसएल ने एमवी सिंधु की आपातकालीन मरम्मत के बाद नवंबर 2021 में समुद्री डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत की मरम्मत गतिविधियों की शुरुआत की, इसके बाद एमवी राजहंस की सूखी गोदी मरम्मत की गई। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने वित्त वर्ष 2022-23 में पोत की मरम्मत के लिए प्रस्तावित पोतों की सूची प्रदान की है और इसके लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की गई है।

परियोजना के मूल्यवर्धन के रूप में, सीएसएल ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के स्वामित्ववाले जहाजों के बेड़े का एक डिजिटल भंडार विकसित करने के लिए आईआर क्लास को लगाया है, जो पोत डेटा और कैप्चर किए गए ज्ञान के आधार के चित्रण को अधिकृत करेगा। यह डिजिटल भंडार मौजूदा ज्ञान और दक्षता अंतराल को कम करेगा और इस तरह पोतों की प्रचालन सुरक्षा और दक्षता में सुधार करेगा। सीएसएल अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो सलाहकार के साथ समुद्री गोदी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पेशेवर रूप से तैयार और पूर्ण डीपीआर लाने में काम करेगी।

सीएसएल में समुद्री डॉकयार्ड में एक अच्छी तरह से सुसज्जित सुरक्षा सह कौशल विकास केंद्र स्थापित कर रहा है ताकि कैन्सरू और समुद्री डॉकयार्ड से जुड़े विभिन्न हितधारकों को सुरक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इस केंद्र में सीएसएल, ओईएम और अन्य हितधारकों की अनुभवी टीम द्वारा व्यावसायिक कौशल विकास और एचएसई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समुद्री गोदी के अंदर डीएसएस द्वारा उपयुक्त स्थान आर्बिटिट होने के बाद सीएसएल कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करेगा।

सीएसएल पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के बावजूद परियोजना स्थल पर प्रचालन के लिए समर्पित रूप से पेशेवर रूप से योग्य और अनुभवी श्रमशक्ति जुटाने और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत कार्यों को शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैनात करने में सफल रहा है। सीएसएल ने पहले ही समुद्री डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और आर्बिटिट मरम्मत कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। परियोजना स्थल पर तैनात संसाधनों के साथ, सीएसएल भविष्य में अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए अधिक जटिल और बड़ी मरम्मत परियोजनाओं को शुरू करने की स्थिति में है।

vi) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को शुरू में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद, एचसीएसएल दिनांक

01 नवंबर, 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। एचसीएसएल गुणवत्तापूर्ण अंतर्देशीय और तटीय पोत निर्माण के लिए पूर्वी तट में अग्रणी जहाज निर्माण यार्ड में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने की इरादा रखता है।

एचसीएसएल के नए यार्ड निर्माण से संबंधित सभी परियोजना कार्य पूरे हो चुके हैं और यार्ड निर्माण के लिए तैयार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में सभी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल संबंधित कार्यों के लिए 99% की प्रत्यक्ष प्रगति हासिल की गई है। 50 टन क्रेन के निर्माण में देरी के कारण रुके हुए सभी प्रमुख कार्यों को सड़क और सड़क पेंटिंग के अलावा पूरा कर लिया गया है जो पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसके अलावा, सभी सिविल संरचनाओं को सौंपने और लेने और सभी मशीनरी /उपकरण और क्रेन को चालू करने का काम पूरा हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, यार्ड ने आईडब्ल्यूआई के दो जहाजों और आईडब्ल्यूटी असम के चार जहाजों की बड़ी मरम्मत का काम सख्त समय सीमा का पालन करते हुए किया और उन्हें ग्राहक की संतुष्टि के लिए वितरित किया। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में केंद्रित एचसीएसएल ने पांडु, असम में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता किया है। प्रस्तावित पोत मरम्मत सुविधा प्रत्येक छोटी-मोटी मरम्मत के लिए कोलकाता की यात्रा करने में बहुमूल्य समय की हानि के बिना राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सभी जहाजों की मरम्मत आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

vii) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) से जाना जाता था)


सितंबर 2020 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से प्रचालन शुरू करने के लिए कंपनी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद सुधार गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया गया और कंपनी ने जुलाई 2021 में हेंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया। माल्पे हार्वर कॉम्प्लेक्स में सुविधा को पूरी तरह से चालू करने के लिए आवश्यक गतिविधियां भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शुरू की गईं और अभी भी प्रगति पर हैं। सीएसएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, दिनांक 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) कर दिया गया ताकि कंपनी को सीएसएल से अधिक रूप से जोड़ा जा सके।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी कोची जल मेट्रो परियोजना के लिए आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाजों

के निर्माण, आउटफिटिंग और मशीनरी स्थापना के लिए सीएसएल के आदेश को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें से दो जहाजों की सुपुर्दगी पहले ही हो चुकी है, एक मार्च 2022 में और दूसरा अप्रैल 2022 में। अन्य जहाजों पर काम प्रगति पर है। इसके अलावा, मार्च 2022 के दौरान, यूसीएसएल ने दो टग्स के निर्माण के लिए एक प्रमुख पत्तन संचालन और समुद्री सेवा कंपनी, ओशन स्पार्कल लिमिटेड (ओएसएल) के साथ और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक ट्यूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर फिशिंग बोट के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के एक लाभार्थी के साथ भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

श्रमशक्ति की स्थिति

21. दिनांक मार्च 31, 2022 को कंपनी की श्रमशक्ति 1756 थी जिसमें 424 कार्यपालक, 128 पर्यवेक्षक और 1204 कामगार शामिल थे।



■ कार्यपालक ■ पर्यवेक्षक ■ कामगार

औद्योगिक संबंध

- सीएसएल ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखना और बढ़ावा देना जारी रखा। विशेष रूप से कंपनी को जिम्मेदार कारणों से श्रमिक अशांति के कारण काम के घंटे का कोई नुकसान नहीं हुआ था।
- ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह 19 मार्च 2021 को उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें दो यूनियनों नामतः कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संघ (सीएसईएफ) और कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संगठन (सीएसईओ) ने मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता का दर्जा हासिल किया है। हालांकि, इसके लिए मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) से औपचारिक मंजूरी का इंतजार है।
- कार्यपालकों और असंगठित पर्यवेक्षकों ने भी वर्ष के दौरान कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा।

25. संयुक्त प्रबंधन मंच जैसे संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तर सुरक्षा समिति, अनुबंध कार्यकर्ता सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट आदि प्रभावी ढंग से कार्य करते रहे।
26. विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं जैसे कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं भलाई का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2021-22 के दौरान शिक्षण और विकास गतिविधियां

27. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, वेबेक्स आदि का उपयोग करके आयोजित किए गए थे।
28. जिन प्रमुख बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी अधिकारियों को नामित किया गया था, उनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं :
- क. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली द्वारा प्रापण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ख. कार्यनीति निर्णयों के लिए व्यापार विश्लेषण
- ग. आईएसबी हैदराबाद द्वारा नेतृत्व की अनिवार्यता
- घ. निविदा प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधन
- ङ. रचनात्मक समस्या समाधान
- च. सार्वजनिक खरीद : ई-खरीद और जेम के लिए अंतर्दृष्टि
- छ. सीआईआई ईएएस ऑनलाइन निर्धारक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ज. सीआईआई द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में पथप्रदर्शन करना
- झ. आईएसटीएम द्वारा सुशासन पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ञ. माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का उपयोग करके एमआईएस रिपोर्ट और डेटा विश्लेषण
- ट. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा
- ठ. आईसीएआई द्वारा सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखा परीक्षा (डीआईएसएस) में डिप्लोमा
- ड. क्रिसिल लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट्स के लिए ऋण वित्तपोषण में विकास और नवाचार
- ढ. केरल श्रम और रोजगार संस्थान द्वारा श्रम संहिता पर एक दिवसीय कार्यशाला

न. कोलकाता में नवनियुक्त गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

29. कंपनी ने वर्चुअल कार्यक्रम के लिए प्रज्वलित मन योजना के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को भी नामित किया। कार्यक्रमों में आईआईएम अहम्मदाबाद द्वारा रणनीतिक व्यावसायिकनिर्णयों के लिए वाणिज्यिक और वित्तीय कौशल विकसित करना, आईआईएम, कोलकाता द्वारा गैर-वित्त कार्यकारियों के लिए वित्त, आईआईएम कोषिकोड द्वारा वित्तीय विश्लेषण और वित्तीय प्रबंधन में व्यावसायिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम, आईआईएम, अहम्मदाबाद द्वारा प्रबंधकीय प्रभावशीलता, आईआईएम कोषिकोड द्वारा व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम में व्यावसायिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम, आईआईएम कोषिकोड द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन और विश्लेषिकी में ऑनलाइन व्यावसायिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम, आईआईएम अहम्मदाबाद द्वारा नवाचार, कॉर्पोरेट कार्यनीति और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन, आईआईएम, कोलकाता द्वारा प्रबंधकीय नेतृत्व और टीम प्रभावशीलता, आईआईएम, कोलकाता आदि द्वारा नेतृत्व क्षमता का विकास करना आदि शामिल हैं।

अनुकूलित आंतरिक प्रशिक्षण

30. पांच अधिकारियों ने दिनांक 28 से 30 अप्रैल 2021 तक अस्नानेट लिमिटेड, यूके द्वारा आयोजित बेसिक नेवल आर्किटेक्चर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र पूरा किया।
31. सीएसएल के नोवेक्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जागरूकता सत्र दिनांक 05 से 08 जून 2021 तक विशेष रूप से सीएसएल में पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित किए गए थे। सत्र में 142 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।
32. सहायक महाप्रबंधक (कानूनी), सीएसएल द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2021 को 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम' पर एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया था और इसमें 33 कर्मचारियों ने भाग लिया था।
33. दिनांक 11 सितंबर 2021 को सक्षमता महाकोश पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 37 कार्यपालकों ने भाग लिया।
34. दिनांक 15 से 18 सितंबर 2021 तक निर्धारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित अंडरवाटर रेडियेटेड नॉइस (यूआरएन) प्रबंधन पर चार दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में 20 अधिकारियों ने भाग लिया।
35. योग्यता आधारित साक्षत्कार पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। कार्यशाला में 31 कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया था।
36. महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और सहायक महाप्रबंधक (सुरक्षा) द्वारा कार्यपालक कोचिंग पर एक आधे दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 20 से 22 अक्टूबर 2021 तक 52 अधिकारियों के लिए किया गया था।
37. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के संबंध में, 'निवारक सतर्कता' विषय पर एक ऑनलाइन संवादात्मक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 27 और 28 अक्टूबर 2021 को श्रीमती एस उमा वेंकटेशन, आईआरएस, मुख्य

सतर्कता अधिकारी, सीएसएल द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 59 कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया था।

38. पोत प्रौद्योगिकी विभाग, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (कुसाट), कोच्ची द्वारा दिनांक 17 और 18 दिसंबर 2021 को 50 पर्यवेक्षकों के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
39. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल चैप्टर, एर्णाकुलम द्वारा दिनांक 21 से 23 दिसंबर, 2021 तक फील्ड सुरक्षा प्रतिनिधियों (एफएसआर) और एचएसई समन्वयकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में 66 कर्मचारियों ने भाग लिया।
40. सीआईआई पिनेकल परफॉर्मैस एन्डोसमेंट सीरीज़, 8 सप्ताह का कोर्स (14 दिसंबर, 2021 को शुरू हुआ) में सीएसएल के 14 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
41. इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स (इंडिया) ने दिनांक 24 फरवरी से 26 फरवरी 2022 तक हाइड्रोएलिस में स्किल अपग्रेडेशन सर्टिफिकेशन कोर्स आयोजित किया। 14 कार्यपालकों ने सर्टिफिकेशन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया।
42. सीएसएल में 21 कार्यपालकों को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001 : 2015 और आईएसओ 45001:2018 पर चार दिवसीय एकीकृत आंतरिक लेखापरीक्षक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण डीएनवी बिज़नेस एश्योरेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 07 से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था।
43. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल चैप्टर, एर्णाकुलम द्वारा आयोजित सीएसएल कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 और 25 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुल 26 कर्मचारियों ने भाग लिया।
44. सीएसएल की सेवा से सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के लिए 30 मार्च 2022 को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। सत्र का संचालन दत्तोपंत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन के फैकल्टी और वित्तीय नियोजन और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। बैठक में 17 कर्मचारियों ने भाग लिया।
45. कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए वाईओसीडीपी (युवा अधिकारी योग्यता विकास कार्यक्रम) और नोवेक्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्यवेक्षकों के लिए एससीडीपी (पर्यवेक्षक योग्यता विकास कार्यक्रम) ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वाईओसीडीपी के कुल नौ रिकॉर्ड किए गए सत्र और एससीडीपी के सात रिकॉर्ड किए गए सत्र ऑनलाइन अपलोड किए गए और प्रतिभागियों को उपलब्ध कराए गए।
46. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 29 नए कार्यपालकों को शामिल करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति

47. 'शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार' वर्ष 2016 से शुरू की गई एक शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य सीएसएल के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के बीच प्रसिद्ध कलकारों को पुरस्कृत करना और बढ़ावा देना है।

बारहवीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में बच्चों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों के क्रम में अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2021-22 के दौरान, उक्त योजना के तहत 9 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

उत्कृष्टता की पहचान

48. सीएसएल ने सहायक महाप्रबंधकों के स्तर से नीचे के कर्मचारियों के बीच नवीन विचारों और प्रथाओं के पुरस्कार और मान्यता की परिकल्पना करते हुए कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सर्वोच्च पुरस्कार 15,000 रुपये के नकद मूल्य और प्रशस्ति पत्र के साथ अध्यक्षीय पुरस्कार है। वर्ष 2021-22 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, 43 कर्मचारियों (कार्यपालक-5, पर्यवेक्षक-4, कामगार-33, अनुबंध कामगार-1) को अध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया, जिसमें 2,000/- नकद पुरस्कार दिया जाता है। जनवरी 2022 में, 32 कर्मचारियों (कार्यपालक-5, पर्यवेक्षक -1, कामगार-19, संविदा कर्मियों - 7) को अध्यक्ष की प्रशस्ति के लिए विचार किया गया था। इसके अलावा, एक संविदा कर्मचारी को अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति और 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार के लिए विचार किया गया था। हालांकि, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण, गणतंत्र दिवस समारोह, 2022 के दौरान पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

49. कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल को प्रभावित किए बिना छोटे समूहों में और परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

संविधान दिवस

50. सीएसएल में दिनांक 26 नवंबर 2021 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ संविधान दिवस मनाया गया। संविधान और इसके महत्व के बारे में सीएसएल कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, नोवेक्स ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जागरूकता निर्माण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाने और अपलोड करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, प्रस्तावना और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर पहला सत्र दिनांक 26 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण

51. वर्ष 2021-22 के दौरान, जहाज़ पर कुल 127 स्नातक समुद्री इंजीनियरिंग कैडेटों (जीएमई) को रखा गया है। नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कैडेटों ने सफलतापूर्वक एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था।
52. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चेन्नई के 4 वर्षीय समुद्री इंजीनियरिंग के 23 छात्रों ने सीएसएल समुद्री इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एमईटीआई) से सफलतापूर्वक 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया।

53. सीएसएल मेट्री ने भारत सरकार 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पहल के संबंध में मर्केटाइल समुद्री डिपार्टमेंट, कोच्ची द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था। सीएसएल मेट्री ने ऑटोनॉमस जहाज़, बैटरी ऑपरेटेड जहाज़, ग्रीन फ्यूल्स आदि विषयों पर वेबिनार भी आयोजित किए थे। कोच्ची में आयोजित 59वें समुद्री समारोह के अवसर पर सीएसएल मेट्री के योगदान को सम्मानित किया गया।

प्रशिक्षण प्रशिक्षण

54. प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 2021-22 में कुल 561 आईटीआई प्रशिक्षुओं, 121 डिप्लोमा प्रशिक्षुओं, 103 डिग्री प्रशिक्षुओं और 5 वीएचएसआई प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया था।

55. वर्ष 2021-22 के दौरान तीन कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों को शामिल किया गया।

सीएसएल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम

56. फोर्कलिफ्ट संचालन पर सीएसएल कामगारों के लिए दिनांक 19 अक्टूबर 2021 से 03 दिसंबर 2021 तक बहु-कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें पोत मरम्मत के 10 और पोत निर्माण विभागों के 8 कामगारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एक सप्ताह में कुल 24 घंटे का सिद्धांत शामिल था। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 2 घंटे का मूल्यांकन सहित 5 दिन का व्यावहारिक भी शामिल था।

57. सीएसएल के विभिन्न विभागों के डिप्लोमा/डिग्री उन्नत प्रशिक्षुओं को उत्पादकता, हाउस कीपिंग और 5 एस पर एक दिवसीय कार्यक्रम प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन दातोपंत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, कोच्ची क्षेत्रीय निदेशालय, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया था। दिनांक 21 और 22 दिसंबर, 2021 और 11 एवं 12 जनवरी, 2022 को आयोजित कार्यक्रम में 6 बैच के तहत कुल 95 उन्नत प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

समन्वय पोर्टल

58. समन्वय सभी सीपीएसई के लिए सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है। वेबसाइट को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की ओर से ओएनजीसी द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। समन्वय ज्ञान प्रबंधन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों, टीमों और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामूहिक रूप से और व्यवस्थित रूप से ज्ञान, बुनियादी ढांचे, सर्वोत्तम प्रथाओं, एसओपी आदि को दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए सक्षम करने के लिए एक मंच तैयार करना है। समन्वय के उपयोग की डीपीई द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। डीपीई द्वारा सीपीएसई के साथ आवधिक बैठकें और समीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता डीपीई के शीर्ष अधिकारियों द्वारा की जाती है, और पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए डीपीई द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही है। सीएसएल ने सभी अधिकारियों को पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता पहुँच प्रदान

की है, और उपयोगकर्ता पोर्टल के माध्यम से अपने कार्यस्थल से सीखे गए पाठों को साझा कर सकते हैं। सीएसएल ने अब तक समन्वय पोर्टल के माध्यम से लगभग 115 लेख साझा किए हैं जिनमें 31 सीखे गए पाठ और एचएसई प्रथाओं, सीएसआर, एचआर, कार्यस्थल पर सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचार पर लेखों पर 84 विभिन्न लेख शामिल हैं।

कर्मचारी कल्याण उपाय

59. सीवाइस : कर्मचारियों और आश्रितों के भावनात्मक कल्याण की देखभाल एक भाग के रूप में राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस, कोच्ची के सहयोग से सीएसएल में 'कर्मचारियों के लिए शिपयार्ड भावपूर्ण सहायता और कल्याण समावेश प्रणाली' नामक एक कर्मचारी परामर्श योजना शुरू की गई है। परामर्श टेलिफोन और आमने-सामने मोड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना में सीएसएल के सभी स्थायी कर्मचारियों और उनके आश्रितों, अनुबंध कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और सीएसएल इकाई में सीआइएसएफ कर्मियों को शामिल किया गया है।

60. संशोधित सीएसएल चिकित्सा सहायता योजना : सीएसएल ने सीएसएल कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए एर्णाकुलम जिले में 29 अस्पतालों (सुपर-स्पेशियलिटी/मल्टी-स्पेशियलिटी/स्पेशलिटी और अन्य-स्पेशलिटी अस्पतालों) को सूचीबद्ध करके कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना को संशोधित किया है। इन 29 पैनेलबद्ध अस्पतालों में प्राप्त इनपेशेंट/डे केयर उपचार के खर्च का भुगतान सीएसएल द्वारा सीधे अस्पताल को किया जाएगा। पैनेल में शामिल अस्पतालों में पहचान के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों को कर्मचारियों और आश्रितों के विवरण के साथ चिकित्सा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। एर्णाकुलम जिले के बाहर के अस्पतालों के मामले में, कर्मचारियों को स्वीकार्य उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

61. सीएसएल रडुर - कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि, सूचित निर्णय : नई डिजिटल परिवर्तन पहल के एक भाग के रूप में, एक नया मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है और दिनांक 01 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। एप्लिकेशन सीएसएल उपयोगकर्ताओं को नई सुविधाओं का एक समूह प्रदान कर रहा है। एप्लिकेशन का उपयोग आंतरिक उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा किया जा सकता है जैसे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों सहित सभी स्थायी कर्मचारी और बाहरी उपयोगकर्ता जैसे आपूर्तिकर्ता, उप ठेकेदार, सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि। कर्मचारी प्रोफाइल, उपस्थिति विवरण, वेतन पर्ची, छुट्टी का विवरण, चिकित्सा दावों की स्थिति, आश्रितों की जानकारी, ऋण विवरण, पीएफ डेटा, रिपोर्टिंग समय पर कब्जा, विक्रेता पंजीकरण विवरण, चालान की स्थिति, भुगतान विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र आदि कुछ विशेषताएं हैं जो रडुर में शामिल हैं।

62. महिला कल्याण उपायों को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, सीएसएल ने माहवारी कप के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया है और महिला दिवस समारोह के एक भाग के रूप में माहवारी कप का मुफ्त वितरण किया गया था।

63. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए बांझपन उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में बांझपन उपचार योजना शुरू की गई थी। प्रति चक्र 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक की राशि या वास्तविक लागत जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए अनुमत है और पूर्व अनुमोदन के साथ अधिकतम तीन नए चक्रों तक इसकी अनुमति होगी। एक कर्मचारी की सेवा के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 10 दिनों के लिए और अधिकतम 20 दिनों के लिए विशेष अवकाश दिया जा रहा है, जो बांझपन उपचार के हिस्से के रूप में प्रक्रियाओं से गुज़रता है। मार्च 2022 तक कुल 15 कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

64. सभी कर्मचारी (स्थायी और अनुबंधित कर्मचारी) और प्रशिक्षु जिनका कोविड पॉजिटिव होने का इलाज हुआ था और जो संसर्ग में थे, उन्हें विशेष अवकाश दिया गया था।

65. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना की सुविधा के लिए सीएसएल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। सभी कर्मचारियों के लिए फरवरी 2021 में सीएसएल परिसर में एक कियोस्क सेंटर की व्यवस्था की गई थी जिसके माध्यम से कर्मचारियों ने अपना व्यक्तिगत एनपीएस खाता खोला है। सीएसएल अप्रैल 2021 से नियुक्ता के योगदान के रूप में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में वेतन का 10% (बेसिक + डीए) का योगदान देगा। यह योजना कर्मचारियों को आकर्षक आयकर लाभ प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति के बाद एक परेशानी मुक्त जीवन सुनिश्चित करती है।

66. सीएसएल ने वर्ष 2019 में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की, जिसमें एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेना भी शामिल है।

विचारोत्तेजक विचारों को प्रोत्साहित करना

67. 'नेतृत्व संवृद्धि योजना' नेतृत्व गतिवृद्धि कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया था ताकि भारत और विदेश दोनों के प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए ग्रेड ई 1 से ई 4 में अधिकारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। इस योजना के तहत मुख्य लाभ न केवल दो साल के लिए अध्ययन अवकाश का अनुदान है, उनके वापस आने और ड्यूटी के लिए शामिल होने के बाद ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, किस्तों में अदा किया जाएगा। लीप योजना के तहत सालाना आधार पर अधिकतम तीन आवेदकों पर विचार किया जाता है।

68. सीएसएल ने वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थियों के लिए लागू विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की, ताकि कोच्ची में किराए के आवास के लिए उनके खर्चों को पूरा करने के लिए 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीएसएल द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।

69. वर्ष 2016 में शुरू की गई मॉटर-मैट्री योजना एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा व्यक्तिगत विशेष ध्यान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी जारी रही। यह सीएसएल में शामिल होने सभी नए अधिकारियों/कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों के लिए बढ़ाया गया है। यह सहयोग कनिष्ठ कार्यपालक, जो नए हैं, में जुड़ाव और संगठन में अंतर एवं अंतर व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार की भावना देता है जिससे बेहतर प्रतिधारणा होता है।

70. सीएसएल स्टार बोर्ड - ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया गया था। स्टार बोर्ड का उद्देश्य अधिकारियों को अपने तकनीकी ज्ञान, नवीनतम तकनीकी जानकारी साझा करने और अपने पेशे/कार्य से संबंधित मामलों पर नवीन विचार के लिए एक मंच प्रदान करने में सक्षम बनाना है। स्टार बोर्ड सीएसएल में ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जो किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। इस मंच में स्पष्ट ज्ञान और मौन ज्ञान दोनों को साझा करने के प्रावधान हैं।

व्यावसायिक आकलन

71. एक विस्तृत योग्यता मानचित्रण कार्य के माध्यम से, सीएसएल के लिए चार सांस्कृतिक दक्षताओं अर्थात् टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, बाधा तोड़ने और निरंतर सीखने की पहचान की गई है। इन सांस्कृतिक दक्षताओं को सभी मानव संसाधन उप प्रणालियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, कैरियर विकास आदि में शामिल किया गया है।

72. आवश्यक दक्षताओं के साथ-साथ सीएसएल में अधिकारियों की दक्षताओं का आकलन करने के लिए, एशिया में एक प्रमुख मानव संसाधन परामर्श संगठन, मेसर्स कॉर्न फेरी हे ग्रूप ने अधिकारियों के आकलन विकास केंद्र (एडीसी) का आयोजन किया था। उन्होंने विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करते हुए अधिकारियों के विकास के लिए ताकत और क्षेत्रों का आकलन किया था और विस्तृत आईडीपी तैयार किया था। एडीसी सीएसएल के लिए फायदेमंद था क्योंकि इसने मानव संसाधन हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए सही दिशा प्रदान की।

लोग क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम)

73. वर्ष 2018 में, कंपनी ने लेवल 3 पीसीएमएम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए गतिविधियां शुरू कीं। पीसीएमएम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में विभिन्न नीतियों के निर्माण और मौजूदा मानव संसाधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विभाग में अधिकारियों द्वारा सचेत और सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

74. पीसीएमएम एक परिपक्वता ढांचा है जो किसी संगठन की मानव संपत्ति के प्रबंधन और विकास में निरंतर सुधार पर केन्द्रित है। पीसीएमएम संगठनों को अपने कार्यबल कार्यों की परिपक्वता को चिह्नित करने में मदद करता है, निरंतर कार्यबल विकास एक कार्यक्रम स्थापित करता है, सुधार कार्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, कार्यबल विकास के

साथ प्रक्रिया में सुधार को एकीकृत करता है और उत्कृष्टता की संस्कृति स्थापित करता है। पीसीएमएम में पांच परिवक्वता स्तर होते हैं : स्तर 1 से स्तर 5 तक। प्रत्येक परिवक्वता स्तर एक अच्छी तरह से परिभाषित विकासवादी पठार है जो संगठन के कार्यबल को विकसित करने के लिए नई क्षमताओं को संस्थागत करता है। अन्य मानव संसाधन के विपरीत, पीसीएमएम के लिए आवश्यक है कि प्रमुख कार्य/प्रक्रिया क्षेत्र, सुधार, हस्तक्षेप, नीतियां, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली पूरे संगठन में संस्थागत रूप से कार्य की जाएं, भले ही कार्य या स्तर की परवाह किए बिना। इसलिए, टीम आधारित वातावरण में सत्रिहित भागीदारी संस्कृति पर जोर देने और व्यक्तिगत नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सुधारों को पूरे संगठन में सुधारना होगा।

75. पीसीएमएम मैच्योरिटी लेवल 3 के कार्यान्वयन के लिए 15 और 16 मार्च 2022 को एचआर बिजनेस पार्टनर्स और एचआर और आईएसडी के चयनित अधिकारियों के लिए एक प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में 35 अधिकारियों ने भाग लिया।

आरक्षणों पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर स्थिति

76. कोचीन शिपयार्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राष्ट्रपति के मार्ग निर्देशों को सख्ती से पालन किया गया है। कंपनी ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक संपर्क अधिकारी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है। आरक्षण प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा निर्धारितानुसार पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

77. दिनांक 31 मार्च 2022 को पदों के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

श्रेणी	सीएसएल की कुल श्रमशक्ति	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	आ.क.व.
वर्ग क	362	48	16	93	-
वर्ग ख	114	16	10	28	1
वर्ग ग	1116	152	12	533	1
वर्ग घ	164	21	6	86	-
कुल	1756	237	44	740	2

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

78. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का दिनांक 31 मार्च 2022 को पदों के विभिन्न समूहों में प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

श्रेणी	सीएसएल की कुल श्रमशक्ति	पीडब्ल्यूबीडी	अल्पसंख्यक
वर्ग क	362	8	99
वर्ग ख	114	5	26
वर्ग ग	1116	34	271
वर्ग घ	164	9	54
कुल	1756	56	450

महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान

79. कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इस आधार पर बनाए गए नियम सख्ती से पालन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को एक अश्लील भित्तिचित्र से संबंधित एक शिकायत मिली है और उसे हल करने के आदेश जारी किए गए थे।

80. सीएसएल में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने और कंपनी के महिला कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार कल्याणकारी उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए एक महिला कल्याण अधिकारी है।

81. सीएसएल ने 09 दिसंबर 2021 को पोश अधिनियम की 08वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं के साथ-साथ पोश अधिनियम पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

82. कोचीन शिपयार्ड ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा। आगामी वर्षों में सीएसएल की सभी सहायक इकाइयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है।

सुविधा उन्नयन एवं पूंजी व्यय

83. वर्ष 2021-22 के दौरान हुए कुल पूंजी व्यय 227.81 करोड़ रुपए की राशि थी। यह, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार, नई सूखी गोदी, आईएसआरएफ, सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू, सीएनएसआरयू आदि के लिए आधुनिक संरचना आदि से संबंधित है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

84. राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि कंपनी के 80% अनुसूचितव्यय कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/दक्षता प्राप्त कर ली है।

85. राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का अधिक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से, कंपनी की वेबसाइट में राजभाषा के लिए एक वेबपेज बनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी और राजभाषा और बोलचाल की हिंदी प्रशिक्षण आदि के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम रिपोर्टों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। राजभाषा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

86. भाषा को ज्ञान संवर्धन के लिए एक व्यापक परिदृश्य में प्रस्तुत करने के लिए सरकारी काम तक ही सीमित नहीं है, साथ ही इसे जनता के अनुकूल बनाने के लिए, सीएसएल ने अप्रैल, 2021 से हर बड़े सार्वजनिक आयोजन से संबंधित वीडियो हिंदी भाषा में तैयार करने की पहल शुरू की है। प्रारंभ में, अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल 2021), मई दिवस/श्रमिक दिवस (01 मई 2021) और स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2021) का एक वीडियो हिंदी में तैयार किया गया और सीएसएल के कार्यालयीन गृहों में परिचालित किया गया।

87. कोच्ची टॉलिक की 26वीं अर्धवार्षिक बैठक मई 2021 में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान विभिन्न राजभाषा गतिविधियों और विभिन्न कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा किए गए सभी प्रयासों के लिए कोच्ची टॉलिक से सराहना प्राप्त हुई।

88. सीएसएल के अनुबंध कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से हिंदी पखवाड़े समारोह 2021 के संबंध में हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी कर्मचारियों के बीच बैज वितरित किए गए और सीएसएल के सभी विभागों और इकाइयों में विभागाध्यक्षों द्वारा राजभाषा शपथ दिलाई गई। इस संबंध में प्रश्नोत्तरी, सुलेख, चित्र क्या कहता है, गद्यांश वाचन, प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी टाइपिंग, स्मृति परीक्षा, हिंदी फिल्मों गीत (महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग), निबंध लेखन और हिंदी कविता लेखन का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े समारोह के समापन समारोह में हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न का तेरहवां अंक जारी किया गया।

89. हिंदी पखवाड़ा समारोह के संबंध में विशेष कार्यक्रम के रूप में, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए देशभक्ति गीत, कर्मचारियों के बच्चों के

लिए भाषण प्रतियोगिता और केरल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी छात्रों के लिए ऑनलाइन वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

90. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने विश्व हिंदी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 10 जनवरी 2022 को रोजगार संवर्धन वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का औपचारिक उद्घाटन श्री सुबाष ए के, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), सीएसएल द्वारा किया गया। वेबिनार दो पूर्ण सत्रों में आयोजित किया गया था, पहला सत्र हिंदी भाषा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति पर आधारित था जिसे श्री के अनिल कुमार, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), एसबीआई, तिरुवनंतपुरम ने संभाला था। दूसरा सत्र श्री रमेश ओ, प्रबंधक (राजभाषा), एचओसीएल, कोच्ची द्वारा संचालित हिंदी क्षेत्र से संबंधित रोजगार संवर्धन पर आधारित था।

91. कनिष्ठ वाणिज्यिक स्तर के कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से टिप्पण व आलेखन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पहले बैच में कुल 12 कर्मचारी शामिल हैं। पहले बैच में कुल 12 कर्मचारी शामिल हैं। सप्ताह में दो दिन पूरे दो माह तक एक घंटे की कक्षाएं लगेंगी।

92. सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, राजभाषा से संबंधित मॉड्यूल प्रश्नावली के साथ नोवेक्स में अपलोड किया गया था।

93. वर्ष के दौरान चार हिंदी कार्यशालाएं और चार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

94. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान, कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10वीं कक्षा में हिंदी में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए 20 बच्चों को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हिंदी भाषा के कार्यान्वयन के लिए 24 कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासे

95. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

96. विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है। ऊर्जा के संरक्षण में कंपनी की प्रमुख पहल सीएसएल परिसर के अंदर विभिन्न भवनों की छत पर सौर पैनलों की स्थापना थी। कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2013-14 में हुई थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक सीएसएल में 1622 केडब्ल्यूपी की क्षमतावाले सौर ऊर्जा संयंत्र को सीएसएल में चालू किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

97. सीएसएल ने निगमित जोखिमों की समग्र समीक्षा के लिए दिनांक 08 फरवरी, 2019 को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुरूप एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया। सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 214वीं बैठक में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जिसमें जोखिम प्रबंधन की एक परिभाषित प्रक्रिया और जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग की पद्धति शामिल है। नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को एक आश्वासन प्रदान करती है कि प्रमुख जोखिमों को ठीक से पहचाना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है।
98. नीति के अनुसार, सीएसएल बोर्ड सीएसएल में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करेगा। बोर्ड समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करके जोखिम निरीक्षण की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल प्रबंधन, जिसमें सीएसएल बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल हैं, को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है। इस संबंध में कंपनी के पास सीएसएल में नीति को लागू करने के लिए कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियां और बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियां हैं। जोखिम प्रबंधन समितियां और निदेशक मंडल समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करते हैं। यार्ड के उत्पाद मिश्रण में रक्षा और वाणिज्यिक जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत शामिल है जो कंपनी को बाजार जोखिम के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है।

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

99. सीएसएल की अनुसंधान और विकास के माध्यम से पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य चुने हुए क्षेत्रों और उत्पादों में कंपनी की श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए है। वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया के विकास और वेल्डर की योग्यता के क्षेत्रों में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां शुरू की गई हैं। एल्युमिनियम प्लेट्स (5083 ग्रेड एच 116) और हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील (डीएमआर 249 जीआरए) प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए वेल्ड प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं।
- क. डबल स्पंदित धातु अक्रिय गैस के साथ एल्यूमीनियम प्लेटों की वेल्डिंग की क्षमता निर्माण और वेल्ड प्रक्रियाओं का विकास यार्ड के लिए सर्वोपरि है। उपरोक्त संदर्भ में वेल्ड प्रक्रिया विनिर्देश तैयार किए गए हैं और वेल्डर 4जी और 1जी वेल्ड स्थिति में 40 मिमी मोटी प्लेट, 3जी स्थिति में 3 से 24 मिमी मोटी प्लेट और 2 जी स्थिति में 3 से 12 मिमी प्लेट तक वेल्ड करने के लिए योग्य थे। ये नई प्रक्रियाएं काफी मात्रा में श्रम घंटे और प्रयास को बचाती हैं। प्रक्रियाओं को डीएनवी वर्गीकरण सोसाइटी द्वारा मान्य किया गया है


ख. वेल्ड प्रक्रिया विकसित की गई और फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया और सबमर्सिबल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके 4जी और 2जी स्थितियों में डीएमआर 249 जीआर ए प्लेट 4मिमी और 5 मिमी मोटाई की वेल्डिंग के लिए वेल्डर योग्य थे। प्रक्रियाओं को डीएनवी वर्गीकरण सोसाइटी और भारतीय नौसेना द्वारा मान्य किया गया है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

- 100.कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अत्यधिक चिंता और प्रतिबद्धता के साथ कर्मचारियों, ठेकेदारों, ग्राहकों और समुदायों सहित अपने सभी हितधारकों में सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। सभी सीएसएल परिसरों में काम करनेवाले ठेकेदार कर्मियों सहित सुरक्षा संस्कृति को विकसित करने और कार्यबल में सुरक्षित प्रथाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न पहल की गईं।
- 101.एचएसई मामलों से संबंधित सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है और राज्य एवं केंद्र सरकार में संबंधित प्राधिकारियों के तहत संबंधित प्रवर्तन निकायों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
- 102.सीएसएल कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता को सशक्त बनाने के लिए, अनिवार्य सुरक्षा प्रेरण प्रशिक्षण के अलावा, सीएसएल ने अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच नोवेक्स के माध्यम से अंतहीन अवसरों की खोज करके महामारी के दौर में भी अपने अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और ठेकेदार प्रतिनिधियों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके शीर्ष पर, सुरक्षा प्रशिक्षण को एक संवादात्मक शिक्षण अनुभव तक बढ़ाने के लिए सीएसएल वर्चुअल रियलिटी आधारित सीमित स्थान सुरक्षा प्रशिक्षण शुरू करनेवाला है जो उपयोगकर्ता को कार्य परिदृश्य का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- 103.एचएसई अवलोकनों, निकट चूकों और ठेका कामगारों सहित कामकाजी आबादी के सुझावों की निर्बाध और प्रयास मुक्त रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों और कार्यक्रमों को साइट पर लागू किया जाता है। सबसे हाइलाइट किया गया तरीका रडर एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। साथ ही, क्रिटिकल नियर मिसेज को संभालने के लिए 24 घंटे लाइव हॉटलाइन नंबर प्रदान किया जाता है।
- 104.आईएसओ 45001:2018 के साथ तालमेल बिटाने और प्रदर्शनकारी एचएसई नेतृत्व और सहभागी और परामर्शी तंत्र की अपनी आवश्यकता को अपनाने के लिए, सीएसएल ने 2020 में एचएसई शासन प्रणाली लागू की। कार्यान्वयन के बाद, प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन ने सीएसएल कार्यबल से सक्रिय भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करके उच्च प्रबंधन और साइट टीम दोनों से सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य को समेकित किया, जो कंपनी को पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में संगठनात्मक सुरक्षा सूचकांक में 43 प्रतिशत की वृद्धि की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

- 105.सीएसएल ने आईएसओ 45001:2018 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उप-ठेकेदारों का मूल्यांकन और निगरानी शुरू की। सीएसएल मानकों को पूरा करने के लिए एचएसई प्रणाली पर जागरूकता लाने के लिए चयनित उप-ठेकेदारों के लिए कई टाउन हॉल सत्र आयोजित किए गए थे। प्रत्येक विक्रेता द्वारा एक एचएसई योजना तैयार की जाती है और सीएसएल द्वारा अनुमोदित की जाती है। सभी चयनित ठेकेदारों का मूल्यांकन चार-स्तरीय मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें एचएसई स्व-मूल्यांकन, साइट ऑडिट, एचएसई मासिक रिपोर्ट और एचएसई उल्लंघन शामिल हैं, और एक संयुक्त स्कोर की गणना की जाती है। इस प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर उप-ठेकेदारों को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और ब्लॉसम स्टार का दर्जा दिया गया है।
- 106.सीएसएल ने सीएसएल की अन्य इकाइयों जैसे सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू और सीएनएसआरयू और इसकी सहायक कंपनियों जैसे एचसीएसएल और यूसीएसएल में सुरक्षा प्रणालियों की निगरानी के लिए एक कार्यप्रणाली विकसित की है। इकाइयों और सहायक कंपनियों को सीएसएल कॉर्पोरेट सुरक्षा टीम द्वारा आयोजित एक स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली और क्रॉस लेखापरीक्षा की सहायता से बेंचमार्क किया जाता है। यह प्रत्येक सीएसएल इकाइयों और सहायक कंपनियों को आत्म-सुधार के ढेर सारे अवसरों की खोज करके एक बेहतर सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करने में मदद करता है।

110. वित्तीय वर्ष के लिए एचएसई प्रदर्शन समीक्षा नीचे ग्राफ में दी गई है :



औद्योगिक सुरक्षा

111.कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विशेष सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्थापना की सुरक्षा को राष्ट्रीय महत्व मिला है। स्थापना की प्राथमिक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई को सौंपी जाती है, जिसमें उप कमांडेंट, सीआईएसएफ के तहत 130 सीआईएसएफ कर्मी शामिल हैं। वर्ष के दौरान किसी भी गंभीर सुरक्षा चिंता के बिना कंपनी की समग्र सुरक्षा मजबूत बनी रही। कंपनी में पेश और स्थापित सभी सुरक्षा प्रणालियां और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं। कंपनी द्वारा सीआईएसएफ के साथ समय-समय पर संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। सभी महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों को शामिल करते हुए सशस्त्र कर्मियों और वायरलेस निगरानी (सीसीटीवी) प्रणाली के साथ चौबीस घंटे वाटरफ्रंट गश्त की जाती है। किसी भी सुरक्षा खतरे, सुरक्षा भंग, संकट या आपदाओं का मुकाबला करने के लिए सीआईएसएफ बल की तैयारी का आकलन करने के लिए आसूचना बोर्ड, राज्य पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग, बम दस्ते और नौसेना के समन्वय में आवधिक मॉक ड्रिल कार्य आयोजित किए जाते हैं।

112.सीआईएसएफ सुरक्षा उपकरणों के साथ अपनी सुरक्षा निगरानी और कर्तव्यों का पालन कर रहा है जिसमें बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, ब्रेथ एनलाइजर, वाहन गश्त, नाव गश्त और पैदल गश्त आदि शामिल हैं। सीआईएसएफ के तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है ताकि मौजूदा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को लाया जा सके और सीआईएसएफ को सभी गेटों पर एक सीधा फ्रिस्किंग तंत्र की सुविधा प्रदान की जा सके।

113.स्थापना की समग्र सुरक्षा व्यवस्था के अलावा प्रदान की गई एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी) पर विशेष सुरक्षा ध्यान दिया जा रहा है। आईएसी की सुरक्षा सीआईएसएफ के उच्चतम स्तरों पर की गई थी और आईएस ड्यूटी पर 46 सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों की एक अतिरिक्त श्रेणी को सहायक कमांडेंट की कमान के तहत विशेष रूप से आईएसी के लिए तैनात किया गया है।

114.सुरक्षा उपकरणों के लिए तकनीकी पुनर्सर्वेक्षण और जनशक्ति वृद्धि के लिए पुनःसर्वेक्षण के माध्यम से सीआईएसएफ के मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा संवर्धन की सुरक्षा शक्ति और आवश्यकताओं की समय-समय पर निगरानी की जाती है। सीआईएसएफ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव 130 सीआईएसएफ कर्मियों की वर्तमान संख्या से 220 कर्मियों तक सीएसएल यूनिट को निवल अतिरिक्त 96 पदों के सृजन के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।

115.पोत में प्रवेश को एक्सेस कार्ड का उपयोग करके सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार किसी भी समय पोत पर काम करनेवाले कर्मियों की

संख्या पर नजर रखी जाती है। पोत के लिए किसी भी आसन्न खतरे से बचने के लिए सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम, डीडीएस, नाव गश्त आदि सहित अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक नई गश्ती नौका की खरीद पर विचार किया जा रहा है।

116.यार्ड में प्रवेश को बायोमेट्रिक एम्बेडेड टर्नस्टाइल गेट्स, एक्स-रे बैगेज मशीन, डीएफएमडी आदि सहित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। कंपनी के लिए आगंतुकों की परिचय पत्र की जांच और सत्यापन के लिए एक पूर्ण विकसित आगंतुक सुविधा केंद्र संचालित किया जाता है। कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार और ठेकेदारों के कामगारों के प्रवेश द्वार पर एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। जारी किए गए सभी प्रवेश पास फोटो आधारित प्रवेश पास हैं।

117.वर्ष 2021-22 के दौरान, यार्ड ने मौजूदा प्रणालियों को उन्नत करते हुए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलूर के माध्यम से की जा रही है। परियोजना में व्यापक सुरक्षा रूपरेखा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है। जिसमें परिधि, तट और यार्ड के अंदर की पूरी सीसीटीवी निगरानी, ईएसपीएफ प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन और एएनपीआर आदि शामिल हैं।

118.कंपनी में आगंतुकों, सामग्रियों और वाहनों की आवाजाही की निगरानी आगंतुक प्रबंधन प्रणाली के एक एकीकृत ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है जो कंपनी के अंदर और बाहर सामग्री की आवाजाही की प्रभावी और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करता है। प्रस्तावित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में, आगंतुकों के लिए एक जीपीएस आधारित ट्रैकिंग टैग और आरएफआईडी टैग पास प्रणाली भी लागू की जा रही है, इस प्रकार यार्ड के भीतर आगंतुकों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यार्ड ने प्रवेश पास जारी करने से पहले सभी आगंतुकों और ठेकेदारों के कामगारों के आधार सत्यापन के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव दिया है। परियोजना सी-डेक मुंबई के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया भारत सरकार के अंतिम अनुमोदन के अधीन है।

119.सीएसएल ने मुख्य रूप से सीएसएल की बाहरी संपत्तियों और 98 कर्मियों वाले आंतरिक विशिष्ट स्थानों की पूर्ति के लिए मौजूदा बलों के पूरक के लिए डीजीआर प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसी को भी नियुक्त किया है।

पुरस्कार और मान्यताएं

120.वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसएल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

क. कारखानों और बॉयलर विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बहुत बड़े इंजीनियरिंग उद्योगों की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन पुरस्कार 2021;

ख. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बहुत बड़े इंजीनियरिंग उद्योगों की श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2022,

ग. कार्य बल श्रेणी में ईएचएस नियुक्ति में सीआईआई एसआर ईएचएस उत्कृष्टता पुरस्कार 2021,

घ. भारत सरकार से ग क्षेत्र के बीच सर्वश्रेष्ठ हिंदी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतनेवाली सीएसएल पूरे केरल में एकमात्र कंपनी है,

ङ. विश्व सीएसआर दिवस द्वारा स्थापित सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार, 2021

च. 51वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ग्रूप इवेंट में टेबल टॉप मॉक ड्रिल में दूसरा पुरस्कार,

छ. वर्ष 2020 के लिए कोच्ची टॉलिक (पीएसयू) से हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न के लिए दूसरा पुरस्कार,

ज. उद्योग श्रेणी। (750 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार) में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्रदर्शन के लिए एफएसीटी एमकेके नायर मेमोरियल प्रोडक्टिविटी पुरस्कार 2019- 20।

124. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	डीआई एन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
1	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनवरी 01, 2016	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।
2	श्री सुरेश बाबु एन वी*	07482491	निदेशक (प्रचालन)	अप्रैल 26, 2016	अप्रैल 30, 2021	अधिवर्षिता
3	श्री बिजोय भास्कर**	08103825	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (वित्त)	अप्रैल 05, 2018	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।
4	श्री जोस वी जे	08444440	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अगस्त 13, 2019	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।
5	श्री श्यामकमल एन	लागू नहीं	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	फरवरी 01, 2020	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।

*पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 26 फरवरी 2021 के पत्र सं. एसवाई - 11012/1/2020-सीएसएल द्वारा अप्रैल 26, 2021 से श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन), सीएसएल के कार्यकाल को दिनांक अप्रैल 30, 2021 तक बढ़ाया अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक। नतीजतन वह दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को कंपनी की सेवाओं से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति हुए।

** श्री बिजोय भास्कर, जिनके निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था और पात्र होने के कारण दिनांक 29 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की 49वां वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और बैठक

125. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान 16 मार्च 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

126. वर्ष 2021-22 के दौरान पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतर वैधानिक अवधि से अधिक नहीं था। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं, वे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	दिनांक	बोर्ड की श्रमशक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	जून 11, 2021	5	5
2	अगस्त 10, 2021	5	5
3	नवंबर 11, 2021	5	4
4	फरवरी 10, 2022	11	10
5	मार्च 16, 2022	11	10

127. निदेशक, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठक और इन बैठकों में उपस्थिति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो निदेशकों की रिपोर्ट के एक अंग है।

पारिश्रमिक नीति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

128. कोचीन शिपयार्ड पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार कंपनी है। वर्तमान में कंपनी के निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर रहे हैं और उनके पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तक किया जाता है। तदनुसार सीएसएल के संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) बताते हैं कि राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के कारण, ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के निष्पादन के मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक मार्च 16, 2022 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक में संपूर्ण रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया था।

निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति पर नामांकन व पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट

129. वर्तमान में, बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुरूप में निर्धारित किया जाता है। सीएसएल ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक नीति को स्वीकार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुपालन में है। सीएसएल ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में और आगे दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को आयोजित 245वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी को संशोधित किया गया। यह नीति कंपनी के वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 में उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

130. आपके निदेशकें प्रकट करते हैं कि:

- दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट की गई अपेक्षाओं के साथ पढ़ित लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और वही से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।
- आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लिये और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि दिनांक 31 मार्च 2022 की तिथि पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके,
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

131. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता था। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की ओर नोट 49 की ओर आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यकतानुसार प्रपत्र एओसी-2 को **अनुलग्नक II** में रखा गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी समिति)

132. सीएसएल के तत्काल पूर्व स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति के कार्यकाल के पूरा होने पर 15 जुलाई 2020 से अपना कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। इसलिए, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सीएसएल, 15 जुलाई 2020 से 19 दिसंबर 2021 तक समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। सीएसआर और एसडी समिति की अनुपस्थिति में, सीएसआर प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा सीधे बोर्ड स्तर की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया गया था।

133. हालांकि, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के कारण 20 दिसंबर 2021 से सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन किया गया था। दिनांक 31 मार्च 2022 तक, समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री नहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्यों के रूप में श्रीमती अग्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440) निदेशक (वित्त) शामिल हैं।

134. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी) ने कंपनी द्वारा की जानेवाली गतिविधियों को इंगित करते हुए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) बोर्ड को तैयार और सिफारिश की है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएसआर नीति को कंपनी के वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर देखा जा सकता है।

135. कोचीन शिपयार्ड ने सरकारी कंपनियों पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सीएसआर गतिविधियां शुरू कीं। सीएसएल ने एक प्रभावी सीएसआर नीति और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया है। सीएसआर कार्यान्वयन मशीनरी में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है : टीयर I। सीएसएल बोर्ड,

टीयर II। सीएसएल बोर्ड स्तर सीएसआर समिति जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड के चार सदस्य शामिल हैं और टीयर III। सीएसएल सीएसआर कार्यकारी समिति जिसमें कंपनी के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

136. वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी सार्थक सीएसआर पहलों में शामिल हो सकती है, जिसे केरल और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।

137. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16.17 करोड़ रुपए के लक्षित अनिवार्य सीएसआर खर्च के मुकाबले 16.19 करोड़ खर्च किए हैं। अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए, स्वास्थ्य और पोषण को वर्ष 2021-22 के लिए सीएसएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए सामान्य विषय के रूप में अपनाया गया है।

138. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक III में दी गई है।

लेखापरीक्षा समिति

139. दिनांक 31 मार्च 2022 तक, सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन : 01351097), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री अशोक शर्मा (डीआईएन : 09414565) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और अभिजित विसवास (डीआईएन : 09419083) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं। सीएसएल के तत्काल पूर्व स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति के कार्यकाल के पूरा होने पर दिनांक 15 जुलाई 2020 से अपना कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। इसलिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सीएसएल 15 जुलाई 2020 से 19 दिसंबर 2021 तक लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के कारण 20 दिसंबर 2021 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। लेखापरीक्षा समिति के बारे में विवरण निगमित शासन पर रिपोर्ट में 'बोर्ड समितियां' खंड के तहत प्रदान किया गया है।

निगमित शासन

140. कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और एक प्रभावी निगमित शासन प्रणाली स्थापित की है। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जो नीचे दिए गए विषय के अधीन है।

141. वर्ष के दौरान एक महिला निदेश सहित छह स्वतंत्र निदेशकों का पद नवंबर 2021 तक खाली रहा और परिणामस्वरूप कोई वैधानिक समितियां नहीं थीं। सीएसएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की थीं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एसवाई 11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 22 नवंबर 2021 ने सीएसएल के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। इसके बाद 20 दिसंबर 2021 से वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, कंपनी इस संबंध में डीपीई द्वारा अनुशंसित प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को निगमित शासन पर अपनी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

142. एक अलग खंड 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

143. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स वर्मा और वर्मा, सनदी लेखाकार को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और स्थापित करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था। इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री कमजोरी नहीं देखी गई थी।

144. कार्यात्मक सवायता प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास एक प्रणाली है जिसमें निदेशक मंडल की वित्तीय शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित की जाती हैं। दिन-प्रतिदिन सुचारू और कुशल संचालन के लिए इन शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उप-प्रत्यायोजित किया जाता है। विभिन्न परिचालन और वित्तीय मामलों की व्यापक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद है। सीएंडएजी मालिकाना लेखापरीक्षा करता है।

145. वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक / सांविधिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की जांच की और उसी के आधार मार्गदर्शन प्रदान किया। निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रदर्शन और रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया। कंपनी ने जुलाई 2014 से एक एकीकृत

ईआरपी प्रणाली (एसएपी) लागू किया है और अप्रैल 2022 से इसे नवीनतम संस्करण एस/4एचएएनए में उन्नत किया है, जो बेहतर प्रबंधन नियंत्रण को सक्षम कर रहा है। एसएपी उपयोगों के आलोकन और सुधार के लिए मेसर्स केपीएमजी द्वारा एसएपी लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

146. अपनी प्रक्रियाओं और संचालन को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसका लाभ उठाने में अग्रणी होने के नाते, सीएसएल ने वर्ष 2018 में डिजिटल रूप से सक्षम कानूनी और नियामक अनुपालन और समर्थन सेवा इंटरफेस शुरू करके इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया था। सीएसएल अपनी कानूनी और नियामक अनुपालन आवश्यकता के सुव्यवस्थित करने के लिए इस नई प्रणाली को लागू करनेवाला पहला पोत परिवहन क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

147. मेसर्स. एलियास जॉर्ज एवं कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 00801 एस), सनदी लेखाकार, एर्णाकुलम को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। शेरधारको ने बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने की शक्ति सौंपी है और तदनुसार, बोर्ड द्वारा इसे तय किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

148. मै. एलियास जॉर्ज एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट दिनांक मई 20, 2022 को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में किसी पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल अभ्युक्ति या अस्वीकृति शामिल नहीं है।

नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

149. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट के एक अभिन्न भाग है।

लागत लेखापरीक्षक

150. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित अपनी पोत निर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी लागत रिकॉर्ड रखती है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स बीबीएस एंड एसोसियेट्स (फर्म पंजीकरण सं. 00273) को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है। दिनांक सितंबर 29, 2021 को आयोजित 49वीं एजीएम में शेरधारकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की पुष्टि की गई।

सचिवीय लेखापरीक्षक

151. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्राकटीसिंह कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-IV** के रूप में अंकित करके संलग्न है।

152. सचिवीय लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित का अवलोकन किया : जैसे, न्यूनतम सार्वजनिक शेरधारिता आवश्यकताओं के संबंध में गैर-अनुपालन, सीएसएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति नामक सांविधिक समितियों का गैर-संविधान सहित परिणामी गैर-अनुपालन। आगे, स्टॉक एक्सचेंजों जैसे बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) द्वारा उक्त गैर-अनुपालनों के कारण लगाए गए जुर्माने के संबंध में विवरण भी सचिवीय लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

153. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के लिए बोर्ड का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के 21 (क) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक नवंबर 22, 2021 के पत्र सं. एसवाई 11012/1/2016-सीएसएल द्वारा दिनांक नवंबर 22, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। इसके बाद, 20 दिसंबर 2021 से सभी वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया गया।

न्यूनतम सार्वजनिक शेरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के संबंध में, कंपनी के पास पहले से ही 27.14% सार्वजनिक शेरधारिता है। हालांकि, सेबी का अवलोकन यह था कि ऊपर के रूप में एमपीएस की प्राप्ति सेबी द्वारा अधिसूचित विनिवेश के तरीकों के माध्यम से नहीं थी।

भारत सरकार (व्यवसाय का आंबटन) नियम 1961 के अनुसार, इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश (सीपीएसई में इक्विटी के विनिवेश सहित) के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) में निहित हैं। एमपीएस प्राप्त करने के लिए प्रमोटर के इक्विटी शेयरों को बेचने की शक्ति वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) में निहित है।

कंपनी ने अपने पत्र सं. एसईसी/395/2018-II दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेरधारिता प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय और डीआईपीएएम को सूचित किया था और दिनांक 09 जुलाई 2021, 01 दिसंबर 2021 और 15 मार्च 2022 को एक अनुवर्ती पत्र भी भेजा गया था।

सीएसएल ने उपरोक्त गैर-अनुपालनों के लिए लगाए गए जुर्माने की छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अभ्यावेदन दिया है और उत्तर की प्रतीक्षा है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

154. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स कृष्णमूर्ति एंड कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार, कोच्ची को नियुक्त किया है।

वार्षिक विवरणी

155. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55 पर उपलब्ध है।

निवेशक सेवाएं

156. कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने बीएसई और एनएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन इक्विटी शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 में जारी किए गए कर मुक्त बांड, दोनों डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ पूरी तरह से डीमैटरियलाइज्ड हैं। ये बांड बीएसई के थोक ऋण बाजार ('डब्ल्यूडीएम') खंड में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने इन बांडों के संबंध में बीएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है और एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इन बांडों के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी है।

सतर्कता

157. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय सतर्कता के संबंध में विभिन्न गतिविधियां करता है, दंडात्मक सतर्कता से संबंधित मामलों में जांच करता है और निगरानी और पता लगाने की पहल करता है। सतर्कता विभाग सभी खरीद में पारदर्शिता, समानता और

प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके कड़ाई से अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों पर विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की जाती है। निवारक सतर्कता के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच सतर्कता संवेदीकरण पर जोर दिया गया।

158.कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सतर्कता विभाग का नेतृत्व पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती एस उमा वेंकटेशन, भा.रा.से. द्वारा किया जाता है। विभाग मं सतर्कता अधिकारी श्री के आर वेणुगोपालन (उपाधीक्षक, केरल पुलिस, प्रतिनियुक्ति पर) सीएसएल के दो अधिकारी और दो सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं।

159.वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सतर्कता विभाग द्वारा अनुशंसित विभिन्न प्रणालीगत सुधारों को लागू किया गया। मुख्य तकनीकी परीक्षक, सीवीसी प्रकार के निरीक्षण सिविल विभाग और पोत मरम्मत प्रभाग में चुनिंदा प्रमुख कामों/खरीद पर किए गए और रिपोर्ट मुख्य तकनीकी परीक्षक, सीवीसी को भेजी गई। वर्ष के दौरान विभिन्न अनुबंधों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की निगरानी की गई।

160.आयोग के निदेशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सतर्कता संवेदीकरण कार्यक्रमों का उचित तरीके से पालन किया गया। सीएसएल के अधिकारियों के लिए 27 और 28 अक्टूबर 2021 को निवारक सतर्कता विषय पर दो बैठकों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीएसएल के कर्मचारियों और बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं, नारा प्रतियोगिताएं और चित्र रचना प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

161.सतर्कता विभाग ने कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया की निगरानी की। इसके अलावा, सतर्कता विभाग ने संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में औचक/आवधिक निरीक्षण भी किया है और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सभी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती हैं और सीवीसी के पास कोई संदर्भ लंबित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

162.पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सही मायने में लागू किया है और कंपनी में एक समर्पित केंद्रीकृत आरटीआई कक्ष के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके। वर्ष 2021-22 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों को संसाधित किया गया है और अधिनियम में निर्धारित समयबद्ध तरीके से जानकारी प्रदान की गई है।

163.कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई दृष्टांत नहीं मिला है। आरटीआई के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है।

जागरण तंत्र

164.दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कोचीन शिपयार्ड की जागरण तंत्र और मुखबिर नीति सीएसएल के जागरण तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। सीएसएल की मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 143 के अधीन रिपोर्ट किए धोखाधड़ी का विवरण

165.शून्य

ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

166. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को किसी भी कोई ऋण नहीं दिया है।
- ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के लिए ऋण के सिलसिले में प्रतिभूति प्रदान न किया है या कोई गारंटी नहीं दिया है।
- ग) निम्नलिखित को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय कॉरपोरेट की प्रतिभूतियों के रूप में अधिग्रहीत किया गया।

कंपनी का नाम	निवेश का विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	31.00
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)	अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर	10.00

महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता

167.कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

168.रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निक्षेप

169.आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

सचिवालय मानक

170.कंपनी ने भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

171.कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

172.भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध संस्थानों को व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआर रिपोर्ट) को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल करना अधिदिष्ट

किया है। इस सेबी आदेश सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) (एफ) के रूप में भी डाला गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 बीआर रिपोर्टों के लिए एक प्रारूप प्रदान करते हैं। इसमें नौ प्रमुख सिद्धांतों की एक सूची और पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों के अनुपालन निर्धारित करने के लिए प्रत्येक सिद्धांत के तहत विभिन्न मूल तत्वों भी समाविष्ट किया है। वर्ष के लिए कंपनी की बीआर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

पावती

173.निदेशक मंडल, पोत परिवहन के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सतत संरक्षण और समर्थन के लिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखापरिक्षकों, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों, कंपनी के बैंकों और हमारे मूल्यावान ग्राहकों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञ है। बोर्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उसके सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों द्वारा दिए योगदान और समर्थन का सराहना करता है। आपके निदेशक सभी शेरधारकों/ निवेशकों को कंपनी में रखे यकीन और आत्मविश्वास के लिए अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करते है तथा आगामी वर्षों में कंपनी के विकास को बनाए रखने के लिए उनके निरंतर सहायता और भागीदारी के लिए आशा करती है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु एस नायर
 कोच्ची
 मई 24, 2022
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 07376798

अनुलग्नक - I

क. ऊर्जा संरक्षण

क. वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव

उठाए गए कदम

- विभिन्न एलएलटीटी/गैन्ट्री क्रनों में ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिटिंग के साथ उच्च दबाव पारा वाष्प प्रकाश फिटिंग को बदला गया।
- साधारण सीलिंग पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष बीएलडीसी /5 स्टार पंखे का प्रयोग,
- कार्यालय भवनों में बीआरएफ एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्रदान किया गया,
- संपीडित वायु वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित रूप से निगरानी और सुधार किया जाता है।
- नए भवनों का विद्युतीकरण पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्पों के स्थान पर एलईडी लाइटों से किया जाता है।
- लंच ब्रेक के दौरान मुख्य एयर कंप्रेसर को बंद किया जाता है।
- दोपहर 12:15 मुख्य बिजली आपूर्ति को शॉपों, खदानों और डॉक पर बंद किया जाता है। यह मेइन कूलर, रूफ एक्सट्रैक्टर्स (स्टार्टर के माध्यम से नियंत्रित) आदि को ट्रिप करता है, जिनकी लंच ब्रेक के दौरान आवश्यकता नहीं होती है।
- विद्युत ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ऊर्जा बचत स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- यूनिट के निकट पावर फैक्टर की लगातार निगरानी और रखरखाव किया जाता है।

प्रभाव

ऊपर निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ ऊर्जा की बचत लगभग 3.38 लाख यूनिट प्रति वर्ष है।

ख. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम

- मौजूदा 1564 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के अलावा सीएसएल कर्मचारी क्वार्टर और गस्ट हाउस की छत पर कुल 58 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। इसके साथ सीएसएल में सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 1622 केडब्ल्यूपी हो गई है, तथा,
- वर्ष 2021-22 के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों से 18.53 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई।

ग. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

- उपरोक्त निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए लगभग 38.93 लाख की राशि निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

क. प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास।

- कार्यान्वित ब्लेंडर, एक ऑपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल, जिसका उपयोग कॉन्सेप्ट/बेसिक डिजाइन प्रोजेक्ट्स के उच्च गुणवत्तावाले 3डी रेंडरिंग को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
- बाहरी कार्यशालाओं/प्रशिक्षण में निम्न प्रदान किया गया :
 - पोत डिजाइन में हाइड्रोडायनामिक्स पर मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट नेथरलैंड द्वारा आयोजित 6 दिवसीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में प्रतिरोध और प्रणोदन, प्रोपेलर कैविटेशन और टेस्ट, पोत डिजाइन में कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स, सीकीपिंग और पेंतरेबाजी सहित विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल थी,
 - नौसेना वास्तुकला पर भारतीय नौवहन रजिस्टर द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण। पाठ्यक्रम में पोत स्थिरता, आईएमओ विनियम आदि जैसे विषय शामिल थे,
 - ईटीएपी सॉफ्टवेयर में ओईएम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण जिसका उपयोग समुद्री जहाजों, ऑफशोर प्लेटफॉर्मों और पोत निर्माण बिजली प्रणालियों के विश्लेषण, प्रबंधन और अनुकरण के लिए किया जाता है, तथा
 - फ्लूइड फ्लो सॉफ्टवेयर में ओईएम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण जिसका उपयोग पाइप साइजिंग और विश्लेषण के लिए किया जाता है।
- केएमआरएल फेरी और 8000 टी बहुउद्देश्यीय सामान्य मालवाहक पोत, एफबीओपी, एएसडब्ल्यू कार्बेट और मेसर्स अस्को के लिए ऑटो बार्ज के लिए 3डी मॉडल, हल, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल और आवास प्रणालियों के लिए कार्यात्मक ड्राइंग और उत्पादन ड्राइंग का आंतरिक विकास किया गया।

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास

- 3डी एक्सपीरियंस पोत निर्माण सॉफ्टवेयर का संस्थापना पूरा हो गया है। पतवार संरचना, विद्युत, मशीनरी, पाईपिंग, एचवीएसी, आवास संगठन और परियोजना प्रबंधन के लिए 3 डी एक्सपीरियंस पोत निर्माण सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस का कार्यान्वयन और परिनियोजन प्रगति पर है।
- 3डी एक्सपीरियंस प्लोटफॉर्म के हिस्से के रूप में खरीदे गए सिमुलिया, परिमित तत्व विश्लेषण उपकरण का उपयोग करते हुए, उठाई गई स्थितियों के दौरान केएमआरएल कटमरैन फेरी का संरचनात्मक विश्लेषण किया।
- लॉडिंग स्थितियों के स्वतः उत्पन्न करने के लिए एनएपीए सॉफ्टवेयर कोड का विकास और अक्षुण्ण एवं क्षति स्थिरता मानदंड इन लॉडिंग स्थितियों की जांच।
- टग डिजाइन में विशेषज्ञता प्राप्त कनाडा की एक प्रमुख डिजाइन फर्म रॉबर्ट एलन लिमिटेड के सहयोग से टग के बुनियादी डिजाइन का विकास।
- आईपीए के लिए टग के लिए पांच मानक डिजाइनों का विकास
- भारत सरकार के लिए मत्स्य ग्रहण जहाजों के लिए तीन मानक डिजाइनों का विकास।
- व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना के रूप में 12 मीटर स्वायत्त सतह पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन।
- कोच्ची जल मेट्रो परियोजना में कार्यान्वयन के लिए अर्ध-स्वचालित मूरिंग सिस्टम की विकसित कार्य अवधारणा
- हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल यात्री नौका नाव की विकसित अवधारणा डिजाइन। एमओयू पार्टनर मेसर्स केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ परियोजना के लिए ईंधन सेल की रेंटिंग और सामग्री के बिल को अंतिम रूप दिया गया।
- एनडब्ल्यू 1, एनडब्ल्यू 2 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में संचालन के लिए 3000 टन अंतर्देशीय कार्गो वाहक के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- बैटरीचालित रो-रो पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन
- अयोध्या में संचालन के लिए 80 यात्री रिवर क्रूज़ वेसल के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन
- सबमर्सिबल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन, तथा
- एमओयू पार्टनर मेसर्स सीस्टेमा, इटली के माध्यम से आईएनएस दीपक के लिए आईपीएमएस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन।

अवशोषण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

क. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ।	<ul style="list-style-type: none"> इन-हाउस सॉफ्टवेयर कोड, एफईए और सीएफडी क्षमतावाले अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने के लिए डिजाइन पुनरावृत्तियों को निष्पादित करने के लिए लचीलेपन में वृद्धि। उच्च गुणवत्तावाले डिजाइन समाधानों के कारण ग्राहकों तक पहुँच और बढी हुई विश्वसनीयता। विशिष्ट और अग्रणी फर्मों के साथ सहयोग करके डिजाइन में क्षमता में वृद्धि। कई परियोजनाओं को एक साथ करने में हासिल की गई क्षमता, तथा पुनर्विक्रय में कमी, क्योंकि सिस्टम के इंटरफेस को कंप्यूटर पर 3डी मॉडलिंग में देखा और ठीक किया जा सकता है।
ख. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से माना जाता है) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।	
i. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	समुद्री बिजली प्रणालियों के विश्लेषण, प्रबंधन और अनुकरण के लिए ईटीएपी सॉफ्टवेयर।
ii. आयात का वर्ष	2020-21
iii. क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	जी हां
iv. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो, ऐसे क्षेत्र जहाँ अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण	लागू नहीं
ग. अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	शून्य

ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

(₹ लाख में)

विदेशी मुद्रा से आय	2021-22	2020-21
पोत मरम्मत से	2,137.88	6,588.02
पोत निर्माण से	161.98	549.57
कुल	2,299.86	7,137.59
विदेशी मुद्रा से व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	40,090.43	60,779.14
डिजाइन एवं डॉकुमेंटेशन	189.51	132.63
सेवा प्रभार और अन्य	13,597.35	6,220.45
कुल	53,877.29	67,132.22

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कोची
मई 24, 2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

अनुलग्नक - II

फॉर्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के उप धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पाटियों के साथ कंपनी द्वारा किए ठेके/ करार के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म जिसमें तीसरे प्रावधान के अधीन कुछ निष्पक्ष आधार पर लेनदेन भी शामिल है।

1. ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन जो निष्पक्ष आधार पर न हो, के विवरण

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	शून्य
ख. ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की प्रकृति	शून्य
ग. ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की अवधि	लागू नहीं
घ. मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
ङ. ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन में प्रवेश के लिए समर्थन	लागू नहीं
च. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
छ. अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
ग. धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की तारीख	लागू नहीं

2. महत्वपूर्ण ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन जो निष्पक्ष आधार पर हो, के विवरण

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	शून्य
ख. ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनेदेन की प्रकृति	शून्य
ग. ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनेदेन की अवधि	लागू नहीं
घ. मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
च. अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	कुछ नहीं

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कोची
मई 24, 2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

अनुलग्नक - III

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी में वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों को सीएसआर नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग कंपनी की सीएसआर नीति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया था।

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी छोटी परियोजनाओं की श्रेणियों के तहत परियोजनाओं का संचालन करती है, जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से 10 लाख रुपए या उससे कम मूल्य की अत्यावश्यक प्रकृति की हैं, जो कि कुल खर्च का 10% तक सीमित है। अन्य सभी परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

वर्ष के मुख्य विषय : राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/समाज की ज़रूरतों के अनुरूप संपत्ति के निर्माण की दिशा में, जैसा कि डीपीई द्वारा सलाह दी गई है, 12 मई 2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत, 'अस्थायी अस्पतालों की स्थापना और अस्थायी कोविड देखभाल सहित कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण' को सीएसएल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए सामान्य

विषय के रूप में अपनाया गया है। साथ ही, वायनाड के आकांक्षी जिले को प्राथमिकता दी गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता विकास (सीएसआर और एसडी) समिति समय-समय पर बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर परियोजनाओं की सिफारिश करती है। सीएसएल के तत्काल पूर्व स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 15 जुलाई 2020 से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सीएसएल 15 जुलाई 2020 से 19 दिसंबर 2021 तक समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। सीएसआर और एसडी समिति की अनुपस्थिति में, सीएसआर प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा सीधे बोर्ड स्तर की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया गया था। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के कारण दिनांक 20 दिसंबर 2021 से सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन किया गया था। दिनांक 31 मार्च 2022 तक सीएसआर और एसडी समिति की संरचना निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकता की प्रकृति	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों की संख्या	
			वर्ष के दौरान आयोजित	वर्ष के दौरान उपस्थित
1.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष	1	1
2.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य	1	1
3.	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825)	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य	1	1
4.	श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)	निदेशक (वित्त) - सदस्य	1	1

3. वेब लिंक जहां सीएसआर और एसडी समिति की संरचना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन	https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/59
सीएसआर नीति	https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68
बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण।

वर्ष 2018-19 में मेसर्स सेवाभारती, तिरुवनंतपुरम द्वारा शुरू की गई परियोजना अनंतकृपा का प्रभाव मूल्यांकन, सीएसएल के सीएसआर समर्थन के साथ 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी द्वारा किया जा रहा है।

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन हेतु उपलब्ध राशि (₹)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹)
1.	2020-21	40.00 लाख	40.00 लाख

6. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ

क. अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	: ₹ 1,616.93 लाख
ख. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	: शून्य
ग. वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।	: ₹ 40.00 लाख
घ. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देयता (7 क + 7ख - 7 ग)	: ₹ 1,576.93 लाख
8. च. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि	

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹)	अव्ययित राशि (₹)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर लेखों में अंतरित कुल राशि	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि	राशि	अंतरण की तिथि	राशि
1,619.47 लाख	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष चालू परियोजनाओं के सामने खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण (अनुलग्नक क के रूप में सूची संलग्न किया है)	: ₹ 718.21 लाख
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण (अनुलग्नक ख के रूप में सूची संलग्न किया है)	: ₹ 821.94 लाख
(ङ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि	: ₹ 79.32 लाख
(च) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	: शून्य
(छ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	: ₹ 1,619.47 लाख

(ज) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(i)	अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत*	1,576.93 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1,619.47 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ((ii) - (i))	42.54 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियां, यदि कोई हो	शून्य
(v)	बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	40.00 लाख

*वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अतिरिक्त खर्च को समायोजित करने के बाद वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर बाधकता।

9. क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित राशि (₹)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹)	धारा 135(6), यदि कोई हो के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेष राशि (₹)
				निधि का नाम	राशि (₹)	अंतरण की तिथि	
1.	2020-21	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2.	2019-20	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3.	2018-19	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य

ख. पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	परियोजना आई डी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरु की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹)	पूर्ण/चालू परियोजना की स्थिति
								लागू नहीं।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। (संपत्ति वार विवरण)

पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	: लागू नहीं
पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	: लागू नहीं
इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता, आदि	: लागू नहीं
सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति या पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें :	: लागू नहीं

11. यदि कंपनी अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं।

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07376798

नाहर सिंह माहेश्वरी
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन : 09419082

मई 24, 2022

अनुबंध क

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका- एजेंसी के माध्यम से	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)
				राज्य	जिला						
1	सिंधुखंड राजा, जिला बुलधाना, महाराष्ट्र में जीजामाता प्रार्थमिक महिला स्वास्थ्य देखभाल और रोग-निदान केंद्र चलाने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	2	200.00	180.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- एजेंसी के माध्यम से	जी नहीं
2	सुबाष पार्क, एर्णाकुलम और कोविंदा पार्क, पनील्लो नगर, कोच्ची के रखरखाव और प्रबंधन के लिए सहायता।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2	112.00	104.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं
3	कोट्टियम मंडिकल कॉलेज अस्पताल से मरीजों और दर्शकों के लिए सेवा निलयम उपशासक देखभाल केंद्र के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	कोट्टियम	1	70.00	63.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं
4	श्री नारायण गिरि, तोट्टुक्कम, आलुवा में अर्न्तभवन बॉर्डिंग होम में बेसहारा लड़कियों और महिलाओं के लिए नए छात्रावास ब्लॉक के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1	60.00	54.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं
5	रुग्मिनी स्मृति ट्रस्ट, कंडुगल्लूर, आलुवा द्वारा उपेक्षित महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रस्टिड शेल्टर होम के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1	70.00	35.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं
6	श्री शारदा गल्लस हायर सेकेंडरी स्कूल, पुरनाडुक्का, विश्वरू जिले में कक्षा के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	विश्वरू	1	50.00	25.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं
7	गार्डियन ऐंजल पीस मिशन फॉर पालियेटिव केयर, नेडुवाशेरी, एर्णाकुलम जिले में भूतल में 10 कमरों के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2	25.00	20.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं
8	शबरी शरणश्रम, कूनमकारा, पतनपिट्टा जिले में (मणिबंद गुरुकुलम) जनजातीय छात्रावास के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ix) केंद्रीय सरकारी द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करना	जी हाँ	केरल	पतनपिट्टा	2	25.00	20.00	शून्य	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	जी नहीं

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हॉ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	एजेंसी के माध्यम से
9	वर्बिस बॉकवे, कोच्चि में केंद्र पर शौचालय के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अनार्यों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	3	26.00	17.70	शून्य	जी नहीं	क्रेडाई क्लीन रिस्टी मुवमेंट	लागू नहीं
10	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुंडेरी, कर्णूर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए सहायता।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हॉ	केरल	कर्णूर	1	30.00	15.00	शून्य	जी नहीं	जिला पंचायत, कर्णूर	CSR00015937
11	आईआईटी, पालक्काड की एक सहयोगी पहल कोवक्तान के विजेताओं को इनक्यूबेशन ग्रांट के लिए समर्थन।	खंड (ix) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरी को प्रदत्त योगदान या धन।	जी नहीं	अंड्रिल भारतीय	अंड्रिल भारतीय	1	25.00	15.00	शून्य	जी नहीं	टेकइन, आईआईटी, पालक्काड	CSR00006228
12	करुणा स्पेशल स्कूल, नायरम्बलम, एर्णाकुलम जिले में विकलांग बच्चों के परिवहन के लिए वाहन की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	1	15.00	13.50	शून्य	जी नहीं	करुणा स्पेशल स्कूल	CSR00017944
13	सर्वोदय केंद्र, रामशरी, पालक्काड जिले में गांधी आश्रम के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी हॉ	केरल	पालक्काड	1	25.00	12.50	शून्य	जी नहीं	सर्वोदय केंद्र	CSR00015802
14	दिव्यारक्षा चैरिटीबल सोसाइटी, मैलाकोय्यु, तोडुपुष, इडुक्की जिले में मानसिक रूप से विकलांग 200 निवासियों के लिए विल्डिंग ब्लॉक के नवीनीकरण और पूरा करने के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	3	15.00	12.00	शून्य	जी नहीं	दिव्यारक्षा चैरिटीबल सोसाइटी	लागू नहीं
15	सेवाभारती, तिरुवनंतपुरम द्वारा जनजातीय बस्तियों के भीतर और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा उद्देश्य के लिए लोगों के परिवहन के लिए वाहन की खरीद हेतु समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हॉ	केरल	तिरुवनंतपुरम	1	13.00	11.70	शून्य	जी नहीं	सेवाभारती	CSR00021253
16	सरकारी जिला होमियो अस्पताल, पुल्लेयडी, कन्नूर, एर्णाकुलम जिले में प्रौद्योगिकी और शौचालय के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	3	12.00	10.80	शून्य	जी नहीं	जिला होमियो अस्पताल	लागू नहीं

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हॉ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	एजेंसी के माध्यम से
17	एर्णाकुलम जिले में हरितकैरलम परियोजना के तहत पुनर्निर्मित तालाबों के देखभाल और रखरखाव के लिए सहायता।	खंड भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	3	17.50	8.87	शून्य	जी नहीं	हरितकैरलम मिशन	लागू नहीं
18	राष्ट्र निर्माण के लिए वॉलंडा के लिए निरंतर सीएसआर भागीदारी-डॉन बोस्को टैक्निकल प्राइवेट आईटीआई, वडुत्ताला, कोच्चि	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	2	15.00	8.21	शून्य	जी नहीं	डॉन बोस्को टेक	लागू नहीं
19	वयनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट, मडुल्लयम पोस्ट, वेल्लमुडुके द्वारा, वयनाड जिला में आदिवासी छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हॉ	केरल	वयनाड-एसटी	3	12.50	7.49	शून्य	जी नहीं	वयनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट	लागू नहीं
20	परियोजना नारी शक्ति- जिला जेल, काक्कनाड में सैनटरी नैपकिन निर्माण यूनिट के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	1	12.84	6.42	शून्य	जी नहीं	ब्यूमेक इंडिया फाउंडेशन	CSR00020148
21	ब्रह्मदेवदय हायर सेकेंडरी स्कूल, कालडी, एर्णाकुलम जिले में ओपन स्ट्रेज के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हॉ	केरल	एर्णाकुलम	3	10.25	5.13	शून्य	जी नहीं	श्री रामकृष्ण आश्रम	CSR00002806

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अख्तियार सीएसआर खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका- सीधा (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	एजेंसी के माध्यम से सीएसआर पंजीकरण संख्या
22	केंद्रीय मातृशिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) द्वारा पूरे केरल में मछुआरों के लिए रीफ्रिजरेटड मोबाइल फिश वॉटर कियोस्क के वितरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए गए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	1	17.00	6.80	शून्य	जी नहीं	आईसीएआर-सीआईएफटी	लागू नहीं
23	एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन वयनाड द्वारा वयनाड में पणिया जनजातियों की गरीबी, पोषण की कमी व शैक्षिक पिछड़ेपन को संबोधित करने के लिए एकीकृत हस्तक्षेप के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए गए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	वयनाड- एस्टी	2	15.00	6.00	शून्य	जी नहीं	एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन	लागू नहीं
24	नेचर ग्रीन गार्डियन्स फाउंडेशन, तिरुवनंतपुरम द्वारा सीएसएल आवासीय क्वार्टरों के पास एक खाली प्लॉट में मियावाकी विधि वनीकरण के कार्यान्वयन के लिए समर्थन।	खंड (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल गुणवत्ता को बनाए रखना।	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	3	15.00	3.61	शून्य	जी नहीं	नेचर ग्रीन गार्डियन्स	लागू नहीं
25	₹10 लाख और उससे कम की परियोजनाएं।	विभिन्न अनुसूची VII गतिविधियाँ	जी नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	1-3	85.76	56.48	शून्य	दोनों	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियाँ और सीधा	लागू नहीं
कुल							973.85	718.21	-			

* ₹ 10 लाख और उससे कम की समग्र परियोजना लागत वाली कई छोटे पैमाने की सीएसआर परियोजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई लघु सीएसआर परियोजनाओं सहित सभी सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी वेबसाइट पर <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab6> लिंक पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

अनुबंध ख
(₹ लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि	कार्यान्वयन का तरीका-सीधा (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला				नाम
1	कोविड कोरोना टीकाकरण के लिए समर्थन	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	148.64	जी हाँ	स्वयं	लागू नहीं
2	महामारी के दौरान सीएसएल में उपउत्केदरों द्वारा लगे श्रमिकों को किराना किट के वितरण के लिए सहायता	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	73.66	जी हाँ	स्वयं	लागू नहीं
3	श्री दुर्गा विलासम हार सेकेंडरी स्कूल, परमंगलम, त्रिशूर जिले में खेलों इंडिया योजना को लागू करने हेतु लड़कों के लिए खेल छात्रावास के लिए एक मॉडल के निर्माण हेतु समर्थन	खंड (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	30.00	जी नहीं	श्री दुर्गा विलासम स्कूल, परमंगलम	CSR00023373
4	सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल, मुंडेरी, कण्णूर जिले में स्पोर्ट क्लब रूम के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	कण्णूर	29.50	जी नहीं	जिला पंचायत, कण्णूर	CSR00015937
5	मत्स्य विभाग, केरल सरकार को समुद्र में चलने योग्य समुद्री बचाव एंबुलेस के निर्माण के लिए सहायता	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	केरल	28.00	जी हाँ	सीधा	लागू नहीं
6	विकलांगों के लिए जाडुई विज्ञान अकादमी-विकलांगों के लिए प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	तिरुवनंतपुरम	25.00	जी नहीं	जाडुई विज्ञान अकादमी, तिरुवनंतपुरम	CSR00003855
7	एणाकुलम जिले में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में ऑक्सीजन वितरण सुविधा के लिए आधारभूत संरचना सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	25.00	जी नहीं	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एणाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि	कार्यान्वयन का तरीका-सीधा (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
8	सिंधखंड राजा, बुलढाना जिला, महाराष्ट्र में लोगों के लाभ के लिए एक एम्बुलेंस सहित जीजामाता प्रार्थमिक महिला स्वास्थ्य देखभाल और निदान केंद्र, क्वार्टर और अस्पताल के उपकरणों की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी नहीं	महाराष्ट्र	बुलढाना	24.12	जी नहीं	जिजाओ सृष्टि, बुलढाना जिला	लागू नहीं
9	वयनाड जिले में चार अंगनवाड़ी परियोजनाओं की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	जी हाँ	केरल	वयनाड- एसटी	23.35	जी नहीं	जिला निर्मित केंद्र, वयनाड	लागू नहीं
10	कुंबलंगी ग्राम पंचायत में पार्क के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पेशालीक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	22.70	जी नहीं	कुंबलंगी ग्राम पंचायत	लागू नहीं
11	कोच्ची नगर निगम द्वारा सामुदायिक रसोई के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	20.00	जी हाँ	स्वयं	लागू नहीं
12	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, मुवाट्टुपुषा में पुस्तकालय भवन के पुनर्निर्माण के लिए सहायता।	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	19.60	जी नहीं	श्री रामकृष्ण आश्रम	CSR00002806
13	जिला चिकित्सा कार्यालय वयनाड के लिए एक रीक्रियेटिव वैक्सीन डेलीवरी वाहन की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	वयनाड- एसटी	19.34	जी हाँ	सीधा	लागू नहीं
14	कारण्य पेइन और पालिएटिव केयर अस्पताल, पारापुर, त्रिशूर जिले की दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	18.00	जी नहीं	कारण्य पेइन और पालिएटिव केयर सोसाइटी	लागू नहीं
15	वर्गीय फोकरेय फेस्ट- बॉल ग्राफिटी का निर्माण- आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में डीटीपीसी, एर्णाकुलम द्वारा देश का 75 वां वर्ष समारोह	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	18.00	जी नहीं	जिला पर्यटन संवर्धन परिषद एर्णाकुलम	CSR00023887

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि	कार्यान्वयन का तरीका-सीधा (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
16	ईदिरा गांधी सहाकारी अस्पताल, कडवंगा, एर्णाकुलम जिले के लिए उन्नत सर्जिकल ऑन्कोलजी केंद्र के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	17.50	जी नहीं	ईदिरा गांधी सहाकारी अस्पताल	CSR00003359
17	विवेकानंद रॉक मेमोरियल ट्रस्ट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के लिए 50 सीटर मराइन बोट की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी नहीं	केरल	तमिलनाडु	17.00	जी नहीं	विवेकानंद रॉक मेमोरियल ट्रस्ट	लागू नहीं
18	श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, कल्लूर, एर्णाकुलम जिले में रहत और पुनर्वास केंद्र के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	15.00	जी नहीं	श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम	लागू नहीं
19	₹ 10 लाख और उससे कम की परियोजनाएं।	विभिन्न अनुसूची VII गतिविधियाँ	जी हाँ	केरल	पैन केरल	247.53	दोनों	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियाँ और प्रत्यक्ष	-
कुल						821.94			

* ₹ 10 लाख और उससे कम की समग्र परियोजना लागत वाली कई छोटे पैमाने की सीएसआर परियोजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई लघु सीएसआर परियोजनाओं सहित सभी सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी वेबसाइट पर <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab6> लिंक पर उपलब्ध है।

कोच्ची
मई 24, 2022

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

अनुलग्नक - IV

फार्म सं. एमआर-3

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन,

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरूमनूर, कोच्ची

एर्णाकुलम केरल - 682015

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में कंपनी कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा एक तरीके से आयोजित किया, जो निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए और इसमें हमारी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए रखे अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी को ऐसे तरीके में और इसके बाद किए रिपोर्टिंग के अधीन इस हद तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है:

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियम ;
- विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी सीधा निवेश, समुद्रपार सीधा निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक

इसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और मार्गनिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी एलओडीआर विनियम')

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

च. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं, और

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदी) विनियम, 2018, (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।)

vi. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा निर्देश, 2010 ('सीजी मार्गनिर्देश')

vii. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर दिशानिर्देश

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है:

- भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

- कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 01.04.2021 से 25.11.2021 तक की अवधि के लिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 (1) और अधिनियम की धारा 149 के तहत कोई महिला निदेशक नहीं थी। हालांकि, सुश्री आम्रपाली साल्वे को दिनांक 26 नवंबर 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 149 (4) के तहत अनिवार्य है, साथ ही सीपीएसई के लिए निगमित शासन दिशानिर्देशों के खंड 3.1 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 के अनुसार दिनांक 01.04.2021 से 21.11.2021 की अवधि के लिए निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। हालांकि, कंपनी द्वारा छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	पृथ्वीराज हरिचंदन	22.11.2021
2	मणि वेंकटेशन	22.11.2021
3	अशोक कुमार शर्मा	26.11.2021
4	आम्रपाली साल्वे	26.11.2021
5	नाहर सिंह माहेश्वरी	01.12.2021
6	अभिजित बिसवास	01.12.2021

3. सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 के अनुसार छह निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता दिनांक 01.05.2021 से 21.11.2021 की अवधि के लिए अनुपालन नहीं किया गया था।

4. सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 के अनुसार कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक का कोरम दिनांक 11.06.2021, 10.08.2021, 11.11.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठकों में पूरा नहीं किया गया था क्योंकि दिनांक 01.04.2021 से 21.11.2021 की अवधि के लिए कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

5. कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 18 के तहत अपेक्षित, अधिनियम की धारा 177, और दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए सीजी दिशानिर्देशों का खंड 4.1 के अनुसार एक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है। हालांकि, समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से किया गया था।

6. कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 19 के तहत अपेक्षित, अधिनियम की धारा 178, और दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए सीजी दिशानिर्देशों का खंड 5.1 के अनुसार एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है। हालांकि, समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर 2021 से किया गया था।

7. कंपनी ने दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 20 और अधिनियम की धारा 178 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर 2021 से किया गया था।

8. कंपनी ने दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत अपेक्षितानुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर 2021 से किया गया था।

9. कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 21 के तहत अपेक्षित, दिनांक 05.08.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया है। हालांकि, समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर 2021 से किया गया था।

10. बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) दोनों द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमों की निगमित शासन शर्तों का अनुपालन करने के लिए निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है :

बीएसई क्वार्टर -1

विनियम	तिमाही/माह	जुर्माना राशि/प्रति दिन - (₹)	गैर-अनुपालन के दिन - घटनाओं की सं.	जुर्माना राशि-(₹) (जीएसटी सहित)
17 (2ए)	30-जून-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-जून-2021	5,000	91	5,36,900
18(1)	30-जून-2021	2000	91	2,14,760
19(1)/ 19(2)	30-जून-2021	2000	91	2,14,760
20(2)/ (2ए)	30-जून-2021	2000	91	2,14,760
कुल				11,92,980

कंपनी की ओर से शुल्क छोड़ देने की मांग की गई है।

बीएसई क्वार्टर -2

विनियम	तिमाही/माह	जुर्माना राशि/प्रति दिन - (₹)	गैर-अनुपालन के दिन - घटनाओं की सं.	जुर्माना राशि-(₹) (जीएसटी सहित)
17 (2ए)	30-सितंबर-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-सितंबर-2021	5,000	92	5,42,800
18(1)	30-सितंबर-2021	2000	92	2,17,120
19(1)/ 19(2)	30-सितंबर-2021	2000	92	2,17,120
20(2)/ (2ए)	30-सितंबर-2021	2000	92	2,17,120
21(2)	30-सितंबर-2021	2000	57	1,34,520
कुल				13,40,480

कंपनी की ओर से शुल्क छोड़ देने की मांग की गई है।

बीएसई क्वार्टर 3

विनियम	तिमाही/माह	जुर्माना राशि/प्रति दिन - (₹)	गैर-अनुपालन के दिन - घटनाओं की सं.	जुर्माना राशि-(₹) (जीएसटी सहित)
17 (2ए)	31-दिसंबर -2021	10,000	1	11,800
17(1)	31-दिसंबर -2021	5,000	61	3,59,900
18(1)	31-दिसंबर-2021	2000	80	1,88,800
19(1)/ 19(2)	31-दिसंबर -2021	2000	80	1,88,800
20(2)/ (2ए)	31-दिसंबर -2021	2000	80	1,88,800
21(2)	31-दिसंबर-2021	2000	80	1,88,800
कुल				11,26,900

कंपनी की ओर से शुल्क छोड़ देने की मांग की गई है।

एनएसई क्वार्टर 1

विनियम	तिमाही/माह	जुर्माना राशि/प्रति दिन - (₹)	गैर-अनुपालन के दिन - घटनाओं की सं.	जुर्माना राशि-(₹)
17 (2ए)	30-जून-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-जून-2021	5,000	91	4,55,000
18(1)	30-जून-2021	2000	91	1,82,000
19(1)/ 19(2)	30-जून-2021	2000	91	1,82,000
20	30-जून-2021	2000	91	1,82,000
कुल (जीएसटी सहित)				11,92,980

कंपनी की ओर से शुल्क छोड़ देने की मांग की गई है।

एनएसई क्वार्टर 2

विनियम	तिमाही/माह	जुर्माना राशि/प्रति दिन - (₹)	गैर-अनुपालन के दिन - घटनाओं की सं.	जुर्माना राशि-(₹)
17 (2ए)	30-सितंबर-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-सितंबर-2021	5,000	92	4,60,000
18(1)	30-सितंबर-2021	2000	92	1,84,000
19(1)/ 19(2)	30-सितंबर-2021	2000	92	1,84,000
20	30-सितंबर-2021	2000	92	1,84,000
21	30-सितंबर-2021	2000	57	1,14,000
कुल (जीएसटी सहित)				13,40,480

कंपनी की ओर से शुल्क छोड़ देने की मांग की गई है।

एनएसई क्वार्टर 3

विनियम	तिमाही/माह	जुर्माना राशि/प्रति दिन - (₹)	गैर-अनुपालन के दिन - घटनाओं की सं.	जुर्माना राशि-(₹)
17 (2ए)	31-दिसंबर -2021	10,000	1	10,000
17(1)	31-दिसंबर -2021	5,000	61	3,05,000
18(1)	31-दिसंबर-2021	2000	80	1,60,000
19(1)/ 19(2)	31-दिसंबर -2021	2000	80	1,60,000
20	31-दिसंबर -2021	2000	80	1,60,000
21	31-दिसंबर-2021	2000	80	1,60,000
कुल (जीएसटी सहित)				11,26,900

कंपनी की ओर से शुल्क छोड़ देने की मांग की गई है।

11. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 38 के अधीन, एक सूचीबद्ध इकाई के लिए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 (2) और 19 ए में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन करना आवश्यक है।

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित विधियों के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 ए के तहत आवश्यक 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त नहीं की है।

भारत सरकार (व्यवसाय का आबंटन) नियम 1961 के अनुसार, इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश (सीपीएसई में इक्विटी के निवेश सहित) के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में निहित हैं। एमपीएस प्राप्त करने के लिए प्रमोटर के इक्विटी शेयरों को बेचने की शक्ति वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) में निहित है।

कंपनी ने अपने पत्र सं. एसईसी/395/2018-11 दिनांक 20 जुलाई 2020 ने सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की आवश्यकता के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय और डीआईपीएएम को सूचित किया था और अनुवर्ती पत्र भी दिनांक 09 जुलाई 2021, 01 दिसंबर 2021 और 15 मार्च 2022 को अग्रपिछत किया गया था।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) दोनों द्वारा निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है :

बीएसई

विनियम	तिमाही	लगाए जानेवाली जुर्माने की सूची	देय कुल जुर्माना (जीएसटी सहित)
38	30-जून-21	5000	536900
38	30-सितंबर-21	5000	542800
38	31-दिसंबर-21	5000	613600
कुल			16,93,300

एनएसई

विनियम	तिमाही	प्रति दिन जुर्माना राशि (रु.)	गैर-अनुपालन की दिनों की सं.	जुर्माना राशि (रु.)
38	30-जून-21	5000	91	455000
38	30-सितंबर-21	5000	92	460000
38	31-दिसंबर-21	5000	80	400000
38	31-दिसंबर-21	10,000	12	120000
कुल जुर्माना (18% जीएसटी सहित)				16,93,300

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

उपरोक्त के अधीन, इस अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों की समीक्षा की गई है और इस रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मर्दानों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां थीं जिनका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में एक प्रमुख प्रभाव था।

- सदस्यों ने दिनांक 29.09.2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.5 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के एक अंतिम लाभांश को मंजूरी दी,
- निदेशक मंडल ने दिनांक 11.11.2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति इक्विटी शेयर 6 रुपए के अंतरिम लाभांश की मंजूरी दी।
- निदेशक मंडल ने दिनांक 10.02.2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति इक्विटी शेयर 7 रुपए के दूसरा अंतरिम लाभांश के लिए अनुमोदन दिया गया।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार
पीसीएस सं.: 5782
सीपी सं.: 2486

स्थान : मुंबई
दिनांक : मई 20, 2022
यूडीआईएन : F005782D000355131

नोट : इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढा जाना है जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, कोच्ची
एर्णाकुलम, केरल - 682015

सम-तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है।

- सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
- हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं हमने जिन प्रक्रियाओं को प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
- हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की लेखा की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
- जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से अभिवेदन प्राप्त किया है।
- कार्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- पत्र सं. एमआर-3 में हमारे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु vi और vii में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दायर की गई बहियों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों का अपेक्षाओं के पालन एवं अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच विभिन्न रूपों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के फाइलिंग के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने के लिए सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री शुद्धता और व्याप्ति को सत्यापित नहीं किया है।
- सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार
पीसीएस सं.: 5782
सीपी सं.: 2486

स्थान : मुंबई
दिनांक : मई 20, 2022
यूडीआईएन : F005782D000355131

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
मई 24, 2022

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी की धारणा

- कोचीन शिपयार्ड एक आदर्श कार्पोरेट के रूप में प्रकट होने के लिए निगमित शासन का महत्व पहचानते हैं। कंपनी ने नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है जो बड़े पैमाने पर समाज और विभिन्न हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपनाया है। सीएसएल दृढ़ता से मानता है कि कंपनी केवल अच्छी और ठोस निगमित प्रशासन सिद्धांतों के माध्यम से ही एक मजबूत वैधिक नेता के रूप में उभर सकता है। लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निगमित शासन कार्यों में उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है।

निदेशक मंडल

- कोचीन शिपयार्ड के निदेशक मंडल एक अच्छा निगमित शासन सुनिश्चित करने में एक अच्छी भूमिका निभाती हैं। कंपनी के बोर्ड के संयोजन कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') के प्रावधानों द्वारा शासित है। दिनांक 31 मार्च 2022 के वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि पर बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है।

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	निदेशकों की श्रेणी
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सुरेश बाबु एन वी*	07482491	निदेशक (प्रचालन)
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक (वित्त)
5.	श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	00088957	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, भारत सरकार
6.	श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस	01650017	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, केरल सरकार
7.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे*	09415405	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
8.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी*	09419082	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
9.	श्री अशोक शर्मा*	09414565	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
10.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन*	01351097	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
11.	श्री वेंकटेशन एम*	07667728	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
12.	श्री अभिजित बिसवास*	09419083	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

*भारत सरकार के पत्तन,पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2020-सीएसएल, दिनांक 26 फरवरी, 2021 के माध्यम से उनके कार्यकाल को दिनांक 26 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दिया, अर्थात्, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक। अतः वे दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए।

*भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल द्वारा श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे, श्री नाहर सिंह माहेश्वरी, श्री अशोक शर्मा, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन, श्री वेंकटेशन एम और श्री अभिजित बिसवास को दिनांक 22 नवंबर, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित इन निदेशकों की रूपरेखा वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है। इन निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों और समिति पदों का विवरण नीचे 'अन्य निदेशकों और समिति पदों' शीर्षक के तहत प्रदान किया गया है।

- निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण : शून्य
- कंपनी के निदेशकों में से कोई भी दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं थे या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते थे, जिसमें वह एक निदेशक है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकता धारित नहीं करते हैं।

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए संगत नियमों के साथ पढ़ित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड/ समिति की बैठकों में निदेशक की भागीदारी सुविधाजनक बनाती है। निदेशकों अर्थात् श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस, श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस, श्री बिजोय भास्कर, श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे, श्री नाहर सिंह माहेश्वरी, श्री अशोक शर्मा, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन, श्री वेंकटेशन एम और श्री अभिजित बिसवास ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस सुविधा का लाभ उठाया है।

- निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट तरीके में आयोजित की गई है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पांच बोर्ड बैठकें हुई थी। बोर्ड बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण नीचे दिया जाता है :

निदेशक का नाम	2021			2022		एजीएम सितंबर 29, 2021
	जून 11	अगस्त 10	नवंबर 11	फरवरी 10	मार्च 16	
श्री मधु एस नायर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	जी हां*	जी हां*	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*	जी हां*
श्री सुरेश बाबु एन वी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां*	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां	जी हां	लागू नहीं
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां	जी हां	लागू नहीं
श्री अशोक शर्मा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां*	जी हां*	लागू नहीं
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां*	जी हां*	लागू नहीं
श्री वेंकटेशन एम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां*	जी हां*	लागू नहीं
श्री अभिजित बिसवास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां*	जी हां*	लागू नहीं

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

अन्य निदेशकता और समिति पद

- दिनांक 31 मार्च 2022 की तिथि पर निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता का पद नीचे दिया जाता है :

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		सार्वजनिक कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री मधु एस नायर	2	2	-	-	-	-
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	-	1	-	-	-	-
श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस	-	6	-	1	-	-
श्री सुरेश बाबु एन वी	-	2	-	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	2	-	-	-	-
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	-	-	-	-	-	-
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	-	-	-	-	-	-
श्री अशोक शर्मा	-	-	-	-	-	-
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	-	-	-	-	-	-
श्री वेंकटेशन एम	-	-	-	-	-	-
श्री अभिजित बिसवास	-	-	-	-	-	-

- ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों में एजेंसी निदेशकता और निदेशकता शामिल नहीं है।

- केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता विचार किया गया है।

9. निम्नलिखित को छोड़कर कोई भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च 2022 की तिथि पर कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है:

निदेशक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
श्री मधु एस नायर	1400
श्री बिजोय भास्कर	510

दिनांक मार्च 31, 2022 को निदेशक बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता का चार्ट

क्र.सं.	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	श्री मधु एस नायर	श्री बिजोय भास्कर	श्री जोस जी जे	श्री संजय बंदोपाध्याय आईएस	श्री ज्योतिराल के आर	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	श्री अशोक शर्मा	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	श्री वेंकटेशन एम	श्री अभिजित बिसवास
1.	पोत निर्माण/ मरम्मत उद्योग अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां						
2.	पोत निर्माण/ मरम्मत क्षेत्र का ज्ञान	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
3.	लेखा ज्ञान	जी हां		जी हां					जी हां	जी हां		जी हां
4.	वित्तीय/ निवेश ज्ञान	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां			जी हां	जी हां		जी हां
5.	कानून			जी हां	जी हां	जी हां		जी हां		जी हां		
6.	विपणन अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां						जी हां		जी हां
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां					जी हां		
8.	जोखिम प्रबंध प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां					
9.	मानव संसाधन प्रबंधन अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
10.	कार्यनीति/ कॉर्पोरेट योजना विकास और कार्यान्वयन	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां						
11.	अन्य सूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव											
12.	असूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां				जी हां	जी हां	
13.	अखण्डता और उच्च नैतिक मानक	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
14.	नेतृत्व कौशल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
15.	सामाजिक कल्याण अभिविन्यास	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
16.	सरकारी संबंधों से अनुभव	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

स्वतंत्र निदेशक

10. वर्ष के दौरान, एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों का पद नवंबर 2021 तक खाली रहा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के तहत सीएसएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। वर्तमान में, सीएसएल सेबी और डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

11. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू में 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए की जाती है। नियुक्ति की मुख्य शर्तें <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent> पर देखी जा सकती है।

12. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचितीकरण कार्यक्रम आम तौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति बैठकों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर अतिरिक्त आधार पर अद्यतन किया जाता है:

- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है।
- कंपनी के विभिन्न व्यापार प्रभागों के व्यापार परिस्थिति और संचालनात्मक मॉडल जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण विकास शामिल है।
- कंपनी पर प्रभाव वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव।

13. स्वतंत्र निदेशकों को परिचितीकरण कार्यक्रम का विवरण <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent> में प्राप्त किया जा सकता है।

14. बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी सूचीबद्ध विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रबंधन से स्वतंत्र थे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	मार्च 16, 2022
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	जी हां
2.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	जी हां
3.	श्री अशोक शर्मा	जी हां*
4.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	जी हां*
5.	श्री वेंकटेशन एम	जी हां*
6.	श्री अभिजित बिसवास	जी हां*

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

बोर्ड के सदस्यों को सूचना की उपलब्धता

16. कंपनी के भीतर की तथा कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड का पूरा अधिकार है। बोर्ड के बैठकों में कार्यपालकों जिनको बैठक में चर्चा की जानेवाली मद संबंधी अतिरिक्त अंतर्दृष्टि दी जा सकती है, की उपस्थिति स्वागत करती है। बोर्ड के समक्ष रख जाने के लिए साधारण रूप से आवश्यक जानकारियों में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल करना है:

- शेयरों पर अभुक्त पैसे के संबंध में शेयरधारकों को निर्देश देना।
- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राथिकृत करना।
- भारत और विदेश में ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियों को जारी करना।
- पैसा उधार में लेना।

- कंपनी की निधियों का निवेश।
- ऋण के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना या गारंटी देना या ऋण मंजूर करना
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना।
- कंपनी के व्यापार में विविधता लाना।
- समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण का अनुमोदन करना।
- कंपनी का बदलाव, या किसी अन्य कंपनी में एक नियंत्रित लाभ या पर्याप्त शेयर प्राप्त करना।
- मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या हटाव।
- आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
- निदेशकों के हित में सामान्य सूचनाएं।
- बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, परिचालन के जरिए पारित संकल्प और सहायक कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी।
- व्यापार, पूंजी बजट और किसी आधुनिकीकरण की वार्षिक प्रचालन योजनाएं।
- कंपनी और इसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की तिमाही परिणाम।
- लाभांश की घोषणा।
- सामग्री, निवेश तथा संपत्ति की बिक्री जो कारोबार के सामान्य प्रक्रिया में नहीं है।
- विदेशी मुद्रा विनिमय की अवस्थिति विनिमय दर की प्रतिकूल गति के जोखिम सीमित करने के लिए प्रबंध द्वारा लिए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण है, का तिमाही विवरण।
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों तथा बाह्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (लेखा परीक्षा समिति के जरिए)
- कारोबार जोखिम विवरणों की स्थिति, उसके प्रबंध और संबंधित क्रिया योजनाएं।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौता का विवरण।
- कारण दिखाने, माँग, अभियोजन सूचनाएं और दंड सूचनाएं जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरात्मक घटनाएं, किसी भी द्रव्यात्मक स्रव अथवा प्रदूषण समस्याएं।

- कार्यान्वयन के लिए विचार किए तथा शुरू किए सभी नीति संबंधी मामलों।
- कंपनी को या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त और भुगतान तथा कंपनी को या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री चूक है।
- कोई भी मुद्दे जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावों शामिल हो, जो कंपनी के आधार पर पारित गुण-दोष व्यवस्था हो, या एक अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण लिए हो, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी।
- किसी भी नियामक का गैर अनुपालन, सांविधिक या सूचीकृत आवश्यकताएं तथा शेयरधारकों की सेवाएं अर्थात् लाभांश का गैर-भुगतान, शेयर स्थानांतरण में देरी आदि।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं तथा उसके प्रस्तावित समाधान मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण विकास।
- पूंजीगत बजट और कोई भी अपडेट।
- लेनदेन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपत्ति की ओर सारभूत भुगतान शामिल है।
- विदेशी मुद्रा अरक्षितता का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण है, के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

पहले से वितरित बोर्ड सामग्री

17. आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठकों की सूचना पहले ही सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के साथ आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड बैठकों / समितियों के लिए कार्यसूची टिप्पणियां अध्यक्ष से परामर्श करके प्रारूपित और निश्चित कार्यसूची प्रपत्र में पहले ही सात दिनों के भीतर निदेशकों को परिचालित किया गया। बैठक में अर्थपूर्ण एवं संकेन्द्रित चर्चाओं की सुविधा के लिए सभी सामग्री की जानकारी शामिल किया है। जहाँ यह साध्य नहीं हो कि दस्तावेज को संलग्न करना कार्यसूची के साथ किसी उक्त विषय कार्यसूची के विषय के विशिष्ट संदर्भ के साथ पर रखे जाते हैं। विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से कार्यसूची पर अतिरिक्त या पूरक मद (मदें) अनुज्ञप्त है।

18. सीएसएल ने अपनी बैठकों को एक बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की शुरुआत से जैसे डेस डिजिटल बैठक, जो डिजिटल प्रारूप में बैठक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सृजित करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड और समिति के सदस्यों को सही समय पर और सुरक्षित रूप से सूचना प्राप्त होता है। यह बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यसूची दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने तक पूरी बैठक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी और शासन में सुधार होगा।

बोर्ड एवं समिति बैठकों में कार्यवृत्त का कार्यवाहियों का अभिलेखन

19. प्रत्येक बोर्ड और समिति बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाहियों का अभिलेख कंपनी सचिव करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड/ समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित करता है। अंतिम कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करता है।

बैठक के बाद आगे की कार्यवाही तंत्र

20. बोर्ड / समिति बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तुरंत संबंधित विभागों/ प्रभागों को भी भेजी जाती है। बोर्ड /समिति को आगामी बैठकों में प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाता है।

अनुपालन

21. बैठक (बैठकों) की कार्यसूची पर टिप्पणी, कार्यवृत्त आदि तैयार करते वक्त लागू कानूनों तथा विनियमों का पालन आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने को कंपनी सचिव जिम्मेदार है जिसमें कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े और उसके तहत बनाए जारी नियमों और कंपनी सचिव सहित संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानकों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भी शामिल हैं।

बोर्ड समितियां

22. वर्ष के दौरान, एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों का पद नवंबर 2021 तक खाली रहा। पत्तन,पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के तहत सीएसएल के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। इसके बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से सांविधिक समितियों का पुनर्गठन किया गया।

23. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड में पांच सांविधिक समितियां थीं, जैसे, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति।

लेखा-परीक्षा समिति

24. सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 21 अगस्त 2008 को किया गया था। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारार्थ विषय

25. लेखा-परीक्षा समिति का विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

- सूचीबद्ध संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसके वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का निरीक्षण से यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
- भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर हमारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की मंजूरी;
- निम्न विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना:

क. निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करनेवाले अपेक्षित मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,

ख. लेखांकन नीतियों और कार्यों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उस के लिए कारण,

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां,

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय वक्तव्यों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन,

च. किसी भी संबंधी पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

(v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।;

(vi) प्रबंधन के साथ, मुद्दे (सावर्जनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमान्य मुद्दे आदि) के जरिए उठाए गए निधियों का उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/नोटिस में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त निधियों का विवरण और सावर्जनिक या अधिकार मुद्दे के आय के उपयोग की जांच करते हुए निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा करना और इस मामले पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिश देना।

(vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविता की समीक्षा और जांच करना;

(viii) संबंधी पार्टियों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन के लिए अनुमोदन या किसी आगामी संशोधन;

(ix) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(x) जहां भी आवश्यक हो, हमारी कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(xii) प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना,

(xiv) कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और इसपर अनुवर्ती कार्रवाई;

(xv) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में जहां सामान प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या एक विफलता, पर कोई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को मामले के बारे में सूचित करना;

(xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा विषय के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही साथ विचार के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट-ऑडिट चर्चा;

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर ध्यान दें;

- (xviii)पर्दाफाश तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना;
- (xix)उम्मीदवार के योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन;
- (xx)निम्नलिखित सूचना की समीक्षा:

क. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कार्रवाई का परिणाम,

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन का महत्वपूर्ण विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार)

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों का प्रबंधन पत्र/पत्रों,

घ. आंतरिक लेखा कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

च. विचलन का विवरण:

(i) निरीक्षण अभिकरण की रिपोर्ट सहित विचलन के तिमाही विवरण, यदि लागू हो, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया है;

(ii) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (7) के अनुसार पेशकश दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स/नोटिस में बताए कार्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण;

(xxi)नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

(xxii)नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

(xxiii)लेखापरीक्षा समिति नियंत्रित कंपनी जो 100 करोड़ से अधिक है, या नियंत्रित कंपनी के परिसंपत्ति आकार 10% से अधिक हो, जो भी कम हो, जिसमें इस प्रावधान लागू होने की तिथि को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं, होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करेगी।

(xxiv)वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संशोधितानुसार, सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।

(xxv)सत्यापित करें कि आंतरिक नियंत्रण के लिए संशोधितानुसार अपेक्षित प्रणाली सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं : तथा

(xxvi)समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य किसी कार्यों को करना।

लेखा-परीक्षा समिति का अधिकार

26. निम्नलिखित अधिकार समिति को सौंप दिया जाता है:

क) अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधि का जांच करना।

ख) किसी कर्मचारी पर और से सूचना तलाशना।

ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाह्य कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना;और

घ) यदि आवश्यक समझते हैं, तो संगत विशेषज्ञता सहित बाहरी आदमियों की उपस्थिति प्राप्त करना।

27. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंध से संबंधित किसी मामला पर लेखा- परीक्षा समिति का सिफारिश, बोर्ड पर बाध्य होगा।

28. यदि बोर्ड लेखा-परीक्षा समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह इसका कारण अंकित करेगा और शेरधारकों को ऐसा कारण संसूचित करेगा।

गठन

29. दिनांक 31 मार्च, 2022 को, सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति में श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन: 01351097), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और श्री अभिजीत विश्वास (डीआईएन: 09419083) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

30. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त), सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भाग लिया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक फर्म को बाह्यस्रोतीकृत किया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति

31. वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	फरवरी 10, 2022
1.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	जी हां*
2.	श्री अशोक शर्मा	जी हां*
3.	श्री अभिजीत विसवास	जी हां*

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

नामांकन व पारिश्रमिक समिति

32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पारिश्रमिक समिति, दिनांक 13 दिसंबर 2008 को स्वीकृत परिपत्र संकल्प के द्वारा गठित की गई। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

विचारणीय विषय

33. नामांकन व पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(i) कंपनी अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/ निष्पादन भुगतान/ परिवर्तनीय पूल दिवस व नीति का निर्णय करना,

(ii) अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों को प्रदान करने वाले परिलब्धियों और भत्ताओं के लिए योजना की संरूपण और संशोधन,

(iii) अधिकारियों, असंघीकृत पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के किसी नई योजना जैसी चिकित्सा योजना, पेंशन आदि जैसे मामला हों, और

(iv) सेबी सूचीकरण विनियमों और अन्य किसी कानून के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपे गए अन्य भूमिकाओं और समय-समय पर इसके संशोधनों का प्रयोग करना।

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कुल मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते और अनुलब्धियां	कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी)	कुल
1.	श्री मधु एस नायर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	59.52	25.01	84.53
2.	श्री सुरेश बाबु एन वी* निदेशक (प्रचालन)	21.16	21.51	42.67
3.	श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	46.42	20.75	67.17
4.	श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त)	39.58	16.70	56.28

*कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री सुरेशबाबू एन वी ने दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को अपना पद खाली कर दिया।।

गठन

34. दिनांक 31 मार्च, 2022 को, समिति में श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री ज्योतिलाल के आर (डीआईएन: 01650017), सरकारी अंशकालिक निदेशक और श्री अभिजीत विश्वास (डीआईएन: 09419083) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकें तथा उपस्थिति:

35. वर्ष 2021-22 के दौरान नामांकन व पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार था :

क्र.सं.	सदस्यों का नाम	जनवरी 22, 2022
1.	श्री अशोक शर्मा	जी हां*
2.	श्री ज्योतिलाल के आर	जी हां*
3.	श्री अभिजीत विसवास	जी हां*

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

पारिश्रमिक नीति

36. कंपनी की संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित जैसे पारिश्रमिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को वेतन और भत्ते नियुक्ति की शर्तों, उपर्युक्त विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप में और अन्य लाभ और परिलब्धियां सीएसएल के नियमों के अनुरूप में दिया जाता है। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय (पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित रूप में हैं। कामगारों का पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के बीच दीर्घकालीन समझौता के अनुसार है।

37. पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

टिप्पणियां

(क) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पीआरपी 2019-20 की अवधि से संबंधित है, जिसका भुगतान 2021-22 के दौरान किया गया है। पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पीआरपी कंपनी के सभी अधिकारियों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू निष्पादन भुगतान योजना के अनुसार है, जिसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का पारिश्रमिक, कार्यकाल और अन्य नियम व शर्तें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा जारी पत्र के अनुसार हैं। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोड़ने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

बैठक शुल्क

38. दिनांक 10 फरवरी, 2022 को आयोजित 263 वीं बोर्ड बैठक में संकल्प संख्या 263/17 के तहत गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 25,000/- रुपए और समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए 20,000/- रुपए करके संशोधित किया गया है। सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>

39. वर्ष 2021-22 के लिए गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की बैठक शुल्क का भुगतान निम्नानुसार

क्र.सं.	नाम	शुल्क (रुपए में)
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	90,000
2.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	70,000
3.	श्री अशोक शर्मा	90,000
4.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	70,000
5.	श्री वेंकटेशन एम	70,000
6.	श्री अभिजित बिसवास	90,000

40. चूंकि भारत के राष्ट्रपति गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करते हैं, इसलिए ऐसे निदेशकों की निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति

41. दिनांक 20 सितंबर 2016 को आयोजित 227 वीं बोर्ड बैठक में संकल्प सं. 227/08 द्वारा हितधारक संबंध समिति, बोर्ड की एक उप-समिति, को गठित किया गया। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से हितधारकों की संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया।

संदर्भ की शर्तें

42. हितधारक संबंधी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:

- कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अंतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की अप्रति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि शामिल हैं
- शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्य के लिए किए गए उपायों की समीक्षा,
- रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अदावे लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

गठन

43. दिनांक 31 मार्च, 2022 को, समिति में श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन: 07667728), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल है।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित हितधारकों की संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति

44. हितधारकों की संबंध समिति की एक बैठक 2021-22 के दौरान आयोजित की गई थी। इस बैठक में आवश्यक कोरम उपस्थित थी। इस बैठक के दौरान उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	फरवरी 10, 2022
1.	श्री वेंकटेशन एम	जी हां*
2.	श्री बिजोय भास्कर	जी हां
3.	श्री जोस वी जे	जी हां

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

अनुपालन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015
टेली : +91 (484) 2501306, फैक्स: +91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in,
वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

दि. 31 मार्च 2022 की तिथि पर और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 13(3) के तहत रिपोर्ट की गई निवेशक शिकायतों की स्थिति

दि. 01 अप्रैल 2021 की तिथि पर शिकायत	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	4
वर्ष के दौरान हल किया गया	4
शेयरधारकों के समाधान तक नहीं सुलझाया	0
दि. 31 मार्च 2022 की तिथि पर लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन

45. सीएसएल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 08 फरवरी 2019 को सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप किया गया था। समिति के गठन से पहले, बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर जोखिमों की समीक्षा की गई थी। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया।

46. दिनांक 31 मार्च, 2022 को, समिति में श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल है।

विचारार्थ विषय

47. निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन के विचारार्थ विषय हैं:

- साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम सहित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा।
- यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जोखिम दस्तावेजीकरण तिमाही आधार किया जाता है।
- जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन प्रदान करें और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करना।

(iv) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

48. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	मार्च 29, 2022
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	जी हां*
2.	श्री बिजोय भास्कर	जी हां
3.	श्री जोस वी जे	जी हां

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति

49. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 05 सितंबर 2008 को हुई 181 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड में एक उप समिति का गठन (संकल्प सं. 181/09 देखें) किया था।

50. दिनांक 23 नवंबर 2011 को हुई 197 वीं बोर्ड बैठक में धारणीय विकास समिति, बोर्ड के एक उप समिति गठित की गई। सीपीएसईयों में धारणीय विकास पर डीपीई ने का.ज्ञा.सं. 3(9)/2010- डीपीई (एमओयू) 23 सितंबर 2011 द्वारा धारणीय विकास पर विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किया है।

51. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामलों को तय करने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और धारणीयता विकास समिति को संविलीन करने हेतु निर्णय लिया था।

विचारार्थ विषय

52. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:

- बोर्ड को सीएसआर और धारणीय विकास नीति सिफारिश करना।
- कार्रवाई योजना और परियोजनाएं जो सीएसआर और धारणीय विकास के लिए अल्प, माध्यम और दीर्घ काल में शुरू करना है, सिफारिश करना।
- वार्षिक सीएसआर व धारणीयता विकास योजना और बजट की सिफारिश करना।

(iv) सीएसआर और धारणीय विकास नीति, योजनाएं तथा बजटों का आवधिक समीक्षा।

गठन

53. दिनांक 31 मार्च, 2022 को, समिति में श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन: 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री विजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

आम निकाय बैठकें

55. पिछली तीन वार्षिक आम निकाय बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2020-21	सितंबर 29, 2021	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	शून्य
2019-20	सितंबर 29, 2020	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	3
2018-19	अगस्त 13, 2019	11:00 घंटे	दि मर्सी होटल, एम.जी. रोड, रविपुरम, कोच्चि - 682015	शून्य

पोस्टल मतदान

56. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डाक मतदान द्वारा कोई संकल्प नहीं दिया गया था।

57. आगामी एजीएम में किए जानेवाले प्रस्तावित व्यवसायों में से किसी को भी डाक मतदान के जरिए एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचार का माध्यम

58. सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी और मामले जो शेयरधारक के लिए महत्वपूर्ण हैं, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं को प्रकट किया जाता है। एक्सचेंजों को सभी प्रस्तुतीकरण संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

59. तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे

तिमाही/ अर्ध वार्षिक/ वार्षिक	महीने में
30 जून 2021 को समाप्त तिमाही	अगस्त
30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही /अर्ध वार्षिक	नवंबर
31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	फरवरी
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मई

वर्ष 2021-22 के दौरान हुई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति की बैठकें और उपस्थिति:

54. वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर एवं एस डी समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति नीचे दी हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	जनवरी 22, 2022
1.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	जी हां*
2.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	जी हां*
3.	श्री विजोय भास्कर	जी हां*
4.	श्री जोस वी जे	जी हां

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

60. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक परिणाम, सामान्य बैठकों से संबंधित सूचना और जानकारी इत्यादि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे दि बिजनेस लाइन (अखिल भारतीय प्रकाशन), मातृभूमि (कोचीन प्रकाशन) और जनसत्ता (सभी प्रकाशन) में प्रकाशित किए जाते हैं और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत अपेक्षित अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाता है।

61. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम और शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजों को अन्य सूचना, अन्य बातों के साथ साथ, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों, प्रेस विज्ञप्ति आदि कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोससिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ बीएसई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ भी फाइल किया जाता है।

62. त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक परिणामों के लिए संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के सामने प्रस्तुत प्रस्तुति 'निवेशक' खंड के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

66. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	लाभांश प्रति शेयर (₹)	अंतरिम लाभांश प्रति शेयर (₹)	
2021-22	3.75	01- 6.00	02- 7.00
2020-21	2.50	01- 9.00	02- 4.00
2019-20	15.00	1.63	

शेयरों के सूचीकरण और स्टॉक कोड :

67. कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वर्ष 2021-22 के लिए लिस्टिंग शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को चुकाया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों का नाम व पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड फिरोस जिजीभोई टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	540678
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लासा, 5वां तल, बांद्रा-कुरला कोम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	COCHINSHIP



68. कंपनी के शेयरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE704P01017 है।

69. पिछले वित्त वर्ष के प्रत्येक महीने के दौरान (यानी समीक्षाधीन वर्ष) बाजार मूल्य डेटा- उच्च, निम्न:

व्यापार की गई शेयरों का मूल्य और मात्रा

माह/ वर्ष	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड		
	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)
अप्रैल 2021	383.45	342.25	2.40	382.50	340.50	30.05
मई 2021	402.00	363.00	4.75	402.50	362.30	78.10
जून 2021	433.75	375.70	11.72	433.90	375.40	182.11
जुलाई 2021	402.45	369.00	5.34	402.60	368.75	61.97
अगस्त 2021	380.90	345.00	3.84	380.95	345.10	42.00
सितंबर 2021	380.90	352.50	3.46	379.75	352.55	44.94
अक्टूबर 2021	381.00	347.60	4.33	381.30	347.10	54.02
नवंबर 2021	383.25	337.25	4.17	383.00	337.00	47.23
दिसंबर 2021	359.60	328.00	1.92	360.00	328.00	23.55
जनवरी 2022	358.90	328.00	2.09	358.60	327.90	22.58
फरवरी 2022	347.65	285.00	4.33	348.00	285.05	34.71
मार्च 2022	313.70	281.00	5.53	312.95	280.75	44.06

व्यापक आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन



निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण

लागू नहीं

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए)

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू,
सेन्टिल नगर के पीछे,
सौरिपालयम रोड, कोयम्बतूर,
तमिलनाडु - 641 028
टेलि: 0422 2315792; फैक्स: 0422 2314792
ई मेल: coimbatore@linkintime.co.in

शेयर ट्रांसफर सिस्टम

70. कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैट सूची में होने के कारण जमाकर्ता प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरणीय है।

शेयर होल्डिंग का वितरण

71. दि. 31 मार्च 2022 को फोलियो की संख्या के आधार पर शेयर होल्डिंग का वितरण

धारित शेयरों की संख्या	सदस्य		शेयर	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	167679	96.5159	10047199	7.64
501-1000	3405	1.9599	2616031	1.99
1001-2000	1430	0.8231	2087713	1.59
2001-3000	451	0.2596	1146481	0.87
3001-4000	197	0.1134	698394	0.53
4001-5000	164	0.0944	762765	0.58
5001-10000	189	0.1088	1360666	1.03
>10000	217	0.1249	112821141	85.77
कुल	173732	100.0000	131540390	100.00

शेयरों और लिक्विडिटी का डिमेटोरियलाइजेशन

72. कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमेटोरियलाइज्ड रूप में व्यापार किया जाता है और दोनों जमाकर्ताओं यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल पर व्यापार के लिए उपलब्ध है।

धारित शेयरों की प्रतिशतता:

भौतिक रूप से	:	0.00
एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में:	:	88.82
सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में:	:	11.18

कंपनी के शेयर नियमित रूप से बीएसई और एनएसई पर व्यापार किया जाता है।

बकाया वैश्विक डिपोजिटरी सरीद (जीडीआर) या अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद (एडीआर) या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कोई नहीं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और गतिविधियों की प्रतिरक्षा

73. कंपनी को बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति और बाजार स्थितियों के आधार पर विदेशी मुद्रा अनावरण हेड्ज किया जा रहा है।

74. कंपनी विदेशी मुद्रा बाजार में उतर चढ़ाव पर निरंतर निगरानी रख रही है और कार्यशील पूंजी प्रबंधन के भाग के रूप में क्रेता क्रेडिट आदि जैसे विदेशी मुद्रा उधारों के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। विदेशी मुद्रा अनावरण और हेड्जिंग स्थिति की अवस्था लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है।

संयंत्र स्थान

• पोत निर्माण व पोत मरम्मत सुविधा, पेरुमानूर, एर्णाकुलम जिला, कोच्ची- 682 015

- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा: मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, विल्लिंगडन आइलैंड, कोच्ची- 682 009
- इन्दिरा डॉक, मुंबई में पोत मरम्मत सुविधा
- नेताजी सुबाष डॉक, कोलकाता में पोत मरम्मत सुविधा
- मराइन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत सुविधा

पत्राचार के लिए पता:

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015
टेलि: +91 (484) 2501306, फैक्स: +91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

साख दर

दस्तावेज	आईएसआईएन	दर- निर्धारण
8.51% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07014	केयर रेटिंग द्वारा AAA
8.72% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07030	केयर रेटिंग द्वारा AAA

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

75. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई सारत; महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बड़े पैमाने पर संघर्ष थे या संघर्ष हो सकते थे। कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन की एक नीति है, जिसे निम्न लिंक पर प्राप्त कर सकता है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

76. पिछले तीन साल के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या भारत के प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ सख्त नहीं लगाया गया है।

वर्ष	प्राधिकारी का नाम	गैर अनुपालन का स्वरूप	गैर अनुपालन की अवधि	लगाए गए जुर्माने/ जुर्माने की राशि	अभ्युक्तियां
2019-20	बीएसई व एनएसई	एक महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना।	जून 20, 2019 से जुलाई 28, 2019	₹ 1,95,000 (प्रत्येक @18% जीएसएटी युक्त)	चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और भारत सरकार द्वारा की जानी है, अतः कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आदार पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया गया था।
2020-21	बीएसई व एनएसई	बोर्ड की बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करना अर्थात कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक न होना।	जुलाई 15, 2020 से सितंबर 30, 2020	₹ 10,000 (प्रत्येक @18% जीएसएटी युक्त)	दिनांक 15 जुलाई 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना है, कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है। बीएसई ने जुर्माना माफ कर दिया है और एनएसई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
		एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना।	अक्टूबर 01, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹ 4,60,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	दिनांक 15 जुलाई 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना है, कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है। बीएसई ने जुर्माना माफ कर दिया है और एनएसई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
		लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में गैर अनुपालन।	अक्टूबर 15, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹ 1,56,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	
		नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में गैर अनुपालन।	अक्टूबर 15, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹ 1,56,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	
	बीएसई व एनएसई	हितधारकों संबंधी समिति के गठन के संबंध में गैर-अनुपालन	अक्टूबर 15, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹ 1,56,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	
		न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता का अनुपालन न करना	दिसंबर 20, 2020 से मार्च 31, 2021	₹ 5,05,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	सीएसएल ने सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एफएफओ-6 के हिस्से के रूप में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के ज़रिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेयरों की बिक्री (2.35%) के माध्यम से फरवरी 2020 में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी हासिल की। इस लेनदेन को नियमित करने हेतु आवेदन डीआईपीएएम द्वारा सेबी को भेजा गया था। कंपनी ने बीएसई और एनएसई को लगाए गए जुर्माने की छूट के लिए अनुरोध भेजा है।

वर्ष	प्राधिकारी का नाम	गैर अनुपालन का स्वरूप	गैर अनुपालन की अवधि	लगाए गए जुर्माने/ जुर्माने की राशि	अभ्युक्तियां
	एनएसई	बोर्ड की बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं के संबंध में गैर-अनुपालन अर्थात कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक न होना।	अक्टूबर 01, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹ 20,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	दिनांक 15 जुलाई 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना है, कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है। बीएसई ने जुर्माना माफ कर दिया है और एनएसई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
2021-22	एनएसई और बीएसई	महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता सहित बोर्ड की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करना	अप्रैल 01, 2021 से नवंबर 25, 2021	₹ 12,20,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2022 के एमओपीएसडब्ल्यू के पत्र के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 22 नवंबर, 2021 को एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। कंपनी ने लगाए गए जुर्माने से छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है।
		बोर्ड की बैठकों के कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करना।	अप्रैल 01, 2021 से नवंबर 21, 2021	₹ 30000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	
		लेखा परीक्षा समिति के गठन का गैर-अनुपालन	अप्रैल 01, 2021 से दिसंबर 20, 2021	₹ 526,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	
		नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन का अनुपालन करना	अप्रैल 01, 2021 से दिसंबर 20, 2021	₹ 526,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	
		हितधारक संबंध समिति के गठन का गैर-अनुपालन	अप्रैल 01, 2021 से दिसंबर 20, 2021	₹ 526,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	
		जोखिम प्रबंधन समिति के गठन का गैर-अनुपालन	अगस्त 05, 2021 से दिसंबर 20, 2021	₹ 274,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	
		न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता का अनुपालन न करना	अप्रैल 01, 2021 से दिसंबर 31, 2021	₹ 14,35,000 प्रत्येक (@18% जीएसटी सहित)	सीएसएल ने सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एफएफओ-6 के हिस्से के रूप में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के ज़रिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेयरों की बिक्री (2.35%) के माध्यम से फरवरी 2020 में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी साहिल की। इस लेनदेन को नियमित करने हेतु आवेदन डीआईपीएएम द्वारा सेबी को भेजा गया था। कंपनी ने बीएसई और एनएसई को लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध भेजा है।

वर्ष के दौरान, एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों का पद नवंबर 2021 तक खाली रहा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के तहत सीएसएल के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। इसके पश्चात, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया गया।

सतर्कता तंत्र और मुखबिर नीति

77. दिनांक 22 फरवरी 2012 को हुई बोर्ड के 198 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार कोचीन शिपयार्ड ने एक मुखबिर नीति को स्वीकार किया। कोचीन शिपयार्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है और किसी भी अबैध या अनैतिक व्यवहार के रिपोर्ट पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करता है। किसी भी नियमों का उल्लंघन, विनियमों या अनैतिक आचरणों के विवरण, निदेशकों/कर्मचारियों/हितधारकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्य है और सुनिश्चित करें कि पर्दाफाश किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं रहा। रिपोर्टाधीन अवधि में किसी कार्मिक ने लेखा परीक्षा समिति को प्रवेश निषेध नहीं किया गया है। दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में बोर्ड ने अपनी मुखबिर नीति में संशोधन किया। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूँकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, सीएसएल ने 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर उक्त पॉलिसी उपलब्ध है।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता:

78. कंपनी को भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में अपने नामित व्यक्तियों के लिए अंतरंगी व्यापार के रोकथाम हेतु एक आचरण संहिता है। कोड दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हैं, जो कंपनी के शेयरों के लेनदेन के समय और उल्लंघनों के परिणामों की चेतावनी देते समय प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रकटन किया जाना चाहिए के संबंध में उन्हें सलाह देते हैं। अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पत्र होस्ट की जाती है और निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

अनिवार्य अपेक्षाएं:

79. सभी लागू निगमित कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा बोर्ड के सामने उनकी जानकारी एवं समीक्षा के लिए रखी जाती है। कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के विनियम 17 से 27 तक और उप विनियम (2) के खंड (ख) से (i) में विनिर्दिष्ट अनुसार निगमित शासन संहिता के सभी अनिवार्य अपेक्षाओं उपर्युक्त सूचितानुसार निदेशक मंडल के गठन को छोड़कर, का पालन किया है अर्थात् एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्त और सांविधिक समितियों से संबंधित परिणामी अनुपालन।

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

80. कंपनी ने निगमित शासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों के निम्नलिखित गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची II के भाग ई के साथ पढ़े गए विनियम 27 (1) में सूचीबद्ध गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है। कंपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती रही है।

सहायक कंपनी

81. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 एक भौतिक सहायक को एक सहायक कंपनी के रूप में परिभाषा करता है, जिसकी आय या निवल मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसके सहायक कंपनी के क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के 10% से अधिक है। इस परिभाषा के तहत, कंपनी को भारत में निगमित कोई असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

82. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ कार्य करते हुए दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। हालांकि, दिनांक 01 नवंबर 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा, कंपनी ने दिनांक 15 सितंबर 2020 से सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, टीएसएल दिनांक 15 सितंबर 2020 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। इसके बाद 22 अप्रैल 2022 से टीएसएल का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) कर दिया गया।

83. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16(1) (सी) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार की है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर प्रकाशित किया गया है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

84. निगमित शासन दिशा निर्देशों की आवश्यकता की अनुसार अनुपालन का विवरण:

निगमित शासन के डीपीई दिशा निर्देश के संदर्भ में इस रिपोर्ट के लिए निगमित शासन दिशा निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में प्राकटीसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र **अनुलग्नक I** में रखा गया है।

85. चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देशों की विवरण तथा उसका अनुपालन:

कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देश का अनुपालन किया है।

86. खाते की पुस्तकों में व्यय के मदों को लिखा गया है, जो बिसिनस के प्रयोजनों के लिए नहीं है : शून्य

87. किए गए खर्च, जो व्यक्तिगत है और उच्चतम प्रबंधन और बोर्ड निदेशकों के लिए है : शून्य

वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय कुल व्यय के 1.73% था तो 2020-21 में 2.05% था। वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय व्यय कुल व्यय के 1.75% था जो पिछले साल में 2.29% था।

88. व्यवहार में, कंपनी सचिव के एक प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक सेबी/कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय/ या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक II** में संलग्न किया है।

89. कंपनी ने मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कंपनी, कंपनी सेवा प्रदान करनेवाले सांविधिक लेखापरीक्षक और नियंत्रित कंपनियों को ₹ 26.24 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

क. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	1
ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	1
ग. वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

आचरण संहिता

90. बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध को एक आचरण संहिता ('संहिता') निर्धारित किया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों को वर्ष 2021-22 के लिए इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। संहिता कंपनी के वेबसाइट में होस्ट किया गया है और https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

91. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई एक घोषणा नीचे दिया गया है:

मैं एतद्वारा पुष्टि करती हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों, से अभिपुष्टि प्राप्त की है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के साथ अनुपालन किया है।

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

92. वर्ष, के लिए वित्तीय विवरणी का सीईओ/सीएफओ प्रमाणन **अनुलग्नक III** में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

93. सीएसएल ने मौजूदा जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की और दिनांक 12 फरवरी 2021 को आयोजित बोर्ड की 259 वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करते हुए एक संशोधित नीति को अपनाया। नए जोखिम प्रबंधन नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

(i) जोखिम प्रबंध दूरदर्शिता विवरण : संगठनात्मक जोखिमों को एक स्वीकार्य स्तर तक कम करें और जोखिम प्रबंध कार्यों को अपनाए जिससे कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब उसी समय जोखिम की कमी सुनिश्चित होती है।

(ii) जोखिम प्रबंधन नीति:

(क) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, जोखिमों को रोकने और समय पर जोखिमों का पता लगाना सुनिश्चित करने की कंपनी की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जोखिम और उसके समान की पहचान करना।

(ग) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना है।

(घ) जोखिम की सूचना का आदान प्रदान सुगम करें।

94. जोखिम प्रबंधन नीति, एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढाँचा और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। कोचीन शिपयार्ड के

प्रबंधन समय समय पर विविध जोखिमों की पहचान करेंगे और कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण का आकलन करेंगे। जोखिम का शमन और प्रबंध उपायों को, इन जोखिमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बोर्ड व्यापार माहौल में परिवर्तन के साथ नीति को श्रेणीबद्ध करने के लिए समय समय पर परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन देंगे।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और संरचना

95. बोर्ड ने सीएसएल के भीतर जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बोर्ड आवधिक अंतराल पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल बोर्ड स्तर को और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों

ख. विविध मालों के सूचीबद्ध का अनावृत्ति:

माल का नाम	विशेष माल की ओर आईएनआर में अनावृत्ति	विशेष माल की ओर मात्रा के संदर्भ में अनावृत्ति	माल व्युत्पन्नों के जरिए हेडज किए अनावृत्ति का प्रतिशत				
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
स्टील	₹17.79 करोड़	2520.19 टन	-	-	-	-	

ग. इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित जोखिम से बचने के लिए, कंपनी पोत निर्माण अनुबंध के हस्ताक्षर के समय सांतर वितरण के साथ सभी मुख्य इनपुट के लिए आदेश प्रस्तुत करती है। अनुमानित लागत पर पहुँचने के लिए किए अनुमानों के साथ प्रस्तावों की जांच की जाती है। पोत मरम्मत के मामले में, मुख्य घटकों को सामान्य तौर पर लागत के आधार पर पोत मालिकों को आपूर्ति की जाती है क्योंकि घटक सामान्य रूप से मालिकों की पसंद होते हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

98. कंपनी प्रत्येक ₹ 10 के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों जारी किया है, जिसका विवरण दिनांक 31 मार्च 2022 को निम्नानुसार है

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारक %
केंद्र सरकार	1	95843464	72.8624
क्लियरिंग सदस्य	105	187820	0.1428
अन्य निकाय कॉर्पोरेट	519	1948119	1.481
निदेशक	2	1910	0.0015
हिंदू अविभाजित परिवार	4850	808188	0.6144
म्यूचुअल फंड	7	3005540	2.2849
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	1	110	0.0001
विदेश वाले प्रवासी भारत	2627	1890979	1.4376
अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	1131	366524	0.2786
सार्वजनिक	164362	20996372	15.9619
ट्रस्ट	6	19240	0.0146
बीमा कंपनियां	6	2592807	1.9711
निगमित निकाय-सीमित देयता भागीदारी	37	237052	0.1802
विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (वैयक्तिक)	3	3700	0.0028
विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (निगमित)	73	3595565	2.7334
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	1	3000	0.0023
वैकल्पिक निवेश कोष - III	1	40000	0.0304
कुल	173732	131540390	100.0000

शामिल सीएसएल प्रबंधन को जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के कार्यान्वयन सात जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में सीएसएल में नीति को कार्यान्वित करने के लिए जोखिम प्रबंध समितियों और जोखिम प्रबंध संचालन समितियों को गठित की गई।

96. सीएसएल द्वारा किए गए व्यापार की विशेष प्रकृति के कारण, यह अपने माल से संबंधित जोखिमों दूर करता है :

97. पूरे वर्ष में संस्था द्वारा सामना की जानेवाली माल और माल जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजर :

क. माल में सूचीबद्ध इकाई का कुल अनावृत्ति (आईएनआर में):
₹ 17.79 करोड़

संचार का साधन

99. बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों में विज्ञापित किया जाता है और साथ ही इसके अभिग्रहण के बाद 48 घंटे के भीतर अखिल भारत में प्रचालन प्राप्त एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकी और कम से कम एक मलयालम राष्ट्रीय दैनिकी कोचची एडिशन में प्रकाशित भी किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट www.cochinshipyard.in वेबसाइट में विज्ञापित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट सभी सरकारी विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा योग्यताएं

100. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मै. एलियास जॉर्ज व कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

101. सचिवीय लेखापरीक्षकों, मेसर्स मेहता और मेहता ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित पर ध्यान दिया, जैसे न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं के संबंध में गैर-अनुपालन, सीएसएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना और परिणामी गैर-अनुपालन सहित, सांविधिक समितियों का गैर-संविधान, अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति। इसके अलावा, शेयर बाजारों जैसे बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) द्वारा उक्त गैर-अनुपालनों के कारण लगाए गए जुर्माने के संबंध में विवरण भी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

102. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के लिए बोर्ड का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 (ए) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के ज़रिए की जाती है। एमओपीएसडब्ल्यू ने दिनांक 22 नवंबर, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016- सीएसएल के ज़रिए दिनांक 22 नवंबर, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से सभी वैधानिक समितियों का पुनर्गठन किया गया।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के संबंध में, कंपनी के पास पहले से ही 27.14% सार्वजनिक शेयरधारिता है। हालांकि, सेबी का अवलोकन यह था कि ऊपर के रूप में

एमपीएस की प्राप्ति सेबी द्वारा अधिसूचित विनिवेश के तरीकों के माध्यम से नहीं था।

भारत सरकार (व्यवसाय का आबंटन) नियम 1961 के अनुसार, केंद्र सरकार के इक्विटी में निवेश (सीपीएसई में इक्विटी के विनिवेश सहित) के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) में निहित हैं। एमपीएस प्राप्त करने के लिए प्रमोटर के इक्विटी शेयरों को बेचने का अधिकार वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) में निहित है।

कंपनी ने दिनांक 20 जुलाई, 2020 के अपने पत्र सं. एसईसी/395/2018- II के ज़रिए सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय और डीआईपीएम को सूचित किया था और एक अनुवर्ती पत्र भी था। दिनांक 09 जुलाई, 2021, 01 दिसंबर, 2021 और 15 मार्च, 2022 को अग्रोषित किया गया।

सीएसएल ने उपरोक्त गैर अनुपालनों के लिए लगाए गए जुर्माने की छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अभ्यावेदन दिया है और उत्तर की प्रतीक्षा है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

103. सीएसएल के बोर्ड सदस्यों बहुत वरिष्ठ अधिकारियों हैं जिन्हें शिक्षा, उद्योग, रक्षा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशासन आदि के क्षेत्रों में बहुत व्यापक, विस्तृत तथा विभिन्न में अनुभव है। सीएसएल को अपने दृष्टि कोण तथा ज्ञान से लाभ मिला है। बोर्ड के लिए उनकी प्रेरणा पर कंपनी के प्रदर्शन व्यापार मॉडल, कोर्पोरेट योजना और भविष्य के दृष्टिकोण पर बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रस्तुतियाँ बने हैं। इसके अलावा बोर्ड/ समिति और बैठकों में वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों/ प्रोफेशनल्स ने व्यापार से संबंधित मुद्दों या जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ बने रहे हैं। निदेशकों को उनके प्रभाविता को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने और इसे पहचानने लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ने एक नीति स्वीकार भी की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर

कोचची

मई 24, 2022

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

निगमित शासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (बाद में 'सूचीबद्ध विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसूची V के अनुच्छेद ग, घ और ड. और विनियम 46 उप-विनियमन (2) के खंड (ख) से (i) तक विनियम 17 से 27 तक में निर्धारितानुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में 'सेबी एलओडीआर विनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों के तहत निर्धारित है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन हैं :

- कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 01.04.2021 से 25.11.2021 की अवधि के लिए कोई महिला निदेशक नहीं थी जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(1) के तहत अनिवार्य है। हालांकि, सुश्री आम्रपाली साल्वे को दिनांक 26 नवंबर 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- निदेशक मंडल में दिनांक 01.04.2021 से 21.11.2021 तक की अवधि के लिए कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17 के तहत अनिवार्य है। हालांकि, कंपनी द्वारा छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	पृथ्वीराज हरिचंदन	22.11.2021
2.	मणि वेंकटेशन	22.11.2021
3.	अशोक कुमार शर्मा	26.11.2021
4.	आम्रपाली साल्वे	26.11.2021

अनुलग्नक I

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
5.	नाहर सिंह माहेश्वरी	01.12.2021
6.	अभिजित बिसवास	01.12.2021

- सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 के अनुसार छह निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता का दिनांक 01.05.2021 से 21.11.2021 की अवधि के लिए अनुपालन नहीं किया गया था।
- सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 के अनुसार कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक का कोरम दिनांक 11.06.2021, 10.08.2021 और 11.11.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठकों में पूरा नहीं हुआ क्योंकि दिनांक 01.04.2021 से 21.11.2021 तक की अवधि के लिए कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 18 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से समिति का गठन किया गया था।
- कंपनी ने दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 19 के तहत अपेक्षित नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से समिति का गठन किया गया था।
- कंपनी ने दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 20 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से समिति का गठन किया गया था।
- कंपनी ने दिनांक 05.08.2021 से 19.12.2021 की अवधि के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 21 के तहत अपेक्षित जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से समिति का गठन किया गया था।
- बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ('एनएसई') दोनों सेबी (एलओडीआर) विनियमों की निगमित शासन शर्तों का अनुपालन न करने हेतु निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है :

बीएसई क्वार्टर-1

विनियमन	तिमाही / माह	प्रति दिन जुर्माना राशि (₹) / घटना	गैर-अनुपालन के दिन / घटनाओं की संख्या	जुर्माना राशि (₹) (जीएसटी सहित)
17 (2 ए)	30-जून-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-जून-2021	5,000	91	5,36,900
18(1)	30-जून-2021	2000	91	2,14,760
19(1)/ 19(2)	30-जून-2021	2000	91	2,14,760
20(2)/ (2 ए)	30-जून-2021	2000	91	2,14,760
			कुल	11,92,980

कंपनी की ओर से शुल्क माफ करने की मांग की गई है।

बीएसई क्वार्टर-2

विनियमन	तिमाही / माह	प्रति दिन जुर्माना राशि (₹) / घटना	गैर-अनुपालन के दिन / घटनाओं की संख्या	जुर्माना राशि (₹) (जीएसटी सहित)
17 (2 ए)	30-सितंबर-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-सितंबर-2021	5,000	92	5,42,800
18(1)	30-सितंबर-2021	2000	92	2,17,120
19(1)/ 19(2)	30-सितंबर-2021	2000	92	2,17,120
20(2)/ (2 ए)	30-सितंबर-2021	2000	92	2,17,120
21(2)	30-सितंबर-2021	2000	57	1,34,520
			कुल	13,40,480

कंपनी की ओर से शुल्क माफ करने की मांग की गई है।

बीएसई क्वार्टर-3

विनियमन	तिमाही / माह	प्रति दिन जुर्माना राशि(₹) / घटना	गैर-अनुपालन के दिन / घटनाओं की संख्या	जुर्माना राशि (₹) (जीएसटी सहित)
17 (2 ए)	31- दिसंबर-2021	10,000	1	11,800
17(1)	31- दिसंबर-2021	5,000	61	3,59,900
18(1)	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,88,800
19(1)/ 19(2)	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,88,800
20(2)/ (2 ए)	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,88,800
21(2)	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,88,800
			कुल	11,26,900

कंपनी की ओर से शुल्क माफ करने की मांग की गई है।

एनएसई - क्वार्टर - 1

विनियमन	तिमाही / माह	प्रति दिन जुर्माना राशि(₹) / घटना	गैर-अनुपालन के दिन / घटनाओं की संख्या	जुर्माना राशि (₹)
17 (2 ए)	30-जून-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-जून-2021	5,000	91	4,55,000
18(1)	30-जून-2021	2000	91	1,82,000
19(1) /19(2)	30-जून-2021	2000	91	1,82,000
20	30-जून-2021	2000	91	1,82,000
			कुल (जीएसटी सहित)	11,92,980

कंपनी की ओर से शुल्क माफ करने की मांग की गई है।

एनएसई - क्वार्टर - 2

विनियमन	तिमाही / माह	प्रति दिन जुर्माना राशि (₹) / घटना	गैर-अनुपालन के दिन / घट नाओं की संख्या	जुर्माना राशि (₹)
17 (2 ए)	30-सितंबर-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-सितंबर-2021	5,000	92	4,60,000
18(1)	30-सितंबर-2021	2000	92	1,84,000
19(1) /19(2)	30-सितंबर-2021	2000	92	1,84,000
20	30-सितंबर-2021	2000	92	1,84,000
21	30-सितंबर-2021	2000	57	1,14,000
कुल(जीएसटी सहित)				13,40,480

कंपनी की ओर से शुल्क माफ करने की मांग की गई है।

एनएसई - क्वार्टर - 3

विनियमन	तिमाही / माह	प्रति दिन जुर्माना राशि (₹) / घटना	गैर-अनुपालन के दिन / घट नाओं की संख्या	जुर्माना राशि (₹)
17 (2 ए)	31- दिसंबर-2021	10,000	1	10,000
17(1)	31- दिसंबर-2021	5,000	61	3,05,000
18(1)	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,60,000
19(1) /19(2)	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,60,000
20	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,60,000
21	31- दिसंबर-2021	2000	80	1,60,000
कुल (जीएसटी सहित)				11,26,900

कंपनी की ओर से शुल्क माफ करने की मांग की गई है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से सूचीबद्ध नियमों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं: 9609

सीपी सं. : 11657

स्थान: कोची

दिनांक: 24/05/2022

यूडीआईएन: F009609D000379506

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए 2010 के निगमित शासन पर दिशानिर्देश का खंड 8.2.1)

सेवा में,

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के खंड 8.2.1 के तहत निर्धारितानुसार दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि उपरोक्त सूचित मार्गनिर्देशों में निर्धारित है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन हैं :

1. निदेशक मंडल का गठन दिनांक 01.04.2021 से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की तिथि तक की अवधि के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार नहीं था जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रम. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	पृथ्वीराज हरिचंदन	22.11.2021
2.	मणि वेंकटेशन	22.11.2021
3.	अशोक कुमार शर्मा	26.11.2021
4.	आम्रपाली साल्वे	26.11.2021
5.	नाहर सिंह माहेश्वरी	01.12.2021
6.	अभिजित बिसवास	01.12.2021

2. कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के तहत दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 तक की अवधि के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद समिति का गठन दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से किया गया था।

3. कंपनी ने दिनांक 01.04.2021 से 19.12.2021 की अवधि के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत आवश्यक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद समिति का गठन दिनांक 20 दिसंबर, 2021 से किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र केवल सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010 (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के प्रयोजनों हेतु जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं: 9609

सीपी सं: : 11657

यूडीआईएन: : F009609D000379616

स्थान: कोचीन

दिनांक: 24/05/2022

अनुलग्नक II

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (i))

सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन,

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

हमने **सीआईएन : L63032KL1972GOI002414** वाले और प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल - 682015 (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) में पंजीकृत कार्यालय वाले **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** के निदेशकों से प्राप्त संगत पंजी, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणी और प्रकटीकरण की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा -सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र जारी करने क उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया था।

हमारी राय और हमारी सूचना एवं आवश्यक माने गए सत्यापनों के अनुसार (www.mca.gov.in पोर्टल में निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें सूचित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कार्पोरेट मामला मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वर्चित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है,

क्रम. सं.	निदेशकों का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	मधु शंकरणी नायर	07376798	01/01/2016
2.	बिजोय भास्कर	08103825	05/04/2018
3.	वलियपरीबिल जेकब जोस	08444440	01/08/2019
4.	संजय बंधोपाध्याय	00088957	03/02/2020
5.	कल्लुविलावीडू रवींद्रन ज्योतिलाल	01650017	24/08/2020
6.	पृथ्वीराज हरिचंदन	01351097	22/11/2021
7.	मणि वेंकटेशन	07667728	22/11/2021
8.	अशोक कुमार शर्मा	09414565	26/11/2021
9.	आम्रपाली साल्वे	09415405	26/11/2021
10.	नाहर सिंह माहेश्वरी	09419082	01/12/2021
11.	अभिजित बिसवास	09419083	01/12/2021

बोर्ड पर प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अरुण के कमलोलभवन

साझेदार

एफसीएस सं: 9609

सीपी सं: 11657

स्थान: कोचिन

दिनांक: 24/05/2022

यूडीआईएन: F009609D000379561

अनुलग्नक III

सेवा में,

निदेशक मंडल

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोचीन- 682 015

प्रिय महोदय,

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

- हम ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड के रोकड प्रवाह विवरण के साथ पढ़े वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा पता है और विश्वास है, हम स्पष्ट करते हैं कि :
 - इन विवरणों में किसी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ दिया है अथवा पथभ्रष्ट करने वाले किसी विवरण शामिल नहीं किया है;
 - ये विवरण कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करते हैं और चालू लेखाकरण मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है।
- जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी, अवैध या कंपनी के आचरण संहिता का उल्लंघन है।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और कायम रखने का दायित्व लेता है। हम ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की संबंध का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन अथवा डिजाइन में कमियां यदि कोई है तो उसको प्रकट किया है, जिस संबंध में हम जागरूक है तथा, यदि कोई हो।
- हम ने लेखा-परीक्षकों को संकेत किया है कि
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है ;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वित्तीय विवरणों के लिए अपेक्षित टिप्पणियां, और
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है।
- हम आगे प्रमाणित करते हैं कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए संवितरित धनराशि का उपयोग कंपनी के उद्देश्यों के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरीकों से किया गया है।

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन 08444440

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

मई 20, 2022

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

1. कंपनी के प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम के विवरण में कंपनी के लक्ष्य, उम्मीद या भविष्य वाणियों को चित्रित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों की दृष्टि में दूरदेशी हो सकता है। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या उसे समझा जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से दूरदेशी विवरण में संशोधन, आशोधन या सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए से वस्तुतः भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारणों में नौसेना के प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक लागत कन्वेन्शन के अधीन तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंधन ("सीएसएल" या "कंपनी") ने दूरदेशी और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चा को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन विवरणों की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. वर्ष 2021 के मध्य तक पूर्व - कोविड स्तरों पर व्यापार की मात्रा में सुधार के कारण नौवहन व्यापार ने पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में परिमित रूप से निष्पादन किया और व्यापक भीड़ और साधारण बेड़े आपूर्ति वृद्धि के साथ, क्लार्कसन के समुद्री सूचकांक (\$28,700/दिन) में 93% की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 (120 एम डीडब्ल्यूटी, \$107 बी एन) से उच्चतम नए निर्माण आदेश खंडों का भी समर्थन किया।

4. चीनी "कूलिंग" नीतियों, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण राजनीतिक अस्थिरता, मुद्रास्फूर्ति, कर वृद्धि क्षेत्रीय सुरक्षा आदि जैसी विभिन्न जोखिम धारणाओं के बावजूद क्लार्कसन का अनुमान है कि व्यापार की उम्मीद 2022 में आशाप्रद 12.4 बिलियन टन (3.5% से ऊपर) तक पहुंच जाएगी। वैश्विक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन 2021 में व्यापक था, विशेष रूप से कंटेनर, सूखे थोक और कार वाहक बाजारों में कसने बाजारों में मदद करने से माल ढुलाई लागत बढ़ गई।

5. हालांकि, पिछले वर्षों में कम आदेश मांगपत्र के कारण बेड़े की वृद्धि डीडब्ल्यूटी बनाम 4.1% दस साल के औसत से 3% से नीचे जारी रही। नया भवन निवेश पारंपरिक पोत निर्माण खंडों में कंटेनर (\$42 बीएन) और गैस (\$21.6 बीएन) की ओर झुका हुआ है। कोविड के बाद की योजना में ग्रीन एंड टेक पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें समुद्री क्षेत्रों में प्रमुख चर्चा बिंदु के रूप में डीकार्बोनाइजेशन है। आईएमओ और यूरोपीय संघ में विकास के साथ, नियामक और नीति ढांचा विकसित हो रहा है जो 34% न्यूबिल्ड आदेश (जीटी द्वारा) वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी के साथ दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) या यूरोपीय संघ के उत्सर्जन नियमों में विकास लागत संरचनाओं या कुछ नौवहन खंडों की आय क्षमता के लिए मध्यम अवधि के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। बड़े पुराने बेड़े के प्रतिस्थापन और नए नियामक प्रतिबंधों की संभावनाओं के कारण उत्साह ने कुछ रुचि पैदा की और नए जहाज अधिग्रहण निवेश को चलाने के लिए दीर्घकालिक आधार पर सकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

6. कंटेनर नौवहन (हालांकि कुछ नकारात्मक जोखिम के साथ) और सूखे बल्क के लिए बाजार की मजबूत परिस्थितियों के कारण फिच रेटिंग वैश्विक नौवहन क्षेत्र पर अपना तटस्थ दृष्टिकोण बनाए रखती है, और उम्मीद है कि कमजोर 2021 वर्ष के बाद टैकर खंड में सुधार हो सकता है। वर्ष 2022 में अपने अनुकूल आपूर्ति-मांग संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी नौवहन खंड के लिए एक निरंतर वैश्विक आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण है। प्रमुख नकारात्मक जोखिमों में धीमी-से-पूर्वानुमान वाली आर्थिक सुधार या कोविड -19 मामलों का पुनरुत्थान शामिल है, जिससे मांग में गिरावट आई है। दूसरी ओर, महामारी संबंधी प्रतिबंधों ने आपूर्ति-श्रृंखला के मुद्दों को भी पैदा किया है, जिसमें पत्तन का जमाव भी शामिल है, जिसने विशेष रूप से कंटेनर नौवहन के लिए दरों का समर्थन किया है। सुधार के दौरान व्यापार संरक्षणवाद में संभावित वृद्धि से कुछ क्षेत्रों में मांग सीमित हो सकती है।

7. कुल नए पोत निर्माण की कीमतों में 30% से अधिक की वृद्धि हुई और

अभी भी ऊपर की प्रवृत्ति पर है, लेकिन साथ ही साथ यार्ड के लिए बेहतर लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों, स्टील, तांबा, एल्युमीनियम आदि जैसे विभिन्न प्रमुख वस्तु लागतों का मुद्रास्फूर्ति स्तर बना रहता है और इस प्रकार लाभ मार्जिन को कम करता है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग और सरकारी पहल

8. वैश्विक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ब्याज और अधिक तात्पर्य का निर्माण हुआ है जिससे भारतीय यार्ड में पूछताछ बढ़ी है। लेकिन कई निजी शिपयार्डों के पतन के कारण देश में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण क्षमता का क्षरण हुआ और प्रमुख पोत मालिकों और बाजार के खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई उचित वित्तपोषण तंत्र एक बड़ी बाधा नहीं बन पाया। हालांकि, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के रोड मैप के अनुसार भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने का उद्देश्य, विज्ञान दस्तावेज़ मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (एमआईवी 2030) के अनुसार तैयार और प्रकाशित किया गया। यदि विश्वास किया जाए तो यह अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास का संकेत देता है।

9. नीचे सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी नीतियां खंड में सकारात्मक प्रभाव दिखा रही हैं और खंड के विकास के लिए सहायक के रूप में कार्य करेंगी:

क) पोत निर्माण पर वित्तीय सहायता (2016)

ख) बुनियादी ढांचे की स्थिति का अनुदान (2016)

ग) आत्मनिर्भर भारत नीति (संशोधित 2020)

घ) टगों को किराए पर लेने/ खरीदने हेतु एसओपी (2020)

ड) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020)

च) नई रक्षा अधिग्रहण नीति (डीएपी 2020)

10. विज्ञान 2030 भारतीय पोत निर्माण को 2025 तक विस्तार क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने के साथ प्रतिस्पर्धी बनने हेतु और फिर 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड' स्तर तक पहुंचने के लिए उच्च मात्रा में संवेग का निर्माण करता है और दुनिया के सर्वोच्च 10 पोत निर्माण राष्ट्रों में से एक हो। प्रमुख पहलों में मांग में सुधार हेतु कार्गो को चैनल वितरण करना, सहायक उद्योगों के लिए परिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु समान अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त सरकारी हस्तक्षेप के साथ बेहतर उत्पादकता के लिए मानकीकृत डिजाइन तैयार करना शामिल है। एमआईवी दस्तावेज़ समुद्री क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी और लंबी अवधि की वित्त आलवश्यकताओं तक आसान पहुंच प्रदान करने हेतु एक समुद्री विकास कोष के निर्माण का भी समर्थन करता है, जिससे भारतीय पोत मालिकों को अपनी क्षमता में सुधार करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने हेतु शिपयार्ड तक पहुंच मिलती है।

सीएसएल द्वारा केंद्रित कुछ प्रमुख क्षेत्र

11. रक्षा पोत निर्माण : भारतीय पोत निर्माण उद्योग अभी भी रक्षा आवश्यकताओं और रक्षा उत्पादन नीति के अनुसार भारत सरकार (जीओआई) की दृष्टि से संचालित है, भारत को एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में बनाना था। सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का मिसाइल पोत (एनजीएमवी) परियोजना की अपनी अनुबंध समझौता पूरी की, जिसके लिए इस वर्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है, जिससे कंपनी को अच्छी आदेश बुक वैल्यू मिलेगी।

अंतर्देशीय और तटीय नौवहन

12. अंतर्देशीय जल परिवहन : भारत ने जल के ज़रिए परिवहन किए गए कार्गो की हिस्सेदारी को 0.5% से बढ़ाकर 2% कर दिया है और पिछले 5 वर्षों में कार्गो आयतन में 20% से अधिक साल-दर-साल वृद्धि के साथ फोकस जारी रखा। पश्चिम बंगाल में कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) अपने बुनियादी ढांचे से पूरी तरह सुसज्जित है और इस खंड को पूरा करने के लिए तैयार है। कंपनी इस संभावित खंड का दोहन करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित और सुसज्जित है।

13. भविष्य का पोत निर्माण वैकल्पिक ईंधन, कार्बन तटस्थ समाधान, स्वायत्त जहाजों और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होगा। सरकार द्वारा 2021 में घोषित नई हाइड्रोजन नीति का वैकल्पिक ईंधन बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सरकार का अनुसंधान विकास वित्त पोषण के साथ कंपनी इस खंड में उद्यम करने और देश के भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ घरेलू प्रौद्योगिकी का निर्माण करने हेतु एक प्रारंभिक परियोजना शुरू कर रही है।

टग, ड्रेजर और पोर्ट क्राफ्ट

14. पत्तन/अंतर्देशीय और तटीय नौवहन बुनियादी ढांचे में सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विशाल बुनियादी ढांचे के परिव्यय के साथ ड्रेजर बाजार महत्वपूर्ण मांग दिखा रहा है। यह भारतीय यार्ड के लिए गठबंधन के ज़रिए आवश्यक प्रौद्योगिकी लाने और भारत में व्यापार लाने के अवसर को बढ़ावा दे सकता है। मार्केट लीडर आईएचसी, नीदरलैंड्स के साथ तकनीकी साझेदारी में सीएसएल ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के साथ देश के सबसे बड़े ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर के निर्माण के लिए 12000 क्यूबिक मीटर क्षमता का अनुबंध किया। यह नए बाजार में एक प्रमुख मील का पत्थर है जिसके लिए कंपनी एक दशक से अधिक समय से काम कर रही थी।

15. इसके अलावा, जैसा कि परिकल्पित है, मंत्रालय की नई नीति जो प्रमुख पत्तनों के लिए टग की सभी सेवा आवश्यकताओं को भारतीय निर्मित

भारतीय ध्वज टगों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्धारित करती है, उसने भारतीय शिपयार्डों के लिए इस खंड की सेवा के लिए नए व्यापार अवसर खोले हैं। इस खंड में मांग बढ़ी है और कंपनी (अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ज़रिए) ने इस योजना के तहत 2 टग निर्माण के लिए एक नया अनुबंध हासिल किया है। कई प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं और यह खंड आगे विकास के लिए उच्च क्षमता दिखा रहा है।

क्रूस और फेरी बाज़ार

16. भारतीय क्रूस उद्योग, हालांकि, अपने प्रारंभिक चरण में है, पिछले वर्षों में कई सरकारी हस्तक्षेपों के कारण तेज़ गति से बढ़ रहा है। हालांकि, महामारी और यात्रा प्रतिबंधों के कारण प्रचालन कम हो गया। फिर भी विकास का अनुमान यह है कि, भारतीय क्रूज़ बाज़ार में युवा मध्यम आय समूहों के साथ बढ़ती मांग और सुलभ आय से प्रेरित 8X तक बढ़ने की क्षमता है। एमआईवी 2030 इस उद्योग को पूरा करने हेतु पत्तनों के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में निश्चित योजना देता है। यह बदले में भारतीय पोत निर्माण के साथ-साथ पोत मरम्मत और सेवा उद्योग के लिए इस बढ़ते खंड के लिए महान अवसर प्रदान करेगा। कंपनी इस खंड में अच्छी स्थिति में है और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर कई स्थानों से सेवाएं प्रदान करती है।

मत्स्य पालन खंड

17. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट बुनियादी ढांचा और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला में सुधार में महत्वपूर्ण अंतराल को मज़बूत करना और पूरे मछली पकड़ने के क्षेत्र में एक मज़बूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचा स्थापित करना। मछुआरों की आजीविका में सुधार और इस क्षेत्र में समग्र राजस्व वृद्धि को बढ़ाने हेतु सरकार के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ योजना की घोषणा की गई थी। लगभग 480 करोड़ रुपए के निवेश को पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज़ों के अधिग्रहण के समर्थन के रूप में अलग रखा गया है, जो संभवतः कोविड और अन्य अवनत बाज़ार स्थिति के कारण पूरी गति से चल रहा है। सीएसएल सक्रिय रूप से कार्यक्रम में शामिल है और उस समिति का सदस्य था जिसने मानकीकृत कुशल गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाज़ों के निर्माण हेतु नाव निर्माण यार्ड के लिए निरीक्षण और गुणवत्ता मानकों के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे। सीएसएल विभिन्न राज्यों के मछुआरों की ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मानक रूपों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भी तैयार है। अब तक कंपनी इस दिशा-निर्देशों के तहत 10 नावों (अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ज़रिए)

का निर्माण कर रही है, जिससे विभिन्न तटीय राज्यों के मछुआरों का ध्यान आकर्षित करने और इस प्रकार इस खंड में गति लाने की उम्मीद है।

हरित नौवहन / कम-कार्बन नौवहन खंड

18. नौवहन का डीकार्बोनाइज़ेशन नीति निर्माताओं और उद्योग के लिए समान रूप से कार्यसूची को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) समुद्री उद्योग पर प्रभाव को कम करने हेतु निकास उत्सर्जन, प्रदूषण -रोधी, गिट्टी का पानी, और बहुत कुछ को विनियमित करके विभिन्न नीतियां बना रहा है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, नौवहन उद्योग 940 मिलियन टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड छोड़ता है और जीएचजी उत्सर्जन का 2.5% बनाता है। सरकार की हरित नौवहन पहल उत्सर्जन नियंत्रण को लागू करने हेतु स्वच्छ प्रथाओं, पत्तन प्रबंधन के लिए कुशल और उपकरण प्रबंधन को बढ़ावा देती है। सीएसएल इस खंड में मज़बूती से लगा हुआ है और वर्तमान में अस्को मैरीटाइम एएस नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त विद्युत जहाज़ों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा, सीएसएल कम उत्सर्जन वाले विभिन्न प्रकार के उन्नत हरित प्रौद्योगिकी जहाज़ों के डिज़ाइन के साथ तैयार है, जो भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के लिए आदर्श रूप से अनुकूल होगा। सीएसएल विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के साथ सीएसएल में अपनी नई पीढ़ी के हरित प्रौद्योगिकी जहाज़ों के निर्माण के लिए चर्चा के उन्नत चरण में है। यह एक नवोदित खंड है जो कंपनी के लिए कई अवसर खोल रहा है।

पोत मरम्मत उद्योग

भारत और वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

19. वैश्विक पोत मरम्मत व्यापार, वर्तमान में चीन, सिंगपुर और मध्य पूर्व में शिपयार्ड का वर्चस्व है, जिसका मुख्य कारण कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता है। पोत मरम्मत, रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के व्यापारों में विकास द्वारा समर्थित 2030 तक 40 बिलियन अमरीकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंच जाएगा। हालांकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1% से कम है, देश प्रमुख व्यापार मार्गों/नौवहन मार्गों के संबंध में अनुकूल रूप से स्थित है, जिसमें वैश्विक व्यापार का 7 से 9% समुद्र तट के 300 एनएम के भीतर से गुज़रता है। इसके अतिरिक्त, भारत, भारतीय नौसेना और सहयोगी अमरीकी नौसेना के हिंद महासागर और अरब महासागर में 5 वें और 7 वें बेड़े की मरम्मत सेवाओं की पेशकश करने हेतु अच्छी तरह से तैयार है।

20. पोत मरम्मत उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण, आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारत को, मजबूत कार्यबल होने का लाभ मिला है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत व्यापार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जहाज़ों

की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता के अंतर हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लागत के नुकसान के अन्य कारणों में वित्त पोषण की उच्च लागत, भारत में जहाज के पूर्णों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में जहाज का मरम्मत निष्पादन चक्र समय बढ़ाना शामिल है।

21. उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए, एमआईवी 2030 के तहत, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत नीति का लाभ उठाते हुए देशी मांगों को दिशा दिखाने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के ज़रिए बुनियादी ढांचे का विकास, समग्र विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने और मुक्त व्यापार डिपो, समुद्री समूह आदि बनाकर उद्योग में व्यापार बढ़ाने सहित कई पहलों के साथ उद्योग को मज़बूती से आगे बढ़ा रहा है।

22. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था और इस प्रकार, वैश्विक व्यापार और संबद्ध पोत मरम्मत और अनुरक्षण सेवा उद्योग को बाधित कर दिया था। पोत मरम्मत और अनुरक्षण सेवा गतिविधियों को कई महीनों के लिए काफी कम या निलंबित कर दिया गया था। विश्व स्तर पर संचालन, धीरे-धीरे नए सुरक्षा उपायों के साथ फिर से शुरू हुआ। इन कारकों ने वैश्विक पोत मरम्मत और अनुरक्षण बाज़ार में वृद्धि को सामूहिक रूप से बाधित किया है।

23. सीएसएल पोत मरम्मत व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई है। कोच्ची में पोत मरम्मत सुविधाओं के अलावा, कंपनी ने मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत इकाइयां भी स्थापित की हैं। पोत मरम्मत प्रभाग बढ़े हुए व्यापार खंडों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है (वर्तमान में सालाना करीब 100 पोतों की मरम्मत/सुधार किया जा रहा है)। यार्ड पोत मरम्मत बाज़ार के नए क्षेत्रों जैसे हथियार प्लेटफॉर्म, अपतटीय निर्माण, रूपांतरण आदि में प्रवेश करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पोत मरम्मत में सीएसएल पहल

24. सीएसएल विल्लिगडन आइलैंड, कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) में काम पूरा करने के अंतिम चरण में है, जो छह स्वतंत्र कार्य स्टेशनों के साथ एक अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम की मेजबानी करेगा। यह नई ग्रीनफील्ड सुविधा, कोच्ची में दक्षिणी कमान के निकट स्थित है और शीघ्र ही चालू होने वाली है और 130मीटर लंबाई और 6000 टन विस्थापन तक जहाज़ों को समायोजित करने में सक्षम होगी। यार्ड अपने मुख्य परिसर के भीतर पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधि को पूरा करने हेतु एक नया ड्राई डॉक भी स्थापित कर रहा है जिसमें बड़ी क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और अपतटीय रिग की मरम्मत शामिल है। सीएसएल ने पोत मरम्मत खंड में मांग को पूरा करने हेतु मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत यूनिटों की स्थापना करके पूरे भारतीय तट पर अपने प्रभाव को फैला दिया है। सीएसएल ने पोत मरम्मत के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि क्षेत्र में व्यापार वृद्धि और तकनीकी प्रगति को बढ़ाया जा सके।

25. भारत सरकार, एमआईवी 2030 के साथ और क्रूस 2030 के अनुरूप यार्ड द्वारा लाई गई विभिन्न पहलों के साथ, सीएसएल भविष्य में उद्योगी पोत मरम्मत व्यवसाय के समय के लिए तैयार है।

प्रचालन

26. हमारी कंपनी का निष्पादन सभी क्षेत्रों में आशाजनक बन रहा है। कंपनी का कुल कारोबार ₹ 2,818.90 करोड़ के पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,190.00 करोड़ है। वर्ष के दौरान पोत निर्माण की आय ₹ 2,511.48 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष की आय ₹ 2,405.59 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने चार 8000 टन कागों जहाज़ों को जेएसडब्ल्यू नौवहन और लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए निर्मित किए, जिसने कंपनी के लिए तटीय /छोटी समुद्री नौवहन खंड में एक नया अधोलंब खोला है। सीएसएल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए निर्मित एक प्रौद्योगिकी निष्पादन पोत, आईएनएस अन्वेष भी वितरित किया, जो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न नवीन उत्पादों का परीक्षण करने हेतु उपयोग किया जानेवाला एक अनूठा मंच है। उपरोक्त के अलावा, सीएसएल ने कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल वेसल भी डिज़ाइन और वितरित किया है, इस प्रकार एक परिवर्तनवादी टिकाऊ शहरी गतिशीलता जल परिवहन समाधान तैयार किया है। इसके अलावा, सीएसएल ने गृह मंत्रालय के लिए बनाए जा रहे नौ एफबीओपी में से छह फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जहाज़ों को भी सफलतापूर्वक वितरित किया है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए पांच पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला वाटरक्राफ्ट का निर्माण, गृह मंत्रालय के लिए तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) जहाज़ों का निर्माण और कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 22 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाज़ों का निर्माण प्रगति कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने रक्षा के साथ-साथ वाणिज्यिक खंड के तहत कुल बारह जहाज़ों की सुपुर्गी की।

27. यार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं पर मुख्य उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे :

- कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए आठ हाइब्रिड विद्युत एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाज़ों का कील लगाना और तीन ऐसे जहाज़ों का जलावतरण।
- गृह मंत्रालय के लिए तीन एफबीओपी का शुभारंभ।
- अस्को मैरीटाइम ए एस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त विद्युत जहाज़ों का जलावतरण और कील लगाना ; तथा
- भारतीय नौसेना के लिए तीन पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला वाटरक्राफ्ट के निर्माण की शुरुआत और स्टील कट्टिंग।

28. सीएसएल ने विभिन्न अनिश्चितताओं के बीच अतिरिक्त प्रयास करके कोविड-19 महामारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इन उपलब्धियों को हासिल किए।

वित्तीय सूचना

29. पिछले दशक से संबंधित कंपनी के वित्तीय सूचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्रदत्त पूंजी	शेयरों की अंकित मूल्य (₹ प्रति शेयर)	उपयोगित पूंजी	निवल मूल्य	करपूर्व लाभ	प्रदत्त लाभों पर कर	निवल लाभ	ईपीएस (₹)	लाभांश	खर्च अनुपात
21-22	131.54	10	4355.75	4359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
20-21	131.54	10	3964.27	3977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
19-20	131.54	10	3748.78	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3327.72	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3271.03	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2062.02	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1749.31	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1585.68	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1401.52	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08
12-13	113.28	10	1175.10	1175.70	275.55	90.28	185.27	16.35	16.99	0.09

मुख्य वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में परिवर्तन (% में)	25% या अधिक के परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
1.	देनदार कारोबार	6.72	6.41	4.78	लागू नहीं
2.	स्टॉक कारोबार	8.76	7.56	15.85	लागू नहीं
3.	व्याज कवरेज	18.09	17.06	6.04	लागू नहीं
4.	वर्तमान अनुपात	1.69	1.73	-2.56	लागू नहीं
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.03	0.03	-5.95	लागू नहीं
6.	परिचालन लाभ सीमांत (%)	26	31	-16.13	लागू नहीं
7.	निवल लाभ सीमांत(%)	18.39	21.64	-15.04	लागू नहीं

निवल मूल्य पर वापसी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में परिवर्तन (% में)	परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
निवल मूल्य पर वापसी (%)	13.46	15.34	-12.26	#

#परिवर्तन, निविष्ट लागत में वृद्धि और दूसरी लहर कोविड लॉकडाउन के प्रभाव के कारण कर के बाद लाभ में कमी और निवल मूल्य में वृद्धि का कारण है।

प्रस्तावित / घोषित लाभांश

30. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 5/2/2016- पॉलिसी के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर के बाद लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5% के न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी उच्च हो, भुगतान करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों को प्रत्येक 10 रुपए के 13,15,40,390 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर ₹ 3.75/- रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के लिए सिफारिश करने में खुशी है। इससे पहले, वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारकों को ₹ 6/- रुपए और ₹ 7/- रुपए के अंतरिम लाभांश कुल 13/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान किया गया है। इस तरह, वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश ₹ 16.75/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (167.50%) है जो ₹ 220.33 करोड़ रुपए की राशि है।

खंडवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

31. कंपनी दो मुख्य गतिविधियों यानी पोत निर्माण और पोतों/ अपतट रिगों आदि की मरम्मत में लगी हुई है। उपर्युक्त के आधार पर खंडवार विश्लेषण किया गया है और उचित आधार पर राशि का आबंटन किया गया है :

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
संगमंठ परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	251516.16	319484.51
पोत मरम्मत	287038.89	259606.41
अनाबंटित	293292.23	160863.06
कुल	831847.28	739953.98
संगमंठ देयता		
पोत निर्माण	155888.80	104576.01
पोत मरम्मत	64318.72	11264.54
अनाबंटित	175721.79	226356.75
कुल	395929.31	342197.30
संगमंठ राजस्व		
पोत निर्माण	251148.16	240559.27
पोत मरम्मत	67852.09	41330.43
अनाबंटित	26641.68	19386.07
कुल	345641.93	301275.77
संगमंठ परिणाम		
पोत निर्माण	57749.03	76229.86
पोत मरम्मत	12041.89	9419.89
अनाबंटित	9648.14	-4591.11
कुल	79439.06	81058.64

32. कंपनी के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं- पोत निर्माण और पोत मरम्मत। पोत निर्माण के तहत राजस्व में ग्राहक (पिछले वर्ष एक ग्राहक) से ₹ 2,04,473.56 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,03,736.66 लाख) जो कुल राजस्व का 10% से अधिक शामिल है और पोत मरम्मत के लिए कुल राजस्व में ₹ 40,786.31 लाख (पिछले वर्ष ₹ 29,714.58 लाख) दो ग्राहक (पिछले वर्ष तीन ग्राहक) से कुल राजस्व का 10% से अधिक राजस्व शामिल है।

घ. अत्यधिक विकसित पोत निर्माण प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों पोतों के मॉड्यूलर निर्माण के लिए मंजूरी दे देता है।

ङ. रक्षा पोतों, वाणिज्यिक पोतों और अपतटीय समर्थन पोतों शामिल एक बहुत अच्छा उत्पाद मिश्रण अनुकूलता।

च. उत्कृष्ट उप ठेकेदारों और अच्छी पूर्ति श्रृंखला जाल की उपलब्धता।

छ. अत्याधुनिक प्रौद्योगिक सुविधाएं, विशेष रूप से क्रेनेज, वाहक आवृत मोबाइल शॉप, आवृत मराइन कोटिंग सुविधा, श्रेष्ठ वेल्डिंग उपस्कर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हल फैब्रिकेशन सुविधाएं, बहुत अधिक सामग्री भंडारण सुविधाएं, आदि के संबंध में।

अपर्याप्तता:

क. असल में गैर अस्तित्ववान देशी आनुषंगिक उद्योग और इस कारण से भारत में मुख्य उपस्करों/कच्ची सामग्रियों की अनुपलब्धता।

ख. क्रमशः 1,10,000 डीडब्ल्यूटी और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी के परे पोतों के निर्माण और मरम्मत के लिए बड़े आकार की गोदी की अनुपलब्धता

शक्तियां, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां

शक्तियां:

क. संगठन अधिक्रम के सभी स्तरों में औसत 15 साल के अनुभव सहित अर्थ प्रशिक्षित, उत्प्रेरित और सुविज्ञ श्रमिक से अत्यधिक अत्यंत उच्च गुणवत्ता के कर्म कौशल प्राप्त होता है।

ख. एक सुनियोजित और अभिन्यासित शिपयार्ड सुचारु कार्य प्रगति को सक्षम बनाता है।

ग. उच्च प्रशिक्षित, अनुभवी और सक्षम नौ वास्तुविद्/ इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन आदि से चलाने वाला एक अत्याधुनिक डिजाइन केंद्र।

के कारण बुनियादी संरचना की कमी यह प्रस्तावित नई सूखी गोदी से काबू पाएगा।

- ग. पोत मालिकों के लिए दीर्घकालीन प्रस्तावित वित्त की व्यवस्था करना मुश्किल है, जो अन्य विदेशी पोत निर्माण देशों द्वारा किया जाता है।
- घ. विशेष रूप से ठेका श्रम के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और कर्मचारी उपरिव्यय और कुछ प्रतिबंधात्मक श्रम प्रथाएं।

मौकाएं:

- क. भारत सरकार की नई नीति “मेक इन इंडिया” को प्रोत्साहित करने के कारण देशी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए श्रोतों की आवश्यकता में प्रस्तावित वृद्धि।
- ख. दूसरे वायुयान वाहक के लिए भारतीय नौसेना की आवश्यकता हेतु रक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित मांग।
- ग. भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य समुद्री सुरक्षा अभिकरणों ने महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो नए अवसर खोलेगा।
- घ. दोनों गहरे समुद्र और तटीय/ एलएनजी ईंधनवाले यान।
- ङ. भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन में उभरते अवसर।
- च. घरेलू और विदेशी बाजार के लिए फिशिंग वेसल।
- छ. तटीय सुरक्षा के लिए एफआरपी बोटों के लिए अवसरों की प्राप्ति।
- ज. बड़ी मांग - वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत के लिए आपूर्ति अंतर और वास्तव में, भारत में कोई प्रतियोगिता नहीं है।

धमकियां:

- क) कोविड-19 महामारी जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार
- ख) प्राकृतिक आपदाएं
- ग) प्रतियोगियों की संकट मूल्य निर्धारण नीतियां।
- घ) भारतीय यादों द्वारा कम निष्पादन के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल ख्याति प्रभाव।
- ङ) श्रम की बढ़ती लागत।
- च) गैर लचीला सरकारी विनियम या प्रापण नीतियों से समय पर उत्पाद सुपुर्दगी और लागत में देरी आती है।

क्रूस 2030

33. सीएसएल ने मार्च 2019 में एक साहसिक परिवर्तन कार्यक्रम, क्रूस-2030 शुरू किया है, ताकि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी संचालन के साथ-साथ विकास को लाभप्रद रूप से प्राप्त करने हेतु आकस्मिक विकास प्राप्त किया जा सके। क्रूस 2030 अभ्यास स्पष्ट रूप से वर्तमान पोत

निर्माण और पोत मरम्मत संविभागों से परे नई राजस्व सृजन धाराओं के लाभ उठाने की आवश्यकता को अनिवार्य करता है और ‘सी-एसएएस’ (सीएसएल कार्यनीति व उन्नत समाधान) नाम से एक नया प्रभाग पहले ही गठित किया जा चुका है। क्रूस 2030 ने गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली जैसे नए व्यवसायों के निर्माण, शिपयार्ड 4.0 और परियोजना प्रबंधन पहल के माध्यम से संचालन परिपक्वता को मजबूत करने पर जोर दिया। क्रूस 2030 कार्यक्रम ने ड्रेजिंग और अंतर्देशीय बार्ज में सीएसएल की सफलता और मत्स्य ग्रहण जहाजों और अन्य व्यवसायों में संरचित लागत में कमी की पहल पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कंपनी स्वायत्त, संकर/ विद्युत जहाज और वैकल्पिक ईंधन जैसे नए उभरते पोत खंडों में व्यावसायिक क्षमता का दोहन करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम कर रही है। सीएसएल ने मूल्य श्रृंखला, यानी योजना, डिजाइन, खरीद और संचालन में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने हेतु एक समर्पित उत्कृष्टता के केंद्र टीम का गठन किया है।

सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

34. वर्तमान पोत निर्माण और पोत मरम्मत संविभाग से परे नई राजस्व सृजन धाराओं का लाभ उठाने के लिए कंपनी को समुद्री क्षेत्र में कार्यनीति और ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यापार करने में सक्षम बनाने हेतु सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया है। सी-एसएएस स्थायी और भविष्योन्मुखी व्यापार मॉडल की पहचान और विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। ग्लोबल मैरीटाइम ग्रीन ट्रांजिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए, कंपनी भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल विद्युत जहाज के विकास और निर्माण की प्रक्रिया में है, जो एक प्रारंभिक परियोजना का हिस्सा है जिसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। प्रारंभिक परियोजना निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी (एलटी-पीईएम) के विकास पर आधारित है जिसे फ्यूल सेल विद्युत जहाज (एफसीईवी) भी कहा जाता है और सी-एसएएस प्रभाग पोत के डिजाइन, विकास और निर्माण के तकनीकी हिस्से का प्रभारी है। यह कदम हरित ऊर्जा और टिकाऊ लागत प्रभावी वैकल्पिक ईंधन के संबंध में नवीन और नई प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भारत के परिवर्तनकारी प्रयासों का हिस्सा है। प्रारंभिक परियोजना भारतीय भागीदारों के सहयोग से चलाया जा रहा है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
35. इसके अलावा, सी-एसएएस ने हाल ही में डीआरडीओ से विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) के लिए एनएसटीएल के साथ उच्च टिकाव स्वायत्त अंतर्जलीय वाहन (एचईएयूवी) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के ज़रिए एक आदेश प्राप्त किया है। यह उम्मीद की जाती है कंपनी स्वायत्त अंतर्जलीय क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगी, एक ऐसा खंड जिसमें अच्छी विकास क्षमता है।

जोखिम और चिंताएं

36. कोविड-19 जैसी महामारी और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लॉकडाउन से भी कंपनी के प्रचालन पर विभिन्न जोखिम हैं। प्रतिबंधित कार्य व्यवस्था, यात्रा बाधाओं, आउटसोर्स श्रमशक्ति में कमी (जो कुछ हद तक प्रवासी श्रम उपलब्धता कम होने के कारण), सेवा इंजीनियरों और ओईएम प्रतिनिधियों की अनुपलब्धता सहित विभिन्न कारकों, विशेष रूप से विदेशी उपकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण उत्पादन का पैमाना कम हो जाएगा। ऊपर बताए गए कारकों के कारण और सामग्री की उपलब्धता और लॉजिस्टिक में मुद्दों के कारण, मूल (देशी और अंतर्राष्ट्रीय) राज्यों के लॉकडाउन राज्यों से संबंधित मुद्दों और ग्राहकों से नकदी प्रवाह से संबंधित मुद्दों के कारण भी परियोजनाएं विलंबित गति से चल सकती हैं।
37. इसके अलावा ग्राहकों द्वारा भविष्य की परियोजनाओं को रोकने की संभावनाएं हैं, चल रही पूछताछ को रद्द करना और संभावित परियोजनाओं को तरलता के मुद्दों का हवाला देते हुए रोकना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सड़क, शिपिंग चैनलों और हवाई मार्गों (श्रमिकों की कमी, पत्तनों पर परिचालन बाधाओं के कारण, एयरलाइंस की कटौती के कारण) के ज़रिए बिगडा हुआ माल दुलाई आयात की लागत के साथ साथ निर्यात पर कंपनी पर दबाव डालेगा।
38. कंपनी के लिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है। कंपनी का लगभग 20 से 30% राजस्व वाणिज्यिक पोत निर्माण से है जो प्रकृति में अत्यधिक चक्रीय है। वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाएं विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, नौवहन, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है। अपतटीय उद्योग संकट में बना हुआ है। महामारी की स्थिति ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी थी और पोत निर्माण और मरम्मत उद्योगों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विवर्तनिक बदलाव की ओर संभावित संकेतों के लिए स्थिति पर नज़र रखी जा रही है।
39. कंपनी की गतिविधियों के प्रमुख हिस्से में बड़ी इस्पात संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं और इसके निर्माण में क्रेन और अन्य भारी मशीनरी और अन्य ऑपरेंटिंग खतरों का संचालन होगा। कंपनी के सामने आनेवाले परिचालनगत जोखिमों के कारण आग और विस्फोट आदि भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के कारण होनेवाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष खतरों नीति के तहत शामिल किया जाता है, लेकिन सीएसएल के पास व्यापार रुकावट के लिए बीमा नहीं है। ये जोखिम कंपनी को व्यक्तिगत चोट, गलत तरीके से मौत, उत्पाद, दायित्व, संपत्ति की क्षति, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों के लिए पर्याप्त देयता को उजागर करवा सकते हैं।
40. कंपनी के लिए एक और उच्च जोखिम वाला क्षेत्र प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत है। प्रमुख कच्चे माल में स्टील (ग्रेड और गुणवत्ता, प्रत्येक परियोजना में, लागू वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है) और अन्य

सामग्री, उपकरण और अन्य घटक जैसे पंप, प्रोपलर और इंजन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020,2021 और 2022 में कंपनी की सामग्री की खपत की लागत कुल लागत का क्रमशः 63.99%, 55.39% और 60.67% थी। विशेष रूप से खरीदे गए घटकों को इन हाल ही के वित्तीय वर्षों में हमारे कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 95% हिस्सा है।

41. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण इन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में स्टील के संबंध में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं हैं जिन्हें हम भविष्य में जारी रखने की उम्मीद करते हैं। भारतीय स्टील उद्योग विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहा है इसलिए कि भारत सरकार ने देशी स्टील उद्योग की रक्षा के लिए चीन जैसे अन्य राज्यों से स्टील के आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाया है। इससे प्रापण की लागत में वृद्धि करके सीएसएल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कच्चे सामग्रियों जैसे कि स्टील, अलुमीनियम, कॉपर आदि के लागत, वैश्विक आपूर्ति और मांग में किसी भी बदलाव के साथ-साथ उतार-चढ़ाव आ सकती है और इस प्रकार सामग्री की लागत को प्रभावित कर रहा है।
42. यदि कंपनी की कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है, तो, कंपनी अपने मौजूदा ठेके में अपने ग्राहकों को इन मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाएगी और अपने व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों का परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
43. मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन हमारे परिचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक रूप से, दुनिया भर में सभी पोत विक्री लेनदेन और अपतटीय संरचनाओं की खरीद का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर यूएसडी में आयोजित किया जाता है। इस जोखिम को कम करने हेतु कंपनी निर्यात प्राप्तियों पर शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करती है। हालांकि, पोत निर्माण/ पोत मरम्मत अनुबंध के संदर्भ में आयात घटकों के मामले में रुपए में मूल्यवर्ग में गिरावट दर्ज की गई है, सीएसएल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम से अवगत कराया जाता है जब तक कि पोत के मालिक के साथ अनुबंध विनिमय भिन्नता प्रतिपूर्ति खंड के लिए प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में पोत निर्माण के कुछ अनुबंधों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव हमारे संचालन के परिणामों को प्रभावित और प्रवृत्त करेगा।

उत्पाद विविधीकरण

44. चूंकि कंपनी वर्तमान में परिवर्तनकारी विकास के शिखर पर है, सीएसएल हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन, स्वायत्तता आदि सहित नवीन और नई प्रौद्योगिकी की ओर परिवर्तनकारी प्रयास कर रही है, इसके लिए, सीएसएल 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटरमैन हल का निर्माण कर रहा है। कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए पोत, जो अपनी तरह का एक, आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल का नाव है और कोच्ची नागरिकों की निर्बाध परिवहन प्रणाली को एकिकृत

करने की उम्मीद है। सीएसएल अस्को मैरीटाइम ए एस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त विद्युत जहाज के प्रस्ताव को भी क्रियान्वित कर रहा है।

45. सीएसएल स्वदेशी भागीदारों के सहयोग से और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कम तापमान प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी (एलटी-पीईएम) पर आधारित हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए एक प्रारंभिक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल (एफसीईवी) भी कहा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर बढ़ते प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से भारत में, जहां तटीय और अंतर्देशीय जहाजों पर इसके उपयोग की व्यापक संभावना है, केवल इसके उपयोग के मामले का पता लगाने ही विवेकपूर्ण है।
46. सीएसएल ने एक स्टार्ट-अप एंगेजमेंट ढांचे की भी कल्पना की है जिसका अनावरण दिनांक 30 अप्रैल 2022 को आयोजित कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह में माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा किया गया था। इस ढांचे के साथ सीएसएल ने समुद्री क्षेत्र में लगी स्टार्ट-अप कंपनियों में 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष निवेश करने हेतु प्रतिबद्ध किया है। स्टार्ट-अप ढांचे की परिकल्पना हितधारकों को एक साथ लाकर तकनीकी, नियामक, वित्तीय और विपणन दृष्टिकोण से समुद्री स्टार्ट-अप का समर्थन करने हेतु भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल को बढ़ाने के लिए की गई है। यह ढांचा युवा और प्रतिभाशाली उद्यमियों को सीएसएल द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ समुद्री क्षेत्र में उत्पादों /सेवाओं को विकसित करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

आंतरिक नियंत्रण

47. कंपनी को एक आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा मैनुवल प्रख्यापित किया है और एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक स्वतंत्र कंपनी द्वारा किया जाता है और वे स्वतंत्र निदेशक के अध्यक्षता में बोर्ड स्तर के लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा कार्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं की गहराई से समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स वर्मा और वर्मा, सनदी लेखाकार को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और स्थापित करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित और पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

48. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध से संबंधित विवरण को अधिक विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्त्री सशक्तिकरण

49. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्य स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोशअधिनियम) नामक नए कानून द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों और मानकों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक है। श्रमिकों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में यौन उत्पीड़न एक दुराचार अधिनियम के रूप में शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।
50. महिला कल्याण उपायों को बढ़ावा देने हेतु एक भाग के रूप में, सीएसएल ने मेस्ट्रुअल कप के उपयोग के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया है और महिला दिवस समारोह के एक भाग के रूप में मेस्ट्रुअल कप का मुफ्त वितरण किया गया था।
51. सीएसएल ने दिनांक 09 दिसंबर 2021 को पोश अधिनियम की 8 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं के साथ पोश अधिनियम पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।
52. 'कार्यशाला पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम' पर एक ऑनलाइन सत्र दिनांक 16 जुलाई 2021 को सीएसएल द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 33 कर्मचारियों ने भाग लिया था।
53. कंपनी ने संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केन्द्रीय सुरक्षा परिषद, शॉप सुरक्षा परिषद, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड रीक्रियेशन क्लब, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड ग्राहक समिति आदि जैसे कर्मचारी और प्रबंधन के संयुक्त फॉर्म के भाग के रूप में महिला कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

प्रौद्योगिकी संरक्षण

54. वैश्विक पोत निर्माण बाजार में प्रतियोगितात्मक बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी के अवसंरक्षण और उन्नयन हेतु सीएसएल निरंतर प्रयास करता है। इसके लिए, यार्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- लदान स्थितियों के स्वतः उत्पादन के लिए एनएपीए सॉफ्टवेयर कोड का विकास और अक्षुण्ण और क्षति स्थिरता मानदंड इन लदान स्थितियों की जांच करते हैं।
 - टग डिजाइन में विशेषज्ञता वाली कनाडा की एक प्रमुख डिजाइन फर्म रॉबर्ट एलन लिमिटेड के सहयोग से टग के बुनियादी डिजाइन का विकास।
 - आईपीए के लिए टग्स के लिए पांच मानक डिजाइनों का विकास।
 - भारत सरकार के लिए सम्यग्र ग्रहण जहाजों के लिए तीन मानक डिजाइनों का विकास।

- व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना के रूप में 12 मीटर स्वायत्त सतह पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन।
- कोच्ची जल मेट्रो परियोजना में कार्यान्वयन के लिए सेमी-ऑटोमैटिक मूरिंग प्रणाली की विकसित कार्य अवधारणा।
- हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल यात्री नौका की विकसित अवधारणा डिजाइन। परियोजना के लिए ईंधन सेल की रेटिंग और सामग्री के बिल को एमओयू भागीदार मेसर्स केपीआईटी प्रौद्योगिकियों के साथ अंतिम रूप दिया गया।
- एनडब्ल्यू 1, एनडब्ल्यू 2 और इंडो बंगलादेश प्रोटोकॉल मार्ग में संचालन के लिए 3000 टन अंतर्देशीय कार्गो वाहक के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- बैटरी चालित रो-रो पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन।
- अयोध्या में संचालन हेतु 80 पैक्स रिवर क्रूज जहाज के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- सबमर्सिबल टेस्टिंग प्लाटफॉर्म के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- एमओयू भागीदार मेसर्स सेस्टेमा इटली के ज़रिए आईएनएस दीपक के लिए आईपीएमएस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता

55. अधिक जानकारी के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट में अनुलग्नक III में प्रस्तुत सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

56. कंपनी एमएसएमई से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। कंपनी ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों और प्रतिबंधों के बावजूद, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल स्वदेशी खरीद में से 31 मार्च 2022 तक एमएसएमई से माल और सेवाओं की 25% खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 52% का लक्ष्य हासिल किया है। सीएसएल की पहल के कारण अ.जा./अ.ज.जा. और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं।

57. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रख्यापित सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार एमएसएमई के ज़रिए खरीद/ सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने केरल में एमएसएमई अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए एक विक्रेता विकास कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन केरल सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 02 नवंबर, 2021 को कोट्टयम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के साथ किया गया था। सीएसएल में एफआईसीसीआई और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के सहयोग से दिनांक 06 जनवरी 2022 को विशेष रूप से एमएसएमई अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के लिए विशेष एक विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया।
58. अन्य पहलुओं में एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और "एमएसएमई संबंध" पोर्टल में प्रापण विवरण और अन्य विवरणों को नियमित रूप से अपलोड करना, यह सुनिश्चित करना कि "एमएसएमई समाधान" पोर्टल में विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली पर कोई विक्रेता शिकायत लंबित नहीं, जिसका अर्थ है कि एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान ट्रेड्स प्लाटफॉर्म आदि में लगभग 180 विक्रेताओं के सवाल पर बिना किसी देरी के किया जाता है।

सचेतक विवरण

59. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से प्रस्तुत भिन्न हो सकता है- मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकों शामिल हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

कोच्ची
मई 24, 2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के बारे में

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार, बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण आधार पर उच्च एक हजार सूचीबद्ध इकाइयों की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल होगा, जिसमें सीएसएल शामिल है।

रिपोर्टिंग ढांचा, जुलाई 2011 में कॉरपरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'व्यापार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देश' पर आधारित है जिसमें प्रत्येक 9 सिद्धांत के लिए 9 सिद्धांत और मूल तत्व शामिल हैं। निम्नलिखित सेबी द्वारा सुझाए गए प्रारूप पर आधारित हमारी कंपनी की व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट है।

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की निगमित पहचान संख्या	L63032KL1972GOI002414
2. कंपनी का नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3. पंजीकृत पता	प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015
4. वेबसाइट	www.cochinshipyard.in
5. ई-मेल आईडी	secretary@cochinshipyard.in
6. रिपोर्ट किए वित्तीय वर्ष	2021-22
7. कंपनी लगे हुए क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि - कोड वार)	पोत निर्माण और पोत मरम्मत (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक ग्रूप 301 और 331 है।)
8. कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदान करनेवाले मुख्य तीन उत्पाद/सेवा की सूची दें	कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत के व्यापार में लगे हुए हैं। उत्पाद प्रक्रिया और प्रयुक्त बुनियादी सुविधाओं की प्रकृति विचार करने के अन्य बातों के साथ -साथ, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।
9. स्थानों जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधि की जाती है, की कुल संख्या क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की सं. (मुख्य 5 स्थानों का विवरण प्रदान करें।) ख) राष्ट्रीय स्थानों की सं.	शून्य पांच
10. कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

भाग ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी	₹ 131.54 करोड़
2. कुल कारोबार	₹ 3190.00 करोड़
3. कुल लाभ और कर	₹ 586.57 करोड़
4. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल खर्च (%)	₹ 16.19 करोड़ 2.76%
5. उपर्युक्त 4 में हुए खर्च से संबंधित गतिविधियों की सूची:-	सीएसएल के सीएसआर गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में केन्द्रित हैं: <ul style="list-style-type: none"> अस्थायी अस्पतालों की स्थापना और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं और कोविड टीकाकरण सहित कोविड संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा।

भाग ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी को कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	जी हां, सीएसएल को दो सहायक कंपनी है जैसे कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)।
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के व्यापार उत्तरदायित्व संबंधी पहलों में भाग लेता है? यदि हां, तो, ऐसे सहायक कंपनी/यों की संख्या सूचित करें।	जी नहीं। दोनों सहायक कंपनियां अपने प्रचालन के बहुत प्रारंभिक चरण में हैं और इसलिए उन्होंने सीएसएल की व्यापार उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेना शुरू नहीं किया है।
3. क्या कंपनी के साथ व्यापार करनेवाले कोई अन्य इकाई / इकाइयां (उदा: आपूर्तिकार, वितरक इत्यादि) कंपनी के बीआर पहलुओं में भाग लेता है? यदि हां, तो, ऐसे इकाई/इकाइयों की प्रतिशतता सूचित करें। (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)	कंपनी ने गुणवत्ता, समय पर सुपुर्दगी और अनुकूलतम लागत सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग एवं प्रापण गतिविधियों के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाया है। सच्चा ईमानदारी के विक्रेता के एक पैनल के लिए सावधानी रखी जाती है। कंपनी ने प्रापण के अधिक पारदर्शी रीति के लिए ई-भुगतान, अखंडता समझौता आदि शुरू किया है। सुरक्षा, पर्यावरण आदि के अनुरूप क्रयादेश के मानक नियम एवं शर्तें विक्रेता द्वारा स्वीकृत किया है। अतः मुख्य (60% से अधिक) व्यापार उत्तरदायित्व के मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप है।

भाग घ : व्यापार उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यापार उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण क) व्यापार उत्तरदायित्व पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण।	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता से संबंधित बीआर कार्य को निदेशक मंडल के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति (सीएसआर एवं एसडी) द्वारा निगरानी की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर एवं एसडी समिति की संरचना का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट में प्रदान किया है।
1. डीआईएन संख्या	अध्यक्ष के विवरण निम्नानुसार हैं :
2. नाम	डीआईएन : 09419082
3. पदनाम	नाम : श्री नाहर सिंह माहेश्वरी
ख) बीआर मुख्य का विवरण	पदनाम : गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक ई-मेलआईडी: nsmaheshwari@cochinshipyard.in
	बोर्ड ने विशेष रूप से बीआर प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए किसी निदेशक को उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है।

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियां : (जी हां/जी नहीं में जवाब दें।)

राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्ग निर्देशों में उल्लिखित 9 सिद्धांत निम्नानुसार हैं :

पी 1	व्यापार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आयोजित और नियंत्रित करना चाहिए।
पी 2	व्यापार को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन चक्र में संवहनीयता दें।
पी 3	व्यापार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
पी 4	व्यापार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए।
पी 5	व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।
पी 6	व्यापार, पर्यावरण को पुनःस्थापित करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।
पी 7	व्यापार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो, इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए।
पी 8	व्यापार को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।
पी 9	व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से लगे रहना है और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	
1 के लिए आपको पॉलिसी/पॉलिसियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
2	क्या संबद्ध हितधारकों के साथ परामर्श से पॉलिसी बनाया जा रहा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां	
3	क्या पॉलिसी किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो, निर्दिष्ट करें। (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
4	क्या पॉलिसी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, तो, क्या इसमें प्रबंध निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां	
5	क्या कंपनी को पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बोर्ड / निदेशक /पदाधिकारी के एक निर्दिष्ट समिति है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां	
6	पॉलिसी ऑनलाइन देखने का लिंक सूचित करें?	पॉलिसियां कंपनी के वेबसाइट में उपलब्ध है। https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68									
7	क्या पॉलिसी को औपचारिक रूप से सभी संबद्ध आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है?	जी हां। पॉलिसियों को कंपनी के उपर्युक्त सूचित वेबसाइट में अपलोड करते हुए हितधारकों को सूचित किया गया है। गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पॉलिसी कंपनी के इंटरनेट और सीएसएल के वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। वही कंपनी के सभी मुख्य स्थानों में प्रदर्शित भी किया जाता है।									
8	क्या कंपनी को पॉलिसी/पॉलिसियों को कार्यान्वित करने के लिए इन-हाउस संरचना है?	जी हां।									
9	क्या कंपनी को पॉलिसी / पॉलिसियों के संबंध में हितधारकों की शिकायत संबोधित करने के लिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित एक शिकायत निवारण तंत्र है?	बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन अपेक्षितानुसार कंपनी में प्रतिभूति संभालनेवाले हितधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य व्यक्तियों की शिकायत संबोधित करने के लिए एक समिति स्थापित की है।									
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य अभिकरण द्वारा इस पॉलिसी के कार्य के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है?	कंपनी नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार के फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सी एवं एजी लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा लेखापरीक्षा, सुरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि जैसे विविध लेखापरीक्षा के अधीन हैं। ये लेखापरीक्षा विविध आंतरिक और बाह्य पॉलिसियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।									

3. बीआर से संबंधित शासन

क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन को आंकने की आवृत्ति को सूचित करें। तीन महीने के अंतर्गत, 3-6 महीने, वार्षिक रूप में, 1 वर्ष से अधिक।

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अविरत आधार पर बीआर निष्पादन की पुनरीक्षा करते हैं। इसके लिए गठित बोर्ड/समितियां वही आवधिक रूप में पुनरीक्षा करती है।

ख) क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट देखने का हाइपरलिंक क्या है ? इसके कितनी बार प्रकाशित किया जाता है ?

जी हां। कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट देखने का हाइपरलिंक https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/53 है।

भाग ड. सिद्धांतवार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यापार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आयोजित और नियंत्रित करना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्तत और भ्रष्टाचार से संबंधित पॉलिसी केवल कंपनी में समाविष्ट है? जी हां/ जी नहीं। क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठन/अन्य के लिए बड़ा है?

कंपनी ने एक अखंडता समझौता निर्धारित किया है जिसे बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किया गया है ताकि वे समय-समय पर 100 लाख से अधिक की उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में किसी भी मुद्दे को उठा सकें। उच्च प्रतिष्ठा और अखंडता के लोग को उक्त अखंडता समझौता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इस समझौते में अनिवार्य रूप से एक करार है जो संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और सीएसएल के बीच दोनों पक्षों के व्यक्तियों/पदाधिकारियों को शामिल करते हुए किया है, जिस के अनुसार ठेके के किसी पहलू/चरण में कोई भ्रष्ट कार्यों का प्रयोग नहीं करना है। वही का उल्लंघन बोलीदाताओं के अयोग्यता और भविष्य के व्यापार कार्यों से बहिष्कार के लिए कारक होगा।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायत मिली हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत तक समाधान किया गया ?

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न हितधारकों से कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायत का समाधान उनकी संतुष्टि के अनुसार किया गया।

सिद्धांत 2: व्यापार को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन चक्र में संवहनीयता दें।

1. आपके उत्पाद या सेवाओं में से 3 तक सूचीबद्ध करें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण विचार, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत में लगी हुई है। चूंकि कंपनी के पास एक उत्पाद है, जो निगमित सामाजिक या पर्यावरण विचार साथ ही साथ उपलब्ध अवसरों से लाभ शामिल करने के लिए डिजाइन किया है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पाद (विकल्प) के प्रति यूनिट उपयोग किए संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :

क) मूल्य निर्धारण श्रृंखला में पिछले वर्ष के बाद से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी ?

कंपनी संवहनीय तरीकों के माध्यम से आर्थिक विकास हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पहचान लेती है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी का नियोजन, प्रापण और आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और संवहनीय विकास कार्यक्रम में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित है।

ख) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) प्राप्त की गई कमी ?

सीएसएल ने विविध ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे कि 1622 केडब्ल्यूपी की क्षमतावाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्पों के बजाय एलईडी लाइटों के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण, ऊर्जा कुशल एलईडी फिटिंग के साथ उच्च बिजली की खपतवाली प्रकाश फिटिंग के प्रतिस्थापन, वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ पारंपरिक स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम के प्रतिस्थापन, साधारण सीलिंग पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष बीएलडीसी/5सितारा पंखे का उपयोग, संपीडित हवा वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित निगरानी और सुधार, भोजन विराम के दौरान एयर क्रंप्रसर को बंद करना, 12:00 घंटे में शॉपों, की एवं डॉक में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करना, जो मैन कूलरों, रूफ एक्सट्रेक्टर्स (स्टार्टर्स के माध्यम से नियंत्रित) ट्रिप हो जाता है, जो भोजन विराम के दौरान आवश्यक नहीं है, ऊर्जा बजट स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, यूनिट के निकट विद्युत कार की निरंतर निगरानी और रखरखाव का कार्यान्वयन किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ प्रति वर्ष लगभग 3.38 लाख यूनिट के ऊर्जा बचत हासिल की गई है।

3. क्या कंपनी को स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं प्रस्तुत हैं ? यदि हां, तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था ?

कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन हेतु निम्नलिखित अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणीकरण वाले विक्रेता, विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माताओं के विविध प्राधिकृत विक्रेता, निर्धारित विनिर्देश और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने के लिए क्षमता, निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेताओं पर प्रस्तुत आदेशों का वार्षिक मूल्यांकन औसत कार्य-निष्पादन निर्धारण करने के लिए पूरा हुआ है, मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके औसत कार्य-निष्पादन के आधार पर एक विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटाया/निलंबित किया जाता है, विक्रेता सूची को वर्ष में एक बार पुनरीक्षित और अद्यतन किया जाता है आदि शामिल हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थान के आसपास समुदायों सहित, स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो, स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के जरिए प्रापण बढ़ाने/ सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, कंपनी एमएसएमई से खरीद/ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। कंपनी ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों और प्रतिबंधों के बावजूद, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 31 मार्च 2022 तक कुल स्वदेशी खरीद में से एमएसएमई से माल और सेवाओं की 25% खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 52% का लक्ष्य हासिल किया है। सीएसएल की पहल से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं।

इसके अलावा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने केरल में एमएसएमई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एक विक्रेता विकास कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन केरल सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 02 नवंबर 2021 को कोट्टयम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ किया गया था और सीएसएल में एफआईसीसीआई और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के सहयोग से 06 जनवरी 2022 को विशेष रूप से एमएसएमई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए एक विक्रेता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

अन्य पहलुओं में, एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना, 'एमएसएमई संबंध' पोर्टल में प्रापण विवरण और अन्य ब्यौरे का नियमित अद्यतनीकरण, यह सुनिश्चित करना कि विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली पर 'एमएसएमई समाधान' पोर्टल में कोई विक्रेता आवेदन लंबित नहीं है, जिसका अर्थ है कि टीआरडीडीएस प्लेटफॉर्म आदि में लगभग 180 विक्रेताओं के बोर्डिंग पर एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान बिना किसी देरी को किया जाता है, आदि शामिल हैं।

5. क्या कंपनी को उत्पादों और अपशिष्टों को पुनःचक्रित करने के लिए एक तंत्र है ? यदि हां, तो, उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग रूप में <5%, 5-10%, >10%) ?

कंपनी के उत्पादों की प्रकृति और उत्पन्न अपशिष्टों के कारण, पुनर्चक्रण के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं है। फिर भी, अपशिष्टों को पर्यावरण प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित ऐसे निपटान या पुनर्चक्रण कार्य करनेवाले अभिकरणों द्वारा निपटाया जाता है।

सिद्धांत 3 : व्यापार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कर्मचारियों की कुल सं. : 1756 (स्थायी कर्मचारियों)
2. अस्थायी/ठेकात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या : प्रतिदिन औसतन 6500
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या: 172
4. स्थायी अशक्त कर्मचारियों की संख्या : 56
5. क्या आपको प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है ?

जी हां, सीएसएल को प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त चार कर्मचारी संघ हैं।

1. कोचीन शिपयार्ड अधिकारी संघ (सीएसओए)
2. कोचीन शिपयार्ड पर्यवेक्षक कर्मचारी संघ (सीएसएसएसए)
3. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संगठन (सीएसईओ)
4. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी फेडरेशन (सीएसईएफ)

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारियां हैं ?

अधिकांश कार्यपालक कोचीन शिपयार्ड अधिकारी संघ के सदस्य हैं। स्थायी कामगारों के मामले में, उनमें से अधिकांश विभिन्न मान्यता प्राप्त यूनियनों से जुड़े हैं।

7. पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या।

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल किए शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/ मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम	कंपनी ने बाल श्रम/ मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम नहीं किया है। कोई शिकायत नहीं है।	लागू नहीं।
2.	यौन उत्पीड़न	1	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. नीचे सूचित कर्मचारियों में से पिछले वर्ष में सुरक्षा और कुशलता प्रशिक्षण दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ?

स्थायी कर्मचारियां: 100%
स्थायी महिला कर्मचारियां: 100%
आकस्मिक/अस्थायी/ठेके कर्मचारियां: 100%
अशक्त कर्मचारियां: 100%

सिद्धांत 4 : व्यापार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों के एक मानचित्र बनाया है ?

जी हां, कंपनी ने अपने आंतरिक साथ ही साथ बाह्य हितधारकों के एक मानचित्र बनाया है।

2. इनमें से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों को पहचान लिया है ?

सीएसएल के सीएसआर परियोजनाओं का लक्ष्य है कि वंचित, कमजोर और अधिकारहीन समुदाय जो केरल में विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण/आदिवासी समुदायों में मौजूद हैं, को लाभान्वित करना। आगे, सीएसएल यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार द्वारा दी गई आरक्षण नीति लागू किया जाता है। सीएसएल उन व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी शामिल है, जिनके लिए परियोजनाएं विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं। कंपनी ने रोजगार के उद्देश्यों के लिए (i) अ.जा./अ.ज.जा. (ii) अशक्त कर्मचारी को वंचित, कमजोर और अधिकारहीन के रूप में पहचान लिया है।

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हितधारकों को लगाने के लिए कोई विशेष पहल उठाया गया है ? यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण करीब 50 शब्दों में प्रदान करें।

सीएसएल ने केरल में अपने सीएसआर जोर क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छता एवं स्मार्ट क्लास रूम, आदिवासी

समुदाय के लिए स्वास्थ्य केयर पहलुओं, अशक्त व्यक्तियों के लिए कई पहलुओं, कुशलता विकास कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए आय के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण और ग्रामीण/आदिवासी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में अन्य हस्तक्षेपके लिए वचनबद्धता की है, जो मुख्य रूप से वंचित, कमजोर और अधिकार हीन हितधारकों में केन्द्रित है। कंपनी एससी/एसटी और अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है।

सिद्धांत 5: व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को लागू है या ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकार/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्यों के लिए बड़ा दी है ?

कंपनी की मानव संसाधन नीतियों में अपने व्यापार के सभी प्रचालनों के साथ जुड़े अपने कर्मचारियों और अन्यों के मानवाधिकार के सभी पहलुओं शामिल हैं और नियंत्रित कंपनी के कर्मचारियों के मानवाधिकार भी इसमें शामिल हैं। मानवाधिकार पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए वचनबद्ध है और इसमें ऐसी नीति है जो कार्यस्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सामने सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी शिकायतों के निवारण एवं निरोध के लिए है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसे समाप्त की गई।

कंपनी, नियंत्रित कंपनी और कंपनी के साथ जुड़े सभी अन्य हितधारकों के लिए सभी मानवाधिकार, कार्य के अनुपालन में वचनबद्ध है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से किस प्रतिशत तक हल किया गया था ?

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 22 शिकायतें निवेशकों से प्राप्त हुई हैं और उसे संतोषजनक रूप में निपटायी गयी।

सिद्धांत 6: व्यापार, पर्यावरण को पुनःस्थापित करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करता है या प्रूप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकार/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्यों के लिए बड़ा दी है ?

कंपनी को कवर करता है। कंपनी के एकीकृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में, मां प्रकृति के प्रति हमारी वचनबद्धता, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम करते हुए और सकारात्मक योगदान को मजबूत करने के हमारे अविरत प्रयास के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। हम इसकी गतिविधियों और उत्पादों के महत्वपूर्ण पर्यावरण पहलुओं को पहचानते हुए और कार्यक्रमों को विकसित करते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से उन्हें कम या नियंत्रित करते हुए हासिल करने का प्रयास करते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को कार्यबल श्रेणी में ईएचएस नियुक्ति में सीआईआई एसआर ईएचएस उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। कंपनी अपने व्यापार भागीदारों/विक्रेताओं/ठेकेदारों को पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं डिजाइन से निपटान तक की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. क्या कंपनी को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के लिए रणनीतियां/पहल हैं ? यदि हां, तो, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

कंपनी को एक विस्तृत मैनुअल है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001:2015 के अपेक्षाओं को पूरा करनेवाले पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक सामान्य प्रक्रियाओं का विवरण देता है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है ?

जी हां।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो, तत्संबंधी विवरण करीब 50 शब्दों में प्रदान करें। साथ ही, यदि हां, तो, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल किया है ?

फिलहाल, कंपनी को स्वच्छ विकास तंत्र के अधीन कोई परियोजना नहीं है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल उठाया गया है। यदि हां, तो, कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें।

सीएसएल ने विविध ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे कि 1622 केडब्ल्यूपी की क्षमतावाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्पों के बजाय एलईडी लाइटों के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण, ऊर्जा कुशल एलईडी फिटिंग के साथ उच्च बिजली की खपतवाली प्रकाश फिटिंग के

प्रतिस्थापन, वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ पारंपरिक स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के प्रतिस्थापन, साधारण सीलिंग पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष बीएलडीसी/5सितारा पंखे का उपयोग, संपीडित हवा वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित निगरानी और सुधार, भोजन विराम के दौरान एयर क्रंप्रेसर को बंद करना, 12:00 घंटे में शॉपों, की एवं डॉक में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करना, जो मैन कुलरों, रूफ एक्सट्रेक्टर्स (स्टार्टर्स के माध्यम से नियंत्रित) ट्रिप हो जाता है, जो भोजन विराम के दौरान आवश्यक नहीं है, ऊर्जा बजट स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, यूनिट के निकट विद्युत कार की निरंतर निगरानी और रखरखाव का कार्यान्वयन किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ प्रति वर्ष लगभग 3.38 लाख यूनिट के ऊर्जा बचत हासिल की गई है।

इसके अलावा, सीएसएल हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन, स्वायत्तता आदि सहित नवीन और नई प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर परिवर्तनकारी प्रयास कर रहा है। इस दिशा में सीएसएल कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल वेसल का निर्माण कर रहा है, जो अपनी तरह का एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल नाव है और कोच्ची के नागरिकों की निर्बाध परिवहन आवश्यकताओं के लिए शहरी जल परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने की उम्मीद है। सीएसएल एएसकेओ मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज के आदेश को भी क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना नॉर्वे में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो आंशिक रूप से नॉर्वेजियन सरकार द्वारा ऑस्लो फ्जोर्ड में माल के उत्सर्जन मुक्त परिवहन के उद्देश्य से एक हरे रंग की नौवहन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वित्त पोषित है।

सीएसएल स्वदेशी भागीदारों के सहयोग से और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कम तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजी पर आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लागू कर रहा है जिसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल भी कहा जाता है।

6. क्या कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर उत्पन्न किए उत्सर्जन/अपशिष्टों के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है ?

जी हां।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण निर्देशन/कानूनी नोटिस की संख्या (अर्थात् संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया है)।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कोई सीपीसीबी/एसपीसीबी कारण निर्देशन/कानूनी नोटिस लंबित नहीं है।

सिद्धांत 7 : व्यापार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो, इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेंबर या संघ का सदस्य है ? यदि हां, तो, केवल उन मुख्यों का नाम दें जिसके साथ आपका व्यापार संबंधित है:

क) भारतीय पोत निर्माता संघ

ख) इंडो जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स

ग) कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री

घ) कोचीन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

ङ) अखिल भारतीय प्रबंधन संघ

च) दि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)

छ) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)

ज) सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक के सुधार एवं प्रगति के लिए कोई वकालत की है ? जी हां/नहीं, यदि हां, तो व्यापक क्षेत्र (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यापार सिद्धांत, अन्य) को निर्दिष्ट करें।

उपर्युक्त संगठन सीएसएल के उन मुद्दों को हल करने के लिए एक प्लाट फॉर्म के रूप में कार्य करते हैं जो इसके हितधारकों को प्रभावित कर सकते हैं। सीएसएल किसी भी विशिष्ट मुद्दों पर लॉबींग के बजाय नीति स्तर की प्रक्रियाओं की वकालत में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

सिद्धांत 8 : व्यापार को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. क्या कंपनी को सिद्धांत 8 से संबंधित पॉलिसी के अनुसरण में कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं निर्दिष्ट किया है ? यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण।

उपरोक्त भागों में सूचानुसार, सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं का लक्ष्य केरल राज्य में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से समुदाय को लाभान्वित करना है और इन्हें कमजोर माना जाता है। ये परियोजनाएं ऐसे समुदायों के समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास के लिए हैं।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को इन-हाउस टीम/निजी संस्था/विदेशी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के जरिए करते हैं ?

सीएसएल परियोजना के निष्पादन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं, सरकारी अधिकरणों और अन्य पेशेवर अधिकरणों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करता है।

3. क्या आपने अपनी पहल के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

जी हां। आयोजित गतिविधि के प्रभाव को देखने के लिए प्रभाव मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। सीएसएल अधिकांश परियोजना के लिए परियोजना के भाग के रूप में प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करता है

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - आईएनआर में राशि और की गई परियोजनाओं का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान ₹15 करोड़ रुपए है। कृपया वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

किसी भी समुदाय विकास कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए किसी समुदाय की नियुक्ति सर्वोत्कृष्ट है। हम योजना चरण में समुदाय की नियुक्ति सुनिश्चित करते हैं और इसके बाद कार्यान्वयन स्तर पर उन्हें शामिल करते हैं। यह न केवल कार्यक्रम की स्वीकृति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी निरंतरता और धारणीयता भी सुनिश्चित करता है।

सिद्धांत 9: व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से लगे रहना है और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का कितने प्रतिशत तक लंबित

कंपनी के ग्राहक बड़े कॉर्पोरेट हाउस, निगम दोनों केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या मंत्रालय हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है, इसके अतिरिक्त स्थानीय कानून के अनुसार क्या अनिवार्य है ? जी हां/जी नहीं/लागू नहीं/अभ्युक्तियां (अतिरिक्त सूचना)।

लागू नहीं। इसलिए कि यह पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रचालनों में लगे हुए हैं।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार कार्यों, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कंपनी के सामने कोई हितधारक ने कोई मामला फाइल किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में कोई लंबित है। यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण 50 शब्दों में दें।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार कार्यों के संबंध में कंपनी के सामने कोई हितधारकों ने कोई मामला फाइल नहीं किया है।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि कार्य किया है ?

जी हां। सभी अनुबंधित पोतों को एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के साथ आयोजित किया जाता है, और उनके अनुभव को साझा करने के इच्छुक मालिकों से फीडबैक लिया जाता है। सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष फर्म द्वारा किया जाता है ताकि ग्राहक से खुली और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण दो चरणों में अनुबंधित पोतों के लिए किया जाता है, एक निर्माण चरण (I) पर और एक वारंटी अवधि (II) के पूरा होने के बाद। निर्माण चरण के दौरान मालिक की किसी भी चिंताओं की पहचान करने के लिए चल रहे निर्माण चरण के दौरान एक अंतरिम प्रतिक्रिया के लिए अभिप्रेत है। यह यार्ड को चिंताओं के क्षेत्र (यदि कोई हो) को समझने में मदद करता है, और मालिक की अपेक्षाओं के स्तर में सुधार के लिए उचित रूप से कार्रवाई शुरू कर सकता है। दूसरे चरण का सर्वेक्षण

सुपुर्दगी और पोत की वारंटी अवधि पूरी होने के बाद होता है, जहां मालिक के पास निर्माण और प्रदर्शन की गुणवत्ता को समझने के लिए पर्याप्त समय होता है, जो अनुबंधित और वितरित नई निर्माण आदेश के लिए उनकी संतुष्टि का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा।

सर्वेक्षण आयोजित किए गए निर्माण के सभी चरणों को पूर्व-अनुबंध चरण से शुरू करते हैं। स्वायत्तता, पहुंच, निर्माण की गुणवत्ता, यार्ड और पोस्ट सुपुर्दगी सेवाओं की समग्र तकनीकी क्षमताओं के बारे में मालिकों से प्रतिक्रिया का अनुरोध किया जाता है। स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें शिपयार्ड उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जिन क्षेत्रों में सुधार का सुझाव दिया गया है। यह स्वतंत्र रिपोर्ट मालिक के दृष्टिकोण से यार्ड की ताकत और कमजोरी को समझने की गुंजाइश प्रदान करती है, और उसी ग्राहक या समान ग्राहकों से संपर्क करते समय बहुत सहायक होती है।

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हम ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों जिसमें दि. 31 मार्च 2022 के तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, तथा वित्तीय विवरण की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण, अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2022 को गूप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संबंधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के प्रत्यक्ष समापन का मापन

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व को पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर पहचानती है। पूरा होने का प्रतिशत प्रत्यक्ष पूर्णता के अनुमानित प्रतिशत के आधार पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों का कार्य निर्धारित शामिल है। नोट 2.4 (महत्वपूर्ण लेखा अनुमान और निर्णय एवं राजस्व मान्यता) और 2.19 (राजस्व मान्यता) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का संदर्भ लें। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रत्यक्ष पूर्णता का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के नियोजन, डिज़ाइन और तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक प्रत्यक्ष समापन के बारे में भी प्रबंधन का अनुमान शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के आधार और मान्यताओं को समझना, डेटा को जानने हेतु प्रणाली को समझना और प्रबंधन को आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करना, ऐसी प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, नमूने का चयन करना और लगातार जाँच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। हालाँकि, हमने आय की मान्यता के उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन और गतिविधि आधारित लागत अनुमान पर पर्याप्त निर्भरता रखी है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट, निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभारित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां और शासन के साथ प्रभार

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2014 के नियम 7 सहित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है, इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारीकरने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें प्रत्यक्ष तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।
- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रणों में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वेध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षितानुसार, हम 'अनुलग्नक क' में आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

2. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप-निदेशों पर रिपोर्ट 'अनुलग्नक ख' में देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क. जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।
 - ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखा है,
 - ग. इस रिपोर्ट में बताए स्टैंडअलॉन तुलन पत्र, लाभ और हानि स्टैंडअलॉन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण और स्टैंडअलॉन नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार है;
 - घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है;
 - ङ. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक जून 5, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) में दिए छूट की दृष्टि में, निदेशकों की आयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।
 - च. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ग में प्रस्तुत अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें, और
 - छ. अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं देते क्योंकि कंपनी को दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दिया है।
 - ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:
 - i. कंपनी ने अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - (स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 44, 45, 46 का संदर्भ लें);

- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है, और
- iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखे के लिए नोट 48 में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई निधि उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) किसी भी तरह से पहचाने जाते हैं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखे के लिए नोट 48 में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित, इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।
- (ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त उप-खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 008015

जोसफ अतुल तॉमसण
साझेदार
सदस्यता सं: 243850
यूडीआईएन : 22243850AJIRRE5626

कोच्ची
20.05.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक (क)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक क के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) (अ) हमारी राय में, कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिपोर्ट बनाए हुए हैं।

(आ) हमारी राय में, कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिपोर्ट बनाए हुए हैं।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है। वर्ष के दौरान, ऐसे सत्यापन में कोई प्रत्यक्ष विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) वित्तीय विवरणों में प्रकट अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिपोर्ट की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सूची सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान सूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। इस तरह के सत्यापन के दौरान सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ख) कंपनी को बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक की गैर-निधि आधारित सीमा स्वीकृत की गई है, जिनका जब भी आवश्यकता होती है, लाभ उठाया जाता है। बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए से अधिक की निधि आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका लाभ कंपनी ने नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ त्रैमासिक रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) साल के दौरान, कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) और मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 31 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही, निदेशकों को वर्ष के दौरान उन्हीं नियमों और शर्तों पर अग्रिम दिया गया है जिन पर यह कंपनी के अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है।

क) साल के दौरान, कंपनी ने ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है या किसी अन्य संस्था को गारंटी प्रदान नहीं की है या निदेशकों को दिए गए अग्रिमों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को दी गई शर्तों पर प्रतिभूति प्रदान की है। सहायक को ऋण पूर्ववर्ती वर्ष में दिया गया था और तुलन पत्र के अनुसार प्राप्य रहता है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई या प्रदान की गई कुल राशि				
सहायक कंपनियां	-	-	-	-
संयुक्त उपक्रम	-	-	-	-
एसोसिएट्स	-	-	-	-
अन्य - निदेशक	-	-	-	1.20 लाख रुपए
निम्नलिखित के संबंध में तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया राशि :				
सहायक कंपनियां :				
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-	-	5 करोड़ रुपए	-
(पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड)				
संयुक्त उपक्रम	-	-	-	-
एसोसिएट्स	-	-	-	-
अन्य-निदेशक	-	-	-	0.36 लाख रुपए

(ख) हमारी राय में, किए गए निवेश और प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम प्रदान करने के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और चुकौती/प्राप्तियां नियमित हैं।

(घ) कंपनी के रिपोर्ट की हमारी जांच के अनुसार, उपरोक्त ऋणों और अग्रिमों के संबंध में कोई राशि अतिदेय नहीं है।

(ड) ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां दिए गए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, नवीनीकृत या विस्तारित किया गया है या एक ही पक्ष को दिए गए मौजूदा ऋणों की अधिक बकाया राशि का निपटान करने के लिए नए ऋण दिए गए हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना।

(iv) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी

निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं हैं।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत लागत रिपोर्ट के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लेखे बही की व्यापक समीक्षा की है और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिपोर्ट बनाए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे सटीक और पूर्ण हैं, इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिपोर्ट की हमारी जांच के आधार पर, सांविधिक बकाया राशि के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि,

(क) कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और उपयुक्त अधिकारियों को अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि दिनांक 31 मार्च 2022 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) उप खंड (क) में निर्दिष्ट कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे विवादों के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है, सिवाय निम्नलिखित के :

(₹ लाखों में)

सांविधि का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि	भुगतान की गई/समायोजित राशि	अदत्त राशि	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1369.11	1369.11*	-	2010-11 2011-12 2014-15 2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)
		700.86	700.86*	-	2010-11 2011-12	आयकर अपील अधिकरण
वित्तीय अधिनियम, 1994	सेवा कर	4,602.92	-	4,601.92	2004-05 से 2014-15 तक	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बेंगलूर
		393.97	15.14	378.83	2015-16 2016-17	आयुक्त (अपील)

(₹ लाखों में)

संविधि का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि	भुगतान की गई/समायोजित राशि	अदत्त राशि	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962	सीमाशुल्क	9,358.73	6,725.48	2,633.25	2003-2004 2013-2014 2018-2019	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बंगलूर
		50.77	-	50.77	1984-1990 2004-2005	सीमाशुल्क आयुक्त, कोच्ची
		14,961.22	-	14,961.22	2010-2015	(केरल उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 ई के तहत विभाग को अपील दायर करने का निदेश देनेवाले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया मामला।)
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	कर्मचारी राज्य बीमा	17.26	-	17.26	2010-2013	माननीय बीमा अदालत, आलप्पुषा

* बाद के वर्षों में धनवापसी के सामने समायोजित।

(viii) कंपनी की बहियों और अन्य अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान लेखा बही में लेनदेन को दर्ज नहीं किया गया है और आय के रूप में सरेंडर या खुलासा नहीं किया गया है।

(ix) (क) कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों की अदायगी या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज का भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूक घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

(घ) कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या वर्ष के दौरान अगले सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) से कोई धन नहीं जुटाया।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी और स्पष्टीकरण, हमें दी गई और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है सिवाय एक अनुबंध पर कर्मचारी द्वारा लगभग 6000 रुपए के मूल्य की सामग्री की एक छोटी सी चोरी के अलावा।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट हमारे द्वारा दर्ज नहीं की गई है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित अन्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों या सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र एडीटी-4 दायर नहीं किया गया है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान, कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के तहत निर्धारित कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां कहीं लागू हो, और विवरणों का खुलासा स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में किया गया है जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए कंपनी की अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमारी राय में कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है।

(घ) हमारी राय में समूह की कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xviii) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती है।

क्र.सं.	नाम	संबंध	सीएआरओ रिपोर्ट के खंड
1.	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) सीआईएन : U27209TN1984GOI010994	सहायक कंपनी	खंड xvii – कंपनी को वर्ष के दौरान 163.39 लाख रुपए का नकद घाटा हुआ है। (पिछले वर्ष के दौरान 124.98 लाख रुपए)

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करनेवाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होनेवाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी और जब वे देय हो जाते हैं।

(xx) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अव्ययित राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी विशेष लेख में अंतरित करने के लिए कोई अव्ययित राशि की आवश्यकता नहीं है।

(xxi) निम्नलिखित को छोड़कर, समेकित, वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है:

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण सं. 008015

जोसफ अतुल तॉमसण
 साझेदार

सदस्यता सं: 243850

यूडीआईएन : 22243850AJIRRE5626

कोच्ची
 20.05.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक (ख)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक ख के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. दिशा निर्देश

1. क्या कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, तो वर्णित किया जा सकता है?

हमारी राय में, कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है।

2. क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों / उधारों / ब्याज आदि के किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या छूट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है?

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर किसी भी मौजूदा ऋण या छूट / उधार / ब्याज के समापन का मामलों का कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाए गए कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है।

3. क्या केंद्रीय / राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केन्द्रीय/ राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होनेवाली धनराशि का उनके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया गया।

ख. उप दिशानिर्देश

1. क्या कोच्ची, मुंबई, कोलकाता और अंडमान में पट्टे पर दी गई जहाज़ मरम्मत सुविधाओं के मामले में, अनुबंध के अनुसार राजस्व बंटवारे/राजस्व मान्यता और लागत आबंटन को बहियों में उचित रूप से शामिल किया गया था।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, जहां कहीं भी संचालन शुरू किया गया है, पट्टे पर पोत की मरम्मत सुविधाओं के मामले में राजस्व बंटवारा/राजस्व मान्यता और लागत बंटवारा अनुबंध के अनुसार बहियों में उचित रूप से दर्ज किया गया था।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण सं. 00801S

जोसफ अतुल तॉमसण
 साझेदार

सदस्यता सं: 243850

यूडीआईएन : 22243850AJIRRE5626

कोच्ची
 20.05.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध (ग)

(दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2022 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रक्रिया हैं। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (“दिशानिर्देश नोट”) के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि

के कारण, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 00801S

जोसफ अतुल तॉमसण
साझेदार
सदस्यता सं: 243850
यूडीआईएन : 22243850AJIRRE5626

कोची
20.05.2022

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दि. 31 मार्च 2022 के समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 20 मई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताओं तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने के लिए प्रकट हो जाएगा।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 28.07.2022

कृते भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों और उनके पक्ष में,
(देविका नायर)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक, चेन्नै

दि. 31 मार्च 2022 का स्टैंडअलॉन तुलन पत्र

ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(₹ लाखों में)			
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	32,984.41	33,275.15
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	35,181.57	36,565.74
(ग) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	1,24,720.14	1,06,164.35
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	5,856.48	5,748.61
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	25,544.52	21,444.52
(ii) ऋण	7	847.84	791.60
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	3,170.72	4,402.23
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	9	3,386.91	3,854.01
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	6,785.94	7,880.94
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	18,275.93	21,388.54
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		2,56,754.46	2,41,515.69
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	12	29,610.69	43,221.40
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	13	39,005.86	35,330.43
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक	14	1,36,731.59	66,721.59
(iii) उपर्युक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	15	1,79,551.09	1,47,916.77
(iv) ऋण	16	68.56	57.20
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	17	3,681.88	1,734.65
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	18	1,86,443.15	2,03,456.25
कुल चालू परिसंपत्तियां		5,75,092.82	4,98,438.29
कुल परिसंपत्तियां		8,31,847.28	7,39,953.98
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	20	4,22,763.93	3,84,602.64
कुल इक्विटी		4,35,917.97	3,97,756.68
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	21	12,300.00	12,300.00
(ia) पट्टा देयताएं	22	38,680.71	38,374.71
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	261.22	261.22
(ख) प्रावधान	24	3,551.00	3,161.39
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	25	9.16	10.30
कुल अप्रचलित देयताएं		54,802.09	54,107.62
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	26	3,374.84	2,556.23
(ii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि	27	701.25	1,527.88
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		36,509.75	42,014.71
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	28	15,946.45	20,959.85
(ख) अन्य चालू देयताएं	29	2,35,276.98	1,64,236.68
(ग) प्रावधान	30	46,751.86	49,484.69
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	9	2,566.09	7,309.64
कुल चालू देयताएं		3,41,127.22	2,88,089.68
कुल इक्विटी और देयताएं		8,31,847.28	7,39,953.98

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 - 2
3 - 59

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमसन
साझेदार
(सदस्यता सं. 243850)
कोची, दिनांक मई 20, 2022

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोची, दिनांक मई 20, 2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का स्टैंडअलॉन विवरण

ब्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)			
I आय			
प्रचालनों से आय	31	319000.25	281889.70
अन्य आय	32	26641.68	19386.07
कुल आय		345641.93	301275.77
II व्यय :			
उपभूक्त सामग्रियों का मूल्य	33	161516.94	121981.82
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	34	41251.43	33631.38
कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	35	30588.56	29157.79
वित्तीय मूल्य	36	4648.04	5046.62
मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	37	5604.75	5307.07
अन्य व्यय	38	17810.08	15928.33
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	39	4783.07	9164.12
कुल व्यय		266202.87	220217.13
III कर पूर्व लाभ		79439.06	81058.64
IV कर व्यय:			
(1) चालू कर	9	19687.24	23293.20
(2) आस्थगित कर	9	1095.00	(3245.00)
V वर्ष का लाभ		58656.82	61010.44
VI अन्य ब्योरेदार आय			
(क) मर्दे जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		(119.78)	121.08
ii) मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		30.15	(30.48)
(ख) मर्दे जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(23.00)	411.01
ii) मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		5.98	(103.44)
वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		(106.65)	398.17
VII अवधि के लिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)		58550.17	61408.61
VIII प्रति ₹ 10 इक्विटी शेयर की आय	40		
(1) मूल (₹ में)		44.59	46.38
(2) तनुकृत (₹ में)		44.59	46.38

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 - 2
3 - 59

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।
संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000801S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमसन
साझेदार
(सदस्यता सं. 243850)
कोची, दिनांक मई 20, 2022

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोची, दिनांक मई 20, 2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

ब्योरा	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	79,439.06	81,058.64
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	5,604.75	5,307.07
ब्याज व्यय	4,648.04	5,046.62
ब्याज आय	(7,587.24)	(10,623.21)
किराया आय	(100.06)	(63.66)
लाभांश आय	(285.99)	(46.56)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	1.02	1.25
सरकार की सहायता से प्राप्त आय	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	(178.41)	(123.99)
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ) /हानि	(173.26)	(404.65)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	81,366.77	80,150.37
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में वृद्धि / घटती	13,446.95	(12,066.39)
व्यापार और अन्य प्राप्यों में वृद्धि / (घटती)	13,400.94	(51,773.02)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	48,292.36	61,385.08
	1,56,507.02	77,696.04
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(15,092.50)	(10,741.43)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	1,41,414.52	66,954.61
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(3,878.79)	(5,019.95)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(18,555.79)	(29,343.70)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	(31,634.31)	(15,176.50)
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	3,112.61	7,930.06
प्राप्त लाभांश	0.00	0.89
एचसीएसएल (सहायक) के इक्विटी शेयरों में निवेश	0.00	(2,800.00)
एचसीएसएल (सहायक) के एनएसडी में निवेश	(3,100.00)	0.00
एचसीएसएल (सहायक) के वरीयता शेयरों में निवेश	0.00	(5,600.00)
यूसीएसएल (सहायक) के इक्विटी शेयरों में निवेश	0.00	(6,500.00)
यूसीएसएल (सहायक) के एनएसडी में निवेश	(1,000.00)	0.00
एचसीएसएल (सहायक) को ऋण	0.00	(1,000.00)
एचसीएसएल(सहायक) द्वारा ऋणों की चुकौती	0.00	1,000.00
यूसीएसएल (सहायक) को ऋण	0.00	(500.00)
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री या वापसी	3.78	2.49
प्राप्त ब्याज	7,384.39	12,359.02
प्राप्त किराया	100.06	63.66
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(47,568.05)	(44,584.03)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

ब्योरा	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
कर्मचारी द्वारा उधार लेना/ ऋणों का पुनर्भुगतान	(67.60)	(274.98)
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	143.43	555.92
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,471.99)	(2,407.38)
प्रदत्त लाभांश	(20,388.76)	(36,831.31)
प्रदत्त ब्याज	(1,051.55)	(1,542.87)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	(23,836.47)	(40,500.62)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांकों में निवल वृद्धि (क) +(ख) +(ग)	70,010.00	(18,130.04)
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	66,721.59	84,851.63
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	1,36,731.59	66,721.59

दिनांक 31 मार्च 2022 को 91155.67 लाख रुपए (दिनांक 31 मार्च 2021 को 37749.10 लाख रुपए) की निर्धारित निधि सहित नकद एवं नकद समकक्ष

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3 - 59

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमसण
साझेदार
(सदस्यता सं. 243850)
कोच्ची, दिनांक मई 20,2022

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444444
कोच्ची, दिनांक मई 20,2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	(₹ लाखों में)				वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2022
	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	पूंजी मोचन आरक्षण	अन्य व्यापक आय		
13,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,154.04	
अप्रैल 01, 2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2021		
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04		

ख. अन्य इक्विटी

ब्योरा	(₹ लाखों में)						कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	आरक्षण व अधिशेष प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	
01 अप्रैल 2021 को शेष	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	3,84,602.64
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियों रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	3,84,602.64
वर्ष का लाभ				58,656.82			58,656.82
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(17.02)			(106.65)
वर्ष के कुल व्यापक आय				58,639.80			58,550.17
लाभांश				(20,388.76)			(20,388.76)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				-			0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)					(0.12)
31 मार्च 2022 को शेष	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	4,22,763.93

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

ख. अन्य इक्विटी (जारी..)

ब्योरा	(₹ लाखों में)						कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	आरक्षण व अधिशेष प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	
01 अप्रैल 2020 को शेष	263.56	93,152.32	6,322.75	2,46,264.63	12,353.76	1,668.44	3,60,025.46
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियों रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	263.56	93,152.32	6,322.75	2,46,264.63	12,353.76	1,668.44	3,60,025.46
वर्ष का लाभ				2,46,264.63			2,46,264.63
वर्ष के अन्य व्यापक आय				61,010.44			61,010.44
वर्ष के कुल व्यापक आय				61,318.01			398.17
लाभांश				(36,831.31)			(36,831.31)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				-			0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)					(0.12)
31 मार्च 2021 को शेष	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	3,84,602.64

अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

सं.सं. - A25337

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमसण

साझेदार

(सदस्यता सं. 243850)

कोच्ची, दिनांक मई 20,2022

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व

मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन - 08444440

कोच्ची, दिनांक मई 20,2022

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 07376798

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("सीएसएल" या "कंपनी" के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाजों के निर्माण और मरम्मत और जहाजों के आवधिक परत और जहाजों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में शामिल और निवास करती है। निगमित कार्यालय का पता पेरुमानूर, कोच्ची, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2022 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक मई 20, 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है :

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,
- संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है ;
- संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;
- परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

- पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।
- अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता औप बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

अनकोटेड निवेशों की हानि

कंपनी हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्यों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के पहचान के लिए निर्णय और आकलनों का उपयोग आवश्यक है। जहाँ अनुमान वास्तविक आकलनों से भिन्न है ऐसी भिन्नता परिवर्तित की गई जिस अवधि में ऐसे आकलन व्यापार और अन्य प्राप्यों तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण व्ययों के कैरियिंग मूल्य को प्रभावित किया जाएगा। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रत्याशित जीवन पर अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्यों और अग्रिमों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

का दाम कैसे जोड़ेगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल हैं। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों के लिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मर्दों के कैरियिंग मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिनिर्धारित नुकसान

कंपनी की परिनिर्धारित नुकसान के सामने दावे वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है। समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार, कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त नुकसान के दावे को मान्यता दी जाती है।

निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल हैं। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड

की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने संक्रमण तिथि यानी 01 अप्रैल 2015 को कैरियिंग लागत को भारतीय लेखाकरण मानक के तहत अनुमानित लागत के रूप में विचार करने से एक बार संक्रमण छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद ऐतिहासिक लागत के रूप में माना जाता है।

पी पी ई नि: शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मर्दों की लागत वस्तुगत है और विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभाषित किया है।

2.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल हैं।

2.7 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.8 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) 'पट्टे' दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और सही उपयोग की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में किसी भी पट्टे पर प्रोत्साहन कम होता है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में:

कंपनी की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल हैं, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (i) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल हैं, (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफ़ी हैं और (iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि

और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है। उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टे भुगतान के लिए या उससे पहले पट्टे भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है। वे बाद में लागत कम संचित मूल्यहास और हानि पर मापा जाता है, यदि कोई हो। उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है। एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है। पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है। पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

2.9 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये आर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति तके निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपाजित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है। उपयोग की संपत्ति का अधिकार उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती है।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष
गोदी और घाट	15 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
ट्रेनेज और पानी की आपूर्ति	15 वर्ष
जलयान	13-28 वर्ष

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड़ उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रनीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

कंपनी एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरिंग लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो।

बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं है।

2.13 सहायक कंपनी में निवेश

कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक-27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी नियंत्रित कंपनी के लिए लागत पर गणना की है।

2.14 माल सूची

(क) कच्चे मालों, घटकों, भण्डार और पूर्ण का भारत औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/अनुपयोगित/गुण हास प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीक के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। मार्गस्थ और निरीक्षण लंबित मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। रक्षा पोतों के निर्माण के संबंध में सामग्रियों के स्टॉक जिसमें उपगत मूल्य मालिक द्वारा प्रतिपूर्ति की है, यान के निर्माण के लिए मालिक द्वारा प्रदान अग्रिमों से घटाव के रूप में दर्शाया है।

(ख) असंयत औजारों का मूल्यांकन उनके लागत के आधार पर किया गया और उनके अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत को पुन मूल्यांकन पर होने वाली हानि के लिए प्रावधान करने के बाद किया गया।

(ग) रदियों का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

2.15 वित्तीय साधन

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है आगर ये वित्तीयपरिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड़ प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड़ प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिमाप्य लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती है: संपत्ति एक व्यावसायिक नमूने के भीतर संभाली जाती है, जिसका उद्देश्य है:

1. संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति रखने, और
2. परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती है जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया राशि पर होती हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल हैं। हानि से उत्पन्न होनेवाले नुकसान को लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता दी गई है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगड़ा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टि कोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है जब वसूली संदेहात्मक माना जाता है जब कर्ज तीन साल से अधिक है या अगर यह निश्चित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है। जहाँ ऋण कानूनी कार्यवाहियों में विवादित होते हैं, अगर किसी भी निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है तो प्रावधान किया जाता है, यद्यपि वही उच्च अधिकारियों/ अदालतों को अपील पर ले लिया गया है। क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में बताए आर्थिक वस्तुओं को तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में पुनः मापा जाता है। गैर आर्थिक विदेशी मुद्रा मर्दें लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय भिन्नता के कारण किसी भी आय या व्यय निपटान पर या संशोधित विवरण पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम ठेकाओं को विदेशी विनिमय जोखिमों के संबंध में प्रतिरक्षा साधनों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इन प्रतिरक्षा को नकद प्रवाह प्रतिरक्षा के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेकाओं का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्त्वों प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधनों को ठेके की शुरुआत में प्रतिरक्षा के रूप में निर्दिष्ट और प्रलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा साधनों की प्रभावशीलता जो प्रतिरक्षा की जा रही है आरंभ में और निरंतर आधार पर मूल्यांकित और मापा जाता है। निर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं के अप्रभावी भाग तत्काल से लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेकाओं का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्त्वों प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है। अन्य सर्वग्राही आय में मान्य किए और उस समय तक इक्विटी में संचित और अवशेष किसी भी लाभ अथवा हानि विवरण में नाम्य किया जाता है जब कि पूर्वानुमानित लेनदेन अंततः लाभ और हानि को प्रभावित करता है। जब तक पूर्वानुमानित लेनदेन की उम्मीद नहीं की जाती है, इक्विटी में संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

2.16 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहकों को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

2.17 अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग

तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

2.19 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने एएस115 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' को अपनाया है। प्रारंभिक आवेदन की तारीख (1 अप्रैल, 2018) को पूरा नहीं किए गए अनुबंधों के संबंध में, कंपनी ने ओपन डेट बैलेंस के समायोजन के रूप में प्रभावी तिथि पर समान लागू करने के संघर्ष प्रभाव को पहचानकर मानक पूर्वव्यापी लागू किया है। पूर्व में अर्जित आय और तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

छोड़कर जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिजाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य है, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है, सिवाय पोत निर्माण वित्तीय सहायता के मामले, जो अनुबंध के संबंध में आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति की मान्यता प्राप्त है, जो एसबीएफए नीति के तहत पात्र हैं। प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

ऐसी परिस्थितियों, जहां कंपनी यथाचित प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूल करेगी, कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए खर्चों की सीमा तक मानती है जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथाचित माप नहीं सकता। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमानों से नुकसान का संकेत मिलता है, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे जितना भी काम किया जाए।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों

को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले विक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की विक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है, हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन विक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है। भुगतान शर्तें ग्राहकों के साथ संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य पर आधारित है। निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य को प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं।

ख) अन्य आय

i) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा। सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय को पैरा (क) में निर्दिष्ट तरीके से परिचालन से राजस्व के रूप में जाना जाता है।

ii) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

iii) बीमा दावे के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

iv) अन्य

लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित किया गया हो।

2.20 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

रोजगार पश्चात् लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो कि वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभारित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमाकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

2.21 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य

परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.22 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है, जिसमें कंपनी भविष्य के वर्षों में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अलावा समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है।

2.23 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.24 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियां और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरिगिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरिगिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.25 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी सेयरों की भारत औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.26 खंडों रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का

निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार खंडों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य खंडों के रूप में पहचान की है। व्यापार खंड में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है। खंड राजस्व, खंड व्यय, खंड परिसंपत्तियां और खंड देयताएं खंड की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर खंड के रूप में पहचान की गई है।

खंड राजस्व, खंड व्यय, खंड परिसंपत्तियां और खंड देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर खंडों के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

2.27 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थान या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.28 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। अंतरिम लाभांश के मामले में, मान्यता उस अवधि में की जाती है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वारा इसकी सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है।

2.29 हाल की अधिसूचनाएं

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च 2022 को एमसीए ने कंपनी

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया।

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो भविष्य निधि और अनुदान के लिए कंपनी के योगदान को प्रभावित करेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 13 नवंबर 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है और उन हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं जिनपर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एक बार विषय नियम अधिसूचित हो जाने के बाद कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां प्रभाव और उसके मूल्यांकन का आकलन करेगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें कोड प्रभावी हो जाता है और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं।

भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण - 52 - संशोधन स्पष्ट करता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जानेवाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों से परीक्षण की लागत, यदि कोई हो से अधिक उत्पादित वस्तुओं की निवल

विक्री आय की अधिकता को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन कटौती की जाएगी। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि है। कंपनी मानक द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रभाव देने के लिए उनका मूल्यांकन करेगी।

भारतीय लेखा मानक 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां - संशोधन निर्दिष्ट करता है कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वह लागत शामिल है जो सीधे अनुबंध से संबंधित है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आबंधन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। (एक उदाहरण अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आबंधन होगा।) इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि अप्रैल 01, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अपनाने की अनुमति है। कंपनी मानक द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रभाव देने के लिए उनका मूल्यांकन करेगी।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

व्योरा	सकल कैरिंग राशि		31 मार्च 2022 को	मूल्यह्रास			निवल कैरिंग राशि	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समावोजन		वर्ष के दौरान निपान/ समावोजन	वर्ष के लिए	समावोजन/ आहरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्वामित्व संपत्ति								
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54		587.54				587.54	587.54
इमारतें	16,576.51	1,244.63	17,821.14	2,981.38	579.64	3,561.02	14,260.12	13,595.13
संयंत्र और मशीनरी	20,056.24	955.05	21,011.38	8,921.93	2,005.72	0.61	10,927.04	11,134.31
फर्नीचर और जुड़ाव	1,360.41	92.47	1,452.88	598.19	118.32	0.06	716.45	762.22
माडियाँ	612.74	26.95	639.69	312.12	55.03		367.15	300.62
कार्यालय उपकरण	454.11	56.64	510.75	228.93	62.19	0.34	290.78	225.18
अन्य								
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,819.28	573.30	2,392.58	1,071.38	303.11	5.88	1,368.61	747.90
गोदी और घाट	4,466.45		4,466.45	1,841.96	299.41		2,141.37	2,624.49
रेलवे साइडिंग	1.10		1.10	-			-	1.10
विद्युत संस्थापन	1,831.03	56.51	1,887.54	982.17	120.54		1,102.71	848.86
नाली और जलपूर्ति	6.67		6.67	-			-	6.67
जलयान	19.74		19.74	7.08	1.36		8.44	12.66
उप कुल	47,791.82	3,005.55	50,797.37	16,945.14	3,545.32	6.89	20,483.57	30,846.68
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ								
इमारतें	2,193.35	129.04	2,322.39	542.05	105.83		647.88	1,651.30
संयंत्र और मशीनरी	654.65	217.22	871.87	109.37	44.78		154.15	545.28
गोदी और घाट	9.62		9.62	8.35			8.35	1.27
विद्युत संस्थापन	400.26	101.06	501.32	169.64	42.82		212.46	230.62
उप कुल	3,257.88	447.32	3,705.20	829.41	193.43	-	1,022.84	2,428.47
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार								
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,172.92		39,172.92	2,709.60	1,354.62		4,064.22	36,463.32
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07		173.07	70.65	29.55		100.20	102.42
उप कुल	39,345.99	-	39,345.99	2,780.25	1,384.17	-	4,164.42	36,565.74
कुल	90,395.69	3,452.87	93,836.81	20,554.80	5,122.92	6.89	25,670.83	69,840.89

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

व्योरा	सकल कैरिंग राशि		वर्ष के दौरान निपटान/ समावोजन		वर्ष के लिए		मूल्यहास		निवल कैरिंग राशि	
	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समावोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समावोजन	31 मार्च 2021 को	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	समावोजन/ आहरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-				587.54	587.54
इमारतें	13,805.43	2,771.08		16,576.51	2,448.18	533.20		2,981.38	13,595.13	11,357.25
संयंत्र और मशीनरी	18,908.02	1,148.83	0.61	20,056.24	7,076.60	1,845.72	0.39	8,921.93	11,134.31	11,831.42
फर्नीचर और जुड़ाव	1,237.54	125.09	2.22	1,360.41	485.75	113.99	1.55	598.19	762.22	751.79
माडियां	599.11	13.67	0.04	612.74	256.49	55.65	0.02	312.12	300.62	342.62
कार्यालय उपकरण	382.04	72.73	0.66	454.11	172.07	57.27	0.41	228.93	225.18	209.97
अन्य										
डटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,338.03	489.13	7.88	1,819.28	830.14	246.54	5.30	1,071.38	747.90	507.89
गोदी और घाट	4,466.45			4,466.45	1,542.55	299.41		1,841.96	2,624.49	2,923.90
रेलवे साइडिंग	1.10			1.10					1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,765.00	66.03		1,831.03	864.80	117.37		982.17	848.86	900.20
नाली और जलपूर्ति	6.67			6.67					6.67	6.67
जलयान	19.74			19.74	5.72	1.36		7.08	12.66	14.02
उप कुल	43,116.67	4,686.56	11.41	47,791.82	13,682.30	3,270.51	7.67	16,945.14	30,846.68	29,434.37
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ										
इमारतें	2,105.50	87.85		2,193.35	441.45	100.60		542.05	1,651.30	1,664.05
संयंत्र और मशीनरी	518.62	136.03		654.65	74.20	35.17		109.37	545.28	444.42
गोदी और घाट	9.62			9.62	8.35			8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	360.77	39.49		400.26	132.06	37.58		169.64	230.62	228.71
उप कुल	2,994.51	263.37	-	3,257.88	656.06	173.35	-	829.41	2,428.47	2,338.45
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,172.92			39,172.92	1,354.98	1,354.62		2,709.60	36,463.32	37,817.94
उपयोग का अधिकार- इमारतें	98.11	74.96		173.07	35.36	35.29		70.65	102.42	62.75
उप कुल	39,271.03	74.96	-	39,345.99	1,390.34	1,389.91	-	2,780.25	36,565.74	37,880.69
कुल	85,382.21	5,024.89	11.41	90,395.69	15,728.70	4,833.77	7.67	20,554.80	69,840.89	69,653.51

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य हास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इनमें से अधिकांश इमारतों के ध्वस्त होने की संभावना है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसंपत्तियों को (1291.52 लाख रु) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित और कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह कार्यकाल इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की दरों पर पहुँचने हेतु एक आधार के रूप में किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नोट सं. 3 में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से ली गई भूमि इन परिसंपत्तियों के साथ निर्मित परिसंपत्तियाँ / पट्टे में लिए भूमि में स्थापित करने, को अलग अलग से प्रकट किया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांडो के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी के भू संपत्तियों पर 12300 लाख रु. का बंधक सृजित किया है।

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	1,13,288.18	98,315.49
पूँजी यार्ड मद	11,431.96	5,371.20
मार्गस्थ वस्तुएं	-	2,477.66
कुल	1,24,720.14	1,06,164.35

दिनांक 31.03.2022 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	22317.74	43,052.90	34049.39	25300.11	124720.14
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2021 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	46,646.83	34,214.38	19,312.19	5,990.95	1,06,164.35
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य (जारी..)

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा	-	56136.01	-	-
सूखी गोदी	65082.67	-	-	-
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	1625.24	-	-	-
आईटी सुरक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली	817.93	-	-	-
डॉक मॉनिटरिंग प्रणाली	32.17	-	-	-
कैसॉन गेट	565.90	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	-	1534.84	-	-
सूखी गोदी	-	52183.49	-	-
सीएमएसआरयू में बिजली का कार्य	36.31	-	-	-
आईटी नेटवर्क संरचना की आपूर्ति और स्थापना	318.76	-	-	-

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरिडिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरिडिंग राशि	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,565.16	425.95	-	1,991.11	1,443.22	107.74	-	1,550.96	440.15	121.94
भूमि और पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	1,373.33	210.34	-	1,583.67	5,416.33	5,626.67
	8,592.83	425.95	-	9,018.78	2,844.22	318.08	-	3,162.30	5,856.48	5,748.61

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरिडिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरिडिंग राशि	
	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2021 को	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,495.14	70.02	-	1,565.16	1,366.57	76.65	-	1,443.22	121.94	128.57
भूमि और पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	1,162.99	210.34	-	1,373.33	5,626.67	5,837.01
	8,522.81	70.02	-	8,592.83	2,557.23	286.99	-	2,844.22	5,748.61	5,965.58

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां (जारी..)

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, पट्टे की अवधि के दौरान दो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, ऋण चुकाना है। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 तक प्राप्त की जाती है, इसलिए 30 वर्ष की पट्टा अवधि प्रभावी रूप से इस तिथि से शुरू होती है।

नोट 6 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अनकोट्ट (पूर्णतया प्रदत्त)		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
क) लागत पर		
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर		
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- प्रत्येक 10 रु के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,935.34	4,935.34
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)- प्रत्येक 10 रु के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर	6,500.00	6,500.00
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर		
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति में निवेश (प्रत्येक 100 रूपए के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रूपए के 70000)	7.00	7.00
कोचीन वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रूपए के 100000 इक्विटी शेयर)	-	-
ऋण साधनों में निवेश		
क) परिशोधित लागत पर		
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश, 5,60,00,000, ₹10 प्रत्येक का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय प्रतिदान लेकिन आबंटन की तारीख से 10 साल बाद नहीं।)	5,600.00	5,600.00
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की नियंत्रित कंपनी मै.हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश, प्रत्येक ₹1000 के 440000, 6.5% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (60 महीने के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय)	4,400.00	4,400.00
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश, प्रत्येक 10 रूपए के 310000, 6.15% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (आबंटन की तारीख से 5 साल बाद रिडीम करने के विकल्प के साथ डिबेंचर की अवधि 120 महीने हैं।)	3,100.00	-
मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (डिबेंचर) में निवेश, प्रत्येक 1000 रूपए के 100000, 6% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय।)	1,000.00	-
कुल	25,544.52	21,444.52
अनकोट्ट निवेश का कुल मूल्य	25,544.52	21,444.52

निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : निवेश- गैर चालू (जारी..)

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के एक सहायक कंपनी मै. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को दि. 23 अक्टूबर 2017 को मै. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मै. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक व्यवस्था के रूप में निगमित किया गया था जिसमें सीएसएल को नकद (74%) के लिए प्रत्येक 10 रु. अंकित मूल्य वाले 16280000 इक्विटी शेयर और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को नकद (26%) को छोड़कर विचार के लिए प्रत्येक 10 रु अंकित मूल्य वाले 5720000 इक्विटी शेयर है, वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के 57,20,000 (26%) इक्विटी शेयरों संप्राप्त किया है, जिसकी कुल राशि 506.08 लाख रुपए है और एचसीएसएल अब सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली (100%) सहायक कंपनी बन गई है। एचसीएसएल के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 50,00,00,000 रुपए है, जो प्रत्येक 10 रुपए के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के पूर्ण प्रदत्त 10/- के अंतिम मूल्य के 2,80,00,000 का निवेश किया। उक्त इक्विटी शेयर लाभांश सहित सभी प्रकार से कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे। एचसीएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का लेखा भारतीय लेखा मानक 27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने दिनांक 04 मार्च 2020 को टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। एनसीएलटी आदेश के अनुपालन में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने दिनांक 15 सितंबर 2020 को यूसीएसएल (पूर्व टीएसएल) के अधिग्रहण के लिए बोली राशि का भुगतान किया, जिससे यूसीएसएल (पूर्व टीएसएल) सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। यूसीएसएल (पूर्व टीएसएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 65,00,00,000 रुपए है, जो प्रत्येक 10/- रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है और यूसीएसएल (पूर्व टीएसएल) में इस निवेश को दिनांक 30 सितंबर 2020 से भारतीय लेखा मानक 27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर हिसाब में लिया गया है।

नोट 7: गैर चालू ऋण

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण		
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		500.00
(ख) अन्य ऋण		
कर्मचारियों को ऋण		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियों	347.84	291.60
कुल	847.84	791.60

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

कंपनी ने अपने प्रचालन चरण के दौरान खर्चों को पूरा करने हेतु सहायक कंपनी टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड को 5.5 प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ अप्रतिभूत ऋण के रूप में 500 लाख रुपए का निवेश किया। मूल राशि का भुगतान संवितरण की तारीख से 5 वर्ष के अंत में किया जाना है, अर्थात् 17 सितंबर 2025 को। ब्याज की चुकौती संवितरण की तारीख से वार्षिक आधार पर की जानी है।

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
सुरक्षा जमा	77.42	71.16
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना अनुवृत्ति	2,739.94	4,255.65
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति		29.75
वरीयता शेयरों में निवेश से अर्जित लाभांश आय	331.66	45.67
कुल	3,170.72	4,402.23

भारत सरकार ने दिनांक अप्रैल 01, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए एक वित्तीय सहायता नीति को अनुमोदित किया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	3,386.91	3,854.01
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(2,566.09)	(7,309.64)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	20,431.12	24,372.08
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(743.88)	(1,078.88)
कुल (क)	19,687.24	23,293.20
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	1,095.00	(3,245.00)
कुल (ख)	1,095.00	(3,245.00)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क + ख)	20,782.24	20,048.20

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	79,439.06	81,058.64
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	19,993.22	20,400.85
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	5,542.57	7,469.50
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(5,388.12)	(3,909.11)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	407.59	374.25
अन्य	(124.14)	36.59
	20,431.12	24,372.08
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(743.88)	(1,078.88)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	1,095.00	(3,245.00)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	20,782.24	20,048.20

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आस्थगित कर दायित्व	(2,540.98)	(2,682.55)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	9,326.92	10,563.49
कुल	6,785.94	7,880.94

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) (जारी..)

2021-22 के संबंध में आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,003.68)	1,667.49	-	(7,336.19)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,697.54	(140.88)	-	2,556.66
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(17.86)	(0.41)	-	(18.27)
अन्य	(1,556.94)	(431.20)	-	(1,988.14)
कुल	(7,880.94)	1,095.00	-	(6,785.94)

2020-21 के संबंध में आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(6,425.47)	(2,578.21)	-	(9,003.68)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,813.14	(115.60)	-	2,697.54
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	(28.88)	11.02	-	(17.86)
अन्य	(994.73)	(562.21)	-	(1,556.94)
कुल	(4,635.94)	(3,245.00)	-	(7,880.94)

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूँजी अग्रिम	17,775.05	20,887.66
पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	239.66	239.66
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
कुल	18,275.93	21,388.54

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के आयकर विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 23 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू ।

नोट 12 : मालसूचियाँ (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कच्चे माल और घटक*	28,138.34	40,614.93
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(480.14)	(353.87)
मार्गस्थ माल*	533.53	994.01
कुल	28,191.73	41,255.07

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 : मालसूचिया (जारी..) (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भंडार व पूर्ण*	669.26	714.45
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(49.89)	(11.61)
मार्गस्थ माल*	32.72	393.16
	652.09	1,096.00
असंयत औजार*	627.07	658.82
रद्दी माल*	139.80	211.51
कुल	29,610.69	43,221.40

*माल सूचियों का मूल्यांकन नोट सं. 2 में दी गई लेखाकरण नीति सं. 2.14 के अनुसार किया गया है।

(i) मालसूची में भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के साथ शेष आईएसी ठेका ₹ 8977.28 लाख (पिछले वर्ष 14757.40 लाख रुपए) के कोस्ट प्लस भाग के अधीन प्राप्त खरीदे गए घटक और कच्चे माल स्टोक शामिल नहीं है और आईएसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लिए अग्रिम पर दिखाया गया है।

(ii) मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पुर्जों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू (₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	39,005.86	35,330.43
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	10,439.67	10,215.58
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(10,439.67)	(10,215.58)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	39,005.86	35,330.43

व्यापार प्राप्तियाँ सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची (₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	28300.71	6015.39	4294.08	395.68	0.00	39005.86
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	226.00	70.28	1117.23	1413.51
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	63.65	15.55	8946.96	9026.16
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चाल (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
	28,300.71	6,015.39	4,583.73	481.51	10,064.19	49,445.53
घटाव : दिनांक 31.03.2022 को ईसीएल प्रावधान						10,439.67
दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य						39,005.86

दिनांक 31.03.2021 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य	18972.95	8195.52	5710.12	145.57	0.00	33024.16
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	300.36	25.69	1061.86	1387.91
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य	0.00	0.00	0.00	2306.27	0.00	2306.27
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00	0.00	1336.56	7491.11	8827.67
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,972.95	8,195.52	6,010.48	3,814.09	8,552.97	45,546.01
घटाव : दिनांक 31.03.2021 को ईसीएल प्रावधान						10,215.58
दिनांक 31.03.2021 को व्यापार प्राप्य						35,330.43

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रारंभिक शेष	10,215.58	13,588.08
जोड़िए: प्रावधान किया/ वर्ष के दौरान किए स्थानांतरण	2,984.36	672.78
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	2,760.27	4,045.28
जमा शेष	10,439.67	10,215.58

नोट 14 : रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
रोकड़ शेष	-	
बैंक शेष		
चालू खाते में	10,525.92	10,660.42
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	91,155.67	37,749.10
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	35,050.00	18,312.07
कुल	1,36,731.59	66,721.59

देशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियां अलग खाते और अलग से प्रकट किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	15,100.00	62,262.58
तीन महीने से ज्यादा समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	59,797.71	-
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा**	33,432.00	687.34
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	71,161.67	84,929.09
	59.71	37.76
कुल	1,79,551.09	1,47,916.77

* तीन महीने से कम की परिपक्वता वाले बैंकों के पास जमा, कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने हेतु यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

**बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में ₹97.45 लाख रुपए (पिछले साल 93.01 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।

नोट 16 : चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	68.56	57.20
कुल	68.56	57.20

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,424.87	1,371.77
अन्यों से अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां	295.13	167.17
कर्मचारी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां		-
अन्य कर्मचारी	39.23	17.43
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1,921.35	
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	1.30	178.28
कुल	3,681.88	1,734.65

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.36	0.39
अन्य अग्रिम	39,806.87	21,067.43
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	1,030.17	0.07
	40,837.40	21,067.89
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1,030.17	0.07
	39,807.23	21,067.82
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	-	49,677.10
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियाँ	34,961.10	45,461.76
बिक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	283.22	290.66
विविध जमाराशियाँ	76.23	17.72
पूर्वदत्त व्यय	618.86	323.88
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,08,348.77	84,861.03
विविध चालू परिसंपत्तियाँ	2,347.74	1,756.28
कुल	1,86,443.15	2,03,456.25

नोट 19 : इक्विटी शेयर पूँजी

ब्योरा	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	संख्या	(₹ लाखों में)	संख्या	(₹ लाखों में)
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	संख्या	(₹ लाखों में)	संख्या	(₹ लाखों में)
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00	0	0.00
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूँजी के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 19 : इक्विटी शेयर पूँजी (जारी..)

19.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूँजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	95843464	72.86

19.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	शून्य

नोट 20 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पूँजी आरक्षण	263.56	263.56
पूँजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,152.08	93,152.20
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,668.44
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेडज रिजर्व	0.97	90.60
प्रतिधारित कमाई	3,09,002.37	2,70,751.33
कुल	4,22,763.93	3,84,602.64

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूँजी आरक्षण: पूँजी निधि में कंपनी की जमीन के माध्यम से नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ₹ 263.56 लाख रुपए बहाली शुल्क शामिल है।

पूँजी मोचन आरक्षण : ₹ 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ₹ 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण : सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया था और प्रीमियम (₹93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आर्बटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडिएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आर्बटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : अन्य इक्विटी (जारी..)

सामान्य आरक्षित निधि : सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेडज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेडज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेडजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 43 देखें।)

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 6 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के और 10/-रुपए के अंकित मूल्य के 7/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 11 नवंबर 2021 और फरवरी 10, 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 20, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 3.75/- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

नोट 21 : उधार

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) बांड- (प्रतिभूत)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	12,300.00	12,300.00
कुल	12,300.00	12,300.00

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 22: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	38,680.71	38,374.71
कुल	38,680.71	38,374.71

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 23: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के देय	261.22	261.22
कुल	261.22	261.22

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 11 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 24: प्रावधान- गैर चालू

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 35 का संदर्भ लें)	3,551.00	3,161.39
कुल	3,551.00	3,161.39

नोट 25: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	9.16	10.30
कुल	9.16	10.30

नोट 26: पट्टा देयताएं

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	3,374.84	2,556.23
कुल	3,374.84	2,556.23

नोट 27 : व्यापार देय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	701.25	1,527.88
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	36,509.75	42,014.71
कुल	37,211.00	43,542.59

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 27 : व्यापार देय (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	701.25	1,527.88
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना);	-	-
प्रत्येक लेखावर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई बकाया नहीं	701.25				701.25
बकाया					
(ii) अन्य बकाया नहीं	33626.43				33626.43
बकाया	2778.84	26.50	50.44	27.54	2883.32
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					0.00
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					0.00
कुल	37,106.52	26.50	50.44	27.54	37,211.00

दिनांक 31.03.2021 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई बकाया नहीं	1,527.88				1527.88
बकाया					
(ii) अन्य बकाया नहीं	35937.02				35937.02
बकाया	5999.71	50.44	17.90	9.64	6077.69
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					
कुल	43,464.61	50.44	17.90	9.64	43,542.59

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं	281.98	281.98
अवैतनिक लाभांश	59.71	37.76
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	-	57.21
अन्य		
सुरक्षा और अन्य जमा	6,943.36	9,349.34
अन्य देय	8,661.40	11,233.56
कुल	15,946.45	20,959.85

नोट 29 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों (निवल) के लिए अनुबंध दायित्व	48,950.10	-
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता		1,60,155.13
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य ठेकों के लिए अग्रिम	4,402.27	758.45
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	27.76	26.46
सांविधिक देय	4,791.18	3,295.50
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	2,35,276.98	1,64,236.68

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 41 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

अवसंरचना सुविधाओं की लागत जो अब नौसेना की निधि द्वारा समायोजित की गई है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भवन और अन्य सिविल कार्य	16,196.67	13,764.07
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,338.81	1,338.51
फर्नीचर और कार्यालय उपकरण	387.03	386.75
संयंत्र व मशीनरी	16,885.70	16,885.70
कुल	34,808.21	32,375.03

नोट 30 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	546.79	272.09
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 35)	419.62	515.45
अन्य	-	-
कुल	966.41	787.54

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30 : चालू प्रावधान (जारी..)

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,665.50	2,662.17
पोत निर्माण घटाने के लिए प्रावधान	7,573.00	11,658.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए प्रावधान	35,546.95	34,376.98
	45,785.45	48,697.15
कुल	46,751.86	49,484.69

30.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2021 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	272.09	396.09		121.39	546.79
क्षतिपूर्णा अवधि	515.45	435.07		530.90	419.62
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,662.17	3.33			2,665.50
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	11,658.00			4,085.00	7,573.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	34,376.98	36,459.80	31,553.48	3,736.35	35,546.95

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2020 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	1,048.51	272.09	(1,048.51)	-	272.09
क्षतिपूर्णा अवधि	533.22	-	(17.77)	-	515.45
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	209.12	2,560.12	(107.07)	-	2,662.17
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,287.00	6,371.26	(0.26)	-	11,658.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	31,059.28	30,884.93	(25,127.66)	(2,439.57)	34,376.98

नोट 31 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	179266.04	200925.37
स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य जलयान	67606.85	35831.94
	2,46,872.89	2,36,757.31

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 31 : प्रचालन से आय (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	65,752.72	40,850.24
इंजीनियरिंग कार्य	-	5.50
	65,752.72	40,855.74
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मर्दों की बिक्री	14.67	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3,486.17	3,420.09
रद्दी माल की बिक्री	1,373.80	544.23
प्रबंधन शुल्क	1,500.00	312.33
	6,374.64	4,276.65
कुल	3,19,000.25	2,81,889.70

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 41 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

प्रचालन से राजस्व में से, 9503.19 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 2567.77 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ़ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता नीति के मंजूरी दी। इस सहायता हेतु राजस्व की पहचान अब तक पूर्ण की गई सक्सिडी के तहत जहाजों के प्रत्यक्ष निष्पादन के मापन पर आधारित है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना संचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल प्रशासन को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। सीएसएल सुविधा में विस्तार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करेगा और द्वीपों में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

नोट 32 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	342.84	106.27
रद्दी माल और भंडार से आय	582.05	85.90
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	24.11	12.94
किराया प्राप्त	325.23	259.19
प्राप्त बाड़े	1.72	1.10
जमाओं पर ब्याज	5,679.22	8,718.43
अन्यों से ब्याज	1,908.02	1,904.78
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	285.99	45.67
इक्विटी निवेश/ म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	0.89
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	173.26	404.65

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : अन्य आय (जारी..)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	(₹ लाखों में)	
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	178.41	123.99
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	8,418.30	4,365.45
बैंक गारंटी नकदीकरण से प्राप्त राशि - निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा जब्त कर ली गई**	6,100.00	-
विविध आय*	2,622.53	3,356.81
कुल	26,641.68	19,386.07

*विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई है।

**वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम करने में ठेकेदार की अक्षमता के कारण कोची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने में टर्नकी कार्य के लिए अनुबंध रद्द कर दिया। नतीजतन, कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी और प्रतिभूति जमा के लिए प्राप्त बैंक गारंटी को नकदीकरण किया और संपर्क की शर्तों के अनुसार आय को जब्त कर लिया, और इसे आय के रूप में माना है।

नोट 33 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	(₹ लाखों में)	
कच्चे माल		
इस्पात	1,778.80	3,965.41
पाइप	831.32	966.05
पेंट	1,772.05	1,312.48
खरीदे गए घटक	1,57,134.77	1,15,737.88
कुल	1,61,516.94	1,21,981.82

नोट 34 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	(₹ लाखों में)	
उप ठेका और किए गए कार्य	33,290.31	26,544.41
हल बीमा	620.67	849.62
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	7,340.45	6,237.35
कुल	41,251.43	33,631.38

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	(₹ लाखों में)	
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	26,276.93	25,416.91
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	1,814.08	1,719.52
उपदान	350.43	345.54
कर्मचारी कल्याण खर्च	2,147.12	1,675.82
कुल	30,588.56	29,157.79

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 20.46 लाख (पिछले साल ₹ 19.23 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 47.67 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 72.62 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कर्मचारी लाभ व्ययों में नियंत्रित कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) के लिए अस्थायी विशेष नियुक्ति के रूप में ₹ 6.15 लाख शामिल है।

कर्मचारी लाभ व्ययों में नियंत्रित कंपनी (उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) के लिए अस्थायी विशेष नियुक्ति के रूप में ₹ 13.05 लाख शामिल है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2021-22 के लिए 1353.43 लाख रुपए (वर्ष 2020-21 के लिए 1287.92 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2021-22	2020-21
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	18689.22	17546.07
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	18558.63	17538.21
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	(130.59)	(7.86)
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	7.37%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	0.70%	0.70%

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	8.56	8.23

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	214.03	244.95
निवल ब्याज मूल्य	229.10	205.06
वर्ष के दौरान मान्य बीमाकिक लाभ / (हानि)	630.2	474.16
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	1073.33	924.17

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	3970.62	3676.83
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	3,970.62	3,676.83

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	419.62	515.44
पीवीओ के गैर चालू घटक	3551.00	3161.39
कुल पीवीओ	3970.62	3676.83

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	3676.83	3405.42
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	214.03	244.95
चालू ब्याज मूल्य	229.10	205.06
बीमाकिक (लाभ)/हानि	630.20	474.16
प्रदत्त लाभ	(779.54)	(652.76)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	3,970.62	3,676.83

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमाकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	779.54	652.76
प्रदत्त लाभ	(779.54)	(652.76)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
वर्ष 1	125.67	87.43
वर्ष 2	273.81	401.76
वर्ष 3	104.67	89.56
वर्ष 4	159.02	74.69
वर्ष 5	139.61	126.07
अगले 5 वर्ष	551.92	438.26

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
वर्ष 1	125.67	87.43
वर्ष 2	273.81	401.76
वर्ष 3	104.67	89.56
वर्ष 4	159.02	74.69
वर्ष 5	139.61	126.07
अगले 5 वर्ष	551.92	438.26

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.87%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,347.70	2,988.16
वर्तमान सेवा लागत	141.10	128.15
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.87%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,618.91	3,225.63
वर्तमान सेवा लागत	154.28	140.20
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,624.36	3,229.92
वर्तमान सेवा लागत	154.54	140.42

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,341.72	2,983.37
वर्तमान सेवा लागत	140.81	127.91

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.87%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,347.70	2,988.16
वर्तमान सेवा लागत	141.10	128.15
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.87%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,618.91	3,225.63
वर्तमान सेवा लागत	154.28	140.20
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,624.36	3,229.92
वर्तमान सेवा लागत	154.54	140.42
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,341.72	2,983.37
वर्तमान सेवा लागत	140.81	127.91

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.37%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	0.70%	0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.37%	6.97%

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	9.71	8.50

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	251.58	252.11
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	(6.88)	34.92
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	244.70	287.02
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	246.93	(76.82)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(113.10)	(308.94)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	133.83	(385.76)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	4,313.35	4,664.16
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,033.56	4,762.90
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	279.79	(98.74)

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,664.16	5,240.37
चालू सेवा मूल्य	251.58	252.11
चालू ब्याज मूल्य	285.54	313.54
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	246.93	(76.82)
प्रदत्त लाभ	(1,134.86)	(1,065.04)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4,313.35	4,664.16

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,762.90	4,191.87
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	292.42	278.63
बीमांकिक लाभ / (हानि)	113.10	308.94
नियोक्ता से अंशदान	-	1,048.51
प्रदत्त लाभ	(1,134.86)	(1,065.04)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,033.55	4,762.90

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	349.40	324.46
वर्ष 2	865.52	1,561.59
वर्ष 3	291.48	350.89
वर्ष 4	400.43	261.87
वर्ष 5	386.67	370.83
अगले 5 वर्ष	1,172.15	1,203.18

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.87%	7.47%		
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,127.61	4,487.42		
वर्तमान सेवा लागत	247.97	235.32		
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.87%	6.47%		
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,514.29	4,855.15		
वर्तमान सेवा लागत	283.98	269.48		
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%		
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,494.68	4,835.23		
वर्तमान सेवा लागत	279.16	267.74		
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%		
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,141.13	4,504.03		
वर्तमान सेवा लागत	250.01	237.00		

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	30.42%	36.77%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	31.51%	27.10%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	24.32%	24.48%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.31%	0.25%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	13.44%	11.39%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू) के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.30%	5.65%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	5.40%	5.00%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

व्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	35.68	44.24
पिछली सेवा लागत	0	-
निवल ब्याज खर्च	15.19	14.28
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	50.87	58.52
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमाकिक (लाभ)/हानि	(55.96)	(25.26)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	(55.96)	(25.26)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

व्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	267.00	272.09
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	267.00	272.09

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	272.09	238.83
चालू सेवा मूल्य	35.68	44.24
चालू ब्याज मूल्य	15.19	14.28
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमा/किक लाभ / (हानि)	(55.96)	(25.26)
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	267.00	272.09

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	70.02	15.36
वर्ष 2	23.72	1.09
वर्ष 3	25.62	2.69
वर्ष 4	18.79	-
वर्ष 5	26.51	3.20
अगले 5 वर्ष	75.25	4.71

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	आईएसआरएफ
वर्ष 1	71.07	13.06
वर्ष 2	40.48	6.17
वर्ष 3	15.32	2.23
वर्ष 4	30.73	1.59
वर्ष 5	15.51	0.12
अगले 5 वर्ष	71.70	4.09

दिनांक 31.03.2022 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.30%	6.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.13	26.43
परिवर्तन	(3.60%)	(2.38%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.30%	4.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.93	27.76
परिवर्तन	3.92%	2.56%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.84	27.63
परिवर्तन	3.51%	2.10%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.20	26.53
परिवर्तन	(3.27%)	(1.98%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

दिनांक 31.03.2021 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	6.65%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	235.97	26.71
परिवर्तन	(3.61%)	(2.06%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	4.65%	4.00%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	254.48	27.87
परिवर्तन	3.95%	2.20%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	253.41	27.74
परिवर्तन	3.51%	1.73%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	236.82	26.82
परिवर्तन	(3.27%)	(1.64%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,596.60	3,503.84
अन्य ब्याज	0.00	491.34
कर मुक्त बांड पर ब्याज	1,051.44	1,051.44
कुल	4,648.04	5,046.62

नोट 37 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	3,738.75	3,443.86
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,384.17	1,389.91
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	318.08	286.99
कुल	5,441.00	5,120.76
जोड़िए: औजारों के पुनः मूल्यांकन पर हानि	163.75	186.31
कुल	5,604.75	5,307.07

नोट 38 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
भंडार का उपभोग	1,990.67	1,592.62
पुर्जों का उपभोग	66.49	54.51
दर और कर	265.74	500.00
बिजली	2,584.04	1,920.42
ईंधन	2,024.63	1,340.70
जल	303.61	303.95
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सड़कें	612.26	449.05
प्लान्ट और मशीनरी	217.01	158.23
अन्य	1,250.76	1,214.20
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	287.15	467.32
परिवहन और भंडार की चढ़ाई उतराई	89.08	170.91
यात्रा तथा सवारी खर्च	719.72	491.24
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	68.79	75.02
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	54.34	45.52
विज्ञापन और प्रचार	306.88	161.12
पट्टे किराया	9.53	11.28
भाडे	570.90	268.01
बीमा	689.23	744.77
सुरक्षा व्यय	2,057.56	1,996.50

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 38 : अन्य व्यय (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	26.24	26.70
प्रशिक्षण खर्चा	657.33	359.40
विधि खर्चा	27.15	29.02
परामर्श	40.66	82.56
बैंक प्रभार	602.99	699.18
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 47 का संदर्भ ले)	1,619.47	1,486.98
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का विक्री और हानि पर राइट ऑफ	1.02	1.25
विविध खर्च	666.83	1,277.87
कुल	17,810.08	15,928.33

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	16.00	15.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	8.25	7.50
प्रमाणीकरण हेतु	1.99	4.20
कुल	26.24	26.70

नोट 39 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण/अग्रिम	4,134.08	98.18
अप्रचलन/सतत मालसूची का सत्यापन	166.92	2.92
खर्च और फुटकर खर्च	482.07	2,692.02
पोत निर्माण में हानि के लिए प्रावधान	-	6,371.00
कुल	4,783.07	9,164.12

नोट 40 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	58,656.82	61,010.44
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	44.59	46.38
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित शून्य)		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	179266.04	200925.37
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	67606.85	35831.94
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3486.17	3420.09
प्रबंधन शुल्क	1500.00	312.33
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	65752.72	40850.24
इंजीनियरिंग कार्य	0.00	5.50
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	774.42	381.88
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	599.38	162.35
कुल	318985.58	281889.70

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹ 754026.30 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश है। प्रबंधन की उम्मीद है कि 18.03% दिनांक 31.03.2022 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2021 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले 42131.88 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	1495498.24	1504739.51
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	117822.69	11336.93
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	(74.03)	1766.45
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	720.76	250.84
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	2479.72	15654.69
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	109388.84	6940.80

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	1502099.10	1495498.24
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	146428.73	137551.03
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	14774.27	2613.13
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	131654.46	134937.90
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	616418.34	575676.23
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)		
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	754026.30	784884.10
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	1502099.10	1495498.24

नोट 42: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 83.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष 39.93 लाख रुपए) की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2560.62 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2439.02 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	2,638.68	2,567.03
एक से पांच साल तक	11,430.74	11,079.59
पांच वर्ष से अधिक	1,16,909.71	1,19,899.03
कुल	1,30,979.13	1,33,545.65

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	200.78	191.23
एक से पांच साल तक	152.94	313.02
पांच वर्ष से अधिक	247.12	287.82
कुल	600.84	792.07

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 43: हेडज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गीत राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध आम तौर पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 22 को नकदी प्रवाह हेडजेस के रूप में नामित किया गया है: (₹ लाखों में)

मुद्रा	अनुबंधों की संख्या	31- मार्च- 22		अनुबंधों की संख्या	31-मार्च-21	
		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ / (हानि)		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ / (हानि)
यूरो	1	794.61	1.30	2	2982.30	(24.62)
एनओके				2	4319.34	145.70
कुल		794.61	1.30	4	7301.64	121.08

नकदी प्रवाह हेडजेस के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए हेडज रिजर्व में उतार- चढ़ाव इस प्रकार है: (₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष (सीआर/डीआर)	90.60	0.00
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(89.63)	90.60
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.97	90.60

टिप्पणी 44: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

व्योरा	मार्च 31, 2022 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2021 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क गारंटी			
i ऋणपत्र	11,664.67	12,356.31	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	4,03,824.02	3,53,929.06	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है।
iii कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को निगमित निष्पादन गारंटी	3,925.00	3,925.00	ठेके की अवधि के दौरान कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ किए ठेके करार के अधीन दायित्वों के निष्पादन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी द्वारा निष्पादन गारंटी दिया गया।
ख अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावे (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 44: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

व्योरा	मार्च 31, 2022 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2021 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
ii सीमाशुल्क	17,984.71	17,984.48	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क। सीईएसटीएटी, बैंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है।
iii आय कर	2,069.97	2,069.97	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - रु. 457.63 लाख वित्तीय वर्ष 2011-12 - रु. 369.50 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - रु. 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - रु. 331.77 लाख विस्तृत टिप्पणियां 44.1 (i) में दिया है।
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। अधिनिर्णयन लंबित है।
	376.68	376.68	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है और अधिनिर्णयन लंबित है।
	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वेट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटीएटी को अपील दायर की।
	1,885.60	1,885.60	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटीएटी को अपील दायर की।
सेवा कर	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 44: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

ब्योरा	मार्च 31, 2022 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2021 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	734.93	734.93	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	150.56	150.56	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने ओआईओ नंबर 48/2020 - एसटी (जेसी) दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई। ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) को दायर किया गया।
	286.85	286.85	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	279.46	279.46	कॉन्सटैबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बार्ज के परिवहन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
v एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	195.09	165.91	आवेदक ने आरेखण और माल की अपूर्ति में देरी हेतु सीएसएल द्वारा काटे गए ब्याज के साथ परिसमाप्त नुकसान की वसूली हेतु एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा मध्यस्थता को संदर्भित किया। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृद पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। आवेदक द्वारा दायर दावा याचिका।
vi कर्मचारी राज्य बीमा निगम	17.26	17.26	जून 2010 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान उच्च प्रशिक्षुओं के संबंध में देय ईएसआई योगदान के विलंबित भुगतान के संबंध में ब्याज और क्षति के दावे। व्यथित, सीएसएल ने आईसी सं. 60/2016, आईसी सं. 09/2020, आईसी सं. 03/2021 में अवैधता और निर्देशों के उल्लंघन और ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा दावों को प्राथमिकता देने के तरीके को चुनौती देते हुए मामले दर्ज किए।
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए :	57,686.00	1,15,886.00	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 44: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

44.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2019-20 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 और 2017-18 के लिए कुल ₹ 1369.11 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से है। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए हालांकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, आयकर विभाग आईटीएटी के सामने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश सामने अपील के लिए चला गया है। आईटीएटी के समक्ष अपील के तहत कुल 700.86 लाख रुपए शामिल हैं।

45. मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड (पहले सुरेंद्रा ओवरसिस लिमिटेड) और कंपनी के बीच पोत सं. 005 के मामले में विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाचन के लिए भेज दिया था। विवाचन पंचनिर्णय (जुलाई 2009) कंपनी के अनुकूल था जिसके अधीन मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड से कंपनी 2803.64 लाख रुपए प्राप्त करना है। कंपनी ने आदेश पारित करने के लिए उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एक याचिका फाइल की है और मामला विचाराधीन है। याचिका उप न्यायालय द्वारा खारीज की जाती है। उप न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक वास्तविक अपील की है। न्यायालय के आगे मामला विचाराधीन है। न्यायालय के अधीन लंबित अंतिम आदेश खाता बहियों में कोई जमा नहीं किया गया है।

46. मुकदमा :

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिनांक 31 मार्च 2022 की तिथि पर महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण

मै. विजिल मराइन सर्वोसिस मे वर्ष 2004 में एटीसीओ टगों के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु देय एजेंसी छूट की ओर दावा उठाया था। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्टूबर 2004 को सुरु हुई। गवाहों की परीक्षा और प्रति परीक्षा पूरी की और मामला दिनांक 01 और 02 फरवरी 2014 को तर्क वितर्क के लिए दर्ज किया। मध्यस्थ ने कार्यवाहियां पूरी की और मै. विजिल मराइन सर्वोसिस को प्रतिवर्ष 8% दर पर ब्याज सहित 18.25 मिलियन यूएस डॉलर के एटीसीओ ठेका मूल्य के 5% दर पर कमीशन देने के लिए कंपनी को निदेश करते हुए उनका निर्णय पारित किया। इस पर असंतुष्ट सीएसएल उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 फाइल की और निर्णय अमल में लाना स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

47. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(क) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि	₹ 1617 लाख
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	₹ 1619.47 लाख
	रुपए लाख में

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1000.10	-	1,000.10
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य	619.37	-	619.37

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

49. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2020 को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2021 को शेष	दिनांक 31.03.2021 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
बिजोय भास्कर	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
जोस वी जे	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

बैठक का नाम	आम्रपाली प्रशांत साल्वे	नाहर सिंह माहेश्वरी	अशोक शर्मा	पृथ्वीराज हरिचंदन	वेंकटेशन एम	अभिजित बिसवास
बोर्ड बैठक	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
लेखापरीक्षक समिति	-	-	0.20	0.20	-	0.20
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	0.20	0.20	-	-	-	-
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	-	-	0.20	-	-	0.20
हितधारकों की संबंध समिति	-	-	-	-	0.20	-
जोखिम प्रबंधन समिति	0.20	-	-	-	-	-
2021-22 के लिए कुल भुगतान	0.90	0.70	0.90	0.70	0.70	0.90

(₹ लाखों में)

बैठक का नाम	जिजी तोमसण	नंद कुमार पुत्तेषत्त	प्रदीप्ता बानर्जी
बोर्ड बैठक	0.15	0.15	0.15
लेखापरीक्षक समिति	0.15	0.15	0.15
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	0.15	0.15	0.00
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	0.15	0.15	0.15
ठेका और कैपेक्स समिति	0.15	0.15	0.15
2020-21 के लिए कुल भुगतान	0.75	0.75	0.60

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इन्ड एएस 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इन्ड एएस 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2022 को	मार्च 31,2021 को
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड(एचसीएसएल) - विशेष रूप से नियुक्त	0.00	6.15
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- विशेष रूप से नियुक्त	0.00	13.05
नियंत्रित कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश - एचसीएसएल	7500.00	4400.00
नियंत्रित कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश - यूसीएसएल	1000.00	-
सहायक कंपनी में सही मुद्दे में निवेश- एचसीएसएल	2800.00	2800.00

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

49. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2022 को	मार्च 31,2021 को
सहायक कंपनी में संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश- एचसीएसएल	5600.00	5600.00
सहायक कंपनी एचसीएसएल को ऋण	0.00	1000.00
सहायक कंपनी एचसीएसएल द्वारा चुकोती	0.00	1000.00
सहायक कंपनी यूसीएसएल को ऋण	500.00	500.00
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	14855.74	26836.17
यूसीएसएल से सेवाएं प्राप्त करना	574.64	-
यूसीएसएल को स्टॉक मद (अधूरे) की बिक्री	14.67	-
एचसीएसएल द्वारा जारी एनसीडी पर ब्याज	395.68	286.00
यूसीएसएल द्वारा जारी एनसीडी पर ब्याज	20.71	-
एचसीएसएल के ऋण पर ब्याज	0.00	20.12
यूसीएसएल के ऋण पर ब्याज	27.50	14.69
उप अनुबंध कार्यों के लिए यूसीएसएल को अग्रिम भुगतान	442.23	-
उप अनुबंध कार्यों के लिए एचसीएसएल को अग्रिम भुगतान	484.00	-
जनशक्ति सेवाओं के लिए यूसीएसएल से प्राप्य	35.24	-
एचसीएसएल द्वारा जारी वरीयता शेयरों पर लाभांश	286.00	45.67

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 94% और व्यापार प्राप्यों के 99.48% (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

सीएसएल की ओर से एचसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	मार्च 31,2022 को	मार्च 31,2021 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	10
सुरेश बाबु एन वी (प्रथम निदेशक)	-	10
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	10
जोस वी जे (निदेशक)	10	10
के जे रमेश (ज्ञापन के अभिदाता)	0	10
श्यामकमल एन (कंपनी सचिव, सीएसएल)	10	10
राजेश गोपालकृष्णन	10	-
किरण के ए (कंपनी सचिव, एचसीएसएल)	10	-

सीएसएल की ओर से यूसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	मार्च 31,2022 को	मार्च 31,2021 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	10
सुरेश बाबु एन वी (प्रथम निदेशक)	-	10
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	10
जोस वी जे (निदेशक)	10	10
शिवु जॉण (उप महाप्रबंधक वित्त, प्रभारी, सीएसएल)	10	10
अश्विन शर्मा एम (सहायक कंपनी सचिव, सीएसएल)	10	10

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

50. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I. इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II. इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III. इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31, 2022 को	मार्च 31, 2021 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	25,544.52	21,444.52	स्तर III
(ii) ऋण	847.84	791.60	स्तर II
(iii) अन्य	3,170.72	4,402.23	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	39,005.86	35,330.43	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	1,36,731.59	66,721.59	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	1,79,551.09	1,47,916.77	स्तर II
(iv) ऋण	68.56	57.20	स्तर II
(v) अन्य	3,681.88	1,734.65	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,88,602.06	2,78,398.99	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	12300.00	12300.00	स्तर I
(ii) पट्टा देयताएं	38680.71	38374.71	स्तर II
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	261.22	261.22	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	37,211.00	43542.59	स्तर II
(ii) पट्टा देयताएं	3374.84	2556.23	स्तर II
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	15,946.45	20959.85	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	1,07,774.22	1,17,994.60	

नोट:

- इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

50. वित्तीय साधन (जारी..)

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

- ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

- प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमा राशियाँ, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		9.18	11,435.34		9.18	11,435.34
- ऋण साधन			14,100.00			10,000.00
- वरीयता शेर						
निवेश (चालू)						
- म्यूचुअल फंड						
प्राप्य व्यापार			39,005.86			35,330.43
नकद एवं नकद समतुल्य			1,36,731.59			66,721.59
बैंक शेष			1,79,551.09			1,47,916.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			7,769.00			6,985.68
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	9.18	3,88,592.88	0.00	9.18	2,78,389.81
वित्तीय देयताएं						
ऋण			12,300.00			12,300.00
प्राप्य व्यापार			37,211.00			43,542.59
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			58,263.22			62,152.01
कुल वित्तीय देयताएं			1,07,774.22	0.00	0.00	1,17,994.60

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नो सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोजर प्राथमिक रूप से नोट 21 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके निवल विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 43 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के निवल विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर निम्नानुसार है :

विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
31 मार्च 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
31 मार्च 2021	7271.52	5220.98	0.00	1451.51	13944.00
वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2022	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.83
31 मार्च 2021	9416.42	6641.14	31.77	529.09	16618.42

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदे शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के निवल हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन के लिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवेदनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्राप्तियां		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(162.59)	(470.82)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	162.59	470.82
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(433.37)	(332.06)
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	433.37	332.06
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(1.13)	(1.59)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	1.13	1.59
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(8.84)	(26.45)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	8.84	26.45
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	162.59	470.82
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(162.59)	(470.82)
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	433.37	332.06
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	(433.37)	(332.06)
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	1.13	1.59
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(1.13)	(1.59)
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	8.84	26.45
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(8.84)	(26.45)

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाजार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कर्मोडिटी जोखिम के लिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा के लिए कर्मोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

वस्तु	5% की वृद्धि		5% की कमी	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टील	88.94	198.27	(88.94)	(198.27)

चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश		4400.00	21144.52		4400.00	17044.52
ऋण	112.28	733.00	2.56	270.56	19.58	501.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		21.70	3149.02		29.75	4372.48
प्राप्य व्यापार	39005.86			35330.43		
रोकड और रोकड समतुल्य	136731.59			66721.59		
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	179551.09			147916.77		
ऋण	68.56			57.20		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3681.88			1734.65		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	359151.26	5154.70	24296.10	252031.20	4449.33	21918.46
वित्तीय देयताएं						
उधार		10000.00	2300.00		10000.00	2300.00
पट्टा देयताएं		59.24	38621.47		58.40	38316.31
अन्य वित्तीय देयताएं			261.22			261.22
पट्टा देयताएं	3374.84			2556.23		
व्यापार देय	37211.00			43542.59		
अन्य वित्तीय देयताएं	15946.45			20959.85		
कुल वित्तीय देयताएं	56532.29	10059.24	41182.69	67058.67	10058.40	40877.53

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समकक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के लिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढ़ाव का खुलासा नोट 13 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2022 और दिनांक 31 मार्च 2021 के रूप में तुलना पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोजर नोट संख्या 13 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 49 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 94% और व्यापार प्राप्तियों का 99.48% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोजर का खुलासा क्रमशः नोट 43 और नोट 44 में किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

52. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिटिट किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2022 को	मार्च 31,2021 को
सेगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	251516.16	319484.51
पोत मरम्मत	287038.89	259606.41
अनार्बिटिट	293292.23	160863.06
कुल	831847.28	739953.98
सेगमेंट देयता		
पोत निर्माण	155888.80	104576.01
पोत मरम्मत	64318.72	11264.54
अनार्बिटिट	175721.79	226356.75
कुल	395929.31	342197.30
सेगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	251148.16	240559.27
पोत मरम्मत	67852.09	41330.43
अनार्बिटिट	26641.68	19386.07
कुल	345641.93	301275.77
सेगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	57749.03	76229.86
पोत मरम्मत	12041.89	9419.89
अनार्बिटिट	9648.14	(4591.11)
कुल	79439.06	81058.64

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - "पोत निर्माण" और "पोत मरम्मत"। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 204473.56 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 203736.66 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 40786.31 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 29714.58 लाख रुपए) शामिल हैं।

53. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंधन कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेरधारकों को लाभांश भुगतान, शेरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. पूंजी प्रबंधन (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2022 को	मार्च 31, 2021 को
दीर्घकालीन उधार	12300.00	12300.00
निवल ऋण	12300.00	12300.00
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	422763.93	384602.64
कुल इक्विटी	435917.97	397756.68
गिरिंग अनुपात	2.82%	3.09%

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क) वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएं	1.69	1.73	(2.56%)	-
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.03	(5.95%)	-
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	* ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	8.24	8.27	(0.35%)	-
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.14	0.16	(11.46%)	-
(ङ) वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	8.76	7.56	15.85%	-
(च) व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	6.72	6.41	4.78%	-
(छ) व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	3.66	3.13	16.87%	-
(ज) निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.36	1.34	1.74%	-
(झ) निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल बिक्री	0.18	0.22	(15.04%)	-
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य+ कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.19	0.22	(11.12%)	-
(ट) निवेश पर वापसी - इक्विटी	इक्विटी निवेश से वापसी	औसत इक्विटी निवेश	0.00	0.00	-	-
(ठ) निवेश पर वापसी- ऋण	ऋण निवेश से वापसी	औसत ऋण निवेश	0.06	0.06	0.47%	-

* ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

• ऋण सेवा + ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

54. वर्ष के लिए आयातित वस्तुओं/सेवाओं की खपत 92189.67 लाख रुपए (पिछले वर्ष 64107.73 लाख रुपए)

55. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।

56. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, ऋण, जमा और दावों के अधीन दर्साए गए शेष राशि पुष्टि और परिणामस्वरूप पुनर्मिलन, यदि कोई हो, के अधीन है।

57. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।

58. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है।

59. पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 - 2
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणिया	3 - 59

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं. सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं.000801S)

श्यामकमल एन कंपनी सचिव स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमसण साझेदार (सदस्यता सं. 243850) कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

जोस वी जे निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी डीआईएन - 08444440 कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन - 07376798

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हम ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होल्लिंडग कंपनी) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसके सहायक कंपनी (सम्मिलित रूप से ‘ग्रूप’ के रूप में संदर्भित है) जिसमें दि. 31 मार्च 2022 के समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है, की लेखापरीक्षा की है, (जो बाद में ‘समेकित भारतीय वित्तीय विवरण’ के रूप में संदर्भित किया गया)।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2022 को ग्रूप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (लेखा परीक्षा) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी

अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संबंधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के भौतिक समापन का मापन

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व को पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर पहचानती है। पूरा होने का प्रतिशत भौतिक पूर्णता के अनुमानित प्रतिशत के आधार पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों का अभ्यास शामिल है। नोट 2.4 (महत्वपूर्ण लेखा अनुमान और निर्णय - राजस्व मान्यता) और 2.18 (क) (राजस्व मान्यता) समेकित वित्तीय विवरण का संदर्भ लें। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रिया नियमावली के अनुसार भौतिक पूर्णता का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के नियोजन, डिज़ाइन और तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन के बारे में भी प्रबंधन का अनुमान शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के आधार और मान्यताओं को समझना, डेटा को जानने हेतु प्रणाली को समझना और प्रबंधन को आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करना, ऐसी प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना,

नमूने का चयन करना और लगातार जाँच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल हैं। हालाँकि, हमने आय की मान्यता के उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा परिभाषित तकनीकी मूल्यांकन और गतिविधि आधारित लागत अनुमान पर पर्याप्त निर्भरता रखी है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होल्लिंडग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभारित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियां और शासन के साथ प्रभार

होल्लिंडग कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम में बताए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ग्रूप की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत

करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो उपरोक्तानुसार, होल्लिंडग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी की उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु ग्रूप की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल ग्रूप को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है। इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

ग्रूप में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारीकरने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी,

जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या ग्रुप के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु ग्रुप की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से ग्रुप एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

खुलासे सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए ग्रुप के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें। हम ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय विवरणों में हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

हमने सहायक कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण (अंतर कंपनी के शेष को हटाने के पहले) दिनांक 31 मार्च 2022 तक के 21,873.04 लाख रुपए और 17,124.30 लाख रुपए की परिसंपत्तियों और 45.16 लाख रुपए और 1,008.06 के कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 427.87 लाख रुपए और 946.48 लाख रुपए की राशि के लिए निवल रोकड़ आउटफ्लो को दर्शाता है, जो समेकित वित्तीय विवरण के रूप में विचार किया जाता है।

इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और उस समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर हमारी राय है कि जहां तक इस सहायक कंपनी में शामिल राशि और प्रकटीकरण के संबंध में और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, यह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामले के वास्ते संशोधित नहीं की गई है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षितानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षितानुसार लेखे के उचित बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

ग. इस रिपोर्ट में बताए समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित रोकड़ प्रवाही विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए रखे लेखा बही के साथ ताल मेल में है।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है;

ङ. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक जून 5, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) में दिए छूट की दृष्टि में, निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के लिए लागू नहीं है।

च. ग्रुप के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक क में प्रस्तुत अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ. अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के मामले के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं,

इसलिए कि होल्डिंग कंपनी और उसके सहायक कंपनी को दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर सं. 463 (ई) के द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

i. ग्रुप ने अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47, 48, 49 का संदर्भ लें।)

ii. ग्रुप ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।

iii. ग्रुप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है।

iv. क. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों को अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों को क्रमशः प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 51 में प्रकट किया गया है कि, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई निधि उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) किसी भी तरह से पहचाने जाते हैं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ख. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों को अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों को क्रमशः प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 51 में प्रकट किया गया है कि, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित, इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

ग. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया और जो उन सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित की गई हैं जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षकों को यह विश्वास हो गया हो कि उपरोक्त उपखंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. नियंत्रक कंपनी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि

वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 000801S

जोसफ अतुल तॉमसण

साझेदार

सदस्यता सं: 243850

यूडीआईएन : 22243850AJIRRE5626

कोची
 20.05.2022

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक (क)

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में, हमने इस तिथि तक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (इसके बाद ‘होलिडिंग कंपनी’ के रूप में संदर्भित) और भारत में निगमित इसके नियंत्रित कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के परे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में, होलिडिंग कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होलिडिंग कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के अधीन अपेक्षितानुसार, संबंधी कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर गूप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (“दिशानिर्देश नोट”) के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार

पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे अन्य मामले पैरा में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर होल्डिंग कंपनी और इसके सहायक कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण,

कपट या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

अन्य मामले

जहां तक सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित किया है, के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट उस कंपनी के लेखापरीक्षक की संबंधित रिपोर्ट के आधार पर है।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

	कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण सं. 000801S
	जोसफ अतुल थॉमसण
	साझेदार
	सदस्यता सं: 243850
	यूडीआईएन : 22243850AJIRRE5626

कोच्ची
 20.05.2022

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पढ़ित धारा 146 (6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़ित 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर 129 (4) के साथ पढ़ित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 20 मई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के वास्ते दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़ित धारा 143(6)(क) के अधीन एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। यह पूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागज़ात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताछों तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने के लिए प्रकट हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों के लिए और के वास्ते

स्थान: चेन्नै
 दिनांक: 28.07.2022

(देविका नायर)
 वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक, चेन्नै

दि. 31 मार्च 2022 का समेकित तुलन पत्र

व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(₹ लाखों में)			
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	54,738.76	43,172.58
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	35,804.87	37,225.25
(ग) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	1,26,438.61	1,17,585.19
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	6,421.07	6,317.69
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	9.18	9.18
(ii) ऋण	7	347.84	291.60
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	2,839.43	4,356.89
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	9	3,439.92	3,917.02
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	11,514.13	12,024.94
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	17,836.74	21,436.19
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		2,59,390.55	2,46,336.53
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	12	30,602.90	43,410.32
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	13	39,040.78	35,336.95
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	14	1,41,505.80	72,870.14
(iii) उपयुक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	15	1,79,761.04	1,48,023.19
(iv) ऋण	16	68.56	57.20
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	17	3,395.10	1,574.24
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	1,87,594.21	2,04,311.07
कुल चालू परिसंपत्तियां		5,81,968.39	5,05,583.11
बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्ति	19	13.59	-
कुल परिसंपत्तियां		8,41,372.53	7,51,919.64
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	20	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	21	4,26,164.14	3,90,191.08
कुल इक्विटी		4,39,318.18	4,03,345.12
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	12,300.00	12,300.00
(ia) पट्टा देयताएं	23	39,363.70	39,099.47
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	24	261.22	261.22
(ख) प्रावधान	25	3,568.12	3,161.39
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	26	9.16	10.30
कुल अप्रचलित देयताएं		55,502.20	54,832.38
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	27	3432.87	2,564.67
(ii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि	28	1,074.47	1,527.88
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		36,538.69	42,015.54
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	29	18,956.39	22,720.06
(ख) अन्य चालू देयताएं	30	2,35,381.22	1,64,278.09
(ग) प्रावधान	31	48,602.42	53,326.26
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	9	2,566.09	7,309.64
कुल चालू देयताएं		3,46,552.15	2,93,742.14
कुल इक्विटी और देयताएं		8,41,372.53	7,51,919.64

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 1 - 2 3 - 64

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृत मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं. सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000801S)

जोसफ अतुल थॉमसन साझेदार (सदस्यता सं. 243850) कोची, दिनांक मई 20, 2022

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में श्यामकमल एन कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण सं. - A25337)

जोस वी जे निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी डीआईएन - 08444444 कोची, दिनांक मई 20, 2022

बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का समेकित विवरण

व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)			
I आय			
प्रचालनों से आय	32	319094.70	281889.70
अन्य आय	33	26281.60	19082.67
कुल आय		345376.30	300972.37
II व्यय:			
उपभूक्त सामग्रियों का मूल्य	34	161891.99	121981.82
कांय की सूची में परिवर्तन प्रगति पर	35	(352.31)	0.00
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	36	41080.97	33631.38
कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	37	31107.18	29228.30
वित्तीय मूल्य	38	4711.37	5126.10
मूल्यहास और ऋणमूल्य व्यय	39	6966.41	5983.08
अन्य व्यय	40	18299.39	16308.17
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	41	4801.96	9164.12
कुल व्यय		268506.96	221422.97
III असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (I-II)		76869.34	79549.40
IV असाधारण मदें	42	(275.15)	1263.40
कर पूर्व लाभ (III+IV)		76594.19	80812.80
V कर व्यय:			
(1) चालू कर	9	19687.24	23293.20
(2) आस्थगित कर	9	510.81	(3346.84)
VI वर्ष का लाभ		56396.14	60866.44
VII अन्य व्यापक आय			
(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		(119.78)	121.08
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		30.15	(30.48)
(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(23.00)	411.01
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		5.98	(103.44)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		(106.65)	398.17
VIII अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल है)		56289.49	61264.61
लाभ के लिए जिम्मेदार:			
कंपनी के मालिक		56396.14	60866.44
अनियंत्रित व्याज		0.00	0.00
वर्ष का लाभ		56396.14	60866.44
अन्य व्यापक आय के लिए जिम्मेदार			
कंपनी के मालिक		(106.65)	398.17
अनियंत्रित व्याज		0.00	0.00
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		(106.65)	398.17
कुल व्यापक आय			
कंपनी के मालिक		56289.49	61264.61
अनियंत्रित व्याज			
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		56289.49	61264.61
IX प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10):	43		
(1) मूल (₹ में)		42.87	46.27
(2) तनूकृत (₹ में)		42.87	46.27

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 1 - 2 3 - 64

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृत मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं. सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000801S)

जोसफ अतुल थॉमसन साझेदार (सदस्यता सं. 243850) कोची, दिनांक मई 20, 2022

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में श्यामकमल एन कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण सं. - A25337)

जोस वी जे निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी डीआईएन - 08444444 कोची, दिनांक मई 20, 2022

बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह समेकित विवरण

ब्यौरा	(₹ लाखों में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	76,594.19	80,812.80
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	6,966.41	5,983.08
ब्याज व्यय	4,711.37	5,126.10
ब्याज आय	(7,222.31)	(10,346.50)
किराया आय	(100.06)	(63.66)
लाभांश आय	0.00	(0.89)
असाधारण मद	275.15	(1,263.40)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	1.02	1.25
सरकार की सहायता से प्राप्त आय	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	(178.41)	(123.99)
विदेशी मुद्रा विनियमों पर निवल हानि/(लाभ)	(173.62)	(404.65)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	80,872.60	79,719.00
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में (वृद्धि) / घटती	12,642.95	(12,066.39)
व्यापार, अन्य प्राप्यों और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / घटती	13,268.46	(50,572.60)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	48,003.93	64,686.89
	1,54,787.94	81,766.90
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(15,064.04)	(10,747.97)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	1,39,723.90	71,018.93
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(17,451.60)	(5,310.63)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(8,853.43)	(37,659.79)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	(31,737.85)	(15,182.11)
पूंजीगत अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	3,596.61	7,930.06
प्राप्त लाभांश	0.00	0.89
गैर-निर्यत्रित ब्याजों के शेयरों का अधिग्रहण	0.00	(6,250.26)
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री या वापसी	3.78	2.49
प्राप्त ब्याज	7,145.82	12,095.89
प्राप्त किराया	100.06	63.66
निवेशों गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(47,196.61)	(44,309.80)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह समेकित विवरण

ब्यौरा	(₹ लाखों में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
कर्मचारियों द्वारा ऋणों का उधार/पुनर्भुगतान	(67.60)	(274.98)
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	143.78	555.92
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,527.50)	(2,427.89)
प्रदत्त लाभांश	(20,388.76)	(36,831.31)
प्रदत्त ब्याज	(1,051.55)	(1,542.87)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	(23,891.63)	(40,521.13)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांकों में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	68,635.66	(13,812.00)
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	72,870.14	86,682.14
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	1,41,505.80	72,870.14

दिनांक मार्च 31, 2022 तक नकद और नकद समकक्षों में 91155.67 लाख रुपए (दिनांक 31 मार्च 2021 को 37749.10 लाख रुपए) की राशि शामिल हैं।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1 - 2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 3 - 64

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

कृत मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.0008015)

जोसफ अतुल थॉमसन
साझेदार
(सदस्यता सं. 243850)
कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में
श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01.04.2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		अप्रैल 01, 2021 की स्थिति के अनुसार पुनःशेष राशि		वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		31.03.2022 को
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13,154.04							13,154.04

01.04.2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		अप्रैल 01, 2020 की स्थिति के अनुसार पुनःशेष राशि		वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		31.03.2021 को
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13,154.04							13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष				अन्य व्यापक आय	कुल				
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई		पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	मूल कंपनी के कुल आरक्ष्य राशि	एनसीआई के लिए आरक्ष्य राशि	अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2021 को शेष	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	90.60	390191.08	0.00	390191.08
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ										0.00
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	90.60	390191.08	0.00	390191.08
वर्ष का लाभ				56396.14				56396.14		56396.14
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(17.02)			(89.63)	(106.65)		(106.65)
वर्ष के कुल व्यापक आय				56379.12	0.00	0.00	(89.63)	56289.49		56289.49
लाभान्श				(20388.76)				(20388.76)		(20388.76)
प्रतिधारित आय में अंतरण										0.00
भूमि का उचित मूल्य पर हिसाब			72.45					72.45		72.45
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)		(0.12)
31 मार्च 2022 को शेष	6887.15	93152.08	6395.20	305706.54	12353.76	1668.44	0.97	426164.14	0.00	426164.14

अधिक जानकारी के लिए नोट 21 देखें।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष				अन्य व्यापक आय	कुल				
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई		पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	मूल कंपनी के कुल आरक्ष्य राशि	एनसीआई के लिए आरक्ष्य राशि	अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2020 को शेष	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359134.31		359134.31	
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ									0.00	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44			0.00	
वर्ष का लाभ				60866.44				60866.44		60866.44
वर्ष के अन्य व्यापक आय				307.57				398.17		398.17
वर्ष के कुल व्यापक आय				61174.01	0.00	0.00		61264.61		61264.61
लाभान्श				(36831.31)				(36831.31)		(36831.31)
प्रतिधारित आय में अंतरण										0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)		(0.12)
सहायक का अधिग्रहण	6623.59							6623.59		6623.59
31 मार्च 2021 को शेष	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	90.60	390191.08	0.00	390191.08

अधिक जानकारी के लिए नोट 21 देखें।

कृत मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
 सनदी लेखाकार
 (फर्म पंजीकरण सं.000801S)

जोसफ अतुल थॉमसन
 साझेदार
 (सरस्यता सं. 243850)
 कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में
 श्यामकमल एन
 कंपनी सचिव
 स.सं. - A25337

जोस बी जे
 निदेशक (वित्त) व
 मुख्य वित्तीय अधिकारी
 डीआईएन - 08444440
 कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

बिजोय भास्कर
 निदेशक (तकनीकी)
 डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन - 07376798

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('सीएसएल' या 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाजों के निर्माण और मरम्मत और जहाजों के आवधिक परत और जहाजों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

ग्रूप एक सार्वजनिक लिमिटेड ग्रूप है जो भारत में शामिल और स्थित है। निगमित कार्यालय का पता पैरुमानूर, कोच्चि, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2022 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। ग्रूप की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

समेकित वित्तीय विवरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (मूल ग्रूप) और इसके नियंत्रित कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (इसके बाद एचसीएसएल के रूप में संदर्भित) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड) से संबंधित है।

ग्रूप और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ 'ग्रूप' कहा जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 20 मई 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को निगमित हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (आगे चलकर एचसीएसएल के रूप में संदर्भित) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%
एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए दिनांक 15 सितंबर 2020 को अधिग्रहित उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे 'इन्ड एएस'

कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है :

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,
- संपत्ति विक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है ;
- संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है ;
- परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

- पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.2.1 समेकित वित्तीय विवरणों का समेकन का आधार

नियंत्रित कंपनियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं जिनपर ग्रूप का नियंत्रण होता है। ग्रूप एक इकाई को नियंत्रित करता है जब ग्रूप का खुलासा होता है, या अधिकार के साथ इसकी भागीदारी से वर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। नियंत्रित कंपनियाँ, तिथि से पूर्ण रूप से समेकित है, जब तक नियंत्रण समाप्त हो जाने की तिथि तक, ग्रूप को नियंत्रण अंतरित किया जाता है।

ग्रूप मूल कंपनी एवं उसकी नियंत्रित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और खर्च के जैसे मदों को एकसाथ जोड़ते हुए श्रेणी वार आधार पर समेकित करता है। ग्रूप कंपनियों के बीच अंतर कंपनी लेनदेन, शेष और लेनदेन पर अवास्तविक लाभ हटा दिया जाता है। अवास्तविक नुकसान तब तक समाप्त हो जाते हैं जब तक कि लेनदेन स्थानांतरित संपत्ति की हानि का सबूत प्रदान न करें। ग्रूप द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ नियंत्रित कंपनियों की लेखांकन नीतियाँ बदल दी गई हैं।

नियंत्रित कंपनियों के इक्विटी और परिणामों में गैर- नियंत्रित ब्याजों को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन पत्र में अलग रूप से दर्शाया गया है। नियंत्रित कंपनी को अक्टूबर, 2017 में निगमित किया गया।

2.2.2 व्यापार संयोजन

भारतीय लेखा मानक 103, व्यापार संयोजन के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण पद्धति उपयोग करने हेतु व्यावसायिक संयोजनों का हिसाब लगाया गया है। अधिग्रहित पहचान योग्य संपत्ति और व्यवसाय संयोजन में ग्रहण की गई देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों को शुरू में अधिग्रहण की तारीख पर उनके उचित मूल्य पर मापा जाता है। पहचान योग्य आस्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के निवल उचित मूल्य में कंपनी के हित से अधिक क्रय भुगतान को सद्भावना के रूप में मान्यता दी जाती है। क्रय भुगतान पर अधिग्रहण की पहचान योग्य आस्तियों और देनदारियों के निवल उचित मूल्य में कंपनी के हित की अधिकता को पूंजी संचय में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लेन-देन की लागत को जब खर्च किया जाता है तब लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

इन्ड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयता की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टा

ग्रूप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमित नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

अनकोटेड निवेशों की हानि

ग्रुप हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावों की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावों उस के के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

अग्रिमों / प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्रायों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के पहचान के लिए निर्णय और आकलनों का उपयोग आवश्यक है। जहाँ अनुमान वास्तविक आकलनों से भिन्न है ऐसी भिन्नता परिवर्तित की गई जिस अवधि में ऐसे आकलन व्यापार और अन्य प्रायों तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण व्ययों के वहन मूल्य को प्रभावित किया जाएगा। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रत्याशित जीवन पर अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्रायों और अग्रिमों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों के लिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मदों के वहन मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है। समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार, कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त नुकसान के दावे को मान्यता दी जाती है।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने संक्रमण तिथि यानी 01 अप्रैल 2015 को वहन लागत को भारतीय लेखाकरण मानक के तहत अनुमानित लागत के रूप में विचार करने से एक बार संक्रमण छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद ऐतिहासिक लागत के रूप में माना जाता है। हालांकि यूसीएसएल के मामले में, उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक में संक्रमण तिथि पर मानित लागत के रूप में अपनाया गया है।

पी पी ई नि: शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृत तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की वहन राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है।

सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभातरित किया है।

2.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.7 अमूर्त परिसंपत्तियां परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.8 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) 'पट्टे' दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और ग्रुप ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और सही उपयोग की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में किसी भी पट्टे पर प्रोत्साहन कम होता है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

पट्टेदार के रूप में :

ग्रुप की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। ग्रुप इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (i) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है, (ii) ग्रुप के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफ़ी हैं और (iii) ग्रुप के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, ग्रुप एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पवधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है। उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टे भुगतान के लिए या उससे पहले पट्टे भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है। वे बाद में लागत कम संचित मूल्यहास और हानि पर मापा जाता है, यदि कोई हो। उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है। पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है। एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है। पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है। पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रुप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

2.9 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति तक के निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपाजित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है। उपयोग की संपत्ति का अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है। प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती हैं। मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी अवधि
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष
डॉक और घाट	15 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
ट्रेनेज और पानी की आपूर्ति	15 वर्ष
वेसल	13-28 वर्ष

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

ग्रुप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रणीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

ग्रुप एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी वहन लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो। बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को वहन राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन

नहीं है। बंद संचालनों की बिक्री या पुनः मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.13 माल सूची

(क) कच्चे मालों, घटकों, भण्डार और पूर्ण का भारत औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/अनुपयोगित/गुण हास प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीक के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। मार्गस्थ और निरीक्षण लंबित मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। रक्षा पोटो के निर्माण के संबंध में सामग्रियों के स्टॉक जिसमें उपगत मूल्य मालिक द्वारा प्रतिपूर्ति की है, यान के निर्माण के लिए मालिक द्वारा प्रदान अग्रिमों से घटाव के रूप में दर्शाया है।

(ख) असंयत औजारों का मूल्यांकन उनके लागत के आधार पर किया गया और उनके अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत को पुन मूल्यांकन पर होने वाली हानि के लिए प्रावधान करने के बाद किया गया।

(ग) स्क्रेप पर देय सीमा शुल्क, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(घ) निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) का मूल्य कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

(ङ) तैयार माल का मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

जब ग्रुप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोग्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीयपरिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपतकण के आधार पर बनाती है। वर्षाकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है औ अपरिवर्तनीय है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण साधन में निवेश को निम्न दोनों स्थितियों के पूरा होने पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है: परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य है -

- (1) संविदात्मक नकदी प्रवाह इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और
- (2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती हैं जो मूल राशि पर बकाया हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

व्यापार प्राप्तियां

ग्रूप प्रदेय के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

ग्रूप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि भत्ता के माध्यम से मापा जाना।

ग्रूप सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि भत्ता भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है जब वसूली संदेहात्मक माना जाता है जब कर्ज तीन साल से अधिक है या अगर यह निश्चित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है।

जहाँ ऋण कानूनी कार्यवाहियों में विवादित होते हैं, अगर किसी भी निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है तो प्रावधान किया जाता है, यद्यपि वही उच्च अधिकारियों/ अदालतों को अपील पर ले लिया गया है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

ग्रूप सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (आई एन आर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में बताए आर्थिक वस्तुओं को तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में पुनः मापा जाता है। गैर आर्थिक विदेशी मुद्रा मदे लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय भिन्नता के कारण किसी भी आय या व्यय निपटान पर या संशोधित विवरण पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम ठेकों को विदेशी विनिमय जोखिमों के संबंध में प्रतिरक्षा साधनों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इन प्रतिरक्षा को नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेकों का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्व प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधनों को ठेके की शुरुआत में प्रतिरक्षा के रूप में निर्दिष्ट और प्रलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा साधनों की प्रभावशीलता जो प्रतिरक्षा की जा रही है आरंभ में और निरंतर आधार पर मूल्यांकित और मापा जाता है।

निर्दिष्ट प्रतिरक्षा साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में मान्यता देता है और रोकड प्रवाह साधन रिजर्व शीर्ष के अधीन संचित किया गया है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है। अन्य सर्वग्राही आयों में मान्य किए और उस समय तक इक्विटी में संचित और अवशेष किसी भी लाभ अथवा हानि विवरण में मान्य किया जाता है जब कि पुर्वानुमानित लेनदेन अंततः लाभ और हानि को प्रभावित करता है। जब तक पुर्वानुमानित लेनदेन की उम्मीद नहीं की जाती है, इक्विटी में संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

2.15 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहकों को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

2.16 अनुबंध देयताएं

जहां ग्रूप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रूप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रूप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, ग्रुप को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान को (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावा, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रुप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आसस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असर में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रुप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तत्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तत्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

2.18 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने एस115 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' को अपनाया है। प्रारंभिक आवेदन की तारीख

(1 अप्रैल, 2018) को पूरा नहीं किए गए अनुबंधों के संबंध में, कंपनी ने ओपन डेट बैलेंस के समायोजन के रूप में प्रभावी तिथि पर समान लागू करने के संचयी प्रभाव को पहचानकर मानक पूर्वव्यापी लागू किया है। पूर्व में अर्जित आय और तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार निष्पादन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिजाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है, सिवाय पोत निर्माण वित्तीय सहायता के मामले, जो अनुबंध के संबंध में आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति की मान्यता प्राप्त है, जो एसबीएफए नीति के तहत पात्र हैं। प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

ऐसी परिस्थितियों, जहां ग्रुप यथाचित प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन ग्रुप को उम्मीद है कि वह

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूल करेगी, ग्रुप राजस्व को केवल उस समय तक किए गए खर्चों की सीमा क्षक मानती है जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित माप नहीं सकता। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमानों से नुकसान का संकेत मिलता है, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे जितना भी काम किया जाए।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

ख) अन्य आय

i) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण

में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

सरकारी अनुदान दो पहलुओं से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय को पैरा (क) में निर्दिष्ट तरीके से परिचालन से राजस्व के रूप में जाना जाता है।

ii) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

iii) बीमा दावाओं के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा बीमा के

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

iv) अन्य

लाभांश आय को प्राप्त होने वाले वर्ष के लेख में स्वीकृत किया जाता है।

2.19 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालिक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो न कि वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभारित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

सहायक कंपनियों के संबंध में, भविष्य निधि में योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है। मासिक योगदान के अलावा भविष्य के भविष्य निधि लाभों के लिए कंपनी का कोई और दायित्व नहीं है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

ग्रुप उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

सहायक कंपनियों की परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाओं में उपदान शामिल है

पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना, उपदान के प्रति कंपनी का दायित्व है।

योजना में निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार की अवधि के आधार पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर अधिकार निधान होती है। कंपनी की उपदान योजना निधि रहित है।

परिभाषित लाभ उपदान योजना के संबंध में स्टैंडअलोन तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष के लिए छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत और अन्य लागतें लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कर्मचारी लागतों में शामिल हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्माप लाभ और हानि को ओसीआई के माध्यम से बनाए रखा आय के लिए संबंधित डेबिट या क्रेडिट के साथ स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में तुरंत मान्यता दी जाती है, जिसमें वे होते हैं। अनुवर्ती अवधियों में पुनर्माप को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

निपटान और कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछले सेवा लागत के रूप में लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

होलिडिंग कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

ग्रुप को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

2.20 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु

अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.21 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है, जिसमें कंपनी भविष्य के वर्षों में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अलावा समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है।

2.22 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.23 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी वहन राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित हों, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.24 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर की मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.25 खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंड किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

ग्रूप ने व्यापार खंड (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य खंड के रूप में पहचान की है। व्यापार खंड में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/ अपतट ीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

खंड राजस्व, खंड व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और खंड देयताएं खंड की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर खंड के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर खंडों के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

2.26 समेकित रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.27 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। अंतरिम लाभांश के मामले में, उस अवधि में की जाती है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वार इसकी सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है।

2.28 हाल ही के अधिसूचनाएं

निगमित मामलों का मंत्रालय समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया।

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो भविष्य निधि और अनुदान के लिए कंपनी के योगदान को प्रभावित करेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 13 नवंबर 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है और उन हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं जिनपर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एक बार विषय नियम अधिसूचित हो जाने के बाद

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां प्रभाव और उसके मूल्यांकन का आकलन करेगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें कोड प्रभावी हो जाता है और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं।

भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण - 52 - संशोधन स्पष्ट करता है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जानेवाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों से परीक्षण की लागत, यदि कोई हो से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन कटौती की जाएगी। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि है। कंपनी मानक द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रभाव देने के लिए उनका मूल्यांकन करेगी।

भारतीय लेखा मानक 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां - संशोधन निर्दिष्ट करता है कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वह लागत शामिल है जो सीधे अनुबंध से संबंधित है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आबंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। (एक उदाहरण अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के लिए मूल्यहास शल्क का आबंटन होगा।) इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि अप्रैल 01, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अपनाने की अनुमति है। कंपनी मानक द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रभाव देने के लिए उनका मूल्यांकन करेगी।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

व्योरा	सकल महन राशि		मूल्यहास		निवल महन राशि						
	01 अप्रैल 2021 को	सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर	वर्ष के जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्वामित्व संपत्ति											
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,195.41		72.45		3,267.86	-	-	-	-	3,267.86	3,195.41
इमारतें	18,666.28		840.01	8.10	19,498.19	3,189.25	777.20	8.01	3,958.44	15,539.75	15,477.03
संयंत्र और मशीनरी	24,737.37		4,780.63	771.30	28,746.70	10,011.90	2,575.57	336.03	12,251.44	16,495.26	14,725.47
फर्नीचर और जुड़ाव	1,402.83		136.53	10.31	1,529.05	608.72	125.12	7.25	726.59	802.46	794.11
गाड़ियाँ	620.07		54.95	-	675.02	312.81	57.22	-	370.03	304.99	307.26
कार्यालय उपस्कर	495.10		89.99	19.90	565.19	237.18	69.28	10.57	295.89	269.30	257.92
अन्य											
डटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,845.10		627.78	26.69	2,446.19	1,087.94	314.89	16.88	1,385.95	1,060.24	757.16
गोदी और घाट	4,466.45		-	-	4,466.45	1,841.96	299.41	-	2,141.37	2,325.08	2,624.49
रेलवे साइडिंग	1.10		-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,831.03		830.68	0.53	2,661.18	982.17	121.01	-	1,103.18	1,558.00	848.86
नाली और जलपूर्ति	6.67		-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67
यानें	19.74		-	-	19.74	7.08	1.36	-	8.44	11.30	12.66
उप कुल	57,287.15		7,433.02	836.83	63,883.34	18,279.01	4,341.06	378.75	22,241.33	41,642.01	39,008.14
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ											
इमारतें	4,023.75		9,325.35	20.76	13,328.34	1,291.08	391.17	5.87	1,676.38	11,651.96	2,732.67
संयंत्र और मशीनरी	654.65		217.22	-	871.87	109.37	44.78	-	154.15	717.72	545.28
गोदी और घाट	9.62		-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	400.26		101.06	-	501.32	169.64	42.82	-	212.46	288.86	230.62
स्लिप वे	1,108.00		9.99	-	1,117.99	453.40	227.65	-	681.05	436.94	654.60
उप कुल	6,196.28		9,653.62	20.76	15,829.14	2,031.84	706.42	5.87	2,732.39	13,096.75	4,164.44
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार											
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,874.95		-	-	39,874.95	2,752.12	1,390.83	-	4,142.95	35,732.00	37,122.83
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07		-	-	173.07	70.65	29.55	-	100.20	72.87	102.42
उप कुल	40,048.02		-	-	40,048.02	2,822.77	1,420.38	-	4,243.15	35,804.87	37,225.25
कुल	1,03,531.45		17,086.64	857.59	1,19,760.50	23,133.62	6,467.86	384.62	29,216.87	90,543.63	80,397.83

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

व्योरा	सकल महन राशि		मूल्यहास		निवल महन राशि						
	01 अप्रैल 2020 को	सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर	वर्ष के जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2021 को	01 अप्रैल 2020 को	सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्वामित्व संपत्ति											
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54	2,607.87	-	-	3,195.41	-	-	-	-	3,195.41	587.54
इमारतें	13,832.24	2,060.41	2,773.63	-	18,666.28	2,459.26	588.70	-	3,189.25	15,477.03	11,372.98
संयंत्र और मशीनरी	18,909.92	4,657.45	1,170.61	0.61	24,737.37	7,076.66	817.11	2,118.52	0.39	10,011.90	14,725.47
फर्नीचर और जुड़ाव	1,237.82	20.06	147.17	2.22	1,402.83	485.80	7.76	116.71	1.55	608.72	794.11
गाड़ियाँ	599.11	7.33	13.67	0.04	620.07	256.49	56.34	0.02	312.81	307.26	342.62
कार्यालय उपस्कर	382.21	19.42	94.13	0.66	495.10	172.09	5.70	59.80	0.41	237.18	210.12
अन्य											
डटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,345.71	17.26	490.01	7.88	1,845.10	833.47	8.49	251.28	5.30	1,087.94	757.16
गोदी और घाट	4,466.45		-	-	4,466.45	1,542.55	299.41	-	1,841.96	2,624.49	2,923.90
रेलवे साइडिंग	1.10		-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	1,765.00		66.03	-	1,831.03	864.80	117.37	-	982.17	848.86	900.20
नाली और जलपूर्ति	6.67		-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67
यानें	19.74		-	-	19.74	5.72	1.36	-	7.08	12.66	14.02
उप कुल	43,153.51	9,389.80	4,755.25	11.41	57,287.15	13,696.84	980.35	3,609.49	7.67	18,279.01	39,008.14
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ											
इमारतें	2,105.50	1,830.40	87.85	-	4,023.75	441.45	562.03	287.60	-	1,291.08	2,732.67
संयंत्र और मशीनरी	518.62		136.03	-	654.65	74.20	35.17	-	109.37	545.28	444.42
गोदी और घाट	9.62		-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	360.77		39.49	-	400.26	132.06	37.58	-	169.64	230.62	228.71
स्लिप वे		1,108.00	-	-	1,108.00	-	340.21	113.19	453.40	654.60	-
उप कुल	2,994.51	2,938.40	263.37	-	6,196.28	656.06	902.24	473.54	-	2,031.84	4,164.44
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार											
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,550.14	95.90	228.91	-	39,874.95	1,360.32	12.93	1,378.87	-	2,752.12	37,122.83
उपयोग का अधिकार- इमारतें	98.11		74.96	-	173.07	35.36	35.29	-	70.65	102.42	62.75
उप कुल	39,648.25	95.90	303.87	-	40,048.02	1,395.68	12.93	1,414.16	-	2,822.77	37,225.25
कुल	85,796.27	12,424.10	5,322.49	11.41	1,03,531.45	15,748.58	1,895.52	5,497.19	7.67	23,133.62	80,397.83

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें ध्वस्त करने की संभावना है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसंपत्तियों को (1291.52 लाख रु) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित और कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह कार्यकाल इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दरों पर पहुँचने हेतु एक आधार के रूप में किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नोट सं. 3 में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से ली गई भूमि इन परिसंपत्तियों के साथ निर्मित परिसंपत्तियाँ / पट्टे में लिए भूमि में स्थापित करने, को अलग अलग से प्रकट किया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांडो के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी के भू संपत्तियों पर 12300 लाख रु. का बंधक सृजित किया है।

यूसीएसएल ने माल्पे और हेंगरकट्टा में पट्टे पर ली गई भूमि के लिए कुंडापुरा पत्तन और कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। माल्पे में भूमि के लिए पट्टा करार 2023 में समाप्त हो जाएगा, जबकि हेंगरकट्टा भूमि के लिए पट्टे की अवधि 2019 में पहले ही समाप्त हो चुकी है। पट्टा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस बीच कंपनी ने वर्ष के दौरान माल्पे पट्टा किराया के रूप में 13.49 लाख रुपए और हेंगरकट्टा पट्टा किराया के लिए 1.67 लाख रुपए का भुगतान किया। भारतीय लेखा मानक 116 केवल माल्पे पट्टेदारी भूमि के लिए लागू होता है।

यूसीएसएल (सहायक) से संबंधित हेंगरकट्टा में 78.05 सेंट भूमि का मूल्य 72.45 लाख रुपये है और इसे सामान्य आरक्षित में मान्यता दी गई है। कुलपी (कोलकाता-230 सेंट) में भूमि के मूल्य को लंबित सत्यापन और उस के मूल्यांकन के कारण खातों में मान्यता नहीं दी गई है।

माल्पे यार्ड में पट्टेदारी भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग ('गैर-हटाने योग्य संपत्ति') के लिए अलग और हटाना नहीं जा सकने वाली परिसंपत्तियों को पट्टे की अवधि और उन परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के निचले हिस्से पर परिशोधित / मूल्यह्रास किया जाता है।

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	1,13,757.35	98,419.10
पूँजी यार्ड मद	11,431.96	5,371.20
मार्गस्थ वस्तुएं	-	2,477.66
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूंजी खर्च	1,249.30	11,317.23
कुल	1,26,438.61	1,17,585.19

दिनांक 31.03.2022 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	23,051.37	43,949.27	34,137.87	25,300.10	1,26,438.61
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य (जारी..)

दिनांक 31.03.2021 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

पूँजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	54,694.07	37,040.98	19,859.19	5,990.95	1,17,585.19
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2022 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा	-	56136.01	-	-
सूखी गोदी	65082.67	-	-	-
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	1625.24	-	-	-
आईटी सुरक्षा और मॉनिटरिंग प्रणाली	817.93	-	-	-
डॉक मॉनिटरिंग प्रणाली	32.17	-	-	-
कैसॉन गेट	565.90	-	-	-

दिनांक 31.03.2021 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

पूँजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
3 डी अनुभव पोत निर्माण सॉफ्टवेयर	-	1534.84	-	-
सूखी गोदी	-	52183.49	-	-
सीएमएसआरयू में विजली का कार्य	36.31	-	-	-
आईटी नेटवर्क संरचना की आपूर्ति और स्थापना	318.76	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

व्यौरा	सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर		सकल बहन राशि		ऋणमुक्ति		निवल बहन राशि	
	01 अप्रैल 2021 को	31 मार्च 2022 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समाप्त	वर्ष के दौरान निपट ल/ समाप्त	वर्ष के लिए	समाप्त/आहरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अंतर्गत रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	27.67	-	-	27.67	-	27.67	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,565.16	2,002.61	437.45	-	109.04	-	1,592.26	121.94
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार (आईएसआरएफ)	7,000.00	7,000.00	-	-	210.34	-	1,583.67	5,626.67
टाली सॉफ्टवेयर	0.53	0.53	-	-	0.17	-	0.35	0.35
उपयोग का अधिकार- नजीरांग में भूमि (5.31 एकड़)	118.94	118.94	-	-	1.98	-	6.18	114.74
उपयोग का अधिकार- नजीरांग में भूमि (10.45 एकड़)	234.07	234.07	-	-	3.97	-	10.91	227.13
उपयोग का अधिकार- सालकिया में भूमि (9.91 एकड़)	221.99	221.99	-	-	3.76	-	7.85	217.90
उपयोग का अधिकार- भूमि (माल्टे)	16.68	16.68	-	-	4.81	-	12.53	8.96
कुल	9,185.04	9,622.49	437.45	-	334.07	-	3,201.42	6,317.69

व्यौरा	सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर		सकल बहन राशि		ऋणमुक्ति		निवल बहन राशि	
	01 अप्रैल 2020 को	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समाप्त	वर्ष के दौरान निपट ल/ समाप्त	वर्ष के लिए	समाप्त/आहरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अंतर्गत रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	27.67	-	-	27.67	-	27.67	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,495.14	1,565.16	70.02	-	76.65	-	1,443.22	128.57
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार (आईएसआरएफ)	7,000.00	7,000.00	-	-	210.34	-	1,373.33	5,837.01
टाली सॉफ्टवेयर	0.53	0.53	-	-	0.17	-	0.18	0.52
उपयोग का अधिकार- नजीरांग में भूमि (5.31 एकड़)	118.94	118.94	-	-	1.98	-	4.20	114.74
उपयोग का अधिकार- नजीरांग में भूमि (10.45 एकड़)	234.07	234.07	-	-	3.96	-	6.94	231.09
उपयोग का अधिकार- सालकिया में भूमि (9.91 एकड़)	-	221.99	-	-	4.09	-	4.09	217.90
उपयोग का अधिकार- भूमि (माल्टे)	16.68	16.68	-	-	5.32	-	7.72	8.96
कुल	8,876.35	9,185.04	292.01	-	299.59	-	2,867.35	6,317.69

अनुरूप परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए भूमि और पोट मरम्मत सुविधा के उपयोग करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पोट मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, पट्टे की अवधि के दौरान दो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, ऋण चुकाना है। बैंक आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 तक प्राप्त की जाती है, इसलिए 30 वर्ष की पट्टा अवधि प्रभावी रूप से इस तिथि से शुरू होती है।

भूमि के उपयोग का अधिकार (माल्टे) माल्टे पट्टेदारी भूमि का उपयोग करने के लिए पोट अधिकारी कुंडामुग को भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि में परिष्कृत किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : निवेश- गैर चालू

व्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ब्यौरा		
अनकोट्ट (पूर्णतया प्रदत्त)		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर		
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 100 रूपए के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रूपए के 70000 इक्विटी शेयर)	7.00	7.00
कोचीन वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रूपए के 100000 इक्विटी शेयर)	-	-
कुल	9.18	9.18
अनकोट्ट निवेश का कुल मूल्य	9.18	9.18

निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है।

नोट 7: ऋण- गैर चालू

व्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ब्यौरा		
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
अन्य ऋण		
कर्मचारी को ऋण		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियों	347.84	291.60
कुल	347.84	291.60

ऋण जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

व्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ब्यौरा		
सुरक्षा जमा	77.79	71.49
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना अनुवृत्ति	2,739.94	4,255.65
उपार्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति	21.70	29.75
कुल	2,839.43	4,356.89

भारत सरकार ने दिनांक अप्रैल 01, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए एक वित्तीय सहायता नीति को अनुमोदित किया है।

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

व्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ब्यौरा		
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	3,439.92	3,917.02
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(2,566.09)	(7,309.64)

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल) (जारी..)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	20,431.12	24,372.08
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(743.88)	(1,078.88)
कुल (क)	19,687.24	23,293.20
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	510.81	(3,346.84)
कुल (ख)	510.81	(3,346.84)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क+ख)	20,198.05	19,946.36

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिलाप किया जा सकता है:-

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
कर पूर्व लाभ	76,594.19	80,812.80
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	19,993.22	20,338.97
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	5,542.57	7,830.83
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(5,388.12)	(4,089.02)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	407.59	374.25
अग्रपिछित व्यापार घाटे का समायोजन	-	(133.35)
अन्य	(124.14)	50.40
	20,431.12	24,372.08
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(743.88)	(1,078.88)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	510.81	(3,346.84)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	20,198.05	19,946.36

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(₹ लाखों में)		
आस्थगित कर दायित्व	(3,174.38)	(3,500.25)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	14,688.51	15,525.19
कुल	11,514.13	12,024.94

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

2021-22 के संबंध में आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)

ब्यौरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
(₹ लाखों में)				
प्रावधान	(9,318.48)	1,717.32		(7,601.16)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,509.71	(321.15)		3,188.56
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(4,492.42)	(198.18)		(4,690.60)
आगे बढ़ाए हानि	(17.86)	(0.41)		(18.27)
अन्य	(1,705.89)	(686.77)		(2,392.66)
कुल	(12,024.94)	510.81	-	(11,514.13)

2020-21 के संबंध में आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)

ब्यौरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
(₹ लाखों में)				
प्रावधान	(6,425.48)	(2,568.00)	(325.00)	(9,318.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,813.16	(274.74)	971.29	3,509.71
आगे बढ़ाए हानि		133.39	(4,625.81)	(4,492.42)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(28.88)	11.02	-	(17.86)
अन्य	(1,057.38)	(648.51)	-	(1,705.89)
कुल	(4,698.58)	(3,346.84)	(3,979.52)	(12,024.94)

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(₹ लाखों में)		
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूँजी अग्रिम	17,291.05	20,887.66
पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	247.38	249.56
अग्रिम पट्टा किराया	37.09	37.75
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
सब्सिडी प्राप्य		179.36
घटाए: प्राप्य सब्सिडी का प्रावधान		(179.36)
कुल	17,836.74	21,436.19

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के कस्टम विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 24 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर वर्तमान

पिछले वर्ष के लिए प्राप्य अनुवृत्ति राशि की गणना पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेस नोट (2003) द्वारा जारी पोत निर्माण अनुवृत्ति योजना के अनुसार की जाती है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कच्चे माल और घटक*	31,424.97	43,431.69
कार्य प्रगति पर	352.31	
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणहास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ मार्गस्थ माल*	(3,126.87)	(2,981.71)
	533.53	994.01
	29,183.94	41,443.99
भंडार व पूर्जे*	669.26	714.45
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणहास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ मार्गस्थ माल*	(49.89)	(11.61)
	32.72	393.16
	652.09	1,096.00
असंयत औजार*	627.07	658.82
रद्दी माल*	139.80	211.51
कुल	30,602.90	43,410.32

*माल सूचियों का मूल्यांकन नोट सं. 2 में दी गई लेखाकरण नीति सं. 2.13 के अनुसार किया गया है।

- (i) मालसूची में भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के साथ शेष आईएसी टेका ₹ 8977.28 लाख (पिछले वर्ष 14757.40 लाख रुपए) के कोस्ट प्लस भाग के अधीन प्राप्त खरीदे गए घटक और कच्चे माल स्टोक शामिल नहीं है और आईएसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लिए अग्रिम पर दिखाया गया है।
- (ii) मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पूजों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	39,040.78	35,336.95
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	10,439.67	10,215.58
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(10,439.67)	(10,215.58)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	39,040.78	35,336.95

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू (जारी..)

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची (₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	28,335.63	6,015.39	4,294.08	395.68	-	39,040.78
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	226.00	70.28	1,117.23	1,413.51
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	63.65	15.55	8,946.96	9,026.16
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट।	-	-	-	-	-	-
	28,335.63	6,015.39	4,583.73	481.51	10,064.19	49,480.45
घटाव : दिनांक 31.03.2022 को ईसीएल प्रावधान						10,439.67
दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य						39,040.78

दिनांक 31.03.2021 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची (₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	18,979.47	8,195.52	5,710.12	145.57	-	33,030.68
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	300.36	25.69	1,061.86	1,387.91
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	-	-	-	2,306.27	-	2,306.27
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	1,336.56	7,491.11	8,827.67
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट।	-	-	-	-	-	-
	18,979.47	8,195.52	6,010.48	3,814.09	8,552.97	45,552.53
घटाव : दिनांक 31.03.2021 को ईसीएल प्रावधान						10,215.58
दिनांक 31.03.2021 को व्यापार प्राप्य						35,336.95

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रारंभिक शेष	10,215.58	13,588.08
जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/स्थानांतरण	2,984.36	672.78
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	2,760.27	4,045.28
जमा शेष	10,439.67	10,215.58

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : रोकड और रोकड तुल्यांक

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
हाथ में रोकड	-	
बैंक शेष		
चालू खाते में	12,397.71	10,944.37
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	91,155.67	37,749.10
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	37,952.42	24,176.67
कुल	1,41,505.80	72,870.14

देशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियां अलग खाते और अलग से प्रकट किया गया है।

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	15,200.00	62,262.58
तीन महीने से अधिक समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	59,797.71	
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा**	33,541.95	793.76
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	71,161.67	84,929.09
	59.71	37.76
कुल	1,79,761.04	1,48,023.19

* तीन महीने से कम की परिपक्वता वाले बैंकों के पास जमा, कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

**बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में ₹ 97.45 लाख रुपए (पिछले साल ₹93.01 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।

नोट 16 : ऋण -चालू

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	68.56	57.20
कुल	68.56	57.20

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,433.22	1,378.53
कर्मचारी अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां		-
अन्य कर्मचारी	39.23	17.43
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	1.30	178.28
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	1,921.35	
कुल	3,395.10	1,574.24

नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.36	0.39
अन्य अग्रिम	39,366.72	21,068.21
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	1,030.17	0.07
	40,397.25	21,068.67
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1,030.17	0.07
	39,367.08	21,068.60
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	-	49,677.10
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	35,028.44	45,461.76
बिक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	283.22	290.66
विविध जमाराशियां	85.12	19.14
पूर्वदत्त व्यय	651.12	350.18
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,09,684.67	85,599.59
अन्य प्राप्य	54.32	24.17
विविध चालू परिसंपत्तियां	2,440.24	1,819.87
कुल	1,87,594.21	2,04,311.07

नोट 19 : बिक्री के लिए धारित संपत्ति

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बिक्री के लिए धारित संपत्ति	13.59	-
कुल	13.59	-

क्यू 4 2021-22 के दौरान प्रबंधन द्वारा किए गए यूसीएसएल की संपत्ति के भौतिक सत्यापन पर, यह पाया गया कि कंपनी की कुल 468.10 लाख रुपये की विभिन्न संपत्तियां जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं या यार्ड के संचालन के बंद होने के कारण और समय के बीतने के कारण अप्रचलित हो गई हैं। चूंकि ये परिसंपत्तियां आर्थिक मरम्मत से परे हैं और काफी जगह घेर रही हैं, इसलिए इन परिसंपत्तियों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सुचारू व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध यार्ड स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। निपटान के अधीन संपत्तियों के इन वर्गों को बिक्री के लिए धारित संपत्तियों के रूप में पुनर्समूहित किया गया है और निपटान की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर बहियों में रखा गया है और परिसंपत्ति का निपटान 12 महीनों के भीतर किया जाएगा। संपत्ति के डब्लूडीवी और एनआरवी के बीच के अंतर को असाधारण मदों के रूप में पी एंड एल से प्रभारित किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : इक्विटी शेयर पूंजी

व्योरा	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

20.1 बकाया राशि और शेयरों की संख्या का समन्वय

व्योरा	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00	0	0.00
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निर्देशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

20.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

व्योरा	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	95843464	72.86

20.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	रू

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : अन्य इक्विटी

व्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पूंजी आरक्षण	6,887.15	6,887.15
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,152.08	93,152.20
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,668.44
सामान्य आरक्षण	6,395.20	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्स रिजर्व	0.97	90.60
प्रतिधारित कमाई	3,05,706.54	2,69,716.18
कुल	4,26,164.14	3,90,191.08

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी संचय में कंपनी की जमीन से पाइप लाइन बिछाने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त 263.56 लाख रुपए की मरम्मत शुल्क शामिल है। इसमें सहायक मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण पर लाभ भी शामिल है जैसा कि नीचे बताया गया है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने दिनांक 04 मार्च 2020 को टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) के अधिग्रहण के लिए धारण कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को मंजूरी दे दी, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से चल ही थी। एनसीएलटी आदेश के अनुपालन में, धारण कंपनी ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 को टीएसएल के अधिग्रहण के लिए बोली राशि का भुगतान किया, जिस तारीख से टीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। तदनुसार, क्रय भुगतान पर अधिग्रहण की पहचान योग्य संपत्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य में कंपनी के हित की अधिकता को पूंजी संचय में मान्यता दी जाती है।

विवरण	अधिग्रहण तिथि के अनुसार	उचित मूल्य समायोजन	क्रय मूल्य आबंटित	पूंजी संचय
अर्जित निवल संपत्ति (नकद और नकद समराशि)	13123.59	0	6500.00	6623.5

अधिग्रहित निवल संपत्ति के प्रमुख घटकों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 10528.58 लाख रुपए और आस्थगित कर संपत्ति 3979.52 लाख रुपए शामिल हैं।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व: 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम: सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया है और प्रीमियम (₹93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडिएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पढित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : अन्य इक्विटी (जारी..)

डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

सामान्य आरक्षित निधि : सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेड्स रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्स रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेडिंग्स उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 46 देखें।)

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 6 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के और 10/-रुपए के अंकित मूल्य के 7/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 11 नवंबर 2021 और 10 फरवरी 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 20, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 3.75/- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

नोट 22 : उधार

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बांड- (सुरक्षित)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	12,300.00	12,300.00
कुल	12,300.00	12,300.00

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े हैं।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की वहन राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 23: पट्टा देयताएं- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	39,363.70	39,099.47
कुल	39,363.70	39,099.47

नोट 24: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय	261.22	261.22
कुल	261.22	261.22

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 11 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 25: प्रावधान- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 37 का संदर्भ लें)	3,568.12	3,161.39
कुल	3,568.12	3,161.39

नोट 26: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	9.16	10.30
कुल	9.16	10.30

नोट 27: पट्टा देयताएं

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	3,432.87	2,564.67
कुल	3,432.87	2,564.67

नोट 28 : व्यापार देय

	(₹ लाखों में)	
ब्यौरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	1,074.47	1,527.88
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	36,538.69	42,015.54
कुल	37,613.16	43,543.42

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : व्यापार देय

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

व्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	1,074.47	1,527.88
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना);	-	-
प्रत्येक लेखाकाल वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई बकाया नहीं	1,074.47				1074.47
बकाया					0.00
(ii) अन्य बकाया नहीं	33,655.38	-	-	-	33655.38
बकाया	2,778.84	26.50	50.44	27.53	2883.31
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					0.00
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					0.00
कुल	37,508.69	26.50	50.44	27.53	37,613.16

दिनांक 31.03.2021 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई बकाया नहीं	1527.88				1527.88
बकाया					0.00
(ii) अन्य बकाया नहीं	35937.85				35937.85
बकाया	5999.71	50.44	17.90	9.64	6077.69
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई					0.00
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य					0.00
कुल	43,465.44	50.44	17.90	9.64	43,543.42

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 29 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

व्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं	281.98	281.98
अवैतनिक लाभांश	59.71	37.76
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	-	57.21
अन्य		
सुरक्षा और अन्य जमा	8,144.28	9,431.56
अन्य देय	10,470.42	12,911.55
कुल	18,956.39	22,720.06

नोट 30 : अन्य चालू देयताएं

व्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
देशी विमान वाहक कार्यों (निवल) के लिए अनुबंध दायित्व	48,950.10	-
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	1,77,104.52	1,60,155.13
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य अनुबंध के लिए अग्रिम	4,405.16	758.45
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	27.76	26.46
सांविधिक देय	4,892.54	3,336.91
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	2,35,381.22	1,64,278.09

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 44 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

अवसंरचना सुविधाओं की लागत जो अब नौसेना की निधि से और भारतीय नौसेना द्वारा समायोजित की गई है।

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भवन और अन्य सिविल कार्य	16,196.67	13,764.07
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,338.81	1,338.51
फर्नीचर और कार्यालय उपकरण	387.03	386.75
संयंत्र और मशीनरी	16,885.70	16,885.70
कुल	34,808.21	32,375.03

नोट 31 : चालू प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	546.85	272.09
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 37)	419.76	515.45
अन्य	-	-
कुल	966.61	787.54

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 31 : चालू प्रावधान (जारी..)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,665.50	2,662.17
पोत निर्माण घटाने के लिए प्रावधान	7,573.00	11,658.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए प्रावधान	37,397.31	38,218.55
	47,635.81	52,538.72
कुल	48,602.42	53,326.26

31.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

विवरण	01.04.2021 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	272.09	396.15	-	121.39	546.85
क्षतिपूरण अवधि	515.45	435.21	-	530.90	419.76
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,662.17	3.33	-	-	2,665.50
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	11,658.00	-	-	4,085.00	7,573.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	38,218.57	37,300.94	34,375.35	3,746.85	37,397.31

विवरण	01.04.2020 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	1,048.51	272.09	(1,048.51)	-	272.09
क्षतिपूरण अवधि	533.22	-	(17.77)	-	515.45
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	209.12	2,560.12	(107.07)	-	2,662.17
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,287.00	6,371.26	(0.26)	-	11,658.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	31,608.78	34,765.74	(25,716.40)	(2,439.57)	38,218.55

नोट 32 : प्रचालन से आय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	179266.04	200925.37
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य यानें	67674.19	35831.94
	2,46,940.23	2,36,757.31

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : प्रचालन से आय (जारी..)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	65,794.50	40,850.24
इंजीनियरिंग कार्य	-	5.50
	65,794.50	40,855.74
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3,486.17	3,420.09
रद्दी माल की बिक्री	1,373.80	544.23
प्रबंधन शुल्क	1,500.00	312.33
	6,359.97	4,276.65
कुल	3,19,094.70	2,81,889.70

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 44 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

प्रचालन से राजस्व में से, 9503.19 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 2567.77 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ़ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता नीति के मंजूरी दी। इस सहायता हेतु राजस्व की पहचान अब तक पूर्ण की गई सब्सिडी के तहत जहाजों के प्रत्यक्ष निष्पादन के मापन पर आधारित है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना संचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल प्रशासन को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। सीएसएल सुविधा में विस्तार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करेगा और द्वीपों में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

नोट 33 : अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	342.84	106.27
रद्दी माल और भंडार से आय	743.38	85.90
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	24.11	12.94
किराया प्राप्त	325.23	261.26
प्राप्त बाड़े	1.72	1.10
बैंक जमे पर ब्याज पर ब्याज	5,755.80	8,750.56
अन्यों से ब्याज	1,466.51	1,595.94
इक्विटी निवेश/ म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	0.89
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	173.62	404.65

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33 : अन्य आय (जारी..)

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	178.41	123.99
प्रावधान जो आवश्यक नहीं है	8,469.70	4,365.45
चार्टर किराए से आय	75.90	35.48
बैंक गारंटी नकदीकरण से प्राप्त राशि - निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा जक्त कर ली गई**	6,100.00	
विविध आय*	2,624.38	3,338.24
कुल	26,281.60	19,082.67

*विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही इंड ए एस 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

**वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम करने में ठेकेदार की अक्षमता के कारण कोची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने में टर्नकी कार्य के लिए अनुबंध रद्द कर दिया। नतीजतन, कंपनी ने प्रदर्शन गारंटी और प्रतिभूति जमा के लिए प्राप्त बैंक गारंटी को नकदीकरण किया और संपर्क की शर्तों के अनुसार आय को जक्त कर लिया, और इसे आय के रूप में माना है।

नोट 34 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	2,058.46	3,965.41
पाइप	831.45	966.05
पेंट	1,775.94	1,312.48
खरीदे गए घटक	1,57,226.14	1,15,737.88
कुल	1,61,891.99	1,21,981.82

नोट 35 : कार्य की सूची में परिवर्तन प्रगति पर

(उनके अलावा जिन्हें प्रतिशत / आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है)

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य प्रगति पर :		
वर्ष की शुरूआत में	-	-
कम: वर्ष के अंत में	(352.31)	-
कार्य प्रगति में कमी / (वृद्धि)	(352.31)	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	33,046.22	26,544.41
हल बीमा	620.67	849.62
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	7,414.08	6,237.35
कुल	41,080.97	33,631.38

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	26,736.16	25,477.44
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	1,833.79	1,720.72
उपदान	358.49	345.54
कर्मचारी कल्याण खर्च	2,178.74	1,684.60
कुल	31,107.18	29,228.30

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 20.46 लाख (पिछले साल ₹ 19.23 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 47.67 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 72.62 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

सहायक कंपनियों के संबंध में, भविष्य निधि में योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रेषित किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2021-22 के लिए 1353.43 लाख रुपए (वर्ष 2020-21 के लिए 1287.92 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करें और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2021-22	2020-21
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	18689.22	17546.07
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	18558.63	17538.21
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	(130.59)	(7.86)
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	7.37%	6.97%
क्षतिपूरित स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	0.70%	0.70%

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	8.56	8.23

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	214.03	244.95
निवल ब्याज मूल्य	229.10	205.06
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	630.2	474.16
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	1073.33	924.17

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	3970.62	3676.83
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	3,970.62	3,676.83

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	419.62	515.44
पीवीओ के गैर चालू घटक	3551.00	3161.39
कुल पीवीओ	3970.62	3676.83

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	3676.83	3405.42
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	214.03	244.95
चालू ब्याज मूल्य	229.10	205.06
बीमांकिक (लाभ)/हानि	630.20	474.16
प्रदत्त लाभ	(779.54)	(652.76)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	3,970.62	3,676.83

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	779.54	652.76
प्रदत्त लाभ	(779.54)	(652.76)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	125.67	87.43
वर्ष 2	273.81	401.76
वर्ष 3	104.67	89.56
वर्ष 4	159.02	74.69
वर्ष 5	139.61	126.07
अगले 5 वर्ष	551.92	438.26

'एनए' 'लागू नहीं' को दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (अर्ध-वार्षिक नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	125.67	87.43
वर्ष 2	273.81	401.76
वर्ष 3	104.67	89.56
वर्ष 4	159.02	74.69
वर्ष 5	139.61	126.07
अगले 5 वर्ष	551.92	438.26

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्ध वेतन छुट्टी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.87%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,347.70	2,988.16
वर्तमान सेवा लागत	141.10	128.15
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.87%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,618.91	3,225.63
वर्तमान सेवा लागत	154.28	140.20
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,624.36	3,229.92
वर्तमान सेवा लागत	154.54	140.42
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,341.72	2,983.37
वर्तमान सेवा लागत	140.81	127.91

बीपी ' आधार अंक' को दर्शाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.87%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,347.70	2,988.16
वर्तमान सेवा लागत	141.10	128.15
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.87%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,618.91	3,225.63
वर्तमान सेवा लागत	154.28	140.20
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,624.36	3,229.92
वर्तमान सेवा लागत	154.54	140.42
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,341.72	2,983.37
वर्तमान सेवा लागत	140.81	127.91

बीपी ' आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.37%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि का दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	0.70%	0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.37%	6.97%

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	9.71	8.50

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	251.58	252.11
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	(6.88)	34.92
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	244.70	287.02
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	246.93	(76.82)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(113.10)	(308.94)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	133.83	(385.76)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4,313.35	4,664.16
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,033.56	4,762.90
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	279.79	(98.74)

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,664.16	5,240.37
चालू सेवा मूल्य	251.58	252.11
चालू ब्याज मूल्य	285.54	313.54

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पिछली सेवा लागत		-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	246.93	(76.82)
प्रदत्त लाभ	(1,134.86)	(1,065.04)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4,313.35	4,664.16

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,762.90	4,191.87
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	292.42	278.63
बीमांकित लाभ / (हानि)	113.10	308.94
नियोक्ता से अंशदान	-	1,048.51
प्रदत्त लाभ	(1,134.86)	(1,065.04)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,033.55	4,762.90

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	349.40	324.46
वर्ष 2	865.52	1,561.59
वर्ष 3	291.48	350.89
वर्ष 4	400.43	261.87
वर्ष 5	386.67	370.83
अगले 5 वर्ष	1,172.15	1,203.18

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.87%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,127.61	4,487.42
वर्तमान सेवा लागत	247.97	235.32
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.87%	6.47%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,514.29	4,855.15
वर्तमान सेवा लागत	283.98	269.48
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,494.68	4,835.23
वर्तमान सेवा लागत	279.16	267.74
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,141.13	4,504.03
वर्तमान सेवा लागत	250.01	237.00

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	30.42%	36.77%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	31.51%	27.10%
उच्च गुणवत्ता का कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का इक्विटी शेयर	24.32%	24.48%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.31%	0.25%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	13.44%	11.39%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.30%	5.65%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	5.40%	5.00%
मुआवजे के स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	35.68	44.24
पिछली सेवा लागत	0	-
निवल ब्याज खर्च	15.19	14.28
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	50.87	58.52
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(55.96)	(25.26)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	(55.96)	(25.26)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	267.00	272.09
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	267.00	272.09

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	272.09	238.83
चालू सेवा मूल्य	35.68	44.24
चालू ब्याज मूल्य	15.19	14.28
पिछली सेवा लागत		-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(55.96)	(25.26)
प्रदत्त लाभ		-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	267.00	272.09

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	70.02	15.36
वर्ष 2	23.72	1.09
वर्ष 3	25.62	2.69
वर्ष 4	18.79	-
वर्ष 5	26.51	3.20
अगले 5 वर्ष	75.25	4.71

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

ब्यौरा	₹ लाखों में	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	71.07	13.06
वर्ष 2	40.48	6.17
वर्ष 3	15.32	2.23
वर्ष 4	30.73	1.59
वर्ष 5	15.51	0.12
अगले 5 वर्ष	71.70	4.09

दिनांक 31.03.2022 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्यौरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.30%	6.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.13	26.43
परिवर्तन	(3.60%)	(2.38%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.30%	4.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.93	27.76
परिवर्तन	3.92%	2.56%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	24.84	27.63
परिवर्तन	3.51%	2.10%
घ. वेतन वृद्धि दर- 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	23.20	26.53
परिवर्तन	(3.27%)	(1.98%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

दिनांक 31.03.2021 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	6.65%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	235.97	26.71
परिवर्तन	(3.61%)	(2.06%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	4.65%	4.00%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	254.48	27.87
परिवर्तन	3.95%	2.20%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	253.41	27.74
परिवर्तन	3.51%	1.73%
घ. वेतन वृद्धि दर- 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	236.82	26.82
परिवर्तन	(3.27%)	(1.64%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी की कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी लाभ योजनाओं का विवरण:

निर्धारित लाभ योजनाएं/दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति

कंपनी ने अपने कर्मचारियों की उपदान के लिए कोई निधिबद्ध योजना नहीं लिया है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से योग्य बीमाकिकों की सलाह के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि में कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को आगे बढ़ाने के रूप में मान्यता प्राप्त है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शुद्ध परिभाषित लाभ लागत को मान्यता दी गई है।

जोखिम:

निर्धारित लाभ योजनाएं कंपनी को ब्याज दर जोखिम, वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम और जनसांख्यिकीय जोखिम के लिए उजागर करती हैं।

ब्याज दर जोखिम: परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित बाजार प्राप्ति के आधार पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। प्राप्ति में कमी से निधि की देनदारी बढ़ेगी और इसके विपरीत।

वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम: परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के तहत प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। वेतन में वृद्धि से देनदारी बढ़ सकती है।

जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटते क्रम की प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन कमियों का प्रभाव सीधे आगे नहीं है और वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे कैरियर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आमतौर पर लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रतिवर्ष कम होती है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
नियोक्ता व्यय का घटक		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त:		
चालू सेवा लागत	3.56	5.70
पूर्व सेवा लागत		
निवल ब्याज लागत		
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	3.56	5.70

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनः माप योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव अनुभव समायोजन का प्रभाव अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुनः माप		
लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (4+8) में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत	3.56	5.70

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
I नियोक्ता व्यय का घटक		
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त:		
चालू सेवा लागत		
पूर्व सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज लागत		
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय		
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनः माप योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव अनुभव समायोजन का प्रभाव अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुनः माप		
लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (4+8) में मान्यता प्राप्त कुल निर्धारित लाभ लागत		

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II तलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)		
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3.56	5.70
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
निवल देयता:		
- गैर-चालू	0.03	0.14
- चालू	3.53	5.56

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II तलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)		
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
योजना संपत्ति का उचित मूल्य		
निवल देयता:		
- गैर-चालू		
- चालू		

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
III. निर्धारित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य		
चालू सेवा लागत	3.56	5.70
पूर्व सेवा लागत		
निवल ब्याज लागत		
पुनर्माप लाभ / (हानि):		
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव		
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)		
अनभव समायोजन का प्रभाव		
कटौती लागत/(क्रेडिट)		
निपटान लागत/(क्रेडिट)		
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)		
स्थानांतरण का प्रभाव अंदर/(बाहर)		
भुगतान किया गया लाभ		
वर्तमान अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ संपत्ति/(देयता)	3.56	5.70

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
III. निर्धारित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य		
चालू सेवा लागत		
पूर्व सेवा लागत		
निवल ब्याज लागत		
पुनर्माप लाभ / (हानि):		
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव		
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)		
अनभव समायोजन का प्रभाव		
कटौती लागत/(क्रेडिट)		
निपटान लागत/(क्रेडिट)		
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)		
स्थानांतरण का प्रभाव अंदर/(बाहर)		
भुगतान किया गया लाभ		
वर्तमान अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ संपत्ति/(देयता)		

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
IV. अगले वर्ष के लिए नियोजकों के अपेक्षित योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान उपदान		
उपदान	3.56	0.00

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

विवरण	31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
V. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	-	-
नियोजक योगदान	-	-
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	-	-

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
VI. बीमांकिक अनुमान		
प्रति वर्ष छूट दर	7.30%	7.30%
वेतन में वृद्धि की दर	3.00%	7.30%
मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08 अंतिम)	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08 अंतिम)
निकासी	0.70%	0.70%

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
VI. बीमांकिक अनुमान		
प्रति वर्ष छूट दर		
वेतन में वृद्धि की दर		
मृत्यु दर		
निकासी		

VII. संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये संवेदनशीलता अलग-अलग सूचीबद्ध मान्यताओं में से प्रत्येक में परिवर्तन के काल्पनिक प्रभाव को दर्शाती है। जबकि इनमें से प्रत्येक संवेदनशीलता अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखती है, व्यवहार में ऐसी धारणाएं अलगाव में शायद ही कभी बदलती हैं और परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन कुछ हद तक प्रभाव को पूरा कर सकते हैं। संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि ऊपर प्रस्तुत परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू होने के समान है। पिछले वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण की तैयारी में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	उपदान छूट्टी नकदीकरण
छूट दर	7.30%	7.30%
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(0.46)	(0.71)
प्रतिशत प्रभाव	(13.00%)	(12.40%)
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर	0.55	0.84
प्रतिशत प्रभाव	15.60%	14.80%
वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%
वेतन वृद्धि दर में 1% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	0.57	0.87
प्रतिशत प्रभाव	16.10%	15.30%
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(0.49)	(0.74)
प्रतिशत प्रभाव	(13.70%)	(13.00%)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छूट्टी नकदीकरण
छूट दर		
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर		
प्रतिशत प्रभाव		
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर		
प्रतिशत प्रभाव		
वेतन वृद्धि दर		
वेतन वृद्धि दर में 1% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव		
प्रतिशत प्रभाव		
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव		
प्रतिशत प्रभाव		

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छूट्टी नकदीकरण
वर्ष 1	0.03	0.14
वर्ष 2	0.00	0.19
वर्ष 3	0.00	0.24
वर्ष 4	0.00	0.29
वर्ष 5	0.00	0.35
अगले 5 वर्ष	0.01	2.81

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उपदान	छूट्टी नकदीकरण
वर्ष 1		
वर्ष 2		
वर्ष 3		
वर्ष 4		
वर्ष 5		
अगले 5 वर्ष		

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

उड़ुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी की कर्मचारी लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है :

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.20%	
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	
परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	5.00%	

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	8.06	
पिछली सेवा लागत		
निवल ब्याज खर्च		
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	8.06	0.00
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन ::		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	-	-

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:

(₹ लाखों में)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	8.06	-
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	8.06	-

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
चालू सेवा मूल्य	8.06	-
चालू ब्याज मूल्य	-	-
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	8.06	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकित लाभ / (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

'एनए' 'लागू नहीं' को दर्शाता है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (अर्ध-वार्षिक के नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1		
वर्ष 2		
वर्ष 3		
वर्ष 4	1.11	
वर्ष 5	6.95	
अगले 5 वर्ष		

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.20%	-
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	7.73	-
वर्तमान सेवा लागत	(4.09%)	-
ख. छूट दर - 50 बीपी	5.20%	-
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	8.40	-
वर्तमान सेवा लागत	4.30%	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	4.00%	-
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	8.37	-
वर्तमान सेवा लागत	3.89%	-
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.00%	-
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	7.75	-
वर्तमान सेवा लागत	(3.78%)	-

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

नोट 38 : वित्तीय मूल्य

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,659.93	3,583.32
अन्य ब्याज	0.00	491.34
कर मुक्त बांड पर ब्याज	1,051.44	1,051.44
कुल	4,711.37	5,126.10

नोट 39 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	5,047.48	4,083.04
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,420.38	1,414.14
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	334.07	299.59
कुल	6,801.93	5,796.77
जोड़िए: औजारों के पुनः मूल्यांकन पर हानि	164.48	186.31
कुल	6,966.41	5,983.08

नोट 40 : अन्य व्यय

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
भंडार का उपभोग	1,990.67	1,592.62
पुर्जों का उपभोग	66.52	54.51
दर और कर	277.43	507.46
बिजली	2,667.42	1,942.79
ईंधन	2,024.63	1,340.87
जल	306.34	303.95
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 40 : अन्य व्यय (जारी..)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
इमारते व सड़कें	618.42	457.78
प्लान्ट और मशीनरी	227.99	158.23
डॉक	8.23	12.18
अन्य	1,303.74	1,232.57
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	287.35	467.32
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	89.08	170.91
यात्रा तथा सवारी खर्च	735.91	497.21
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	77.02	75.92
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	55.30	46.47
विज्ञापन और प्रचार	315.60	168.59
पट्टे किराया	11.87	14.82
भाड़े	591.89	288.66
बीमा	703.02	744.93
सुरक्षा व्यय	2,246.37	2,154.69
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	34.34	33.40
सांविधिक अनुपालनों के लिए शुल्क	1.02	2.71
प्रशिक्षण खर्चा	657.33	359.40
विधि खर्चा	29.22	38.63
परामर्श	46.76	86.86
बैंक प्रभार	604.71	699.91
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 50 का संदर्भ ले)	1,619.47	1,486.98
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	1.02	1.25
विविध खर्च	700.72	1,366.55
कुल	18,299.39	16,308.17

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	20.50	19.50
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	11.85	12.85
प्रमाणीकरण हेतु	1.99	5.90
कुल	34.34	38.25

नोट 41 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण/अग्रिम	4,134.08	98.18
अप्रचलन/सतत मालसूची का सत्यापन	185.81	2.92
खर्च और फुटकर खर्च	482.07	2,692.02
पोत निर्माण में हानि के लिए प्रावधान	-	6,371.00
कुल	4,801.96	9,164.12

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 42 : असाधारण मदें

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वस्तुसूची के लिए प्रावधान वापस लिखा गया/ (वस्तुसूची के लिए प्रावधान)		(188.92)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बड़े खाते में डालना	454.51	
प्राय सब्सिडी का प्रावधान वापस लिखा गया/ (प्राय सब्सिडी के लिए प्रावधान)	(179.36)	(1,074.48)
कुल	275.15	(1,263.40)

नोट 43 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	56,396.14	60,866.44
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	42.87	46.27
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 44: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित शून्य)		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	179266.04	200925.37
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	67674.19	35831.94
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3486.17	3420.09
प्रबंधन शुल्क	1500.00	312.33
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	65794.50	40850.24
इंजीनियरिंग कार्य	0.00	5.50
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	774.42	381.88
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	599.38	162.35
कुल	319094.70	281889.70

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 44: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' (जारी)

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹ 754093.96 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश है। प्रबंधन की उम्मीद है कि 18.04% दिनांक 31.03.2022 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2021 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले ₹ 42131.88 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
आदेशों की खुली कीमत	1495498.24	1504739.51
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	117957.69	11336.93
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	(74.03)	1766.45
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	720.76	250.84
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	2479.72	15654.69
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	109388.84	6940.80
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	1502234.10	1495498.24
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	146496.07	137551.03
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	14774.27	2613.13
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	131721.80	134937.90
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	616418.34	575676.23
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	0.00	0.00
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	754093.96	784884.10
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	1502234.10	1495498.23

नोट 45: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 85.50 लाख रुपए की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2575.78 लाख रुपए है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 45: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे' (जारी)

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं : (₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	2,742.78	2,649.25
एक से पांच साल तक	11,636.06	11,314.36
पांच वर्ष से अधिक	1,21,828.25	1,24,865.12
कुल	1,36,207.09	1,38,828.73

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक की पट्टा परिसंपत्तियों के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं : (₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	200.78	191.23
एक से पांच साल तक	152.94	313.02
पांच वर्ष से अधिक	247.12	287.82
कुल	600.84	792.07

टिप्पणी 46: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध आम तौर पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 22 को नकदी प्रवाह हेड्जिस के रूप में नामित किया गया है: (₹ लाखों में)

मुद्रा	अनुबंधों की संख्या	31-मार्च -22		अनुबंधों की संख्या	31-मार्च -21	
		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ / (हानि)		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ / (हानि)
यूरो	1	794.61	1.30	2	2982.30	(24.62)
एनओके	0	0.00	0.00	2	4319.34	145.70
कुल		794.61	1.30	4	7301.64	121.08

नकदी प्रवाह हेड्जिस के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए हेड्ज रिजर्व में उतार- चढ़ाव इस प्रकार हैं: (₹ लाखों में)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष (सीआर/डीआर)	90.60	0.00
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(89.63)	90.60
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.97	90.60

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 47: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2021 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क गारंटी			
i ऋणपत्र	11,664.67	12,356.31	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	4,03,880.02	3,53,929.06	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है।
iii कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को निगमित निष्पादन गारंटी	3,925.00	3,925.00	ठेके की अवधि के दौरान कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ किए ठेके करार के अधीनदायित्वों के निष्पादन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी द्वारा निष्पादन गारंटी दिया गया।
ख अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावाएं (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii सीमाशुल्क	17,984.71	17,984.48	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क। सीईएसटीएटी, बेंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है।
iii आय कर	2,069.97	2,069.97	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - रु. 457.63 लाख वित्तीय वर्ष 2011-12 - रु. 369.50 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - रु. 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - रु. 331.77 लाख विस्तृत टिप्पणियां 47.1 (i) में दिया है।
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओं नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। अधिनिर्णयन लंबित है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 47: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी)

ब्यौरा	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2021 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	376.68	376.68	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है और अधिनिर्णयन लंबित है।
	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई। अधिनिर्णयन लंबित है।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वेट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	1,885.60	1,885.60	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	734.93	734.93	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	150.56	150.56	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने ओआईओ नंबर 48/2020 - एसटी (जेसी) दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई। ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) को दायर किया गया।
	286.85	286.85	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	279.46	279.46	कॉन्सटेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बार्ज के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 47: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं (जारी)

व्यौरा	31 मार्च 2022 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2021 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
v एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	195.09	165.91	आवेदक ने आरेखण और माल की अपूर्ति में देरी हेतु सीएसएल द्वारा काटे गए ब्याज के साथ परिसमापन नुकसान की वसूली हेतु एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा मध्यस्थता को संदर्भित किया। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृद पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। आवेदक द्वारा दायर दावा याचिका।
vi कर्मचारी राज्य बीमा निगम	17.26	17.26	जून 2010 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान उच्च प्रशिक्षुओं के संबंध में देय ईएसआई योगदान के विलंबित भुगतान के संबंध में ब्याज और क्षति के दावे। व्यथित सीएसएल ने आई सी सं. 60/2016, आई सी सं. 09/2020, आई सी सं. 03/2021 में अवैधता और निर्देशों के उल्लंघन और ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा दावों को प्राथमिकता देने के तरीके को चुनौती देते हुए मामले दर्ज किए।
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए :	58,207.57	1,17,275.12	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

47.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(1) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2019-20 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 और 2017-18 के लिए कुल ₹ 1369.11 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से है। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए हालांकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, आयकर विभाग आईटीएटी के सामने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश सामने अपील के लिए चला गया है। आईटीएटी के समक्ष अपील के तहत कुल 700.86 लाख रुपए शामिल हैं।

48. मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड (पहले सुरेंद्रा ओवरसिस लिमिटेड) और कंपनी के बीच पोत सं. 005 के मामले में विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाचन के लिए भेज दिया था। विवाचन पंचनिर्णय (जुलाई 2009) कंपनी के अनुकूल था जिसके अधीन मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड से कंपनी 2803.64 लाख रुपए प्राप्त करना है। कंपनी ने आदेश पारित करने के लिए उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एक याचिका फाइल की है और मामला विचाराधीन है। न्यायालय के आगे मामला विचाराधीन है। न्यायालय के अधीन लंबित अंतिम आदेश खाता बहियों में कोई जमा नहीं किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

49. मुकदमा :

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिनांक 31 मार्च 2022 की तिथि पर महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण।

मै. विजिल मराइन सर्वोसिस मे वर्ष 2004 में एटीसीओ टगों के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु देय एजेंसी छूट की ओर दावा उठाया था। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्टूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की परीक्षा और प्रति परीक्षा पूरी की और मामला दिनांक 01 और 02 फरवरी 2014 को तर्क वितर्क के लिए दर्ज किया। मध्यस्थ ने कार्यवाहियां पूरी की और मै. विजिल मराइन सर्वोसिस को प्रतिवर्ष 8% दर पर ब्याज सहित 18.25 मिलियन यूएस डॉलर के एटीसीओ ठेका मूल्य के 5% दर पर कमीशन देने के लिए कंपनी को निदेश करते हुए उनका निर्णय पारित किया। इस पर असंतुष्ट सीएसएल उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 फाइल की और निर्णय अमल में लाना स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

50. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है

(क) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि	₹ 1617 लाख
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	₹ 1619.47 लाख (₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1000.10	-	1,000.10
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य	619.37	-	619.37

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि

पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि
40.00	1619.47	1619.47	40.00
			(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31 मार्च 2022 को रुपए लाख में
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि,	1617.00
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1619.47
(iii) वर्ष के अंत में कमी,	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी ,	0.00
(v) कमी का कारण ,	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VI में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।	

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

50. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): (जारी)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	रूपए लाख में
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,		शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।		शून्य

51. कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, कोई निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) किसी भी तरह से पहचाने जाते हैं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं। कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पार्टियाँ) शामिल हैं। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

52. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2021-22	2020-21
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल अध्यक्ष (एचसीएसएल, यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी (30 अप्रैल 2021 तक) निदेशक (प्रचालन), सीएसएल निदेशक (एचसीएसएल, यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री विजय भास्कर निदेशक (तकनीकी), सीएसएल निदेशक (एचसीएसएल, यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकार, सीएसएल निदेशक (एचसीएसएल, यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री संजय बंदोपाध्याय सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री के आर ज्योतिलाल सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (नवंबर 26, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (दिसंबर 01, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री अशोक शर्मा नवंबर 26, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन नवंबर 22, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

52. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी)

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2021-22	2020-21
श्री वेंकटेशन एम (नवंबर 22, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री अभिजित बिसवास (दिसंबर 01, 2021 से) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री जिजी तोमसण (जुलाई 14, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री प्रदीप्ता बानर्जी (जुलाई 14, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त (जुलाई 14, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सीएसएल		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव, सीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एस बालाजी अरुणकुमार, निदेशक (मई 29, 2020 तक), (एचसीएसएल)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शेखर चक्रवर्ती, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (22.12.2021 से), (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री साईबल चट्टोपाध्याय, मुख्य वित्तीय अधिकारी (14.02.2022 से) (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री राजेश गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (21.12.2021 तक) (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन, नामांकित निदेशक (26.03.2022 से) (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्रीमती अंजना के आर, नामांकित निदेशक (26.03.2022 से) (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री बालकृष्णन पूवत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (13.02.2022 तक), (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री किरण के ए, कंपनी सचिव, एचसीएसएल (अक्टूबर 16, 2020 से) (एचसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री हरिकुमार ए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (यूसीएसएल)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शिवु जाँण मुख्य वित्तीय अधिकारी, यूसीएसएल (एचसीएसएल के मु.वि.अ. अक्टूबर 15, 2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव, यूसीएसएल (एचसीएसएल के कं.स., अक्टूबर 15, 2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान माल्पे)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

52. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी)

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति*

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
अल्पकालीन लाभ	300.18	256.83
रोजगार के बाद का लाभ	29.69	34.00
कुल	329.87	290.83

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2021 को खुला शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक	दिनांक
				31.03.22 को शेष	31.03.22 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
बिजोय भास्कर	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
जोस वी जे	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2020 को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक	दिनांक
				31.03.21 को शेष	31.03.21 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
बिजोय भास्कर	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
जोस वी जे	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

बैठक का नाम	आम्रपाली प्रशांत साल्वे	नाहर सिंह माहेश्वरी	अशोक शर्मा	पृथ्वीराज हरिचंदन	वेंकटेशन एम	अभिजित बिसवास
बोर्ड बैठक	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
लेखापरीक्षक समिति	-	-	0.20	0.20	-	0.20
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	0.20	0.20	-	-	-	-
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	-	-	0.20	-	-	0.20
हितधारकों की संबंध समिति	-	-	-	-	0.20	-
जोखिम प्रबंधन समिति	0.20	-	-	-	-	-
2021-22 के लिए कुल भुगतान	0.90	0.70	0.90	0.70	0.70	0.90

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

52. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी)

बैठक का नाम	जिजी थॉमसन	नंदकुमारन पुत्तेषत्त	प्रदीप्ता बैनर्जी
बोर्ड बैठक	0.15	0.15	0.15
लेखापरीक्षक समिति	0.15	0.15	0.15
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	0.15	0.15	-
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	0.15	0.15	0.15
ठेका और कैपेक्स समिति	0.15	0.15	0.15
2020-21 के लिए कुल भुगतान	0.75	0.75	0.60

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इन्ड एएस 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इन्ड एएस 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	14855.74	26836.17

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 94% और व्यापार प्रायों के 99.48% (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

53. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. वित्तीय साधन (जारी)

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31.03.2022 को	31.03.2021 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	9.18	9.18	स्तर III
(ii) ऋण	347.84	291.60	स्तर II
(iii) अन्य	2,839.43	4,356.89	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	39,040.78	35,336.95	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	1,41,505.80	72,870.14	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	1,79,761.04	1,48,023.19	स्तर II
(iv) ऋण	68.56	57.20	स्तर II
(v) अन्य	3,395.10	1,574.24	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,66,967.73	2,62,519.39	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	12300.00	12300.00	स्तर I
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	39363.70	39099.47	स्तर II
वित्तीय देयताएं	261.22	261.22	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	37,613.16	43543.42	स्तर II
(ii) पट्टा देयताएं	3432.87	2564.67	स्तर II
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18,956.39	22720.06	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	1,11,927.34	1,20,488.84	

नोट:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहाँ संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा। बैंक जमा राशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. वित्तीय साधन (जारी)

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		9.18			9.18	
ऋण						291.60
अन्य						4,356.89
प्राप्य व्यापार			39,040.78			35,336.95
नकद एवं नकद समतुल्य			1,41,505.80			72,870.14
बैंक शेष			1,79,761.04			1,48,023.19
ऋण						57.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			6,650.93			1,574.24
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	9.18	3,66,958.55	0.00	9.18	2,62,510.21

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत
वित्तीय देयताएं						
उधार			12,300.00			12300.00
पट्टा देयताएं			39,363.70			39099.47
अन्य वित्तीय देयताएं			261.22			261.22
प्राप्य व्यापार			37,613.16			43543.42
पट्टा देयताएं			3,432.87			2564.67
अन्य वित्तीय देयताएं			18,956.39			22,720.06
कुल वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	1,11,927.34	0.00	0.00	1,20,488.84

54. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद तथा बैंक शेष शामिल हैं, जो अपने प्रचालनों से सीधे व्युत्पन्न हो जाता है। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नो सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि इक्विटी कीमत जोखिम और सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

54. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी)

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोजर प्राथमिक रूप से नोट 21 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 46 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर निम्नानुसार है:

विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
31 मार्च 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
31 मार्च 2021	7271.52	5220.98	0.00	1451.51	13944.00
वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2022	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.83
31 मार्च 2021	9416.42	6641.14	31.77	529.09	16618.42

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन के लिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवेदनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्राप्तियां		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(162.59)	470.82
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	162.59	(470.82)

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

54. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(433.37)	332.06
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	433.37	(332.06)
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(1.13)	1.59
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	1.13	(1.59)
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(8.84)	(26.45)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	8.84	26.45
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	162.59	(470.82)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(162.59)	470.82
यूरो- ₹ 5% का सुदृढीकरण	433.37	(332.06)
यूरो- ₹ 5% की कमजोरी	(433.37)	332.06
जीबीपी- ₹ 5% का सुदृढीकरण	1.13	(1.59)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(1.13)	1.59
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	8.84	26.45
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(8.84)	(26.45)

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाजार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कर्मोडिटी जोखिम के लिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा के लिए कर्मोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(₹ लाखों में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टील	102.92	198.27	(102.92)	(198.27)

चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

54. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश			9.18			9.18
ऋण	112.28	233.00	2.56	270.56	19.58	1.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		21.70	2817.73		29.75	4327.14
प्राप्य व्यापार	39040.78			35336.95		
रोकड और रोकड समतुल्य	141505.80			72870.14		
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	179761.04			148023.19		
ऋण	68.56			57.20		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3395.10			1574.24		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	363883.56	254.70	2829.47	258132.28	49.33	4337.78
वित्तीय देयताएं						
उधार		10000.00	2300.00		10000.00	2300.00
पट्टा देयताएं	0.00	253.62	39110.08	0.00	263.04	38836.43
अन्य वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	261.22			261.22
पट्टा देयताएं	3432.87			2564.67		
व्यापार देय	37613.16			43543.42		
अन्य वित्तीय देयताएं	18956.39			22720.06		
कुल वित्तीय देयताएं	60002.42	10253.62	41671.30	68828.15	10263.04	41397.65

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारण है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के लिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढ़ाव का खुलासा नोट 13 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2022 और दिनांक 31 मार्च 2021 के रूप में तुलन पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोजर नोट संख्या 13 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 49 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 94% और व्यापार प्राप्तियों का 99.48% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोजर का खुलासा क्रमशः नोट 46 और नोट 47 में किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

55. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिट किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
खंड परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	258545.34	319484.51
पोत मरम्मत	287038.89	259606.41
अनार्बिट	295788.30	172828.72
कुल	841372.53	751919.64
खंड देयता		
पोत निर्माण	155917.43	104576.01
पोत मरम्मत	64318.72	11264.54
अनार्बिट	181818.20	232733.97
कुल	402054.35	348574.52
खंड राजस्व		
पोत निर्माण	251200.83	240559.27
पोत मरम्मत	67893.87	41330.43
अनार्बिट	26281.60	19082.67
कुल	345376.30	300972.37
खंड परिणाम		
पोत निर्माण	57776.43	76229.86
पोत मरम्मत	12041.89	9419.89
अनार्बिट	6775.87	(4836.95)
कुल	76594.19	80812.80

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - "पोत निर्माण" और "पोत मरम्मत"। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 204473.56 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 203736.66 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 40786.31 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 29714.58 लाख रुपए) शामिल हैं।

प्रचालन से राजस्व में से, 9503.19 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 2567.77 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं

56. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

56. पूंजी प्रबंधन (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
दीर्घकालीन उधार	12300.00	12300.00
निवल ऋण	12300.00	12300.00
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	426164.14	390191.08
कुल इक्विटी	439318.18	403345.12
गियरिंग अनुपात	2.80%	3.05%

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क) वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएं	1.68	1.72	(2.43%)	
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.03	(8.19%)	
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	* ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	8.01	8.19	(2.29%)	
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.13	0.16	(14.71%)	
(ङ) वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	8.62	7.54	14.36%	
(च) व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	6.72	6.41	4.77%	
(छ) व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	3.67	3.14	17.05%	
(ज) निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.36	1.33	1.86%	
(झ) निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल बिक्री	0.18	0.22	(18.15%)	
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य+ कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.19	0.21	(11.74%)	
(ट) निवेश पर वापसी - इक्विटी	इक्विटी निवेश से वापसी	औसत इक्विटी निवेश	0.00	0.00		
(ठ) निवेश पर वापसी- ऋण	ऋण निवेश से वापसी	औसत ऋण निवेश	0.00	0.00		

*ऋण सेवा के लिए कमाई उ करों के बाद निवल लाभ अ गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन अ ब्याज अ अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।
ऋण सेवा उ ब्याज और पट्टा भुगतान अ मूलधन चुकौती

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

57 . सहायक कंपनियों का विवरण

	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	व्यापार का मुख्य केंद्र	31 मार्च 2021 को आनुपातिक स्वामित्व % में 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को आनुपातिक स्वामित्व प्रतिशत में
1	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण और उनकी मरम्मत	कोलकाता, भारत	100%
2	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण और उनकी मरम्मत	माल्पे, भारत	100%

58. सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:

सहायक के लिए अनावृत्त राशियां अंतर- कंपनी उन्मूलन के समक्ष है

क. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(₹ लाखों में)

संक्षिप्त तुलन पत्र	2021-22	2020-21
गैर चालू संपत्तियां	17374.21	13626.34
चालू संपत्तियां	4498.83	4507.23
कुल संपत्तियां	21873.04	18133.57
गैर चालू देयताएं	13730.17	10607.34
चालू देयताएं	4161.20	3260.95
कुल देयताएं	17891.37	13868.29
निवल संपत्ति	3981.67	4265.28
संचित एनसीआई	0.00	0.00

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2021-22	2020-21
राजस्व	41.78	0.00
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(283.61)	(315.70)
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00
कुल व्यापक आय	(283.61)	(315.70)
एनसीआई हेतु लाभ / (हानि)	0.00	0.00

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	2021-22	2020-21
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(211.34)	1985.25
निवेश गतिविधियों से	(2988.50)	(8549.32)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2771.97	8355.16
नकद और नकद समराशि में निवल वृद्धि/ कमी	(427.87)	1791.09

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

58. सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है: (जारी)

क. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड)

संक्षिप्त तुलन पत्र	2021-22	2020-21
गैर चालू संपत्तियां	13690.55	14070.24
चालू संपत्तियां	3420.16	2817.85
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	13.59	0.00
कुल संपत्तियां	17124.30	16888.09
गैर चालू देयताएं	1569.93	575.39
चालू देयताएं	3122.84	2659.49
कुल देयताएं	4692.77	3234.88
निवल संपत्ति	12431.53	13653.20
संचित एनसीआई	0.00	0.00

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2021-22	2020-21
राजस्व	641.98	0.00
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(1294.13)	(136.04)
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00
कुल व्यापक आय	(1294.13)	(136.04)
एनसीआई हेतु लाभ / (हानि)	0.00	0.00

(₹ लाखों में)

संक्षिप्त नकदी प्रवाह	2021-22	2020-21
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(1045.38)	1605.85
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(860.47)	(165.96)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	959.37	999.80
नकद और नकद समराशि में निवल वृद्धि/ कमी	(946.48)	2439.70

(₹ लाखों में)

59. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा आवश्यक जानकारी

(₹ लाखों में)

ग्रुप में इकाई का नाम	निवल संपत्ति			लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	31 मार्च 2022 को % में स्वामित्व	आनुपातिक शेयर	समेकित निवल संपत्ति के % के रूप में	लाभ / (हानि) में हिस्सा	समेकित लाभ / (हानि) के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सा	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	435917.97	99.23%	58656.82	104.01%	(106.65)	100.00%	58550.18	104.02%
सहायक									
हंगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	3981.67	0.91%	(283.61)	(0.50%)	0.00	0	(283.61)	(0.50%)
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	12431.53	2.83%	(1294.13)	(2.29%)	0.00	0	(1294.13)	(2.30%)
समेकन समायोजन		(13012.98)	(2.96%)	(682.95)	(1.21%)	0.00	0	(682.95)	(1.21%)

वर्ष के लिए आयातित वस्तुओं/सेवाओं की खपत 92189.67 लाख रुपए (पिछले वर्ष 64107.73 लाख रुपए)

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

60. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।

61. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, ऋण, जमा और दावों के अधीन दर्शाए गए शेष राशि पुष्टि और परिणामस्वरूप पुनर्मिलन, यदि कोई हो, के अधीन है।

62. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेका नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।

63. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है।

64. पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1 - 2
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 3 - 64

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

हमारे रिपोर्ट के अनुसार कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मेसर्स एलियास जॉर्ज व कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमस
साझेदार
(सदस्यता सं. 243850)
कोच्ची, दिनांक मई 20,2022

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 20,2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

अनुबंध

फॉर्म सं. एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा 3 के पहला प्रावधान के अनुसार)

भाग 'क' : सहायक कंपनियों

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण	विवरण
1	क्रम सं.	1	2
2	सहायक कंपनी का नाम	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	अक्टूबर 23, 2017	सितंबर 15, 2020
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होलिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	नहीं	नहीं
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	₹5000 लाख	₹ 6500 लाख
7	आरक्षण और अधिशेष	₹ (1018.33) लाख	₹ 5931.53 लाख
8	कुल परिसंपत्तियां	₹ 21873.04 लाख	₹17124.30 लाख
9	कुल देयताएं	₹ 21873.04 लाख	₹ 17124.30 लाख
10	निवेश	शून्य	शून्य
11	कुल कारोबार	₹ 41.78 लाख	₹ 641.98 लाख
12	कराधान पूर्व लाभ	₹ (382.47) लाख	₹ (1779.46) लाख
13	कराधान के लिए प्रावधान		
	(i) वर्तमान कर		
	(ii) आस्थगित कर	₹ (98.86) लाख	₹ (485.33) लाख
14	कराधान के बाद लाभ	₹ (283.61) लाख	₹ (1294.13) लाख
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%	100%

भाग 'ख': सहायोगी और संयुक्त उद्यम : लागू नहीं

हमारे रिपोर्ट के अनुसार कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मेसर्स एलियास जॉर्ज व कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. - A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

जोसफ अतुल थॉमसन
साझेदार
(सदस्यता सं. 243850)

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 20, 2022

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या: L63032KL1972GOI002414

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015

दूरभाष : +91 (484) 2501306 फैक्स: +91 (484) 2384001

ईमेल: secretary@cochinshipyard.in वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि कोचीन शिपयार्ड की सदस्यों की 50 वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए गुरुवार, सितंबर 29, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित व्यापार कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।
- दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 6.00 (60%) के प्रथम अंतरिम लाभांश और प्रति इक्विटी शेयर ₹ 7.00 (70%) के दूसरे अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपये) ₹ 3.75 (37.50%) के अंतिम लाभांश घोषित करना।
- श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक के नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पात्र होने के नाते, उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यापार

- लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (फिलहाल लागू किसी सांविधिक संशोधन या तत्संबंधी पुनरधिनियमन सहित) जो समय-समय संशोधितानुसार है, कंपनी एतद्वारा मेसर्स बीबीएस व एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 00273) जिन्हें दिनांक मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (लागत अभिलेखा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अधीन कंपनी के लागत अभिलेख से संबंधित लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे, को देय लागू कर सहित प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करती है।

“आगे संकल्प किया है कि, कंपनी निदेशकों में से एक या कंपनी सचिव को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन ऐसे सभी कदमों और सभी कार्यों को करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

- श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन : 09415405) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित और नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के आदेशानुसार, श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन : 09415405) को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नवंबर 26, 2021 से नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।

8. श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे, संशोधनों के साथ या बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित और दिनांक नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के आदेशानुसार, श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082) को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में दिसंबर 01, 2021 से नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो उनकी नियुक्ति हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।

9. श्री अशोक शर्मा (डीआईएन : 09414565) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित और दिनांक नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के आदेशानुसार, श्री अशोक शर्मा (डीआईएन : 09414565) को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नवंबर 26, 2021 से नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।

10. श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन : 01351097) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित और दिनांक नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के आदेशानुसार, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन : 01351097) को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नवंबर 22, 2021 से नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार

द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।

11. श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन : 07667728) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित और दिनांक नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के आदेशानुसार, श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन : 07667728) नवंबर 22, 2021 से नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में की नियुक्ति हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।

12. श्री अभिजित बिसवास (डीआईएन : 09419083) की गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित और दिनांक नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के आदेशानुसार, श्री अभिजित बिसवास (डीआईएन : 09419083) को कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में दिसंबर 01, 2021 से नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा दी जाती है।

13. श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन : 09543968) की निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 196 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू नियम, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय लागू होनेवाले पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित, और पत्तन, पोत

परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा जारी जुलाई 21, 2022 के भारत सरकार के पत्र सं.एफ सं. एसवाई-11012/1/2020-सीएसएल के अनुसार, और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन : 09543968) को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में जुलाई 21, 2022 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक, यानि मई 31, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, और जिसका कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है, उनकी नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी दी जाती है।

14. संस्था के अंतर्नियम में संशोधन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और अन्य लागू प्रावधानों, और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित (इसमें किसी भी संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के मौजूदा अनुच्छेद 29 (ख) को हटाकर एतद्वारा संशोधित किए जाते हैं, अर्थात्, किसी विशेष प्रकार के प्रतिभूति या शेयरों में निवेश

का कोई प्रस्ताव, यदि ऐसा निवेश 10 लाख रुपए से अधिक है, सिवास इसके कि खंड 28 क में प्रदान किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. : A 25337

कोच्ची

सितंबर 06, 2022

टिप्पण :

- कोविड-19 महामारी की निरंतरता पर ध्यान रखते हुए, कॉपोरेट मामला मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 02/2022, मई 05, 2022 द्वारा, परिपत्र सं. 21/2021, दिसंबर 14, 2021, परिपत्र सं. 19, 2021, दिसंबर 08, 2021, परिपत्र सं. 02/2021, जनवरी 13, 2021, परिपत्र सं. 20/2020, मई 05, 2020, परिपत्र सं. 14/2020 अप्रैल 08, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 अप्रैल 13, 2020 के साथ पढित और समय - समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में, एमसीए परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्ध विनियम') और सेबी परिपत्र, वीसी/ओएवीएम के जरिए कंपनी की 50 वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।
- नोटिस में निर्धारित विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार विवरण संलग्न किया है और यह नोटिस का एक अभिन्न अंग है।
- इस नोटिस के वार्षिक आम बैठक में पुनःनियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में संगत विवरण, सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 36 (3) और भारतीय कंपनी सचिवीय संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसरण में, संलग्न किया है।
- कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए हकदार एक सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी कंपनी का एक सदस्य नहीं होना चाहिए। चूंकि इस वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति तिरस्कृत की गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं होगी और अतः परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ नहीं संलग्न किया है। फिर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या निकास कॉपोरेट जैसे सदस्यों के प्रतिनिधियों वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।
- दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट, उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते कंपनी के आरटीए/निक्षेपागार भागीदार के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा, सदस्यों के अनुरोध पर

- उसकी हार्ड कॉपी भी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य अपने अनुरोध को हार्ड कॉपी के लिए secretary@cochinshipyard.in पर भेज सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्क्योरिटीज़ डिपोजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा।
- संशोधितानुसार, सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियां दिनांक अप्रैल 01, 2019 से केवल डिमैटीकृत माध्यम के रूप में अंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण या अंतरण के लिए अनुरोध के मामले में। इस पर ध्यान रखते हुए और प्रत्यक्ष शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो के प्रबंधन में आसानी के लिए, प्रत्यक्ष रूप में शेयरों को संभालने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्तियों को डीमैट रियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ताओं, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
 - जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पता पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, तो, निक्षेपागार साझेदार के साथ और यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में संभाले रखे हैं, तो, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ वही पंजीकृत/ अद्यतन करें। सदस्यों, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को संभाल रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डीमैट खाते के साथ अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करें, ताकि कंपनी/ रजिस्ट्रार को ई-मेल के माध्यम से संचार भेजने में सक्षम बनाया जा सके।
 - सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, दूरभाष/मोबाइल सं., स्थायी लेखा खाता संख्या (पैन), जनादेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी आदि के संबंध में कोई परिवर्तन है, तो, उसे सूचित करें।
- डीमैट मोड में धारित शेयरों के लिए :** उनके डीपी को प्रत्यक्ष मोड में धारित शेयरों के लिए : निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 में इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए को। उक्त फार्म https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/56 पर उपलब्ध है।
- प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 03 नवंबर 2021 और दिसंबर 14, 2021 के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 तक पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण जमा करना

अनिवार्य कर दिया है। वे सदस्य जिन्होंने अभी तक उक्त विवरण जमा नहीं किया है, वे इसे कंपनी के आरटीए लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जमा कर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत निर्देश <https://www.linkintime.co.in/home-KYC.html> पर उपलब्ध हैं।

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. एसएच-13 प्रस्तुत करके इसे पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को रद्द करना चाहता है, तो वह इसे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. एसएच-14 में जमा कर सकता है। अनुरोध पर, कंपनी के आरटीए, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट मोड में है तो वे अपने डीपी को उक्त विवरण प्रस्तुत करें और शेयर प्रत्यक्ष रूप में रखने की स्थिति में लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत करें।
- 10. बही समाप्ति और लाभांश**
- सदस्यों की पंजी और कंपनी शेयर अंतरण बहियां बुधवार, सितंबर 23, 2022 से मंगलवार, सितंबर 29, 2022 (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद कर दिया जाएगा।
 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश, जैसा कि निर्देशक मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो, अक्टूबर 28, 2021 तक स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, यानी, उन सदस्यों को अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिनके नाम बुधवार 22 सितंबर 2022 को कार्य समय की समाप्ति पर सदस्यों/डिपोजिटरी के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, के रजिस्ट्रार में दिखाई देते हैं।
 - कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगी। डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान इस प्रयोजन के लिए बुधवार 22 सितंबर 2022 को निक्षेपागार (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) द्वारा किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरणों के आधार पर किया जाएगा। डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य यह नोट किया जाए कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के सामने पंजीकृत बैंक विवरणों का उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश के किसी भी परिवर्तन के लिए कंपनी या उसके आरटीए डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरह के बदलाव, केवल सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ ही सूचित कर सकते

हैं। वे सदस्य, जिन्होंने निक्षेपागार डीमैट खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता बदल दिया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय निर्दिष्ट खाते के अलावा किसी अन्य डीमैट खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण (नौ अंकों के बैंक कोड सहित) अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ दिनांक 22 सितंबर 2022 से पहले सही/परिवर्तित करें।

- वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, एक कंपनी द्वारा भुगतान किए गए और वितरित लाभांश दिनांक 01 अप्रैल 2021 से शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत शेयर धारक की प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क. निवासी शेयरधारक

क) व्यक्तियों के मामले में टीडीएस लागू नहीं होगा, यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उन्हें वितरित किया गया कुल लाभांश ₹5,000 से अधिक न हो।

ख) उन मामलों में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा जहाँ शेयरधारक निम्नलिखित प्रदान करता है।

- प्रपत्र 15 जी (कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू)
- प्रपत्र 15 एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू), बशर्ते कि पात्रता शर्तों को पूरा किया जा रहा हो।
- प्रपत्र 15 एच/ 15 जी कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर (टीडीएस) 10% की दर से देय लाभांश की राशि पर काटा जाएगा, जब तक कि उसके किसी प्रावधान के तहत छूट न दी गई हो।

घ) आयकर अधिनियम की धारा 206 एबी के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों से दोगुनी होगी।

ङ) यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एए के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

च) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यक्ष रूप में शेयरों के मामले में) और डिपोजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के साथ पैन अपडेट करें।

- छ) अलग-अलग स्थिति /श्रेणी और एकल पैन के अधीन कई खातों के तहत शेयर रखनेवाले शेयरधारक ध्यान दे कि उस स्थिति पर लागू कर से अधिक जिसमें पैन के तहत शेयर धरित है, जो विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण धारिता पर विचार किया जाएगा।
- ज) शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करें और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यदि शेयर डीमैट मोड में है) या कंपनी के आरटीए (यदि शेयर प्रत्यक्ष मोड में रखे गए हैं) के साथ जल्द से जल्द अपडेट करें।

झ) पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारितानुसार निम्नलिखित दस्तावेज सितंबर 21,2022 को 23:59 बजे तक कंपनी के आरटीए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर अपलोड करें, जो काटे गए कर से छूट या कम कटौती के लाभ उठाने के लिए हैं।

श्रेणी	अपेक्षित दस्तावेज	अभ्युक्तियां
सामान्य	धारा 197 के तहत कम कटौती के लिए कटौती कर प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रति	यदि कर की कम दर का दावा किया जाना है।
व्यक्तिगत	पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 15 जी या 15 एच (जैसा लागू हो सकता है।)	यदि कर छूट का दावा करना है।
बीमा कंपनी	स्व-घोषणा* कि स्वामित्व वाले शेयरों के संबंध में इसका पूर्ण लाभकारी हित है, साथ ही पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
म्यूचअल फंड	स्व-घोषणा* कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23डी) में निर्दिष्ट हैं, साथ ही पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत, अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है।	पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
भारत में स्थापित/ निगमित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	स्व-घोषणा* कि इसकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी विनियमों द्वारा श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ शासित हैं।	यदि कर छूट का दावा करना है।

*स्व- घोषणा का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर उपलब्ध है।

ख. अनिवासी शेयरधारक

- क) लागू दरों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, देय लाभांश की राशि पर कर @20% (पल्स लागू अधिभार और उपकर) के स्रोत पर काटा जाएगा।
- ख) शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करें और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यदि शेयर डीमैट मोड में है) या कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं) के साथ जल्द से जल्द अपडेट करें।
- ग) पात्र शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम 1961के तहत निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज 21 सितंबर 2022 को 23:59 बजे तक कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर प्रस्तुत करें जो भारत और उनके निवास देश के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते का लाभ उठाने के लिए हैं।

शेयरधारक की श्रेणी	दस्तावेज
व्यक्तिगत	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ* स्व घोषणा* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ* भागीदारों/ लाभार्थियों की सूची, साझेदारी/ न्यास की आय में उनके संबंधित हिस्से और उनकी संबंधित आवासीय स्थिति। (यदि टीआरसी का हिस्सा नहीं बन रहा है) स्व घोषणा* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
साझेदारी, ट्रस्ट	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ* भागीदारों/ लाभार्थियों की सूची, साझेदारी/ न्यास की आय में उनके संबंधित हिस्से और उनकी संबंधित आवासीय स्थिति। (यदि टीआरसी का हिस्सा नहीं बन रहा है) स्व घोषणा* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
कंपनी	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ। संधि के अनुसार जहां कहीं भी आस्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) स्व घोषणा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
एफपीआई मार्ग से अलावा अन्य मार्गों से किया गया निवेश	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ। संधि के अनुसार जहां कहीं भी आस्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) स्व घोषणा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
	<ul style="list-style-type: none"> स्व- साक्ष्यांकित घोषणा कि एफपीआई मार्ग के तहत निवेश किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
एफपीआई मार्ग के माध्यम से किया गया निवेश	<ul style="list-style-type: none"> स्व- साक्ष्यांकित घोषणा कि एफपीआई मार्ग के तहत निवेश किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।

*प्रपत्र 10 एफ और स्व- घोषणा का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर उपलब्ध है।

- घ) कृपया ध्यान दें कि कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती/लाभांश राशि पर कटौती के समय डीटीएए दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लाभकारी डीटीएए दर का आवेदन अनिवासी शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।
- ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 डी के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशकों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत पर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) काटा जाएगा। ऐसी टीडीएस दर कम डीटीएए दर, यदि कोई हो, के लागू होने के कारण कम नहीं की जाएगी।
- (v) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर 21 सितंबर 2022 को 23:59 बजे तक अधिक से अधिक अपलोड किए जाने चाहिए। ईमेल या किसी अन्य प्रपत्र के माध्यम से जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) दिनांक 21 सितंबर, 2022 के बाद कर निर्धारण/ कटौती के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) यदि उपरोक्त विवरण/ दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, शेयरधारकों के पास अभी भी कर सलाहकार से परामर्श करके आयकर विवरणी दाखिल करते समय काटे गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।
- (viii) कंपनी को लाभांश पर टीडीएस के संबंध में फॉर्म 16ए भेजने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों को डीमैट मोड में रखने की स्थिति में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ और शेयरों को प्रत्यक्ष रूप से रखने की स्थिति में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/ अपडेट करें। शेयरधारक टीडीएस के क्रेडिट को फॉर्म 26 एएस में देख सकेंगे, जिसे <https://portal.incometax.gov.in> पर उनके ई-फाइलिंग खाते से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (ix) **अस्वीकरण:** इस संचार को कंपनी की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। कर संबंधी मामलों के लिए शेयरधारकों को कर पेशेवर से कर सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

11. अदावी लाभांश :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी राशि को अंतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार

द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("निधि") में क्रेडिट करने के लिए, अदत्त लाभांश खाते में ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावा रहा है।

- (ii) आगे, संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय), नियम, 2016 ("आईपीएफ नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयरों जिसमें लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए लाभांश अदत्त और अदावे रहे हैं, को कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचितानुसार आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। अतः कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश की भुनाई/दावा करें।

12. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने का हकदार होगा।
13. कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में परिवर्तन या मृत्यु के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। होल्डिंग का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और समय समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि :
- (i) अपने संबंधित पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो, शीघ्र ही पिन कोड के साथ कंपनी/आरटीए को सूचित करें।
- (ii) अपने सभी पत्राचार में फोलियो संख्या उद्धृत करें।
- (iii) समान आदेशों में नामों के साथ बहुतायत फोलियो के मामले में, एक फोलियो में होल्डिंग्स समेकित करें।

15. अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत में वापस आने पर आवासीय पते में परिवर्तन शीघ्र ही कंपनी को सूचित किया जाए।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस समें संदर्भित सभी दस्तावेज इस नोटिस की प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य secretary@cochinshipyard.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकर्ता को निम्नलिखित पते पर शेयरों से संबंधित सभी संचार भेजें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू
सेंथिल नगर के पीछे, सोवरीपालयम रोड
कोयंबतूर, तमिलनाडु- 641028
दूरभाष: +91 (422) 2314792, 2315792
ई-मेल: coimbatore@linkintime.co.in

18. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (संशोधितानुसार) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी वार्षिक आम बैठक में लेनदेन करने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने प्राधिकृत अभिकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए एक सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

19. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को निदेश

- (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 26 सितंबर 2022 को 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार 28 सितंबर 2022 को 17.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि, बुधवार 22 सितंबर 2022 को सदस्य/ डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, बुधवार 22 सितंबर 2022 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।
- (ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीका

एनएसडीएल ई- वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई

ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई हैं:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई- सर्विसेस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ई- सर्विसेस होम पेज पर लॉगिन के तहत बेनिफिशियल ओनर आइकन पर क्लिक करें जो आईडीईएस सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई- वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई- वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन निर्देशित किया जाएगा। यदि आप आईडीईएस ई- सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुने या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर URL https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन: निर्देशित कर दिया जाएगा। निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/ सदस्य नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप एनएसडीएल स्पीड सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

NSDL Mobile App is available on



शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण से ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ ईजीएस्ट में लॉग इन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और लॉग इन टैब के अंतर्गत न्यू सिस्टम माईईसी पर क्लिक करें। ईजी/ ईजीएस्ट के सफल लॉग इन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मैनु में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। यदि उपयोगकर्ता ईजी/ ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएस/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएस/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई वोटिंग वेबसाइट पर पुन: प्रेषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी/ फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूत रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूत रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 23058738 या 022 - 23058542 - 43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर कैसे लॉग इन करें?

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर <https://www.evoting.nsdl.com> URL टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
- ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉग इन आइकन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
- एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई- सेवाओं यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या प्रत्यक्ष	आपकी यूजर आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है।
ग) प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद समान संख्या उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और समान संख्या 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग-इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, आपको आरंभिक पासवर्ड पुनःप्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना आरंभिक पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको आरंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) आपका आरंभिक पासवर्ड कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल पता आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पासपंजीकृत है, आपका आरंभिक पासवर्ड आपको आपके ईमेल पते पर सूचित किया जाता है। अपने मेल बॉक्स से मेल खोलें और संलग्न यानी एक पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी यूजर आईडी और आपका आरंभिक पासवर्ड होता है।

(ii) यदि आपका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए चरणों का पालन करें जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको आरंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं।

क) फॉरगोट उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड? (यदि आप प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (एक बार पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके सहमत नियमों और शर्तों पर टिक करें।

8. अब, आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हो

कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हो?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों की ईवन देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान उस कंपनी का ईवन चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और मीटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। **वर्चुअल मीटिंग** में शामिल होने के लिए, आपको ज्वाइन जनरल मीटिंग के तहत दिए गए **वीसी/ ओएवीएम** लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार है।

4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और **सबमिट** पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर **पुष्टि** भी करें।

5. पुष्टि होने पर, 'मतदान सफल रहा (वोट कास्ट सक्सेसफुली)' संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा को संबोधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा cochin@mehta-mehta.com पर चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@nsdl.co.in पर भेजने की आवश्यकता है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में 'ई-वोटिंग' टैब के तहत प्रदर्शित '**अपलॉड बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकरण पत्र**' आदि भी अपलॉड कर सकते हैं।

2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको 'फॉरगोट उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड?' या 'भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड पासवर्ड?' रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

3. किसी भी प्रश्न/ शिकायत के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं। आप श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई- 400013 को ईमेल पते evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नंबर पर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 कॉल करके भी अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

(v) यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, और इस

नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल पते के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

1. यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व- सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-प्रमाणित स्कैन की गई आधार कार्ड की प्रति) कंपनी के आरटीए को ईमेल द्वारा coimbatore@linkintime.co.in प्रदान करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (एनएसडीएल-16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या सीडीएसएल-16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन कॉपी) कंपनी के आरटीए को ईमेल द्वारा प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप ऊपर चरण 1 (क) में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।

3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही ढंग से अपडेट करना होगा।

20. वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश

(i) वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निदेशों के समान है।

(ii) केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

(iii) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई- वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

(iv) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

21. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

(i) सदस्य एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम तरीके में एजीएम में इसके बाद उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

(ii) एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्य एनएसजीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के सामने जॉइन जनरल मीटिंग मेनू के तहत वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बटने के लिए ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

(iv) सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(v) इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा, यदि कोई हो, की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

(vi) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

(vii) शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल, पता और मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए दिनांक 21 सितंबर, 2021 (08.00 बजे) से 23 सितंबर 2021 (16:00 बजे) तक speakers@cochinshipyard.in पर अपने पंजीकृत कर सकते हैं। एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार कंपनी पर निर्भर है।

(viii) वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न की प्रासंगिकता और वक्ताओं के आदेश का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ix) बैठक के समय वार्षिक खातों के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को अपने प्रश्न भेजे ताकि प्रबंधन को जानकारी तैयार रखने में सक्षम बनाया जा सके।

22. अन्य अनुदेश

(i) वे व्यक्ति जिन्होंने शेयर प्राप्त कर लिए हैं और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और 22 सितंबर 2020 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को संभालते हैं, आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई-मेल coimbatore@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं और www.evotingindia.com से या सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in से नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश डाउनलोड करें।

(ii) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर अध्यक्ष या लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों के घोषित होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजे जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण

मद संख्या. 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी को कंपनी के लागू उत्पादों के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा के लिए एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।

बोर्ड ने 10 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी 267 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में प्रतिवर्ष ₹ 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) और लागू करों के पारिश्रमिक पर मेसर्स बीबीएस और एसोसिएट्स, लागत लेखाकारों (फर्म पंजीकरण संख्या 00273) को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(3) के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड सामान्य संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 6 के संकल्प में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 7 से 12 तक

श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन : 09415405), श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082), श्री अशोक शर्मा (डीआईएन : 09414565), श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन : 01351097), श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन : 07667728), श्री अभिजित बिसवास (डीआईएन : 09419083) को दिनांक नवंबर 22, 2021 के भारत सरकार के पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

उपर्युक्त निदेशकों ने बोर्ड को एक घोषणापत्र दिया है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। आयु, योग्यता, विशेषज्ञता आदि से युक्त उनका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है।

बोर्ड कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस के मद संख्या 7 से 12 में निहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित विशेष प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे, श्री नाहर सिंह माहेश्वरी, श्री अशोक शर्मा, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन, श्री वेंकटेशन एम और श्री अभिजित बिसवास नोटिस के मद सं. 7 से 12 तक के संकल्प में रुचि रखते हैं, जहां तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 7 से 12 के संकल्प में संबंधित या रुचि नहीं रखता है।

मद संख्या 13

श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत) को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक जुलाई 21, 2022 के अपने पत्र सं. एफ सं. एसवाई-11012/1/2020-सीएसएल द्वारा कंपनी के निदेशक (प्रचालक) के रूप में उनके पद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थात् जुलाई 21, 2022 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक यानी मई 31, 2025, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति की सिफारिश नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने दिनांक 10 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में की थी। उनका संक्षिप्त विवरण, जिसमें आयु, योग्यता, विशेषज्ञता आदि शामिल हैं, इसके साथ संलग्न हैं।

बोर्ड तदनुसार सामान्य संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 13 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री श्रीजित के नारायणन उस हद तक संकल्प में रुचि रखते हैं, जहां तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी नोटिस के मद सं. 13 के संकल्प में वित्तीय या अन्यथा किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखता है।

मद सं. 14

सीएसएल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आरक्षित है। इनका उल्लेख कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 29 (ख) के अनुसार, 10 लाख रुपए से अधिक के किसी विशेष प्रकार की प्रतिभूति या शेयरों में निवेश के प्रस्ताव के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह खंड दिनांक 29 मार्च 1972 को कंपनी के निगमन के बाद से मौजूद है।

कंपनी को वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा श्रेणी I मिनिरल का दर्जा दिया गया था। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, मिनिरल कंपनियों के निदेशक मंडल को एक परियोजना में कंपनी के निवल मूल्य के 15% की राशि तक घरेलू संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश करने का अधिकार है, जो निवल मूल्य के 30% या 500 करोड़, जो भी कम हो, की समग्र सीमा के अधीन है और इसलिए 10 लाख रुपए की सीमा (एक सीमा जो मार्च 1972 में सीएसएल के निगमन के समय निर्धारित की गई थी) अप्रचलित और बेमानी है।

उपरोक्त को देखते हुए, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम से अनुच्छेद 29 (ख) को हटाना उचित समझा जाता है। यह प्रस्ताव कंपनी अधिनियम और लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप भी है।

उपरोक्त प्रस्ताव को निदेशक मंडल द्वारा 20 मई 2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया था। उक्त प्रस्ताव भी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से कार्य करनेवाले भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन/सहमति के अधीन है।

बोर्ड तदनुसार विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 14 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

कोची

सितंबर 06, 2022

पंजीकृत कार्यालय :

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015

सीआईएन: L63032KL1972GOI002414

दूरभाष: +91 (484) 236 1306

ई-मेल: secretary@cochinshipyard.in

वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

स.सं. A 25337

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)

[विनिमय, 2015 और के विनिमय 36 (3) और साधारण बैठक में सचिवीय मानक-2 के अनुसार 50 वीं वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति मांगनेवाले निदेशकों का विवरण]

नाम और डीआईएन	श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)
आयु और जन्म तिथि	55 वर्ष, फरवरी 04, 1967
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अगस्त 01, 2019
योग्यता	श्री जोस वी जे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और उन्होंने एर्णाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की उपाधि भी प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	उनके पास विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 31 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग के प्रमुख भी हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री जोस वी जे को दिनांक 01 अगस्त 2019 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पूर्व पोत परिवहन मंत्रालय) के आदेश एफ सं. एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुसार सीएसएल के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें लोक उद्यम चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया था। उनके रोजगार के नियम और शर्तें लागू डीपीई दिशानिर्देश के अनुरूप पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण, परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	₹ 56.28 लाख
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	5/5
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन : 09415405)
आयु और जन्म तिथि	47 वर्ष, सितंबर 20, 1974
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (3) के अनुसार नियुक्ति की तिथि 26 नवंबर 2021 है।
योग्यता	उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वह सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करके समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण में लगी हुई है। वह स्वयं सहायता समूह अर्थात पीडित दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए भी काम कर रही है।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार द्वारा नवंबर 22, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के जरिए सीएसएल के गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण , परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	2/2
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क . स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082)
आयु और जन्म तिथि	58 वर्ष, जनवरी 23, 1964
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (3) के अनुसार नियुक्ति की तिथि 01 दिसंबर 2021 है।
योग्यता	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि भी हासिल की है।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वह बार कार्टिसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य हैं और 1989 से वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार द्वारा नवंबर 22, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के जरिए सीएसएल के गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण , परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	2/2
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क . स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री अशोक शर्मा (डीआईएन : 09414565)
आयु और जन्म तिथि	57 वर्ष, अक्टूबर 01, 1964
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (3) के अनुसार नियुक्ति की तिथि नवंबर 26, 2021 है।
योग्यता	श्री अशोक शर्मा के पास हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान और शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि है। उन्होंने विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ (भागलपुर, बिहार) से साहित्य में मानद डॉक्टरेट (विद्या वाचस्पति) भी प्राप्त किया है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	उन्होंने एक व्याख्याता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और वर्तमान में हरिद्वार जिले के आरएनआई कॉलेज, भगवानपुर के उप-प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वे दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, बंदी विशाल आदि कई समाचार पत्रों में लेखक/संपादक के रूप में पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार द्वारा नवंबर 22, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के जरिए सीएसएल के गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण , परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	2/2
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क . स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन : 01351097)
आयु और जन्म तिथि	53 वर्ष, दिसंबर 06, 1968
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	नवंबर 22, 2021
योग्यता	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से जंतु शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है। उन्होंने एमिटी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन और वित्त में एमबीए स्नातक भी हासिल किया है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वह एक उद्यमी है और इसके अलावा वे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान और राष्ट्रीय मार्शल परंपरा और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार द्वारा नवंबर 22, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के ज़रिए सीएसएल के गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण , परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।

अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	2/2
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क . स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन : 07667728)
आयु और जन्म तिथि	41 वर्ष, नवंबर 20, 1980
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	नवंबर 22, 2021
योग्यता	श्री वेंकटेशन एम ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज चेन्नई से कला में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल किया है। वे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष थे। वे एक उल्लेखनीय लेखक भी हैं और उन्होंने मुख्य रूप से दलितों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार द्वारा नवंबर 22, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के ज़रिए सीएसएल के गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण , परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	2/2
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री अभिजित बिसवास (डीआईएन : 09419083)
आयु और जन्म तिथि	42 वर्ष, जून 09, 1980
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (3) के अनुसार नियुक्ति की तिथि नवंबर 26, 2021 है।
योग्यता	श्री अभिजित बिसवास कोलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त किया है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	उन्हें वित्तीय सेवा सलाहकार के रूप में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें भारत सरकार द्वारा नवंबर 22, 2021 के अपने पत्र सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के ज़रिए सीएसएल के गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नवंबर 21, 2024 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को विनियमित करनेवाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण, परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	2/2

कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन : 09543968)
आयु और जन्म तिथि	57 वर्ष, मई 17, 1965
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	जुलाई 21, 2022
योग्यता	श्री श्रीजित के नारायणन ने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) में उपाधि हासिल की है और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	उन्हें पोत निर्माण, पोत डिज़ाइन और पोत मरम्मत के क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निदेशक भी हैं।
---	--

नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री श्रीजित के नारायणन को दिनांक 21 जुलाई 2022 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आदेश एफ सं. एसवाई-110121/2020-सीएसएल दि. जुलाई 21, 2022 के अनुसार सीएसएल के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें लोक उद्यम चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त किया गया था। उनके रोजगार के नियम और शर्तें लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।
--	---

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण, परस्पर	शून्य
भूमिका और शैली के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता पर चार्ट देखें।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	55.30 लाख रुपए सीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत) की क्षमता में वित्त वर्ष 22 के दौरान आहरित किया गया था।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	लागू नहीं
कंपनी में संभाले इक्विटी शेयरों की सं.	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची- 682 015,
केरल, भारत

सीआईएन: L63032KL1972GOI002414

वेबसाइट: www.cochinshipyard.in



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



COCHIN SHIPYARD LIMITED



Looking beyond the
horizon
Innovating ideas for
**sustainable
future**

Annual Report
2021-22



Corporate Overview

02	Introducing CSL
04	What differentiates us
06	Five decades of excellence
10	Trusted globally
12	Embracing the Indian Peninsula
14	Major expansion projects
16	Our offerings
18	Creating value, consistently
20	Year in snapshot
22	Chairman's Communique
28	Board of Directors
32	Building an engaging workforce
34	Transforming our communities
36	Prioritising safety first
37	Corporate Information

Statutory Reports

38	Directors' Report
80	Report on Corporate Governance
106	Management Discussion and Analysis Report
116	Business Responsibility Report

Financial Statements

126	Independent Auditors' Report (Standalone)
137	Comments of the C&AG (Standalone)
138	Standalone Financial Statements
206	Independent Auditors' Report (Consolidated)
213	Comments of the C&AG (Consolidated)
214	Consolidated Financial Statements

Notice

295	50 th Annual General Meeting
-----	---

Forward-looking statements

Some information in this report may contain forward-looking statements which include statements regarding Company's expected financial position and results of operations, business plans and prospects etc. and are generally identified by forward-looking words such as "believe", "plan", "anticipate", "continue", "estimate", "expect", "may", "will" or other similar words. Forward-looking statements are dependent on assumptions or basis underlying such statements. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution that actual results, performances or achievements could differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Scan QR code or click the link below to visit our website
<https://cochinshipyard.in/>



Inside the Report

Introducing CSL

Cochin Shipyard Limited (CSL) was incorporated in the year 1972 as a fully owned Government of India Company. Presently, the Government of India holds 72.86% of equity share capital in the Company. In the last five decades, the Company has emerged as a forerunner in the Indian shipbuilding & ship repair industry and also a well-known player on the global shipbuilding front.

The Company has built and delivered the prestigious Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy and has built & repaired some of the largest ships in India. Over the years, CSL has successfully responded to fluctuations in the shipbuilding requirements of the markets and has evolved from building bulk carriers to smaller and more technically sophisticated vessels such as Platform Supply Vessels (PSV) and Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS).

CSL has worked with several leading technology firms in the industry including Rolls Royce Marine (Norway), GTT (France), Vard Group (Norway) etc. CSL has exported 47 vessels to some of the most demanding clients in Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany,

Denmark/Bahamas, Saudi Arabia and UAE. This has added to our credibility in the international market. Our key shipbuilding clients on the domestic front include the Indian Navy, the Indian Coast Guard, Ministry of Home Affairs, the Shipping Corporation of India Limited, Lakshadweep Government, various Port Trusts, Inland Waterways Authority of India (IWA), A&N Administration, Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL) and Jindal Steel Works (JSW) group. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships. CSL is presently one of the best performing shipyards in India.



Vessels Built and Delivered (Total as on March 31, 2022)

20

Large vessels

35

Offshore Support vessels

84

Small & medium vessels

27

Defence vessels

What differentiates us



Vision

- ▶ Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Naval ships, offshore vessels and structures.
- ▶ Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and up-gradation.
- ▶ To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.



Mission

- ▶ To build and repair ships and offshore structures to international standards and provide value added quality engineering services.
- ▶ Sustain corporate growth in competitive environment.
- ▶ To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.



Objectives

- ▶ To sustain and enhance shipbuilding and ship repair activities through technology up-gradation and capacity augmentation.
- ▶ To continuously endeavour to expand/diversify activities of the shipyard including setting up new facilities.
- ▶ To carry out research & development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- ▶ To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- ▶ To motivate employees through improved specific training programs.
- ▶ To adopt best practices for clean and safe environment. Ride the down time with aggressive bidding and secure orders to maximize capacity.
- ▶ To ensure positive customer oriented initiatives.
- ▶ To build a responsible corporate citizen image through CSR & sustainability projects and compliance to corporate governance principles.

Five decades of excellence

And counting...



Incorporation to 1979

- ▶ Company incorporated on March 29, 1972.
- ▶ Laid foundation stone for the Hull Shop in April 1972. Shipyard was ready for operations by end 1975.
- ▶ Signed contract for the first Bulk Carrier.
- ▶ Commenced Ship Repair Operations in 1978.

1980 – 1999

- ▶ Delivery of first ship 'Rani Padmini' to Shipping Corporation of India (SCI) in the year 1981.
- ▶ Eight more large ships including Panmax Bulk Carriers, double hull crude oil tankers delivered to various domestic clients including SCI.

- ▶ By 1990, Yard went into severe financial difficulties with an accumulated loss of ₹210 Crores against a share capital base of ₹74 Crores.
- ▶ Company implemented a major capital restructuring in 1994.
- ▶ Commenced Graduate Marine Engineer's course approved by the Directorate General of Shipping.
- ▶ With systematic efforts, CSL for the first time recorded a net profit of ₹11.16 Crores in the financial year 1994-95.

- ▶ The Company has been profit making since 1994-95.

2000-2009

- ▶ CSL for the first-time paid dividend to the Government of India in the financial year 2003-04.
- ▶ Since then the Company has been consecutively paying dividend to the shareholders for the last 19 years.
- ▶ Company entered into the commercial export market.
- ▶ Delivered first export order to National Petroleum Construction Company, Abu Dhabi.
- ▶ Exported six Bulk Carriers to Clipper Group of Bahamas.
- ▶ CSL entered the offshore vessel construction segment.

- ▶ Major headway by foray into niche of vessels for highly quality conscious West European Clientele.
- ▶ Exported 9 firefighting tugs to ATCO, Saudi Arabia.
- ▶ Keel Laying of first Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy.
- ▶ Entered into an innovative MoU with Tebma Shipyards Limited which helped in achieving higher turnover and net profits to ₹1462 Crores and ₹228 Crores respectively during this period.
- ▶ Obtained Category-I Miniratna status.

2010-2015

- ▶ Signing of contract for the 20 Fast Patrol Vessels for the Indian Coast Guard.
- ▶ Completed export of 20 ships to various European clients in Cyprus, Germany, Netherlands and Norway.
- ▶ Signed contract for setting up of International Ship Repair Facility at Cochin Port Premises taken on long term lease.
- ▶ Launch of the Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy.

- ▶ Company achieved a landmark event of delivering 100 ships.
- ▶ First shipyard in India to obtain license for construction of LNG Cargo Containment System using Mark-III technology from GTT, France.
- ▶ Reached annual turnover of ₹1860 Crores and net profit of ₹235 Crores during this period.

2016-2022

- ▶ Completed delivery of 20 Fast Patrol Vessels to Indian Coast Guard ahead of schedule.
- ▶ Delivered 16 Tuna Long Lining & Gillnetting Fishing Vessels to fishermen beneficiaries of Tamil Nadu under the Blue Revolution Scheme of Government of India.
- ▶ Exported world's second largest Jacket Launch Barge to Abu Dhabi. Overall CSL exported 47 vessels to various international clients.
- ▶ **Catalysing Coastal Shipping –** Delivered four 8000 T Mini Bulk Carriers to JSW Group for their Indian coastal operations.
- ▶ **Rejuvenating Inland Water transport in India –** Delivered 10 Ro-Ro/Ro-Pax vessels for National Waterways 1, National Waterways 2 & National Waterways 3.
- ▶ **'Make in India' for the World –** Delivered 2 nos. of autonomous Electric Ferries, first of its kind in

the world, to ASKO Maritime AS, Norway (A project partially funded by the Norwegian Government).

- ▶ **Augmenting India's Maritime Defence capabilities –** Delivered the prestigious Indigenous Aircraft Carrier (IAC) to the Indian Navy. India joins select group of nations in the world to have designed and constructed an aircraft carrier indigenously.
- ▶ Delivered 2 nos. of 500 Passenger cum 150 MT Cargo Vessel for Andaman and Nicobar Administration.
- ▶ Delivered **9 Floating Border Out-Post (FBOP)** Vessels to the Ministry of Home Affairs.
- ▶ **Expansion and Capacity Addition**
- **Geographical Expansions and Infrastructure Augmentation** - Moved from a single unit Company at Kochi to multi facility Corporate with seven units (with five business units and two wholly owned subsidiaries) with pan India presence.

- **Wholly owned Subsidiaries**
Incorporated Hooghly Cochin Shipyard Limited at Kolkata to cater to the inland water ways segment.
Acquired Tebma Shipyards Limited (presently, Udupi Cochin Shipyard Limited) through statutory insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code to augment the fishing vessel construction segment.
- **Current big ticket expansion projects**
International Ship Repair Facility (ISRF) on 42 acres leased land from Cochin Port at a cost of ₹970 Crores.
New Large 310 M Drydock at Kochi at a cost of ₹1799 Crores.
- ▶ **Current Projects And Major Initiatives Underway**
- Signed contract for building 8 nos. of ASW Corvettes for Indian Navy. These advanced vessels will help CSL to position as one of the foremost solution providers for such vessels.

- Declared as L1 for building 6 nos. of Next Generation Missile Vessels for Indian Navy – Contract in this regard is expected to be signed shortly.
- **Environment Friendly Urban Water Transport Solutions -** Constructing 23 Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for Kochi Water Metro Project. 4 vessels have been delivered till date.
- Signed an agreement with the Dredging Corporation of India (DCI) for the construction of India's largest Dredger, the 12,000 m³ Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD). The vessel of length 127 Meters and breadth 28 Meters is based on the globally acclaimed "Beagle" platform of IHC Holland which will be customised to meet all Indian requirements.
- Signed contract for building 8 nos. of Eco Freighter 7000 DWT Vessels for HS Service GMBH & Co. KG, Germany.
- CSL is implementing a pilot project

for design, development and construction of Hydrogen Fuel Cell Vessel based on Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV) in collaboration with indigenous partners.

- ▶ **Other Achievements**
- Formulated strategic roadmap to achieve its 2030 vision. Under this program, CSL aims to transform from being the leading Indian Shipyard to one of the leading global shipyards over the next decade.
- First shipyard in India to obtain license for construction of LNG Cargo Containment System using Mark-III technology from GTT, France.
- Successfully completed the Initial Public Offer and Company's equity shares were listed in the stock exchanges viz. BSE and NSE.
- Ship Repair picked up pace and

- recorded all-time high ship repair turnover of ₹832 Crores in FY19.
- Awarded 'GreenCo' Silver rating by Confederation of Indian Industry.
- Reached all-time high turnover of ₹3422 Crores and net Profit of ₹638 Crores during the financial year 2019-20.
- ▶ **Association/ collaboration with leading global entities for technology transfer for 'Atmanirbhar Bharat'**
- **High profile MoUs executed**
M/s. Fincantieri, Italy one of the world's largest shipbuilding and marine equipment manufacturing group.
M/s. IHC Holland BV, Netherlands, the world's pioneers in building dredgers.
M/s. Robert Allan Limited, Canada, the world's leading company for designing Tugs, Inland Vessels, Harbour Crafts and other Specialized Vessels.



Trusted globally



Our Facilities

Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi

Dry-dock 1 : 255 x 43 x 9 Mtr
 Dry-dock 2 : 270 x 45 x 12 Mtr
 Dry-dock 3 : 310 x 75/60 x 13 Mtr (New)
 Berth : 1.3 KM

International Ship Repair Facility (ISRF), Kochi

Shiplift : 6000T (130 x 25 Mtr)
 6 Work Stations
 Dedicated Shops & Maritime Park

CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU), Mumbai

Dry-dock : 300 x 30 x 9 Mtr
 1 KM berth for afloat repairs

CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU), Kolkata

Dry-docks : 172 x 23 x 8 Mtr (2 nos)

CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU), Port Blair

Dry-dock 1 : 88 x 20 x 7 Mtr
 Dry-dock 2 : 68 x 16 x 5 Mtr
 Slipways : 25 x 8 Mtr (5 nos)

Our Wholly Owned Subsidiaries

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), Kolkata

Slipway : 136 x 40 Mtr
 3 Outfitting Jetties

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), Udupi

Slipway : 96 x 22 Mtr



Embracing the Indian Peninsula

Cochin Shipyard, Kochi

World class infrastructure capable of building ships up to 1,10,000 DWT and repair ships up to 1,25,000 DWT. CSL has built more than 150 vessels and has completed around 2,500 ship repair projects, including Aircraft Carriers, for commercial, defence, domestic and international customers. The Yard which has built India's first Indigenous Aircraft Carrier and also the largest and most accomplished ship repairer in India.



CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU), Mumbai

Operating at the Mumbai Port aimed at augmenting the existing ship repair capacity in Mumbai area. Commenced ship repair operations in January 2019 and has successfully undertaken repairs to more than 75 vessels.



CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU), Kolkata

Established for catering to the ship repair requirements of commercial as well as defence segments in the east coast of India. Located at the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata. Commenced ship repair operations in October 2019 and has completed various key ship repair projects.



CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU), Port Blair

Setup at Marine Dockyard, Port Blair inter alia to develop a ship repair ecosystem at the A&N Islands including augmentation and modernisation of the existing facilities. Commenced ship repair activities in November 2021.



Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), Kolkata

Constructed at the banks of Hooghly river at Nazirgunge as a compact yard aimed at building quality inland and coastal vessels. The facility was inaugurated on August 16, 2022.



Udipi Cochin Shipyard Limited (UCSL), Udipi

Acquired in September 2020 through the IBC process. Main facility situated at Udipi, Karnataka. Commenced operations in July 2021. Modern and high-end infrastructure for building small and medium sized vessels.

Major expansion projects

New Dry-dock

CSL is in the process of setting up a New Dry-dock. The New Dry-dock measuring 310 x 75/60 x 13 m with a 600T Gantry crane will be capable of handling vessels upto Suezmax, Aircraft Carriers of 70000T displacement, Jack-up rigs, LNG vessels etc.



How We Are Progressing

The construction activities commenced in June 2018 is progressing despite the setbacks caused by COVID-19 pandemic. Around 85% of RCC piling works have been completed. Dock floor construction has commenced and crane track works, substation works, pumphouse works & caisson gate fabrication works are progressing. Physical progress of the project achieved as on March 31, 2022 is 60%.

International Ship Repair Facility (ISRF)

The ISRF will modernise and expand the existing ship repair facility in CSL. The ISRF includes 6000T shiplift for ships upto 130 x 25 m with six work stations and allied facilities. It has a total outfitting berth of 1500 meters approx.



How We Are Progressing

The construction works of ISRF project, which commenced in November 2017, was progressing till February 04, 2022. However, due to the financial difficulties of the construction contractor appointed for ISRF project, construction activities at the project site was severely affected and eventually CSL terminated the contract on February 04, 2022. Physical progress of construction works reported till the termination of contract is 78%. CSL is presently in the process of appointing alternate contractors by retendering for completing the balance works within the minimum possible time. All other actions are progressing without any change.

Our offerings



Shipbuilding

DEFENCE

- ▶ Aircraft Carriers
- ▶ Next Generation Missile Vessels
- ▶ Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts
- ▶ Technology Demonstration Vessel
- ▶ Floating Border Outposts Vessels
- ▶ Fast Patrol Vessels
- ▶ Hydrographic Survey Vessels
- ▶ Offshore Patrol Vessels
- ▶ Pollution Control Vessels

COMMERCIAL

- ▶ Oil Tankers
- ▶ Bulk Carriers
- ▶ Dredgers
- ▶ Pax Vessels
- ▶ Tugs
- ▶ Special Purpose Vessels
- ▶ Deck Cargo/Jacket Launch Barges
- ▶ Electric Autonomous Vessels
- ▶ Electric Passenger Ferries
- ▶ Ro-Ro Vessels
- ▶ Ro-Pax Vessels
- ▶ Specialised Fishing Vessels
- ▶ Marine Ambulance

OFFSHORE

- ▶ Platform Supply Vessels
- ▶ Anchor Handling/Tug Supply Vessels
- ▶ Multi-Purpose Vessels
- ▶ Specialised Construction of Support Vessels

Ship Repair

- ▶ Maintenance and repairs of Aircraft Carriers and other Defence Vessels
- ▶ Repairs and maintenance of Tankers, Bulk Carriers, all kinds

of Commercial and Specialised vessels

- ▶ Oil Rig Upgradation, Repair Projects and Conversions


Marine Engineering Training

Strategic and Advanced Solutions


Creating value, consistently

Financial performance


Turnover (₹ in Crores)




Profit Before tax (₹ in Crores)




Profit after tax (₹ in Crores)




EPS (₹)



Net Worth (₹ in Crores)



Capital Employed (₹ in Crores)



10-year Performance review

Key Indicators	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
EPS (₹ per share)	44.59	46.38	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15	16.35
Face Value Per Share (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
EBDIT/ Gross Turnover (%)	28.12	32.43	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37	20.45
Net Profit Margin %	18.39	21.64	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75	11.92
Return on Net Worth %	13.46	15.34	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15	15.76
Return on Capital Employed %	13.47	15.39	17.01	14.46	12.13	15.59	15.65	14.82	13.86	15.77

Particulars	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
Turnover	3,190.00	2,818.90	3,422.49	2,965.60	2,355.12	2,058.87	1,993.45	1,859.51	1,652.66	1,554.16
Total income	3,456.42	3,012.76	3,669.99	3,192.89	2,544.28	2,217.50	2,107.37	1,952.97	1,728.64	1,642.33
Profit Before Tax (PBT)	794.39	810.59	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96	275.55
Depreciation & write offs	56.05	53.07	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43	19.22
Profit After Tax (PAT)	586.57	610.10	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24	185.27
Equity Share Capital	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28
Reserves & Surplus	4,227.64	3,846.03	3,600.25	3,200.54	3,119.93	1,915.30	1,701.05	1,447.79	1,239.25	1,062.42
Net Worth	4,359.18	3,977.57	3,731.80	3,332.08	3,255.87	2,028.58	1,814.33	1,561.07	1,352.53	1,175.70
Gross Fixed Assets	938.37	903.96	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38	444.35
Net Fixed Assets	681.66	698.41	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41	247.30
Number of Employees	1,756	1,727	1,710	1,744	1,781	1,829	1,671	1,786	1,751	1,656

10-year Key Indicators – MoU with the Government of India

Key Indicators (Consolidated)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
Revenue from Operations (₹ in Crores)	3,190.95	2,818.90	3,422.49	2,962.16	2,355.12	2,058.87	1,993.45	1,859.51	1,637.45	1,554.16
Asset Turnover Ratio (%)	41.05	40.03	57.25	60.79	46.47	66.86	60.18	64.77	63.42	68.93
EBITDA as a percentage of Revenue (%)	25.64	30.12	25.95	24.96	25.67	24.46	22.25	21.72	19.71	19.36
Return on Net Worth (%)	13.39	15.69	17.93	14.51	15.00	16.77	16.15	16.12	15.37	16.64
Return on Capital Employed (%)	18.06	20.37	23.47	22.07	18.22	23.42	22.28	22.89	21.06	25.40
Value of Production (₹ in Crores)	3,194.47	2,818.90	3,422.49	2,962.16	2,330.02	2,072.83	2,009.89	1,878.74	1,597.23	1,607.21
Trade Receivables as number of days of Revenue from Operations (Days)	44.66	45.76	30.74	48.34	89.91	54.42	89.99	120.88	217.01	168.28

Year in snapshot

- ▶ **April 23, 2021** – Keel laying for **2 Hybrid Electric Passenger Boats** for Kochi Water Metro in the presence of senior officials from CSL and Kochi Metro Rail Limited.
- ▶ **May 29, 2021** - Signed the **"Protocol of Delivery & Acceptance (PODA)"** with JSW Shipping & Logistics Private Limited, of the first 8000 T Cargo Vessel named **"JSW Mihirgad"**.
- ▶ **July 02, 2021** - Received **"Safety Award 2020"** constituted by Factories & Boilers Department, Govt. of Kerala, from Shri V Sivankutty, Hon'ble Minister for General Education & Labour, Govt. of Kerala.
- ▶ **July 28, 2021** - Launched **3 Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels** for the Ministry of Home Affairs & **2 8000 DWT Mini General Cargo Ships** for JSW Shipping & Logistics Pvt. Ltd. at one go by Smt. Rameetha K, Scientist 'G', NPOL (DRDO), wife of Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.
- ▶ **August 04, 2021** - **The Indigenous Aircraft Carrier (IAC) – "Vikrant"**, India's most complex warship to have been indigenously built by Cochin Shipyard for the Indian Navy proceeded for its maiden sea trials from Cochin Shipyard.
- ▶ **August 07, 2021** - Keel Laying of the **2 Autonomous Zero Emission Electric Vessels** built for ASKO Maritime AS, Norway, by Shri P Rajeeve, Hon'ble Minister of Industries & Law, Govt. of Kerala.
- ▶ **August 14, 2021** – Keel laying of **3 Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels** for Ministry of Home Affairs, Govt. of India by Shri Mohammed Yousaf, IRS, Commissioner, Customs, Cochin.
- ▶ **August 26, 2021** - Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, has signed an MoU with Inland Waterways Authority of India for development of Ship repair facility at Pandu, Assam, on the banks of Brahmaputra river.
- ▶ **September 09, 2021** - Signed the **"Protocol of Delivery & Acceptance (PODA)"** with JSW Shipping & Logistics Private Limited, of the second 8000 T Cargo Vessel named **"JSW Malhargad"**.
- ▶ **September 14, 2021** - CSL won the most prestigious **'Rajbasha Keerthi Puraskar'** from Ministry of Home Affairs, Government of India for the best implementation of Official Language Hindi for the year 2020-21. The award was received by Shri Madhu S Nair, Chairman and Managing Director, CSL, from Shri Nisith Pramanik, Hon'ble Minister of State for Home Affairs.
- ▶ **November 01, 2021** – Inauguration of the launching of **2 Autonomous Zero Emission Electric Vessels** for ASKO Maritime AS, Norway, by Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping & Waterways.
- ▶ **November 01, 2021** – Inaugurated the launching of **3 Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels** for Ministry of Home Affairs, Govt. of India, by Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping & Waterways.
- ▶ **November 01, 2021** – Inauguration of the **Model Room, 'Smrithi'** which portrays the ship building history of CSL, by Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping & Waterways.
- ▶ **November 11, 2021** - Delivered **3 Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels** out of nine FBOPs being built for Ministry of Home Affairs.
- ▶ **November 19, 2021** – Keel laying of 3 Hybrid Electric Passenger Boats for Kochi Water Metro.
- ▶ **December 01, 2021** – Steel cutting of **2 Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASWSWCs)** for Indian Navy, by Commodore V Ganapathy, Warship Production Superintendent, Warship Overseeing Team (Kochi), Indian Navy.
- ▶ **December 06, 2021** – Signed the **"Protocol of Delivery & Acceptance (PODA)"** with JSW Shipping & Logistics Private Limited, of the third 8000 T Cargo Vessel named **"JSW Mandangad"**.
- ▶ **December 15, 2021** – Delivered the **Technology Demonstration Vessel, "INS Anvesh"** to Defence Research and Development Organisation (DRDO), Ministry of Defence.
- ▶ **December 26, 2021** – CSL received the **Institution of Engineers (India) Industry Excellence Award 2021** from Dr. Mahendra Nath Pandey, Hon'ble Minister for Heavy Industries at the 36th Indian Engineering Congress.
- ▶ **December 28, 2021** – CSL received the **FACT MKK Nayar Memorial Productivity Award 2019-20** for Best Productivity Performance in Industry Category I (Turnover Above ₹750 Crores) from Shri P Rajeeve, Hon'ble Minister of Industries & Law, Govt. of Kerala.
- ▶ **December 31, 2021** – Handed over the first **Hybrid Electric Passenger Boat "Muziris"** to Kochi Metro.
- ▶ **February 08, 2022** – Delivered the second lot of **3 Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels** out of 9 FBOPs for Ministry of Home Affairs, Govt. of India.
- ▶ **February 21, 2022** – Delivered the fourth and final 8000 T Cargo Vessel named **"JSW Manikgad"** to JSW Shipping & Logistics Private Limited.
- ▶ **March 17, 2022** – Contract signed with the **Dredging Corporation of India (DCI)** to build **India's largest Dredger, 12,000 m3 Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD)**, in collaboration with IHC Holland.
- ▶ **March 26, 2022** – Official sea trial of the second 500 passenger cum 150 MT cargo vessel, **"Nalanda"** for A&N Administration was conducted from 22nd to 26th March, 2022.
- ▶ **March 29, 2022** – CSL won the **CII Excellence Award** in the category, EHS engagement in workforce from the Confederation of Indian Industry.

Chairman's Communique



Dear Shareholders,

I am really proud and honoured to present to you the Annual Report FY 2022 in the year the Company is celebrating 50 glorious years of service to the nation. It is indeed a matter of pride that we celebrate this milestone during the same period where our country is celebrating 'Azadi ka Amrit Mahotsav' to commemorate 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements. In these fifty years, your Company went through tough times during the initial two decades, but bounced back to emerge today as one of the best performing PSUs in the country.

Year in review

The year under review seen the world fighting the pandemic and the businesses resuming its operations in the 'new normal' with changed equations. CSL by implementing various measures continue to run its business and the year have been a mix bag for CSL, wherein most of the segments have done reasonably well.

Our revenue from operations stood at ₹ 3,190 Crores with Profit after tax (PAT) clocking at ₹ 586.57 Crores, compared to ₹ 610.10 Crores in the previous year. Despite the supply chain and rising costs, CSL delivered a steady financial performance during the year. CSL achieved a shipbuilding turnover of ₹ 2,511.48 Crores as against ₹ 2,405.59 Crores in the previous year. CSL also performed well in the Ship repair

segment with a turnover of ₹ 678.52 Crores as compared to ₹ 413.30 Crores during the year 2020-21. CSL also sailed strong in its liquidity position and has been rated highly by the credit rating agencies. Our PAT margin remained an impressive 18.39% for the year as against 21.64% for the previous year. The Board has recommended a final dividend of ₹ 3.75 per equity share for the year, bringing the total dividend for the year to ₹ 16.75 per equity share.

During the year, CSL delivered a total of 12 vessels viz., four 8000 T Cargo Vessels to JSW Shipping & Logistics Private Limited, one Technology Demonstration Vessel to DRDO, one Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessel to Kochi Metro Rail Limited, six Floating Border Out-Post (FBOPs) Vessels to the Ministry of Home Affairs.



We aspire to reach the zenith of excellence, and our CRUISE 2030 strategy rightly lays the path to achieve our long-term targets. CSL constantly strives to garner orders from more niche areas, both on the commercial as well as defence fronts. With large order book worth ₹ 20,000 Crores, encouraging business opportunities in Europe and improving business from ship repair will enable us to grow consistently in the coming years.



Chairman's Communique contd...

Speaking in terms of new orders, the year have been excellent as CSL could venture out into new segments. CSL achieved a remarkable feat by entering into contract with DCI to build India's largest Dredger in collaboration with IHC Holland under the 'Make in India' initiative of the Government of India. This is an ambitious project and is very important for CSL and the nation, which is expected to open new verticals in the Indian maritime space. CSL also broke into the European short sea shipping segment by concluding a contract with HS Service GMBH & Co. KG, Germany for building 8 nos. of HS Eco Freighter 7000 DWT Vessels. During the year, CSL also set foot in the specialised Tug segment by securing orders for building two Tugs through its wholly owned subsidiary based in Udupi, from Ocean Sparkle Limited (OSL), a leading port operations and marine services company.

On the Ship Repair front, generally things went well. In addition to the ship repair projects in the CSL main facility at Kochi, the Company also carried out significant ship repair works at its units at Mumbai and Kolkata. The Company also commenced its ship repair operations at Port Blair.

Just to talk about system improvements in the Company, CSL has been operating over the last 10 years on a large SAP platform and this SAP platform have been migrated to the latest S/4HANA platform, which is a significant system improvement. CSL is also looking forward to roll out the Dassault 3DEXPERIENCE platform in our design and engineering functions. This is a large scale transformation and we hope this



This Warship is a true representation of what we as a Nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. In short IAC is all about 'Team India' depicting the industrial prowess of our country.

will have positive effect on our business as we move forward.

The Indigenous Aircraft Carrier – the Pride of all Indians

I am happy to report that the largest warship ever to be built in India – INS Vikrant has been commissioned by our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, in a grand event organised

on September 02, 2022 in Cochin Shipyard in the august presence of our Governor, Chief Minister, Defence Minister, Minister of Ports, Shipping and Waterways and other high-level dignitaries. It is a matter of pride that India has created history by constructing an Aircraft Carrier of its own and this is a tremendous achievement considering that only a handful of nations are capable of designing and building Aircraft Carriers. CSL with its true determination and commitment

along with the support of Indian Navy, DRDO, OEMs and other stakeholders, delivered the prestigious Indigenous Aircraft Carrier (IAC) to the Indian Navy in July 2022 after extensive testing commenced as early as August 2021. It is also worth mentioning that the entire steel used in the Vessel has been specifically developed by the DMRL-DRDO and manufactured by Steel Authority of India Limited. Further, around 76% of the Vessel is composed of indigenous content. IAC is a true testimony of Aatmanirbharta and team work and is leading the way towards a self-reliant India in Defence sector as well.

This Warship is a true representation of what we as a Nation can accomplish when varied stakeholders come

together under a shared vision and work towards a national goal. In short IAC is all about 'Team India' depicting the industrial prowess of our country. CSL is confident of carrying forward the positive energy and the strong enthusiasm depicted by our Hon'ble Prime Minister in transforming India into a major maritime power benefitting the whole world.

Major Expansion Projects

CSL is executing two big ticket expansion projects costing ₹ 2,769 Crores viz., International Ship Repair Facility (ISRF) costing ₹ 970 Crores and New Dry-dock costing ₹ 1,799 Crores. Due to the Pandemic and other technical challenges, the progress of the construction works on the New

18.39%
PAT Margin

₹ 3,190
Crores
Revenue from operations



Dry-dock has not been as expected. However, around 91% of RCC piling works have been completed. Dock floor construction has commenced and crane track works, substation works, pumphouse works & caisson gate fabrication works are progressing. The fabrication works of the large Gantry crane (600T) is progressing at South Korea and is in its final stages. The Physical progress of the project achieved is 63%. The New Dry-dock is expected to be up and running in the early part of Q2 2024.

During the year, the ISRF Project experienced an uncomfortable situation wherein CSL had to terminate the construction contract in February 2022. However, around 78% of the construction works have been completed. The necessary activities for proceeding with the execution of the project is underway and the expected completion of the project would be by end 2023.

Wholly owned subsidiaries

CSL's wholly owned subsidiary based

Chairman's Communique contd...

in Kolkata, Hooghly Cochin Shipyard Limited, completed the project phase and its new facility at Nazirgunge was dedicated to the nation on August 16, 2022 by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping & Waterways. I would like to congratulate the team involved in setting up the facility and convey my best wishes to HCSL. In view of the growing impetus to the inland and coastal waterways segment, HCSL is very well poised to be a major contributor in the inland/ coastal vessel construction.

In July 2021, CSL's other wholly owned subsidiary based in Udupi, commenced operations at its Hangarkatta facility and the activities for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex is progressing. Being a wholly owned subsidiary of CSL, as a natural consequence, the Company was renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited in April 2022. The Government's policies on developing the maritime sector coupled with the abundant opportunities in the emerging segments viz., technologically advanced fishing vessels, Tugs, Port crafts, small dredgers, cargo vessels, compact specialised crafts etc., is expected to carve out a space of its own for UCSL in the shipbuilding segment.

Corporate Governance

The Company continued to comply with good corporate governance practices. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises. The Company was not having Independent Directors during the period from April to

November 2021 and consequently no Statutory Committees. However, In November 2021, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India appointed six new Independent Directors including a Woman Director on the Board of the Company and consequently the Company re-constituted all the Statutory Committees and ensured compliance with the relevant Corporate Governance requirements. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Human resource development

CSL has rightly recognised its people as its business driver by defining four cultural competencies viz., Teaming, Execution Excellence, Constraint Breaking and Continuous Learning. It is really delightful to note that the Company has been implementing various people-oriented schemes and initiatives for the welfare and upskilling of its work force. Apart from augmenting the skills of the work force, CSL is also at the forefront in providing the best medical/ health care during the testing times of Covid-19 Pandemic.

As the business started to operate in the new environment where gatherings were not feasible, but at the same time had to sharpen the knowledge base, the Company conducted internal virtual training programs to its work force. The Company has an exclusive e-learning platform called NOVEX through which the employees are provided with various customised online courses. The Company had also nominated its employees for external training

programmes conducted by reputed institutions like the IIMs, Indian Institute of Corporate Affairs, Institute of Cost Accountants of India, DPE, CII, Kerala Institute of Labour and Employment etc.

Industrial relations

The industrial relations climate remained cordial throughout the year and the recognized trade unions continued to exhibit their true allegiance to the enhanced productivity and economic sustainability of the Company. Employees and their dependents welfare and wellbeing were also well taken care through various voluntary schemes.

Research and Development (R&D)

CSL endeavours to move into new and untested areas beyond the conventional operations of shipbuilding and ship repair and position itself as a knowledge driven organisation. The Company is working towards this and has also delineated a separate division C-SAS (Cochin Shipyard Strategic and Advance Solutions). CSL in collaboration with indigenous partners and under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways is implementing a pilot project for design, development and construction of Hydrogen Fuel Cell Vessel based on Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV), which I feel is a step towards Greener tomorrow. Taking into consideration the growing impetus on hydrogen economy and hydrogen-based fuel cell technology both nationally and internationally, it is only prudent to explore its use case in the marine segment, especially in India, where there is vast possibility for its use on Coastal & Inland vessels. Additionally, CSL has also carried out in-house R&D

activities mainly in the areas of welding procedure development and qualification of welders.

Integrated Management System

CSL maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards.

Committed towards community development

If I may have to touch upon the CSR initiatives of the Company, I may have to say that CSL has been doing tremendously well especially in the state of Kerala for augmenting the quality of life of the citizens of the state. During the year, the Company has spent ₹ 16.19 Crores which is more than the target mandatory CSR spending. The Company focused on the theme "Health & Nutrition, with special focus on Covid related measures including setting up makeshift hospitals and temporary Covid care facilities" as prescribed by the Government of India and spent around 55% of its total CSR funds under 45 projects. Further, in the aspirational district of Wayanad, CSL has committed 10 projects, predominantly for the benefit of the tribal community with a total budget of ₹ 284 Lakhs, which are at various stages of implementation and during the year an amount of ₹ 81.49 Lakhs have been disbursed. Recently, CSL has also initiated CSR projects in other parts of the country as well to the tune of ₹ 255.62 Lakhs under 7 projects. CSL has been making considerable contributions to the society through its CSR initiatives spread across multiple sectors.

Accolades

During the year, CSL received recognitions from various quarters and notable among them are Outstanding

Safety Performance Award 2021 in the category of very large engineering industries from the Department of Factories & Boilers, Government of Kerala, CII SR EHS Excellence Awards 2021 in the EHS engagement in work force category, "Rajbhasha Kirti Puraskar" for the best Hindi Implementation among the "C" Region from Government of India and CSR leadership award 2021 instituted by "World CSR Day".

Outlook

The Government of India has rolled out various initiatives to unlock the true potential of India's maritime capabilities, and accelerate the growth of our ports and shipping sectors. CSL aspires to be in the forefront of the revolution and be a major contributor in the Governments initiatives thereby capitalising the emerging opportunities. Recently, CSL has delivered two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway and has also bagged order for 8 nos. of Eco Freighter Vessels from HS Service GMBH & Co. KG, Germany. CSL foresees more orders from the European clients which would be a pathbreaker for the Company. The Indian Navy's order for Next Generation Missile Vessels is in its final stages which is expected to be placed on CSL anytime soon. CSL has also signed contract for building India's largest dredger, which will open up a new business vertical and CSL is confident of getting further similar orders. CSL is also optimistic in garnering ship repair orders at its main facility at Kochi and its ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair. The overall outlook in the Ship repair segment looks steady.

We aspire to reach the zenith of excellence, and our CRUISE 2030 strategy rightly lays the path to achieve our long-term targets. CSL constantly strives to garner orders from more niche areas, both on the commercial as well as defence fronts. With large order book

worth ₹ 20,000 Crores, encouraging business opportunities in Europe and improving business from ship repair will enable us to grow consistently in the coming years. We also expect two of our subsidiaries to contribute effectively from Udupi and Kolkata.

Acknowledgement

I am really honoured to address you on the occasion of the Golden Jubilee year of CSL. I am extremely grateful to all those who had put their heart and soul for this fine organisation which has overcome many hurdles and served the nation over the past five decades. I would also like to acknowledge the efforts of our people for the great work they have done to withstand the challenges presented by the Pandemic. I commend the Board of Directors and the management team for their open-mindedness and dynamism in shaping a way forward during these challenging operating environment.

I take this opportunity to thank the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, other offices of the Government of India, Governments of Kerala, West Bengal, Maharashtra, Karnataka and the Andaman and Nicobar Administration for their continued support. Lastly to our shareholders, investors and customers, thank you for your support and confidence in our business.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Board of Directors



01

Shri Madhu S Nair
Chairman & Managing Director



02

Shri Bejoy Bhasker
Director (Technical)



03

Shri Jose V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer



04

Shri Sreejith K Narayanan
Director (Operations)



05

Shri Vikram Singh
Part Time Official
(Nominee) Director



06

Shri Jyothilal K R IAS
Part Time Official
(Nominee) Director



07

Smt. Amrapali Prashant Salve
Non-official (Independent) Director



08

Shri Nahar Singh Maheshwari
Non-official (Independent) Director



09

Shri Ashok Sharma
Non-official (Independent) Director



10

Shri Prithviraj Harichandan
Non-official (Independent) Director



11

Shri Venkatesan M
Non-official (Independent) Director



12

Shri Abhijit Biswas
Non-official (Independent) Director

01

Shri Madhu S Nair assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Company on January 01, 2016. He holds a degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science & Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan. He has more than 34 years of professional experience with the Company since joining as Executive Trainee in June 1988 in the entire gamut of Shipyard management. He was the key driver in forging alliances with international technology partners. He was also instrumental in conceptualizing the Small Ship Division and key player in bagging international contracts while he was heading the Marketing Division. Under his leadership, CSL became a listed company after a successful Initial Public Offer. During his tenure, CSL is undertaking two major expansion projects worth ₹2,769 Crores. Also CSL is making foray into the Inland waterways transport vessel segment and small/medium sized specialized vessels segment by setting up wholly owned subsidiaries at Kolkata and Udupi. CSL has forged alliance with the Major Ports in India, viz. Mumbai Port and Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata for developing and operating Ship Repair ecosystems and setting up separate units in those ports. CSL

also established a Ship Repair unit at Port Blair. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He is a strong believer in power of people and the "people first policy" conceived by him is aimed at steering CSL into a knowledge organization. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

02

Shri Bejoy Bhasker assumed charge as the Director (Technical) of the Company on April 05, 2018. He holds a degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed

Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He joined the Company on June 29, 1988 as an executive trainee. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 34 years of work experience with the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

03

Shri Jose V J assumed charge as Director (Finance) and Chief Financial Officer of the Company from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 31 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

04

Shri Sreejith K Narayanan assumed charge as the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL) on July 21, 2022. He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He has approximately 34 years of work experience in the area of Ship Building, Ship Design and Ship Repair. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

05

Shri Vikram Singh is a Part Time Official (Nominee) Director of the Company representing Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India from July 28, 2022. He holds a bachelor degree in Civil Engineering. He is a 1997 batch officer of the Indian Railway Traffic Service (IRTS). He is presently posted as Joint Secretary (Shipping & PHRD) and also the Chief Vigilance Officer of Ministry of Ports,

Shipping and Waterways, Government of India. He has served in various key positions of the Government of India inter alia including Private Secretary to the President of India and Director, Passenger Marketing, Railway Board. He is also serving as a Director in Sagarmala Development Company Limited, Shipping Corporation of India Limited and Shipping Corporation of India Land and Assets Limited.

06

Shri Jyothilal K R IAS is a Part Time Official (Nominee) Director of the Company representing Government of Kerala. He was re-appointed into the Board from August 24, 2020. He holds a degree of Bachelor of Technology in Chemical Engineering from IIT Chennai. He is an IAS Officer of 1993 batch (Kerala cadre) and served in various departments of the Government of Kerala viz., Land Revenue Management and District Administration, Fisheries/ Agriculture & Co-operation, Information Technology, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs etc. He is currently posted as Principal Secretary (Transport), Government of Kerala.

07

Smt. Amrapali Prashant Salve is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 26, 2021. She holds a degree of Bachelor of Arts in Economics and Sociology from Mumbai University. She is currently serving as the Secretary of Mahila Morcha, Maharashtra. She is actively engaged in social service and women empowerment by arranging training and skill development programmes. She is also working for self-help group viz., Pandit Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission.

08

Shri Nahar Singh Maheshwari is a Non-official (Independent) Director of the Company from December 01, 2021. He holds a Post Graduate degree in Law from Rajasthan University. He also holds a degree in Master of Arts in Political Science from Rajasthan University. He is a member of the Bar Council of Rajasthan and practicing as lawyer since 1989. His area of specialisation includes Legal, Management and Social Service.

09

Shri Ashok Sharma is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 26, 2021. He holds a Post Graduate degree in Hindi, Sanskrit, Political Science and Education. He has also received Honorary Doctorate in literature (Vidhya Vachaspati) from Vikramshila Hindi Vidyapeeth (Bhagalpur, Bihar). He started his career as a lecturer and is currently serving as the Vice-Principal of RNI College, Bhagwanpur in Haridwar District. He has also been associated with journalism as writer/editor in many newspapers like Dainik Jagran, Punjab Kesari, Amar Ujala, Badri Vishal etc. He is also associated with many social organisations like Sanskar Bharti, Sewa Bharti etc. and various teachers' organisations in order to support the causes for the benefit of society. He is actively serving as State Spokesperson of Uttarakhand Madhyamik Shikshak Sangh and is founder member of Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Uttarakhand. He is also serving as the State Vice-President in Pradhan Mantri Jan Kalyankari Yojna Prachar Prasar Abhiyan (PMJKYPPA).

10

Shri Prithviraj Harichandan is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 22, 2021. He holds a Master of Science degree in Zoology from Utkal University, Bhubaneswar. He is also an MBA graduate in Human Resource and Finance from Amity University. Presently, he is serving as the Chairman of Mahatma Gandhi Gram Swaraj Abhiyan and National Council of Martial Tradition and Culture (NCMTC). His area of specialisation includes Management, Administration and Social Service.

11

Shri Venkatesan M is a Non-official (Independent) Director of the Company from November 22, 2021. He holds a Post Graduate Degree in Arts from Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai. He was the Chairman of National Commission for Safai Karmacharis (NCSK). He has also served as the State President of SC Morcha, Tamil Nadu. He is also a notable writer and has authored various books mainly focussing on the issues relating to Dalits.

12

Shri Abhijit Biswas is a Non-official (Independent) Director of the Company from December 01, 2021. He holds a degree of Bachelor of Commerce from Calcutta University. He has around 15 years of experience as financial service consultant. He is a Social Worker and is actively involved in various socio-political issues.

Building an engaging workforce

HR Vision

Emanating from the goals and objectives enshrined in the corporate mission statement, the strategic HR vision of the Shipyard is to strive and create a unique institution that integrates creativity, innovation, technology, business and good corporate governance practices for all round improvement in the quality of work life of the Yard's workforce.

HR Mission

To provide a vibrant platform for all those working in the yard to give their best and ensure all round growth both for the individual and organization.

HR Policy

HR policies are oriented towards providing the right mix of human resources, their empowerment and enrichment so as to meet organizational targets and results.

Target

To plan for, introduce/implement HR policies based on performance that would ensure growth, recognition, rewards, motivation, competence building, commitment and healthy employer-employee relations.

CSL Approach

Cochin Shipyard recognizes that among all resources it is the Shipyard's abundant professional, skilled and trained Human Resources (HR) who have been propelling the Shipyard towards achievement of targets and helping CSL gain a competitive advantage. The HR of CSL forms a very critical part of the Company's business strategy. HR management system procedures and approach in CSL are designed to maximize employee welfare and performance. The Company focuses on effective management and development of HR, recruitment, training and development, performance appraisal and rewards. HR is also concerned with the organizational change and maintaining a healthy employer-employee relationship climate in the organization.

Our People Strength

1756

424 executives, 128 supervisors and
1204 workmen (As on March 31, 2022)

Cultural Competencies

Cochin Shipyard has identified the following four cultural competencies for developing an efficient work force

TEAMING

EXECUTION EXCELLENCE

CONSTRAINT BREAKING

CONTINUOUS LEARNING

Embracing Knowledge & Augmenting Skills

'Vigyana Sagar', the premium Maritime Learning Centre of the country is aimed at catering to the digital and technological advancements in the field, pre-sea and post-sea maritime training and the regular Graduate Marine Engineering Training programs. 'Vigyana Sagar' houses Cochin Shipyard's Marine Engineering Training Institute, which has completed 28 glorious years of contribution to the training of Marine Engineers. The facilities are also utilised for providing advanced skill development and refresher training programmes to the existing workforce.

Transforming our communities

For Cochin Shipyard Limited, CSR is the way through which we achieve a balance of economic, environmental and social imperatives (Triple-Bottom-Line), while at the same time addressing the expectations of shareholders and stakeholders.

- ▶ CSL's CSR commitment have been gradually increasing year by year.
- ▶ CSL has always spent more than what is required under the statutes.

CSR in FY 2021-22

1,619.47
(₹ in Lakhs)


104
Total projects undertaken

853.55
(₹ in Lakhs)

63
Projects Commenced in the year

765.92
(₹ in Lakhs)

41
Projects carried forward from previous year



CSR SO FAR

₹100+ Crores

600+ Projects

Awards and Accolades

CSL has been creating positive impact on the lives of many through its CSR initiatives and in recognition for the same CSL has received awards and commendations from the Government as well as from reputed institutions like the National Institute of Personnel Management, Kerala Management Association, Rotary International etc.

Scan QR code or click the link below to view the Annual Report 2021-22.



<https://cochinshipyard.in/uploads/CSR%20Annual%20Report%202021-22.pdf>

Transforming our communities

Reaching out not just with our ships but also with our hearts

We bring positive impact on the communities at large through our CSR initiatives. The core pillars of our CSR initiatives include:



Health

Our initiatives have helped the society to sail through the testing times of COVID Pandemic. We also carried out CSR activities in line with the national priorities and the theme covering other health care initiatives and initiatives in Nutrition.



Heritage

Our initiatives are dedicated towards conservation of heritage structures, revival of art and culture, improvement of libraries etc.



Empowerment

Our empowerment initiatives focus on skill development of women and special children, geriatric care and the like.



Environment

Our environment initiatives are focussed on afforestation, conservation of water bodies, recycling programmes to facilitate carbon emission reduction etc.

Prioritising safety first

Integrated Management System (IMS)

CSL maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards.

Awards and Recognitions

In recognition of maintaining high safety standards, CSL has been bestowed with several awards during the year 2021-22 viz., Outstanding Safety Performance Award in the category of very large engineering industries from Department of Factories & Boilers, Government of Kerala, Sreshta Suraksha Puraskar for outstanding safety performance in the category of very large engineering industries from the National Safety Council and CII SR EHS Excellence Award in the EHS engagement in work force category from the Confederation of Indian Industry.

Corporate Information

Board of Directors

Shri Madhu S Nair
Chairman & Managing Director

Shri Bejoy Bhasker
Director (Technical)

Shri Jose V J
Director (Finance) and Chief Financial Officer

Shri Sreejith K Narayanan
Director (Operations)

Shri Vikram Singh
Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Govt. of India
Part Time Official (Nominee) Director

Shri Jyothilal K R IAS
Principal Secretary (Transport)
Govt. of Kerala
Part Time Official (Nominee) Director

Smt. Amrapali Prashant Salve
Non-official (Independent) Director

Shri Nahar Singh Maheshwari
Non-official (Independent) Director

Shri Ashok Sharma
Non-official (Independent) Director

Shri Prithviraj Harichandan
Non-official (Independent) Director

Shri Venkatesan M
Non-official (Independent) Director

Shri Abhijit Biswas
Non-official (Independent) Director

Chief Vigilance Officer

Smt. S Uma Venkatesan, IRS

Management Team

Shri Neelakandhan A N
Chief General Manager (Planning & Project Management)

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Chief General Manager (Strategy & New Projects)

Shri Harikrishnan S
Chief General Manager (Materials)

Shri Eldho John
General Manager (Tech & Infra Projects)

Shri Sivakumar A
General Manager (Ship Building)

Shri Sunil Kumar K R
General Manager (IAC)

Smt. Anjana K R
General Manager (Design)

Shri Jayan K Thampi
General Manager (Ship Repair-Mumbai)

Shri Shiraz V P
General Manager (IAC-Project Management)

Shri Sivaram Narayana Swamy
General Manager (Business Development-Ship Building)

Shri Subash A K
General Manager (Human Resource)

Shri Deepu Surendran
General Manager (C-SAS)

Shri Santhosh Philip
General Manager (Ship Repair)

Shri Shibu John
General Manager (Finance)

Shri Syamkamal N
Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office

Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India

Bankers

State Bank of India
Canara Bank
Union Bank of India
IDBI Bank
Axis Bank

Statutory Auditors

M/s. Elias George & Co.
Chartered Accountants
38/1968 A, EGC House
HIG Avenue West End
Gandhi Nagar, Kochi – 682020

Secretarial Auditors

M/s. Mehta & Mehta
Company Secretaries
201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor
49/A Dr. Annie Besant Road
Above Corporation Bank
Worli, Mumbai – 400 018

Cost Auditors

M/s. BBS & Associates
Cost Accountants
62/102, 1st Floor
Nenmanasseryillom
Illom Road off Paliyam Road
Kochi – 682 016

Debenture Trustees

SBICAP Trustee Company Ltd.
4th Floor, Mistry Bhavan
122 Dinshaw Vachha Road
Churchgate, Mumbai – 400 020

Registrar & Transfer Agents

Link Intime India Pvt. Ltd.
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road
Coimbatore – 641 028

Directors' Report

Dear Shareholders,

- Your Directors have immense pleasure in presenting the 50th Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2022.

Financial Performance

- Your Company posted yet another year of impressive performance despite various constraints due to COVID-19 pandemic and when the shipbuilding market scenario remaining lackluster. Diversified operational segments and product profile helped the Company to achieve a turnover of ₹3,190.00 Crores for the year as compared to ₹2,818.90 Crores in the year 2020-21. The profit before tax is ₹794.39 Crores for the year as against ₹810.59 Crores in the previous year. The net profit is ₹586.57 Crores as compared to ₹610.10 Crores for the previous year.
- The authorised share capital of the Company is ₹2,50,00,00,000/- divided into 25,00,00,000 equity shares of face value of ₹10/- each. The paid up share capital of the Company is ₹1,31,54,03,900/- divided into 13,15,40,390 equity shares of face value of ₹10/- each.

Financial Highlights

Sl. No.	Particulars	2021-22	2020-21
		(₹ Crores)	
(i)	Gross Income	3456.42	3012.76
(ii)	Profit before finance cost, depreciation & tax	896.92	914.13
(iii)	Finance costs	46.48	50.47
(iv)	Depreciation & write off	56.05	53.07
(v)	Profit Before Tax	794.39	810.59
(vi)	Tax Expense	207.82	200.49
(vii)	Net profit	586.57	610.10



Dividend

- As per Office Memorandum F.No.5/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are

pleased to recommend a final dividend of ₹3.75/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, interim dividends of ₹6/- and ₹7/-, aggregating ₹13/- per equity share had been paid to the shareholders during 2021-22. Thus, the total dividend for the year 2021-22 is ₹16.75/- per equity share (167.50%), amounting to ₹220.33 Crores. No unclaimed dividend (previous years) is due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Dividend Distribution Policy

- As per Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the top 1000 listed entities shall formulate a dividend distribution policy. Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/or retaining the profit into the business. The policy is available on the website of the Company at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68



Transfer to Reserves

- No amount has been transferred to Reserves for the financial year 2021-22. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is not required to create Debenture Redemption Reserve in respect of the bonds issued by it. As on March 31, 2022, the Company has Reserves and Surplus amounting to ₹4,227.64 Crores which reflects the inherent financial strength of the Company.

Contribution to Exchequer

- The total contribution made during the year by way of income tax, customs duty, GST, service tax, KGST/KVAT and dividend was around ₹458.89 Crores.



Shipbuilding

- The Company achieved a total shipbuilding income of ₹2,511.48 Crores during 2021-22 as against ₹2,405.59 Crores in 2020-21. During the year 2021-22, CSL delivered four nos. of 8000 T Cargo Vessels built for JSW Shipping & Logistics Private Limited which opened up a new vertical in the coastal/ short sea shipping segment for the Company. CSL also delivered one no. of Technology Demonstration Vessel, INS Anvesh, built for Defence Research and Development Organisation (DRDO) which is a unique platform to be used to test various innovative products being developed by DRDO labs. In addition to above, CSL has also designed and delivered the first Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessel for the Kochi Water Metro Project thus creating a revolutionary sustainable urban mobility water transportation solution. Furthermore, CSL has also successfully delivered six nos. of Floating Border Out-Post (FBOPs) Vessels out of nine FBOPs being built for the Ministry of Home Affairs. Further, the construction of five nos. of Anti-Submarine Warfare Shallow Watercraft for Indian Navy, three nos. of Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels for the Ministry of Home Affairs and balance 22 nos. of Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for Kochi Water Metro Project are progressing. During the financial year 2021-22, the Company delivered a total of twelve vessels under defence as well as commercial segment.
- The Yard has also completed major milestones on various projects such as:
 - Keel laying of eight Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels and launching of three such Vessels for Kochi Water Metro Project;

- Launching of three FBOPs for the Ministry of Home Affairs;
 - Launching of two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway; and
 - Steel cutting and commencement of fabrication of three Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts for the Indian Navy.
- CSL achieved these milestones in spite of the COVID-19 pandemic challenging conditions by putting extra efforts amidst various uncertainties.
 - Further, the prestigious Indigenous Aircraft Carrier (IAC) project is in its final trials phase. The maiden sea trial of the Vessel was conducted in August 2021 during which the Vessel's propulsion plants were put to rigorous testing at sea. In addition to this, the trials of various navigation, communication and hull equipment were also undertaken during the first sea sortie. The successful conduct of the maiden trials is considered as a landmark achievement for the Yard as the same was also achieved during the most challenging times of COVID-19.
 - Subsequent to the first sea trials, the vessel proceeded for the second sea trials in October - November 2021 and thereafter for the third sea trials in January 2022. During these sea sorties, the trials conducted included extensive propulsion (full power) trials, endurance & sustenance checks, sea acceptance trials of navigation & communication equipment, HVAC trials and also Vessel's maneuvering trials.
 - The project by virtue of its national importance has also garnered attention from the highest levels of the country with visits from the Hon'ble President of India and the Hon'ble Vice President of India in December 2021 and January 2022, respectively. The Hon'ble Minister for Ports, Shipping & Waterways had also visited the ship along with the Chief of Naval Staff during the second sea trials.
 - The works on the aviation facility complex are progressing satisfactorily and the vessel is being readied for handing over to the Indian Navy. The vessel is targeted to be commissioned into the services of the Indian Navy by August 2022.
 - Further, CSL foresees good opportunity in the European short sea shipping segment and is strongly engaged in this segment. Recently, CSL secured orders from HS Service GMBH & Co. KG, Germany for building eight nos. of HS Eco Freighter 7000 DWT Vessels.

Ship Repair

16. During the year, the Company achieved a total ship repair income of ₹678.52 Crores as compared to ₹413.30 Crores during the year 2020-21. Major Vessels repaired during the year in the main Yard at Kochi include INS Deepak, INS Tir, INS Nireekshak, INS Sunayna, INS Investigator, GTV Samudra Sarvekshak, INS Sagardhwani, ICGS Sarathi and ORV Sagar Nidhi. Major vessels repaired during the year in CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) include DSV Samudra Prabha, MDL Y12705, ICGS Samudra Paheredar & MSV Samudra Sevak. Major vessels repaired during the year in CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) include Dredge XV, M V Sentinel etc. Further, the Company commenced the ship repair activities at Marine Dockyard, Port Blair in November 2021 by undertaking emergency repair of MV Sindhu, followed by drydock repair of MV Rajhans.



Shipbuilding Order Book Position

17. During the year 2021-22, CSL had been successful in securing against intense competition, shipbuilding orders for 8 nos. of HS Eco Freighter 7000 DWT Vessels for HS Service GMBH & Co. KG, Germany and also successfully signed contract for construction of 01 no. of Trailer Suction

Hopper Dredger for Dredging Corporation of India (DCI). The order book position as on March 31, 2022 is as follows:

Vessel Type	Nos.
Order book – Projects being executed	
Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy	01
500 Passenger cum 150 MT cargo vessel for A & N Administration	01
1200 passenger cum 1000 MT cargo vessel for A & N Administration	02
Floating Border Out-Post vessel for Ministry of Home Affairs	03
Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy	08
Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull vessel for KMRL	22
Autonomous Electric vessel for ASKO Maritime AS, Norway	02
Order book – New Projects received in the year 2021-22	
HS Eco Freighter 7000 DWT vessel for HS Service GMBH & Co. KG, Germany	08
Trailer Suction Hopper Dredger for Dredging Corporation of India (DCI)	01

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

18. In order to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios, a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) has been formed to enable the Company to venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future oriented business models. Keeping pace with the Global Maritime Green Transitions, the Company is in the process of developing and building India's first indigenous Hydrogen Fuelled Electric Vessels, a pilot project part funded by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). The pilot project is based on development of a Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) – also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV) and the C-SAS division is in charge of the technological part of design, development and construction of the Vessel. The move is part of India's transformative efforts on the innovative and new technology front with respect to green energy and sustainable cost-effective alternate fuel. The pilot project is being carried out in collaboration with Indian partners and the necessary action in this regard has already commenced.

19. Further, C-SAS has recently acquired an order through competitive bidding process from the DRDO for the Development Cum Production Partner (DcPP) with NSTL for High Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV). This is expected to enable the Company in acquiring knowledge in autonomous underwater sector, a segment with good growth potential.

Expansion Projects

20. The status of major projects and initiatives are as follows:

i) International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Premises

CSL continued to operate the dry-dock & existing facilities in the leased area (first phase) at Cochin Port premises. CSL completed repairs of twelve ships during the year 2021-22. The construction works of ISRF project, which commenced on November 17, 2017, was progressing till February 04, 2022. However, the construction contractor appointed for ISRF project, Simplex Infrastructures Limited, Kolkata has been facing severe financial crisis due to which construction activities at the project site was severely affected and eventually CSL had to terminate the contract on February 04, 2022. Physical progress of construction works reported till the termination of contract is 78%. CSL is presently in the process of appointing alternate contractors by retendering for completing the balance works within the minimum possible time. Meanwhile, CSL received all components pertaining to the transfer system supplied by M/s. IMG, Germany. For the shiplift system from M/s. Syncrolift AS Norway, CSL is in receipt of all components except the platform sections. The Indian Register of Shipping (third party inspection agency) had completed the pre-despatch inspection of 10 T crane ordered on M/s. CJSC SMM, Russia in mid February 2022 and the crane is expected to be delivered soon at CSL. 3 nos. of tower cranes for which order was placed on M/s. Liebherr, Germany are in the advanced stages of manufacturing.

Ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in first phase. CSL expects to position Kochi as a major ship repair hub with major operations in the present ship repair dock coupled with increased capacities that would be available when the ISRF is commissioned.

ii) New Dry-dock Project

The New Dry-dock measuring 310 x 75/60 x 13m with 600T gantry crane will be located at the northern end of the existing premises of the Company. The new dock

will augment the Company's shipbuilding and ship repair capacity essentially required to tap the market potential of building specialized and technologically advanced vessels such as LNG Carriers, Aircraft Carriers of higher capacity, jack up rigs, drill ships, large dredgers and repairing of offshore platforms and larger vessels. Construction activities commenced in June 2018 is progressing despite the setbacks due to COVID-19 pandemic. Ground improvement works, cofferdam works, dock wall sheet pile installation works has been completed. Further, around 85% of RCC piling have also been completed. Dock floor construction has commenced and crane track works, substation works, pumphouse works & caisson gate fabrication works are progressing. Physical progress of the project achieved as on March 31, 2022 is 60%. Contract for the supply & commissioning of 600T gantry crane was also issued and fabrication of crane commenced in August 2021 at South Korea.

iii) CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

CMSRU has commenced Ship Repair Operations from January 18, 2019 at Mumbai Port and has successfully undertaken repairs to around 71 vessels till date.

During the financial year 2021-22, CMSRU has undertaken dry-dock and afloat repairs of 22 ships. The repair projects include ships of (1) Defence clients notably, Indian Navy's stealth guided-missile destroyer Yard 12705 through MDL, dry-dock and afloat repairs to Indian Coast Guard vessel ICGS Paheredar (2) Commercial clients notably, offshore vessels like DSV, WSV, PSV of Shipping Corporation of India (SCI), THSD Dredge XVII of Dredging Corporation of India (DCI) and various ships of private owners like DSV of HAL Offshore Limited, OSV of Greatship India, RO-RO of Indigo Seaways Private Limited and DSV of Seamec Limited. CSL had also taken up repairs for a foreign client and successfully completed repairs to DSP NPP Nusantara for M/s. Miclyn Express Offshore, Singapore.

CMSRU also commissioned new machinery workshop and stores facility along with new CMSRU office space. Major infrastructure augmentation like positioning of cranes, floating dry-dock and caisson gate, are progressing. Manpower has also been augmented from a total of 24 to 81 during the financial year 2021-22.

iv) CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

Despite the lockdown related restrictions and economic slowdown in connection with the second wave pandemic situation that gripped the whole nation, CKSRU managed to undertake major dry-dock repairs

of 5 vessels during the financial year 2021-22. CKSRU resumed operations, on June 17, 2021, subsequent to partial relaxation of lockdown restrictions by West Bengal Government, which was suspended from May 16, 2021, due to pandemic related lockdown. Dry-dock repairs of MV Sarojini, a survey vessel and Tug Tamralipta both owned and operated by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata and emergency repair of DCI Dredge XIV were successfully completed during the financial year. As part of efforts to achieve its ambitious annual revenue target, CKSRU for the first time simultaneously dry-docked two vessels. Major dry-dock repairs of DCI Dredge XV and MV Sentinel in dry-docks NSDD1 & 2 respectively and afloat repair of MV Dering at 14 NSD berth are in progress and expected to be completed in Q1 of FY 2022-23. Firm stemming orders are awaited for dry-dock repair of Tug Svitzer Foxtrot (a repeat order from foreign fleet owner Svitzer Asia Pvt. Ltd.), Dredger Darya Manthan belonging to Adani Group, repair of NSD No. 1 box caisson from SMP and dry-dock repair of passenger vessels from A&N Administration.

Various capex projects have been undertaken to develop ship repair ecosystem and infrastructure at CKSRU. Work order has been issued to Hooghly Cochin Shipyard Limited, Kolkata for fabrication of a new intermediate box caisson which in turn will provide more operational flexibility to CKSRU. Exclusive guidance rate for Kolkata operations has been approved by the Competent Authority and PWO system has been implemented to speed up the repair activities.

v) CSL-Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

Subsequent to execution of Concession Agreement between Cochin Shipyard Limited and Andaman & Nicobar (A&N) Administration in November 2019, the agreement was made effective on January 15, 2021 upon fulfillment of conditions precedent by the A&N Administration in the end of 2020 and also due to pandemic related restrictions in the A&N Islands. Since then, a dedicated and experienced manpower consisting of engineers and support staff has been deployed in Port Blair.

CSL has progressed significantly with development of ship repair ecosystem at Marine Dockyard, Port Blair with a strong vendor base consisting of 09 vendors for the turnkey subcontract works. More than 100 sub-contractors and suppliers, both from the Islands & mainland, have been empanelled for general ship repair jobs and material supply at CANSRU. Standard Operating Procedures & Quality Assurance Plan

have also been prepared exclusively for repair of A&N vessels. Essential infrastructure for carrying out smooth and safe ship repair operation has been procured for CANSRU.

CSL commenced ship repair activities at Marine Dockyard, Port Blair in November 2021 by undertaking emergency repair of MV Sindhu, followed by dry-dock repair of MV Rajhans. A&N Administration has provided the list of vessels proposed for ship repair in FY 2022-23 and advance actions for the same have been initiated.

As a value addition to the Project, CSL has engaged IR Class for developing a digital repository of fleet of vessels owned by the A&N Administration, which would attempt to capture vessel data and the depiction of the captured knowledge base. This digital repository would reduce the knowledge and proficiency gaps existing and thereby improve operational safety and efficiency of the vessels. A high-level expert committee of CSL officers has been constituted who would work along with the consultant in bringing out a professionally prepared & complete DPR for augmentation & modernization of Marine Dockyard.

CSL is setting up a well-equipped Safety cum Skill Development Centre at Marine Dockyard to provide safety & skill development training to various stakeholders associated with CANSRU & Marine Dockyard. Professional skill development & HSE programs shall be conducted by experienced team of CSL, OEMs and other stakeholders at this Centre. CSL shall start the skill development programme once a suitable space is allotted by DSS inside Marine Dockyard.

CSL has been successful in mobilizing professionally qualified and experienced manpower dedicatedly for operations at the project site and deploying essential infrastructure required for undertaking ship repair operations at Port Blair despite various COVID-19 related restrictions during last years. CSL has already commenced ship repair operations at Marine Dockyard, Port Blair and successfully completed the repair assignments allotted. With the resources deployed at the project site, CSL is in a position to undertake more complex and bigger repair projects for the A&N Administration in the future.

vi) Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). Pursuant

to the approval of the Union Cabinet, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL with effect from November 01, 2019. HCSL aspires to establish itself as one of the leading shipbuilding yard in east coast for quality inland and coastal vessel construction.

All project work pertaining to “New Yard construction of HCSL” is completed and the Yard is ready for production. At the end of the financial year 2021-22 physical progress to the tune of 99% is achieved for all civil, mechanical and electrical related works. All major jobs held up due to delay in erection of the 50 ton crane are completed other than road and road painting which is in final stage of completion. Further, handing and taking over of all civil structures and commissioning of all machinery/ equipment and cranes are completed. During the financial year 2021-22, the Yard undertook major repairs of two vessels of IWAI and four vessels of IWT Assam adhering to strict timelines and delivered them to the satisfaction of the customer. Further, HCSL being focused in inland waterways segment has entered into an agreement with IWAI to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam. The proposed ship repair facility will cater to the repair requirements of all vessels in the National Waterways-2 and North Eastern sector without any loss of valuable time travelling to Kolkata for every minor repair.

vii) Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) [Formerly known as Tebma Shipyards Limited (TSL)]


Consequent to the takeover of the Company by Cochin Shipyard Limited (CSL) in September 2020, through the statutory insolvency resolution process, various activities were initiated for revamping the Company’s infrastructure facilities for commencing the operations. During the financial year 2021-22, the revamping activities were streamlined despite COVID-19 related difficulties and the Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021. Necessary activities for fully operationalising the facility at Malpe Harbour Complex were also undertaken during the reporting period and is still progressing. Consequent to the takeover of the Company by CSL, the name of the Company was changed to Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) on April 22, 2022 to relate the Company more appropriately to CSL.

During the reporting period, the Company is executing CSL’s order for fabrication, outfitting and machinery installation of eight Hybrid Electric Aluminium

Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, of which two vessels have already been delivered; one in March 2022 and the other in April 2022. The work on other vessels are progressing. Further, during March 2022, UCSL has also signed contracts with Ocean Sparkle Limited (OSL), a leading port operations and marine services company, for building two Tugs and with a beneficiary from the state of Andhra Pradesh for construction of one Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat under the “Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)”.

Manpower Status

21. The manpower strength of the Company as on March 31, 2022 was 1756 consisting of 424 executives, 128 supervisors and 1204 workmen.



Industrial Relations

22. CSL continued to maintain and foster cordial industrial relation atmosphere during the year. There was no loss of man hours on account of labour unrest due to reasons attributable to the Company exclusively.

23. The referendum for recognizing trade unions was conducted on March 19, 2021 by the Dy. Chief Labour Commissioner (Central), therein 2 unions namely Cochin Shipyard Employees Federation (CSEF) and Cochin Shipyard Employees Organisation (CSEO) have secured the recognition status as per the norms stipulated for recognition. However, formal approval for the same is awaited from the Chief Labour Commissioner (CLC).

24. The executives and non-unionised supervisors also continued to contribute their best to the Company during the year.

25. The joint management forums like joint councils, shop council, central safety committee, shop level safety committees, contract worker safety committee, canteen management committee, employees' contributory provident fund trust etc., continued to function effectively.
26. Employees and their dependents welfare and wellbeing are well taken care through various voluntary schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

Human Resource Development

Learning and Development Activities during 2021-22

27. During FY 2021-22, due to COVID-19 pandemic, most of the training programmes were conducted through the virtual medium using Microsoft Teams, Zoom, Webex etc.
28. The prominent external training programmes for which Executives were nominated include the following topics.
- Capacity building program on procurement by Indian Institute of Corporate Affairs, New Delhi
 - Business Analytics for Strategic Decisions
 - Essentials of Leadership by ISB Hyderabad
 - Tendering Process & Contract Management
 - Creative Problem Solving
 - Public Procurement: Insight to e-procurement & GEM
 - CII EHS Online Assessor Training Programme
 - Mastering Corporate Social Responsibility by CII
 - Five days online Training Programme on 'Good Governance' by ISTM
 - MIS Reports & Data Analysis using Microsoft Power BI
 - Cyber Security by Department of Public Enterprises (DPE)
 - Diploma in Information System Security Audit (DISSA) by ICAI
 - Development & Innovation in Debt financing for corporates by CRISIL Limited
 - One day workshop on 'Labour Codes' by Kerala Institute of Labour and Employment (KILE)

- Capacity building programme for the newly appointed Non Official (Independent) Directors at Kolkata.
29. Company also nominated senior executives under the scheme "Igniting Minds" for virtual programmes like Developing Commercial and Financial Skills for Strategic Business Decisions by IIM Ahmedabad, Finance for Non-Finance Executives by IIM Calcutta, Professional Certificate Programme in Financial Analysis and Financial Management by IIM Kozhikode, Managerial Effectiveness by IIM Ahmedabad, Professional Certificate Programme in General Management programme for Business Excellence by IIM Kozhikode, Online Professional Certificate Programme in HR Management and Analytics by IIM Kozhikode, Innovation, Corporate Strategy and Competitive Performance by IIM Ahmedabad, Managerial Leadership and Team Effectiveness by IIM Calcutta, Developing Leadership Potential by IIM Calcutta etc.

Customised Internal Trainings

- Five executives completed online training session on Basic Naval Architecture conducted by ASRANET Limited, UK from April 28 to 30, 2021.
- Online awareness sessions on NOVEX e-learning platform of CSL were arranged from June 05 to 08, 2021 exclusively for supervisors in CSL. 142 supervisors attended the sessions.
- An online session on 'Prevention of sexual harassment of women at workplace', was conducted by AGM (Legal), CSL on July 16, 2021 and the same was attended by 33 employees.
- One day online workshop on Competency Dictionary was conducted on September 11, 2021, which was attended by 37 Executives.
- 20 Executives attended a four days online workshop on Underwater Radiated Noise (URN) Management conducted by NirDhwani Technology Private Limited, from September 15 to 18, 2021.
- One day online workshop on Competency-Based Interview was held on October 23, 2021. The workshop was attended by 31 Executives.
- A half-day workshop on Executive Coaching was conducted by GM (HR) and AGM (Safety) for 52 executives from October 20 to 22, 2021.
- In connection with the Vigilance Awareness Week 2021, an online interactive training session on the subject 'Preventive Vigilance' was conducted on October 27 and 28, 2021 by

Smt. S. Uma Venkatesan, IRS, Chief Vigilance Officer, CSL and the same was attended by 59 Executives.

- A technical training program for 50 supervisors was conducted by the Department of Ship Technology, Cochin University of Science and Technology (CUSAT), Kochi on December 17 and 18, 2021.
- One day training for Field Safety Representatives (FSR) and HSE Co-ordinators was conducted by the National Safety Council, Kerala Chapter, Ernakulam from December 21 to 23, 2021. The training was attended by 66 employees.
- CII Pinnacle Performance Enhancement Series, 8 weeks course (commenced on December 14, 2021) was attended by 14 Senior Executives of CSL.
- The Institute of Marine Engineers (India) conducted a Skill Upgradation Certification Course in Hydraulics from February 24 to 26, 2022. 14 executives completed the certification course successfully.
- Four days Integrated Internal Auditor Training on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 were imparted for 21 executives in CSL. The training was conducted by DNV Business Assurance India Private Limited from March 07 to 10, 2022.
- A First Aid training programme for CSL Employees conducted by National Safety Council, Kerala Chapter, Ernakulam was held on March 24 and 25, 2022. A total of 26 employees attended the programme.
- Orientation training for employees retiring from service of CSL was held on March 30, 2022. The sessions were conducted by the faculty from Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and other experts in the field of financial planning and health. The session was attended by 17 employees.
- Considering the COVID-19 situation, it was decided to conduct the YOCDP (Young Officers Competency Development Programme) for junior-level executives and SCDP (Supervisors Competency Development Programme) for supervisors online through NOVEX e-learning platform. A total of nine recorded sessions of YOCDP and seven recorded sessions of SCDP were uploaded online and made available to the participants.
- Induction programme to 29 newly joined executives was conducted during the financial year 2021-22.

Educational Scholarships to Wards of Employees

- "Shipyard Parivar Prathibha Puraskar", an educational scholarship scheme introduced from the year 2016 aims to reward and promote the star performers among the wards

of regular employees of CSL. A scholarship of ₹25,000/- per year for a maximum period of 5 years shall be bestowed in the order of highest marks scored by the wards in class XII final examination. During the year 2021-22, 9 eligible students have been granted scholarship under the said scheme.

Recognising Excellence

- CSL has introduced the Employee Excellence Awards Scheme envisaging reward and recognition for innovative ideas and practices among the employees below the level of AGMs. The highest award under the scheme is Chairman's award with a citation and cash prize of ₹15,000/-. During the Independence Day celebrations in 2021-22, 43 employees (executives-5, supervisors-4, workmen-33, on contract workmen-1) were honored with Chairman's Commendation, which carries ₹2,000/- cash prize. In January 2022, 32 employees (executives-5, supervisors-1, workmen-19, on contract workmen-7) were considered for Chairman's Commendation. In addition, one contractual employee was considered for Chairman's Special Commendation and a cash prize of ₹5,000/-. However, due to rise in COVID-19 cases, the awards were not distributed during Republic Day celebrations, 2022.

International Yoga Day

- Employees were encouraged to observe international yoga day in small groups and at their homes with family members, without affecting COVID protocols.

Constitution Day

- Constitution day was celebrated in CSL on November 26, 2021 with reading of Preamble to the Indian Constitution. In order to create awareness among CSL employees about the Constitution and its significance, it was decided to create and upload a series of awareness building courses on NOVEX e-learning platform. Accordingly, the first session on Preamble and the basic principles of Indian Constitution was held on November 26, 2021. Additionally, a quiz programme on Indian Constitution was also arranged in connection with the celebration of Constitution day.

Training

- A Total of 127 Graduate Marine Engineering cadets (GMEs) are placed for onboard vessels during 2021-22. The cadets had successfully completed one year course as per guidelines of Directorate General of Shipping, Government of India.
- 23 students of 4 year Marine Engineering from Sree Venkateswara College of Engineering, Chennai, successfully completed 6 months afloat training from CSL Marine Engineering Training Institute (METI).

53. CSL METI had participated in various programmes organized by Mercantile Marine Department, Kochi in connection with "Azadi Ka Amrit Mahotsav" initiative of the Government of India. CSL METI also had conducted webinars on topics like Autonomous Vessels, Battery Operated Vessels, Green Fuels etc. The contributions of CSL METI were honoured on the occasion of the 59th Maritime Celebrations held in Kochi.

Apprenticeship Training

54. Training Institute had imparted apprentice training for a total of 561 ITI trainees, 121 Diploma trainees, 103 Degree trainees and 5 VHSE trainees in the year 2021-22.

55. Three Executive Trainees were inducted during the year 2021-22.

Skill development programmes conducted by CSL Training Institute

56. Multi-skill development programme was conducted from October 19, 2021 to December 03, 2021 for CSL workmen on forklift operations. The same was attended by 10 workmen from Ship Repair and 8 from Shipbuilding departments. The programme included theory of total 24 hours staggered in one week. It also contained 5 days practical including 2 hours evaluation for each participant.

57. One day programme on Productivity, House Keeping & 5S was imparted to Diploma/ Degree Advanced Trainees of different departments of CSL. The programme was conducted by Officers of Datopant Thengadi National Board for Workers Education, Kochi Regional Directorate under Ministry of Labour, Government of India. A total of 95 Advanced Trainees under 6 batches attended the programme conducted on December 21 and 22, 2021 and January 11 and 12, 2022.

Samanvay portal

58. Samanvay is the common Knowledge Management Portal for all CPSEs. The website is designed & developed by ONGC, on behalf of the Department of Public Enterprises (DPE). The primary objective of the Samanvay Knowledge Management Portal is to create a platform for enabling individuals, teams & entire Public Sector Enterprises to collectively and systematically share knowledge, infrastructure, best practices, SOP etc., to learn from others' experiences. The usage of Samanvay is being closely monitored by DPE. Periodic meetings and reviews are conducted by DPE with CPSEs which are chaired by top officials of DPE, and there has been continuous follow

up from DPE to increase the usage of the portal. CSL has given user access for the portal to all officers, and the users can share lessons learnt from their work place through the portal. CSL has shared around 115 articles including 31 lessons learnt, and 84 different articles on HSE practices, CSR, HR, best practices at work place & articles on innovation, through the Samanvay portal till date.

Employee Welfare Measures

59. SEAWISE: An employee counseling scheme "Shipyard Emotional Assistance and Wellness Inclusion System for Employees" (SEAWISE) has been introduced in CSL with the support of Rajagiri College of Social Sciences, Kochi as a part of caring the emotional wellness of employees and their dependants. The counseling is imparted through telephonic and face to face mode. The scheme covers all permanent employees of CSL and their dependants, contract employees, trainees and CISF personnel in CSL unit.

60. Modified CSL Medical Assistance Scheme: CSL has modified the medical assistance scheme for employees by empanelling 29 hospitals (Super-speciality/Multi-speciality/Speciality and other-speciality hospitals) in Ernakulam District for the treatment of CSL employees and their eligible dependent family members. The expenses towards the inpatient/day care treatment availed at these 29 empanelled hospitals shall be settled directly by CSL to the hospital. Medical ID Cards with details of employees and dependents has been issued to all employees for the purpose of identification at empanelled hospitals. In the case of hospitals outside Ernakulam district, the admissible treatment expenses shall be reimbursed to the employees.

61. CSL Rudder – Actionable Insights, Informed Decisions: As a part of the new digital transformation initiatives, a new mobile application has been developed and launched on April 01, 2022. The application is offering a bunch of new facilities to CSL users. The application can be used by both internal users like all permanent staff including officers, supervisors and workmen and external users like suppliers, subcontractors, retired employees etc. Employee profile, attendance details, salary slips, leave details, medical claims status, dependants information, loan details, PF data, capture reporting time, vendor registration details, invoice status, payment details, TDS certificates etc., are some of the features included in Rudder application.

62. As part of fostering women welfare measures, CSL has conducted awareness session regarding the usage of menstrual cup and free distribution of menstrual cups were done as a part of Women's Day celebration.

63. Infertility treatment scheme was launched in the year 2020 for providing reimbursement of medical expenses incurred for infertility treatment for all permanent employees. An amount not exceeding ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) per cycle or the actual cost whichever is lower is permitted for reimbursement and the same will be allowed upto maximum of three fresh cycles with prior approval. Special Leave for maximum 10 days in a year and maximum of 20 days are being granted during the service of an employee who undergo procedures as part of infertility treatment. Total 15 employees were granted permission to avail the benefits under this scheme as on March 2022.

64. All employees (permanent & on contract employees) and trainees who had undergone treatment for being COVID positive and who were under quarantine were granted special leave.

65. National Pension System (NPS) was introduced in CSL in order to facilitate contributory pension scheme for all permanent employees. A kiosk centre was arranged in CSL premises in the month of February 2021 for all employees through which the employees have opened their individual NPS account. CSL is contributing 10% of the wages (Basic + DA) to the individual account of the employees, as employer contribution from April 2021 onwards. The scheme provides attractive income tax benefits to the employees and also ensures a hassle-free life post retirement.

66. CSL introduced paternity leave in the year 2019 to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year.

Encouraging Thought Provoking Ideas

67. "Nethruthwa Samvridhhi Yojana" – Leadership Acceleration Programme (LEAP) was launched in the year 2016 to encourage and motivate executives in the grades E1 to E4 for pursuing higher studies in premier institutes both in India and abroad. The core benefit under the scheme is not only a grant of study leave for two years, but reimbursement of tuition fees, in installments after they come back and join for duty. A maximum of three applicants are considered on a yearly basis under LEAP scheme.

68. CSL launched special financial assistance scheme applicable to SC/ST apprentice trainees in 2018 to provide monthly financial assistance of ₹1,500/- for meeting their expenses towards rental accommodation in Kochi. The monthly financial support is extended to a maximum of 20 trainees during the period of apprenticeship training, subject to periodical review by CSL.

69. Mentor-Mentee scheme launched in the year 2016 continued this year also for ensuring personalized special attention by a senior executive. It is extended to all new executives/executive trainees joining CSL. This collaboration gives junior executives, who are freshers, a feeling of engagement, belongingness and significant improvement in the inter and intra personal relationship in the organisation which lead to better retention.

70. CSL Star Board – a mobile application for executives was introduced in 2017 for the purpose of knowledge sharing. The objective of Star Board is to enable the executives to share their technical knowledge, latest technical information and to provide a platform for innovative minds on matters related to their profession/work. Star Board will promote knowledge sharing culture in CSL, which is essential for the existence and success of any business. This platform has provisions for sharing of both explicit knowledge and tacit knowledge.

Professional Assessments

71. Through an elaborate competency mapping exercise, four cultural competencies namely teaming, execution excellence, constraint breaking and continuous learning have been identified for CSL. These cultural competencies have been incorporated in all HR sub systems like recruitment, training, performance management, career development etc.

72. To assess the competencies of executives in CSL vis-à-vis the required competencies, M/s. Korn Ferry Hay Group, a leading HR consultancy organisation in Asia had conducted executives' Assessment Development Centre (ADC). They had assessed the strengths and areas for development of the executives using various assessment tools and prepared detailed IDP. The ADC was beneficial to CSL as it provided right direction for planning HR interventions.

People Capability Maturity Model (PCMM)

73. In the year 2018, the Company commenced activities for obtaining a level 3 PCMM certification. As part of implementation of PCMM, conscious and collective efforts are being undertaken by the Executives in HR department in formulation of various policies and bringing in improvements in existing HR procedures and practices.

74. PCMM is a maturity framework that focuses on continuously improving the management and development of the human assets of an organisation. The PCMM helps organisations characterize the maturity of their workforce

practices, establish a programme of continuous workforce development, set priorities for improvement actions, integrate workforce development with process improvement and establish a culture of excellence. The PCMM consists of five maturity levels; Level 1 to Level 5. Each maturity level is a well-defined evolutionary plateau that institutionalizes new capabilities for developing the organisation's workforce. Unlike other HR models, PCMM requires that key functions/ process areas, improvements, interventions, policies, procedures and practices are institutionalized across the organisation, irrespective of function or level. Therefore, all improvements have to percolate throughout the organisation to ensure emphasis on a participatory culture embodied in a team-based environment and encouraging individual innovation and creativity.

75. A preparatory workshop for PCMM Maturity Level 3 implementation was held on March 15 and 16, 2022 for HR business partners and selected executives from HR and ISD. The workshop was attended by 35 executives.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

76. Cochin Shipyard has been strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. The Company has appointed a liaison officer for SC/ST/PwBD/ Ex-Servicemen and a separate liaison officer for OBCs and EWSs to oversee the implementation of reservation policies. Reservation percentage is ensured through the maintenance of post-based roster system as prescribed by the Government of India.

Representation of SC/ST/OBC/EWS Employees

77. The representation of SC, ST, OBC and EWS employees in various groups of posts as on March 31, 2022 is given below:

Category	CSL's Total Strength	SC	ST	OBC	EWS
Group A	362	48	16	93	-
Group B	114	16	10	28	1
Group C	1116	152	12	533	1
Group D	164	21	6	86	-
Total	1756	237	44	740	2

Representation of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority Employees

78. The representation of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority employees in various groups of posts as on March 31, 2022 is given below:

Category	CSL's Total Strength	PwBD	Minority
Group A	362	8	99
Group B	114	5	26
Group C	1116	34	271
Group D	164	9	54
Total	1756	56	450

Provision for Safeguard of Women

79. The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act) and Rules framed thereunder are strictly complied with. An Internal Complaints Committee has been constituted in accordance with the Act chaired by a senior woman executive. The Committee has received one complaint relating to an indecent graffiti and orders were issued to resolve the same.
80. CSL has a woman Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company.
81. CSL has commemorated the 8th anniversary of POSH Act on December 09, 2021 by organizing a grand ceremony wherein a workshop on POSH Act was also conducted along with various other competitions.

Integrated Management System (IMS)

82. Cochin Shipyard maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards. It is proposed to implement quality management systems in all the ancillary units of CSL in the forthcoming years.

Facility Upgrade and Capital Expenditure

83. The total capital expenditure incurred in 2021-22 amounted to ₹227.81 Crores. This related to modernization and expansion, renewals and replacements, new dry-dock, ISRF CMSRU, CKSRU, CANSRU etc.

Implementation of Official Language Policy

84. In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, Government of India have notified, in the Gazette of India, that 80% of ministerial staff of the Company have acquired working knowledge/ proficiency in Hindi.
85. With the aim of giving more propagation to the various activities related to official language implementation, a webpage for 'Official Language' was created in the website of the Company. It mainly include detailed information about the Official Language Policy, Rules, Act and Annual Programme of the Government of India and various programme reports organized from time to time in connection with the implementation of official language & spoken Hindi training etc. This is a significant step towards the promotion of official language.
86. In order to present the language in a comprehensive scenario for knowledge enrichment, not limited to official work, as well as to make it public friendly, CSL has started the initiative to prepare a video in Hindi language related to every major public event from the month of April, 2021. At the outset, a video of Ambedkar Jayanti (April 14, 2021), May Day/ Labour Day (May 01, 2021) and Independence Day (August 15, 2021) were prepared in Hindi and forwarded to the official groups of CSL.
87. The 26th half-yearly meeting of Kochi TOLIC was conducted online in the month of May, 2021. During this meeting, various official language activities and QPR reports of various offices were reviewed. Appreciation was received from Kochi TOLIC for all the efforts taken by Cochin Shipyard towards the promotion of official language.
88. Various competitions in Hindi were organized in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2021 for employees, trainees and employees on contract of CSL via online and offline mode. Badges were distributed among all the employees on the occasion of Hindi Diwas and Rajbhasha Pledge was administered by the heads of departments in all departments of CSL and in other units. Quiz, calligraphy, what picture says, passage reading, administrative terminology, Hindi typing, memory test, Hindi film songs (separate for women and men), essay writing and Hindi poem writing were organized in this regard. Thirteenth issue of Hindi house journal, 'Sagar Ratna' was released on the valedictory function of Hindi fortnight celebrations.
89. As a special programme in connection with Hindi Fortnight Celebrations, patriotic song for family members of

employees, speech competition for children of employees and online debate competition for the post graduate Hindi students of University of Kerala were also organized.

90. Cochin Shipyard Limited organized a career development webinar on January 10, 2022 as part of World Hindi Day Celebrations. The webinar was formally inaugurated by Shri Subash A K, General Manager (HR), CSL. The webinar was conducted in two full sessions, the first session was based on the technological advancements in the field of Hindi language which was handled by Shri K Anil Kumar, Chief Manager (Rajbhasha), SBI, Thiruvananthapuram. The second session was based on career development related to Hindi sector handled by Shri Ramesh O, Manager (Rajbhasha), HOCL, Kochi.
91. Noting and drafting training in person has been started for junior commercial level employees. A total of 12 employees are included in the first batch. Classes will be held for two days a week for one hour for the entire two months.
92. In order to create awareness regarding the implementation of official language among all the officers and supervisors, the module related to official language was uploaded in Novex along with the questionnaire.
93. Four Hindi workshops and four Official Language Implementation Committee meetings (OLIC) were conducted regularly during the year.
94. During the academic year 2021-22, cash incentives for children of employees for obtaining high marks in Hindi in 10th Standard, were awarded to 20 children. 24 employees were also awarded cash incentives for the implementation of Hindi language.

Particulars of Employees and Related Disclosures

95. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, government companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

96. Details are placed at **Annexure I**. The Company's major initiative in the conservation of energy was installation of solar panels on the rooftop of various buildings inside CSL premises. The programme commenced in the year 2013-14. As of March 31, 2022, solar power plant having capacity of 1622 kWp has been commissioned in CSL.

Risk Management

- 97. CSL has constituted a Board level Risk Management Committee (RMC) in line with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for an overall review of the corporate risks. CSL has adopted a comprehensive Risk Management Policy at the 214th meeting of the Board of Directors held on September 16, 2014. The Company's risk management policy aims to put in place a comprehensive risk management system consisting of a defined process of risk management and methodology of identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks. The policy provides the management and Board of Directors an assurance that key risks are being properly identified and effectively managed.
- 98. As per the policy, CSL Board at the helm will review the risk management system in CSL. The Board shall discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives has been entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, the Company has functional Risk Management Committees and Board Level Risk Management Committees to implement the policy in CSL. The Risk Management Committees and the Board of Directors periodically review the risk management process and policy. The Yard's product mix comprising of defense and commercial shipbuilding and ship repair gives the Company a natural hedge against market risk.

Research and Development (R&D) Activities

- 99. R&D policy of CSL is to enhance the Company's pre-eminence in shipbuilding, ship repair and other chosen fields and products through research and development. In-house R&D activities have been undertaken during the year 2021-22 mainly in the areas of welding procedure development and qualification of welders. Weld procedures were developed for welding of Aluminium plates (5083 grade H116) and High strength low alloy steel (DMR 249 Gr A) plates as below.
 - (a) Capability building of welding of Aluminium plates with Double pulsed Metal Inert Gas and development of the weld procedures is of paramount importance to the Yard. In the above context weld procedure specifications have been prepared and welders were qualified to weld up to 40 mm thick plates in 4G & 1G weld positions, 3 to 24 mm thick plates in 3G position and 3 to 12 mm plates in 2G position. These new processes save considerable amount of man hour and

effort. The procedures have been validated by DNV Classification Society.

- (b) Weld procedure were developed and welders were qualified for welding DMR 249 Gr A plates of 4 mm and 5 mm thickness in 4G and 2G positions using Flux Cored Arc Welding (FCAW) process and Submersible Arc Welding (SAW) process. The procedures have been validated by DNV Classification Society and Indian Navy.

Health, Safety & Environment (HSE)



- 100. Cochin Shipyard Limited believes in instilling the principles of safety management in all of its stakeholders, including employees, contractors, customers, and communities, with the utmost concern and commitment to Health and Safety. Various initiatives were undertaken to inculcate safety culture and incorporate safe practices to the workforce including contractor personnel working in all CSL campus.
- 101. All the legal requirements pertaining to HSE matters are complied with and reports are submitted to the respective enforcement bodies under respective authorities in State and Central Government.
- 102. To empower safety awareness among CSL employees, apart from mandatory safety induction training, CSL also provided safety awareness training to its officers, supervisors, and contractor representatives even during the pandemic era by exploring the endless opportunities via its online training platform 'Novex'. On top of this, to elevate the safety training to an interactive learning experience, CSL is about to introduce Virtual Reality (VR) based confined space safety training which enables the user to get a real feel of a work scenario.
- 103. Various provisions and programs are implemented on site to ensure seamless and effort free reporting of HSE observations, near misses, and suggestions from the working population including the contract workmen. The most highlighted way is reporting online through 'Rudder Application'. Also, to handle critical near misses a 24 hours live hotline number is provided.
- 104. For acclimatising with the ISO 45001:2018 and to adopt its requirement of demonstrative HSE leadership and participative & consultative mechanism, CSL implemented HSE Governance system in 2020. Post implementation, performance of each department conglomerated the perspective of safety both from the higher management and the site team by ensuring the active participation and consultation from the CSL workforce which enables the Company to reach up a remarkable achievement of 43 percentage enhancement in the organisational safety

index as compared to the previous year's performance.

- 105. CSL began evaluating and monitoring its subcontractors to meet the requirements of ISO 45001:2018. Several town hall sessions were conducted to the selected subcontractors to bring awareness on HSE systems to meet CSL standards. An HSE plan is prepared by each vendor and approved by CSL. All selected contractors are evaluated using a four-tier evaluation methodology, which includes HSE self-evaluation, site audit, HSE monthly reports, and HSE violations, and a combined score is calculated. The subcontractors are rated as 5 star, 4 star, 3 star, and blossom star based on the scores secured in the process.
- 106. CSL has evolved a methodology for monitoring the safety systems in other units of CSL viz., CMSRU, CKSRU & CANSRU and its subsidiaries viz., HCSL and UCSL. The units and subsidiaries are benchmarked with the help of a self-evaluation questionnaire and cross audit conducted by CSL Corporate safety team. This helps each CSL units and subsidiaries to build up a superior safety culture by exploring plethora of self-improvement opportunities.
- 107. For implementing the HSE requirements mentioned in the shipbuilding and ship repair HSE plan, emergency
- 110. HSE Performance review for the financial year is given in the graph below:

preparedness plan shall be signed off by the department head for all the shipbuilding and ship repair projects. This plan consists of all HSE requirements pertaining to that project and persons responsible for the implementation and upkeep of the same.

- 108. CSL have won several awards for best safety management system during the year 2021-22, as given below:
 - i. Outstanding Safety Performance Award 2021 in the category of very large engineering industries in the state level competitions, conducted by Department of Factories & Boilers;
 - ii. Sreshta Suraksha Puraskar for outstanding safety performance in the category of very large engineering industries in the state level competitions conducted by National Safety Council; and
 - iii. CII SR EHS excellence awards in the EHS engagement in work force category.
- 109. CSL has also bagged second prize in Table top Mock drill in the group event for industrial employees conducted by National Safety Council on the occasion of 51st National Safety Week Celebrations, 2022.



Industrial security

111. Cochin Shipyard Limited is a vital organisation with national importance and is classified as special security zone by both State and Central Government and the security of establishment has got national importance. The primary security of the establishment is entrusted with Central Industrial Security Force (CISF) unit comprising of 130 CISF personnel under the command of Dy. Commandant, CISF. Overall security of the Company continued to be robust without causing any serious security concern during the year. All security systems and measures introduced and installed in the Company are of international standards. Periodic joint survey was conducted by the Company along with CISF. Twenty-four hours waterfront patrolling with armed personnel and wireless surveillance (CCTV) system covering all critical locations and installations are in place. The periodic mock drill exercises are conducted in coordination with Intelligence Bureau, State Police, State Fire Department, Bomb Squad and Navy to assess the readiness of CISF force to counter any security threat, security breach, crisis or calamities.

112. CISF is carrying out their security surveillance and duties with security gadgets which includes biometric access control system, X-ray baggage scanner, door frame metal detectors, hand held metal detectors, breath analysers, vehicle patrolling, boat patrolling and foot patrolling etc. The upgradation of security gadgets is being taken up as per the technical survey of CISF to bring modern security gadgets to enhance the existing security system and facilitate the CISF a foolproof frisking mechanism at all gates.

113. Special security attention is being accorded to the Indigenous Aircraft Carrier (IAC) with an exclusive security arrangement provided apart from the overall security arrangement of the establishment. The security of IAC was taken up at the highest levels of CISF and an additional contingent of 46 CISF security personnel on IS Duty have been posted exclusively for IAC under the command of Asst. Commandant.

114. The security strength and requirements of additional security enhancements are periodically monitored by the Head Quarters of CISF through technical resurvey for security gadgets and resurvey for manpower augmentations. The proposal for augmentation of strength of CISF, CSL Unit from the present strength of 130 CISF personnel to 220 personnel have been approved by the Ministry of Home Affairs, Government of India with creation of a net additional 96 posts. The deployment procedures are underway.

115. The entry to the ship is strictly controlled using access cards thus keeping track of the number of personnel working

onboard at any given point of time. The additional security gadgets including CCTV surveillance, biometric access system, DDS, boat patrolling etc., have also been arranged for safeguarding and avoiding any imminent threat for the ship. In order to enhance the security, purchase of a new patrol boat is under consideration.

116. The entry to the Yard is effectively controlled via access control systems including biometric embedded turnstile gates, X-ray baggage machines, DFMD etc. A full-fledged visitor's facilitation center is operated for scrutiny and verification of the credentials of the visitors to the Company. X-ray baggage scanning systems have been installed at the Main entry gate and contractors' workmen entry gate of the Company. All the entry passes issued are photo-based entry passes.

117. During the year 2021-22, the Yard has proposed to implement an integrated security system, upgrading the existing systems. The project is being carried out through Bharat Electronics Limited (BEL), Bangalore. The project envisages introduction of comprehensive security architecture involving complete CCTV surveillance of the perimeter, waterfront and inside the Yard, ESPF system, visitor's management and ANPR etc.

118. The monitoring of visitors, materials and vehicles movement in the Company are done through an integrated ERP module of visitor's management system which ensures effective and vigilant monitoring of materials movement into and out of the Company. As part of the proposed integrated security system, a GPS based tracking tag for the visitors and RFID tagged pass system are also being implemented, thus to keep track of the movements of the visitors within the Yard. Additionally, the Yard has proposed for implementation of Aadhaar verification of all visitors and Contractors' workmen before issue of entry pass. The project is being implemented in association with CDAC – Mumbai. The procedures for implementation of the project is under final approval from the Government of India.

119. CSL has also engaged DGR sponsored ex-servicemen security agency for supplementing existing forces mainly catering to external properties of CSL and also internal specific locations, comprising of 98 personnel.

Awards and Recognitions

120. During the financial year 2021-22 CSL received the following awards:

- (a) Outstanding Safety Performance Award 2021 in the category of very large engineering industries in the state level competitions, conducted by Department of Factories & Boilers;

- (b) Sreshta Suraksha Puraskar 2022 for outstanding safety performance in the category of very large engineering industries in the state level competitions, conducted by National Safety Council;

- (c) CII SR EHS Excellence Awards 2021 in the EHS engagement in work force category;

- (d) "Rajbhasha Kirti Puraskar" for the best Hindi Implementation among the "C" Region from Govt. of India. CSL is the one and only company all over Kerala to win this prestigious award;

- (e) CSR leadership award 2021 instituted by "World CSR Day";

- (f) Second Prize in table top mock drill in the group event for industrial employees conducted by National Safety Council on the occasion of 51st National Safety Week Celebrations 2022;

- (g) Second Prize for the Hindi Home Magazine "Sagar Ratna" from Kochi TOLIC (PSUs) for the year 2020; and

- (h) FACT MKK Nayar Memorial Productivity Award 2019-20 for Best Productivity Performance in Industry Category I (Turnover Above ₹750 Crores).

124. Details of changes in Key Managerial Persons during the financial year 2021-22 are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
1	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman & Managing Director	January 01, 2016	Continuing	No Change
2	Shri Suresh Babu N V*	07482491	Director (Operations)	April 26, 2016	April 30, 2021	Superannuation
3	Shri Bejoy Bhasker**	08103825	Director (Technical) Director (Finance)	April 05, 2018	Continuing	No Change
4	Shri Jose V J	08444440	Chief Financial Officer	August 01, 2019	Continuing	No Change
5	Shri Syamkamal N	N.A.	Company Secretary & Compliance Officer	August 13, 2019	Continuing	No Change
				February 01, 2020		

* MoPSW, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2020-CSL dated February 26, 2021 extended the tenure of Shri Suresh Babu N V, Director (Operations), CSL, with effect from April 26, 2021 till April 30, 2021, i.e. up to the date of his superannuation. Consequently, he retired on superannuation from the services of the Company on April 30, 2021.

** Shri Bejoy Bhasker, whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company at the 49th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 29, 2021.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

121. As on March 31, 2022 the Board of CSL comprises of 11 directors consisting of a Chairman & Managing Director, 2 Whole Time Directors, 2 Official Part Time (Nominee) Directors, one each from Government of India and Government of Kerala and 6 Non-official (Independent) Directors.

122. Shri Suresh Babu N V (DIN:07482491), Director (Operations) retired on superannuation from the services of the Company on April 30, 2021. Shri Sreejith K Narayanan, Chief General Manager (Ship Repair) has been recommended as the next Director (Operations) of CSL by the Public Enterprises Selection Board and the appointment is awaited.

123. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, vide letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, appointed Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Shri Prithviraj Harichandan (DIN: 01351097), Shri Venkatesan M (DIN: 07667728) and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) as the Non-official (Independent) Directors of CSL for a period of three years with effect from November 22, 2022.

Declaration and Meeting of Independent Directors

125. During the financial year 2021-22, the Company has received declarations from all the Independent Directors of the Company confirming that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013. A separate meeting of Independent Directors was held during the financial year on March 16, 2022 which was attended by all the Independent Directors of the Company.

Details of Board Meetings held during 2021-22

126. Five Board Meetings were held during the year 2021-22 and the gap between two meetings did not exceed the statutory period. The dates on which the Board Meetings were held are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	June 11, 2021	5	5
2	August 10, 2021	5	5
3	November 11, 2021	5	4
4	February 10, 2022	11	10
5	March 16, 2022	11	10

127. For more details with respect to the Directors, Board and Committee meetings held during the year and attendance of these meetings, refer Corporate Governance Report which forms part of Directors' Report.

Remuneration Policy/Evaluation of Board's Performance

128. Cochin Shipyard is a Government of India company under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Presently, the Directors of the Company are presidential appointees and their remuneration is fixed in accordance with the DPE guidelines. Accordingly, Article 21(a) of the Articles of Association of CSL states that, President will appoint Directors and determine their remuneration. Since, the Board level appointments are made by President of India, the evaluation of performance of such appointees is also done by the Government of India. The Independent Directors evaluated the performance of the Board as a whole in a separate meeting of Independent Directors held on March 16, 2022.

Report of the Nomination & Remuneration Committee on Company's Policy on Directors' Remuneration

129. Presently, the remuneration of Board level appointees is determined in accordance with DPE guidelines. CSL at its 228th Board meeting held on December 14, 2016 adopted the Nomination and Remuneration Policy in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013. CSL in its 241st Board meeting held on May 24, 2018 and further in its 245th Board meeting held on October 31, 2018 amended the Policy. The Policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Directors Responsibility Statement

130. Your Directors state that:

- in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2022, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;
- the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022 and of the profit of the Company for the year ended on that date;
- the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;
- the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and
- the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Contracts and arrangements with related parties

131. During the year, the Company had not entered into any contract/ arrangement/ transaction with related parties which could be considered material. Your Directors draw attention of the members to Note 49 to the standalone financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24. Further, Form AOC-2 has been placed at **Annexure II** as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013.

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee (CSR & SD Committee)

132. The immediate past Independent Directors of CSL vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Therefore, due to the non-appointment of Independent Directors by the Govt. of India, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020 till December 19, 2021. In the absence of CSR & SD Committee, CSR proposals were considered directly by the Board based on the recommendations of below Board level CSR Executive Committee.

133. However, CSR & SD Committee was re-constituted with effect from December 20, 2021, on account of appointment of Independent Directors on the Board of the Company. As on March 31, 2022, the Committee comprises of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.

134. The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee has formulated and recommended to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Company, which has been approved by the Board. The CSR Policy can be accessed on the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

135. Cochin Shipyard started CSR activities in the year 2010-11 based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) applicable to Government Companies. CSL has put in place an effective CSR Policy and implementation machinery. The CSR implementation machinery consists of three tier system; Tier I CSL Board, Tier II CSL Board Level CSR Committee consisting of four

members of the Board, chaired by an Independent Director and Tier III CSL CSR Executive Committee consisting of senior level executives across various departments of the Company.

136. During the year 2021-22, the Company could engage in meaningful CSR initiatives that received appreciation both within Kerala and also nationally.

137. The Company has spent ₹16.19 Crores against the target mandatory CSR spending of ₹16.17 Crores for the financial year 2021-22. "Health & Nutrition, with special focus on COVID related measures including setting up makeshift hospitals and temporary COVID care facilities" has been adopted as common theme for undertaking CSR activities by CSL for the year 2021-22.

138. The Annual Report on CSR activities is placed at **Annexure III**.

Audit Committee

139. As on March 31, 2022, the Audit Committee of CSL comprises of Shri Prithviraj Harichandan (DIN: 01351097), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as members. The immediate past Independent Directors of CSL vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Therefore, due to the non-appointment of Independent Directors by the Govt. of India, CSL could not re-constitute the Audit Committee with effect from July 15, 2020 till December 19, 2021. The Audit Committee was re-constituted on December 20, 2021, on account of appointment of Independent Directors on the Board of the Company. All recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of Directors. Particulars regarding the Audit Committee are provided under the section 'Board Committees' in the Report on Corporate Governance.

Corporate Governance

140. The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance and has put in place an effective corporate governance system. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, subject to the below.

141. During the year, the post of six Independent Directors including a Woman Director remained vacant up to November 2021 and consequently there were no statutory Committees. CSL being a government company, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company had provided necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the post of Independent Directors including a Woman Director. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021 appointed six Independent Directors including a Woman Independent Director on the Board of CSL. Subsequently, the statutory Committees were re-constituted with effect from December 20, 2021. Further, the Company also submits its progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Management Discussion and Analysis

142. A separate section 'Management Discussion and Analysis Report' has been included in the Annual Report and the same forms part of the Directors' Report.

Internal Financial Controls

143. The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the financial year 2021-22, the Company had engaged M/s. Varma & Varma, Chartered Accountants for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

144. In order to provide for functional autonomy, the Company has a system wherein financial powers of the Board of Directors are delegated to the CMD. These powers are further sub-delegated to officers at various levels for smooth and efficient day to day functioning. An independent internal audit mechanism is in place for conducting extensive audit of various operational and financial matters. C&AG conducts proprietary audit.

145. During the year 2021-22, the Board of Directors/ Audit Committee examined internal/ statutory audit observations and provided guidance based on the same. The Board of Directors/ Audit Committee also looked into the internal control system, Company procedures and internal audit

performance and reports. The Company has implemented an integrated ERP System (SAP) since July 2014 and upgraded the same to the latest version S/4HANA from April 2022, which is enabling better management control. SAP audit was conducted by M/s. KPMG for assessment and improvement of SAP utilisations.

146. Being a frontrunner in adapting to and leveraging digital technology for optimizing its procedures and operations, CSL had taken another step further in this direction by introducing Legatrix in 2018, a digitally enabled legal and regulatory compliance and support service interface. CSL is the first shipping sector PSU to implement this novel system for streamlining its legal and regulatory compliance requirement.

Statutory Auditors

147. M/s. Elias George & Co. (Firm Registration No. 000801S), Chartered Accountants, Ernakulam were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2021-22. The shareholders have delegated the power to fix the remuneration of Statutory Auditors to the Board and accordingly, the same has been fixed by the Board.

Auditors Report

148. M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors have submitted their report on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022, on May 20, 2022. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

149. The comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Cost Auditors

150. The Company maintains cost records with respect to its shipbuilding activities as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013. The Board has appointed M/s. BBS & Associates, (Firm Registration No. 00273), Cost Accountants, Kochi, as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2021-22. The remuneration of Cost Auditor for the financial year 2021-22 was ratified by the shareholders at the 49th AGM held on September 29, 2021.

Secretarial Auditor

151. The Board has appointed M/s. Mehta & Mehta, Practicing Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2021-22. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2022 is placed at **Annexure IV**.

152. The Secretarial Auditors in their Report observed the following viz., non-compliance with respect to the Minimum Public Shareholding (MPS) requirements, non-appointment of Independent Directors including a Woman Director on the Board of CSL and the consequent non-compliances including, non-constitution of statutory committees namely Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Risk Management Committee and Corporate Social Responsibility Committee. Further, the details with respect to the fines imposed by the stock exchanges viz., BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE") on account of the said non-compliances have also been included in the Secretarial Audit Report.

153. The explanation of the Board to the observations in the Secretarial Audit Report is given below:

As per Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India through the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). The MoPSW vide their letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, appointed six Independent Directors including one Woman Director on the Board of CSL for a period of three years from November 22, 2021. Subsequently, all the statutory Committees were re-constituted with effect from December 20, 2021.

With respect to the non-compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) requirements, the Company is already having 27.14% public shareholding. However, the SEBI's observation was that the attainment of MPS as above was not through the methods of disinvestments notified by SEBI.

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules 1961, all matters relating to Management of Central Government investments in equity (including disinvestment of equity in CPSEs) are vested in Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance. The power to sell the equity shares of the Promoter to attain the MPS is vested in the Department of

Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance.

The Company vide its letter no. SEC/395/2018-II dated July 20, 2020 had intimated the requirement of achieving the Minimum Public Shareholding (MPS) in the manner prescribed by SEBI to the Administrative Ministry and DIPAM and a follow up letter was also forwarded on July 09, 2021, December 01, 2021 and March 15, 2022.

CSL has made representations to the stock exchanges for waiver of fines imposed for the above non-compliances and the reply is awaited.

Internal Auditor

154. The Board has appointed M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2021-22.

Annual Return

155. The annual return of the Company as required under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55

Investor Services

156. The shares of the Company are listed in BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). CSL has paid listing fees to BSE and NSE on time. Link Intime India Private Limited are the Registrar & Transfer Agents in respect of these equity shares. The tax free bonds issued by the Company in 2013-14 are fully dematerialized with both the depositories, NSDL and CDSL. These bonds are listed on Wholesale Debt Market ("WDM") segment of BSE. CSL has paid the listing fees to BSE on time in respect of these bonds. Link Intime India Private Limited is the Registrar & Transfer Agents and SBICAP Trustee Company Limited is the Debenture Trustees in respect of these bonds.

Vigilance

157. The Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited performs various activities with regard to preventive and pro-active vigilance, undertakes investigation in cases related to punitive vigilance and conducts surveillance

and detection initiatives. Vigilance department strives to ensure transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important CVC guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. Emphasis was given to vigilance sensitization among the officers and supervisors for preventive vigilance.

158. Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited is headed by full-time Chief Vigilance Officer, Smt. S. Uma Venkatesan, IRS. The Department also includes Vigilance Officer Shri K. R. Venugopalan (DySP, Kerala Police, on Deputation), two officers of CSL and two supporting staff.

159. Various systemic improvements recommended by the Vigilance department were implemented by the management during the year. Chief Technical Examiner, CVC type inspections were carried out on select major woks/ procurements in Civil department and Ship Repair division and reports sent to Chief Technical Examiner, CVC. Various contracts and audit reports were monitored during the year.

160. Vigilance sensitization programmes during the Vigilance Awareness Week was observed in a befitting manner as directed by the Commission strictly in compliance with COVID-19 protocol. Training sessions were conducted for the officers of CSL in two batches on the subject "Preventive Vigilance" on October 27 and 28, 2021. Essay competitions, slogan competitions and drawing competitions were conducted for employees and wards of CSL through online mode.

161. Vigilance department monitored the selection process of candidates for certain posts. Further, Vigilance department has also conducted surprise/periodic inspections in various areas of operations and suggested corrective actions wherever necessary. All reports to the Central Vigilance Commission are submitted in time and no reference is pending with CVC.

Right to Information Act

162. In order to promote transparency and accountability, your Company has implemented the provisions of the Right to Information (RTI) Act, 2005 in its true letter and spirit and an appropriate mechanism has been set up in the Company with a dedicated centralised RTI Cell to provide information to the citizens under the provisions of this Act. All the RTI requests and the appeals received both online and offline during the year 2021-22 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Act.

163. There have been no instances of non-compliance by the Company. No penalties or strictures were imposed on the Company by any statutory authority during the last three years with respect to RTI.

Vigil Mechanism

164. The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy of CSL adopted by the Board of Directors at their 228th Meeting held on December 14, 2016 was functioning as the Vigil Mechanism of CSL. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of CSL is available at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

165. Nil.

Particulars of loans, guarantees or investments

166. During the year under Report, the Company has not

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013, except as stated below:

Name of the Company	Description of Investment	Amount (₹ Crores)
Hooghly Cochin Shipyard Limited	Unsecured Redeemable Non-Convertible Debentures	31.00
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Limited)	Unsecured Redeemable Non-Convertible Debentures	10.00

Material changes and commitments

167. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Details of change in nature of business

168. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under report.

Deposits

169. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Secretarial Standards

170. The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Significant and Material orders

171. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Business Responsibility Report

172. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility Report ("BR Report") as part of the Annual Report for top 1000 listed entities based on market capitalization vide Regulation 34(2)(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. SEBI has also prescribed

a format for BR Report. It also contains a list of nine key principles and various core elements under each principle to assess compliance with environmental, social and governance norms. The Company's BR Report for the year forms part of the Annual Report.

Acknowledgement

173. The Board of Directors are extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping and Waterways and all officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The Board would also like to express their grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of Kerala, Government of West Bengal, Government of Maharashtra, Andaman and Nicobar Administration, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Cost Auditors, Internal Auditors, Suppliers, Sub-contractors, Company's Bankers and our valued customers. The Board also places on record its appreciation for the contribution and support extended by all employees of Cochin Shipyard Limited and its subsidiaries. Your Directors express their appreciation and gratitude to all the shareholders/investors for the trust and confidence reposed in the Company and look forward to their continued support and participation in sustaining the growth of the Company in the coming years.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 24, 2022

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure I

A. Conservation of Energy

a. Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2021-22.	<p>Steps Taken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Replaced high pressure mercury vapour light fittings with energy efficient LED light fittings at various LLTT/Gantry Cranes; • Use of energy efficient BLDC/ 5 star fans instead of ordinary ceiling fans; • Provided VRF air-conditioning system at office buildings; • Leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines are regularly monitored and rectified; • Electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps; • Switching off Main Air Compressor during lunch break; • Switching off Main power supply to shops, quays, & docks momentarily at 12:00 Hrs. This trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break; • Displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power; and • Power factor is continuously monitored and maintained near unity. <p>Impact</p> <p>Energy saving is approx. 3.38 Lakhs units per annum with the implementation of measures specified above.</p>
b. Steps taken for utilizing alternate sources of energy.	<ul style="list-style-type: none"> • Installed a total of 58 kWp Grid connected solar power plant on the rooftop of CSL Employees' Quarters and Guest house in addition to the existing 1564 kWp grid connected solar power plant. With this the total installed capacity of solar power plants in CSL has become 1622 kWp; and • 18.53 Lakhs units of energy was generated from the solar power plants during the year 2021-22.
c. Capital investment on energy conservation equipments.	<ul style="list-style-type: none"> • An amount of approximately ₹38.93 Lakhs have been invested for implementation of energy conservation measures specified above.

B. Technology Absorption, Adaptation and Innovation

a. Efforts made towards technology absorption.	<ul style="list-style-type: none"> • Implemented Blender, an open source software tool, which is used to render high quality 3D renderings of Concept/ Basic Design projects. • External workshops/training provided in: <ul style="list-style-type: none"> • 6 Day online course organized by Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) on Hydrodynamics in Ship Design. The course consisted of wide range of topics including Resistance & Propulsion, Propeller Cavitation & Tests, Computational Fluid Dynamics in Ship Design, Seakeeping and Maneuvering; • Online training organized by Indian Register of Shipping (IRS) on Naval Architecture. The course consisted of topics such as ship stability, IMO regulations etc.; • Online training by OEM in ETAP software which is used for analyzing, managing and simulating marine vessels, off shore platforms and shipbuilding power systems; and • Online training by OEM in Fluid flow software which is used for pipe sizing and analysis. • In-house development of 3D model, functional drawings & production drawings for hull, machinery and electrical & accommodation systems for KMRL ferry, 8000 T Multi-purpose General cargo ship, FBOP, ASW corvette & Auto barge for M/s. ASKO were carried out; • Installation of 3DEXPERIENCE shipbuilding software has been completed. Implementation and deployment and testing of 3DEXPERIENCE shipbuilding software solutions for hull structure, electrical, machinery, piping, HVAC, accommodation outfit & project management are in progress; and • Performed structural analysis of KMRL Catamaran ferry during lifted conditions, using Simulia, Finite Element Analysis tool that was procured as part of 3DEXPERIENCE Platform.
b. Efforts made towards Technology Innovation.	<ul style="list-style-type: none"> • Development of NAPA software code for automatic generation of loading conditions and intact & damage stability criteria check of these loading conditions; • Development of Basic Design of tugs in collaboration with Robert Allan Ltd., a leading Canadian Design Firm, specialized in Tug Design; • Development of five standard designs for Tugs for IPA; • Development of three standard designs for Fishing vessels for GOI; • Developed concept design of 12m Autonomous Surface vessel as feasibility study project; • Developed working concept of Semi-Automatic Mooring System for implementation in Kochi Water Metro Project; • Developed concept design of Hydrogen powered fuel cell passenger ferry boat. Rating of fuel cell and bill of materials for the project were finalized with MoU partner M/s. KPIT Technologies; • Developed concept design for 3000 T Inland Cargo carrier for operation in NW1, NW2 and Indo Bangladesh protocol route; • Developed concept design of battery powered Ro-Ro vessel; • Developed concept design for 80 Pax River Cruise Vessel for operation in Ayodhya; • Developed concept design for Submersible Testing Platform; and • Implementation of IPMS software and hardware upgradation for INS Deepak through MoU partner M/s. Seastema, Italy.

Disclosure of particulars in respect of absorption

a. Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	<ul style="list-style-type: none"> Increased flexibility for performing design iterations for developing optimized products by having in-house software codes, FEA and CFD capability; Access to clientele and enhanced credibility on account of high quality design solutions; Enhanced competence in design by collaborating with specialized and leading firms; Capability achieved in undertaking multiple projects concurrently; and Reduction of rework, as interface of the systems can be viewed and corrected in 3D modelling on computer.
b. In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished.	
i. The details of technology imported	ETAP software for analysing, managing and simulating marine power systems.
ii. The year of import	2020-21
iii. Whether the technology been fully absorbed	Yes
iv. If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	N.A.
c. Expenditure incurred on Research and Development	Nil

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

	(₹ Lakhs)	
Earnings in Foreign Exchange	2021-22	2020-21
From Shipbuilding	2,137.88	6,588.02
From Ship repair	161.98	549.57
Total	2,299.86	7,137.59
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	40,090.43	60,779.14
Design & Documentation	189.51	132.63
Service Charge & Others	13,597.35	6,220.45
Total	53,877.29	67,132.22

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 24, 2022

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure II

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/agreements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a) Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b) Nature of contracts/arrangements/transactions	Nil
(c) Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Not Applicable
(f) Date(s) of approval by the Board	Not Applicable
(g) Amount paid as advances, if any	Not Applicable
(h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

(a) Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b) Nature of contracts/arrangements/transactions	Nil
(c) Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e) Date(s) of approval by the Board, if any	Not Applicable
(f) Amount paid as advances, if any	Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 24, 2022

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure III

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The CSR activities in the Company for the year 2021-22 were undertaken in line with the statutory provisions under the CSR Rules and the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs, the CSR Policy of the Company.

As per the CSR policy of the Company, for administrative convenience, the Company operates the projects under the categories of Minor projects, which are urgent in nature having value of ₹10 lakhs or less with the approval of Chairman & Managing Director, limited to 10% of total spend. All other projects were categorised as Major projects. 5% of the total spend is earmarked towards administrative overheads, which includes salary, expenditure on training and travel by CSR staff working in the Department.

Theme for the year: Towards creation of assets in line with national priorities/ needs of the society, as advised by the DPE, vide OM dated May 12, 2021, "Health & Nutrition, with special focus on COVID related measures including setting up makeshift hospitals and temporary COVID care facilities" has been adopted as common theme for undertaking CSR

activities by CSL for the year 2021-22. Also, priority has been extended to aspirational district of Wayanad.

2. Composition of CSR Committee

The Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board recommends the CSR projects from time to time for the approval of the Board. The immediate past Independent Directors of CSL vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Therefore, due to the non-appointment of Independent Directors by the Government of India, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020 till December 19, 2021. In the absence of CSR & SD Committee, CSR proposals were considered directly by the Board based on the recommendations of below Board level CSR Executive Committee. However, CSR & SD Committee was re-constituted with effect from December 20, 2021, on account of appointment of Independent Directors on the Board of the Company. The Composition of the CSR & SD Committee as on March 31, 2022 is given below:

Sl. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR & SD Committee	
			held during the year	attended during the year
1.	Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082)	Non-Official (Independent) Director - Chairman	1	1
2.	Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405)	Non-Official (Independent) Director - Member	1	1
3.	Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825)	Director (Technical) - Member	1	1
4.	Shri Jose V J (DIN: 08444440)	Director (Finance) - Member	1	1

3. Web-link where Composition of CSR & SD Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

Composition of CSR & SD Committee	https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/59
CSR Policy	https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68
CSR projects approved by the Board	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus

4. Details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014

Impact assessment of the "Project Ananthakripa" undertaken by M/s. Sevabharathi, Thiruvananthapuram in the year 2018-19 with the CSR support of CSL at a cost of ₹1.5 Crores is being carried out by the School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology.

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Particular	Amount available for set-off from preceding financial years (in ₹)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in ₹)
1.	2020-21	40.00 Lakhs	40.00 Lakhs

6. Average net profit of the Company as per section 135(5) of the Companies Act, 2013 ("Act")

: ₹80,846.25 Lakhs

7. (a) Two percent of average net profit of the Company as per section 135(5) of the Act : ₹1,616.93 Lakhs
 (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years : Nil
 (c) Amount required to be set off for the financial year, if any : ₹40.00 Lakhs
 (d) Total CSR obligation for the financial year (7a + 7b - 7c) : ₹1,576.93 Lakhs

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year

Total Amount Spent for the Financial Year (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
1,619.47 Lakhs	Nil	NA	NA	Nil	NA

- (b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year (List attached as **Annexure A**) : ₹718.21 Lakhs
 (c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year (List attached as **Annexure B**) : ₹821.94 Lakhs
 (d) Amount spent in Administrative Overheads : ₹79.32 Lakhs
 (e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Nil
 (f) Total amount spent for the financial year (8b + 8c + 8d + 8e) : ₹1,619.47 Lakhs
 (g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per section 135(5) of the Act*	1,576.93 Lakhs
(ii)	Total amount spent for the financial year	1,619.47 Lakhs
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii) - (i)]	42.54 Lakhs
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years as decided by the Board	40.00 Lakhs

*The CSR obligation for the financial year 2021-22 after adjusting the excess spent during the financial year 2020-21.

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)
				Name of the Fund	Amount (in ₹)	Date of transfer	
1.	2020-21	Nil	Nil	NA	Nil	NA	NA
2.	2019-20	Nil	Nil	NA	Nil	NA	NA
3.	2018-19	Nil	Nil	NA	Nil	NA	NA

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project duration	Total amount allocated for the project (in ₹)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in ₹)	Status of the project Completed /Ongoing	Status of the project Completed /Ongoing
Not Applicable								

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset wise details)

- (a) Date of creation or acquisition of capital asset(s) : Not Applicable
 (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset : Not Applicable
 (c) Details of entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address, etc. : Not Applicable
 (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset) : Not Applicable

11. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5) of the Act

Not Applicable

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Nahar Singh Maheshwari
Chairperson, CSR & SD Committee
DIN: 09419082

May 24, 2022

Annexure A

Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2021-22

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Project duration in yrs	Amount allocated for the project	Amount spent in the current financial year	Amount transferred to unspent CSR account for the project as per Sec. 135(6) of the Act	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration No
1	Support for Procuring of Medical Instruments/ Equipments for Running the Jijamata Primary Women Health Care and Diagnosis Centre at Sindhked Raja, Dist. Buldana, Maharashtra	Cl. (i) promoting health	No	Pan India	Pan India	2	200.00	180.00	Nil	N	Jijau Shrushti, Buldana District	NA
2	Support for Maintenance and Management of Subash Park Ernakulam and Koithara Park, Panampilly Nagar, Kochi	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Ernakulam	2	112.00	104.00	Nil	N	C-Head Kochi	CSR00022791
3	Support for Construction of Seva Nilayam Palliative Care Centre for Patients and Bystanders from Kottayam Medical College Hospital	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Kottayam	1	70.00	63.00	Nil	N	Seva Bharathi	CSR00011962
4	Support for Construction of new Dormitory block for destitute girls and women and hostels for women and orphans at Ananthabhavan Boarding Home at Sree Naryana Giri, Thottumukham, Aluva	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Ernakulam	1	60.00	54.00	Nil	N	Sri Narayana Sevika Samajam, Thottumugam, Aluva	CSR00008313
5	Support for Construction of Transit Shelter Home for Neglected Women and Children by Rugmini Smrithi Trust, Kadungallur, Aluva	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Ernakulam	1	70.00	35.00	Nil	N	Rugmini Smrithi Trust, Kadungallur	CSR00011313
6	Support for Construction of Class Rooms at Sri Sarada Girls Higher Secondary School, Puranattukara, Thrissur District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Thrissur	1	50.00	25.00	Nil	N	Shri Sharada Mutt, Puranattukara	CSR00005056
7	Support for Construction of 10 Rooms in the Ground Floor at Guardian Angel Peace Mission for Palliative Care, Nedumbassery, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	2	25.00	20.00	Nil	N	Guardian Angel Peace Mission Centre	CSR
8	Support for Construction of a Tribal Hostel (Manikanta Gurukulam) at Sabari Saranasramam, Koonamkara, Pathanamthitta District	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Pathanamthitta	2	25.00	20.00	Nil	N	Shabari Sharanashramam	NA

(₹ Lakhs)

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Project duration in yrs	Amount allocated for the project	Amount spent in the current financial year	Amount transferred to unspent CSR account for the project as per Sec. 135(6) of the Act	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration No
9	Support for Construction of Container Toilet at Queens Walkway, Kochi	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Ernakulam	3	26.00	17.70	Nil	N	CREDAI Clean City Movement	NA
10	Support for Setting up of Digital Library at Government Higher Secondary School, Mundery, Kannur District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Kannur	1	30.00	15.00	Nil	N	District Panchayat, Kannur	CSR00015937
11	Support for Incubation Grant to the Winners of the COVACKATHON, a Collaborative initiative of IIT, Palakkad	Cl.(ix) Contributions or Funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the Central Govt	No	Pan India	Pan India	1	25.00	15.00	Nil	N	TECHNIN, IIT, Palakkad	CSR00006228
12	Support for Procuring a Vehicle for Transportation of Differently Abled Children at Karuna Special School, Nayarambalam, Ernakulam District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Ernakulam	1	15.00	13.50	Nil	N	Karuna Special School	CSR00017944
13	Support for Construction of Gandhi Asram at Sarvodayakendram, Ramassery, Palakkad District	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Palakkad	1	25.00	12.50	Nil	N	Sarvodaya Kendram	CSR00015802
14	Support for Renovation and Completion of the Building Block' for 200 Mentally Challenged Residents at Divyaraksha Charitable Society, Mylacombu, Thodupuzha, Idukki District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	3	15.00	12.00	Nil	N	Divyaraksha Charitable Society	NA
15	Support for Procuring a Vehicle for Transporting People within the Tribal Settlements and outside for Health Care and Education Purpose by Sevabharathi, Thiruvananthapuram	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	1	13.00	11.70	Nil	N	Seva Bharathi	CSR00021253
16	Support for Construction of Waiting Area and Toilets at Government District Homeo Hospital, Palleppady, Kaloor, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	3	12.00	10.80	Nil	N	District Homeo Hospital	NA

(₹ Lakhs)

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Project duration in yrs	Amount allocated for the project	Amount spent in the current financial year	Amount transferred to unspent CSR account for the project as per Sec. 135(6) of the Act	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration No
17	Support for Upkeep and Maintenance of Revived Ponds under the Harithakeralam Project in Ernakulam District	Cl. Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Ernakulam	3	17.50	8.87	Nil	N	Haritha Keralam Mission	NA
18	Continued CSR Partnership for Welding for Nation Building- Don Bosco Technical Pvt. ITI, Vaduthala, Kochi	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	2	15.00	8.21	Nil	N	Don Bosco Tech	NA
19	Support for Skill Development Training for Tribal Students' at Wayanad Girijana Seva Trust, Mattiayam Post, Vellamunda (via),Wayanad District	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Wayanad - St	3	12.50	7.49	Nil	N	Wayanad Girijana Seva Trust	NA
20	Project Nari Shakti - Support for Sanitary Napkin Manufacturing Unit at District Jail, Kakkanaad	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	1	12.84	6.42	Nil	N	Buimerc India Foundation	CSR00020148
21	Support for Construction of Open Stage at Brahmanandodayam Higher Secondary School, Kalady, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1	10.25	5.13	Nil	N	Sri Ramakrishna Ashrama	CSR0002806

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Project duration in yrs	Amount allocated for the project	Amount spent in the current financial year	Amount transferred to unspent CSR account for the project as per Sec. 135(6) of the Act	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration No
22	Support for Distribution of Refrigerated Mobile Fish Vending Kiosks for Fisherwomen across Kerala by Central Institute of Fisheries Technology (CIFT)	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	2	17.00	6.80	Nil	N	ICAR-CIFT	NA
23	Support for Integrated Interventions for Addressing Poverty, Malnutrition & Educational Backwardness of Paniya Tribes in Wayanad by M S Swaminathan Research Foundation Wayanad	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Wayanad - St	3	15.00	6.00	Nil	N	M S Swaminathan Foundation	NA
24	Miyavaki Method Afforestation in a Vacant Plot near CSL Residential Quarters by Natures Green Guardian Foundation, Thiruvananthapuram	Cl. (iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of Flora and Fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water	Yes	Kerala	Ernakulam	3	15.00	3.61	Nil	N	Natures Green Guadian	NA
25	Projects of ₹10 Lakhs & below*	Various Schedule VII Activities	No	Pan India	Pan India	1-3	85.76	56.48	Nil	Both	Various implementing agencies and direct.	-
TOTAL							973.85	718.21	-			

*Multiple small scale CSR projects with an overall Project cost of ₹10 Lakhs & below have been clubbed together. The details of all CSR Projects including the small scale CSR Projects undertaken by the Company during the financial year 2021-22 is available at the Company's website at the link <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab6>

Annexure B

Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2021-22

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Amount spent for the project	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration No
1	Support for Covid Corona Vaccination	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	148.64	Y	Self	NA
2	Support for Distribution of Grocery Kit to Workers Engaged by Subcontractors in CSL during the pandemic	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	73.66	Y	Self	NA
3	Support for Construction of One Floor for Sports Hostel for Boys for Implementing Khelo India Scheme at Sree Durga Vilasam Higher Secondary School, Peramangalam, Thrissur District	Cl. (vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and olympic sports	Yes	Kerala	Thrissur	30.00	N	Shri Dirga Vilasam School, Peramangalam	CSR00023373
4	Support for Smart Class Rooms at Government Higher Secondary School, Munderi, Kannur District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Kannur	29.50	N	District Panchayat, Kannur	CSR00015937
5	Support for Construction of Seaworthy Marine Rescue Ambulance to Department of Fisheries, Government of Kerala	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Kerala	28.00	Y	Direct	NA
6	Academy of Magical Science Houses for Differently abled - setting up of performing centres for differently abled	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Trivandrum	25.00	N	Academy of Magical Sciences, Trivandrum	CSR00003855
7	Infrastructure Support for Oxygen Distribution Facility in Government Health Care Institutions in Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	25.00	N	National Health Mission, Ernakulam	NA

(₹ Lakhs)

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Amount spent for the project	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration No
8	Support for Construction of Jijamata Primary Women Health Care and Diagnosis Centre, Quarters and Procuring of Hospital Instruments/ Equipments including an Ambulance for the benefit of the People at Sindhed Raja, Dist Buldana, Maharashtra	Cl. (i) promoting health	No	Kerala	Maharashtra	24.12	N	Jijau Shrushti, Buldana District	NA
9	Support for Set up Four Anganwadi Projects at Wayanad District	Cl. (i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition	Yes	Kerala	Wayanad - St	23.35	N	District Nirmithi Kendra, Wayanad	NA
10	Support for Renovation of Park at Kumbalangi Grama Panchayat	Cl. (vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and olympic sports	Yes	Kerala	Ernakulam	22.70	N	Kumbalangi Grama Panchayat	NA
11	Support for Community Kitchen by Kochi Municipal Corporation	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	20.00	Y	Self	NA
12	Support for Re Construction of Library Building at Sri Ramakrishna Advaita Ashrama, Muvattupuzha	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Ernakulam	19.60	N	Sri Ramakrishna Ashrama	CSR00002806
13	Support for Procuring a Refrigerated Vaccine Delivery Vehicle to District Medical Office Wayanad	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Wayanad - St	19.34	Y	Direct	NA
14	Support for Constructing the Second Floor of Karunya Pain and Palliative Care Hospital, Parappur, Thrissur District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Thrissur	18.00	N	Karunya Pain and Palliative Care Society	NA
15	Support for Vypin Folklore Fest - creation of wall graffiti - in connection with Azadi ka Amrut Mahotsav - 75th year celebration of the country by DTPC, Ernakulam	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Ernakulam	18.00	N	District Tourism Promotion Council Ernakulam	CSR000023887

(₹ Lakhs)

Sl No	Name of the project	Item from the list of activities in Sch VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the project		Amount spent for the project	Mode of implementation - Direct (Y/N)	Mode of implementation through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration No
16	Support for Advanced Surgical Oncology Centre for Indira Gandhi Co Operative Hospital, Kadavanthra, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	17.50	N	Indian Gandhi Cooperative Society Hospital	CSR00003359
17	Support for Purchase of 50 Seater Marine Boat for Vivekananda Rock Memorial Trust, Kanyakumari, Tamil Nadu	Cl.(v) protection of national heritage, art and culture	No	Tamilnadu	Kanyakumari	17.00	N	Vivekananda Rock Memorial Trust	NA
18	Support for Construction of Relief and Rehabilitation Centre at Sri Ramakrishna Seva Asramam, Kaloor, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	15.00	N	Sri Ramakrishna Seva Ashram	NA
19	Projects of ₹10 Lakhs & below*	Various Schedule VII Activities	Yes	Kerala	Pan Kerala	247.53	Both	Various implementing agencies and direct.	-
TOTAL						821.94			

*Multiple small scale CSR projects worth ₹10 Lakhs & below have been clubbed together. The details of all CSR Projects including the small scale CSR Projects undertaken by the Company during the financial year 2021-22 is available at the Company's website at the link <https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab6>

Kochi
May 24, 2022

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure IV

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala- 682015

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our Opinion thereon.

Based on our verification of Cochin Shipyard Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Cochin Shipyard Limited ("the Company") for the financial year ended 31st March, 2022 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed there under;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct

Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowings (During the period under review not applicable to the Company)

- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations");
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2021; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (During the period under review not applicable to the company);
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021; (During the period under review not applicable to the Company)

- (h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (During the period under review not applicable to the Company)
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (During the period under review not applicable to the Company) and
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018; (During the period under review not applicable to the Company)
- (vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 ("CG Guidelines");
- (vii) Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. There was no Woman Director on the Board of Directors of the Company for the period from 01.04.2021 to 25.11.2021 as mandated under Regulation 17 (1) of SEBI (LODR) Regulations and Section 149 of the Act. However, Ms. Amrapali Salve was appointed as a Woman Director on the Board of Directors of the Company on the 26th of November, 2021.
2. There were no Independent Directors on the Board of Directors for the period from 01.04.2021 to 21.11.2021 as mandated under Section 149(4) of the Act, also as per clause 3.1 of Corporate Governance guidelines for CPSE and Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations. However, Six Independent Directors were appointed by the company for which details are as below.

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1	Prithviraj Harichandan	22.11.2021
2	Mani Venkatesan	22.11.2021
3	Ashok Kumar Sharma	26.11.2021
4	Amrapali Salve	26.11.2021
5	Nahar Singh Maheshwari	01.12.2021

Sl. No.	Name	Date of Appointment
6	Abhijit Biswas	01.12.2021

3. The minimum requirement of six directors as per Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations was not complied for a period from 01.05.2021 to 21.11.2021.
4. Quorum of at least one Independent Director as per Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations was not met in the Board Meetings held on 11.06.2021, 10.08.2021 and 11.11.2021 as there were no Independent Directors for the period 01.04.2021 to 21.11.2021.
5. The Company did not constitute an Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations; Section 177 of the Act; and Clause 4.1 of the CG Guidelines for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
6. The Company did not constitute the Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations; Section 178 of the Act; and Clause 5.1 of the CG Guidelines for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
7. The Company did not constitute the Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations and Section 178 of the Act for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
8. The Company did not constitute the Corporate Social Responsibility Committee as required under Section 135 of the Act for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
9. The Company did not constitute the Risk Management Committee as required under Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations for a period from 05.08.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
10. A Fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE") for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of SEBI (LODR) Regulations as follows:

BSE Quarter -1

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹) (Inclusive of GST)
17 (2A)	30-Jun-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-Jun-2021	5,000	91	5,36,900
18(1)	30-Jun-2021	2000	91	2,14,760
19(1)/ 19(2)	30-Jun-2021	2000	91	2,14,760
20(2)/ (2A)	30-Jun-2021	2000	91	2,14,760
Total				11,92,980

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

BSE Quarter-2

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹) (Inclusive of GST)
17 (2A)	30-Sep-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-Sep-2021	5,000	92	5,42,800
18(1)	30-Sep-2021	2000	92	2,17,120
19(1)/ 19(2)	30-Sep-2021	2000	92	2,17,120
20(2)/ (2A)	30-Sep-2021	2000	92	2,17,120
21(2)	30-Sep-2021	2000	57	1,34,520
Total				13,40,480

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

BSE Quarter-3

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹) (Inclusive of GST)
17 (2A)	31-Dec-2021	10,000	1	11,800
17(1)	31-Dec-2021	5,000	61	3,59,900
18(1)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
19(1)/ 19(2)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
20(2)/ (2A)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
21(2)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
Total				11,26,900

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

NSE- Quarter-1

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	30-Jun-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-Jun-2021	5,000	91	4,55,000
18(1)	30-Jun-2021	2000	91	1,82,000
19(1)/19(2)	30-Jun-2021	2000	91	1,82,000
20	30-Jun-2021	2000	91	1,82,000
Total (Inclusive of GST)				11,92,980

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

NSE- Quarter-2

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	30-Sep-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-Sep-2021	5,000	92	4,60,000
18(1)	30-Sep-2021	2000	92	1,84,000
19(1)/19(2)	30-Sep-2021	2000	92	1,84,000
20	30-Sep-2021	2000	92	1,84,000
21	30-Sep-2021	2000	57	1,14,000
Total (Inclusive of GST)				13,40,480

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

NSE- Quarter-3

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	31-Dec-2021	10,000	1	10,000
17(1)	31-Dec-2021	5,000	61	3,05,000
18(1)	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
19(1)/19(2)	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
20	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
21	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
Total (Inclusive of GST)				11,26,900

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

11. Subject to Regulation 38 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") a listed entity is required to comply with Minimum Public Shareholding as specified in Rule 19(2) and 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

The Company has not attained the Minimum Public Shareholding of 25% as required under Rule 19A of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 through the methods prescribed by the Securities and Exchange Board of India.

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules 1961, all matters relating to Management of Central Government investments in equity (including disinvestment of equity in CPSEs) are vested in Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance. The power to sell the equity shares of the Promoter to attain the MPS is vested in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance.

The Company vide its letter no. SEC/395/2018-II dated July 20, 2020 had intimated the requirement of achieving the Minimum Public Shareholding (MPS) in the manner prescribed by SEBI to the Administrative Ministry and DIPAM and a follow up letter was also forwarded on July 09, 2021, December 01, 2021 and March 15, 2022.

A Fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE") for Non-Compliance with respect to Minimum Public Shareholding requirements as follows:

BSE

Regulation	Quarter	Schedule of fine to be levied	Total Fine payable (inclusive of GST)
38	30-Jun-21	5000	536900
38	30-Sep-21	5000	542800
38	31-Dec-21	5000	613600
TOTAL			16,93,300

NSE

Regulation	Quarter	Fine amount per day (₹)	No. of days of Non-Compliance	Fine Amount (₹)
38	30-Jun-21	5000	91	455000
38	30-Sep-21	5000	92	460000
38	31-Dec-21	5000	80	400000
38	31-Dec-21	10,000	12	120000
Total Fine (Inclusive of 18%GST)				16,93,300

We further report that

Subject to the above, the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period have been reviewed and commented in this report.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the decisions were passed unanimously.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Company had the following specific events /actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, Standards, etc...

- The Members at the Annual General Meeting held on 29.09.2021 approved a final dividend of ₹2.5/- per equity share for the financial year 2020-21;
- The Board of Directors at their Meeting held on 11.11.2021 approved an interim dividend of ₹ 6/- per equity share; and
- The Board of Directors at their Meeting held on 10.02.2022 approved a 02nd interim dividend of ₹ 7/- per equity share.

For Mehta & Mehta,

Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner
PCS No: 5782
CP No: 2486

Place: Mumbai
Date: May 20, 2022
UDIN: F005782D000355131

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

ANNEXURE A

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala- 682015

Our report of even date is to be read with this letter:

- Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion in these secretarial records based on our audit.
- We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
- Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- The compliance of the provisions of corporate laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- As regard the books, papers, forms, reports and returns filed by the Company under the provisions referred to in point vi & vii of our Secretarial Audit Report in Form No. MR-3 the adherence and compliance to the requirements of the said regulations is the responsibility of management. Our examination was limited to checking the execution and timeliness of the filing of various forms, reports, returns and documents that need to be filed by the Company with various authorities under the said regulations. We have not verified the correctness and coverage of the contents of such forms, reports, returns and documents.
- The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Mehta & Mehta,

Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner
PCS No: 5782
CP No: 2486

Place: Mumbai
Date: May 20, 2022
UDIN: F005782D000355131

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 24, 2022

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Cochin Shipyard recognizes the importance of Corporate Governance to emerge as a model corporate. The Company has adopted policies and procedures which are aimed at effectively discharging its responsibilities to various stakeholders, viz., shareholders, creditors, customers, employees and society at large. CSL strongly believes that the Company can emerge as a strong global leader only by following good & sound Corporate Governance principles. The Company has been rated 'Excellent' in Corporate Governance practices as per the evaluation criteria prescribed by the Department of Public Enterprises consistently for the last several years.

Board of Directors

2. The Board of Directors of Cochin Shipyard Limited plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"). The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2022 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman & Managing Director
2.	Shri Suresh Babu N V*	07482491	Director (Operations)
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)
4.	Shri Jose V J	08444440	Director (Finance)
5.	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	00088957	Official Part Time (Nominee) Director, Government of India
6.	Shri Jyothilal K R IAS	01650017	Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala
7.	Smt. Amrapali Prashant Salve#	09415405	Non-official (Independent) Director
8.	Shri Nahar Singh Maheshwari#	09419082	Non-official (Independent) Director
9.	Shri Ashok Sharma#	09414565	Non-official (Independent) Director
10.	Shri Prithviraj Harichandan#	01351097	Non-official (Independent) Director
11.	Shri Venkatesan M#	07667728	Non-official (Independent) Director
12.	Shri Abhijit Biswas#	09419083	Non-official (Independent) Director

* The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, vide letter no. SY-11012/1/2020-CSL dated February 26, 2021 extended his tenure with effect from April 26, 2021 till April 30, 2021, i.e. up to the date of his superannuation. Consequently, he retired on superannuation from the services of the Company on April 30, 2021.

The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, appointed Smt. Amrapali Prashant Salve, Shri Nahar Singh Maheshwari, Shri Ashok Sharma, Shri Prithviraj Harichandan, Shri Venkatesan M and Shri Abhijit Biswas as the Non-official Independent Directors for a period of three years with effect from November 22, 2021. The profile of these Directors including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by these Directors are provided under the heading 'Other Directorships and Committee positions' below.

3. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
4. None of the Directors of the Company were members in more than ten committees or act as Chairperson of more than five committees across all listed entities in which he/she is a Director. None of the Independent Directors of the Company held Directorships in more than seven listed companies.

5. The Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, facilitates the participation of the Director in the Board/Committee meetings through electronic mode. The Directors viz., Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS, Shri Jyothilal K R IAS, Shri Bejoy Bhasker, Smt. Amrapali Prashant Salve, Shri Nahar Singh Maheshwari, Shri Ashok Sharma, Shri Prithviraj Harichandan, Shri Venkatesan M and Shri Abhijit Biswas have availed the facility during the financial year 2021-22.
6. The meetings of the Board of Directors and Committees have been conducted in the manner as specified in SEBI Listing Regulations and Companies Act, 2013.

Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM)

7. Five Board Meetings were held during the year under review. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and AGM are given below:

Name of Director	2021			2022		AGM Sep 29, 2021
	Jun 11	Aug 10	Nov 11	Feb 10	Mar 16	
Shri Madhu S Nair	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	Y*	Y*	N	N	N	N
Shri Jyothilal K R IAS	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*
Shri Suresh Babu N V	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Bejoy Bhasker	Y	Y*	Y	Y	Y	Y
Shri Jose V J	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Smt. Amrapali Prashant Salve	NA	NA	NA	Y	Y	NA
Shri Nahar Singh Maheshwari	NA	NA	NA	Y	Y	NA
Shri Ashok Sharma	NA	NA	NA	Y*	Y*	NA
Shri Prithviraj Harichandan	NA	NA	NA	Y*	Y*	NA
Shri Venkatesan M	NA	NA	NA	Y*	Y*	NA
Shri Abhijit Biswas	NA	NA	NA	Y*	Y*	NA

* attended through electronic mode

NA - Not applicable

Other Directorships and Committee positions

8. The total number of other Directorship(s) held by Directors and other positions of Membership/Chairmanship on Committees, as on March 31, 2022 are given below:

Name of the Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Madhu S Nair	2	2	-	-	-	-
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	-	1	-	-	-	-
Shri Jyothilal K R IAS	-	6	-	1	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	2	-	-	-	-
Shri Jose V J	-	2	-	-	-	-
Smt. Amrapali Prashant Salve	-	-	-	-	-	-
Shri Nahar Singh Maheshwari	-	-	-	-	-	-
Shri Ashok Sharma	-	-	-	-	-	-
Shri Prithviraj Harichandan	-	-	-	-	-	-
Shri Venkatesan M	-	-	-	-	-	-
Shri Abhijit Biswas	-	-	-	-	-	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships, Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

9. None of the Directors except the following hold any shares in the Company as on March 31, 2022:

Name of the Director	No. of Equity Shares Held
Shri Madhu S Nair	1400
Shri Bejoy Bhasker	510

Chart of skills/expertise/competence of the Board of Directors as on March 31, 2022

Sl. No.	Skills/Expertise/Competency	Shri Madhu S Nair	Shri Bejoy Bhasker	Shri Jose V J	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	Shri Jyothilal K R IAS	Smt. Amrapali Prashant Salve	Shri Nahar Singh Maheshwari	Shri Ashok Sharma	Shri Prithviraj Harichandan	Shri Venkatesan M	Shri Abhijit Biswas
1.	Ship building/repair Industry Experience	Y	Y	Y	Y	Y						
2.	Knowledge of Ship building/repair Sector	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Accounting knowledge	Y		Y					Y	Y		Y
4.	Financial/investment knowledge	Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y		Y
5.	Law			Y	Y	Y		Y		Y		
6.	Marketing experience	Y	Y	Y						Y		Y
7.	Information Technology	Y	Y	Y	Y					Y		
8.	Developing and implementing risk management systems	Y	Y	Y	Y	Y	Y					
9.	Human Resource Management experience	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Strategy/Corporate plan development and implementation	Y	Y	Y	Y	Y						
11.	Directorship experience in other listed companies											
12.	Directorship experience in unlisted companies	Y	Y	Y	Y	Y				Y	Y	
13.	Integrity and high ethical standards	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14.	Leadership skills	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15.	Social welfare orientation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16.	Experience in government relations	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Independent Directors

10. During the year, the post of six Independent Directors including a Woman Director remained vacant upto November 2021. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021 appointed six Independent Directors including a Woman Director on the Board of CSL for a period of three years or until further orders whichever is earlier. Presently, CSL is in compliance with the corporate governance requirements prescribed by SEBI and DPE.

11. Being a Central Public Sector Undertaking, the Independent Directors of the Company are appointed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, initially for a term of 3 years or until further orders whichever is earlier. The main terms of appointment can be accessed at <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>

12. Familiarization programme for Independent Directors generally form part of the Board process. The Independent Directors are updated on an ongoing basis at the Board/Committee meetings, inter alia, on the following:

- Nature of industry in which the Company operates;
- Business environment and operational model of various business divisions of the Company including important developments thereon; and
- Important changes in regulatory framework having impact on the Company.

13. Details of the familiarization programme for Independent Directors can be accessed at <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>

14. In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfilled the conditions specified in the SEBI Listing Regulations and were independent of the management during their term of appointment.

Meetings of Independent Directors

15. According to Schedule IV to the Companies Act, 2013 a separate meeting of the Independent Directors of the Company was held during the financial year 2021-22. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Mar 16, 2022
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	Y
2.	Shri Nahar Singh Maheshwari	Y
3.	Shri Ashok Sharma	Y*
4.	Shri Prithviraj Harichandan	Y*
5.	Shri Venkatesan M	Y*
6.	Shri Abhijit Biswas	Y*

* attended through electronic mode

Availability of information to the members of the Board

16. The Board has complete access to any information within the Company and to any employee of the Company. The Board welcomes the presence of executives in the Board meetings, who can provide additional insights into the issues being discussed in the meeting. The information normally required to be placed before the Board include the following:

- a) To make calls on shareholders in respect of money unpaid on shares.
- b) To authorize buy-back of securities.
- c) To issue securities including debentures, in India or abroad.

- d) To borrow monies.
- e) To invest funds of the Company.
- f) To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans.
- g) To approve financial statement and Board's Report.
- h) To diversify the business of the Company.
- i) To approve amalgamation, merger or reconstruction.
- j) To take over a company or acquire a controlling interest or substantial stake in another company.
- k) To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP).
- l) To appoint internal auditor and secretarial auditor.
- m) General notices of interest of Directors.
- n) Terms of reference of Board Committees.
- o) Minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board, resolutions passed by circulation and also the minutes of Board meetings of subsidiary companies.
- p) Annual operating plans of businesses, capital budgets and any updates.
- q) Quarterly results of the Company and its operating divisions or business segments.
- r) Declaration of dividend.
- s) Sale of investments, subsidiaries and assets which are material in nature and not in normal course of business.
- t) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by the management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- u) Internal audit findings and external audit reports (through the Audit Committee).
- v) Status of business risk exposures, its management and related action plans.
- w) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- x) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- y) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.

- z) All policy matters deliberated and introduced for implementation.
- aa) Any material default in financial obligations to and by the Company, or substantial non-payment for goods sold by the Company.
- bb) Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order, which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.
- cc) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- dd) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
- ee) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) etc.
- ff) Capital budgets and any updates.
- gg) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- hh) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.

Board material distributed in advance

17. Notice of each Board meeting and Committee meeting is sent to all the members not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting. The agenda notes for each Board/Committee meeting is drafted in consultation with the Chairman and are circulated to the Directors not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting with the concurrence of all Board/Committee members. All material information is incorporated in the agenda papers for facilitating meaningful and focused discussions at the meeting. Where it is not practicable to attach any document to the agenda, the same is tabled at the meeting with specific reference to the subject in the agenda. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s) on the agenda are permitted with the consent of all Directors present at the meeting.

18. CSL digitalised its meetings by introduction of a Board Management software viz., Doss Digital Meetings, which enables to securely create, distribute and manage meeting documents in digital format. It ensures that the Board and the Committee members get the communication at the right time and securely. This Board management software will streamline the entire meeting process right from the preparation of agenda papers till the finalisation of minutes of the meetings, which will in turn save time, effort & cost and improve governance.

Recording Minutes of proceedings at Board and Committee meeting

19. The Company Secretary records the minutes of the proceedings of each Board and Committee meetings. Draft minutes are circulated to all the members of the Board/Committee for their comments within fifteen days from the conclusion of the meeting. The final minutes are entered in the minutes book within 30 days from conclusion of the meeting.

Post Meeting Follow up Mechanism

20. The important decisions taken at the Board/Committee meetings are promptly communicated to the departments/divisions concerned. The status of implementation of major decisions are apprised to the Board/Committee in the ensuing meetings.

Compliance

21. The Company Secretary while preparing the agenda notes, minutes etc. of the meeting(s) is responsible for and is required to ensure adherence to all the applicable laws and regulations including the Companies Act, 2013 read with the Rules issued thereunder as also the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by the Government of India.

Board Committees

22. During the year, the post of six Independent Directors including a Woman Director remained vacant upto November 2021. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021 appointed six Independent Directors including a Woman Independent Director on the Board of CSL. Subsequently, the statutory Committees were reconstituted with effect from December 20, 2021.

23. During the financial year 2021-22, the Board of CSL had five statutory Committees viz., Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee.

Audit Committee

24. The Audit Committee of CSL was formed on August 21, 2008. Subsequent to the appointment of Independent Directors on the Board of the Company, Audit Committee was reconstituted with effect from December 20, 2021.

Terms of reference

25. The following are the terms of reference of the Audit Committee:
- Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
 - Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of our Company based on the order of Comptroller & Auditor General of India;
 - Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
 - Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - Disclosure of any related party transactions; and
 - Modified opinion(s) in the draft audit report.

- Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;
- Reviewing, with the management, the statement of uses/application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice and the report submitted by the monitoring agency, monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;
- Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- Approval or any subsequent modification of transactions of our Company with related parties;
- Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- Valuation of undertakings or assets of our Company, wherever it is necessary;
- Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
- Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
- Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;
- Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;

(xviii) To review the functioning of the whistle blower mechanism;

(xix) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;

(xx) Review the following information:

(a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;

(b) Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management;

(c) Management letters/letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;

(d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses;

(e) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee; and

(f) Statement of deviations:

(i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of the SEBI Listing Regulations;

(ii) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7) of the SEBI Listing Regulations;

(xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;

(xxii) Recommend the appointment, removal and fixing of remuneration of Cost Auditors and Secretarial Auditors;

(xxiii) Audit Committee shall also review the utilization of loans and/or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rupees 100 crores or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans /advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision;

(xxiv) Review of compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended, at least once in a financial year;

(xxv) Verify that the systems for internal control required to be maintained pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended are adequate and are operating effectively; and

(xxvi) Carrying out any other function as specified by the Board from time to time.

Powers of the Audit Committee

26. The Committee is entrusted with the following powers:

a) To investigate any activity within its terms of reference;

b) To seek information on and from any employee;

c) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors; and

d) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

27. The recommendations of the Audit Committee on any matter relating to the financial management, including the audit report, shall be binding on the Board.

28. If the Board does not accept the recommendations of the Audit Committee, it shall record the reasons thereof and communicate such reasons to the shareholders.

Constitution

29. As on March 31, 2022, the Audit Committee of CSL comprises of Shri Prithviraj Harichandan (DIN: 01351097), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) Non-official (Independent) Director as members.

30. Audit Committee meetings are also attended by Director (Finance), representatives of Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors of the Company as invitees. The Internal audit function has been outsourced to a firm of Chartered Accountants. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

Audit Committee meetings held during 2021-22 and attendance

31. The Committee met once during the year 2021-22. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	February 10, 2022
1.	Shri Prithviraj Harichandan	Y*
2.	Shri Ashok Sharma	Y*
3.	Shri Abhijit Biswas	Y*

* attended through electronic mode

Nomination & Remuneration Committee

32. The Nomination & Remuneration Committee of Cochin Shipyard Limited was constituted vide Circular Resolution adopted on December 13, 2008. Subsequent to the appointment of Independent Directors on the Board of the Company, Nomination & Remuneration Committee was re-constituted with effect from December 20, 2021.

Terms of reference

33. Following are the terms of reference of the Nomination & Remuneration Committee:

(a) Decide on the annual bonus/performance pay/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors of our Company;

(b) Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-unionized supervisors;

(c) Any new scheme of compensation like medical scheme, pension etc. to officers, non-unionized supervisors and the employees as the case may be; and

(d) Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Sl. No.	Name and Designation	Total of Basic Pay, DA, HRA & other perks & Allowances	Performance Related Payment (PRP)	Total
1.	Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	59.52	25.01	84.53
2.	Shri Suresh Babu N V* Director (Operations)	21.16	21.51	42.67
3.	Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	46.42	20.75	67.17
4.	Shri Jose V J Director (Finance)	39.58	16.70	56.28

* Consequent to the retirement on superannuation from the services of the Company, Shri Sureshbabu N V vacated his office on April 30, 2021.

Constitution

34. As on March 31, 2022, the Committee comprises of Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Jyothilal K R (DIN: 01650017), Official Part-time Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) Non-official (Independent) Director as members.

Nomination & Remuneration Committee meetings held during 2021-22 and attendance

35. One meeting of the Nomination & Remuneration Committee was held during 2021-22. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Jan 22, 2022
1.	Shri Ashok Sharma	Y*
2.	Shri Jyothilal K R	Y*
3.	Shri Abhijit Biswas	Y*

* attended through electronic mode

Remuneration Policy

36. Under Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors shall be paid such remuneration as the President of India may from time to time determine. The pay and allowances of Board level executives are paid in accordance with the terms of appointment, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the above subject and other benefits and perquisites in accordance with the rules of CSL. The remuneration of below Board level executives and non-unionized supervisors is as per DPE guidelines and as approved by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways). The remuneration of worker is as per the Long Term Settlement between the management and recognized trade unions.

37. Details of remuneration paid to the Whole Time Directors is given below:

(₹ Lakhs)

Notes

- (a) The PRP mentioned in the above table pertains to the period 2019-20, paid during 2021-22. The PRP paid to the Whole Time Directors is as per the Performance Payment Scheme applicable to all executives and non-unionized supervisors of the Company, framed in line with the DPE Guidelines.
- (b) The remuneration, tenure and other terms and conditions of appointment of Whole Time Directors are as per the letter issued by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) in line with the government guidelines. The Whole Time Directors are appointed for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice period, 3 months' pay may be remitted.
- (c) During the year, no Stock Options were issued by the Company to Whole Time Directors.

Sitting fees

38. The sitting fees paid to Non-official (Independent) Directors has been revised, vide resolution No. 263/17 at the 263rd Board Meeting held on February 10, 2022, at the rate of ₹ 25,000/- for every meeting of the Board and ₹ 20,000/- for every meeting of the Committees. The Official Part Time (Nominee) Directors are not paid any remuneration. The criteria for making payment to Non-Executive Directors is available in the Company's website at the following link: <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>
39. Sitting fees paid to the Non-official (Independent) Directors for 2021-22 are as follows:

Sl. No.	Name	Fees (in ₹)
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	90,000
2.	Shri Nahar Singh Maheshwari	70,000
3.	Shri Ashok Sharma	90,000
4.	Shri Prithiviraj Harichandan	70,000
5.	Shri Venkatesan M	70,000
6.	Shri Abhijit Biswas	90,000

40. Since the Non-official (Independent) Directors are appointed by the President of India, the evaluation of performance of such Directors are also done by the GOI.

Stakeholders' Relationship Committee

41. The Stakeholders' Relationship Committee of CSL was constituted vide resolution no. 227/08 at the 227th Board

Meeting held on September 20, 2016. Subsequent to the appointment of Independent Directors on the Board of the Company, Stakeholders' Relationship Committee was re-constituted with effect from December 20, 2021.

Terms of reference

42. Following are the terms of reference of the Stakeholders Relationship Committee:
- Resolving the grievances of the security holders of the company including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.;
 - Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
 - Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent; and
 - Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

Constitution

43. As on March 31, 2022, the Committee comprises of Shri Venkatesan M (DIN: 07667728), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.

Stakeholders' Relationship Committee meetings held during 2021-22 and attendance

44. One meeting of the Stakeholders' Relationship Committee was held during 2021-22. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Feb 10, 2022
1.	Shri Venkatesan M	Y*
2.	Shri Bejoy Bhasker	Y
3.	Shri Jose V J	Y

* attended through electronic mode

Name, designation and address of the Compliance Officer

Shri Syamkamal N
Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Status of Investor Complaints as on March 31, 2022 and reported under Regulation 13(3) of the SEBI Listing Regulations

Complaints as on April 01, 2021	0
Received during the year	4
Resolved during the year	4
Not solved to the satisfaction of shareholders	0
Pending as on March 31, 2022	0

Constitution of Risk Management Committee

45. The Risk Management Committee of CSL was constituted in line with the SEBI Listing Regulations on February 08, 2019. Prior to the Constitution of the Committee, the risks had been periodically reviewed by the Board and the Audit Committee. Subsequent to the appointment of Independent Directors on the Board of the Company, Risk Management Committee was re-constituted with effect from December 20, 2021.
46. As on March 31, 2022, the Committee comprises of Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.

Terms of reference

47. Following are the terms of reference of Risk Management Committee:
- Monitoring and reviewing of the risk management plans including steps taken for ensuring cyber security;
 - Ensure required risk documentation is done on quarterly basis;
 - Provide updates and seek approval from Board of Directors on risk management; and

- (iv) Such other functions as may be specified by the Board from time to time.

Risk Management Committee meetings held during 2021-22 and attendance

48. One meeting of the Risk Management Committee was held during the financial year 2021-22. Necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Mar 29, 2022
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	Y*
2.	Shri Bejoy Bhasker	Y
3.	Shri Jose V J	Y

* attended through electronic mode

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee

49. A sub-committee of the Board was constituted vide resolution no. 181/09 at the 181st meeting of the Board held on September 05, 2008 to decide on the matters relating to Corporate Social Responsibility in CPSEs.
50. The Sustainable Development Committee was constituted at the 197th Board Meeting held on November 23, 2011. The DPE vide OM No.3(9)/2010-DPE(MoU) dated September 23, 2011 has issued detailed guidelines on Sustainable Development in CPSEs.
51. Company decided to merge the Corporate Social Responsibility Committee and Sustainable Development Committee to decide the matters relating to CSR activities in line with the guidelines laid down under Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Terms of reference

52. The following are the terms of reference of the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee:
- Recommend CSR and sustainability development policy to the Board;
 - Recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and sustainability development;
 - To recommend the annual CSR and sustainability development plan and budget; and

- (iv) Periodic review of CSR and sustainability development policy, plans and budgets.

Constitution

53. As on March 31, 2022, the Committee comprises of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members.

CSR & SD Committee meetings held during 2021-22 and attendance

54. One meeting of CSR & SD Committee was held during the year 2021-22. Necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of Director	Jan 22, 2022
1.	Shri Nahar Singh Maheshwari	Y*
2.	Smt. Amrapali Prashant Salve	Y*
3.	Shri Bejoy Bhasker	Y*
4.	Shri Jose V J	Y

* attended through electronic mode

General Body Meetings

55. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings were as follows:

Year	Date	Time	Venue	Special resolution passed
2020-21	Sep 29, 2021	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	Nil
2019-20	Sep 29, 2020	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	3
2018-19	Aug 13, 2019	11:00 hrs.	The Mercy Hotel, M.G. Road, Ravipuram, Kochi – 682015	Nil

Postal Ballot

56. During the financial year 2021-22, no resolution was put through by postal ballot.
57. None of the business proposed to be transacted in the ensuing AGM requires the passing of a special resolution by way of postal ballot.

Means of Communication

58. All price-sensitive information and matters that are material to shareholder are disclosed to the respective Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed. All submission to the Exchanges is made through the respective electronic filing systems.
59. The financial results for the quarter/half-year/year were published as under:

Quarter/half-year/year	In the month of
Quarter ending June 30, 2021	August
Quarter/half-year ending September 30, 2021	November
Quarter ending December 31, 2021	February
Year ending March 31, 2022	May

60. Quarterly/half-yearly/annual results, notices and information relating to General Meetings, etc. are published in leading newspapers viz., Business Line (all editions), Mathrubhumi (Cochin edition) and Jansatta (all editions) and are notified to the Stock Exchanges as required under the SEBI Listing Regulations.

61. The quarterly/half-yearly/annual financial results and other communication to shareholders and Stock Exchanges, inter alia, presentations to institutional investors & analysts, press releases etc., are made available in the Company's website www.cochinshipyard.in under 'Investors' section. They are also filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE) through NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) and with BSE Limited (BSE) through BSE Online Portal.

62. The presentation made to the institutional investors and analysts for quarterly/half-yearly/annual results are available on the Company's website under 'Investors' section.

66. The particulars of total dividend declared in the previous three financial years are given below:

Financial Year	Final Dividend Per Share (₹)	Interim Dividend Per Share (₹)	
2021-22	3.75	01st 6.00	02nd 7.00
2020-21	2.50	01st 9.00	02nd 4.00
2019-20	15.00	1.63	

Listing of shares and stock code

67. The Company's equity shares are listed at the following Stock Exchanges and listing fees for the year 2021-22 has been paid to the Stock Exchanges.

Name and address of the Stock Exchange	Stock Code
BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street, Mumbai – 400 001	540678
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Bandra – Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051	COCHINSHIP

68. The International Securities Identification Number (ISIN) for the Company's shares is INE704P01017.

General Shareholder Information

63. Annual General Meeting for FY 2022

Date : September 29, 2022

Time : 11:00 hrs.

Venue : The Company is conducting meeting through electronic mode (VC/ OAVM) pursuant to MCA Circular dated May 05, 2022 and as such there is no requirement to have a venue for the AGM. For details, please refer to the Notice of this AGM.

64. Financial Year: April 01, 2021 to March 31, 2022.

Dividend Payment



65. The final dividend for the year ended March 31, 2022 if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or before Wednesday, October 28, 2022. The Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/demand drafts in other cases.

69. Market Price data – high, low during each month in the last financial year (i.e. year under review):

Price and volume of shares traded

Month/ Year	BSE Limited			National Stock Exchange of India Limited		
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)
Apr 2021	383.45	342.25	2.40	382.50	340.50	30.05
May 2021	402.00	363.00	4.75	402.50	362.30	78.10
Jun 2021	433.75	375.70	11.72	433.90	375.40	182.11
Jul 2021	402.45	369.00	5.34	402.60	368.75	61.97
Aug 2021	380.90	345.00	3.84	380.95	345.10	42.00
Sep 2021	380.90	352.50	3.46	379.75	352.55	44.94
Oct 2021	381.00	347.60	4.33	381.30	347.10	54.02
Nov 2021	383.25	337.25	4.17	383.00	337.00	47.23
Dec 2021	359.60	328.00	1.92	360.00	328.00	23.55
Jan 2022	358.90	328.00	2.09	358.60	327.90	22.58
Feb 2022	347.65	285.00	4.33	348.00	285.05	34.71
Mar 2022	313.70	281.00	5.53	312.95	280.75	44.06

Performance in comparison to broad based indices



Details of securities suspended

Not applicable.

Registrar and Transfer Agents (RTA)

Link Intime India Private Limited
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road, Coimbatore
Tamil Nadu – 641 028
Tel: 0422 2315792; Fax: 0422 2314792
E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

Share Transfer System

70. The Company's shares being in the compulsory demat list, are transferable through the depository system.

Distribution of Shareholding

71. Distribution of shareholding based on number of folio as on March 31, 2022.

No. of shares held	Members		Shares	
	No.	%	No.	%
1-500	167679	96.5159	10047199	7.64
501-1000	3405	1.9599	2616031	1.99
1001-2000	1430	0.8231	2087713	1.59
2001-3000	451	0.2596	1146481	0.87
3001-4000	197	0.1134	698394	0.53
4001-5000	164	0.0944	762765	0.58
5001-10000	189	0.1088	1360666	1.03
>10000	217	0.1249	112821141	85.77
Total	173732	100.0000	131540390	100.00

Dematerialization of shares and liquidity

72. The Company's shares are compulsorily traded in dematerialized form and are available on both the depositories viz., NSDL and CDSL.

Percentage of shares held in

Physical form : 0.00
Electronic form with NSDL : 88.82
Electronic form with CDSL : 11.18

The Company's equity shares are regularly traded on the BSE and NSE.

Outstanding Global Depository Receipts (GDRs) or American Depository Receipts (ADRs) or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

None.

Foreign exchange risk and hedging of activities

73. The Company has formulated a Forex Risk Management Policy duly approved by the Board and the forex exposures are being hedged depending upon the market conditions.

74. The Company is also keeping a constant watch on the forex market fluctuations and has been exploring various options of foreign currency borrowings like buyer's credit etc. as part of effective working capital management. Status of the forex exposure and the hedging position is reviewed by the Audit Committee, Risk Management Committee and the Board.

Plant Locations

- Shipbuilding & Ship Repair facility at Perumanoor, Ernakulam District, Kochi – 682 015

- International Ship Repair facility at Cochin Port Trust, Willingdon Island, Kochi – 682 009
- Ship repair facility at Indira Dock, Mumbai
- Ship repair facility at Netaji Subhas Dock, Kolkata
- Ship repair facility at Marine Dockyard, Port Blair

Address for Correspondence

Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Credit Ratings

Instrument	ISIN	Rating
8.51% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07014	AAA by CARE Rating
8.72% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07030	AAA by CARE Rating

Other Disclosures

Related Party Transactions

75. During the year under review, there were no materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interest of the Company at large. The Company has a policy for related party transactions, which can be accessed at the following link: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Non-compliance by the Company

76. No penalties/strictures have been imposed on the Company by the Stock Exchanges or Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other statutory authority on any matter relating to capital markets during the last three years except the following:

Year	Name of Authority	Nature of non-compliance	Period of non-compliance	Amount of fine/penalty imposed	Remarks
2019-20	BSE & NSE	Non-appointment of sufficient no. of Independent Directors including a Woman Director.	June 20, 2019 to July 28, 2019	₹1,95,000 (plus GST @18%) each.	As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the fine levied was waived based on the representation made by the Company.
2020-21	BSE & NSE	Non-compliance with the requirements pertaining to quorum of Board Meetings i.e. not having at least one Independent Director.	July 15, 2020 to September 30, 2020	₹10,000 (plus GST @18%) each.	With effect from July 15, 2020 the Company does not have Independent Directors on its Board. As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the Company has forwarded the request for waiver of fines imposed. BSE has waived the fines and response from NSE is awaited.
	BSE & NSE	Non-appointment of Independent Directors including a Woman Director.	October 01, 2020 to December 31, 2020	₹4,60,000 (plus GST @18%) each.	With effect from July 15, 2020 the Company does not have Independent Directors on its Board. As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the Company has forwarded the request for waiver of fines imposed. BSE has waived the fines and response from NSE is awaited.
		Non-compliance with respect to the constitution of Audit Committee.	October 15, 2020 to December 31, 2020	₹1,56,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with respect to the constitution of Nomination and Remuneration Committee	October 15, 2020 to December 31, 2020	₹1,56,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with respect to the constitution of Stakeholders Relationship Committee	October 15, 2020 to December 31, 2020	₹1,56,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with requirement of minimum public shareholding	December 20, 2020 to March 31, 2021	₹5,05,000 (plus GST @18%) each.	CSL achieved Minimum Public Shareholding in February 2020 through sale of shares (2.35%) by President of India, through Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), as part of CPSE Exchange Traded Fund FFO-6. The application for regularising this transaction was forwarded to SEBI by DIPAM. The Company has forwarded the request for waiver of fines imposed to BSE & NSE.

Year	Name of Authority	Nature of non-compliance	Period of non-compliance	Amount of fine/penalty imposed	Remarks
	NSE	Non-compliance with respect to the requirements pertaining to quorum of Board Meetings i.e. not having at least one Independent Director.	October 01, 2020 to December 31, 2020	₹20,000 (plus GST @18%)	With effect from July 15, 2020 the Company does not have Independent Directors on its Board. As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the Company has forwarded the request for waiver of fines imposed. BSE has waived the fines and response from NSE is awaited.
2021-22	NSE & BSE	Non-compliance with the requirements pertaining to the composition of the Board including failure to appoint Woman Director	April 01, 2021 to November 25, 2021	₹12,20,000 (plus GST @18%) each.	For the financial year 2021-22, the Company did not have Independent Directors till the appointment of six Independent Directors including a Woman Independent Director on November 22, 2021 by GOI vide MoPSW letter dated November 22, 2022. The Company has forwarded the request for waiver of fines imposed.
		Non-compliance with the requirements pertaining to quorum of Board meetings.	April 01, 2021 to November 21, 2021	₹30,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with the constitution of Audit Committee	April 01, 2021 to December 20, 2021	₹5,26,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with the constitution of Nomination and Remuneration Committee	April 01, 2021 to December 20, 2021	₹5,26,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with the constitution of Stakeholder Relationship Committee	April 01, 2021 to December 20, 2021	₹5,26,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with the constitution of Risk Management Committee	August 05, 2021 to December 20, 2021	₹2,74,000 (plus GST @18%) each.	
		Non-compliance with requirement of minimum public shareholding	April 01, 2021 to December 31, 2021	₹14,35,000 (plus GST @18%) each.	CSL achieved Minimum Public Shareholding in February 2020 through sale of shares (2.35%) by President of India, through Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), as part of CPSE Exchange Traded Fund FFO-6. The application for regularising this transaction was forwarded to SEBI by DIPAM. The Company has forwarded the request for waiver of fines imposed to BSE & NSE.

During the year, the post of six Independent Directors including a Woman Director remained vacant upto November 2021. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide letter no. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021 appointed six Independent Directors including a Woman Independent Director on the Board of CSL. Subsequently, the statutory Committees were re-constituted with effect from December 20, 2021.

Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy

77. Cochin Shipyard has adopted a Whistle Blower Policy approved by the Board at its 198th meeting held on February 22, 2012. Cochin Shipyard is a Government of India undertaking and follows Government guidelines on reporting of any illegal or unethical practices. Directors/employees/stakeholders/representative bodies of employees are given freedom to report to their immediate Supervisor/Chief Vigilance Officer or Chairman & Managing Director, details of any violation of rules, regulations and unethical conduct. The Directors and Senior Management are bound to maintain confidentiality of such reporting and ensure that the whistle blowers are afforded protection against any harassment and not subjected to any discriminatory practices. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee. The Board in its 228th meeting held on December 14, 2016 amended its Whistle Blower Policy. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The said policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Code of Conduct for Prevention of Insider Trading

78. The Company has in place a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code lays down guidelines, which advise on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the Company, and cautioning them of the consequences of violations. The Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is hosted on the website of the Company and can be accessed at: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

Mandatory Requirements

79. A comprehensive report on the status of compliance with all the applicable corporate laws, rules and regulations by the Company is placed before the Board on a quarterly basis for their information and review. The Company has complied with all the mandatory requirements of the Code of Corporate Governance as specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation (2) of Regulation 46 of the SEBI Listing Regulations, except with respect to the composition of Board of Directors viz., appointment of Independent Directors including a Woman Director and consequent compliances related to Statutory Committees.

Non-Mandatory Requirements

80. The Company has complied with the following non-mandatory requirements of the SEBI Listing Regulations relating to Corporate Governance. The status of compliance with the non-mandatory requirements listed in Regulation 27(1) read with Part E of Schedule II of the SEBI Listing Regulations is as under:

- During the year under review, there is no audit qualification in the Company's financial statements. The Company continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit position.

Subsidiary Company

81. Regulation 16 of the SEBI Listing Regulations defines a 'material subsidiary' as subsidiary, whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. Under this definition, the Company does not have any unlisted material subsidiary incorporated in India.

82. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) is a wholly owned subsidiary company of Cochin Shipyard Limited (CSL) which was incorporated as Joint Venture Company on October 23, 2017, venturing with Hooghly Dock & Port Engineers Limited. However, since November 01, 2019, HCSL is a wholly owned subsidiary of CSL. Further, the Company has taken over Tebma Shipyards Limited (TSL) through the statutory insolvency resolution process with effect from September 15, 2020. Accordingly, TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL with effect from September 15, 2020. Subsequently with effect from April 22, 2022 the name of TSL has been changed to Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL).

83. Pursuant to the Explanation under Regulation 16(1)(c) of the SEBI Listing Regulations, the Company has formulated

a policy for determining 'material subsidiaries' which is disclosed on the Company's website at the following link: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

84. Details of compliance with the requirement of Corporate Governance guidelines:

In terms of Listing Regulations and DPE guidelines on Corporate Governance, Certificate regarding Compliance of Corporate governance guidelines from Practicing Company Secretary is placed at **Annexure I** to this report.

85. Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years:

The Company has complied with all presidential directives issued by Central Government regarding the operation of PSUs.

86. Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business: Nil

87. Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: Nil

The administrative and office expenditure of the Company for the year 2021-22 was 1.73% of the total expenditure as against 2.05% in 2020-21. Financial expenditure stood at 1.75% of the total expenditure in 2021-22, against 2.29% in the previous year.

88. A certificate from a Company Secretary in practice, that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is placed at **Annexure II** to this report.

89. The Company has paid an amount of ₹26.24 Lakhs to M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors for the services provided to the Company and its subsidiaries.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

a. Number of complaints filed during the financial year 2021-22	1
b. Number of complaints disposed of during the financial year 2021-22	1
c. Number of complaints pending as on end of the financial year 2021-22	Nil

Code of Conduct

90. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board members and Senior Management of the Company. All Board members and Senior Management personnel have confirmed compliance with the Code for the year 2021-22. The Code is hosted on the website of the Company and can be accessed at: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

91. A declaration signed by the Chairman & Managing Director of the Company is given below:

I hereby declare that all the members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of the Board of Directors and Senior Management personnel in respect of the financial year 2021-22.

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

CEO/CFO Certification

92. The CEO/CFO certification of the financial statements for the year is appended at **Annexure III** to this report.

Risk Management Process

93. CSL reviewed the existing risk management policy and adopted a revised policy encompassing a comprehensive system of risk management at its 259th Board Meeting held on February 12, 2021. The salient features of the new risk management policy is as follows:

- Risk Management Vision Statement: Minimize the organizational risks to an acceptable level and adopt risk management practices which would help the Company to attain its goals and objectives while at the same time ensuring minimization of risks.
- Risk Management Policy:
 - The Risk Management process is implemented to improve the Company's ability to prevent risks and ensure timely detection of risk.
 - To identify risks and its mitigation.
 - Risk Management process to be standardized.
 - Facilitate sharing of risk information.

94. The risk management policy intends to put in place an effective risk management framework and an appropriate reporting mechanism. The management of Cochin Shipyard would periodically identify the various risks and assess/analyze their impact on the Company. Risk mitigation and management measures would be put in place to effectively manage these risks. The Board may approve changes to the policy from time to time in order to align it with the changes in business environment.

Risk Management System and Structure

95. The Board has constituted a Risk Management Committee to review the risk management system within CSL. The Board also

b) Exposure of the listed entity to various commodities:

Commodity Name	Exposure in INR towards the particular commodity	Exposure in Quantity terms towards the particular commodity	% of such exposure hedged through commodity derivatives				Total
			Domestic market		International market		
			OTC	Exchange	OTC	Exchange	
Steel	₹17.79 Crores	2520.19 Tonnes	-	-	-	-	-

c) In order to avoid risk relating to increase in input cost, the Company places order for all major inputs with staggered delivery at the time of signing of shipbuilding contract. The offers are checked with the estimates taken for arriving at the estimated cost. In the case of ship repair, major components are normally supplied to ship owners at cost plus basis as the components are normally of the owner's preference.

Shareholding pattern

98. The Company has issued 13,15,40,390 equity shares of ₹10/- each, details of which as on March 31, 2022 are as follows:

Category of share holders	Number of share holders	Total number of shares	Percentage (%)
Central Government	1	95843464	72.8624
Clearing Members	105	187820	0.1428
Other Bodies Corporate	519	1948119	1.481
Directors	2	1910	0.0015
Hindu Undivided Family	4850	808188	0.6144
Mutual Funds	7	3005540	2.2849
Non-Nationalised Banks	1	110	0.0001
Non-Resident Indians	2627	1890979	1.4376
Non-Resident (Non Repatriable)	1131	366524	0.2786
Public	164362	20996372	15.9619
Trusts	6	19240	0.0146
Insurance Companies	6	2592807	1.9711
Body Corporate - Limited Liability Partnership	37	237052	0.1802
Foreign Portfolio Investors (Individual)	3	3700	0.0028
Foreign Portfolio Investors (Corporate)	73	3595565	2.7334
NBFCs registered with RBI	1	3000	0.0023
Alternate Investment Funds – III	1	40000	0.0304
Total	173732	131540390	100.0000

discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives are entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, Risk Management Steering Committee and Functional Risk Management Committees have been constituted to implement the policy in CSL.

96. Due to the peculiar nature of business carried on by CSL, it avoids the risk relating to its commodities.

97. Exposure of the listed entity to commodity and commodity risks faced by the entity throughout the year:

a) Total exposure of the listed entity to commodities in INR: ₹17.79 Crores.

Means of Communication

99. The quarterly/half-yearly/yearly financial results are posted on the websites of the BSE, NSE and the Company, after consideration and approval by the Board and are also published in one English national daily having all India circulation and at least in one Malayalam national daily, Kochi edition within 48 hours of its approval. These results have also been published in one Hindi national daily having all India circulation. The Annual Report of the Company is posted in the website viz., www.cochinshipyard.in. The website of the Company also displays all official news releases.

Audit Qualifications

100. The Report submitted by M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

101. The Secretarial Auditors, M/s. Mehta & Mehta, in their Report observed the following viz., non-compliance with respect to the Minimum Public Shareholding (MPS) requirements, non-appointment of Independent Directors including a Woman Director on the Board of CSL and the consequent non-compliances including, non-constitution of statutory committees namely Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Risk Management Committee and Corporate Social Responsibility Committee. Further, the details with respect to the fines imposed by the stock exchanges viz., BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE") on account of the said non-compliances have also been included in the Secretarial Audit Report.

102. The explanation of the Board to the observations in the Secretarial Audit Report is given below:

As per Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India through the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). The MoPSW vide their letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, appointed six Independent Directors including one Woman Director on the Board of CSL for a period of three years from November 22, 2021. Subsequently, all the statutory Committees were re-constituted with effect from December 20, 2021.

With respect to the non-compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) requirements, the Company is already having 27.14% public shareholding. However, the

SEBI's observation was that the attainment of MPS as above was not through the methods of disinvestments notified by SEBI.

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules 1961, all matters relating to Management of Central Government investments in equity (including disinvestment of equity in CPSEs) are vested in Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance. The power to sell the equity shares of the Promoter to attain the MPS is vested in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) under the Ministry of Finance.

The Company vide its letter no. SEC/395/2018-II dated July 20, 2020 had intimated the requirement of achieving the Minimum Public Shareholding (MPS) in the manner prescribed by SEBI to the Administrative Ministry and DIPAM and a follow up letter was also forwarded on July 09, 2021, December 01, 2021 and March 15, 2022.

CSL has made representations to the stock exchanges for waiver of fines imposed for the above non-compliances and the reply is awaited.

Training Board Members

103. The Board members of CSL are senior executives who have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL has benefited from their vision and knowledge. Presentations are made to the Board members on the Company's performance, business model, corporate plan and future outlook, on their induction in the Board. In addition, at the Board/Committee/other meetings, detailed presentations are made by the senior management personnel/professionals/consultants on business related issues, risk assessment, risk policy etc. The Directors are encouraged to identify and attend specific training programmes to improve their effectiveness. The Board has also adopted a policy regarding training of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair

Chairman & Managing Director

Kochi
May 24, 2022

DIN: 07376798

Annexure I

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
COCHIN SHIPYARD LIMITED

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial Year ended March 31, 2022, as prescribed under Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and paras C, D and E of Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "SEBI LODR Regulations").

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion, and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as prescribed under Listing Regulations **subject to the following observations:**

- There was no Woman Director on the Board of Directors of the Company for the period from 01.04.2021 to 25.11.2021 as mandated under Regulation 17 (1) of SEBI (LODR) Regulations. However, Ms. Amrapali Salve was appointed as a Woman Director on the Board of Directors of the Company on the 26th of November, 2021.
- There were no Independent Directors on the Board of Directors for the period from 01.04.2021 to 21.11.2021 as mandated under Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations. However, Six Independent Directors were appointed by the company for which details are as below.

Sr. No	Name	Date of Appointment
1.	Prithviraj Harichandan	22.11.2021
2.	Mani Venkatesan	22.11.2021
3.	Ashok Kumar Sharma	26.11.2021
4.	Amrapali Salve	26.11.2021

Sr. No	Name	Date of Appointment
5.	Nahar Singh Maheshwari	01.12.2021
6.	Abhijit Biswas	01.12.2021

- The minimum requirement of six directors as per Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations was not complied for a period from 01.05.2021 to 21.11.2021.
- Quorum of at least one Independent Director as per Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations was not met in the Board Meetings held on 11.06.2021, 10.08.2021 and 11.11.2021 as there were no Independent Directors for the period 01.04.2021 to 21.11.2021.
- The Company did not constitute an Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
- The Company did not constitute the Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
- The Company did not constitute the Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
- The Company did not constitute the Risk Management Committee as required under Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations for a period from 05.08.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.
- A Fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE") for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of SEBI (LODR) Regulations as follows:

BSE Quarter -1

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹) (Inclusive of GST)
17 (2A)	30-Jun-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-Jun-2021	5,000	91	5,36,900
18(1)	30-Jun-2021	2000	91	2,14,760
19(1)/ 19(2)	30-Jun-2021	2000	91	2,14,760
20(2)/ (2A)	30-Jun-2021	2000	91	2,14,760
Total				11,92,980

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

BSE Quarter-2

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹) (Inclusive of GST)
17 (2A)	30-Sep-2021	10,000	1	11,800
17(1)	30-Sep-2021	5,000	92	5,42,800
18(1)	30-Sep-2021	2000	92	2,17,120
19(1)/ 19(2)	30-Sep-2021	2000	92	2,17,120
20(2)/ (2A)	30-Sep-2021	2000	92	2,17,120
21(2)	30-Sep-2021	2000	57	1,34,520
Total				13,40,480

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

BSE Quarter-3

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹) (Inclusive of GST)
17 (2A)	31-Dec-2021	10,000	1	11,800
17(1)	31-Dec-2021	5,000	61	3,59,900
18(1)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
19(1)/ 19(2)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
20(2)/ (2A)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
21(2)	31-Dec-2021	2000	80	1,88,800
Total				11,26,900

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

NSE- Quarter-1

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	30-Jun-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-Jun-2021	5,000	91	4,55,000
18(1)	30-Jun-2021	2000	91	1,82,000
19(1)/19(2)	30-Jun-2021	2000	91	1,82,000
20	30-Jun-2021	2000	91	1,82,000
Total (Inclusive of GST)				11,92,980

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

NSE- Quarter-2

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	30-Sep-2021	10,000	1	10,000
17(1)	30-Sep-2021	5,000	92	4,60,000
18(1)	30-Sep-2021	2000	92	1,84,000
19(1)/19(2)	30-Sep-2021	2000	92	1,84,000
20	30-Sep-2021	2000	92	1,84,000
21	30-Sep-2021	2000	57	1,14,000
Total (Inclusive of GST)				13,40,480

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

NSE- Quarter-3

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	31-Dec-2021	10,000	1	10,000
17(1)	31-Dec-2021	5,000	61	3,05,000
18(1)	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
19(1)/19(2)	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
20	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
21	31-Dec-2021	2000	80	1,60,000
Total (Inclusive of GST)				11,26,900

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with Listing Regulations and may not be suitable for any other purpose.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalobhavan
Partner

FCS No : 9609
CP No. : 11657

Place: Cochin
Date: May 24, 2022

UDIN: F009609D000379506

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises, Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial year ended March 31, 2022, as stipulated under Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines **subject to the following observations:**

- 1) *The composition of the Board of Directors was not in accordance with Clause 3.1 of the above mentioned guidelines for the period from 01.04.2021 till the date of appointment of Independent Directors as below:*

Sr. No	Name	Date of Appointment
1.	Prithiviraj Harichandan	22.11.2021
2.	Mani Venkatesan	22.11.2021
3.	Ashok Kumar Sharma	26.11.2021
4.	Amrapali Salve	26.11.2021
5.	Nahar Singh Maheshwari	01.12.2021
6.	Abhijit Biswas	01.12.2021

- 2) *The Company did not constitute an Audit Committee as required under Clause 4.1 of the above mentioned guidelines for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.*

- 3) *The Company did not constitute a Remuneration Committee as required under Clause 5.1 of the above mentioned guidelines for a period from 01.04.2021 to 19.12.2021. However, the Committee was formed w.e.f. 20th December, 2021 after the appointment of the Independent Directors.*

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India and may not be suitable for any other purpose.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalobhavan
Partner

FCS No : 9609
CP No. : 11657

UDIN : F009609D000379616

Place : Cochin
Date : May 24, 2022

Annexure II

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Cochin Shipyard Limited** having **CIN L63032KL1972GOI002414** and having registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala – 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority.

Sr. No	Name of Directors	DIN	Date of appointment in Company
1.	Madhu Sankunny Nair	07376798	01/01/2016
2.	Bejoy Bhasker	08103825	05/04/2018
3.	Valiyaparambil Jacob Jose	08444440	01/08/2019
4.	Sanjay Bandopadhyaya	00088957	03/02/2020
5.	Kalluvila Veedu Ravindran Jyothilal	01650017	24/08/2020
6.	Prithviraj Harichandan	01351097	22/11/2021
7.	Mani Venkatesan	07667728	22/11/2021
8.	Ashok Kumar Sharma	09414565	26/11/2021
9.	Amrapali Salve	09415405	26/11/2021
10.	Nahar Singh Maheshwari	09419082	01/12/2021
11.	Abhijit Biswas	09419083	01/12/2021

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Arun K Kamalobhavan
Partner

FCS No : 9609
CP No. : 11657

Place: Cochin
Date: May 24, 2022

UDIN: F009609D000379561

Annexure III

To
The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Kochi – 682 015

Dear Sirs,

CEO/CFO CERTIFICATE

- We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended March 31, 2022 and that to the best of our knowledge and belief:
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent or illegal or violative of the Company's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies, if any.
- We have indicated to the Auditors that:
 - There has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year;
 - There has not been any significant change in accounting policies during the year requiring disclosure in the notes to the financial statements; and
 - We are not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.
- We further certify that the funds disbursed for Corporate Social Responsibility (CSR) activities have been utilised by the Company for the purposes and in the manner as approved by the Board of Directors from time to time and also in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder.

Jose V J
Director (Finance) and CFO
DIN: 08444440

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 20, 2022

Management Discussion and Analysis Report

Forward Looking Statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The Company has used estimates and judgements relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

3. Shipping markets performed moderately in 2021 compared to past year due to trade volume recovery to the pre-COVID levels by Mid 2021 and with widespread congestion and modest fleet supply growth, there was 93% increase in Clarkson's sea Index (\$28,700/day). This also supported the highest new build order volumes since 2014 (120m dwt, \$107bn).

4. Despite various risk perceptions such as Chinese "cooling" policies, political instability due to Russia-Ukraine war, inflation, tax increases, regional protection etc., Clarkson's is projecting the trade expectation to reach an encouraging 12.4bn tonnes in 2022 (up 3.5%). Disruption to global logistics and supply chains was widespread across 2021, helping "tighten" markets particularly in the container, dry bulk and car carrier markets thus driving the freight costs up.
5. However, the fleet growth continued below 3% by dwt vs. 4.1% ten year average, due to lower order intakes in the past years. The new building investment is skewed towards container (\$42bn) and gas (\$21.6bn) in traditional shipbuilding segments. The focus on "Green & Tech" in post-COVID planning intensified, with decarbonisation as the major talk point across maritime segments. With developments at IMO and the EU amongst others, the regulatory and policy framework is evolving which reflects in 34% of newbuild orders (by GT) is with alternative fuelled technology. Developments in International Maritime Organization (IMO) or EU emissions regulations could affect the medium-term outlook for cost structures or the earnings capacity of some shipping segments. The fillip due to the prospects of large ageing fleet replacements and new regulatory restrictions generated some interest and likely to impact positively on long term basis driving new ship acquisition investments.
6. Fitch Ratings maintains its neutral outlook on the global shipping sector due to continued strong market conditions for container shipping (albeit with some downside risk) and dry bulk, and expectations that the tanker segment could improve after a weak 2021. A continued global economic recovery is important for all shipping segments to maintain their favourable supply-demand balances into 2022. Key downside risks include a slower-than-forecast economic recovery or a resurgence of COVID-19 cases, leading to a collapse in demand. On the other hand, pandemic-related restrictions have also led to supply-chain issues, including port congestion, which have supported rates, particularly for container shipping. A potential increase in trade protectionism during the recovery could limit demand in some segments.
7. The overall new shipbuilding prices rose over 30% and is still on the upward trend but at the same time may not result

in better profits for the yards as the inflationary levels of various major commodity costs such as power, petroleum products, steel, copper, aluminium etc., persisting and thus eroding the profit margins.

Indian Shipbuilding Industry and Government Initiatives

8. Positive outlook at global levels have also resulted in build-up of interest and more interest thus increased enquiries to Indian yards. But lack of infrastructure in the country due to collapse of many private shipyards resulted in erosion of capacity and no proper financing mechanism became a big deterrent to attract the attention of the leading ship owners and market players. However, the objective of propelling India to the forefront of the global maritime sector as per the road map of Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), formulated and published as per the vision document 'Maritime India Vision 2030 (MIV 2030)' if to be believed indicates co-ordinated and accelerated growth of India's maritime sector in the next decade.
9. Various government policies listed below are showing positive impacts in the segment and will act as enablers for the growth of the segment:
 - a) Financial Assistance Policy on Shipbuilding (2016)
 - b) Grant of Infrastructure Status (2016)
 - c) AatmaNirbhar Bharat Policy (Revised in 2020)
 - d) SOP for chartering/procurement of tugs (2020)
 - e) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (2020)
 - f) New Defence Acquisition Policy (DAP 2020)
10. Vision 2030 envisions Indian ship building to become competitive with reaching the threshold on volumes by 2025 and then build the momentum in high volumes to reach "Make in India Make for World" levels and be one of the top 10 shipbuilding nations in the world. Major initiatives include channelizing the cargo to improve demand, improving the ecosystem for ancillary industries, generate standardised designs for better productivity with appropriate Governmental interventions to create level playing fields to make the industry competitive in International arena. The MIV document also advocates creation of a Maritime Development Fund to provide easy access to working capital and long-term finance needs across marine sectors but is yet to be implemented which otherwise can give access to Indian ship owners to improve their capacity and shipyards to improve the infrastructure.

Some Key Sectors focused by CSL

11. Defence Shipbuilding: The Indian shipbuilding industry still continues to be driven by the defence requirements and the vision of Government of India (GOI) as per the Defence Production Policy, was "to make India among the top five countries of the world in Aerospace and Defence Industries". CSL completed its contract negotiation of the Next Generation Missile Vessel (NGMV) project for Indian Navy for which the contract is likely to be signed this year thus adding good order book value to the Company.

Inland and Coastal Shipping

12. Inland Water Transport: India has increased the share of cargo transported through water from 0.5% to 2% and continued a focus with over 20% year-on-year growth in cargo volumes over the last 5 years. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the wholly owned subsidiary of the Company in West Bengal is fully equipped with its infrastructure and is ready to cater to this segment. Company is fully focussed and equipped to tap this potential segment.
13. The future shipbuilding will be driven by alternate fuels, carbon neutral solutions, autonomous vessels and cost-efficient technologies. New hydrogen policy announced by the government in 2021 has significant impact on the alternate fuel infrastructure. The Company with the research development funding of government is undertaking a pilot project to venture into this segment and build up the domestic technology to meet future requirement of the country as well as cater to the world fleet.

Tugs, Dredgers and Port Craft

14. The dredger market is showing significant demand in line with the huge infrastructure outlay the government is providing in the port/ inland and coastal shipping infrastructure. This can boost the opportunity for the Indian yards to bring necessary technology through alliance and bring business to India. CSL in technological partnership with the market leader IHC, Netherlands entered into a contract with Dredging Corporation of India (DCI) to build the country's largest Trailer Suction Hopper Dredger of 12000 cubic metre capacity. This is a major milestone in the new market for which the company was working more than a decade.
15. In addition, as envisaged, the new policy of the Ministry which stipulates all the service requirement of Tugs for

the major ports to be reserved to Indian Built Indian Flag Tugs only has opened up new business opportunity to the Indian shipyards to service this segment. The demand in this segment has picked up and the Company (through its wholly owned subsidiary) won a new contract for building 2 Tugs under this scheme. More enquiries are received and this segment is showing high potential for further growth.

Cruise and Ferry Market

16. The Indian cruise industry, though in its nascent stage, is growing at a faster pace due to multiple government interventions in the past years. However, the operations got dampened due to pandemic and travel restrictions. However the growth projection is that, the Indian cruise market has the potential to increase by 8X driven by rising demand and disposable incomes with the young middle income groups. The MIV 2030 gives definitive plan towards the infrastructural development of ports to cater this industry. This in turn will result in great opportunity for the Indian shipbuilding as well ship repair and service industry catering to this growing segment. Company is well positioned on this segment offering services from multiple locations in east and west coast of India.

Fishing Segment

17. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) scheme is aimed to strengthen critical gaps in the fish production, productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure and management, modernisation and improve the value chain and to establish a robust fisheries management framework in the entire fishing segment. The Scheme was announced with long term goals of the government to improve the livelihood of the fishers and also to increase the overall revenue growth in the segment. The earmarked investment of around ₹480 Crores is set aside as a support for acquisition of deep sea fishing vessels for traditional fishermen is yet to take full momentum probably due to the COVID and other depressed market situation. CSL is actively engaged in the programme and was a member of the committee which published the guidelines for inspection and quality standards for the boat building yards towards manufacturing of standardised efficient deep sea fishing vessels. CSL is also gearing up to participate in this programme with different standard variants to suit the customer requirements of fishers from various states. As of now the Company is building 10 boats (through its wholly owned subsidiary) under this guidelines which is expected to attract the attention of fishermen of

various coastal states and thus bring in the momentum to the segment.

Green Shipping/ Low-carbon Shipping segment

18. The decarbonization of shipping is rapidly moving up the agenda for policymakers and industry alike. The International Maritime Organization (IMO) is putting various policies to reduce the impact on the maritime industry by regulating exhaust emissions, anti-fouling, ballast water, and more. According to the European Commission, the shipping industry releases 940 million tonnes of CO₂ and makes 2.5% of the GHG emissions. Green shipping initiatives of government promotes cleaner practices to enforce emission control, efficient to port management, and equipment management. CSL is strongly engaged in this segment and is presently constructing two nos. of Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. Further, CSL is ready with the designs of various types of advanced green technology vessels with low emission, which would be ideally suited for the Inland Waterways and coastal shipping in India. CSL is also in advance stages of discussion with various European clients for construction of their new generation green technology vessels in CSL. This is a sunrise segment opening multiple opportunities for the Company.

Ship Repair Industry

India & the Global Ship Repair Industry

19. Global ship repair market is currently dominated by shipyards in China, Singapore and Middle East largely due to the availability of skilled workforce and latest technology. The global market for ship repair and maintenance service is expected to witness significant growth, reaching a market value of USD 40 Billion by 2030 supported by developments in the markets in South East Asia and India. Though India's share in global ship repair is currently less than 1%, the country is favourably located in respect of the major trade routes / shipping routes with 7 to 9 % of the global trade passing within 300 NM of the coastline. Additionally, India is poised well to offer repair services to Indian Navy and the allies US Navy for its 5th and 7th fleet deployed in Indian Ocean & Arabian Sea.

20. Ship repair industry being labour intensive, India has got the advantage of having strong work force to cater for the requirement. However, the untapped potential in the Indian ship repair market can be attributed to the

presence of competing international ship repair yards on major trade routes and a capability gap of Indian yards in repairing certain kinds of vessels. Other reasons of cost disadvantages include high cost of financing, lack of supply of ship spares in India, ancillary support and technology related issues increasing ship repair execution cycle time.

21. To address the above gaps, under MIV 2030, Government of India is giving a strong forward thrust to the industry with multiple initiatives including channelising of domestic demands leveraging AatmaNirbhar Bharat Policy, infrastructure development through better access to financial instruments, providing better opportunities for overall development and enhanced business in the Industry by creating free trade depots, maritime clusters etc.

22. The COVID-19 pandemic had negatively impacted the global economy and thus, disrupted the global trade and allied ship repair and maintenance services industry. Ship repair and maintenance service activities were significantly reduced or suspended for several months. Operations globally, gradually resumed with new safety measures in place. These factors have collectively hampered the growth in global ship repair and maintenance market.

23. CSL Ship repair business has grown leaps and bounds. In addition to the ship repair facilities at Kochi, the Company has also established ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair. The Ship Repair Division is focusing on increased business volumes (at present close to 100 ships are being repaired/ refitted annually). The Yard is also focussing on entering new areas of ship repair market such as weapons platforms, offshore fabrications, conversions etc.

CSL initiatives in Ship repair

24. CSL is in the final phase of completion of work at "International Ship Repair Facility (ISRF)" at Willingdon Island, Cochin which would host a state-of-the-art Ship Lift System with six independent work stations. This new greenfield facility, in close proximity to the Southern Naval Command in Kochi is scheduled to be up and running shortly and would be capable of accommodating vessels up to 130 Mtrs length & 6000 T displacement. The Yard is also setting up a new dry-dock within its main premises to cater for the shipbuilding and ship repair activity which includes building of larger capacity vessels and repair to offshore rigs. CSL has also expanded its foot prints across the Indian coast by setting up ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair to cater to the demand in ship repair segment. CSL has also signed MoUs with various stakeholders in the field of ship repair, with a view to enhance business growth and technological advancement in the field.

25. With GOI, MIV 2030 in place and fuelled with various initiatives brought out by the Yard in line with the CRUISE 2030, CSL is poised for vibrant ship repair business times in the future.

Operations

26. Our Company's performance continued to be promising in all segments. The total turnover of the Company is ₹3,190.00 Crores as against the previous year of ₹2,818.90 Crores. The shipbuilding income during the year is ₹2,511.48 Crores as against the previous year income of ₹2,405.59 Crores. During the year, CSL delivered four nos. of 8000 T Cargo Vessels built for JSW Shipping & Logistics Private Limited which opened up a new vertical in the coastal/ shortsea shipping segment for the Company. CSL also delivered one no. of Technology Demonstration Vessel, INS Anvesh, built for Defence Research and Development Organisation (DRDO) which is a unique platform to be used to test various innovative products being developed by DRDO labs. In addition to above, CSL has also designed and delivered the first Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessel for the Kochi Water Metro Project thus creating a revolutionary sustainable urban mobility water transportation solution. Furthermore, CSL has also successfully delivered six nos. of Floating Border Out-Post (FBOPs) Vessels out of nine FBOPs being built for Ministry of Home Affairs. Further, the construction of five nos. of Anti-Submarine Warfare Shallow Watercraft for Indian Navy, three nos. of Floating Border Out-Post (FBOP) Vessels for the Ministry of Home Affairs and balance 22 nos. of Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for Kochi Water Metro Project are progressing. During the financial year 2021-22, the Company delivered a total of twelve vessels under defence as well as commercial segment.

27. The Yard has also completed major milestones on various projects such as:

- Keel laying of eight Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels and launching of three such Vessels for Kochi Water Metro Project;
- Launching of three FBOPs for the Ministry of Home Affairs;
- Launching and keel laying of two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway; and
- Steel cutting and start of fabrication of three Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts for the Indian Navy.

28. CSL achieved these milestones in spite of the COVID-19 pandemic challenging conditions by putting extra efforts amidst various uncertainties.

Financial Information

29. The financial information of the Company pertaining to the last decade is given below:

(Amount in ₹ Crores)

Year	Paid up capital	Nominal value of shares (₹ per share)	Capital employed	Net worth	Profit Before Tax	Tax on Profits	Net Profits	EPS (₹)	Dividend	Payout ratio
21-22	131.54	10	4355.75	4359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
20-21	131.54	10	3964.27	3977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
19-20	131.54	10	3748.78	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3327.72	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3271.03	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2062.02	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1749.31	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1585.68	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1401.52	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08
12-13	113.28	10	1175.10	1175.70	275.55	90.28	185.27	16.35	16.99	0.09

Key Financial Ratios

Sl. No.	Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21	Change (in %) as compared to FY 2020-21	Detailed explanation for change of 25% or more
1.	Debtors Turnover	6.72	6.41	4.78	NA
2.	Inventory Turnover	8.76	7.56	15.85	NA
3.	Interest Coverage	18.09	17.06	6.04	NA
4.	Current Ratio	1.69	1.73	-2.56	NA
5.	Debt Equity Ratio	0.03	0.03	-5.95	NA
6.	Operating Profit Margin (%)	26	31	-16.13	NA
7.	Net Profit Margin (%)	18.39	21.64	-15.04	NA

Return on Net Worth

Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21	Change (in %) as compared to FY 2020-21	Detailed explanation for change
Return on Networth (%)	13.46	15.34	-12.26	#

#Change is on account of decrease in PAT and increase in net worth due to increase in input costs and impact of second wave COVID lockdown.

Proposed / Declared Dividend

30. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹3.75/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, interim dividends of ₹6/- and ₹7/-, aggregating ₹13/- per equity share had been paid to the shareholders during 2021-22. Thus, the total dividend for the year 2021-22 is ₹16.75/- per equity share (167.50%), amounting to ₹220.33 Crores.

Segment-wise/ Product-wise Performance

31. The Company is engaged in two major activities viz., shipbuilding and repair of ships/offshore rigs etc. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis. The segment wise performance is given below:

(₹ Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Segment Assets		
Shipbuilding	251516.16	319484.51
Ship Repair	287038.89	259606.41
Unallocated	293292.23	160863.06
Total	831847.28	739953.98
Segment Liabilities		
Shipbuilding	155888.80	104576.01
Ship Repair	64318.72	11264.54
Unallocated	175721.79	226356.75
Total	395929.31	342197.30
Segment Revenue		
Shipbuilding	251148.16	240559.27
Ship Repair	67852.09	41330.43
Unallocated	26641.68	19386.07
Total	345641.93	301275.77
Segment Result		
Shipbuilding	57749.03	76229.86
Ship Repair	12041.89	9419.89
Unallocated	9648.14	-4591.11
Total	79439.06	81058.64

32. The Company has two major business segments – “shipbuilding” and “ship repair”. Revenue under shipbuilding includes ₹2,04,473.56 Lakhs (previous year: ₹2,03,736.66 Lakhs) from one customer (previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue, and for ship repair includes ₹40,786.31 Lakhs (previous year: ₹29,714.58 Lakhs) from two customers (previous year: three customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

- (d) Highly evolved shipbuilding processes and practices permitting modular construction of ships;
- (e) A very good product mix compatibility comprising of defence ships, commercial ships and offshore support ships;
- (f) Availability of quality sub-contractors and good supply chain network; and
- (g) ‘State-of-the-art’ facilities especially in terms of craneage, transporters, covered mobile shops, covered marine coating facility, high quality welding equipment, international standard hull fabrication facilities, substantial material storage facilities etc.

SWOT

Strengths:

- (a) Highly trained, motivated and knowledgeable manpower with an average of 15 years of experience at all levels of hierarchy resulting in extremely high quality workmanship;
- (b) A well planned and laid out shipyard enabling smooth work flow;
- (c) A modern ‘state-of-the-art’ design centre manned by highly trained, experienced and competent naval architects/engineers, draftsman etc.;

Weaknesses:

- (a) Virtually non-existent indigenous ancillary industries and consequently non-availability of major equipment/raw materials in India;
- (b) Infrastructure constraints due to non-availability of large sized dock to build and repair ships beyond 1,10,000 DWT

and 1,25,000 DWT respectively. (This will be overcome with the proposed new dry-dock);

- (c) Difficulty to arrange long term project finance to ship owners which is offered by other overseas shipbuilding countries; and
- (d) Comparatively higher social and employee overheads and certain restrictive labour practices especially for contracting labour.

Opportunities:

- (a) Projected increase in requirement of ships for the domestic commercial segment, owing to the new GOI policy to encourage "Make in India";
- (b) Projected demand in the defence sector;
- (c) Indian Navy, Coast Guard and other maritime security agencies have embarked on an ambitious expansion programme which will open new opportunities;
- (d) LNG fuelled vessels, both deep sea and coastal;
- (e) Emerging opportunities in the inland waterways and coastal shipping sector in India;
- (f) Fishing vessels for both domestic and overseas market;
- (g) Tap opportunities for FRP boats for coastal security; and
- (h) Huge demand – supply gap for the repair of commercial and defence ships and virtually no competition in India.

Threats:

- (a) Spread of contagious diseases like COVID-19 pandemic;
- (b) Natural disasters;
- (c) Distress pricing policies of competitors;
- (d) Adverse reputational impact on the Indian shipbuilding industry due to under performance by Indian yards;
- (e) Rising cost of labour; and
- (f) Non-flexible government regulations on procurement policies delaying the product delivery timelines and cost.

CRUISE 2030

- 33. CSL has embarked on a bold transformation programme, CRUISE 2030 in March 2019 to achieve breakout growth along with globally competitive operations to profitably achieve the growth. CRUISE 2030 exercise clearly mandates

the need to tap new revenue generation streams beyond the current Ship Building & Ship Repair portfolios and a new division by name 'C-SAS' (CSL Strategic & Advanced Solutions) has already been formed. CRUISE 2030 had focused strongly on building the new businesses such as deep sea fishing vessels and electronic control systems, strengthening the operations maturity through 'Shipyard 4.0' and Project Management initiatives. The programme also focused on CSL's breakthrough into the Dredging and Inland Barges, and structured cost reduction initiatives across fishing vessels and other businesses. The Company is also working towards building capability in advanced technologies to tap business potential in new emerging vessel segments such as autonomous, hybrid/ electric vessels and alternative fuels. CSL has formed a dedicated Centre of Excellence team to drive digital transformation across the value chain, i.e. Planning, Design, Procurement and Operations.

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

- 34. In order to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios, a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) has been formed to enable the Company to venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future oriented business models. Keeping pace with the Global Maritime Green Transitions, the Company is in the process of developing and building India's first indigenous Hydrogen Fuelled Electric Vessel, a pilot project part funded by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). The pilot project is based on development of a Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) – also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV) and the C-SAS division is in charge of the technological part of design, development and construction of the Vessel. The move is part of India's transformative efforts on the innovative and new technology front with respect to green energy and sustainable cost-effective alternate fuel. The pilot project is being carried out in collaboration with Indian partners and the necessary action this regard has already commenced.
- 35. Further, C-SAS has recently acquired an order through competitive bidding process from the DRDO for the Development Cum Production Partner (DcPP) with NSTL for High Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV). This is expected to enable the Company in acquiring knowledge in autonomous underwater sector, a segment with good growth potential.

Risks and Concerns

- 36. Pandemics like COVID-19 and the resultant lock down also impose various risks on the operations of the Company. The scale of production will be reduced due to various factors including restricted working arrangements, travel constraints, reduction in outsourced manpower (which to a certain extent due to reduced migrant labour availability), non-availability of service engineers and OEM representatives especially related to foreign equipment on account of international and inter-state travel restrictions. Projects can also run at a delayed pace due to the factors mentioned above and also on account of issues in material availability and logistic and also issues relating to cash flows from customers.
- 37. Also, there are possibilities of withholding of future projects by clients, cancellation of running enquiries and potential projects might have to be put on hold citing liquidity issues. Additionally, impaired cargo movement through road, shipping channels and air routes (due to labour shortages, operational hurdles at ports, airlines cutting down on operations) would add to cost of imports as well as exports further pressuring Company.
- 38. The risks for the Company arise from the inherent nature of the shipbuilding industry. About 20 to 30% of the Company's revenue is from the commercial shipbuilding which is highly cyclical in nature. The commercial shipbuilding industry prospects are dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries. Offshore Industry continues to be in the trough. The pandemic situation had created concerns world over and the situation are on watch for the probable indications towards the tectonic shifts in the international economy with significant impact in the shipbuilding & repair industries too.
- 39. Substantial portion of the Company's activities involve the fabrication and refurbishment of large steel structures and its erection which would entail the operation of cranes and other heavy machinery and other operating hazards. The operational risks faced by the Company also could result in fires and explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, CSL do not have insurance for business interruption. These risks could expose the Company to substantial liability for personal injury, wrongful death, product liability, property damage, pollution and other environmental damages.
- 40. Another high risk area for the Company is the availability and price fluctuations of major raw materials. The major raw materials include steel (the grade and quality of which, in each project, depends on the applicable classification rules)

and other materials, equipment and other components such as pumps, propellers and engines. In fiscals 2020, 2021 and 2022 respectively, the Company's material consumption costs constituted, 63.99%, 55.39% and 60.67% of its total costs, respectively. In particular, bought out components accounted for around 95% of our total raw material cost in these recent fiscals.

- 41. Shortages in the supply of raw materials may result in an increase in the price of these raw materials. For example, there are supply-side constraints in relation to steel in India which we expect will continue in future. The Indian steel industry has been unable to compete globally due to which the GOI has imposed significant duties on the import of steel from other countries such as China to protect the domestic steel industry. This has adverse impacts when CSL is unable to source steel economically. In addition, the cost of certain raw materials, such as steel, aluminium, copper etc., may fluctuate in line with any changes in their global supply and demand and thus impacting the material cost.
- 42. In the event that the price of the Company's raw materials increase, the Company will not be able to pass these price increases to its customers on its existing fixed contracts and its business, financial condition and results of operations can be adversely affected.
- 43. Changes in currency exchange rates may influence our results of operations. Globally, a substantial part of all worldwide ship sales transactions and purchase of offshore structures is generally conducted in USD. To mitigate this risk, the Company hedges the net forex exposure on the export receivables. However, in the case of import components in respect of shipbuilding/ship repair contracts denominated in Rupee terms, CSL is exposed to exchange rate fluctuation risk unless the contract with the ship owner provides for an exchange variation reimbursement clause. Currently, some of the shipbuilding contracts do not contain such provision. Hence, adverse fluctuation in the currency rates will affect and influence our results of operations.

Product Diversification

- 44. As the Company is presently on the cusp of transformational growth, CSL is undertaking transformative efforts on the innovative and new technology front including that on Green Energy, Alternate Fuels, Autonomy, etc. Towards this, CSL is building 23 Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat and is expected to integrate the urban water transport system for the seamless transportation requirements of the Kochi citizenry. CSL

is also executing the order for two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway.

45. CSL in collaboration with indigenous partners and under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways is implementing a pilot project for design, development and construction of Hydrogen Fuel Cell Vessel based on Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV). Taking into consideration the growing impetus on hydrogen economy and hydrogen-based fuel cell technology both nationally and internationally, it is only prudent to explore its use case in the marine segment, especially in India, where there is vast possibility for its use on Coastal & Inland vessels.
46. CSL has also conceived a Start-up engagement framework which was unveiled by Hon'ble Minister for Ports, Shipping & Waterways at the inaugural function of the Company's Golden Jubilee celebrations held on April 30, 2022. With this framework CSL has committed to invest an initial corpus of ₹50 Crores in start-up companies engaged in maritime sector. The start-up framework is envisaged to augment Government of India's initiatives to develop an ecosystem in India to support Maritime Start-ups from technical, regulatory, financial and marketing point of view by bringing stakeholders together. The framework will provide a platform for the young and talented entrepreneurs to develop the products/services in the marine space with financial support provided by CSL.

Internal Control

47. The Company has promulgated an internal control and internal audit manual and has in place adequate internal control systems. The internal audit function is carried out by an independent firm of Chartered Accountants who carry out an in-depth review of internal control systems in critical areas based on the audit programme approved by the Board level Audit Committee headed by an Independent Director. During the financial year 2021-22, the Company had engaged M/s. Varma & Varma, Chartered Accountants for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

Human Resource Development and Industrial Relations

48. The details regarding Human Resource Development and Industrial Relations are more specifically covered in the Directors' Report.

Women Empowerment

49. CSL has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). A senior woman executive is the Chairperson of the Internal Complaints Committee. The Certified Standing Orders applicable to workmen include sexual harassment as an act constituting misconduct. The Internal Complaints Committee is empowered to enquire into such complaints as per the procedure laid down in the Certified Standing Orders and Industrial Employment (Standing Orders) Acts and Rules.
50. As a part of fostering women welfare measures, CSL has conducted awareness session regarding the usage of menstrual cup and free distribution of menstrual cups were done as a part of Women's Day celebration.
51. CSL has commemorated the 8th anniversary of POSH Act on December 09, 2021 by organizing a grand ceremony wherein a workshop on POSH Act was also conducted along with various other competitions.
52. An online session on 'Prevention of sexual harassment of women at workplace', was conducted by CSL on July 16, 2021 and the same was attended by 33 employees.
53. The Company ensures the participation of women in various forum including Joint Council, Shop Council, Central Safety Council, Shop Safety Council, Employees Contributory Provident Fund Trust, Employees Cochin Shipyard Recreation Club, Employees Cochin Shipyard Consumer Society etc.

Technology Conservation

54. CSL continuously strives for conservation and upgradation of technology to remain competitive in the global shipbuilding market. Towards this the Company has taken the following initiatives:
- Development of NAPA software code for automatic generation of loading conditions and intact & damage stability criteria check of these loading conditions.
 - Development of basic design of tugs in collaboration with Robert Allan Limited, a leading Canadian design firm, specialized in Tug design.
 - Development of five standard designs for Tugs for IPA.
 - Development of three standard designs for Fishing vessels for GOI.

- Developed concept design of 12m Autonomous Surface vessel as feasibility study project.
- Developed working concept of Semi-Automatic Mooring System for implementation in Kochi Water Metro Project.
- Developed concept design of hydrogen powered fuel cell passenger ferry boat. Rating of fuel cell and bill of materials for the project were finalized with MoU partner M/s. KPIT Technologies.
- Developed concept design for 3000 T Inland Cargo Carrier for operation in NW1, NW2 and Indo Bangladesh protocol route.
- Developed concept design of battery powered Ro-Ro vessel.
- Developed concept design for 80 Pax River Cruise vessel for operation in Ayodhya.
- Developed concept design for Submersible Testing Platform.
- Implementation of IPMS software and hardware upgradation for INS Deepak through MoU partner M/s. Seastema Italy.

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability

55. For more details, please refer the annual report on CSR activities placed at Annexure III to Directors' Report.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012

56. The Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 52%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for FY 2021-22, till March 31, 2022, in spite of COVID-19 pandemic effects and restrictions. SC/ST and women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives.

57. With a view to promote procurement/ avail services through MSMEs as per the Public Procurement Policy 2012 promulgated by the Government of India (GOI), Cochin Shipyard Limited attended a Vendor Development Program for MSME SC/ ST entrepreneurs in Kerala, organised by Department of Industries, Government of Kerala along with Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) on November 02, 2021 at Kottayam and also organised a Vendor Development Programme exclusively for MSME SC/ ST and women entrepreneurs on January 06, 2022 in association with FICCI and National Small Industries Corporation (NSIC), at CSL.
58. Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors, regular uploading of procurement data and other details in "MSME SAMBANDH" portal, ensuring no vendor complaint is pending in "MSME SAMADHAAN" portal on delayed payment monitoring system which implies payments to MSME vendors are effected without delay, on boarding of around 180 vendors in TReDS platform etc.

Cautionary statement

59. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 24, 2022

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Business Responsibility Report

About this report

In terms of Regulation 34(2)(f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Reports of the top one thousand listed entities based on market capitalization at the BSE and NSE shall contain a Business Responsibility Report (BRR) describing the initiatives taken by the Company from an environmental, social and governance perspective, which includes CSL.

The reporting framework is based on the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business (NVGs) released by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, in July 2011 which contains 9 Principles and Core Elements for each of the 9 Principles. Following is the Business Responsibility Report of our Company based on the format suggested by SEBI.

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L63032KL1972GOI002414
2. Name of the Company	Cochin Shipyard Limited
3. Registered address	Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015.
4. Website	www.cochinshipyard.in
5. E-mail id	secretary@cochinshipyard.in
6. Financial Year reported	2021-22
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Shipbuilding and Ship Repair (Industrial Group 301 and 331 as per National Industrial Classification of the Ministry of Statistics and Programme Implementation)
8. List three key products/services that the Company manufactures/ provides (as in balance sheet)	The Company is engaged in the business of shipbuilding and ship repair. Inter alia considering nature of production process and infrastructure facilities used, there are no other reportable segment.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	
a) Number of International Locations (Provide details of major 5)	Nil
b) Number of National Locations	Five
10. Markets served by the Company – Local/State/National/ International	Local, State, National and International

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital	₹131.54 Crores
2. Total Turnover	₹3190.00 Crores
3. Total profit after taxes	₹586.57 Crores
4. Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹16.19 Crores 2.76%
5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	CSL's CSR activities are carried out in the following focus areas: <ul style="list-style-type: none"> Health, Nutrition, Education with special focus on COVID related measures including setting up makeshift hospitals and temporary COVID care facilities and COVID vaccination.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes, CSL has two Subsidiaries viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) and Udipi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (formerly known as Tebma Shipyards Limited).
2. Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	No. Both the subsidiary companies are in a very nascent stage of their operations and hence have not started to participate in the BR initiatives of CSL.
3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	The Company has adopted well established procedures for outsourcing and procurement activities in order to ensure quality, on time delivery and optimum cost. Care is taken to have a panel of vendors with sound integrity. The Company has introduced e-payment, integrity pact etc., for a more transparent method of procurement. The standard terms and conditions of purchase order conforms to the Company policy on safety, environment etc., and are accepted by the vendor. Hence, majority (more than 60%) conform to the key principles of the business responsibility.

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR	
(a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies	BR function relating to corporate social responsibility and sustainability was monitored by the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board of Directors. The details of the composition of the CSR & SD Committee during 2021-22 is provided in the Corporate Governance Report.
1. DIN	
2. Name	
3. Designation	
	The details of the Chairperson of the Committee are as follows: DIN : 09419082 Name: Shri Nahar Singh Maheshwari Designation: Non-official (Independent) Director Email ID: nsmaheshwari@cochinshipyard.in
(b) Details of the BR head	The Board has not assigned responsibilities specifically to any Director to function as the BR head.

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

The 9 principles outlined in the National Voluntary Guidelines are as follows:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with ethics, transparency and accountability.
P2	Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
P3	Businesses should promote the well-being of all employees.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.
P7	Businesses when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
P8	Businesses should support inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		Various policies at CSL conform to different applicable statutes/ guidelines/ rules etc. issued by GOI, and updated from time to time. Industry practices, national/ international standards are kept in view while formulating policies.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
		Different policies are approved by the Board/Competent Authorities as per delegation of power.								
5	Does the Company have a specified Committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	The policies are available on Company's website: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes. The policies have been communicated to the stakeholders by uploading on the Company's above mentioned website. Quality, Health, Safety and Environmental Policy is uploaded in intranet of the Company as well as CSL's website. The same is also displayed at all major locations of the Company.								
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Yes								
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	The Board has set up a Committee to address the grievances of the stakeholders, debenture holders and other persons holding securities in the Company as required under the Companies Act, 2013 and under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.								
10	Has the Company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The Company is subject to various audits such as Statutory Audit by firm of Chartered Accountants appointed by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG), Internal Audit, C&AG Audit, Cost Audit, Secretarial Audit, Energy Audit, Safety Audit, Integrated Management Systems Audit etc. These audits ensure compliance to various internal and external policies.								

3. Governance related to BR

- a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

The senior management of the Company reviews BR performance on an ongoing basis. The Board/ Committees constituted by it review the same periodically.

- b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

Yes. The Company publishes BR Report annually as part of its annual report. The hyperlink for viewing the report: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/53

Section E: Principle-Wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with ethics, transparency and accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Company? Yes/No. Does it extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

The Company has positioned an Integrity Pact which is signed with bidders to enable them to raise any issues with regard to high value tenders of more than ₹100 Lakhs floated from time to time. People of high repute and integrity are appointed as Independent External Monitors to oversee implementation of the said Integrity Pact.

The pact essentially envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and CSL committing the persons/officials of both sides, not to resort to any corrupt practices in any aspect/stage of the contract. Any violation of the same would entail disqualification of the bidders and exclusion from future business dealings.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?

During the year under review, a total of 22 complaints were received from various stakeholders and all the complaints were resolved to their satisfaction.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

The Company is engaged in the business of shipbuilding and ship repair. As such the Company has only one product, which has been designed to incorporate social or environmental concerns as well as benefit from the available opportunities.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

- (a) Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain.

The Company recognizes its commitment to achieve economic development through sustainable methods. This is proposed to be achieved through employment of appropriate technology, transparency in procurement and outsourcing and participation in sustainable development programmes.

- (b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year.

CSL has implemented various energy conservation measures viz., installation of solar power plant having capacity of 1622 kWp, electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps, replacement of high electricity consuming light fittings with energy efficient LED fittings, replacement of conventional split air conditioner system with VRF air conditioning system, use of energy efficient BLDC/ 5 star fans instead of ordinary ceiling fans, regular monitoring and rectification of leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines, switching off air compressor during lunch break, switching off main power supply to shops, quays & docks momentarily at 12:00 hrs. which trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break, displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power, continuously monitoring and maintaining power factor

near unity etc. Energy savings of approximately 3.38 Lakhs units per annum have been achieved with the implementation of measures specified above.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably?

The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies, various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements, ability to supply materials as per stipulated delivery period. Annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance. A vendor is removed / suspended from approved vendor list based on his average performance over the period of evaluation. Vendors list is reviewed and updated once in a year.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local and small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

With a view to promote procurement/avail services through local and small producers and service providers including Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012 promulgated by the Government of India (GOI), the Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 52%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for FY 2021-22, till March 31, 2022, in spite of COVID-19 pandemic effects and restrictions. SC/ST and women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives.

Further, Cochin Shipyard Limited attended a Vendor Development Program for MSME SC/ ST entrepreneurs in Kerala, organised by Department of Industries, Government of Kerala along with Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) on November 02, 2021 at Kottayam and also organised a Vendor Development Programme exclusively for MSME SC/ ST and women entrepreneurs on January 06, 2022 in association with FICCI and National Small Industries Corporation (NSIC), at CSL.

Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors, regular uploading of procurement data and other details in "MSME SAMBANDH" portal, ensuring no vendor application is pending in "MSME SAMADHAAN" portal on delayed payment monitoring system which implies payments to MSME vendors are effected without delay, on boarding of around 180 vendors in TReDS platform etc.

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%)?

Due to the nature of products of the Company and the waste generated, mechanism to recycle is not available. However, the wastes are disposed off through agencies dealing in such disposal or recycling and approved by the environmental authorities.

Principle 3: Businesses should promote the well being of all employees

1. **Total number of employees:** 1756 (permanent employees)
2. **Total number of employees hired on temporary / contractual /casual basis:** Average 6500 per day
3. **The number of permanent women employees:** 172
4. **The number of permanent employees with disabilities:** 56
5. **Do you have an employee association that is recognized by management?**

Yes, CSL have four employee association recognised by the management viz.:

- a. Cochin Shipyard Officers Association (CSOA)
- b. Cochin Shipyard Supervisory Staff Association (CSSSA)
- c. Cochin Shipyard Employees Organisation (CSEO)
- d. Cochin Shipyard Employees Federation (CSEF)

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Most executives are members of Cochin Shipyard Officers Association. In the case of permanent workmen, most of them are affiliated to various recognised unions.

7. Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the year.

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour / forced labour/ involuntary labour	The Company does not hire child labour, forced labour or involuntary labour. No compliant.	Not Applicable
2.	Sexual harassment	1	0
3.	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety and skill upgradation training in the last year?

- Permanent Employees: 100%
- Permanent Women Employees: 100%
- Casual/Temporary/Contractual Employees: 100%
- Employees with Benchmark Disabilities: 100%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Company mapped its internal and external stakeholders?

Yes, the Company has mapped its internal as well as external stakeholders.

2. Out of the above, has the Company identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders?

CSL's CSR projects aims at benefiting the disadvantaged, vulnerable and marginalized community who are present across Kerala particularly in remote rural/tribal communities. Further, CSL ensures that the reservation policy as advised by the Government of India (GOI) is implemented. CSL is also involved in improving the quality of life of persons for whom projects are specially designed. The Company has identified (i) SC/ST (ii) differently abled as disadvantaged, vulnerable and marginalized for employment purpose.

3. Are there any special initiatives taken by the Company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

CSL has made commitments for various projects across Kerala in its CSR thrust areas, largely catering to disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders

viz., education, sanitation & smart class rooms for children, healthcare initiatives for tribal communities, several initiatives for differently abled persons, empowerment of women through income enhancing skill development programmes and other interventions in rural/tribal/semi-urban areas. The Company follows all the GOI regulations regarding reservations for SC/ST and differently abled.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Company on human rights cover only the Company or extend to the group/joint ventures/suppliers/contractors/NGOs/others?

The human resource policies of the Company cover all aspects of human rights of its employees and others associated with it for operation of its business and covers human rights of employees of the subsidiaries also. No complaints have been received in the past financial year on human rights.

The Company is committed to uphold and maintain the dignity of women employees and it has in place a policy which provides for protection against sexual harassment of women at work place and for prevention and redressal of such complaints. During the year under review, the Company has received one such complaint and the same was closed.

The Company is committed to comply with all human rights practices across subsidiaries and other stakeholders associated with the Company.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

During the year under review, a total of 22 complaints were received from various stakeholders and all the complaints were resolved to their satisfaction.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the Company or extends to the group/joint ventures/suppliers/contractors/NGOs/others?

Covers the Company. As a part of the integrated approach of the Company, our commitment to the mother nature is demonstrated through our ongoing effort to reduce the adverse impact on the environment and reinforcing the positive contribution. We strive to achieve this by identifying the significant environmental aspects of its activities and products and developing programmes and processes to reduce or control them with an aim of protecting the environment. During the reporting period, the company has received CII SR EHS Excellence Awards 2021 in the EHS engagement in work force category. The Company also persuades and encourages its business partners/vendors/contractors to move towards environmental friendly processes, right from design to disposal.

2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? If yes, please give hyperlink for webpage etc.

The Company has a detailed manual which describe the common procedures that need to be established for the effective implementation of the environmental management system, meeting the requirements of the international standards ISO 14001:2015.

3. Does the Company identify and assess potential environmental risks?

Yes.

4. Does the Company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

Presently, CSL does not have any project under Clean Development Mechanism.

5. Has the Company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.? If yes, please give hyperlink for web page etc.

The Company has undertaken various initiatives like, installation of solar power plant having capacity of 1622 kWp, electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps, replacement of high electricity consuming light fittings with energy

efficient LED fittings, replacement of conventional split air conditioner system with VRF air conditioning system, use of energy efficient BLDC/5 star fans instead of ordinary ceiling fans, regular monitoring and rectification of leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines, switching off air compressor during lunch break, switching off main power supply to shops, quays & docks momentarily at 12:00 hrs. which trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break, displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power, continuously monitoring and maintaining power factor near unity etc. These initiatives resulted in energy savings of approximately 3.38 Lakhs units per annum.

Further, CSL is undertaking transformative efforts on the innovative and new technology front including that on Green Energy, Alternate Fuels, Autonomy, etc. Towards this, CSL is building 23 Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat and is expected to integrate the urban water transport system for the seamless transportation requirements of the Kochi citizenry. CSL is also executing the order for two Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. The Project is an ambitious project in Norway partially funded by the Norwegian government as a part of a green shipping programme aimed at emission-free transport of goods across the Oslo fjords.

CSL in collaboration with indigenous partners and under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways is implementing a pilot project for design, development and construction of Hydrogen Fuel Cell Vessel based on Low Temperature Proton Exchange Membrane Technology (LT-PEM) also called Fuel Cell Electric Vessel (FCEV).

6. Are the emissions/waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Yes.

7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

In the financial year 2021-22, there are no pending CPCB/SPCB show cause/legal notices.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.

1. Is your Company a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:

- Indian Shipbuilders Association
- Indo Japan Chamber of Commerce
- Confederation of Indian Industry (CII)
- Cochin Chamber of Commerce and Industry
- All India Management Association
- The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)
- Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes, specify the broad areas (drop box: governance and administration, economic reforms, inclusive development policies, energy security, water, food security, sustainable business principles, others).

The above mentioned organisations act as a platform for CSL to address issues that might impact its stakeholders. CSL encourages participation in advocating policy level processes rather than lobbying on any specific issues.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development.

1. Does the Company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

As mentioned in the sections above, CSL's CSR projects aim at benefitting the community from low socio-economic strata across the state of Kerala and are identified as vulnerable. These projects are attempting for inclusive growth & equitable development of such communities.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

CSL largely collaborates with various NGOs, foundations, government agencies and other professional agencies for execution of the projects on the ground.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Impact assessment is crucial to view the effect of the activity conducted. CSL conducts impact assessment as a part of the project for the majority of projects.

4. What is your Company's direct contribution to community development projects – amount in INR and the details of the projects undertaken?

In the financial year 2021-22, the contribution to community development projects was around ₹15 Crores. Please refer to the Report on CSR Activities forming part of this Annual Report.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Engagement of the community is paramount for sustaining any community development program on ground. We ensure engagement of the community at the very planning stage and thereafter induct them at the implementation level. This not only ensures acceptance of the programme on ground but also its continuity and sustainability.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

The Company's customers are large corporate houses, corporations both national and international or Ministries of the Central Government. During the year under review the Company has not received any complaints.

2. Does the Company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks (additional information)

Not applicable as it engages in shipbuilding and ship repair operations.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the Company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

No cases have been filed by any stakeholders against the Company regarding unfair trade practices during the last five years.

4. Did your Company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

Yes. All the contracted vessels are conducted with a customer satisfaction survey and feedbacks are taken from owners willing to share their experience. The surveys are conducted by an independent third party firm in order to have open & genuine feedback from the customer.

Customer satisfaction survey is conducted in two phases for the vessels contracted; one during construction phase (Phase I) and one after completion of warranty period (Phase II). Phase I is intended for an interim feedback during the ongoing construction stage, in order to identify any concerns from the owner during the construction phase. This also helps the Yard to understand the area of concerns (if any), and can initiate actions appropriately for improvements to the level of owner expectations. Phase II survey is after the delivery and the completion of warranty period of the vessel where owner would have

sufficient time to understand the performance & quality of construction, which will provide an overall perspective of their satisfaction for the new building contracted & delivered.

The surveys conducted cover all phases of construction starting from the pre-contract stage. Feedbacks are requested from owners regarding approachability, accessibility, quality of construction, overall technical capabilities of the Yard & post delivery services. The independent agency submits a report in each financial year for the surveys conducted and elaborates regarding the feedbacks from various clients, specifying the areas where Shipyard is performing well & areas where improvements are suggested. This independent report provides a scope to understand the strength & weakness of the Yard from the owner perspective and is much helpful while approaching the same client / similar clients.

Financial Statements

Independent Auditors' Report

To the Members of
Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of Cochin Shipyard Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), and the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Ind AS prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Ind AS) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022, and its profit (including Other Comprehensive Income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Measurement of Physical Completion of Ship Building and Ship Repair activities.

The company recognises revenue from ship building and ship repair activities based on percentage of completion method. The percentage of completion is arrived at based on estimated percentage of physical completion as assessed by the management of the company which involves exercise of significant judgements. [Refer Note 2.4 (Critical Accounting Estimates & Judgements) & 2.19(a) (Revenue from operations) to the Standalone Financial Statements]. The physical completion is ascertained as per an in-house procedure developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs received from the planning, design and technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Our audit approach consisted of understanding the basis and assumptions made in adopting such procedure, understanding the system for capturing data and monitoring the progress of completion of various works for internal reporting to the management, evaluating the internal controls in such system, selecting samples and performing substantive checking and analytical procedures. However, we have placed substantial reliance on the technical and activity-based assessment made by the management for the purpose of recognition of income.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report, Report on Corporate Governance, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as per applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance (including Other Comprehensive Income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the Order to the extent applicable.

2. Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give in "Annexure B", a report on the Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act, 2013.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The Standalone Balance Sheet, the standalone Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the standalone Statement of Changes in Equity and standalone Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
 - (e) In view of the exemption given vide notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company.
 - (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
 - (g) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Company is exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
 - (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone financial statements (refer Note Nos. 44,45,46 of the Standalone Financial Statements).

- ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note 48 to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- (b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note 48 to the accounts, no funds have been received by the Company from any person or entity, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- (c) Based on the audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) above contain any material misstatement.
- v. The dividend declared/paid by the Company during the year is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.

Kochi
20.05.2022

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 0008015

Joseph Atul Thomson
Partner
Membership No. 243850
UDIN:22243850AJIRRE5626

Annexure-A to the Independent Auditors' Report

With reference to the Annexure A referred to in the Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31st March 2022, we report the following:

- (i) (a) (A) In our opinion, the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) In our opinion, the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.
- (b) There is a regular program of physical verification of Property, Plant and Equipment, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the company and the nature of assets. During the year, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) The title deeds of immovable properties (other than the properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the Company) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company.
- (d) The company has not revalued its Property, Plant and Equipment or intangible assets during the year.
- (e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, we report that no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and rules made thereunder.
- (ii) (a) Inventories were physically verified during the year in accordance with the inventory verification procedure adopted by the management. In our opinion, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. No discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed during such verification.
- (b) The company has been sanctioned Non-Fund Based limits in excess of Rs. 5 crores by banks which are availed as and when required. It has also been sanctioned Fund Based limits in excess of Rs. 5 crores by banks which have not been availed by the company. The company is not required to file quarterly returns or statements with the banks.
- (iii) During the year, the company has invested Rs. 10 Crores and Rs. 31 Crores in Non-Convertible Debenture of its wholly owned subsidiaries M/s Udipi Cochin Shipyard Limited (formerly Tebma Shipyard Limited) and M/s Hoogly Cochin Shipyard Limited respectively. Also, advances have been given to directors during the year on the same terms and conditions at which it is given to other employees of the company.
- a) During the year, the company has not provided loans or provided advances in the nature of loans or stood guarantee or provided security to any other entity except advances given to directors on the same terms and conditions at which it is given to other employees. Loan had been given to subsidiary in the preceding year and remains receivable as on Balance Sheet, the details of which are as follows :-

Particulars	Guarantees	Security	Loans	Advance in Nature of loans
Aggregate amount granted or provided during the year:				
Subsidiaries	-	-	-	-
Joint Ventures	-	-	-	-
Associates	-	-	-	-
Others - Directors	-	-	-	Rs. 1.20 Lakhs
Balance outstanding as at balance sheet date in respect of:				
Subsidiaries:				
Udipi Cochin Shipyard Limited (formerly Tebma Shipyards Limited)	-	-	Rs. 5 Crores	-
Joint Ventures	-	-	-	-
Associates	-	-	-	-
Others - Directors	-	-	-	Rs. 0.36 Lakhs

- (b) In our opinion, the investments made, and the terms and conditions of the grant of loans and advances provided are not prejudicial to the company's interest.
- (c) In respect of the loans and advances, the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and the repayments / receipts are regular.
- (d) As per our examination of the company's records, no amount is overdue in respect of the above loans and advances.
- (e) There has been no such instance where any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the over dues of existing loans given to the same parties.
- (f) Based on the information and explanations given to us, and procedures performed by us, we are of the opinion that the company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanation provided to us, the company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees and security.
- (v) According to the information and explanation given to us, the company has not accepted any deposits from public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder are not applicable.
- (vi) We have broadly reviewed the books of account maintained by the company pursuant to the Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determine whether they are accurate and complete.
- (vii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in respect of statutory dues, we report that:
- (a) The company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues to the appropriate authorities. According to the information and explanation given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at 31st March 2022 for a period of more than six months from the date they become payable.
- (b) There are no statutory dues referred to in sub-clause (a) above which have not been deposited with the appropriate authorities on account of disputes, except the following:

(Rupees in lakhs)

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount	Amount paid/adjusted	Amount unpaid	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act 1961	Income Tax	1369.11	1369.11*	-	AY 2010 - 11 AY 2011 - 12 AY 2014 - 15 AY 2017 - 18	Commissioner of Income Tax (Appeals)
		700.86	700.86*	-	AY 2010 - 11 AY 2011 - 12	Income Tax Appellate Tribunal
Finance Act, 1994	Service Tax	4,601.92	-	4,601.92	2004-05 to 2014-15 2015-16 2016-17	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore Commissioner (Appeals)

(Rupees in lakhs)

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount	Amount paid/adjusted	Amount unpaid	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Customs Act, 1962	Duty of Customs	9,358.73	6,725.48	2,633.25	2003-2004	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
					2013-2014	
		50.77	-	50.77	1984-1990	Commissioner of Customs, Cochin
		14,961.22	-	14,961.22	2004-2005	Case dismissed by Hon'ble High Court of Kerala directing department to file appeal under Section 130E of the Customs Act with the Hon'ble Supreme Court.
			2010-2015			
Employees' State Insurance Act, 1948	Employees' State Insurance	17.26	-	17.26	2010-2013	Hon'ble Insurance Court, Alappuzha

*Adjusted against the refund due for the subsequent years

- (viii) Based on our examination of the books and other records of the company and based on the information and explanations given to us, we are of the opinion that there are no instances of transactions not recorded in the books of account and surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- (ix) (a) The company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our audit procedures, we report that the company has not been declared as a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- (c) The company has not availed any term loan.
- (d) The company has not raised any funds on short term basis.
- (e) Based on the information and explanations given to us, and audit procedures performed by us, we report that the company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.
- (f) The company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
- (x) (a) The company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year.
- (b) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures during the year.
- (xi) (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and audit procedures performed by us, we report that no fraud by the company or on the company has been noticed or reported during the year other than a petty theft of materials valued at approximately Rs. 6000/- by an on-contract employee.
- (b) No report in Form ADT-4 under sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act has been filed by us. Based on information and explanations provided to us, and other audit procedures performed by us, we report that Form ADT-4 has not been filed by cost auditors or secretarial auditors of the company.
- (c) Based on the information and explanations provided to us by the management, we report that no whistle blower complaints were received during the year.
- (xii) The Company is not a Nidhi company as prescribed under Section 406 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the reporting requirement under clause (xii) of paragraph 3 of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and based on the information and explanations provided to us, all transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013, wherever applicable, and the details have been disclosed in the standalone Financial Statements as required by the applicable Indian Accounting Standards.

- (xiv) (a) In our opinion and based on our examination, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered the internal audit reports of the company issued till date, for the period under audit.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company.
- (xvi) (a) In our opinion, the company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (b) In our opinion, the company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities during the year.
- (c) In our opinion, the company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India.
- (d) In our opinion, the group has no Core Investment Companies.
- (xvii) The company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, the reporting requirement under clause (xviii) of paragraph 3 of the Order is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of

financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

- (xx) (a) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, there is no unspent amount required to be transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013.
- (b) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, there is no unspent amount required to be transferred to a special account in compliance with the provision of sub-section (6) of Section 135 of the Companies Act, 2013.
- (xxi) There are no qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the Companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the companies included in the consolidated financial statements, except for the following:

Sr. No	Name	Relationship	Clause of the CARO Report
1.	Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Limited) CIN : U27209TN1984GOI010994	Subsidiary	Clause xvii – The Company has incurred Cash Losses of Rs 163.39 Lakh during the year (Rs 124.98 Lakh during the Previous Year)

Kochi
20.05.2022For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 0008015**Joseph Atul Thomson**
Partner
Membership No. 243850
UDIN:22243850AJIRRE5626

Annexure-B to the Independent Auditors' Report

With reference to the Annexure B referred to in the Independent Auditor's Report to the members of the Company on the audit of standalone financial statements for the year ended March 31, 2022, we report the following:

A. General Directions

- Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

In our opinion, the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Based on the information and explanations given to us, and based on procedures performed by us, we are of the opinion that the company has an adequate internal control system to prevent and detect processing of accounting transactions outside the IT system. As per information provided to us, there has been no such instance reported during the year.

- Whether there is any restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for?**

According to the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the company, there has not been any restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company.

- Whether funds (grant/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.**

In our opinion and based on the information and explanations given to us, the funds received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/in lines with applicable Indian Accounting Standards and utilized (wherever received) as per their terms and conditions.

B. Sub Directions

- Whether revenue sharing/ revenue recognition and cost allocation were properly accounted for in the books as per agreement, in the case of leased ship repair facilities in Kochi, Mumbai, Kolkata and Andaman.**

In our opinion and based on the information and explanations given to us, revenue sharing/ revenue recognition and cost allocation in the case of leased ship repair facilities wherever operations have commenced were properly accounted for in the books as per agreement.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 0008015

Joseph Atul Thomson
Partner
Membership No. 243850
UDIN:22243850AJIRRE5626

Kochi
20.05.2022

Annexure-C to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of Cochin Shipyard Limited on the audit of standalone financial statements for the year ended 31st March 2022.

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Cochin Shipyard Limited ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on

the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Joseph Atul Thomson
Partner
Membership No. 243850
UDIN:22243850AJIRRE5626

Kochi
20.05.2022

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Place: Chennai
Date: 28.07.2022

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

(DEVIKA NAYAR)
Director General of Commercial Audit, Chennai

Standalone Balance Sheet

as at March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	32,984.41	33,275.15
(b) Right of Use Assets	3	35,181.57	36,565.74
(c) Capital work-in-progress	4	1,24,720.14	1,06,164.35
(d) Intangible assets	5	5,856.48	5,748.61
(e) Financial assets			
(i) Investments	6	25,544.52	21,444.52
(ii) Loans	7	847.84	791.60
(iii) Other Financial Assets	8	3,170.72	4,402.23
(f) Income tax assets (net)	9	3,386.91	3,854.01
(g) Deferred tax assets (net)	10	6,785.94	7,880.94
(h) Other non-current assets	11	18,275.93	21,388.54
Total Non-Current assets		2,56,754.46	2,41,515.69
Current assets			
(a) Inventories	12	29,610.69	43,221.40
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	13	39,005.86	35,330.43
(ii) Cash and cash equivalents	14	1,36,731.59	66,721.59
(iii) Bank balances other than (ii) above	15	1,79,551.09	1,47,916.77
(iv) Loans	16	68.56	57.20
(v) Other Financial assets	17	3,681.88	1,734.65
(c) Other current assets	18	1,86,443.15	2,03,456.25
Total Current assets		5,75,092.82	4,98,438.29
Total Assets		8,31,847.28	7,39,953.98
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	19	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	20	4,22,763.93	3,84,602.64
Total Equity		4,35,917.97	3,97,756.68
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	21	12,300.00	12,300.00
(ia) Lease Liabilities	22	38,680.71	38,374.71
(ii) Other financial liabilities	23	261.22	261.22
(b) Provisions	24	3,551.00	3,161.39
(c) Other non current liabilities	25	9.16	10.30
Total Non-Current Liabilities		54,802.09	54,107.62
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Lease Liabilities	26	3,374.84	2,556.23
(ii) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	27	701.25	1,527.88
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		36,509.75	42,014.71
(iii) Other financial liabilities	28	15,946.45	20,959.85
(b) Other current liabilities	29	2,35,276.98	1,64,236.68
(c) Provisions	30	46,751.86	49,484.69
(d) Current tax liabilities (net)	9	2,566.09	7,309.64
Total Current Liabilities		3,41,127.22	2,88,089.68
Total Equity and Liabilities		8,31,847.28	7,39,953.98

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1 - 2
Notes to the Financial Statements 3 - 59

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Profit & Loss

for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
I Income			
Revenue from operations	31	319000.25	281889.70
Other income	32	26641.68	19386.07
Total Income		345641.93	301275.77
II Expenses:			
Cost of materials consumed	33	161516.94	121981.82
Sub contract and other direct expenses	34	41251.43	33631.38
Employee benefits expense	35	30588.56	29157.79
Finance costs	36	4648.04	5046.62
Depreciation and amortisation expense	37	5604.75	5307.07
Other expenses	38	17810.08	15928.33
Provision for anticipated losses and expenditure	39	4783.07	9164.12
Total expenses		266202.87	220217.13
III Profit before tax		79439.06	81058.64
IV Tax expense:			
(1) Current tax	9	19687.24	23293.20
(2) Deferred tax	9	1095.00	(3245.00)
V Profit for the year		58656.82	61010.44
VI Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		(119.78)	121.08
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		30.15	(30.48)
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(23.00)	411.01
ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		5.98	(103.44)
Other comprehensive income for the year		(106.65)	398.17
VII Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		58550.17	61408.61
VIII Earnings per equity share of Rs 10 each :			
(1) Basic (Rs)	40	44.59	46.38
(2) Diluted (Rs)		44.59	46.38

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1 - 2
Notes to the Financial Statements 3 - 59

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	79,439.06	81,058.64
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	5,604.75	5,307.07
Interest expense	4,648.04	5,046.62
Interest income	(7,587.24)	(10,623.21)
Rental income	(100.06)	(63.66)
Dividend income	(285.99)	(46.56)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	1.02	1.25
Income recognised on Govt. assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	(178.41)	(123.99)
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(173.26)	(404.65)
Operating cash flow before working capital changes	81,366.77	80,150.37
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	13,446.95	(12,066.39)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	13,400.94	(51,773.02)
Increase / (decrease) in trade and other payables	48,292.36	61,385.08
	1,56,507.02	77,696.04
Income tax paid net of refunds	(15,092.50)	(10,741.43)
Net cash flows from operating activities (A)	1,41,414.52	66,954.61
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(3,878.79)	(5,019.95)
(Increase) / decrease in capital work in progress	(18,555.79)	(29,343.70)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	(31,634.31)	(15,176.50)
(Increase) / decrease in Capital advance	3,112.61	7,930.06
Dividend received	0.00	0.89
Investment in equity shares of HCSL (Subsidiary)	0.00	(2,800.00)
Investment in NCD of HCSL (Subsidiary)	(3,100.00)	0.00
Investment in Preference shares of HCSL (Subsidiary)	0.00	(5,600.00)
Investment in equity share of UCSL (Subsidiary)	0.00	(6,500.00)
Investment in NCD of UCSL (Subsidiary)	(1,000.00)	0.00
Loan to HCSL (Subsidiary)	0.00	(1,000.00)
Repayment of loans by HCSL Subsidiary	0.00	1,000.00
Loan to UCSL (Subsidiary)	0.00	(500.00)
Sale or withdrawal of property, plant and equipment	3.78	2.49
Interest received	7,384.39	12,359.02
Rent received	100.06	63.66
Net cash flows from investing activities (B)	(47,568.05)	(44,584.03)

Standalone Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
C. Cash flow from financing activities		
(Borrowings)/ Repayment of loans by employees	(67.60)	(274.98)
Net gain / (loss) on foreign currency transactions	143.43	555.92
Repayment of lease liability	(2,471.99)	(2,407.38)
Dividend paid	(20,388.76)	(36,831.31)
Interest paid	(1,051.55)	(1,542.87)
Net cash flows from financing activities (C)	(23,836.47)	(40,500.62)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	70,010.00	(18,130.04)
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	66,721.59	84,851.63
Cash and cash equivalent at the end of the Year	1,36,731.59	66,721.59

Cash and Cash Equivalents include earmarked funds of Rs.91155.67 lakhs as on March 31, 2022 (Rs.37749.10 lakhs as on March 31, 2021)

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2
Notes to the Financial Statements	3 - 59

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2022

A. Equity Share Capital

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital		Reserves and Surplus		As at March 31, 2022
	Share Capital due to prior period errors	Changes in equity share capital during the year	Capital Reserve	Retained Earnings	
13,154.04	0.00	0.00	263.56	2,70,751.33	13,154.04
(₹ in Lakhs)					
Balance as at April 01, 2020	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year		
13,154.04	0.00	0.00	0.00		
(₹ in Lakhs)					

B. Other Equity

Particulars	Reserves and Surplus					Total		
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve		Debt Redemption Reserve	Other Comprehensive Income
Balance as at April 01, 2021	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
Changes in accounting policy or prior period errors								-
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
Profit for the year				58,656.82				58,656.82
Other comprehensive income for the year				(17.02)			(89.63)	(106.65)
Total comprehensive income for the year				58,639.80	-		(89.63)	58,550.17
Dividends				(20,388.76)				(20,388.76)
Transfer to retained earnings				-				0.00
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)
Balance as at March 31, 2022	263.56	93,152.08	6,322.75	3,09,002.37	12,353.76	1,668.44	0.97	4,22,763.93
(₹ in Lakhs)								

Standalone Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2022

B. Other Equity (Contd..)

Particulars	Reserves and Surplus					Total		
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve		Debt Redemption Reserve	Other Comprehensive Income
Balance as at April 01, 2020	263.56	93,152.32	6,322.75	2,46,264.63	12,353.76	1,668.44	-	3,60,025.46
Changes in accounting policy or prior period errors								-
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93,152.32	6,322.75	2,46,264.63	12,353.76	1,668.44	-	3,60,025.46
Profit for the year				61,010.44				61,010.44
Other comprehensive income for the year				307.57			90.60	398.17
Total comprehensive income for the year				61,318.01			90.60	61,408.61
Dividends (including taxes)				(36,831.31)				(36,831.31)
Transfer to retained earnings				-				0.00
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)
Balance as at March 31, 2021	263.56	93,152.20	6,322.75	2,70,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	3,84,602.64
(₹ in Lakhs)								

Refer Note 20 for further details

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For M/s Elias George and Co.,
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0008015)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

JOSEPH V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “the Company”) is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Company is a public limited company incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2022, the Government of India holds 72.86% of the Company’s equity share capital. The Company’s equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The financial statements for the year ended March 31, 2022 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on May 20, 2022.

2. Significant Accounting Policies

2.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.2 Basis of preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

- i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company’s normal operating cycle;
- ii. the asset is intended for sale or consumption;
- iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;
- iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;
- v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;
- vi. in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

- (i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.
- (ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.4 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee’s option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset’s economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Company reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Company are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference

to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.5 Property , Plant and Equipment (PPE)

The Company had applied for the one time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.6 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.7 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up- front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.8 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments and the right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises of the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted.

As a Lessee:

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months

or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below.

For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts. Right Of Use assets/Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in Financial Statements at residual value.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Vehicles	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years

Asset Class	Useful Life
Docks and quays	15 years
Railway sidings	15 years
Electrical installation	10 years
Drainage and water supply	15 years
Vessels	13-28 years

2.11 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Company classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss.

2.13 Investment in subsidiary

The Company has accounted for its equity investments in subsidiaries at cost in its standalone financial statements in accordance with Ind AS- 27, Separate Financial Statements.

2.14 Inventories

(a) Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production / services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value. Stock of materials in respect of construction of defence vessels wherein the cost incurred is reimbursed by the owner are shown as reduction from the advances paid by the owner for construction of the vessel.

- (b) Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.
- (c) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.

2.15 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Company makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortised cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortisation is included in other income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable. Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the company even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts. Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Company.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies at the year end are re-measured at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. Non monetary foreign currency items are carried at cost. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on restatement is recognised in the statement of Profit and Loss.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Company designates certain foreign exchange forward contracts as hedge instruments in respect of foreign exchange risks. These hedges are accounted for as cash flow hedges.

The use of foreign currency derivative contracts is governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors which provide written principles on the use of such financial derivatives consistent with the Company's risk management strategy. The company does not use derivative financial instruments for speculative purposes.

The hedge instruments are designated and documented as hedges at the inception of the contract. The effectiveness of hedge instruments to reduce the risk associated with the foreign currency exposure that is being hedged is assessed and measured at inception and on an ongoing basis at fair value.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income and accumulated under the heading cash flow hedge reserve.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting. Any gain or loss recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in equity till that time remains and is recognised in Statement of Profit and Loss when the forecasted transaction ultimately affects the profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

2.16 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

2.17 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.18 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value

and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

2.19 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Effective April 1, 2018, the Company has adopted Ind AS115 "Revenue from Contracts with Customers". In respect of contracts that were not completed on the date of initial application (April 1, 2018), the company has applied the standard retrospectively by recognizing the cumulative effect of applying the same at the effective date, as an adjustment to the Opening balance of Retained earnings and accordingly figures for earlier years have not been retrospectively adjusted.

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the company satisfies performance

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer except in the case of Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is recognised over a period of time being output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts which are eligible under SBFA policy. Management fee is also recognised over a period of time.

In circumstances, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether

the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

b) Other income

i) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received. Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

accounted as revenue from operations in the manner specified in para (a)

ii) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

iii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

iv) Others

Dividend income is recognized when the Company's right to receive payment has been established.

2.20 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Company also makes contribution towards Employees Medical Assistance Trusts which are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Defined benefit plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Provident Fund and Pension Scheme

The Company also makes contribution towards provident fund. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

2.21 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial

period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

2.22 Corporate Social Responsibility

The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021.

2.23 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.24 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

2.25 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.26 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating

decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.27 Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

2.28 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting. In the case of interim dividends, recognition is done in the period in which the same is recommended and approved by Board of the Company.

2.29 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

(Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022, as below.

The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company and its subsidiaries will assess the impact and its evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.

Ind AS16- Property Plant and equipment-The amendment clarifies that excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable

costs considered as part of cost of an item of property, plant and equipment. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2022. The company will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Ind AS 37- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets-The amendment specifies that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (an example would be the allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling the contract). The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2022, although early adoption is permitted. The company will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount		Depreciation		Net Carrying amount			
	As at 1st April 2021	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2022	As at 31st March 2021
Owned Assets								
Land (Freehold)	587.54			587.54			587.54	587.54
Buildings	16,576.51	1,244.63		17,821.14	579.64		3,561.02	14,260.12
Plant and equipment	20,056.24	955.05	0.91	21,010.38	2,005.72	0.61	10,927.04	10,083.34
Furniture and fixtures	1,360.41	92.47	0.40	1,452.48	118.32	0.06	716.45	736.03
Vehicles	612.74	26.95		639.69	55.03		367.15	272.54
Office equipment	454.11	56.64	0.48	510.27	62.19	0.34	290.78	219.49
Others								
Data Processing Equipments	1,819.28	573.30	9.43	2,383.15	303.11	5.88	1,368.61	1,014.54
Docks and quays	4,466.45			4,466.45	299.41		2,141.37	2,325.08
Railway sidings	1.10			1.10			-	1.10
Electrical installation	1,831.03	56.51	0.53	1,887.01	120.54		1,102.71	784.30
Drainage and water supply	6.67			6.67			-	6.67
Vessels	19.74			19.74	1.36		8.44	11.30
Sub Total	47,791.82	3,005.55	11.75	50,785.62	3,545.32	6.89	20,483.57	30,302.05
Assets on leased premises								
Buildings	2,193.35	129.04		2,322.39	105.83		647.88	1,674.51
Plant and equipment	654.65	217.22		871.87	44.78		154.15	717.72
Docks and quays	9.62			9.62			8.35	1.27
Electrical installation	400.26	101.06		501.32	42.82		212.46	288.86
Sub Total	3,257.88	447.32	-	3,705.20	193.43	-	1,022.84	2,682.36
Right Of Use Assets								
Right of Use - Land	39,172.92			39,172.92	1,354.62		4,064.22	35,108.70
Right of Use - Buildings	173.07			173.07	29.55		100.20	72.87
Sub Total	39,345.99	-	-	39,345.99	1,384.17	-	4,164.42	35,181.57
Total	90,395.69	3,452.87	11.75	93,836.81	5,122.92	6.89	25,670.83	68,165.98
								69,840.89

Notes to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Particulars	Gross carrying amount		Depreciation		Net Carrying amount			
	As at 1st April 2020	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st March 2020
Owned Assets								
Land (Freehold)	587.54			587.54			587.54	587.54
Buildings	13,805.43	2,771.08		16,576.51	533.20		2,981.38	13,595.13
Plant and equipment	18,908.02	1,148.83	0.61	20,056.24	1,845.72	0.39	8,921.93	11,134.31
Furniture and fixtures	1,237.54	125.09	2.22	1,360.41	113.99	1.55	598.19	762.22
Vehicles	599.11	13.67	0.04	612.74	55.65	0.02	312.12	300.62
Office equipment	382.04	72.73	0.66	454.11	57.27	0.41	228.93	225.18
Others								
Data Processing Equipments	1,338.03	489.13	7.88	1,819.28	246.54	5.30	1,071.38	747.90
Docks and quays	4,466.45			4,466.45	299.41		1,841.96	2,624.49
Railway sidings	1.10			1.10				1.10
Electrical installation	1,765.00	66.03		1,831.03	117.37		982.17	848.86
Drainage and water supply	6.67			6.67				6.67
Vessels	19.74			19.74	1.36		7.08	12.66
Sub Total	43,116.67	4,686.56	11.41	47,791.82	3,270.51	7.67	16,945.14	30,846.68
Assets on leased premises								
Buildings	2,105.50	87.85		2,193.35	100.60		542.05	1,651.30
Plant and equipment	518.62	136.03		654.65	35.17		109.37	545.28
Docks and quays	9.62			9.62	8.35		8.35	1.27
Electrical installation	360.77	39.49		400.26	37.58		169.64	230.62
Sub Total	2,994.51	263.37	-	3,257.88	173.35	-	829.41	2,428.47
Right Of Use Assets								
Right of Use - Land	39,172.92			39,172.92	1,354.98		2,709.60	36,463.32
Right of Use - Buildings	98.11	74.96		173.07	35.29		70.65	102.42
Sub Total	39,271.03	74.96	-	39,345.99	1,389.91	-	2,780.25	36,565.74
Total	85,382.21	5,024.89	11.41	90,395.69	4,833.77	7.67	20,554.80	69,840.89

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Assets taken over from Cochin Port Trust (CoPT) (₹ 1291.52 lakhs) have been valued and life assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets. These assets together with assets constructed/installed on land taken on lease from CoPT, Mumbai Port Trust (MbPT) and Kolkata Port Trust (KoPT) have been disclosed separately as assets on leased premises in the note no 3 to Property, Plant & Equipments.

The Company has created mortgage for ₹ 12300 Lakhs on the landed properties of the Company as security for the tax free bonds issued by the Company during the year 2013-14.

Note 4 : Capital work-in-progress

Particulars	As at	
	March 31,2022	March 31,2021
Plant and machinery, Buildings and Civil works	1,13,288.18	98,315.49
Capital yard items	11,431.96	5,371.20
Goods in Transit	-	2,477.66
Total	1,24,720.14	1,06,164.35

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2022

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	22317.74	43,052.90	34049.39	25300.11	124720.14
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2021

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	46,646.83	34,214.38	19,312.19	5,990.95	1,06,164.35
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 4 : Capital work -in -progress (Contd..)

Overdue CWIP as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
International Ship Repair Facility	-	56136.01	-	-
Dry Dock	65082.67	-	-	-
3D Experience Ship building software	1625.24	-	-	-
IT Security and Monitoring system	817.93	-	-	-
Dock Monitoring system	32.17	-	-	-
Caisson gate	565.90	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
3D Experience Ship building software	-	1534.84	-	-
Dry Dock	-	52183.49	-	-
Electrification works at CMSRU	36.31	-	-	-
Supply and installation of IT network infrastructure	318.76	-	-	-

Note 5 : Intangible assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2021	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	As at 1st April 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2022	As at 31st Mar 2022	As at 31st March 2021
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,565.16	425.95	-	1,991.11	1,443.22	107.74	-	1,550.96	440.15	121.94
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,373.33	210.34	-	1,583.67	5,416.33	5,626.67
	8,592.83	425.95	-	9,018.78	2,844.22	318.08	-	3,162.30	5,856.48	5,748.61

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2020	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2021	As at 1st April 2020	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2021	As at 31st March 2020
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,495.14	70.02	-	1,565.16	1,366.57	76.65	-	1,443.22	121.94	128.57
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,162.99	210.34	-	1,373.33	5,626.67	5,837.01
	8,522.81	70.02	-	8,592.83	2,557.23	286.99	-	2,844.22	5,748.61	5,965.58

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 5 : Intangible assets (Contd..)

The Right to use of land and ship repair facility shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

Note 6 : Investments-Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unquoted (Fully Paid up)		
Investment in equity instruments		
a) At Cost		
Equity shares in subsidiary companies		
Hooghly Cochin Shipyard Ltd - 5,00,00,000 Equity shares of face value of ₹10 each	4,935.34	4,935.34
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd) - 6,50,00,000 Equity shares of face value of ₹ 10 each	6,500.00	6,500.00
b) At Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹ 100 each	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of ₹10 each	7.00	7.00
Cochin Waste to Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	-	-
Investment in Debt instruments		
a) At Amortised Cost		
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 5,60,00,000, 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10 each (Redemption at any time at the option of the Company but not later than 10 years from the date of allotment.)	5,600.00	5,600.00
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 440000, 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each (Redeemable at par at the end of 60 months)	4,400.00	4,400.00
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 310000, 6.15% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each (The duration of the debentures is 120 months with an option to redeem after 5 years from the date of allotment)	3,100.00	-
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd. (Formerly Tebma Shipyards Limited) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, 100000, 6% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each (Redeemable at par at the end of 84 months)	1,000.00	-
Total	25,544.52	21,444.52
Aggregate value of unquoted investment	25,544.52	21,444.52

Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste to Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 6 : Investments-Non Current (Contd..)

M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, was incorporated on October 23, 2017 as an arrangement between M/s Cochin Shipyard Ltd (CSL) and M/s Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) wherein CSL had invested in 16280000 equity shares of face value of ₹10 each for cash (74%) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited had invested in 5720000 equity shares of face value of ₹10 each for consideration other than cash (26%). During 2019-20, the Company acquired 57,20,000 (26%) equity shares of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) held by HDPEL, for an amount of Rs 506.08 lakhs and HCSL has become a wholly owned (100%) subsidiary of CSL. The paid up equity share capital of HCSL is Rs. 50,00,00,000 divided into 5,00,00,000 equity shares of Rs. 10 each. During 2020-21, the Company also invested on rights basis in 2,80,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- each fully paid up of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) aggregating to Rs. 28,00,00,000/.The said equity shares shall rank pari passu with the existing equity shares of the Company in all respects, including dividend. Investments in equity shares of HCSL are accounted at cost as per Ind AS 27- Separate Financial Statements.

The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai on March 04, 2020, approved the Resolution Plan submitted by CSL for acquisition of Tebma Shipyards Limited (TSL) which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the NCLT Order, Cochin Shipyard Limited (CSL) paid the bid amount for takeover of TSL on September 15, 2020 with effect from which UCSL (formerly TSL) has become a wholly owned subsidiary of CSL.The paid up equity share capital of UCSL (formerly TSL) is Rs. 65,00,00,000 divided into 6,50,00,000 equity shares of Rs. 10 each.and this investment in UCSL (formerly TSL) is accounted at cost as per Ind AS 27- Separate Financial Statements with effect from September 30, 2020.

Note 7: Loans - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured, considered good:		
(a) Loans to related parties		
Udupi Cochin Shipyard Ltd	500.00	500.00
(b) Other Loans		
Loan to employees		
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	347.84	291.60
Total	847.84	791.60

No significant increase in credit risk or credit impairment

The Company infused Rs 500 lakhs as unsecured loan to Udupi Cochin Shipyards Ltd , the Subsidiary company for meeting expenses during its operational phase, carrying an interest rate of 5.5% p.a. The principal amount is to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2025. Interest repayments to be made on yearly basis from the date of disbursal.

Note 8: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Security deposits	77.42	71.16
Ship Building Financial Assistance Scheme Subsidy	2,739.94	4,255.65
Accrued Lease Rental Asset	21.70	29.75
Accrued dividend income from investments in preference shares	331.66	45.67
Total	3,170.72	4,402.23

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 9 : Income tax assets / liability (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	3,386.91	3,854.01
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(2,566.09)	(7,309.64)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31,2022	For the year ended March 31,2021
Current tax:		
Current income tax charge	20,431.12	24,372.08
Adjustment in respect of prior years	(743.88)	(1,078.88)
Total (A)	19,687.24	23,293.20
Deferred tax:		
In respect of current year	1,095.00	(3,245.00)
Total (B)	1,095.00	(3,245.00)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	20,782.24	20,048.20

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31,2022	For the year ended March 31,2021
Profit before tax	79,439.06	81,058.64
Income tax expense calculated at respective applicable rates	19,993.22	20,400.85
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	5,542.57	7,469.50
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(5,388.12)	(3,909.11)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	407.59	374.25
Others	(124.14)	36.59
	20,431.12	24,372.08
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(743.88)	(1,078.88)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	1,095.00	(3,245.00)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	20,782.24	20,048.20

Note 10 : Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Deferred tax liabilities	(2,540.98)	(2,682.55)
Deferred tax assets	9,326.92	10,563.49
Total	6,785.94	7,880.94

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 10 : Deferred tax assets (net) (Contd..)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,003.68)	1,667.49	-	(7,336.19)
Property, plant and equipment	2,697.54	(140.88)	-	2,556.66
Intangible assets	(17.86)	(0.41)	-	(18.27)
Others	(1,556.94)	(431.20)	-	(1,988.14)
Total	(7,880.94)	1,095.00	-	(6,785.94)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(6,425.47)	(2,578.21)	-	(9,003.68)
Property, plant and equipment	2,813.14	(115.60)	-	2,697.54
Intangible assets	(28.88)	11.02	-	(17.86)
Others	(994.73)	(562.21)	-	(1,556.94)
Total	(4,635.94)	(3,245.00)	-	(7,880.94)

Note 11 : Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured, considered good		
Capital advances	17,775.05	20,887.66
Advances other than capital advances:		
Security deposits	239.66	239.66
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Total	18,275.93	21,388.54

Deposit with Customs Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 23- Other Financial Liabilities- Non Current

Note 12 : Inventories

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Raw Materials and components*	28,138.34	40,614.93
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(480.14)	(353.87)
Goods-in transit*	533.53	994.01
Total	28,191.73	41,255.07

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 12 : Inventories (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Stores & Spares*	669.26	714.45
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(49.89)	(11.61)
Goods-in transit*	32.72	393.16
	652.09	1,096.00
Loose Tools*	627.07	658.82
Scrap*	139.80	211.51
Total	29,610.69	43,221.40

* Valuation of inventories is done in accordance with Accounting Policy no. 2.14 given in Note no.2

(i) Inventory does not include stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 8977.28 lakhs (previous year ₹ 14757.40 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company and is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

(ii) Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 13 : Trade Receivables-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	39,005.86	35,330.43
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	10,439.67	10,215.58
Less: Allowance for Expected credit loss	(10,439.67)	(10,215.58)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Total	39,005.86	35,330.43

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	28300.71	6015.39	4294.08	395.68	0.00	39005.86
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	226.00	70.28	1117.23	1413.51
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	63.65	15.55	8946.96	9026.16

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 13 : Trade Receivables-Current (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28,300.71	6,015.39	4,583.73	481.51	10,064.19	49,445.53
Less: ECL provision as on 31.03.2022						10,439.67
Trade receivable as on 31.03.2022						39,005.86

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	18972.95	8195.52	5710.12	145.57	0.00	33024.16
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	300.36	25.69	1061.86	1387.91
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	0.00	0.00	0.00	2306.27	0.00	2306.27
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	1336.56	7491.11	8827.67
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,972.95	8,195.52	6,010.48	3,814.09	8,552.97	45,546.01
Less: ECL provision as on 31.03.2021						10,215.58
Trade receivable as on 31.03.2021						35,330.43

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Opening balance	10,215.58	13,588.08
Add: Provision made/transfer during the year	2,984.36	672.78
Less: Amount collected/reversal of provision	2,760.27	4,045.28
Closing Balance	10,439.67	10,215.58

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Cash on hand	-	-
Balance with Banks		
In current account	10,525.92	10,660.42
In current account on behalf of Indian Navy	91,155.67	37,749.10
Term deposits with original maturity of less than three months	35,050.00	18,312.07
Total	1,36,731.59	66,721.59

Funds received from Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account and is separately disclosed.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	15,100.00	62,262.58
Lien Marked Term deposits with original maturity of more than three months*	59,797.71	-
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	33,432.00	687.34
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	71,161.67	84,929.09
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	59.71	37.76
Total	1,79,551.09	1,47,916.77

*Deposits with banks with maturity less than three months represents lien marked deposits in favour of Union Bank of India and State Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

**Deposits with banks with maturity upto 12 months, include ₹ 97.45 lakhs (previous year ₹ 93.01 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

Note 16 : Loans - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Loans to related parties	-	-
Other employees	68.56	57.20
Total	68.56	57.20

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 17 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Interest accrued on fixed deposits	1,424.87	1,371.77
Interest accrued from Others		
Related parties	295.13	167.17
Interest accrued on employee advances		
Related parties		-
Other employees	39.23	17.43
Ship Building Financial Assistance	1,921.35	
Foreign Exchange Derivatives Assets	1.30	178.28
Total	3,681.88	1,734.65

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 18 : Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31,2022	March 31,2021
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.36	0.39
Other advances	39,806.87	21,067.43
Advances considered doubtful	1,030.17	0.07
	40,837.40	21,067.89
Less: Provision for doubtful advances	1,030.17	0.07
	39,807.23	21,067.82
Others		
Contract Assets for IAC works	-	49,677.10
Contract Assets for other works	34,961.10	45,461.76
Balance with Sales Tax department and CBEC	283.22	290.66
Miscellaneous deposits	76.23	17.72
Prepaid expenditure	618.86	323.88
Input Tax Credit on GST	1,08,348.77	84,861.03
Miscellaneous current assets	2,347.74	1,756.28
Total	1,86,443.15	2,03,456.25

Note 19 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31,2022		As at March 31,2021	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at March 31,2022		As at March 31,2021	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	0	0.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General Meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 19 : Equity Share Capital (Contd..)

19.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31,2022		As at March 31,2021	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	95843464	72.86

19.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of Shares	% of total shares	% Change during the year
The President of India	95843464	72.86	Nil

Note 20 : Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,152.08	93,152.20
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,668.44
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	0.97	90.60
Retained Earnings	3,09,002.37	2,70,751.33
Total	4,22,763.93	3,84,602.64

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes Rs 263.56 lakhs being restoration charges received from M/s Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of Rs 10 each at premium (Rs 93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting Rs 777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, Rs. 1668.44 Lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 20 : Other Equity (Contd..)

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 43)

Interim dividend: During the year, the Company paid interim dividends of Rs 6 per equity share of face value of Rs.10 and Rs 7 per equity share of face value of Rs 10, as recommended at the board meetings held on Nov 11, 2021 and Feb 10, 2022 respectively

Proposed dividend: The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of Rs 3.75 per equity share of face value of Rs 10 for the financial year ended March 31, 2022 at the Board meeting held on May 20, 2022. This is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General Meeting.

Note 21 : Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	12,300.00	12,300.00
Total	12,300.00	12,300.00

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023
- Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 22 : Lease Liabilities-Non current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Lease Liabilities under Ind AS 116	38,680.71	38,374.71
Total	38,680.71	38,374.71

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 23 : Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Total	261.22	261.22

Liability of Rs 261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 11

Note 24 : Provisions - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 35)	3,551.00	3,161.39
Total	3,551.00	3,161.39

Note 25 : Other non current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Deferred Income arising from Government Assistance	9.16	10.30
Total	9.16	10.30

Note 26 : Lease liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Lease Liabilities under Ind AS 116	3,374.84	2,556.23
Total	3,374.84	2,556.23

Note 27 : Trade Payables

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	701.25	1,527.88
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	36,509.75	42,014.71
Total	37,211.00	43,542.59

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 27 : Trade Payables (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	701.25	1,527.88
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	701.25				701.25
Due					
(ii) Others					
Not due	33626.43				33626.43
Due	2778.84	26.50	50.44	27.54	2883.32
(iii) Disputed dues – MSME					0.00
(iv) Disputed dues – Others					0.00
Total	37,106.52	26.50	50.44	27.54	37,211.00

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	1,527.88				1527.88
Due					
(ii) Others					
Not due	35937.02				35937.02
Due	5999.71	50.44	17.90	9.64	6077.69
(iii) Disputed dues – MSME					
(iv) Disputed dues – Others					
Total	43,464.61	50.44	17.90	9.64	43,542.59

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 28 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Interest accrued but not due	281.98	281.98
Unpaid Dividend	59.71	37.76
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	-	57.21
Others		
Security and other deposits	6,943.36	9,349.34
Others Payables	8,661.40	11,233.56
Total	15,946.45	20,959.85

Note 29 : Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)	48,950.10	-
Contract Liability for other works	1,77,104.53	1,60,155.13
Advances for ship building, ship repair and other contracts	4,402.27	758.45
Income received in advance	27.76	26.46
Statutory dues	4,791.18	3,295.50
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	2,35,276.98	1,64,236.68

Refer Note No 41 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Cost of infrastructure facilities which has been met out of funds from Navy till date.

(₹ in Lakhs)

Details	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Buildings and other civil works	16,196.67	13,764.07
Data processing equipment	1,338.81	1,338.51
Furniture and Office equipments	387.03	386.75
Plant and machinery	16,885.70	16,885.70
Total	34,808.21	32,375.03

Note 30 : Provisions - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Provision for Employee benefits		
Gratuity	546.79	272.09
Compensated absences (Refer Note No 35)	419.62	515.45
Others	-	-
	966.41	787.54

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 30 : Provisions - Current (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Other Provisions		
Provision for Taxes and duties	2,665.50	2,662.17
Provision for shipbuilding loss	7,573.00	11,658.00
Provision for Expenditure / contingencies	35,546.95	34,376.98
	45,785.45	48,697.15
Total	46,751.86	49,484.69

30.1 Details of movement of provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2021	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2022
Provision for employee benefits- Gratuity	272.09	396.09		121.39	546.79
Compensated absences	515.45	435.07		530.90	419.62
Provision for taxes and duties	2,662.17	3.33			2,665.50
Provision for shipbuilding loss	11,658.00			4,085.00	7,573.00
Provision for expenditure / contingencies	34,376.98	36,459.80	31,553.48	3,736.35	35,546.95

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2020	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2021
Provision for employee benefits- Gratuity	1,048.51	272.09	(1,048.51)	-	272.09
Compensated absences	533.22	-	(17.77)	-	515.45
Provision for taxes and duties	209.12	2,560.12	(107.07)	-	2,662.17
Provision for shipbuilding loss	5,287.00	6,371.26	(0.26)	-	11,658.00
Provision for expenditure / contingencies	31,059.28	30,884.93	(25,127.66)	(2,439.57)	34,376.98

Note 31 : Revenue from operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	179266.04	200925.37
Vessels other than IAC	67606.85	35831.94
	2,46,872.89	2,36,757.31

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 31 : Revenue from operations (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Sale of services		
Ship repairs	65,752.72	40,850.24
Engineering works	-	5.50
	65,752.72	40,855.74
Other operating revenue		
Sale of stock items	14.67	-
Ship Building Financial Assistance	3,486.17	3,420.09
Sale of scrap	1,373.80	544.23
Management fee	1,500.00	312.33
	6,374.64	4,276.65
Total	3,19,000.25	2,81,889.70

Refer Note No 41 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Out of the Revenue from Operations, Rs 9503.19 lakhs (Rs 2567.77 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Recognition of revenue for this Assistance is based on measurement of percentage of completion of the vessel under subsidy, completed to date.

Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also associate in Augmentation and Modernisation of the facility and also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

Note 32 : Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Training facilities	342.84	106.27
Income from sale of scrap and stores	582.05	85.90
Income from laboratory services	24.11	12.94
Rent received	325.23	259.19
Hire charges received	1.72	1.10
Interest on bank deposits	5,679.22	8,718.43
Interest from others	1,908.02	1,904.78
Dividend income from Preference shares	285.99	45.67
Dividend income from equity investments/ Mutual Funds	-	0.89
Net gain on foreign currency transactions	173.26	404.65

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 32 : Other Income (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Net gain on derivative contracts	178.41	123.99
Provision no longer required	8,418.30	4,365.45
Proceeds from Bank Guarantee encashment - Performance guarantee/security deposits forfeited**	6,100.00	-
Miscellaneous income*	2,622.53	3,356.81
Total	26,641.68	19,386.07

*Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

**During the year, the company cancelled the contract for the turnkey work in setting up the international ship repair facility at Kochi due to the inability of the contractor to carry out the work as per terms of the contract. Consequently, the company encashed the bank guarantees received by it towards performance guarantee and security deposits, and forfeited the proceeds as per the terms of the contract, and has treated the same as income.

Note 33 : Cost of Materials Consumed

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Raw Materials		
Steel	1,778.80	3,965.41
Pipe	831.32	966.05
Paint	1,772.05	1,312.48
Bought out components	1,57,134.77	1,15,737.88
Total	1,61,516.94	1,21,981.82

Note 34 : Sub Contract and Other Direct Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Sub contract and off loaded jobs	33,290.31	26,544.41
Hull insurance	620.67	849.62
Other direct expenses	7,340.45	6,237.35
Total	41,251.43	33,631.38

Note 35 : Employee Benefits Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	26,276.93	25,416.91
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	1,814.08	1,719.52
Gratuity	350.43	345.54
Staff welfare expenses	2,147.12	1,675.82
Total	30,588.56	29,157.79

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 20.46 lakhs (previous year ₹ 19.23 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 47.67 lakhs (previous year ₹ 72.62 lakhs)

Employee benefit expenses of previous year includes ₹ 6.15 Lakhs being secondment to subsidiary (Hooghly Cochin Shipyard Ltd)

Employee benefit expenses of previous year includes ₹ 13.05 Lakhs being secondment to subsidiary (Udupi Cochin Shipyard Ltd. (Formerly Tebma Shipyards Limited))

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Post-employment obligations

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier. The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Family Pension fund is Rs.1353.43 Lakhs for the year 2021-22 (Rs.1287.92 Lakhs for the year 2020-21). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended 31st March 2022.

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2021-22	2020-21
Fair value of plan assets	18689.22	17546.07
Present value of benefit obligation at year end	18558.63	17538.21
Net liability / (Net asset)	(130.59)	(7.86)
Additional provision	Nil	Nil

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Discount Rate (p.a)	7.37%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	0.70%	0.70%

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	8.56	8.23

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Service Cost:		
Current Service Cost	214.03	244.95
Net Interest expense	229.10	205.06
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	630.2	474.16
Expenses recognised in the statement of profit and loss	1073.33	924.17

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	3970.62	3676.83
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	3,970.62	3,676.83

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Current Component of PVO	419.62	515.44
Non-Current Component of PVO	3551.00	3161.39
TOTAL PVO	3970.62	3676.83

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	3676.83	3405.42
Current & Past Service Cost	214.03	244.95
Current Interest Cost	229.10	205.06
Actuarial (Gain)/ Loss	630.20	474.16
Benefits paid	(779.54)	(652.76)
Defined Benefit Obligation at end of the year	3,970.62	3,676.83

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	779.54	652.76
Benefits paid	(779.54)	(652.76)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Year 1	125.67	87.43
Year 2	273.81	401.76
Year 3	104.67	89.56
Year 4	159.02	74.69
Year 5	139.61	126.07
Next 5 Years	551.92	438.26

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Year 1	125.67	87.43
Year 2	273.81	401.76
Year 3	104.67	89.56
Year 4	159.02	74.69
Year 5	139.61	126.07
Next 5 Years	551.92	438.26

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.87%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,347.70	2,988.16
Current Service Cost	141.10	128.15
B. Discount Rate - 50 BP	6.87%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,618.91	3,225.63
Current Service Cost	154.28	140.20
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,624.36	3,229.92
Current Service Cost	154.54	140.42

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,341.72	2,983.37
Current Service Cost	140.81	127.91

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.87%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,347.70	2,988.16
Current Service Cost	141.10	128.15
B. Discount Rate - 50 BP	6.87%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,618.91	3,225.63
Current Service Cost	154.28	140.20
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,624.36	3,229.92
Current Service Cost	154.54	140.42
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,341.72	2,983.37
Current Service Cost	140.81	127.91

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Discount Rate (p.a)	7.37%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	0.70%	0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.37%	6.97%

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	9.71	8.50

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Service Cost:		
Current Service Cost	251.58	252.11
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	(6.88)	34.92
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	244.70	287.02
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	246.93	(76.82)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(113.10)	(308.94)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	133.83	(385.76)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4,313.35	4,664.16
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,033.56	4,762.90
Net Liabilities / (Assets) recognized in the Balance Sheet	279.79	(98.74)

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,664.16	5,240.37
Current Service Cost	251.58	252.11
Current Interest Cost	285.54	313.54
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	246.93	(76.82)
Benefits paid	(1,134.86)	(1,065.04)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,313.35	4,664.16

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
(₹ in Lakhs)		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,762.90	4,191.87
Expected Return on Plan Assets	292.42	278.63
Actuarial Gain/(Loss)	113.10	308.94
Contributions from the employer	-	1,048.51
Benefits paid	(1,134.86)	(1,065.04)
Fair Value of the Assets at the end of the year	4,033.55	4,762.90

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	349.40	324.46
Year 2	865.52	1,561.59
Year 3	291.48	350.89
Year 4	400.43	261.87
Year 5	386.67	370.83
Next 5 Years	1,172.15	1,203.18

Sensitivity Analysis	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.87%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,127.61	4,487.42
Current Service Cost	247.97	235.32
B. Discount Rate - 50 BP	6.87%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,514.29	4,855.15
Current Service Cost	283.98	269.48
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,494.68	4,835.23
Current Service Cost	279.16	267.74
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,141.13	4,504.03
Current Service Cost	250.01	237.00

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Government of India Securities	30.42%	36.77%
State Government Securities	31.51%	27.10%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	24.32%	24.48%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.31%	0.25%
Others (to specify)	13.44%	11.39%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.30%	5.65%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	5.40%	5.00%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Service Cost:		
Current Service Cost	35.68	44.24
Past Service Cost	0	-
Net Interest expense	15.19	14.28
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	50.87	58.52
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(55.96)	(25.26)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(55.96)	(25.26)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	267.00	272.09
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	267.00	272.09

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	272.09	238.83
Current Service Cost	35.68	44.24
Current Interest Cost	15.19	14.28
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(55.96)	(25.26)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	267.00	272.09

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	ISRF	CMSRU
Year 1	70.02	15.36
Year 2	23.72	1.09
Year 3	25.62	2.69
Year 4	18.79	-
Year 5	26.51	3.20
Next 5 Years	75.25	4.71

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	ISRF	CMSRU
Year 1	71.07	13.06
Year 2	40.48	6.17
Year 3	15.32	2.23
Year 4	30.73	1.59
Year 5	15.51	0.12
Next 5 Years	71.70	4.09

Sensitivity Analysis as on 31.03.2022

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.30%	6.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.13	26.43
Variation	(3.60%)	(2.38%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.30%	4.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.93	27.76
Variation	3.92%	2.56%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.84	27.63
Variation	3.51%	2.10%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.20	26.53
Variation	(3.27%)	(1.98%)

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis as on 31.03.2021

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	6.65%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	235.97	26.71
Variation	(3.61%)	(2.06%)
B. Discount Rate - 100 BP	4.65%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	254.48	27.87
Variation	3.95%	2.20%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	253.41	27.74
Variation	3.51%	1.73%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	236.82	26.82
Variation	(3.27%)	(1.64%)

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 36 : Finance Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Interest expense on lease liabilities	3,596.60	3,503.84
Interest others	0.00	491.34
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Total	4,648.04	5,046.62

Note 37 : Depreciation and Amortisation Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Depreciation on property, plant and equipments	3,738.75	3,443.86
Depreciation on RoU Assets	1,384.17	1,389.91
Amortisation of other intangible asset	318.08	286.99
Total	5,441.00	5,120.76
Add : Loss on revaluation of tools	163.75	186.31
Total	5,604.75	5,307.07

Note 38 : Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Consumption of stores	1,990.67	1,592.62
Consumption of spares	66.49	54.51
Rates and taxes	265.74	500.00
Power	2,584.04	1,920.42
Fuel	2,024.63	1,340.70
Water	303.61	303.95
Repairs and maintenance:		
Building and roads	612.26	449.05
Plant and machinery	217.01	158.23
Others	1,250.76	1,214.20
Maintenance dredging	287.15	467.32
Transport and stores handling	89.08	170.91
Travelling and conveyance expenses	719.72	491.24
Printing and stationery	68.79	75.02
Postage, telephone and telex	54.34	45.52
Advertisement and publicity	306.88	161.12
Lease rent	9.53	11.28
Hire charges	570.90	268.01
Insurance charges	689.23	744.77
Security expenses	2,057.56	1,996.50

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 38 : Other Expenses (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Payments to Auditors	26.24	26.70
Training expenses	657.33	359.40
Legal expenses	27.15	29.02
Consultancy	40.66	82.56
Bank charges	602.99	699.18
Corporate social responsibility (Refer Note no.47)	1,619.47	1,486.98
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	1.02	1.25
Miscellaneous expenses	666.83	1,277.87
Total	17,810.08	15,928.33

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
For Audit Fees	16.00	15.00
For Limited Review/other services	8.25	7.50
For Certifications	1.99	4.20
Total	26.24	26.70

Note 39 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Provision for:		
Doubtful debts / advances	4,134.08	98.18
Non moving / perpetual inventory verification	166.92	2.92
Expenses and contingencies	482.07	2,692.02
Provision for loss on Ship Building	-	6,371.00
Total	4,783.07	9,164.12

Note 40 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	58,656.82	61,010.44
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	44.59	46.38
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 41: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per IND AS 115

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products (Including Excise Duty Nil)		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	179266.04	200925.37
Vessels other than IAC	67606.85	35831.94
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	3486.17	3420.09
Management fee	1500.00	312.33
(ii) Sale of services		
Ship repairs	65752.72	40850.24
Engineering works	0.00	5.50
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	774.42	381.88
Sale of Ship Repair Scrap	599.38	162.35
Total	318985.58	281889.70

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to Rs 754026.30 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 18.03 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2022, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2022-23 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2022 the Company recognised revenue of Rs 42131.88 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01, 2021

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Opening contracted price of orders	1495498.24	1504739.51
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	117822.69	11336.93
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	(74.03)	1766.45
Increase due to exchange rate movements (net)	720.76	250.84
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	2479.72	15654.69
Orders completed during the year	109388.84	6940.80

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 41: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers" (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Closing contracted price of orders	1502099.10	1495498.24
Total Revenue recognised during the year:	146428.73	137551.03
Less: Revenue out of orders completed during the year	14774.27	2613.13
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	131654.46	134937.90
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	616418.34	575676.23
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)		
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	754026.30	784884.10
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	1502099.10	1495498.24

Note 42: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2022 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to Rs.83.83 lakhs (Previous year Rs 39.93 lakhs)

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2022 including outflow for short term and low value leases is Rs.2560.62 lakhs (Previous year Rs 2439.02 lakhs)

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2022 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Less than one year	2,638.68	2,567.03
One to five years	11,430.74	11,079.59
More than five years	1,16,909.71	1,19,899.03
Total	1,30,979.13	1,33,545.65

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2022 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Less than one year	200.78	191.23
One to five years	152.94	313.02
More than five years	247.12	287.82
Total	600.84	792.07

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 43: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 22:

(₹ in Lakhs)

Currency	No. of contracts	31-Mar-22		No. of contracts	31-Mar-21	
		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	1	794.61	1.30	2	2982.30	(24.62)
NOK				2	4319.34	145.70
Total		794.61	1.30	4	7301.64	121.08

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	90.60	0.00
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	(89.63)	90.60
Balance at the end of the year	0.97	90.60

Note 44 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	As at 31 Mar 2022 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	11,664.67	12,356.31	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets
ii Bank Guarantees	4,03,824.02	3,53,929.06	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries
iii Corporate Performance Guarantee to Cochin Port Trust	3,925.00	3,925.00	Performance guarantee given by Company to CoPT for performance of obligations under the contract agreement entered with CoPT during the contract period.
b Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at Rs.69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 44 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

Particulars	As at 31 Mar 2022 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
ii Customs duties	17,984.71	17,984.48	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of Rs. 69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability.
iii Income Tax	2,069.97	2,069.97	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - Rs. 457.63 Lakhs AY 2011-12 - Rs. 369.50 Lakhs AY 2014-15 - Rs. 911.07 Lakhs AY 2017-18 - Rs. 331.77 Lakhs Detailed notes in Note no. 44.1 (I)
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending
	376.68	376.68	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner (Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL & adjudication pending.
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/ Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	1,885.60	1,885.60	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
Service Tax	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 44 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

Particulars	As at	As at	Brief Description of the nature and obligation
	31 Mar 2022 (₹ in Lakhs)	31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	150.56	150.56	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner vide OIO No.48/2020-ST(JC) dt 31.12.2020 confirmed demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against OIO.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi.
v Alekton Engineering Industries Ltd	195.09	165.91	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods . MSME Council , Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator . Claim petition filed by the petitioner. Examination of witness is in progress.
vi Employee State Insurance Corporation	17.26	17.26	Claims towards interest and damages in respect of delayed payments of ESI contributions payable in respect of advanced trainees during the period from June 2010 to Jul 2013. Aggrieved, CSL filed cases I.C No.60/2016, IC No: 09/2020, IC No: 03/2021 challenging the illegality and violation of instructions and the manner in which the claims were preferred by ESI Corporation.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	57,686.00	1,15,886.00	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 44 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

44.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company have been completed up to AY 2019-20.

Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1369.11 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2011-12, 2014-15 and 2017-18 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance of certain genuine claims. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

For the Assessment years 2010-11 and 2011-12 although the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) has been disposed in favour of the company, the Income Tax Department has gone for appeal against the order of Commissioner of Income Tax (Appeals) before the ITAT, the amount involved under appeal before the ITAT amounts to Rs.700.86 lakhs.

45. The dispute between M/s Apeejay Shipping Ltd (formerly known as Surendra Overseas Ltd) and the Company, in the matter of ship 005 was referred for arbitration by the Hon'ble Supreme Court of India. The arbitration award (July 2009) was in favour of the Company under which the Company is to receive ₹2803.64 lakhs from M/s Apeejay Shipping Ltd. The company has filed a petition before Sub Court, Ernakulam for passing a decree. M/s Apeejay Shipping Ltd has moved to the Sub Court to quash the Award of the Umpire and the Company has filed Counter Affidavit against this move. Petition is dismissed by the Sub Court. Petitioners have filed appeal before the High Court against the order of the Sub- Court . The matter is pending before the court. No credit has been taken in the books of account, pending final decree of the Court.

46. Litigations :

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Details of material litigation as on 31 March 2022

M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. However the Company has already provided for the principal amount and interest thereon.

47. Corporate Social Responsibility (CSR) : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2022	₹ 1617 lakhs
(b) Amount spent during the year	₹ 1619.47 Lakhs

(₹ in Lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1000.10	-	1,000.10
(ii) On purposes other than (i) above	619.37	-	619.37

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

47. (Contd..)

In case of Sec.135(5) Excess amount spent

(₹ in Lakhs)			
Amount carry forwarded from previous financial years	Amount spent during the year	Amount charged to P&L as CSR expenses	Amount carry forwarded to succeeding financial years
40.00	1619.47	1619.47	40.00

Additional Disclosures on CSR	As at March 31,2022 Rs Lakhs
(i) Amount required to be spent by the company during the year,	1617.00
(ii) Amount of expenditure incurred,	1619.47
(iii) Shortfall at the end of the year,	0.00
(iv) Total of previous years shortfall,	0.00
(v) Reason for shortfall,	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.	
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil

48. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

49. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2021-22	2020-21
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V (Upto April 30, 2021) Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

49 . Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

Related Party	Nature of Relationship	
	2021-22	2020-21
Shri Sanjay Bandopadyaya Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri K R Jyothilal Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Amrapali Prashant Salve (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	-
Shri Nahar Singh Maheshwari (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	-
Shri Ashok Sharma (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	-
Shri Prithiviraj Harichandan (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	-
Shri Venkatesan M (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	-
Shri Abhijit Biswas (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	-
Shri Jiji Thomson (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	-	Key Managerial Personnel
Shri Pradipta Banerjee (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	-	Key Managerial Personnel
Shri Nanda Kumaran Putezhath (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	-	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Udupi Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	Subsidiary Company

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Short term benefit	267.62	251.05
Post employment Benefit	29.11	34.00
Total	296.73	285.05

Nature of transaction-Advances

Name of Related Party	(₹ in Lakhs)				
	Opening Balance as on 1/4/2021	Loans/advances Taken during 2021-22	Repay ment	Balance as on 31/03/22	Interest accrued as on 31/03/22
SURESH BABU N V	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
BEJOY BHASKER	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
JOSE V J	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

49 . Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2020	Loans/advances Taken during 2020-21	Repayment	Balance as on 31/03/21	Interest accrued as on 31/03/21
SURESH BABU N V	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
BEJOY BHASKER	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
JOSE V J	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in Lakhs)

Name of the meeting	Amrapali Prashant Salve	Nahar Singh Maheshwari	Ashok Sharma	Prithiviraj Harichandan	Venkatesan M	Abhijit Biswas
Board Meeting	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Audit Committee	-	-	0.20	0.20	-	0.20
Corporate Social Responsibility Committee	0.20	0.20	-	-	-	-
Nomination and Remuneration Committee	-	-	0.20	-	-	0.20
Stakeholders' Relationship Committee	-	-	-	-	0.20	-
Risk Management Committee	0.20	-	-	-	-	-
Total payment for 2021-22	0.90	0.70	0.90	0.70	0.70	0.90

(₹ in Lakhs)

Name of the meeting	Jiji Thomson	Nandakumaran Puthezhath	Pradipta Banerji
Board Meeting	0.15	0.15	0.15
Audit Committee	0.15	0.15	0.15
Corporate Social Responsibility Committee	0.15	0.15	0.00
Nomination and Remuneration Committee	0.15	0.15	0.15
Contracts and Capex Committee	0.15	0.15	0.15
Total payment for 2020-21	0.75	0.75	0.60

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping (MoS), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities. However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Transactions/balances with Government and Government related entities by the parent company.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Secondment to subsidiary - Hooghly Cochin Shipyard Ltd.(HCSL)	0.00	6.15
Secondment to subsidiary - Udupi Cochin Shipyard Limited	0.00	13.05
Investment in NCDs issued by subsidiary - HCSL	7500.00	4400.00
Investment in NCDs issued by subsidiary - UCSL	1000.00	-
Investment in Right Issue in subsidiary - HCSL	2800.00	2800.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

49 . Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares in subsidiary -HCSL	5600.00	5600.00
Loans to subsidiary HCSL	0.00	1000.00
Repayment by subsidiary HCSL	0.00	1000.00
Loans to subsidiary UCSL	500.00	500.00
Amount payable to Government of India	234.19	234.19
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	14855.74	26836.17
Receiving of services from UCSL	574.64	-
Sales of stock items (unfinished) to UCSL	14.67	-
Interest on NCD issued by HCSL	395.68	286.00
Interest on NCD issued by UCSL	20.71	-
Interest on loan to HCSL	0.00	20.12
Interest on loan to UCSL	27.50	14.69
Advance paid to UCSL for sub contract works	442.23	-
Advance paid to HCSL for sub contract works	484.00	-
Receivable from UCSL for manpower services	35.24	-
Dividend on preference shares issued by HCSL	286.00	45.67

In addition to the above, around 94 % of the companies turnover and 99.48% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

Shares held by Nominee Directors in HCSL on behalf of CSL	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	10
SURESH BABU N V (First Director)	-	10
BEJOY BHASKER (Director)	10	10
JOSE V J (Director)	10	10
K J RAMESH (Subscriber to Memorandum)	0	10
SYAMKAMAL N (Company Secretary, CSL)	10	10
RAJESH GOPALAKRISHNAN	10	-
KIRAN K.A (Company Secretary, HCSL)	10	-

Shares held by Nominee Directors in UCSL on behalf of CSL	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	10
SURESH BABU N V (First Director)	-	10
BEJOY BHASKER (Director)	10	10
JOSE V J (Director)	10	10
SHIBU JOHN (DGM FIN i/c, CSL)	10	10
ASWIN SARMA M (Asst. Company Secretary, CSL)	10	10

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

50. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

(₹ in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	25,544.52	21,444.52	Level III
(ii) Loans	847.84	791.60	Level II
(iii) Others	3,170.72	4,402.23	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	39,005.86	35,330.43	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	1,36,731.59	66,721.59	Level II
(iii) Bank Balances other than (ii)	1,79,551.09	1,47,916.77	Level II
(iv) Loans	68.56	57.20	Level II
(v) Others	3,681.88	1,734.65	Level II
Total Financial Assets	3,88,602.06	2,78,398.99	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	12300.00	12300.00	Level I
(ii) Lease liabilities	38680.71	38374.71	Level II
(iii) Other financial liabilities	261.22	261.22	Level II
Current			
(i) Trade Payables	37,211.00	43542.59	Level II
(ii) Lease liabilities	3374.84	2556.23	Level II
(iii) Other financial liabilities	15,946.45	20959.85	Level II
Total Financial Liabilities	1,07,774.22	1,17,994.60	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

50. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Financial Instruments by category

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		9.18	11,435.34		9.18	11,435.34
- Debt instruments			14,100.00			10,000.00
- Preference shares						
Investments (Current)						
- Mutual Funds						
Trade receivables			39,005.86			35,330.43
Cash & Cash equivalents			1,36,731.59			66,721.59
Bank Balances			1,79,551.09			1,47,916.77
Other Financial Assets			7,769.00			6,985.68
Total Financial Assets	0.00	9.18	3,88,592.88	0.00	9.18	2,78,389.81
Financial liabilities						
Borrowings			12,300.00			12,300.00
Trade payables			37,211.00			43,542.59
Capital creditors						
Other financial liabilities			58,263.22			62,152.01
Total Financial Liabilities	0.00	0.00	1,07,774.22	0.00	0.00	1,17,994.60

51. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

51. Financial Risk Management Policy (Contd..)

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Note 21. With the current profile of fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations.

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 43.

The company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets					
31st March 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
31st March 2021	7271.52	5220.98	0.00	1451.51	13944.00
Financial Liabilities					
31st March 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31st March 2021	3251.89	8667.46	22.61	176.87	12118.83
	9416.42	6641.14	31.77	529.09	16618.42

The sensitivity of profit/loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

51. Financial Risk Management Policy (Contd..)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(162.59)	(470.82)
USD - Weakening of ₹ by 5%	162.59	470.82
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(433.37)	(332.06)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	433.37	332.06
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(1.13)	(1.59)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	1.13	1.59
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(8.84)	(26.45)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	8.84	26.45
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	162.59	470.82
USD - Weakening of ₹ by 5%	(162.59)	(470.82)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	433.37	332.06
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(433.37)	(332.06)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	1.13	1.59
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(1.13)	(1.59)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	8.84	26.45
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(8.84)	(26.45)

C. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

Commodity	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Steel	88.94	198.27	(88.94)	(198.27)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

51. Financial Risk Management Policy (Contd..)

The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long-term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments		4400.00	21144.52		4400.00	17044.52
Loans	112.28	733.00	2.56	270.56	19.58	501.46
Other Financial Assets		21.70	3149.02		29.75	4372.48
Trade Receivables	39005.86			35330.43		
Cash and Cash Equivalents	136731.59			66721.59		
Bank Balances other than cash and cash equivalents	179551.09			147916.77		
Loans	68.56			57.20		
Other Financial Assets	3681.88			1734.65		
Total Financial Assets	359151.26	5154.70	24296.10	252031.20	4449.33	21918.46
Financial Liabilities						
Borrowings		10000.00	2300.00		10000.00	2300.00
Lease Liabilities		59.24	38621.47		58.40	38316.31
Other financial liabilities			261.22			261.22
Lease Liabilities	3374.84			2556.23		
Trade payables	37211.00			43542.59		
Other financial liabilities	15946.45			20959.85		
Total Financial Liabilities	56532.29	10059.24	41182.69	67058.67	10058.40	40877.53

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The company has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 13.

The Company's maximum exposure to the credit risk for the components of balance sheet as 31st March 2022 and 31st March 2021 is the carrying amounts mentioned in Note no 13 and as stated in Note 49, around 94% of company's turnover and 99.48% (approx.) of trade receivables and customer advance it with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 43 and Note 44 respectively.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

52. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Segment Assets		
Ship building	251516.16	319484.51
Ship Repair	287038.89	259606.41
Unallocated	293292.23	160863.06
Total	831847.28	739953.98
Segment Liability		
Ship building	155888.80	104576.01
Ship Repair	64318.72	11264.54
Unallocated	175721.79	226356.75
Total	395929.31	342197.30
Segment Revenue		
Ship building	251148.16	240559.27
Ship Repair	67852.09	41330.43
Unallocated	26641.68	19386.07
Total	345641.93	301275.77
Segment Result		
Ship building	57749.03	76229.86
Ship Repair	12041.89	9419.89
Unallocated	9648.14	(4591.11)
Total	79439.06	81058.64

The Company has two major business segments –“Ship Building” and “Ship Repair”. Revenue under Ship building includes Rs. 204473.56 lakhs (Previous year: Rs. 203736.66 lakhs) from one customer (Previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue, and for Ship repair includes Rs. 40786.31 lakhs (Previous year: Rs. 29714.58 lakhs) from two customers (Previous year: three customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

Out of ship building segment revenue, Rs. 9503.19 lakhs (Rs. 2567.77 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

53 . Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

53 . Capital Management (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Long term borrowings	12300.00	12300.00
Net Debt	12300.00	12300.00
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	422763.93	384602.64
Total Equity	435917.97	397756.68
Gearing Ratio	2.82%	3.09%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2022 and March 31, 2021.

Ratios	Numerator	Denominator	As at March 31,2022	As at March 31,2021	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.69	1.73	(2.56%)	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.03	0.03	(5.95%)	-
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	8.24	8.27	(0.35%)	-
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.14	0.16	(11.46%)	-
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	8.76	7.56	15.85%	-
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	6.72	6.41	4.78%	-
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	3.66	3.13	16.87%	-
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.36	1.34	1.74%	-
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.18	0.22	(15.04%)	-
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.19	0.22	(11.12%)	-
(k) Return on investment.-Equity	Return from Equity investments	Avg Equity investments	0.00	0.00	-	-
(l) Return on investment.-Debt	Return from Debt investments	Avg Debt investments	0.06	0.06	0.47%	-

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

54. Consumption of imported goods/services for the year amounts to Rs 92189.67 lakhs (Rs 64107.73 lakhs in previous year)

55. In the case of contracts/sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

56. Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables, loans, deposits and claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any

57. The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

58. Figures in brackets denote negative figures.

59. Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2
Notes to the Financial Statements	3 - 59

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN- 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Independent Auditors' Report

To the Members of
Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiaries (Holding company and its subsidiaries together referred to as "the Group") which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2022, and the consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), and the consolidated Statement of Changes in Equity and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Ind AS prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Ind AS) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2022, of its consolidated profit (including Other Comprehensive Income), its consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together

with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Measurement of Physical Completion of Ship Building and Ship Repair activities.

The company recognises revenue from ship building and ship repair activities based on percentage of completion method. The percentage of completion is arrived at based on estimated percentage of physical completion as assessed by the management of the company which involves exercise of significant judgements. Refer Note 2.4 (Critical Accounting Estimates and Judgements) & 2.18(a) (Revenue Recognition) to the Consolidated Financial Statements. The physical completion is ascertained as per an in-house procedure developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs received from the planning, design and technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Our audit approach consisted of understanding the basis and assumptions made in adopting such procedure, understanding the system for capturing data and monitoring the progress of completion of various works for internal reporting to the management, evaluating

the internal controls in such system, selecting samples and performing substantive checking, and analytical procedures. However, we have placed substantial reliance on the technical and activity based assessment made by the management for the purpose of recognition of income.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report, Report on Corporate Governance, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as per applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Act that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance (including Other Comprehensive Income), Consolidated Changes in equity and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of

the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting

from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the company's subsidiaries (Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly Tebma Shipyards Limited)), whose Standalone financial statements reflect total assets of Rs.21,873.04 Lakhs and Rs. 17,124.30 Lakhs as at March 31, 2022, total revenues of Rs. 45.16 Lakhs and Rs. 1,008.06 Lakhs and net cash outflows amounting Rs. 427.87 Lakhs and Rs. 946.48 Lakhs for the year ended on that date respectively, as considered in the consolidated financial statements (before eliminating inter Company balances and transactions).

These financial statements have been audited by another auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, is based solely on the reports of the other auditors.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.
- (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the consolidated Statement of Changes in Equity and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
- (d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
- (e) In view of exemption given vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act, regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Holding Company and its subsidiary, since they are Government Companies.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure A.
- (g) With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act, we offer no

comments as the Holding Company and its Subsidiary are exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.

- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group (refer Note Nos 47, 48, 49 of the Consolidated Financial Statements).
 - ii. The Group has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.
 - iv. a) The respective Managements of the Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, as disclosed in the Note 51 to the Consolidated Financial Statements, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company or any of such subsidiaries to or in any other person or entity, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company or any of such subsidiaries, associates and joint ventures ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

- b) The respective Managements of the Company and its subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, as disclosed in the Note 51 to Consolidated Financial Statements, no funds have been received by the Company or any of such subsidiaries from any person or entity, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company or any of such subsidiaries shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us and that performed by the auditors of the subsidiaries whose financial statements have been audited under the Act, nothing has come to our or other auditors' notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) above contain any material mis-statement.
- v. In respect of the holding company, we report that
- The dividend declared/paid by the holding Company during the year is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.
- The subsidiaries have not declared or paid any dividends during the year.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Joseph Atul Thomson
Partner
Membership No. 243850
UDIN:22243850AJIRSW3720

Kochi
20.05.2022

Annexure A to the Independent Auditor's Report of Even Date on the Consolidated Financial Statements of Cochin Shipyard Limited

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Company as of and for the year ended March 31, 2022, we have audited the internal financial controls over financial reporting of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its subsidiary companies incorporated in India, as of that date.

In our opinion to the best of our information and according to the explanation given to us, the Holding Company and its subsidiary companies incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding company and its subsidiary companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company incorporated in India considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Holding company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the 'Guidance Note') issued by the ICAI and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating

the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material

misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to the subsidiary companies incorporated in India is based on the corresponding reports of the auditors of the subsidiary companies incorporated in India.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Joseph Atul Thomson
Partner
Membership No. 243850
UDIN:22243850AJIRSW3720

Kochi
20.05.2022

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited, and Udupi Cochin Shipyard Limited and but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Hoogly Cochin Shipyard Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

(DEVIKA NAYAR)

Director General of Commercial Audit, Chennai

Place: Chennai
Date: 28.07.2022

Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	54,738.76	43,172.58
(b) Right of Use Assets	3	35,804.87	37,225.25
(c) Capital work-in-progress	4	1,26,438.61	1,17,585.19
(d) Intangible assets	5	6,421.07	6,317.69
(e) Financial assets			
(i) Investments	6	9.18	9.18
(ii) Loans	7	347.84	291.60
(iii) Other Financial Assets	8	2,839.43	4,356.89
(f) Income tax assets (net)	9	3,439.92	3,917.02
(g) Deferred tax assets (net)	10	11,514.13	12,024.94
(h) Other non-current assets	11	17,836.74	21,436.19
Total Non-Current assets		2,59,390.55	2,46,336.53
Current assets			
(a) Inventories	12	30,602.90	43,410.32
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	13	39,040.78	35,336.95
(ii) Cash and cash equivalents	14	1,41,505.80	72,870.14
(iii) Bank balances other than (ii) above	15	1,79,761.04	1,48,023.19
(iv) Loans	16	68.56	57.20
(v) Other Financial assets	17	3,395.10	1,574.24
(c) Other current assets	18	1,87,594.21	2,04,311.07
Total Current assets		5,81,968.39	5,05,583.11
Assets held for Sale	19	13.59	-
Total Assets		8,41,372.53	7,51,919.64
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity:			
(a) Equity share capital	20	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	21	4,26,164.14	3,90,191.08
Total Equity		4,39,318.18	4,03,345.12
Liabilities:			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	22	12,300.00	12,300.00
(ii) Lease Liabilities	23	39,363.70	39,099.47
(iii) Other financial liabilities	24	261.22	261.22
(b) Provisions	25	3,568.12	3,161.39
(c) Other non current liabilities	26	9.16	10.30
Total Non-Current Liabilities		55,502.20	54,832.38
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Lease Liabilities	27	3432.87	2,564.67
(ii) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		1,074.47	1,527.88
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	28	36,538.69	42,015.54
(iii) Other financial liabilities	29	18,956.39	22,720.06
(b) Other current liabilities	30	2,35,381.22	1,64,278.09
(c) Provisions	31	48,602.42	53,326.26
(d) Current tax liabilities (net)	9	2,566.09	7,309.64
Total Current Liabilities		3,46,552.15	2,93,742.14
Total Equity and Liabilities		8,41,372.53	7,51,919.64

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1 - 2

Notes to the Financial Statements 3 - 64

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached
For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

For and on behalf of Board of Directors
SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Consolidated Statement of Profit & Loss

for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
I Income			
Revenue from operations	32	319094.70	281889.70
Other income	33	26281.60	19082.67
Total Income		345376.30	300972.37
II Expenses:			
Cost of materials consumed	34	161891.99	121981.82
Changes in inventories of work in progress	35	(352.31)	0.00
Sub contract and other direct expenses	36	41080.97	33631.38
Employee benefits expense	37	31107.18	29228.30
Finance costs	38	4711.37	5126.10
Depreciation and amortisation expense	39	6966.41	5983.08
Other expenses	40	18299.39	16308.17
Provision for anticipated losses and expenditure	41	4801.96	9164.12
Total expenses		268506.96	221422.97
III Profit before exceptional items and tax (I-II)		76869.34	79549.40
IV Exceptional Items			
Profit before Tax (III+IV)	42	(275.15)	1263.40
V Tax expense:			
(1) Current tax	9	19687.24	23293.20
(2) Deferred tax	9	510.81	(3346.84)
VI Profit for the year		56396.14	60866.44
VII Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		(119.78)	121.08
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		30.15	(30.48)
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(23.00)	411.01
ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		5.98	(103.44)
Other comprehensive income for the year		(106.65)	398.17
VIII Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		56289.49	61264.61
Profit attributable to:			
Owners of the Company		56396.14	60866.44
Non-controlling interest		0.00	0.00
Profit for the year		56396.14	60866.44
Other comprehensive income attributable to:			
Owners of the Company		(106.65)	398.17
Non-controlling interest		0.00	0.00
Other comprehensive income for the year		(106.65)	398.17
Total Comprehensive Income		56289.49	61264.61
IX Earnings per equity share of ₹ 10 each:			
(1) Basic (₹)	43	42.87	46.27
(2) Diluted (₹)		42.87	46.27

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1 - 2
Notes to the Consolidated Financial Statements 3 - 64

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Consolidated Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	76,594.19	80,812.80
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	6,966.41	5,983.08
Interest expense	4,711.37	5,126.10
Interest income	(7,222.31)	(10,346.50)
Rental income	(100.06)	(63.66)
Dividend income	0.00	(0.89)
Exceptional items	275.15	(1,263.40)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	1.02	1.25
Income recognised on Govt. assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	(178.41)	(123.99)
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(173.62)	(404.65)
Operating cash flow before working capital changes	80,872.60	79,719.00
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	12,642.95	(12,066.39)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	13,268.46	(50,572.60)
Increase / (decrease) in trade and other payables	48,003.93	64,686.89
	1,54,787.94	81,766.90
Income tax paid net of refunds	(15,064.04)	(10,747.97)
Net cash flows from operating activities (A)	1,39,723.90	71,018.93
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(17,451.60)	(5,310.63)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(8,853.43)	(37,659.79)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	(31,737.85)	(15,182.11)
(Increase) / decrease in Capital advance	3,596.61	7,930.06
Dividend received	0.00	0.89
Acquisition of subsidiary net of cash acquired	0.00	(6,250.26)
Sale or withdrawal of property, plant and equipment	3.78	2.49
Interest received	7,145.82	12,095.89
Rent received	100.06	63.66
Net cash flows from investing activities (B)	(47,196.61)	(44,309.80)

Consolidated Statement of Cash Flows

for the year ended March 31, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
C. Cash flow from financing activities		
(Borrowings)/ Repayment of loans by employees	(67.60)	(274.98)
Net gain /(loss) on foreign currency transactions	143.78	555.92
Repayment of lease liability	(2,527.50)	(2,427.89)
Dividend paid	(20,388.76)	(36,831.31)
Interest paid	(1,051.55)	(1,542.87)
Net cash flows from financing activities (C)	(23,891.63)	(40,521.13)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	68,635.66	(13,812.00)
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	72,870.14	86,682.14
Cash and cash equivalent at the end of the Year	1,41,505.80	72,870.14

Cash and Cash Equivalents include earmarked funds of ₹91155.67 lakhs as on March 31, 2022 (₹ 37749.10 lakhs as on March 31, 2021)

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2
Notes to the Consolidated Financial Statements	3 - 64

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Consolidated Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2022

A. Equity Share Capital

	As at April 01, 2021		As at March 31, 2022	
	Balance	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance as at April 01, 2021	Changes in equity share capital during the year
Balance as at April 01, 2021	13,154.04	0.00	0.00	0.00
Balance as at April 01, 2020	13,154.04	0.00	0.00	0.00

B. Other Equity

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total			
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve			Debt Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company
Balance as at April 01, 2021	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	90.60	390191.08	0.00	390191.08
Changes in accounting policy or prior period errors										0.00
Restated balance at the beginning of the reporting period	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	90.60	390191.08	0.00	390191.08
Profit for the year				56396.14				56396.14		56396.14
Other comprehensive income for the year				(17.02)			(89.63)	(106.65)		(106.65)
Total comprehensive income for the year				56379.12	0.00	0.00	(89.63)	56289.49		56289.49
Dividends				(20388.76)				(20388.76)		(20388.76)
Transfer to retained earnings										0.00
Land accounted at fair value			72.45					72.45		72.45
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)		(0.12)
Balance as at March 31, 2022	6887.15	93152.08	6395.20	305706.54	12353.76	1668.44	0.97	426164.14	0.00	426164.14

Refer Note 21 for further details

Consolidated Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2022

B. Other Equity (Contd.)

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total			
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve			Debt Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company
Balance as at April 01, 2020	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44		359134.31		359134.31
Changes in accounting policy or prior period errors										0.00
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44				0.00
Profit for the year				60866.44				60866.44		60866.44
Other comprehensive income for the year				307.57			90.60	398.17		398.17
Total comprehensive income for the year				61174.01	0.00	0.00	90.60	61264.61		61264.61
Dividends				(36831.31)				(36831.31)		(36831.31)
Transfer to retained earnings										0.00
Amortisation of premium		(0.12)						(0.12)		(0.12)
Acquisition of subsidiary	6623.59							6623.59		6623.59
Balance as at March 31, 2021	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	90.60	390191.08	0.00	390191.08

Refer Note 21 for further details

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.**,
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08103825
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Kochi, dated May 20, 2022

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “the Group”) is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Group is a public limited Group incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2022, the Government of India holds 72.86% of the Group’s equity share capital. The Group’s equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE.

The consolidated financial statements relate to Cochin Shipyard Limited (Parent Group) and its Subsidiary Groups, Hooghly Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as HCSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as UCSSL) (Formerly Tebma Shipyards Ltd).

The Group and its Subsidiary are together referred to as “Group”.

The consolidated financial statements for the year ended March 31, 2022 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on May 20, 2022.

Details of Subsidiary Groups	Share holding
Hooghly Cochin Shipyard Ltd. (hereinafter referred to as HCSL) incorporated on October 23, 2017 is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd), acquired on September 15, 2020 through NCLT process, is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%

2. Significant Accounting Policies

2.1 Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred

to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

- the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company’s normal operating cycle;
- the asset is intended for sale or consumption;
- the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;
- the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;
- the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;
- in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

- In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

- In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.2.1 Basis of consolidation of consolidated financial statements

Subsidiaries are entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power to direct the relevant activities of the entity. Subsidiaries are fully consolidated commencing from the date on which control is transferred to the Group until the date on which control ceases.

The Group consolidate the consolidated financial statements of the parent and its subsidiaries on line by line basis adding together like items of assets, liabilities, equity, income and expenses. InterGroup transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Non-controlling interests, in the results and equity of subsidiaries are shown separately in the Consolidated Statement of Profit and Loss, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Balance Sheet respectively.

2.2.2 Business Combinations

Business combinations have been accounted for using the acquisition method under the provisions of Ind AS 103, Business Combinations. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair value on the date of acquisition. Purchase consideration in excess of the Company’s interest in the acquiree’s net fair value of identifiable assets and liabilities is recognised as goodwill. Excess of the Company’s interest in the net fair value of the acquiree’s identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised in the Capital Reserve. Acquisition related transaction costs are recognised as expense in the statement of profit and loss as and when incurred.

2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the consolidated financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.4 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the consolidated financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Group reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Group reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Group evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Group uses

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Group reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Group. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Group or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Group makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the consolidated financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the consolidated financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Group are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Group exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Group are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.5 Property , Plant and Equipment (PPE)

The parent company had applied for the one time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS 16. Hence the same is regarded thereafter as historical cost. However in case of UCSSL, fair value has been adopted as deemed cost on the transition date to IndAS.

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as

a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.6 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.7 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up- front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.8 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Group has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments and the right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises of the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

As a Lessee:

The Group's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Group has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Group has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Group recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Group is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below.

For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts. Right Of Use assets/Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in consolidated financial statements at residual value.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Vehicles	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years
Docks and quays	15 years
Railway sidings	15 years
Electrical installation	10 years
Drainage and water supply	15 years
Vessels	13-28 years

2.11 Impairment of Assets

The Group assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Group classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell

and presented separately in the consolidated financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss.

2.13 Inventories

- Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production / services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value. Stock of materials in respect of construction of defence vessels wherein the cost incurred is reimbursed by the owner are shown as reduction from the advances paid by the owner for construction of the vessel.
- Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.
- Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.
- Work In Progress (WIP) other than construction contracts have been valued at lower of cost and net realisable value.
- Finished goods are valued at cost or net realisable value which ever is lower.

2.14 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Group may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Group makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortised cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortisation is included in other income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Group classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Group assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Group recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Group uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable.

Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the Group even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Cash and cash equivalents

The Group considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in consolidated financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The consolidated financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Group.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies at the year end are re-measured at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. Non monetary foreign currency items are carried at cost. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on restatement is recognised in the statement of Profit and Loss.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Group designates certain foreign exchange forward contracts as hedge instruments in respect of foreign exchange risks. These hedges are accounted for as cash flow hedges.

The use of foreign currency derivative contracts is governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors which provide written principles on the use of such financial derivatives consistent with the Company's risk management strategy. The company does not use derivative financial instruments for speculative purposes.

The hedge instruments are designated and documented as hedges at the inception of the contract. The effectiveness of hedge instruments to reduce the risk associated with the foreign currency exposure that is being hedged is assessed and measured at inception and on an ongoing basis at fair value.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income and accumulated under the heading cash flow hedge reserve.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting. Any gain or loss recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in equity till that time remains and is recognised in Statement of Profit and Loss when the forecasted transaction ultimately affects the profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

2.15 Contract Assets

Where the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Group presents the contract as a contract asset. A contract asset is Group's right to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

2.16 Contract Liabilities

Where the Group receives consideration, or the Group has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Group transfers a good or service to the customer, the Group presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Group's

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Group. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Group treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the consolidated financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Group does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Group does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

2.18 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Effective April 1, 2018, the Group has adopted Ind AS115 "Revenue from Contracts with Customers". In

respect of contracts that were not completed on the date of initial application (April 1, 2018), the Group has applied the standard retrospectively by recognizing the cumulative effect of applying the same at the effective date, as an adjustment to the Opening balance of Retained earnings and accordingly figures for earlier years have not been retrospectively adjusted.

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer except in the case of Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is recognised over a period of time being output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts which are eligible under SBFA policy. Management fee is also recognised over a period of time.

In circumstances, where the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Group recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Group estimates the net amount of consideration to which the Group is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

b) Other income

i) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants

are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Group with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para a).

ii) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

iii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance Company.

iv) Others

Dividend income is recognized when the Group's right to receive payment has been established.

Charter hire charges income is accounted on time period basis.

2.19 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

In respect of parent company, defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The parent company also makes contribution towards Employees Medical Assistance Trusts which are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

In respect of subsidiaries, contributions to Provident Fund are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the Profit and Loss account. The Company has no further obligations for future Provident Fund benefits other than its monthly contributions.

Defined benefit plans

Gratuity

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its

defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Defined benefit plans of Subsidiaries

Defined benefit plans comprises gratuity.

The Company has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of five years of service. The gratuity plan of the Company is unfunded.

The liability recognised in the Standalone Balance Sheet in respect of defined benefit gratuity plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated by actuary using the projected unit credit method.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation. This cost and other costs are included in employee costs in the Standalone Statement of Profit and Loss.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised immediately in the Standalone Balance Sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from settlement or curtailments are recognised immediately in Standalone Statement of Profit and Loss as past service cost.

Provident Fund and Pension Scheme

The holding company also makes contribution towards provident fund. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Group has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

2.20 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other

borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

2.21 Corporate Social Responsibility

The Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021.

2.22 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Group, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.23 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

2.24 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Group by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Group did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.25 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Group's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Group has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Group as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.26 Consolidated Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Group are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

2.27 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting. In the case of interim dividends, recognition is done in the period in which the same is recommended and approved by Board of the Company.

2.28 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022, as below.

The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

which are under active consideration by the Ministry. The Company and its subsidiaries will assess the impact and its evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.

Ind AS16– Property Plant and equipment-The amendment clarifies that excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2022. The Group will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Ind AS 37– Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets–The amendment specifies that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (an example would be the allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling the contract). The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2022, although early adoption is permitted. The Group will evaluate the same to give effect to them as required by the standard.

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount			
	As at 1st April 2021	On Acquisition of Subsidiary	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2022	As at 1st April 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2022	As at 31st Mar 2021
Owned Assets										
Land (Freehold)	3,195.41	-	72.45	-	3,267.86	-	-	-	3,267.86	3,195.41
Buildings	18,666.28	840.01	8.10	8.10	19,498.19	777.20	8.01	3,958.44	15,539.75	15,477.03
Plant and equipment	24,737.37	4,780.63	771.30	771.30	28,746.70	2,575.57	336.03	12,251.44	16,495.26	14,725.47
Furniture and fixtures	1,402.83	136.53	10.31	10.31	1,529.05	125.12	7.25	726.59	802.46	794.11
Vehicles	620.07	54.95	-	675.02	312.81	57.22	-	370.03	304.99	307.26
Office equipment	495.10	89.99	19.90	-	565.19	69.28	10.57	295.89	269.30	257.92
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	1,845.10	627.78	26.69	26.69	2,446.19	314.89	16.88	1,385.95	1,060.24	757.16
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	1,841.96	299.41	-	2,141.37	2,325.08	2,624.49
Railway sidings	1.10	-	-	-	1.10	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	1,831.03	830.68	0.53	0.53	2,661.18	121.01	-	1,103.18	1,558.00	848.86
Drainage and water supply	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	19.74	-	1.36	-	8.44	11.30	12.66
Sub Total	57,287.15	7,433.02	836.83	836.83	63,883.34	4,341.06	378.75	22,241.33	41,642.01	39,008.14
Assets on leased premises										
Buildings	4,023.75	9,325.35	20.76	20.76	13,328.34	391.17	5.87	1,676.38	11,651.96	2,732.67
Plant and equipment	654.65	217.22	-	-	871.87	109.37	-	154.15	717.72	545.28
Docks and quays	9.62	-	-	-	9.62	8.35	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	400.26	101.06	-	-	501.32	42.82	-	212.46	288.86	230.62
SLIPWAY	1,108.00	9.99	-	-	1,117.99	453.40	-	681.05	436.94	654.60
Sub Total	6,196.28	9,653.62	20.76	20.76	15,829.14	2,031.84	5.87	2,732.39	13,096.75	4,164.44
Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	39,874.95	-	-	-	39,874.95	2,752.12	-	4,142.95	35,732.00	37,122.83
Right of Use - Buildings	173.07	-	-	-	173.07	70.65	-	100.20	72.87	102.42
Sub Total	40,048.02	-	-	-	40,048.02	2,822.77	-	4,243.15	35,804.87	37,225.25
Total	1,03,531.45	17,086.64	857.59	857.59	1,19,760.50	23,133.62	384.62	29,216.87	90,543.63	80,397.83

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount			
	As at 1st April 2020	On Acquisition of Subsidiary	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2021	As at 1st April 2020	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2020
Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54	2,607.87	-	-	3,195.41	-	-	-	3,195.41	587.54
Buildings	13,832.24	2,060.41	2,773.63	-	18,666.28	141.29	588.70	3,189.25	15,477.03	11,372.98
Plant and equipment	18,909.92	4,657.45	1,170.61	0.61	24,737.37	7,076.66	0.39	10,011.90	14,725.47	11,833.26
Furniture and fixtures	1,237.82	20.06	147.17	2.22	1,402.83	485.80	1.55	608.72	794.11	752.02
Vehicles	599.11	7.33	13.67	0.04	620.07	256.49	0.02	312.81	307.26	342.62
Office equipment	382.21	19.42	94.13	0.66	495.10	172.09	0.41	237.18	257.92	210.12
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	1,345.71	17.26	490.01	7.88	1,845.10	833.47	5.30	1,087.94	757.16	512.24
Docks and quays	4,466.45	-	-	-	4,466.45	1,542.55	-	1,841.96	2,624.49	2,923.90
Railway sidings	1.10	-	-	-	1.10	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	1,765.00	66.03	-	-	1,831.03	864.80	-	982.17	848.86	900.20
Drainage and water supply	6.67	-	-	-	6.67	-	-	-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	-	19.74	5.72	-	7.08	12.66	14.02
Sub Total	43,153.51	9,389.80	4,755.25	11.41	57,287.15	13,696.84	7.67	18,279.01	39,008.14	29,456.67
Assets on leased premises										
Buildings	2,105.50	1,830.40	87.85	-	4,023.75	441.45	-	1,291.08	2,732.67	1,664.05
Plant and equipment	518.62	136.03	-	-	654.65	74.20	-	109.37	545.28	444.42
Docks and quays	9.62	-	-	-	9.62	8.35	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	360.77	39.49	-	-	400.26	132.06	-	169.64	230.62	228.71
Slip way	1,108.00	-	-	-	1,108.00	340.21	-	453.40	654.60	-
Sub Total	2,994.51	2,938.40	263.37	-	6,196.28	656.06	-	2,031.84	4,164.44	2,338.45
Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	39,550.14	95.90	228.91	-	39,874.95	1,360.32	-	2,752.12	37,122.83	38,189.82
Right of Use - Buildings	98.11	74.96	-	-	173.07	35.36	-	70.65	102.42	62.75
Sub Total	39,648.25	95.90	303.87	-	40,048.02	1,395.68	-	2,822.77	37,225.25	38,252.57
Total	85,796.27	12,424.10	5,322.49	11.41	1,03,531.45	15,748.58	7.67	23,133.62	80,397.83	70,047.69

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Assets taken over from Cochin Port Trust (CoPT) (₹ 1291.52 lakhs) have been valued and life assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets. These assets together with assets constructed/installed on land taken on lease from CoPT, Mumbai Port Trust (MbPT) and Kolkata Port Trust (KoPT) have been disclosed separately as assets on leased premises in the Note no 3 to Property, Plant & Equipments.

The Company has created mortgage for ₹ 12300 Lakhs on the landed properties of the Company as security for the tax free bonds issued by the Company during the year 2013-14.

UCSL has entered into agreements with Kundapura Port & Govt of Karnataka for lands taken on lease at Malpe and Hangarkatta. The lease agreement for Malpe will expire in 2023, while the lease period for Hangarkatta land has already expired in 2019. Discussions are currently underway with the Government of Karnataka to renew the lease licenses. Meanwhile Company paid during the year an amount of ₹ 13.49 Lakhs towards Malpe lease rent and ₹ 1.67 lakhs towards Hangarkatta Lease rent. Ind AS 116 is applied only for Malpe leasehold land.

78.05 cents of land at Hangarkatta belonging to UCSL (Subsidiary) has been valued at ₹ 72.45 lakhs and same been recognized in General reserve. The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have not been recognized in accounts due to pending verification & valuation of the same.

Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

Note 4 : Capital work -in -progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Plant and machinery, Buildings and Civil works	1,13,757.35	98,419.10
Capital yard items	11,431.96	5,371.20
Goods in Transit	-	2,477.66
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	1,249.30	11,317.23
Total	1,26,438.61	1,17,585.19

CWIP Ageing schedule as on 31.03.22

(₹ in Lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	23,051.37	43,949.27	34,137.87	25,300.10	1,26,438.61
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 4 : Capital work -in -progress (Contd..)

CWIP Ageing schedule as on 31.03.21

(₹ in Lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	54,694.07	37,040.98	19,859.19	5,990.95	1,17,585.19
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
International Ship Repair Facility	-	56136.01	-	-
Dry Dock	65082.67	-	-	-
3D Experience Ship building software	1625.24	-	-	-
IT Security and Monitoring system	817.93	-	-	-
Dock Monitoring system	32.17	-	-	-
Caisson gate	565.90	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
3D Experience Ship building software	-	1534.84	-	-
Dry Dock	-	52183.49	-	-
Electrication works at CMSRU	36.31	-	-	-
Supply and installation of IT network infrastructure	318.76	-	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 5 : Intangible assets

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation			Net Carrying amount	
	As at 1st April 2021	On Acquisition of Subsidiary	As at 31st Mar 2022	As at 1st April 2021	On Acquisition of Subsidiary	As at 31st Mar 2022	As at 31st Mar 2022	As at 31st Mar 2021
Internally generated weld procedure	27.67	-	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,565.16	437.45	2,002.61	1,443.22	109.04	1,552.26	450.35	121.94
Right to use - land and ship repair facility (ISRF)	7,000.00	-	7,000.00	1,373.33	210.34	1,583.67	5,416.33	5,626.67
Tally Software	0.53	-	0.53	0.18	0.17	0.35	0.18	0.35
Leased land at Nazirgunge (5.31 Acres)- Right to use	118.94	-	118.94	4.20	1.98	6.18	112.76	114.74
Leased land at Nazirgunge (10.45 Acres)- Right to use	234.07	-	234.07	6.94	3.97	10.91	223.16	227.13
Leased Land at Saikia (9.91 Acres)- Right to use	221.99	-	221.99	4.09	3.76	7.85	214.14	217.90
Right to Use - land (Malpe)	16.68	-	16.68	7.72	4.81	12.53	4.15	8.96
Total	9,185.04	437.45	9,622.49	2,867.35	334.07	3,201.42	6,421.07	6,317.69

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation			Net Carrying amount	
	As at 1st April 2020	On Acquisition of Subsidiary	As at 31st Mar 2021	As at 1st April 2020	On Acquisition of Subsidiary	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2020
Internally generated weld procedure	27.67	-	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,495.14	70.02	1,565.16	1,366.57	76.65	1,443.22	121.94	128.57
Right to use - land and ship repair facility (ISRF)	7,000.00	-	7,000.00	1,162.99	210.34	1,373.33	5,626.67	5,837.01
Tally software	0.53	-	0.53	0.01	0.17	0.18	0.35	0.52
Leased land at Nazirgunge (5.31 Acres)- Right to use	118.94	-	118.94	2.22	1.98	4.20	114.74	116.72
Leased land at Nazirgunge (10.45 Acres)- Right to use	234.07	-	234.07	2.98	3.96	6.94	227.13	231.09
Leased Land at Saikia (9.91 Acres)- Right to use	-	221.99	221.99	-	4.09	4.09	217.90	-
Right to Use - land (Malpe)	-	16.68	16.68	-	5.32	2.40	7.72	8.96
Total	8,876.35	292.01	9,185.04	2,562.44	299.59	2,867.35	6,317.69	6,313.91

The Right to use of land and ship repair facility shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

The Right to use of land (Malpe) represents the upfront fee paid to Port Officer Kundapura towards using Malpe leasehold land, which is amortised over the lease period.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 6 : Investments-Non Current

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unquoted (Fully Paid up)		
Investment in equity instruments		
At Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹ 100 each	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of ₹10 each	7.00	7.00
Cochin Waste to Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	-	-
Total	9.18	9.18
Aggregate value of unquoted investment	9.18	9.18

Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste to Energy (P) Ltd is noticed and accordingly Fair value is considered as Nil.

Note 7 : Loans - Non Current

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured, considered good:		
Other Loans		
Loans to employees	-	-
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	347.84	291.60
Total	347.84	291.60

No significant increase in credit risk or credit impairment.

Note 8: Other Financial Assets - Non Current

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Security deposits	77.79	71.49
Ship Building Financial Assistance Scheme Subsidy	2,739.94	4,255.65
Accrued Lease Rental Asset	21.70	29.75
Total	2,839.43	4,356.89

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026.

Note 9: Income tax assets / liability (net)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	3,439.92	3,917.02
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(2,566.09)	(7,309.64)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 9: Income tax assets / liability (net) (Contd..)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31,2022	For the year ended March 31,2021
Current tax:		
Current income tax charge	20,431.12	24,372.08
Adjustment in respect of prior years	(743.88)	(1,078.88)
Total (A)	19,687.24	23,293.20
Deferred tax:		
In respect of current year	510.81	(3,346.84)
Total (B)	510.81	(3,346.84)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	20,198.05	19,946.36

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31,2022	For the year ended March 31,2021
Profit before tax	76,594.19	80,812.80
Income tax expense calculated at respective applicable rates	19,993.22	20,338.97
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	5,542.57	7,830.83
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(5,388.12)	(4,089.02)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	407.59	374.25
Set off of carried forward business losses	-	(133.35)
Others	(124.14)	50.40
	20,431.12	24,372.08
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(743.88)	(1,078.88)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	510.81	(3,346.84)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	20,198.05	19,946.36

Note 10 : Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Deferred tax liabilities	(3,174.38)	(3,500.25)
Deferred tax assets	14,688.51	15,525.19
Total	11,514.13	12,024.94

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 10 : Deferred tax assets (net) (Contd..)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,318.48)	1,717.32		(7,601.16)
Property, plant and equipment	3,509.71	(321.15)		3,188.56
Intangible assets	(4,492.42)	(198.18)		(4,690.60)
Carry forward losses	(17.86)	(0.41)		(18.27)
Others	(1,705.89)	(686.77)		(2,392.66)
Total	(12,024.94)	510.81	-	(11,514.13)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(6,425.48)	(2,568.00)	(325.00)	(9,318.48)
Property, plant and equipment	2,813.16	(274.74)	971.29	3,509.71
Carry forward losses		133.39	(4,625.81)	(4,492.42)
Intangible assets	(28.88)	11.02	-	(17.86)
Others	(1,057.38)	(648.51)	-	(1,705.89)
Total	(4,698.58)	(3,346.84)	(3,979.52)	(12,024.94)

Note 11 : Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured, considered good		
Capital advances	17,291.05	20,887.66
Advances other than capital advances:		
Security deposits	247.38	249.56
Advance lease rentals	37.09	37.75
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Subsidy Receivable		179.36
Less : Provision for Subsidy receivable		(179.36)
Total	17,836.74	21,436.19

Deposit with Customs Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 24- Other Financial Liabilities- Non Current.

The subsidy amount receivable for previous year is calculated as per the Ship Building Subsidy Scheme issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide Press Note (2003).

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 12 : Inventories

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Raw Materials and components*	31,424.97	43,431.69
Work in Progress	352.31	
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(3,126.87)	(2,981.71)
Goods-in transit*	533.53	994.01
	29,183.94	41,443.99
Stores & Spares*	669.26	714.45
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(49.89)	(11.61)
Goods-in transit*	32.72	393.16
	652.09	1,096.00
Loose Tools*	627.07	658.82
Scrap*	139.80	211.51
Total	30,602.90	43,410.32

* Valuation of inventories is done in accordance with Accounting Policy no. 2.13 given in Note no.2

(i) Inventory does not include stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 8977.28 lakhs (previous year ₹ 14757.40 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company and is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

(ii) Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 13 : Trade Receivables-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	39,040.78	35,336.95
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	10,439.67	10,215.58
Less: Allowance for Expected credit loss	(10,439.67)	(10,215.58)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Total	39,040.78	35,336.95

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 13 : Trade Receivables-Current (Contd..)

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	28,335.63	6,015.39	4,294.08	395.68	-	39,040.78
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	226.00	70.28	1,117.23	1,413.51
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	63.65	15.55	8,946.96	9,026.16
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
	28,335.63	6,015.39	4,583.73	481.51	10,064.19	49,480.45
Less: ECL provision as on 31.03.2022						10,439.67
Trade receivable as on 31.03.2022						39,040.78

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	18,979.47	8,195.52	5,710.12	145.57	-	33,030.68
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	300.36	25.69	1,061.86	1,387.91
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	2,306.27	-	2,306.27
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	1,336.56	7,491.11	8,827.67
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
	18,979.47	8,195.52	6,010.48	3,814.09	8,552.97	45,552.53
Less: ECL provision as on 31.03.2021						10,215.58
Trade receivable as on 31.03.2021						35,336.95

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Opening balance	10,215.58	13,588.08
Add: Provision made/transfer during the year	2,984.36	672.78
Less: Amount collected/reversal of provision	2,760.27	4,045.28
Closing Balance	10,439.67	10,215.58

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Cash on hand	-	
Balance with Banks		
In current account	12,397.71	10,944.37
In current account on behalf of Indian Navy	91,155.67	37,749.10
Term deposits with original maturity of less than three months	37,952.42	24,176.67
Total	1,41,505.80	72,870.14

Funds received from Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account and is separately disclosed.

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	15,200.00	62,262.58
Lien Marked Term deposits with original maturity of more than three months*	59,797.71	
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	33,541.95	793.76
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	71,161.67	84,929.09
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	59.71	37.76
Total	1,79,761.04	1,48,023.19

*Deposits with banks with maturity less than three months represents lien marked deposits in favour of Union Bank of India and State Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

**Deposits with banks with maturity upto 12 months, include ₹ 97.45 lakhs (previous year ₹ 93.01 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

Note 16 : Loans - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Loans to related parties	-	-
Other employees	68.56	57.20
Total	68.56	57.20

No significant increase in credit risk or credit impairment

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 17 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Interest accrued on fixed deposits	1,433.22	1,378.53
Interest accrued on employee advances		
Related parties		-
Other employees	39.23	17.43
Foreign Exchange Derivatives Assets	1.30	178.28
Ship Building Financial Assistance	1,921.35	
Total	3,395.10	1,574.24

Note 18 : Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.36	0.39
Other advances	39,366.72	21,068.21
Advances considered doubtful	1,030.17	0.07
	40,397.25	21,068.67
Less: Provision for doubtful advances	1,030.17	0.07
	39,367.08	21,068.60
Others		
Contract Assets for IAC works	-	49,677.10
Contract Assets for other works	35,028.44	45,461.76
Balance with Sales Tax department and CBEC	283.22	290.66
Miscellaneous deposits	85.12	19.14
Prepaid expenditure	651.12	350.18
Input Tax Credit on GST	1,09,684.67	85,599.59
Other receivables	54.32	24.17
Miscellaneous current assets	2,440.24	1,819.87
Total	1,87,594.21	2,04,311.07

Note 19 : Assets held for Sale

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Asset held for Sale	13.59	-
Total	13.59	-

On physical verification of the assets of UCSL undertaken by management during Q4 2021-22, it was found that various assets of the company aggregating to ₹ 468.10 Lakhs were in a dilapidated condition or has become obsolete due to shutdown of the operations of the yard and passage of time. As these assets are beyond economic repairs and occupying considerable space, it was proposed to dispose off these assets at the earliest, which is considered appropriate for optimum utilization of the available Yard space to ensure smooth business operations. These class of assets subject to disposal has been regrouped as Assets held for sale and has been retained in books at its fair value less cost to disposal and the asset shall be disposed off within 12 months. The difference between the WDV and the NRV of the assets has been charged to P&L as exceptional items.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 20 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31,2022		As at March 31,2021	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

20.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at March 31,2022		As at March 31,2021	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	0	0.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

20.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31,2022		As at March 31,2021	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	95843464	72.86

20.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter Name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
The President of India	95843464	72.86	Nil

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 21 : Other Equity

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Capital Reserves	6,887.15	6,887.15
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,152.08	93,152.20
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,668.44
General Reserve	6,395.20	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	0.97	90.60
Retained Earnings	3,05,706.54	2,69,716.18
Total	4,26,164.14	3,90,191.08

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹ 263.56 lakhs being restoration charges received from M/s Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land. It also includes gain on acquisition of subsidiary M/s Tebma Shipyards Limited as explained below.

The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai on March 04, 2020, approved the Resolution Plan submitted by holding company for acquisition of Tebma Shipyards Limited (TSL) which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the NCLT Order, holding company paid the bid amount for takeover of TSL on September 15, 2020 with effect from which date TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL. Accordingly, the excess of the Company's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised, in the Capital Reserve.

Particulars	(₹ in Lakhs)			
	Carrying value as at acquisition date	Fair Value Adjustments	Purchase Price Allocated	Capital Reserve
Net Assets acquired (including cash and cash equivalents)	13123.59	0	6500.00	6623.5

Major components of net assets acquired include Property, Plant and Equipment ₹ 10528.58 Lakhs and Deferred Tax Assets ₹ 3979.52 Lakhs

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹ 10 each at premium (₹ 93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹ 777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 21 : Other Equity (Contd..)

Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹ 1668.44 Lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 46)

Interim dividend: During the year, the Company paid interim dividends of ₹ 6 per equity share of face value of ₹ 10 and ₹ 7 per equity share of face value of ₹ 10, as recommended at the board meetings held on Nov 11, 2021 and Feb 10, 2022 respectively.

Proposed dividend: The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹ 3.75 per equity share of face value of ₹ 10 for the financial year ended March 31, 2022 at the Board meeting held on May 20, 2022. This is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Note 22 : Borrowings

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	12,300.00	12,300.00
Total	12,300.00	12,300.00

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023.
- Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 23: Lease Liabilities-Non Current

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Lease Liabilities under Ind AS 116	39,363.70	39,099.47
Total	39,363.70	39,099.47

Note 24: Other Financial liabilities - Non Current

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Total	261.22	261.22

Liability of ₹ 261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 11.

Note 25: Provisions - Non Current

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 37)	3,568.12	3,161.39
Total	3,568.12	3,161.39

Note 26 : Other non current liabilities

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Deferred Income arising from Government Assistance	9.16	10.30
Total	9.16	10.30

Note 27 : Lease liabilities

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Lease Liabilities under Ind AS 116	3,432.87	2,564.67
Total	3,432.87	2,564.67

Note 28 : Trade Payables

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	1,074.47	1,527.88
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	36,538.69	42,015.54
Total	37,613.16	43,543.42

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 28 : Trade Payables (Contd..)

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	1,074.47	1,527.88
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	1,074.47				1074.47
Due					0.00
(ii) Others					
Not due	33,655.38	-	-	-	33655.38
Due	2,778.84	26.50	50.44	27.53	2883.31
(iii) Disputed dues – MSME					0.00
(iv) Disputed dues – Others					0.00
Total	37,508.69	26.50	50.44	27.53	37,613.16

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME					
Not due	1527.88				1527.88
Due					0.00
(ii) Others					0.00
Not due	35937.85				35937.85
Due	5999.71	50.44	17.90	9.64	6077.69
(iii) Disputed dues – MSME					0.00
(iv) Disputed dues – Others					0.00
Total	43,465.44	50.44	17.90	9.64	43,543.42

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 29 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Interest accrued but not due	281.98	281.98
Unpaid Dividend	59.71	37.76
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	-	57.21
Others		
Security and other deposits	8,144.28	9,431.56
Others Payables	10,470.42	12,911.55
Total	18,956.39	22,720.06

Note 30 : Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)	48,950.10	-
Contract Liability for other works	1,77,104.52	1,60,155.13
Advances for ship building, ship repair and other contracts	4,405.16	758.45
Income received in advance	27.76	26.46
Statutory dues	4,892.54	3,336.91
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	2,35,381.22	1,64,278.09

Refer Note No 44 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Cost of infrastructure facilities which has been met out of funds from Navy till date.

(₹ in Lakhs)

Details	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Buildings and other civil works	16,196.67	13,764.07
Data processing equipment	1,338.81	1,338.51
Furniture and Office equipments	387.03	386.75
Plant and machinery	16,885.70	16,885.70
Total	34,808.21	32,375.03

Note 31 : Provisions - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Provision for Employee benefits		
Gratuity	546.85	272.09
Compensated absences (Refer Note No 37)	419.76	515.45
Others	-	-
	966.61	787.54

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 31 : Provisions - Current (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021
Other Provisions		
Provision for Taxes and duties	2,665.50	2,662.17
Provision for shipbuilding loss	7,573.00	11,658.00
Provision for Expenditure / contingencies	37,397.31	38,218.55
	47,635.81	52,538.72
Total	48,602.42	53,326.26

31.1 Details of movement of provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2021	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2022
Provision for employee benefits- Gratuity	272.09	396.15	-	121.39	546.85
Compensated absences	515.45	435.21	-	530.90	419.76
Provision for taxes and duties	2,662.17	3.33	-	-	2,665.50
Provision for shipbuilding loss	11,658.00	-	-	4,085.00	7,573.00
Provision for expenditure / contingencies	38,218.57	37,300.94	34,375.35	3,746.85	37,397.31

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2020	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2021
Provision for employee benefits- Gratuity	1,048.51	272.09	(1,048.51)	-	272.09
Compensated absences	533.22	-	(17.77)	-	515.45
Provision for taxes and duties	209.12	2,560.12	(107.07)	-	2,662.17
Provision for shipbuilding loss	5,287.00	6,371.26	(0.26)	-	11,658.00
Provision for expenditure / contingencies	31,608.78	34,765.74	(25,716.40)	(2,439.57)	38,218.55

Note 32 : Revenue from operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	179266.04	200925.37
Vessels other than IAC	67674.19	35831.94
	2,46,940.23	2,36,757.31

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 32 : Revenue from operations (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Sale of services		
Ship repairs	65,794.50	40,850.24
Engineering works	-	5.50
	65,794.50	40,855.74
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	3,486.17	3,420.09
Sale of scrap	1,373.80	544.23
Management fee	1,500.00	312.33
	6,359.97	4,276.65
Total	3,19,094.70	2,81,889.70

Refer Note No 44 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers."

Out of the Revenue from Operations, ₹ 9503.19 lakhs (₹ 2567.77 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Recognition of revenue for this Assistance is based on measurement of percentage of completion of the vessel under subsidy, completed to date.

Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also associate in Augmentation and Modernisation of the facility and also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

Note 33 : Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Training facilities	342.84	106.27
Income from sale of scrap and stores	743.38	85.90
Income from laboratory services	24.11	12.94
Rent received	325.23	261.26
Hire charges received	1.72	1.10
Interest on bank deposits	5,755.80	8,750.56
Interest from others	1,466.51	1,595.94
Dividend income from equity investments/ Mutual Funds	-	0.89
Net gain on foreign currency transactions	173.62	404.65
Net gain on derivative contracts	178.41	123.99
Provision no longer required	8,469.70	4,365.45

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 33 : Other Income (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Income from Charter Hire	75.90	35.48
Proceeds from Bank Guarantee encashment - Performance guarantee/security deposits forfeited**	6,100.00	
Miscellaneous income*	2,624.38	3,338.24
Total	26,281.60	19,082.67

*Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

**During the year, the company cancelled the contract for the turnkey work in setting up the international ship repair facility at Kochi due to the inability of the contractor to carry out the work as per terms of the contract. Consequently, the company encashed the bank guarantees received by it towards performance guarantee and security deposits, and forfeited the proceeds as per the terms of the contract, and has treated the same as income.

Note 34 : Cost of Materials Consumed

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Raw Materials		
Steel	2,058.46	3,965.41
Pipe	831.45	966.05
Paint	1,775.94	1,312.48
Bought out components	1,57,226.14	1,15,737.88
Total	1,61,891.99	1,21,981.82

Note 35 : Changes in inventories of work in progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	-	-
Less: at the end of the year	(352.31)	-
Decretion/(Accretion) to work-in-progress	(352.31)	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 36 : Sub Contract and Other Direct Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Sub contract and off loaded jobs	33,046.22	26,544.41
Hull insurance	620.67	849.62
Other direct expenses	7,414.08	6,237.35
Total	41,080.97	33,631.38

Note 37 : Employee Benefits Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31,2022	For the year ended Mar 31,2021
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	26,736.16	25,477.44
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	1,833.79	1,720.72
Gratuity	358.49	345.54
Staff welfare expenses	2,178.74	1,684.60
Total	31,107.18	29,228.30

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 20.46 lakhs (previous year ₹ 19.23 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 47.67 lakhs (previous year ₹ 72.62 lakhs)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

In respect of subsidiaries, contribution towards Provident fund is remitted to Employee Provident Fund Organisation.

Post-employment obligations

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier. The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Family Pension fund is ₹ 1353.43 Lakhs for the year 2021-22 (₹ 1287.92 Lakhs for the year 2020-21). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended 31st March 2022.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	2021-22	2020-21
Fair value of plan assets	18689.22	17546.07
Present value of benefit obligation at year end	18558.63	17538.21
Net liability / (Net asset)	(130.59)	(7.86)
Additional provision	Nil	Nil

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Discount Rate (p.a)	7.37%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	0.70%	0.70%

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	8.56	8.23

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Service Cost:		
Current Service Cost	214.03	244.95
Net Interest expense	229.10	205.06
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	630.2	474.16
Expenses recognised in the statement of profit and loss	1073.33	924.17

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	3970.62	3676.83
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities / (Assets) recognized in the Balance Sheet	3,970.62	3,676.83

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Type of Employee Benefit	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Current Component of PVO	419.62	515.44
Non-Current Component of PVO	3551.00	3161.39
TOTAL PVO	3970.62	3676.83

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	3676.83	3405.42
Current & Past Service Cost	214.03	244.95
Current Interest Cost	229.10	205.06
Actuarial (Gain)/ Loss	630.20	474.16
Benefits paid	(779.54)	(652.76)
Defined Benefit Obligation at end of the year	3,970.62	3,676.83

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year		-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	779.54	652.76
Benefits paid	(779.54)	(652.76)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	125.67	87.43
Year 2	273.81	401.76
Year 3	104.67	89.56
Year 4	159.02	74.69
Year 5	139.61	126.07
Next 5 Years	551.92	438.26

"NA " denoted " Not Available"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	125.67	87.43
Year 2	273.81	401.76
Year 3	104.67	89.56
Year 4	159.02	74.69
Year 5	139.61	126.07
Next 5 Years	551.92	438.26

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.87%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,347.70	2,988.16
Current Service Cost	141.10	128.15
B. Discount Rate - 50 BP	6.87%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,618.91	3,225.63
Current Service Cost	154.28	140.20
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,624.36	3,229.92
Current Service Cost	154.54	140.42
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,341.72	2,983.37
Current Service Cost	140.81	127.91

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.87%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,347.70	2,988.16
Current Service Cost	141.10	128.15
B. Discount Rate - 50 BP	6.87%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,618.91	3,225.63
Current Service Cost	154.28	140.20
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,624.36	3,229.92
Current Service Cost	154.54	140.42
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,341.72	2,983.37
Current Service Cost	140.81	127.91

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Discount Rate (p.a)	7.37%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	0.70%	0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.37%	6.97%

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	9.71	8.50

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Service Cost:		
Current Service Cost	251.58	252.11
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	(6.88)	34.92
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	244.70	287.02
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	246.93	(76.82)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(113.10)	(308.94)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	133.83	(385.76)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4,313.35	4,664.16
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,033.56	4,762.90
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	279.79	(98.74)

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,664.16	5,240.37
Current Service Cost	251.58	252.11
Current Interest Cost	285.54	313.54

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Past Service Cost		-
Actuarial (Gain)/ Loss	246.93	(76.82)
Benefits paid	(1,134.86)	(1,065.04)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,313.35	4,664.16

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,762.90	4,191.87
Expected Return on Plan Assets	292.42	278.63
Actuarial Gain/(Loss)	113.10	308.94
Contributions from the employer	-	1,048.51
Benefits paid	(1,134.86)	(1,065.04)
Fair Value of the Assets at the end of the year	4,033.55	4,762.90

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	349.40	324.46
Year 2	865.52	1,561.59
Year 3	291.48	350.89
Year 4	400.43	261.87
Year 5	386.67	370.83
Next 5 Years	1,172.15	1,203.18

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.87%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,127.61	4,487.42
Current Service Cost	247.97	235.32
B. Discount Rate - 50 BP	6.87%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,514.29	4,855.15
Current Service Cost	283.98	269.48
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,494.68	4,835.23
Current Service Cost	279.16	267.74
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,141.13	4,504.03
Current Service Cost	250.01	237.00

BP denotes "Basis Points"

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Government of India Securities	30.42%	36.77%
State Government Securities	31.51%	27.10%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	24.32%	24.48%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.31%	0.25%
Others (to specify)	13.44%	11.39%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.30%	5.65%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	5.40%	5.00%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Service Cost:		
Current Service Cost	35.68	44.24
Past Service Cost	0	-
Net Interest expense	15.19	14.28
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	50.87	58.52
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(55.96)	(25.26)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(55.96)	(25.26)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	267.00	272.09
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	267.00	272.09

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	272.09	238.83
Current Service Cost	35.68	44.24
Current Interest Cost	15.19	14.28
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(55.96)	(25.26)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	267.00	272.09

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2021	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	70.02	15.36
Year 2	23.72	1.09
Year 3	25.62	2.69
Year 4	18.79	-
Year 5	26.51	3.20
Next 5 Years	75.25	4.71

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2021	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	71.07	13.06
Year 2	40.48	6.17
Year 3	15.32	2.23
Year 4	30.73	1.59
Year 5	15.51	0.12
Next 5 Years	71.70	4.09

Sensitivity Analysis as on 31.03.2022

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.30%	6.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.13	26.43
Variation	(3.60%)	(2.38%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.30%	4.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.93	27.76
Variation	3.92%	2.56%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	24.84	27.63
Variation	3.51%	2.10%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	23.20	26.53
Variation	(3.27%)	(1.98%)

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Sensitivity Analysis as on 31.03.2021

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	
	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	6.65%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	235.97	26.71
Variation	(3.61%)	(2.06%)
B. Discount Rate - 100 BP	4.65%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	254.48	27.87
Variation	3.95%	2.20%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	253.41	27.74
Variation	3.51%	1.73%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	236.82	26.82
Variation	(3.27%)	(1.64%)

BP denotes "Basis Points"

Employee Benefit Plans of Hooghly Cochin Shipyard Ltd, Subsidiary

Description of Employee Benefit Plans :

Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences

The Company has not taken any funded plan for gratuity of its employees. The present value of obligation is determined in accordance with the advice of independent, Professionally qualified actuaries using the projected unit credit method, which is recognised in each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The net Defined Benefit cost is recognised by the company in the Financial Statements.

Risk:

The Defined Benefit Plans expose the Company to interest rate risk, salary cost inflation risk and Demographic risk.

Interest Rate Risk: The present value of Defined Benefit Plans liability is determined using the discount rate based on the market yields prevailing at the end of reporting period on Government bonds. A decrease in yields will increase the fund liabilities and vice-versa.

Salary Cost Inflation Risk: The present value of the Defined Benefit Plan liability is calculated with reference to the future salaries of participants under the Plan. Increase in salary might lead to higher liabilities.

Demographic risk : This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement. The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase, discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
Components of Employer Expense		
Recognised in the Statement of Profit and Loss:		
Current Service Cost	3.56	5.70
Past Service Cost		
Net Interest Cost		
Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss	3.56	5.70

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income		
Return on plan assets (greater)/less than discount rate		
Effect of changes in assumptions		
Effect of experience adjustments		
Total re-measurements included in Other Comprehensive Income		
Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (4+8)	3.56	5.70

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
I Components of Employer Expense		
Recognised in the Statement of Profit and Loss:		
Current Service Cost		
Past Service Cost	-	-
Net Interest Cost		
Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss		-
Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income		
Return on plan assets (greater)/less than discount rate		
Effect of changes in assumptions		
Effect of experience adjustments		
Total re-measurements included in Other Comprehensive Income		
Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (4+8)		-

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
II Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet		
Present Value of Defined Benefit Obligation	3.56	5.70
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net liability:		
- Non-Current	0.03	0.14
- Current	3.53	5.56

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
II Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet		
Present Value of Defined Benefit Obligation		
Fair Value of Plan Assets		
Net liability:		
- Non-Current		
- Current		

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
III. Change in Defined Benefit Obligation (DBO)		
Present Value of DBO at the beginning of the year		
Current Service Cost	3.56	5.70
Past Service Cost		
Net Interest Cost		
Remeasurement gains /(losses):		
Effect of changes in demographic assumptions		
Effect of changes in financial assumptions		
Changes in asset ceiling (excluding interest income)		
Effect of experience adjustments		
Curtailement Cost/(Credits)		
Settlement Cost/(Credits)		
Acquisitions credit/ (cost)		
Effects of transfer In/(Out)		
Benefits Paid		
Net defined benefit asset/ (liability) at end of current period	3.56	5.70

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
III. Change in Defined Benefit Obligation (DBO)		
Present Value of DBO at the beginning of the year		
Current Service Cost		
Past Service Cost		
Net Interest Cost		
Remeasurement gains /(losses):		
Effect of changes in demographic assumptions		
Effect of changes in financial assumptions		
Changes in asset ceiling (excluding interest income)		
Effect of experience adjustments		
Curtailement Cost/(Credits)		
Settlement Cost/(Credits)		
Acquisitions credit/ (cost)		
Effects of transfer In/(Out)		
Benefits Paid		
Net defined benefit asset/ (liability) at end of current period		

Particulars	As at	As at
	31st March, 2022	31st March, 2021
IV. Best Estimate of Employers' Expected Contribution for the next year		
Gratuity	3.56	0.00

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022 and 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
V. Change in Fair Value of Assets		
Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Interest income on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	-	-
Benefits paid	-	-
Fair Value of assets at the end of current period	-	-

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
VI. Actuarial Assumptions		
Discount rate per annum	7.30%	7.30%
Rate of Escalation in Salary	3.00%	7.30%
Mortality Rate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08 Ultimate)	Indian Assured Lives Mortality (2006-08 Ultimate)
Withdrawal	0.70%	0.70%

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
VI. Actuarial Assumptions		
Discount rate per annum		
Rate of Escalation in Salary		
Mortality Rate		
Withdrawal		

VII. Sensitivity Analysis

The Sensitivity Analysis below has been determined based on reasonably possible change of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. These sensitivities show the hypothetical impact of a change in each of the listed assumptions in isolation. While each of these sensitivities holds all other assumptions constant, in practice such assumptions rarely change in isolation and the asset value changes may offset the impact to some extent. For presenting the sensitivities, the present value of the Defined Benefit Obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the Defined Benefit Obligation presented above. There was no change in the methods and assumptions used in the preparation of the Sensitivity Analysis from previous year.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
Discount Rate	7.30%	7.30%
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate	(0.46)	(0.71)
Percentage Impact	(13.00%)	(12.40%)
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate	0.55	0.84
Percentage Impact	15.60%	14.80%
Salary Escalation Rate	3.00%	3.00%
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate	0.57	0.87
Percentage Impact	16.10%	15.30%
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate	(0.49)	(0.74)
Percentage Impact	(13.70%)	(13.00%)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
Discount Rate		
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate		
Percentage Impact		
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate		
Percentage Impact		
Salary Escalation Rate		
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate		
Percentage Impact		
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate		
Percentage Impact		

Maturity Analysis of the Benefit Payments	For the year ended 31st March, 2022	
	Gratuity	Leave Encashment
Year 1	0.03	0.14
Year 2	0.00	0.19
Year 3	0.00	0.24
Year 4	0.00	0.29
Year 5	0.00	0.35
Next 5 Years	0.01	2.81

Maturity Analysis of the Benefit Payments	For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment
Year 1		
Year 2		
Year 3		
Year 4		
Year 5		
Next 5 Years		

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Employee Benefit Plans of Udipi Cochin Shipyard Ltd, Subsidiary

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Discount Rate (p.a)	6.20%	
Rate of increase in compensation levels	3.00%	
Expected Rate of Return on Asset	5.00%	

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Service Cost:		
Current Service Cost	8.06	
Past Service Cost		
Net Interest expense		
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	8.06	0.00
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	-	-
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	-	-

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	8.06	-
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	8.06	-

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	-	-
Current Service Cost	8.06	-
Current Interest Cost	-	-
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	8.06	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	-	-
Benefits paid	-	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Year 1		
Year 2		
Year 3		
Year 4	1.11	
Year 5	6.95	
Next 5 Years		

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
A. Discount Rate + 50 BP	7.20%	-
Defined Benefit Obligation [PVO]	7.73	-
Current Service Cost	(4.09%)	-
B. Discount Rate - 50 BP	5.20%	-
Defined Benefit Obligation [PVO]	8.40	-
Current Service Cost	4.30%	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	4.00%	-
Defined Benefit Obligation [PVO]	8.37	-
Current Service Cost	3.89%	-
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.00%	-
Defined Benefit Obligation [PVO]	7.75	-
Current Service Cost	(3.78%)	-

BP denotes "Basis Points"

Note 38 : Finance Costs

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Interest expense on lease liabilities	3,659.93	3,583.32
Interest others	0.00	491.34
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Total	4,711.37	5,126.10

Note 39 : Depreciation and Amortisation Expense

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Depreciation on property, plant and equipments	5,047.48	4,083.04
Depreciation on RoU Assets	1,420.38	1,414.14
Amortisation of other intangible asset	334.07	299.59
Total	6,801.93	5,796.77
Add : Loss on revaluation of tools	164.48	186.31
Total	6,966.41	5,983.08

Note 40 : Other Expenses

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Consumption of stores	1,990.67	1,592.62
Consumption of spares	66.52	54.51
Rates and taxes	277.43	507.46
Power	2,667.42	1,942.79
Fuel	2,024.63	1,340.87
Water	306.34	303.95

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 40 : Other Expenses (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Repairs and maintenance:		
Building and roads	618.42	457.78
Plant and machinery	227.99	158.23
Docks	8.23	12.18
Others	1,303.74	1,232.57
Maintenance dredging	287.35	467.32
Transport and stores handling	89.08	170.91
Travelling and conveyance expenses	735.91	497.21
Printing and stationery	77.02	75.92
Postage, telephone and telex	55.30	46.47
Advertisement and publicity	315.60	168.59
Lease rent	11.87	14.82
Hire charges	591.89	288.66
Insurance charges	703.02	744.93
Security expenses	2,246.37	2,154.69
Payments to Auditors	34.34	33.40
Fee for statutory compliances	1.02	2.71
Training expenses	657.33	359.40
Legal expenses	29.22	38.63
Consultancy	46.76	86.86
Bank charges	604.71	699.91
Corporate social responsibility (Refer Note no.50)	1,619.47	1,486.98
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	1.02	1.25
Miscellaneous expenses	700.72	1,366.55
Total	18,299.39	16,308.17

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
For Audit Fees	20.50	19.50
For Limited Review/other services	11.85	12.85
For Certifications	1.99	5.90
Total	34.34	38.25

Note 41 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Provision for:		
Doubtful debts / advances	4,134.08	98.18
Non moving / perpetual inventory verification	185.81	2.92
Expenses and contingencies	482.07	2,692.02
Provision for loss on Ship Building	-	6,371.00
Total	4,801.96	9,164.12

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 42 : Exceptional items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Provision for Inventory written back / (Provision for inventory)		(188.92)
Write off of property, plant and equipments	454.51	
Provision for Subsidy Receivable written back / (Provision for subsidy receivable)	(179.36)	(1,074.48)
Total	275.15	(1,263.40)

Note 43 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	56,396.14	60,866.44
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	42.87	46.27
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Note 44: Additional Disclosures under Ind AS 115-“Revenue from Contract with Customers”

Disclosures of Disaggregated revenue as per IND AS 115

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products (Including Excise Duty Nil)		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	179266.04	200925.37
Vessels other than IAC	67674.19	35831.94
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	3486.17	3420.09
Management fee	1500.00	312.33
(ii) Sale of services		
Ship repairs	65794.50	40850.24
Engineering works	0.00	5.50
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	774.42	381.88
Sale of Ship Repair Scrap	599.38	162.35
Total	319094.70	281889.70

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 44 : Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers" (Contd..)

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 754093.96 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 18.04 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2022, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2022-23 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31,2022 the Company recognised revenue of ₹ 42131.88 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01,2021.

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Opening contracted price of orders	1495498.24	1504739.51
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	117957.69	11336.93
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	(74.03)	1766.45
Increase due to exchange rate movements (net)	720.76	250.84
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	2479.72	15654.69
Orders completed during the year	109388.84	6940.80
Closing contracted price of orders	1502234.10	1495498.24
Total Revenue recognised during the year:	146496.07	137551.03
Less: Revenue out of orders completed during the year	14774.27	2613.13
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	131721.80	134937.90
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	616418.34	575676.23
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	0.00	0.00
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	754093.96	784884.10
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	1502234.10	1495498.23

Note 45 : Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2022 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹ 85.50 lakhs.

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31,2022 including outflow for short term and low value leases is ₹ 2575.78 lakhs.

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 45 : Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases" (Contd..)

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2022 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Less than one year	2,742.78	2,649.25
One to five years	11,636.06	11,314.36
More than five years	1,21,828.25	1,24,865.12
Total	1,36,207.09	1,38,828.73

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2022 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Less than one year	200.78	191.23
One to five years	152.94	313.02
More than five years	247.12	287.82
Total	600.84	792.07

Note 46: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 22:

Currency	No. of contracts	31-Mar-22		No. of contracts	31-Mar-21	
		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	1	794.61	1.30	2	2982.30	(24.62)
NOK	0	0.00	0.00	2	4319.34	145.70
Total		794.61	1.30	4	7301.64	121.08

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	90.60	0.00
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	(89.63)	90.60
Balance at the end of the year	0.97	90.60

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 47 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	As at	As at	Brief Description of the nature and obligation
	31 Mar 2022 (₹ in Lakhs)	31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	
A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	11,664.67	12,356.31	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii Bank Guarantees	4,03,880.02	3,53,929.06	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries.
iii Corporate Performance Guarantee to Cochin Port Trust	3,925.00	3,925.00	Performance guarantee given by Company to CoPT for performance of obligations under the contract agreement entered with CoPT during the contract period.
b Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹ 69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii Customs duties	17,984.71	17,984.48	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹ 69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability.
iii Income Tax	2,069.97	2,069.97	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 457.63 Lakhs AY 2011-12 - ₹ 369.50 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs Detailed notes in Note no. 47.1 (I)
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending.
	376.68	376.68	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL & adjudication pending.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 47 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

Particulars	As at	As at	Brief Description of the nature and obligation
	31 Mar 2022 (₹ in Lakhs)	31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/ Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending.
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	1,885.60	1,885.60	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	150.56	150.56	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner vide OIO No.48/2020-ST(JC) dt 31.12.2020 confirmed demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against OIO.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transport of Barge from Cochin to Abu Dhabi.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

Note 47 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

Particulars	As at	As at	Brief Description of the nature and obligation
	31 Mar 2022 (₹ in Lakhs)	31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	
v Alekton Engineering Industries Ltd	195.09	165.91	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods. MSME Council, Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator. Claim petition filed by the petitioner. Examination of witness is in progress.
vi Employee State Insurance Corporation	17.26	17.26	Claims towards interest and damages in respect of delayed payments of ESI contributions payable in respect of advanced trainees during the period from June 2010 to Jul 2013. Aggrieved, CSL filed cases I.C No.60/2016, IC No: 09/2020, IC No: 03/2021 challenging the illegality and violation of instructions and the manner in which the claims were preferred by ESI Corporation.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	58,207.57	1,17,275.12	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for.

47.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company have been completed up to AY 2019-20.

Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1369.11 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2011-12, 2014-15 and 2017-18 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance of certain genuine claims. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

For the Assessment years 2010-11 and 2011-12 although the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) has been disposed in favour of the company, the Income Tax Department has gone for appeal against the order of Commissioner of Income Tax (Appeals) before the ITAT, the amount involved under appeal before the ITAT amounts to ₹ 700.86 lakhs.

48. The dispute between M/s Apeejay Shipping Ltd (formerly known as Surendra Overseas Ltd) and the Company, in the matter of ship 005 was referred for arbitration by the Hon'ble Supreme Court of India. The arbitration award (July 2009) was in favour of the Company under which the Company is to receive ₹2803.64 lakhs from M/s Apeejay Shipping Ltd. The company has filed a petition before Sub Court, Ernakulam for passing a decree. M/s Apeejay Shipping Ltd has moved to the Sub Court to quash the Award of the Umpire and the Company has filed Counter Affidavit against this move. Petition is dismissed by the Sub Court. Petitioners have filed appeal before the High Court against the order of the Sub- Court. The matter is pending before the court. No credit has been taken in the books of account, pending final decree of the Court.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

49. Litigations :

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Details of material litigation as on 31 March 2022

M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. However the Company has already provided for the principal amount and interest thereon.

50. Corporate Social Responsibility (CSR) : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2022	₹ 1617 lakhs
(b) Amount spent during the year	₹ 1619.47 Lakhs

(₹ in Lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1000.10	-	1,000.10
(ii) On purposes other than (i) above	619.37	-	619.37

In case of Sec.135(5) Excess amount spent

(₹ in Lakhs)

Amount carry forwarded from previous financial years	Amount spent during the year	Amount charged to P&L as CSR expenses	Amount carry forwarded to succeeding financial years
40.00	1619.47	1619.47	40.00

(₹ in Lakhs)

Additional Disclosures on CSR	As at March 31, 2022
(i) Amount required to be spent by the company during the year,	1617.00
(ii) Amount of expenditure incurred,	1619.47
(iii) Shortfall at the end of the year,	0.00
(iv) Total of previous years shortfall,	0.00
(v) Reason for shortfall,	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.	

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

50. Corporate Social Responsibility (CSR) : (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Additional Disclosures on CSR	As at
	March 31, 2022
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil

51. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company and its subsidiaries to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company and its subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company and its subsidiaries from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company and its subsidiaries shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

52. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2021-22	2020-21
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director, CSL Chairman (HCSL, UCSSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V (Upto April 30, 2021) Director (Operations), CSL Director (HCSL, UCSSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical), CSL Director (HCSL, UCSSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer, CSL Director (HCSL, UCSSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandopadyaya Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri K R Jyothilal Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala, CSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Amrapali Prashant Salve (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director, CSL	Key Managerial Personnel	-
Shri Nahar Singh Maheshwari (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director, CSL	Key Managerial Personnel	-
Shri Ashok Sharma (From Nov 26, 2021) Non-Official (Independent) Director, CSL	Key Managerial Personnel	-
Shri Prithviraj Harichandan (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director, CSL	Key Managerial Personnel	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

52. Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

Related Party	Nature of Relationship	
	2021-22	2020-21
Shri Venkatesan M (From Nov 22, 2021) Non-Official (Independent) Director, CSL	Key Managerial Personnel	-
Shri Abhijit Biswas (From Dec 01, 2021) Non-Official (Independent) Director, CSL	Key Managerial Personnel	-
Shri Jiji Thomson (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director, CSL		Key Managerial Personnel
Shri Pradipta Banerjee (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director, CSL		Key Managerial Personnel
Shri Nanda Kumaran Puthezhath (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director, CSL		Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N Company Secretary, CSL	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri S Balaji Arunkumar, Director (Upto May 29, 2020), (HCSL)	-	Key Managerial Personnel
Shri Shekhar Chakravarthy, Chief Executive Officer (from 22.12.2021), (HCSL)	Key Managerial Personnel	-
Shri.Saibal Chattopadyay, Chief Financial Officer (from 14.02.2022) (HCSL)	Key Managerial Personnel	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan, Chief Executive Officer (till 21.12.2021) (HCSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan, Nominee Director (from 26.03.2022) (HCSL)	Key Managerial Personnel	-
Shri Anjana K R, Nominee Director (from 26.03.2022) (HCSL)	Key Managerial Personnel	-
Shri.Balakrishnan Poovathra, Chief Financial Officer (till 13.02.2022) (HCSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Kiran.K.A, Company Secretary, HCSL (From October 16, 2020) (HCSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Harikumar A Chief Executive Officer, (UCSL)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer, (UCSL) (CFO of HCSL upto October 15, 2020)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M Company Secretary, (UCSL) (CS of HCSL upto October 15, 2020)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Udupi Cochin Shipyards Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	Subsidiary Company

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

52. Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Short term benefit	300.18	256.83
Post employment Benefit	29.69	34.00
Total	329.87	290.83

Nature of transaction-Advances

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2021	Loans/advances Taken during 2021-22	Repay ment	Balance as on 31/03/22	Interest accrued as on 31/03/22
SURESH BABU N V	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
BEJOY BHASKER	0.08	0.40	0.35	0.13	0.00
JOSE V J	0.11	0.40	0.40	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.12	0.40	0.40	0.12	0.00

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2020	Loans/advances Taken during 2020-21	Repay ment	Balance as on 31/03/21	Interest accrued as on 31/03/21
SURESH BABU N V	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
BEJOY BHASKER	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
JOSE V J	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in Lakhs)

Name of the meeting	Amrapali Prashant Salve	Nahar Singh Maheshwari	Ashok Sharma	Prithiviraj Harichandan	Venkatesan M	Abhijit Biswas
Board Meeting	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Audit Committee	-	-	0.20	0.20	-	0.20
Corporate Social Responsibility Committee	0.20	0.20	-	-	-	-
Nomination and Remuneration Committee	-	-	0.20	-	-	0.20
Stakeholders' Relationship Committee	-	-	-	-	0.20	-
Risk Management Committee	0.20	-	-	-	-	-
Total payment for 2021-22	0.90	0.70	0.90	0.70	0.70	0.90

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

52. Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Name of the meeting	Jiji Thomson	Nandakumaran Puthezhath	Pradipta Banerji
Board Meeting	0.15	0.15	0.15
Audit Committee	0.15	0.15	0.15
Corporate Social Responsibility Committee	0.15	0.15	-
Nomination and Remuneration Committee	0.15	0.15	0.15
Contracts and Capex Committee	0.15	0.15	0.15
Total payment for 2020-21	0.75	0.75	0.60

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping (MoS), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities. However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Transactions/balances with Government and Government related entities by the parent company.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Amount payable to Government of India	234.19	234.19
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	14855.74	26836.17

In addition to the above, around 94 % of the companies turnover and 99.48% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

53. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

53. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31,2022	As at March 31,2021	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	9.18	9.18	Level III
(ii) Loans	347.84	291.60	Level II
(iii) Others	2,839.43	4,356.89	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	39,040.78	35,336.95	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	1,41,505.80	72,870.14	Level II
(iii) Bank Balances other than (ii)	1,79,761.04	1,48,023.19	Level II
(iv) Loans	68.56	57.20	Level II
(v) Others	3,395.10	1,574.24	Level II
Total Financial Assets	3,66,967.73	2,62,519.39	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	12300.00	12300.00	Level I
(ii) Lease liabilities	39363.70	39099.47	Level II
(iii) Other financial liabilities	261.22	261.22	Level II
Current			
(i) Trade Payables	37,613.16	43543.42	Level II
(ii) Lease liabilities	3432.87	2564.67	Level II
(iii) Other financial liabilities	18,956.39	22720.06	Level II
Total Financial Liabilities	1,11,927.34	1,20,488.84	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

53. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

Financial Instruments by category

(₹ in Lakhs)

	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		9.18			9.18	
Loans						291.60
Others						4,356.89
Trade receivables			39,040.78			35,336.95
Cash & Cash equivalents			1,41,505.80			72,870.14
Bank Balances			1,79,761.04			1,48,023.19
Loans						57.20
Other Financial Assets			6,650.93			1,574.24
Total Financial Assets	0.00	9.18	3,66,958.55	0.00	9.18	2,62,510.21

(₹ in Lakhs)

	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/ At cost
Financial Liabilities						
Borrowings			12,300.00			12300.00
Lease liabilities			39,363.70			39099.47
Other financial liabilities			261.22			261.22
Trade payables			37,613.16			43543.42
Lease liabilities			3,432.87			2564.67
Other financial liabilities			18,956.39			22,720.06
Total Financial Liabilities			1,11,927.34	0.00	0.00	1,20,488.84

54. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

54. Financial Risk Management Policy (Contd..)

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Note 22. With the current profile of fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations.

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 46.

The company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets					
31st March 2022	3003.87	5283.96	0.00	0.00	8287.84
31st March 2021	7271.52	5220.98	0.00	1451.51	13944.00
Financial Liabilities					
31st March 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31st March 2021	9416.42	6641.14	31.77	529.09	16618.42

The sensitivity of profit/loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(162.59)	470.82
USD - Weakening of ₹ by 5%	162.59	(470.82)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(433.37)	332.06

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

54. Financial Risk Management Policy (Contd..)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
EURO - Weakening of ₹ by 5%	433.37	(332.06)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(1.13)	1.59
GBP - Weakening of ₹ by 5%	1.13	(1.59)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(8.84)	(26.45)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	8.84	26.45
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	162.59	(470.82)
USD - Weakening of ₹ by 5%	(162.59)	470.82
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	433.37	(332.06)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(433.37)	332.06
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	1.13	(1.59)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(1.13)	1.59
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	8.84	26.45
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(8.84)	(26.45)

A. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in Lakhs)

Commodity	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021	As at 31st March 2022	As at 31st March 2021
Steel	102.92	198.27	(102.92)	(198.27)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long-term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

54. Financial Risk Management Policy (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31.03.2022			As on 31.03.2021		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments			9.18			9.18
Loans	112.28	233.00	2.56	270.56	19.58	1.46
Other Financial Assets		21.70	2817.73		29.75	4327.14
Trade Receivables	39040.78			35336.95		
Cash and Cash Equivalents	141505.80			72870.14		
Bank Balances other than cash and cash equivalents	179761.04			148023.19		
Loans	68.56			57.20		
Other Financial Assets	3395.10			1574.24		
Total Financial Assets	363883.56	254.70	2829.47	258132.28	49.33	4337.78
Financial Liabilities						
Borrowings		10000.00	2300.00		10000.00	2300.00
Lease Liabilities	0.00	253.62	39110.08	0.00	263.04	38836.43
Other financial liabilities	0.00	0.00	261.22			261.22
Lease Liabilities	3432.87			2564.67		
Trade payables	37613.16			43543.42		
Other financial liabilities	18956.39			22720.06		
Total Financial Liabilities	60002.42	10253.62	41671.30	68828.15	10263.04	41397.65

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The company has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 13.

The Company's maximum exposure to the credit risk for the components of balance sheet as 31st March 2022 and 31st March 2021 is the carrying amounts mentioned in Note no 13 and as stated in Note 52, around 94% of company's turnover and 99.48% (approx.) of trade receivables and customer advance it with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 46 and Note 47 respectively.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

55. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Segment Assets		
Ship building	258545.34	319484.51
Ship Repair	287038.89	259606.41
Unallocated	295788.30	172828.72
Total	841372.53	751919.64
Segment Liability		
Ship building	155917.43	104576.01
Ship Repair	64318.72	11264.54
Unallocated	181818.20	232733.97
Total	402054.35	348574.52
Segment Revenue		
Ship building	251200.83	240559.27
Ship Repair	67893.87	41330.43
Unallocated	26281.60	19082.67
Total	345376.30	300972.37
Segment Result		
Ship building	57776.43	76229.86
Ship Repair	12041.89	9419.89
Unallocated	6775.87	(4836.95)
Total	76594.19	80812.80

The Company has two major business segments – "Ship Building" and "Ship Repair". Revenue under Ship building includes ₹ 204473.56 lakhs (Previous year: ₹ 203736.66 lakhs) from one customer (Previous year: one customer) having more than 10 % revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹ 40786.31 lakhs (Previous year: ₹ 29714.58 lakhs) from two customers (Previous year: three customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

Out of ship building segment revenue, ₹ 9503.19 lakhs (₹ 2567.77 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

56. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

56. Capital Management (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Long term borrowings	12300.00	12300.00
Net Debt	12300.00	12300.00
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	426164.14	390191.08
Total Equity	439318.18	403345.12
Gearing Ratio	2.80%	3.05%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2022 and March 31, 2021.

Ratios	Numerator	Denominator	As at March 31,2022	As at March 31,2021	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.68	1.72	(2.43%)	
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.03	0.03	(8.19%)	
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	8.01	8.19	(2.29%)	
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.13	0.16	(14.71%)	
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	8.62	7.54	14.36%	
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	6.72	6.41	4.77%	
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	3.67	3.14	17.05%	
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.36	1.33	1.86%	
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.18	0.22	(18.15%)	
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.19	0.21	(11.74%)	
(k) Return on investment-Equity	Return from Equity investments	Avg Equity investments	0.00	0.00		
(l) Return on investment-Debt	Return from Debt investments	Avg Debt investments	0.00	0.00		

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

57 . Details of Subsidiaries

	Name	Relationship	Nature of activity	Principal place of business	As at 31st March 2021 & 31st March 2022 Proportionate ownership in %
1	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Kolkata, India	100%
2	Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Malpe, India	100%

58 . Summarised financial information of subsidiary company is as follows:

The amounts disclosed for subsidiary are before inter-company eliminations

A. HOOGHLY COCHINSHIPYARD LIMITED

(₹ in Lakhs)

Summarised Balance sheet	2021-22	2020-21
Non-current assets	17374.21	13626.34
Current assets	4498.83	4507.23
Total Assets	21873.04	18133.57
Non-current liabilities	13730.17	10607.34
Current liabilities	4161.20	3260.95
Total Liabilities	17891.37	13868.29
Net Assets	3981.67	4265.28
Accumulated NCI	0.00	0.00

(₹ in Lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	2021-22	2020-21
Revenue	41.78	0.00
Profit/(Loss) for the year	(283.61)	(315.70)
Other Comprehensive Income	0.00	0.00
Total Comprehensive Income	(283.61)	(315.70)
Profit/(Loss) attributable to NCI	0.00	0.00

(₹ in Lakhs)

Summarised Cashflows	2021-22	2020-21
Cashflows from operating activities	(211.34)	1985.25
Cashflows from investing activities	(2988.50)	(8549.32)
Cashflows from financing activities	2771.97	8355.16
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	(427.87)	1791.09

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

58 . Summarised financial information of subsidiary company is as follows: (Contd..)

B. UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED (Formerly Tebma Shipyards Limited)

(₹ in Lakhs)

Summarised Balance sheet	2021-22	2020-21
Non-current assets	13690.55	14070.24
Current assets	3420.16	2817.85
Assets held for sale	13.59	0.00
Total Assets	17124.30	16888.09
Non-current liabilities	1569.93	575.39
Current liabilities	3122.84	2659.49
Total Liabilities	4692.77	3234.88
Net Assets	12431.53	13653.20
Accumulated NCI	0.00	0.00

(₹ in Lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	2021-22	2020-21
Revenue	641.98	0.00
Profit/(Loss) for the year	(1294.13)	(136.04)
Other Comprehensive Income	0.00	0.00
Total Comprehensive Income	(1294.13)	(136.04)
Profit/(Loss) attributable to NCI	0.00	0.00

(₹ in Lakhs)

Summarised Cashflows	2021-22	2020-21
Cashflows from operating activities	(1045.38)	1605.85
Cashflows from investing activities	(860.47)	(165.96)
Cashflows from financing activities	959.37	999.80
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	(946.48)	2439.70

59. Information required by schedule III of the companies act 2013,with respect to consolidated financial statements

(₹ in Lakhs)

Name of the entity in the group	Net Asset			Share in Profit or (Loss)		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
	Ownership in % As at March 31, 2022	Proportionate Share	As % of Consolidated Net Asset	Share in Profit/ (Loss)	As % of Consolidated Profit/ (Loss)	Share in Other Comprehensive Income	As % of Consolidated Other Comprehensive Income	Share in Total Comprehensive Income	As % of Consolidated Total Comprehensive income
Cochin Shipyard Limited	100.00%	435917.97	99.23%	58656.82	104.01%	(106.65)	100.00%	58550.18	104.02%
Subsidiary									
Hooghly Cochin Shipyard Limited	100.00%	3981.67	0.91%	(283.61)	(0.50%)	0.00	0	(283.61)	(0.50%)
Udupi Cochin Shipyard Limited	100.00%	12431.53	2.83%	(1294.13)	(2.29%)	0.00	0	(1294.13)	(2.30%)
Consolidation adjustments		(13012.98)	(2.96%)	(682.95)	(1.21%)	0.00	0	(682.95)	(1.21%)

Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹ 92189.67 lakhs (₹ 64107.73 lakhs in previous year)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2022

60. In the case of contracts/sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

61. Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables, loans, deposits and claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any.

62. The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

63. Figures in brackets denote negative figures.

64. Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1 - 2

Notes to the Financial Statements

3 - 64

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0008015)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Annexure

FORM AOC 1

Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/associate companies/joint ventures
(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Part "A" : Subsidiaries

Sl No	Particulars.	Details	Details
		1	2
1	Sl No		
2	Name of the subsidiary	Hooghly Cochin Shipyard Ltd	Udupi Cochin Shipyard Ltd
3	The date since when subsidiary was acquired	October 23, 2017	September 15, 2020
4	Reporting Period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	No	No
5	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Not Applicable	Not Applicable
6	Share Capital	₹ 5000 Lakhs	₹ 6500 Lakhs
7	Reserves and Surplus	₹ (1018.33) Lakhs	₹ 5931.53 Lakhs
8	Total Assets	₹ 21873.04 Lakhs	₹ 17124.30 Lakhs
9	Total Liabilities	₹ 21873.04 Lakhs	₹ 17124.30 Lakhs
10	Investments	Nil	Nil
11	Turnover	₹ 41.78 Lakhs	₹ 641.98 Lakhs
12	Profit Before Taxation	₹ (382.47) Lakhs	₹ (1779.46) Lakhs
13	Provision for taxation		
	(i) Current Tax		
	(ii) Deferred Tax	₹ (98.86) Lakhs	₹ (485.33) Lakhs
14	Profit after taxation	₹ (283.61) Lakhs	₹ (1294.13) Lakhs
15	Proposed Dividend	Nil	Nil
16	Extent of shareholding (in %)	100%	100%

Part "B": Associates and Joint Ventures :Not applicable

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership No. A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSEPH ATUL THOMSON
Partner
(Membership No. 243850)
Kochi, dated May 20, 2022

JOSE V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi, dated May 20, 2022

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

**COCHIN SHIPYARD LIMITED**

Corporate Identity Number: L63032KL1972GOI002414

Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015

Tel: +91 (484) 2501306 Fax: +91 (484) 2384001

E-mail: secretary@cochinshipyard.in Website: www.cochinshipyard.in**NOTICE**

Notice is hereby given that, the 50th Annual General Meeting (AGM) of Cochin Shipyard Limited (CSL) will be held on Thursday, September 29, 2022 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022, together with the Reports of the Board of Directors' and the Auditors' thereon.
- To receive, consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022, together with the Report of the Auditors' thereon.
- To confirm the payment of first interim dividend of ₹6.00 (60%) per equity share and second interim dividend of ₹7.00 (70%) per equity share and to declare final dividend of ₹3.75 (37.50%) per equity share (face value ₹10/-) for the financial year 2021-22.
- To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
- To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2022-23.

Special Business**6. Ratification of Remuneration of Cost Auditors**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand Only) per annum plus applicable tax payable to M/s. BBS & Associates, Cost Accountants (Firm Registration No.: 00273), who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the year ending March 31, 2023."

"RESOLVED FURTHER THAT any one of the Directors or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to the above resolution."

7. Appointment of Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405) as Non-official (Independent) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, and the order of the Government of India vide letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for the appointment of Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405) as the Non-official (Independent) Director of the Company, with effect from November 26, 2021 till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier."

8. Appointment of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082) as Non-official (Independent) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, and the order of the Government of India vide letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for the appointment of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082) as the Non-official (Independent) Director of the Company, with effect from December 01, 2021 till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier.”

9. Appointment of Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565) as Non-official (Independent) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, and the order of the Government of India vide letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for the appointment of Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565) as the Non-official (Independent) Director of the Company, with effect from November 26, 2021 till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier.”

10. Appointment of Shri Prithviraj Harichandan (DIN: 01351097) as Non-official (Independent) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, and the order of the Government of India vide letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for the appointment of Shri Prithviraj Harichandan (DIN:

01351097) as the Non-official (Independent) Director of the Company, with effect from November 22, 2021 till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier.”

11. Appointment of Shri Venkatesan M (DIN: 07667728) as Non-official (Independent) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, and the order of the Government of India vide letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for the appointment of Shri Venkatesan M (DIN: 07667728) as the Non-official (Independent) Director of the Company, with effect from November 22, 2021 till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier.”

12. Appointment of Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) as Non-official (Independent) Director

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, and the order of the Government of India vide letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for the appointment of Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) as the Non-official (Independent) Director of the Company, with effect from December 01, 2021 till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier.”

13. Appointment of Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968) as Director (Operations)

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152, 196 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies

(Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable Rules, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and in accordance with the Government of India letter F.No.SY-11012/1/2020-CSL dated July 21, 2022 issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (on behalf of the President of India), and as per the recommendation made by the Nomination and Remuneration Committee, the approval of the shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968) as Director (Operations) of the Company with effect from July 21, 2022 till the date of his superannuation i.e. May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier, and whose office is liable to retire by rotation.”

14. Amendment of Articles of Association

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder (including any

amendments thereto or re-enactment thereof) the Articles of Association of Company be and is hereby amended by deleting the existing Article 29(b) viz., ‘Any proposal of investment in a particular type of security or shares, if such investment exceeds Rs. 10 lakhs except as provided in clause 28A’.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & Managing Director or any one of the Directors of the Board of Directors and the Company Secretary of the Company be and is hereby severally authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary, proper or expedient to give effect to the above resolution, including but not limited to filing necessary e-forms with the Registrar of Companies.”

By Order of the Board of Directors

Kochi
September 06, 2022

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Notes:

- In view of the continuing COVID-19 Pandemic and the social distancing norms, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, read with Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA Circulars, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and SEBI Circulars, the 50th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.
- The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.
- The relevant details, pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), in respect of Director seeking appointment / re-appointment at this AGM is annexed to this Notice.
- Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with and hence the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. Therefore, the proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the Members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.
- Annual Report for the year 2021-22 including the audited financial statements for the year ended March 31, 2022, is being sent by e-mail to those Members whose e-mail

addresses are registered with Company's RTA/ Depository Participants (DP). Further, the hard copies of the same would also be made available to the Members on request. Members may forward their request for hard copy to secretary@cochinshipyard.in. Members may note that the Notice and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website www.cochinshipyard.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

- As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized mode with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Members holding shares in physical mode are requested to consider converting their holdings to dematerialized mode. Members can contact the Company or Company's Registrar and Transfer Agents (RTA), Link Intime India Private Limited for assistance in this regard.
- Members who have not yet registered/updated their e-mail addresses are requested to register/update the same with their Depository Participants (DP) in case the shares are held in demat mode and with Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode. Members are requested to register/update their e-mail addresses to enable the Company/RTA to send communications through e-mail.
- Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc.

For shares held in demat mode: To their DPs.

For shares held in physical mode: To Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in the prescribed Form ISR-1. The said form is available at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/56.

Members holding shares in physical mode may kindly note that SEBI vide its Circulars dated November 03, 2021 and December, 14 2021 has mandated the submission of PAN,

KYC and nomination details by March 31, 2023. Those Members who have not yet submitted the said details may submit the same with the Company's RTA, Link Intime India Private Limited. The detailed instructions for the same are available at <https://www.linkintime.co.in/home-KYC.html>.

- As per the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2013, the facility for making nomination is available to the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13 prescribed under Rule 19 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. If a Member desires to cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form No. SH-14 prescribed under Rule 19 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. On request, the necessary forms can be obtained from the Company's RTA, Link Intime India Private Limited. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held in demat mode and to Link Intime India Private Limited in case the shares are held in physical mode.

10. Book Closure and Dividend

- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022, both days inclusive.
- The final dividend for the financial year 2021-22, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, by October 28, 2022 i.e. within 30 days from the date of approval to those Members whose names appear in the Register of Members/Depositories' records, as the case may be, at the close of business hours on Thursday, September 22, 2022.
- Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/demand drafts in other cases. In respect of shares held in demat mode, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL) as at the close of business hours on Thursday, September 22, 2022. Members holding shares in demat mode may note that the bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat mode for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of

the Members. Members who have changed their bank account after opening the demat account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the demat account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before September 22, 2022.

- As per the Finance Act, 2020, dividend paid and distributed by a Company will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 01, 2020. Therefore, the Company will be required to deduct taxes at source (TDS) at the rates applicable to each category of Shareholder under the provisions of the Income Tax Act, 1961 as explained below:

A. Resident Shareholders

- TDS would not apply in case of individuals if the aggregate dividend distributed to them during the financial year 2022-23 does not exceed ₹5,000.
- Tax at source will not be deducted in cases where a Shareholder provides
 - Form 15G (applicable to any person other than a Company or a Firm)
 - Form 15H (applicable to an individual above the age of 60 years), provided that the eligibility conditions are being met.
 - The Form 15H/15G is available for download at the Company's website at www.cochinshipyard.in.
- Tax will be deducted at source ("TDS") under Section 194 of the Income Tax Act, 1961 @ 10% on the amount of dividend payable unless exempted under any of its provisions.
- In case of "specified person" under Section 206AB of the Income Tax Act, the TDS shall be deducted at twice the rates specified in the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961.
- If PAN is not submitted, TDS would be deducted @ 20% as per Section 206AA of the Income Tax Act, 1961.
- Shareholders are requested to update their PAN with the Company's RTA, Link Intime India Private Limited (in case of shares held in physical mode) and Depository Participants (in case of shares held in demat mode).

- (g) Shareholders holding shares under multiple accounts under different status/ category and single PAN, may note that, higher of the tax as applicable to the status in which shares held under a PAN will be considered on their entire holding in different accounts.
- (h) Shareholders are requested to kindly verify the correctness of the records and update the same with the Depository Participant (if shares are held in demat mode) or the Company's RTA (if shares are held in physical mode), at the earliest.
- (i) Eligible Shareholders are also requested to submit the following documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 latest by 23:59 hrs. on September 21, 2022 at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> to avail the benefit of exemption or lower deduction from withholding tax.

Category	Documents required	Remarks
General	Self-attested copy of withholding tax certificate for lower deduction u/s 197	If lower rate of tax is to be claimed
Individual	Duly signed Form 15G or 15H (as may be applicable) along with the self-attested copy of the PAN card	If tax exemption is to be claimed
Insurance Company	Self-declaration* that it has full beneficial interest with respect to shares owned, along with self-attested copy of PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed
Mutual Funds	Self-declaration* that they are specified in Section 10(23D) of the Income Tax Act, 1961, along with self-attested copy of PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed
Corporation established by or under a Central Act which is, under any law for the time being in force, exempt from income-tax on its income	Self-attested copy of the documentary evidence supporting the exemption status along with self-attested copy of PAN card	If tax exemption is to be claimed
Alternative Investment Fund (AIF) established/ incorporated in India	Self-declaration* that its income is exempt under Section 10(23FBA) of the Income Tax Act, 1961 and that they are governed by SEBI Regulations as Category I or Category II AIF along with self-attested copy of the PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed

*The format of self-declaration is available at Company's website at www.cochinshipyard.in.

B. Non-Resident Shareholders

- (a) Tax is required to be deducted at source in accordance with the provisions of Section 195 of the Income Tax Act, 1961 at applicable rates in force. As per the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961, the tax shall be deducted at source @ 20% (plus applicable surcharge and cess) on the amount of dividend payable.
- (b) Shareholders are requested to kindly verify the correctness of the records and update the same with the Depository Participant (if shares are held in demat mode) or the Company's RTA (if shares are held in physical mode), at the earliest.
- (c) Eligible Shareholders are also requested to submit the following documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 latest by 23:59 hrs. on September 21, 2022 at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> to avail the benefit of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and their country of residence.

Category of Shareholder	Documents	
Investments made by routes other than FPI route	Individual	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	Partnerships, Trusts	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* List of partners/ beneficiaries, their respective shares in the income of the partnership/ trust and their respective residential status (if not forming part of TRC) Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
Companies	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* Proof of satisfaction of LoB wherever required as per treaty (for example, in case the foreign company is registered on the stock exchange of the other country – the listing certificate of the company) Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any. 	

Category of Shareholder	Documents	
Investments made through FPI route	FPIs (if shares are held under the FDI regime)	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* Proof of satisfaction of LoB wherever required as per treaty (for example, in case the foreign company is registered on the stock exchange of the other country – the listing certificate of the company) Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	FPIs (other than above)	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested declaration that investment has been made under FPI route Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.

*The Form 10F and the format of Self-declaration is available at Company's website at www.cochinshipyard.in.

- (d) Kindly note that the Company is not obligated to apply the beneficial DTAA rates at the time of tax deduction/ withholding on dividend amounts. Application of beneficial DTAA rate shall depend upon the completeness and satisfactory review by the Company of the documents submitted by non-resident shareholders.
- (e) Tax shall be deducted at source @ 20% (plus applicable surcharge and cess) on dividend paid to Foreign Institutional Investors and Foreign Portfolio Investors under Section 196D of the Income Tax Act, 1961. Such TDS rate shall not be reduced on account of the application of the lower DTAA rate, if any.
- (v) Kindly note that the aforementioned documents should be uploaded at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> latest by 23:59 hrs. on September 21, 2022. Documents submitted through e-mail or any other form will not be considered.
- (vi) No communication on the tax determination/deduction shall be entertained after September 21, 2022.
- (vii) In case tax on dividend is deducted at a higher rate in the absence of receipt of the aforementioned details/documents, Shareholders would still have the option of claiming refund of the excess tax deducted at the time of filing the income tax return by consulting a tax advisor. No claim shall lie against the Company for such taxes deducted.
- (viii) Shareholders are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participant (DP) in case the shares are held in demat mode and with Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode to enable the Company to send Form 16A with respect to the TDS on Dividend. Shareholders will be able to see the credit of TDS in Form 26AS, which can be downloaded from their e-filing account at <https://portal.incometax.gov.in>.
- (ix) **Disclaimer:** This communication shall not be treated as an advice from the Company. For the tax related matters Shareholders should obtain the tax advice from a tax professional.
- Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government.
- (ii) Further, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all the shares on which dividend remain unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the demat account of the IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the Shareholders to encash/claim their respective dividend during the prescribed period.
12. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the AGM.
13. To prevent fraudulent transactions, Members are advised to exercise due diligence and notify the Company of any change in address or demise of any Member as soon as possible. Periodic statement of holdings should be obtained from the concerned DP and holdings should be verified from time to time.
14. Members are requested to:
- (i) Intimate to the Company/RTA, changes if any, in their respective addresses along with the pincode at an early date.
- (ii) Quote folio numbers in all their correspondences.
- (iii) Consolidate holdings into one folio in case of multiplicity of folios with names in identical orders.
15. Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Company immediately the change in the residential status on return to India for permanent settlement.
16. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts or Arrangements in which the Directors are interested, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available electronically for inspection to the Members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretary@cochinshipyard.in.

11. Unclaimed Dividend

- (i) Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend

17. Members are requested to send all communications relating to shares to the Company's Registrar and Transfer Agents (RTA) at the following address:

Link Intime India Private Limited

"Surya", 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road
Coimbatore, Tamil Nadu – 641028
Phone: +91 (422) 2314792, 2315792
E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

18. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a Member using remote e-voting system as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by NSDL.

19. Instructions to Shareholders for remote e-voting

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, September 26, 2022 at 09:00 hrs. and ends on Wednesday, September 28, 2022 at 17:00 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members whose names appear in the Register of Members/Depositories' records, as the case may be, as on the cut-off date, Thursday, September 22, 2022, may cast their vote electronically. The voting right of Shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Thursday, September 22, 2022. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the Meeting date would not be entitled to vote at the Meeting venue.
- (iii) Process and manner of voting by electronic means

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail address in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual Shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<ol style="list-style-type: none"> Existing IDEAS user can visit the e-Services website of NSDL viz., https://eservices.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the Beneficial Owner icon under Login which is available under IDEAS section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on Access to e-Voting under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting. If you are not registered for IDEAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select Register Online for IDEAS Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

Type of Shareholders	Login Method
	<ol style="list-style-type: none"> Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://www.evoting.nsd.com either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon Login which is available under Shareholder/Member section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository website wherein you can see the e-Voting page. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App NSDL Speede facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

NSDL Mobile App is available on



Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> Existing users who have opted for Easi/Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi/Easiest is https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the e-Voting menu. The menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat account number and PAN from a link in www.cdslindia.com homepage. The system will authenticate the user by sending OTP on registered mobile and e-mail as recorded in the demat account. After successful authentication, user will be provided links for the respective E-Voting Service Provider (ESP) i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
--	---

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option . Click on e-Voting option , you will be redirected to NSDL/CDSL Depository website after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting.
--	---

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use **Forget User ID/Forget Password** option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022 – 23058738 or 022 – 23058542 – 43.

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for Shareholders other than Individual Shareholders holding securities in demat mode and Shareholders holding securities in physical mode

How to Login to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL <https://www.evoting.nsd.com> either on a personal computer or on a mobile.
- Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon **Login** which is available under **Shareholder/Member** section.
- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
*Alternatively, if you are registered for NSDL e-Services i.e. **IDeAS**, you can login at <https://eservices.nsd.com> with your existing **IDeAS** login. Once you login to NSDL e-Services using your login credentials, click on **e-Voting** and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*
- Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
(a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your User ID is IN300***12*****.
(b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your User ID is 12*****.
(c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Company For example, if your folio number is 001*** and EVEN is 101456 then your User ID is 101456001***.

5. Password details for Shareholders other than Individual Shareholders are given below:

- (a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - (b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - (c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your e-mail address is registered in your demat account or with the Company, your 'initial password' is communicated to you on your e-mail address. Trace the e-mail sent to you from NSDL from your mailbox. Open the e-mail and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit Client ID for NSDL account, last 8 digits of Client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your e-mail address is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those Shareholders whose e-mail addresses are not registered**.
6. If you are unable to retrieve or have not received the 'initial password' or have forgotten your password.
- (a) Click on **Forgot User Details/Password?** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - (b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - (c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - (d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on **Agree to Terms and Conditions** by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on **Login** button.

9. After you click on the **Login** button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system

How to cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the Companies' 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select 'EVEN' of the Company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on **VC/OAVM** link placed under **Join Meeting**.
3. Now you are ready for e-Voting as the voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on **Submit** and also **Confirm** when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the **print** option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(iv) General Guidelines for Shareholders

1. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to cochin@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on **"Upload Board Resolution / Authority Letter"** displayed under **"e-Voting"** tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful

attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the **"Forgot User Details/Password?"** or **"Physical User Reset Password?"** option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries/grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the **Download** section of www.evoting.nsdl.com. You may also send a request to Shri Amit Vishal, Assistant Vice President, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013 at the e-mail address evoting@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

(v) Process for those Shareholders whose e-mail addresses are not registered with the depositories for procuring User ID and Password and registration of e-mail addresses for e-voting for the resolutions set out in this notice

1. In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at coimbatore@linkintime.co.in.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (NSDL – 16 digit DPID + CLID or CDSL – 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at coimbatore@linkintime.co.in. If you are an Individual Shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** above i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode**.
3. Alternatively, Shareholders/Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User ID and Password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their

mobile number and e-mail address correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

20. Instructions for Members for e-voting on the day of the AGM

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/Shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for remote e-voting.

21. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM

- (i) Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for the AGM by following the procedure mentioned hereinafter. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 Members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders with 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- (ii) The facility to attend the AGM through VC/OAVM is provided to the Members through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for access to NSDL e-Voting system. After successful login, Members are requested to click on **VC/OAVM** link placed under **Join Meeting** menu against Company name. The link for VC/OAVM will be available in **Shareholder/Member** login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID

and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned above to avoid last minute rush.

- (iii) The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- (iv) Members are encouraged to join the Meeting through laptops for better experience.
- (v) Further, Members will be required to allow camera, if any, and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting.
- (vi) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptops connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- (vii) Shareholders who would like to express their views/ask questions during the Meeting may register themselves as a speaker by sending their request from their registered e-mail address mentioning their name, demat account no./folio no., e-mail address and mobile no. at speakers@cochinshipyard.in from September 21, 2022 (08.00 hrs.) to September 23, 2022 (16:00 hrs.). The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

(viii) Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the Meeting. Relevancy of the question and the order of speakers will be decided by the Chairman.

(ix) Members seeking any information with regard to annual accounts at the time of Meeting are requested to send their queries to the Company at least seven days before the date of Meeting so as to enable the management to keep the information ready.

22. Other Instructions

- (i) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on cut-off date of September 22, 2022, may obtain the Notice and e-voting instructions by sending request to the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at their e-mail address coimbatore@linkintime.co.in or download Notice and e-voting instructions from www.evoting.nsdl.com or Company's website www.cochinshipyard.in.
- (ii) The results declared along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company www.cochinshipyard.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 6

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

The Board at its 267th Meeting held on August 10, 2022 has appointed M/s. BBS & Associates, Cost Accountants (Firm Registration No.: 00273), as the Cost Auditors of the Company for the financial year 2022-23 at a remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) per annum plus applicable taxes. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditors is required to be ratified by the Members.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 6 of the accompanying Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

None of the Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 6 of the Notice.

Item No. 7 to 12

Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097, Shri Venkatesan M (DIN: 07667728), Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) were appointed as the Non-official (Independent) Directors of the Company vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier.

The above mentioned Directors have given a declaration to the Board that they meet the criteria of independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. They are not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013. Their brief resume containing age, qualification, expertise etc. is annexed herewith.

The Board recommends the passing of the proposed special resolutions for appointment of the Independent Directors as contained in item no. 7 to 12 of this Notice by the members of the Company.

Smt. Amrapali Prashant Salve, Shri Nahar Singh Maheshwari, Shri Ashok Sharma, Shri Prithiviraj Harichandan, Shri Venkatesan M and Shri Abhijit Biswas are interested in the resolution, at item nos.7 to 12 of the Notice, to the extent as it concerns their appointment. None of other Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item nos.7 to 12 of the Notice.

Item No.13

Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), former Chief General Manager (Ship Repair) of Cochin Shipyard Limited was appointed as the Director (Operations) of the Company by the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India vide their letter F.No. SY-11012/1/2020-CSL dated July 21, 2022 with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e July 21, 2022 till the date of his superannuation i.e. May 31, 2025, or until further orders, whichever is earlier. His appointment was recommended by the Nomination and Remuneration Committee at its meeting held on August 10, 2022. His brief resume containing, age, qualification, expertise etc. is annexed herewith.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 13 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

Shri Sreejith K Narayanan is interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of other Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no.13 of the Notice.

Item No.14

CSL, being a Government Company, has reserved certain powers to be exercised only with the approval of the President of India. These have been mentioned at Article 29 of the Articles of Association (AoA) of the Company. As per Article 29(b), any proposal for investment in a particular type of security or shares exceeding ₹10 lakhs require the approval of the President of India. This clause has been there since the Company's incorporation on March 29, 1972.

The Company was granted the status of 'Category I Mini Ratna' by the Government of India in the year 2008. As per the DPE Guidelines, the Board of Directors of Mini Ratna Companies are empowered to invest in domestic joint ventures and subsidiary companies up to an amount of 15% of the net-worth of the Company in one project subject to an overall ceiling of 30% of the net-worth or ₹500 Crores, whichever is less, and hence the limit of ₹10 Lakhs (a limit which was set at the time of incorporation of CSL in March 1972) is obsolete and redundant.

In view of the above, it is considered appropriate to remove Article 29(b) from the AoA of the Company. The proposal is also in line with the Companies Act and applicable DPE Guidelines.

The above proposal was approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 20, 2022. The said proposal is also subject to the approval/ concurrence of the President of India acting through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 14 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of special resolution.

By Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 06, 2022

Registered Office

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
CIN: L63032KL1972GOI002414
Tel: +91 (484) 236 1306
E-mail: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ RE-APPOINTMENT AT THE 50TH AGM

[PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS]

Name and DIN	Shri Jose V J (DIN: 08444440)
Age and Date of Birth	55 years, February 04, 1967
Date of first appointment on the Board	August 01, 2019
Qualifications	Shri Jose V J is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam
Expertise in specific functional areas	He has approximately 31 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	Shri Jose V J was appointed as Director (Finance) of CSL on August 01, 2019 pursuant to Ministry of Ports, Shipping and Waterways (former, Ministry of Shipping) Order F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019. He was appointed to the position of Director (Finance) through a selection process of Public Enterprises Selection Board. The terms and conditions of his employment are prescribed by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	₹56.28 Lakhs
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	5/5
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405)
Age and Date of Birth	47 years, September 20, 1974
Date of first appointment on the Board	The date of appointment pursuant to Section 152(3) of the Companies Act, 2013, is November 26, 2021
Qualifications	Smt. Amrapali Prashant Salve holds a degree of Bachelor of Arts in Economics and Sociology from Mumbai University.
Expertise in specific functional areas	She is actively engaged in social service and women empowerment by arranging training and skill development programmes. She is also working for self-help group viz., Pandit Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	She was appointed as Non-official (Independent) Director of CSL vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating her appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. Further, the expenses incurred for attending the Board/Committee Meetings are reimbursed.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	2/2
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil
Name and DIN	Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082)
Age and Date of Birth	58 years, January 23, 1964
Date of first appointment on the Board	The date of appointment pursuant to Section 152(3) of the Companies Act, 2013, is December 01, 2021
Qualifications	Shri Nahar Singh Maheshwari holds a Post Graduate degree in Law from Rajasthan University. He also holds a degree in Master of Arts in Political Science from Rajasthan University.

Expertise in specific functional areas	He is a member of the Bar Council of Rajasthan and practicing as lawyer since 1989.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	He was appointed as Non-official (Independent) Director of CSL vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. Further, the expenses incurred for attending the Board/Committee Meetings are reimbursed.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	2/2
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil
Name and DIN	Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565)
Age and Date of Birth	57 years, October 01, 1964
Date of first appointment on the Board	The date of appointment pursuant to Section 152(3) of the Companies Act, 2013, is November 26, 2021
Qualifications	Shri Ashok Sharma holds a Post Graduate degree in Hindi, Sanskrit, Political Science and Education. He has also received Honorary Doctorate in literature (Vidhya Vachaspati) from Vikramshila Hindi Vidyapeeth (Bhagalpur, Bihar).
Expertise in specific functional areas	He started his career as a lecturer and is currently serving as the Vice-Principal of RNI College, Bhagwanpur in Haridwar District. He has also been associated with journalism as writer/editor in many newspapers like Dainik Jagran, Punjab Kesari, Amar Ujala, Badri Vishal etc.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	He was appointed as Non-official (Independent) Director of CSL vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.

Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. Further, the expenses incurred for attending the Board/Committee Meetings are reimbursed.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	2/2
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Prithviraj Harichandan (DIN: 01351097)
Age and Date of Birth	53 years, December 06, 1968
Date of first appointment on the Board	November 22, 2021
Qualifications	Shri Prithviraj Harichandan holds a Master of Science degree in Zoology from Utkal University, Bhubaneswar. He is also an MBA graduate in Human Resource and Finance from Amity University.
Expertise in specific functional areas	He is an entrepreneur and in addition he is serving as the Chairman of Mahatma Gandhi Gram Swaraj Abhiyan and National Council of Martial Tradition and Culture (NCMTC).
Terms and conditions of appointment or re-appointment	He was appointed as Non-official (Independent) Director of CSL vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.

Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. Further, the expenses incurred for attending the Board/Committee Meetings are reimbursed.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	2/2
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Venkatesan M (DIN: 07667728)
Age and Date of Birth	41 years, November 20, 1980
Date of first appointment on the Board	November 22, 2021
Qualifications	Shri Venkatesan M holds a Post Graduate Degree in Arts from Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai.
Expertise in specific functional areas	He was the Chairman of National Commission for Safai Karmacharis (NCSK). He is also a notable writer and has authored various books mainly focussing on the issues relating to Dalits.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	He was appointed as Non-official (Independent) Director of CSL vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. Further, the expenses incurred for attending the Board/Committee Meetings are reimbursed.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil

Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	2/2
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083)
Age and Date of Birth	42 years, June 09, 1980
Date of first appointment on the Board	The date of appointment pursuant to Section 152(3) of the Companies Act, 2013, is December 01, 2021
Qualifications	Shri Abhijit Biswas holds a degree of Bachelor of Commerce from Calcutta University.
Expertise in specific functional areas	He has around 15 years of experience as financial service consultant.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	He was appointed as Non-official (Independent) Director of CSL vide Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years till November 21, 2024 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. Further, the expenses incurred for attending the Board/Committee Meetings are reimbursed.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	2/2

No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil

Name and DIN	Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968)
Age and Date of Birth	57 years, May 17, 1965
Date of first appointment on the Board	July 21, 2022
Qualifications	Shri Sreejith K Narayanan holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology.
Expertise in specific functional areas	He has approximately 34 years of work experience in the area of Ship Building, Ship Design and Ship Repair. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.
Terms and conditions of appointment or re-appointment	Shri Sreejith K Narayanan was appointed as Director (Operations) of CSL on July 21, 2022 pursuant to Ministry of Ports, Shipping and Waterways Order F.No.SY-11012/1/2020-CSL dated July 21, 2022. He was appointed to the position of Director (Operations) through a selection process of Public Enterprises Selection Board. The terms and conditions of his employment are prescribed by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the chart on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2021-22)	₹55.30 Lakhs was drawn during FY22, in the capacity of Chief General Manager (Ship Repair) of CSL.
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	Not Applicable
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(a) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel	Nil



COCHIN SHIPYARD LIMITED

Registered Office

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India

CIN: L63032KL1972GOI002414

Website: www.cochinshipyard.in

